षोदश माला, खंड 28 अंक 9

शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2002
8 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 28 में अंक 1 से 10 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 354
Date 12/6/03

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 28, ग्यारहवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 9, शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2002/8 अग्रहायण, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 162 से 165	1–30
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 166 से 181	30–90
अतारांकित प्रश्न संख्या 1753 से 1982	91–400
सभा पटल पर रखे गए पत्र.	400–423
सभा का कार्य.	423–427
समिति के लिए निर्वाचन	
मसाला बोर्ड	427–428
शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त समिति	
समिति में एक सदस्य की नियुक्ति के लिए राज्य सभा से सिफारिश	428–429
लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा) संशोधन विधेयक—*पुरःस्थापित.*	429–430
महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में.	430–435
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के पांचवें प्रतिवेदन पर चर्चा कराने की मांग के बारे में.	435–437
6 कृष्ण मेनन मार्ग, नई दिल्ली को बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने के बारे में.	437–444
सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद का सामना करने के बारे में.	444–447
उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) दूसरा संशोधन विधेयक और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक.	458–464
विचार करने के लिए प्रस्ताव.	458

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री के. जना कृष्णामूर्ति	458–461
कुमारी ममता बनर्जी	461–462
खंड 2 और 1	463–464
पारित करने के लिए प्रस्ताव	464
शरणार्थी सहायता कर (उत्सादन) निरसन विधेयक.	464–468
विचार करने के लिए प्रस्ताव	464
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल	464
श्री हन्नान मोल्लाह	465
सरदार सिमरनजीत सिंह मान	465–466
कुमारी ममता बनर्जी	466–467
श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन	467
खंड 2 और 1	467
पारित करने के लिए प्रस्ताव	468
समयोपरि भत्ते की दरों में संशोधन संबंधी अधिनिर्णय को अस्वीकार करने के बारे में संकल्प	
श्रीमती वसुन्धरा राजे	468–471
निजी सचिवों को विशेष वेतन देने संबधी अधिनिर्णय को अस्वीकार करने के बारे में संकल्प	
श्रीमती वसुन्धरा राजे	471–472
आशुलिपिक ग्रेड 'घ' के वेतनमानों में संशोधन संबंधी अधिनिर्णय को अस्वीकार करने के बारे में संकल्प	
श्रीमती वसुन्धरा राजे	473–474
कार्यमंत्रणा समिति	
तैंतालीसवां प्रतिवेदन	474
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के अट्ठाइसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव.	475 –
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प	
गोवध पर प्रतिबंध	475–519
श्री भर्तृहरि महताब	475–481
श्री अनादि साहू	481–488
सरदार सिमरनजीत सिंह मान	488
श्री खारबेल स्वाइं	489–491

विषय कॉलम

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 491–493

श्री राजो सिंह 493–496

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 496–500

श्री श्रीराम चौहान 500–502

योगी आदित्यनाथ 502–512

श्री रामदास आठवले 512–513

श्री रामानन्द सिंह 513–514

श्री हुक्मदेव नारायण यादव 514–518

आधे घंटे की चर्चा

पुरानी अधूरी रेल परियोजनाएं 520–534

श्री नरेश पुगलिया 520–525

श्री रमेश चेन्नितला 525–526

कुंवर अखिलेश सिंह 526–527

श्री नीतीश कुमार 527–534

लोक सभा

शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2002/8 अग्रहायण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 162; श्री पी.सी. थामस।

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): महोदय, क्या मैं आपसे प्रश्न संख्या 162 और 165 पर एक साथ विचार करने का अनुरोध कर सकता हूं क्योंकि दोनों ही कृषि ऋण के बारे में हैं?

अध्यक्ष महोदय: जी हां, हम प्रश्न संख्या 162 और 165 को एक साथ ले सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि माननीय मंत्री इसके लिए पूछ रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम दोनों प्रश्नों को एक साथ ले सकते हैं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

बैंक ऋणों की एक मुश्त अदायगी

***162. श्री +पी.सी. थामस:**
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी सरकारी क्षेत्र और अधिसूचित बैंकों को 25,000 रुपए से कम ऋण लेने वाले छोटे व्यापारियों और 50,000 रुपए से कम कृषि ऋण लेने वालों के लिए एक मुश्त अदायगी का लाभ देने के निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं और आज तक दोनों योजनाओं के अंतर्गत बैंक वार कितने और कितनी राशि के मामले निपटाये गए हैं;

(घ) क्या बैंक निर्धन किसानों और ऋण लेने वालों को इस योजना का लाभ देने के लिए तैयार नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना को व्यापक प्रचार देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक इस योजना को उचित रूप से क्रियान्वित करें क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। क्रमस: 25,000 रुपए और 50,000 रुपए तक की शेष बकाया राशियों वाले सभी ऋण खातों की वसूली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गए मार्गनिर्देशों की प्रमुख विशेषताएं अनुबंध-I में दी गई हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लघु उधारकर्ताओं के लिए योजना के अधीन अनुमोदित किए गए निपटानों की बैंक-वार संख्या और उसकी राशि अनुबंध-II में दी गई है। जहां तक लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 50,000 रुपए तक के विशेष एकबारगी निपटान योजना का संबंध है, बैंकों को 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार किसी भी कार्यनिष्पादन की सूचना नहीं देनी है क्योंकि इस योजना की घोषणा वित्तीय वर्ष 2001-02 के अंत में 22 मार्च, 2002 को की गई थी। तथापि, अधिकांश बैंकों ने सूचित किया है कि उन्होंने योजना को अंगीकार किया है और अपनी शाखाओं को उसे कार्यान्वित करने का परामर्श दिया है।

अनुबंध I

ऋण खातों की वसूली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों की उल्लेखनीय बातें

1. अनुपयोज्य आस्तियों (एन पी ए) का एकबारगी निपटान 25,000 रुपए तक लघु ऋण खाते

   - इस योजना में व्यवसाय या प्रयोजन की प्रकृति को ध्यान में रखे बिना सभी क्षेत्रों में 25,000 रुपए मूल राशि

(बिना कोई ब्याज शामिल किए) तक के वे सभी ऋण खाते शामिल हैं जो 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार अनुपयोज्य आस्तियां बन गए हैं;

- इसमें मुकदमा दायर एवं डिक्री वाले ऋण भी शामिल हैं;
- धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार वाले मामले शामिल नहीं किए गए हैं;
- योजना 30 जून, 2002 तक चालू थी;
- दिनांक 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार मूल राशि का शेष बकाया वसूल किया जाना था और शेष बकाया राशि पर ब्याज को छोड़ देना था;
- समझौता निपटान का निर्णय का अधिकार शाखा प्रबंधक को दे दिया गया था;
- अनुपयोज्य आस्तियों के समझौता निपटान हेतु इन मार्गनिर्देशों का बिना भेदभाव के अनुसरण किया जाना था;
- बैंकों से अपेक्षा की गई थी कि इस योजना के बारे में सभी पात्र चूककर्ता ऋणकर्त्ताओं में पर्याप्त प्रचार करें, ताकि वे विशेष एकबारगी निपटान के अवसर का लाभ उठा सकें;

2. 50,000 रुपए तक के ऋण हेतु लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए विशेष एकबारगी निपटान योजना

- इस योजना में लघु एवं सीमान्त किसानों के 50,000 रुपए मूल राशि (बिना कोई ब्याज शामिल किए) तक के बकाया शेष वाले वे सभी ऋण खाते शामिल हैं जो 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार अनुपयोज्य आस्तियां बन गये हैं;
- 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार मूल राशि का शेष बकाया वसूल किया जाना चाहिए और 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि में लगा कोई ब्याज या 31 मार्च, 1998 के बाद शेष बकाया राशि पर ब्याज छोड़ दिया जाएगा;
- इस योजना में मुकदमा दायर और डिक्री वाले ऋण भी शामिल हैं;
- इस योजना में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और जानबूझकर चूक के मामलों को शामिल नहीं किया जाता है;
- यह योजना 31 मार्च, 2003 तक चालू रहेगी।

अनुबंध II

31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार लघु ऋण योजना के तहत अनुमोदित निपटान मामलों की बैंक-वार संख्या एवं उनमें अंतर्ग्रस्त राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	बैंक का नाम	संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
1.	भारतीय स्टेट बैंक	16301	21.02
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	1759	1.03
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1238	1.45
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	351	0.18
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	489	0.63
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	12	0.03
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1263	1.09
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	233	0.24
9.	इलाहाबाद बैंक	8490	5.25
10.	आंध्रा बैंक	1240	0.47
11.	बैंक आफ बड़ौदा	9209	2.88
12.	बैंक आफ इंडिया	32920	20.00
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	779	0.72
14.	केनरा बैंक	3255	3.77
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	56187	61.00
16.	कार्पोरेशन बैंक	417	0.31
17.	देना बैंक	1350	0.86
18.	इंडियन बैंक	3391	2.46
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	3948	3.64
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	584	0.48
21.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	2479	1.20
22.	पंजाब नैशनल बैंक	3120	1.94

1	2	3	4
23.	सिंडिकेट बैंक	2791	1.76
24.	यूको बैंक	15959	8.44
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	7176	3.69
26.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	2838	4.50
27.	विजया बैंक	276	0.18
	कुल	179055	149.22

कृषि क्षेत्र के लिए ऋण सीमा

***165. श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि क्षेत्र के कुछ भागों के लिए ऋण सीमा बढ़ाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में सिंचाई की 'स्प्रिंकलर' प्रणालियों/'ड्रिप' प्रणालियों के डीलरों हेतु भी ऋण सीमा को बढ़ाया है;

(घ) यदि हां, तो कृषि क्षेत्र के इन भागों पर बढ़ी हुई ऋण सीमा का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) क्या प्राथमिकता वाले इस क्षेत्र को कम दर पर ऋण दिया जाएगा; और

(च) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश में 'स्प्रिंकलर' सिंचाई प्रणाली हेतु आसान दरों पर ऋण प्रदान करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने कृषि क्षेत्र के कुछ खंडों के लिए ऋण सीमाएं बढ़ा दी हैं। विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(1) कृषि के लिए अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु पशु चारा, मुर्गियों का चारा आदि जैसे सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए निविष्ट वस्तुओं के संवितरण का वित्तपोषण करने के लिए मंजूर की गई ऋणों की अधिकतम सीमाओं को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है।

(2) प्राथमिकता क्षेत्र, खासकर कृषि क्षेत्र को ऋण का अतिरिक्त संवितरण तथा अपने उत्पादों के विपणन में किसानों की सहायता करने के उद्देश्य से कृषि उत्पाद के बंधन/दृष्टिबंधन (वेयर हाऊस की रसीद सहित) के बदले किसानों को दी जाने वाली ऋण सीमाओं को कृषि क्षेत्र को प्रत्यक्ष वित्त के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करने के लिए (एक लाख रुपए से) बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ऐसे ऋणों की वापसी अदायगी अनुसूची को भी छः महीने से बढ़ाकर 12 महीने से अनधिक कर दिया गया है।

(3) ग्रामीण/अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली/कृषि उपस्करों को प्रदान किए गए अग्रिमों पर सीमा को कृषि के लिए प्राथमिकता क्षेत्र उधार के अंतर्गत 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चूंकि इन सीमाओं को अभी हाल ही में बढ़ाया गया है, इसलिए कृषि को समग्र ऋण संबंधी कदमों के प्रभाव का पता बाद में ही चलेगा। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बकाया कृषि अग्रिम मार्च 2001 के अंत के 53,685 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2002 में 63,083 करोड़ रुपए हो गया है।

(ङ) और (च) इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज दरें इसके निदेशों से नियंत्रित होती हैं। यह निर्धारित किया गया है कि 2 लाख रुपए तक की ऋण सीमाओं के लिए उधार की दरें प्राथमिक उधार दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए जो अप्रैल, 1998 से प्रभावी है। बैंक 2 लाख रुपए से अधिक के ऋणों के लिए ब्याज की दरें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, यह सराहनीय कदम है कि 25000 रुपये तक के सभी ऋण के लिए ब्याज की पूरी राशि माफ कर दी जायेगी और 50,000 रुपये तक के कृषि ऋण पर ब्याज की पूरी राशि भी माफ कर दी जायेगी। इस योजना से भारी संख्या में किसान और निम्न वर्ग के लोग अथवा कामगार जिन्होंने छोटे कारबार के लिए अथवा अन्य प्रयोजनार्थ 2000 रुपये से 5,000 रुपये तक का ऋण आदि लिया है, लाभान्वित होंगे।

यद्यपि ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक ने परिपत्र जारी किए हैं तथापि कई बैंक यह जता रहे हैं कि उन्हें इस प्रकार के किसी कार्यक्रम की जानकारी नहीं है। आपका उत्तर यह कहता है कि निदेश जारी किए गए हैं। बैंकों द्वारा इस योजना के बारे में सभी योग्य चूककर्ताओं के लिए पर्याप्त प्रचार-प्रसार किए जाने की आवश्यकता थी। मैं नहीं समझता कि इस संबंध में किसी बैंक ने ऐसा कोई कदम उठाया है। इस मामले में बैंक प्रबंधक केवल अपनी अनभिज्ञता प्रकट कर रहे हैं अथवा इससे बच रहे हैं।

वर्ष 2000-2001 में रिजर्व बैंक के अनुसार कुल 54,273.16 करोड़ रुपये की अनुपयोज्य आस्तियां हैं जोकि कुछ ऋण के 12.39 प्रतिशत के बराबर है। मुझे यह कहना है कि उत्तर के अनुसार केवल 149 करोड़ रुपये का मामला निपटाया गया है। इसका यह आशय है कि निम्न वर्ग के कई लोगों और किसानों को इस योजना का लाभ अब तक नहीं मिला है।

अत:, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय करेगी ऐसे बैंक प्रबंधकों अथवा बैंक अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके जो इस योजना के बारे में अपने दायित्व से बच रहे हों ताकि रिजर्व बैंक अथवा संबंधित प्राधिकारी इसका पर्याप्त प्रचार-प्रसार कर सकें। यह अच्छे कदम हेतु केवल सरकार का प्रचार-प्रसार नहीं है बल्कि यह उन निर्धन लोगों के लिए भी है जो इस योजना से लाभान्वित होंगे।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, यह प्रश्न की अपेक्षा माननीय सदस्य द्वारा सुझाव प्रतीत हो रहा है। क्या माननीय सदस्य के ध्यान में चाहे उनके निर्वाचन क्षेत्र में अथवा उनके राज्य में अथवा अन्यत्र कहीं भी हो यह बात आयी है कि छोटे किसानों अथवा छोटे व्यापारियों अथवा छोटे ऋणकर्ताओं को इस योजना की जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से इस योजना के कार्यान्वयन अथवा इसके प्रचार-प्रसार में अपेक्षित स्तर तक प्रयास नहीं हुआ होगा। अन्यथा यह तो उत्तम उपाय है। हम इसमें सुधार करने और इस योजना के कार्यान्वयन में सुधार लाने हेतु कदम उठाएंगे। इसका उद्देश्य छोटे ऋणकर्त्ताओं के लिए 25,000 रुपये और किसानों के लिए 50,000 रुपये की राशि का निपटान करना है। यह एक मुश्त निपटान है। इसमें ऋण माफ करना शामिल है और यह रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत योजना है। इसका व्यापक कार्यान्वयन होना चाहिए और मैं इस बात से सहमत हूं। हम इस संबंध में कदम उठाएंगे।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, 25,000 रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज माफ करने की योजना की अवधि पहले ही बीत चुकी है क्योंकि इसकी अंतिम तिथि 30 जून थी। अब, चूंकि यह योजना छोटे लोगों के लिए लाभप्रद है, मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार इसकी अवधि 30 जून, जोकि इसकी अंतिम तिथि थी, से आगे कम से कम एक वर्ष तक बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाएगी।

महोदय, किसानों को 50,000 रुपये के ऋण के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च, 2003 है। यदि 25000 रुपये तक के ऋण के लिए तिथि को, कम से कम, 31 मार्च, 2003 तक बढ़ा दिया जाता है तो इससे उन लाभार्थियों को कुछ हद तक सहायता मिल जाएगी। फिर उस समय तक इसका प्रचार-प्रसार भी होता रहेगा। नि:संदेह, यह प्रश्न लाभार्थियों के लिए प्रचार-प्रसार करने के बारे में है ताकि वे इसका लाभ उठा सकें।

मेरा यह अनुरोध है कि और इसके साथ ही यह प्रश्न भी है कि क्या सरकार अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाएगी।

महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो, मेरा एक अन्य प्रश्न भी है। अनुपयोज्य आस्तियां 31 मार्च, 1998 से अनुपयोज्य आस्तियां रहेंगी। अब, जैसाकि उत्तर में बताया गया है कि यह योजना काफी देर से आई, अत: इस संबंध में अधिक प्रयास नहीं किया जा सका, मेरा यह निवेदन है कि यदि ऋण को अनुपयोज्य आस्तियां बनाने के लिए अंतिम तिथि को कुछ माह अथवा वर्ष तक आगे बढ़ा दिया जाता तो इससे लाभार्थियों को कुछ हद तक सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय: ये दोनों तो प्रश्न ही हैं, आपका अनुरोध कहां है?

श्री पी.सी. थामस: परन्तु माननीय मंत्री से कुछ उत्तर तो मिलेगा।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मैं समझ रहा हूं परन्तु कृपया मुझे इसे और स्पष्ट रूप से समझने दीजिए। माननीय सदस्य ने एक योजना के बारे में कहा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह 30 जून को खत्म हो रही है।

श्री पी.सी. थामस: इसकी अवधि पहले ही बीत चुकी है।

श्री जसवंत सिंह: ठीक है। महोदय, मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि इस योजना की अवधि आगे बढ़ाने की बात सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है। यह बात विचाराधीन है और हम इसकी जांच कर रहे हैं।

जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी सूखा आदि के लिए पहले से ही उपलब्ध कराई गई राहत के बारे में व्यापक वक्तव्य देने पर विचार कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय की यह सिफारिश है कि यह प्रधानमंत्री की कुल घोषणा का हिस्सा बने।

श्री ए. ब्रह्मनैया: महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस आशय के परिपत्र और मार्गनिर्देश जारी करने के बावजूद कि कृषि क्षेत्र प्राथमिकता क्षेत्र है और ऐसे वक्तव्य भी दिए जाते हैं कि

राष्ट्रीयकृत बैंक कृषि क्षेत्र को कम से कम 18 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करें, वास्तव में हो यह रहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंक अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए केवल यह राशि नाबार्ड को सौंपकर यह कहते हैं कि वे अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर रहे हैं।

यह सही नहीं है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 65 से 70 प्रतिशत लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। इस संबंध में, महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह चाहती है कि राष्ट्रीयकृत बैंक कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित अपनी सारी राशि 'नाबार्ड' को प्रदान करें। यह मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मैं नाबार्ड के कृत्यों को, कृषि क्षेत्र के लिए ऋण के निर्धारित प्रतिशत से, अलग करना चाहता हूं। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह सही है कि निर्धारित प्रतिशत के अनुसार अपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने के लिए राशि 'नाबार्ड' को उपलब्ध करा दी जाती है जो बाद में इसे कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराता है। बैंकों को केवल कृषि क्षेत्र के लिए ही— मेरे विचार से प्रश्न में इसी बात पर बल दिया गया है— 18 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। क्या बैंकों ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है? नहीं, यह प्राप्त नहीं किया गया है। इस क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में लगभग 2 से 2.5 प्रतिशत की थोड़ी कमी रह जाती है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं कि बैंक, उनके लिए निर्धारित लक्ष्य को, स्वयं प्राप्त करें, बैंकों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाता है और किसानों को बैंक ऋण उसी प्रकार सुलभ हो पाएगा जैसाकि किसी अन्य नागरिक को यह उपलब्ध होता है।

श्री ए. ब्रह्मनैया: सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक नजर रखने के लिए क्या निगरानी प्रणाली विकसित की गई कि बैंक सचमुच में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं अथवा नहीं? हमारे देश में वर्तमान सूखे की स्थिति को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार के पास सिंचाई जल की कमी के कारण फव्वारा (स्प्रिंकलर) और ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, सभी बैंकों की निगरानी प्रणाली को सर्वविदित ही है। यह विभिन्न स्तरों पर मौजूद है। यह बैंक प्रबंधन के स्तर से शुरू हो जाती है और यह भारतीय रिजर्व बैंक बाद में वित्त मंत्रालय के स्तर पर भी की जाती है। निगरानी का लक्ष्य बैंकों द्वारा अपने सभी कार्यकलापों की नियमित और बार-बार प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। निगरानी की प्रक्रिया काफी जटिल है जिसके बारे में विस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण देने में मुझे काफी समय लग जाएगा।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने कुछ मार्गनिदेश निर्धारित किए हैं और इसी क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक यह निदेश जारी करता है कि ऋण के लिए निर्धारित राशि में से नियत राशि सामाजिक क्षेत्र और सीमांत किसानों को दी जानी होती है। परन्तु यह देखा गया है कि अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंक इस मामले में चूककर्ता हैं और सामाजिक क्षेत्र और सीमांत किसानों के लिए निर्धारित राशि वितरित नहीं की जाती है, और इसके स्थान पर बची हुई राशि बड़े औद्योगिक घरानों अथवा निगमित एककों को दे दी जाती है। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से यह पूछता हूं कि इस मामले में कितने राष्ट्रीयकृत बैंकों से चूक हुई है और उन्होंने सामाजिक क्षेत्रों और सीमांत किसानों के लिए निर्धारित राशि वितरित नहीं की है? सरकार ने इस सामाजिक दायित्व को पूरा न करने वाले चूककर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

श्री जसवंत सिंह: महोदय, यदि मैंने इस प्रश्न की व्याख्या की होती तो मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मेरी व्याख्या से संतुष्ट हो गए होते।

माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप न देने के मामले में क्या कार्यवाही की गई है। मैं नहीं समझता कि हमने उस प्रश्न की व्याख्या करके कोई अन्याय किया है। बहुत से उपाय हैं। घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, जो प्राथमिकता क्षेत्र या कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण नहीं दे पाए हैं, को ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में अंशदान करने हेतु धनराशि दी जाती है। यह नाबार्ड का हिस्सा है। बैंक द्वारा जमा की जाने वाली राशियों, जमाराशि पर ब्याज दर, जमाराशि की अवधि आदि जैसे आर.आई.डी.एफ. के कार्यकलापों संबंधी ब्यौरों पर प्रतिवर्ष केन्द्रीय बजट की घोषणा के बाद ही निर्णय लिया जाता है। भारत में कार्यशील ऐसे विदेशी बैंकों के मामले में, जिन्होंने प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण देने के निर्धारित लक्ष्यों या उप-लक्ष्यों को पूरा नहीं किया है, उनसे इस कमी के बराबर की राशि एक वर्ष के लिए एस.आई.डी.बी.आई. (सिडबी) के पास जमा कराई जाती है। घरेलू बैंकों के संबंध में यह राशि ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में जमा कराई जाती है और विदेशी बैंकों के संबंध में यह एस.आई.डी.बी.आई. में जमा कराई जाती है। अत: सीधे लक्ष्य प्राप्त करने के स्थान पर यहां क्या होता है कि इस कमी को बैंकों से बाध्यकारी रूप से आर.आई.डी.एफ. या एस.आई.डी.बी.आई. के पास जमा कराया जाता है जिससे कि इस राशि का उपयोग किया जा सके।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछा था। कितनी धनराशि रह गई है या प्राथमिकता क्षेत्र को नहीं मिली है? चूककर्ता बैंक हैं। आपने क्या कार्यवाही की है?

कुछ बैंक सामाजिक दायित्वों को पूरा कर रहे हैं और कुछ पूरा नहीं कर रहे। अत: आपने उन बैंकों या उनके प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? मेरा प्रश्न यह है।

श्री जसवंत सिंह: मैंने अभी इसी का उत्तर दिया है। माननीय सदस्य ने कोष व्यपगत हो जाने के बारे में सुझाव दिया है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: वे धन व्यय करने में समर्थ नहीं हैं। वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं।

श्री जसवंत सिंह: मैं यह समझता हूं। वे जितनी धनराशि व्यय करने में असमर्थ रहते हैं वह उन्हें आर.आई.डी.एफ. या एस.आई.डी.बी.आई. में जमा करानी पड़ती है। जहां तक किसी राशि के व्यपगत होने का संबंध है, ऐसा कुछ नहीं है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: कोई राशि व्यपगत नहीं हो रही है परन्तु वे सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों को पूरा नहीं कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है *...(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: यह एक बाध्यता है। जहां तक कुल प्रतिशत का संबंध है, वरीयता क्षेत्र में ऋण देने का कुल प्रतिशत 40 है। सभी बैंकों द्वारा 40 प्रतिशत के लक्ष्य का पालन किया जा रहा है। वास्तव में, चालू वर्ष में कुछ बैंकों ने उप-क्षेत्र में 43 प्रतिशत तक दिया है। उदाहरणार्थ, इस 40 प्रतिशत में से कृषि क्षेत्र में ऋण के रूप में कितना अग्रिम दिया जायेगा? कृषि क्षेत्र में लगभग दो या ढाई प्रतिशत की कमी आई है। अब इस कमी के बराबर की राशि, घरेलू बैंकों के मामले में आर.आई.डी.एफ. और विदेशी बैंकों के मामले में एस.आई.डी.बी.आई. के पास जमा कराई जाती है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, यह पर्याप्त से भी अधिक है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: कमी के संबंध में आपने प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? इससे कृषि क्षेत्र की उपेक्षा होती है *...(व्यवधान)* आपने स्वीकार किया है कि उन्होंने नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: इसके लिए किसी को तो जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप इन्हें पत्र लिखकर उत्तर भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले यहां ड्राउट पर चर्चा हुई थी। कभी ड्राउट होता है, कभी हैवी रेन होती है जिसके कारण किसान अपनी जमीनें गिरवी रखते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, अभी आपने जो नया कानून बनाया है, उसके अंतर्गत आप उनकी ऐग्रीकल्चर लैंड जब्त तो नहीं करेंगे, क्या उनको राहत देंगे? वन टाइम सैटलमैंट में आपके पास कितनी स्कीमें आईं, कितने लोगों ने ऐप्लीकेशन्स दीं और कितनी क्लीयर की गई?

एक बात और कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक और कैसे हो सकता है, ए और बी दो तो हो गए हैं।

श्री मोहन रावले: एक ही बात और कहना चाहता हूं जिसके बारे में थॉमस जी ने भी बताया था। लोकल लैग्वेंज न होने के कारण लोग अवेयर नहीं होते, इसलिए उनको पता नहीं लगता। क्या आप उनको लोकल लैंग्वेज में बताएंगे? सरकार की काफी स्कीम्स होती हैं लेकिन किसी को पता नहीं होता कि क्या स्कीम है?

वह करने के लिए आप क्या करेंगे? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब तो आपका चौथा प्रश्न हो गया।

श्री जसवंत सिंह: माननीय सदस्य ने "क, ख, ग, घ" कई सवाल पूछ लिए हैं, एक नहीं पूछा है। यह जो आपने पूछा कि अभी जो सिक्योरिटाइजेशन बिल पास हुआ है, जिसमें असैट की जब्ती का प्रावधान है, वह मैंने वैसे उसी दिन स्पष्ट कर दिया था कि उस बिल के तहत जो प्रावधान हैं, एक तो एक लाख या एक लाख रुपये से कम का कोई ऋण है तो उस पर लागू नहीं होता है। दूसरे जो कृषि के लिए ऋण लिया गया है, खेती के लिए लिया गया है, वह प्रावधान लागू नहीं होता है। आपका यह कहना कि सूखा है, सूखे के कारण अगर कोई पैसा बकाया रह गया तो क्या जमीन जब्त हो जायेगी, यह उसका प्रावधान नहीं है। जमीन जब्ती का सवाल नहीं है। वैसे माननीय सदस्य निश्चित रूप से जानते होंगे कि अपने आपमें कृषि भूमि केन्द्र सरकार की नहीं है। वह राज्य सरकारों की है। भूमि राज्य सरकारों की है और अगर भूमि पर अधिकार राज्य सरकारों का है और भूमि ग्रहण, जैसे कोई वसूली हो, राजस्व वसूली हो तो जब राज्य सरकारें भूमि ग्रहण करती हैं तो उसके लिए करती हैं। उधार पर कई बार जमीनें रखी जाती हैं, लेकिन यह प्रावधान लागू नहीं होता, यह मैंने आपको बता दिया है।

इसका प्रसारण क्षेत्रीय भाषाओं में निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि अगर संतोषजनक होता तो माननीय सदस्यों को तो जानकारी होती। मुझे लगता है कि माननीय सदस्यों को भी अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है।

श्री मोहन रावले: ऐसी कितनी एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। आप बाद में उनके पास बैठकर पूछिए।

श्री तूफानी सरोज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश के उद्योगपतियों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कर्ज बकाया है? यदि है तो ऐसे कितने उद्योगपति हैं, जिनके ऊपर एक करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है और वे भुगतान नहीं कर रहे हैं?

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष जी, वैसे दो सवाल जो जोड़े हैं, ये कृषि से संबंधित हैं, जो मेरे ही निवेदन पर जोड़े गए। मुझे अफसोस है कि इसमें उद्योगपति नहीं जुड़े हैं। कृषि का सवाल तो जुड़ा है।

श्री तूफानी सरोज: यह पेपर में आया था कि तमाम सार्वजनिक बैंकों का कर्ज बकाया है और उद्योगपति उसे नहीं दे रहे हैं, जबकि किसानों से जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है, उनकी कुर्की की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: सरोज जी, अभी मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, आप बैठिये।

श्री तूफानी सरोज: उद्योपतियों पर ऋण बकाया है, जिसे वसूला नहीं जा रहा है। एक-एक, दो-दो करोड़ रुपये से ज्यादा भुगतान बकाया पड़ा हुआ है।

श्री जसवंत सिंह: इससे यह नहीं उपजता है। माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों पर कहां कितना बकाया है। ये एक अलग से सवाल पूछने का कष्ट करें।

श्री तूफानी सरोज: उद्योगपतियों से नहीं वसूला जा रहा है, जबकि किसानों से जबरदस्ती वसूला जा रहा है। ऋण की बात है तो ऋण एक तरफ जबरदस्ती वसूला जा रहा है और एक तरफ उद्योगपतियों को छोड़ा जा रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: अभी एक बिल हाउस में इसके लिए पारित हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, मैं आपसे सहमत हूं कि यह एक अलग प्रश्न है। अब, श्री सुनील खां।

श्री सुनील खां: अध्यक्ष महोदय, चूंकि स्वर्णजयंती ग्रामीण रोजगार योजना कार्यान्वित की गई है, क्या मैं यह जान सकता हूं कि समूह में या व्यक्तिगत रूप से कितने लोगों ने ऋण लेने हेतु बैंकों में आवेदन किया है और वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान बैंकों से कितने व्यक्तियों को ऋण मिला है?

श्री जसवंत सिंह: यदि मैं गलत नहीं हूं तो उत्तर देने से पूर्व मैं बता दूं कि, यदि मैंने ठीक सुना है तो इन्होंने ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में पूछा है।

श्री सुनील खां: मैंने स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में पूछा है।

श्री जसवंत सिंह: अब यह प्रश्न से संबंधित नहीं है। यह प्रश्न ग्रामीण ऋण के बारे में हैं। स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण रोजगार योजना ग्रामीण रोजगार के बारे में है जिसमें 75 प्रतिशत भाग का वहन केन्द्र सरकार द्वारा और 25 प्रतिशत भाग का वहन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने उत्तर के अनुबंध-I में दर्शाया है कि 25,000 रुपए तक लघु ऋण खाते की माफी और 50,000 रुपए तक के ऋण हेतु सीमांत किसानों की माफी। इसके बारे में जो विवरण दिया गया है, वह विवादास्पद है। इसमें कहा गया है कि समझौता निपटान पर निर्णय का अधिकार शाखा प्रबंधक को दे दिया गया था। अब सिर्फ तीन महीने ही बचे हैं, जिसमें किसानों को माफी का लाभ मिलने वाला है, जिन्होंने 25,000 रुपए तक का कर्ज लिया है। जिन किसानों के 50,000 रुपए तक के ऋण आप माफ करेंगे, उसके बारे में बताया है कि 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार मूल राशि का शेष बकाया वसूल किया जाएगा और 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि में लगा कोई ब्याज या उसके बाद शेष बकाया राशि पर ब्याज छोड़ दिया जाएगा। मैं नहीं जानता सरकार की तरफ से ऐसा उत्तर क्यों आया है। आपने उत्तर में बताया है कि कर्ज माफ करेंगे, इसमें लिखा है कि 31 मार्च 2003 तक जो नहीं देगा, तब सूद भी जोड़ दिया जाएगा और तब वसूली करेंगे। आप बड़े परिवार के आदमी हैं, किसान से मतलब है या नहीं, मैं यह नहीं जानता। लेकिन यह तो आप भी जानते हैं कि 50,000 रुपए में किसान को आज क्या मिलता है। आज छोटा किसान भी बैल से नहीं, ट्रैक्टर से खेती करता है। जिन किसानों ने भारत सरकार के बैंकों से कर्ज लेकर ट्रैक्टर खरीदा है, उनके

बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है और बैंकों को इस बारे में क्या आदेश दिए हैं?

श्री जसवंत सिंह: माननीय सदस्य ने जो व्यक्तिगत टिप्पणी की है, उस पर मैं कोई प्रतिटिप्पणी करूं, यह आवश्यक नहीं है। उनको ऐसा करने का अधिकार है। सवाल मेरे जन्म या कुल का नहीं है।

श्री राजो सिंह: ऐसा नहीं है, आपके प्रति हमारे मन में बहुत आदर है।

श्री जसवंत सिंह: मैं बहुत आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय: इसके ऊपर भी टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के दो आशय है। एक तो यह कि आगामी 31 मार्च को अवधि खत्म हो जाएगी इसलिए आप इस दिशा में क्या कर रहे हैं। दूसरा माननीय सदस्य ने कहा है कि 50,000 रुपए में आजकल बनता क्या है। वह अगर ट्रैक्टर खरीदता है तो वह भी बहुत महंगा आता है। इसलिए 50,000 रुपए से कुछ बनने वाला नहीं है। यह जो स्कीम है, यह आज की नहीं है। इसके तहत 50,000 रुपये तक की ही सीमा बांधी गई है। अभी शायद दो दिन पहले मैंने सिक्योरिटी बिल पर बोलते हुए एक वृहद घोषणा की थी कि दस करोड़ रुपए तक का जिस पर उधार है, चाहे कृषि क्षेत्र में हो या उद्योगपति पर उधार हो, उसको भी हम वन टाइम सैटलमेंट की सुविधा देने को तैयार हैं। यह मैं स्वीकार करता हूं कि 50,000 रुपए में कुछ नहीं बनता। माननीय सदस्य के सवाल का जो दूसरा पहलू है कि मार्च में अवधि खत्म हो जाएगी, तो अभी अवधि पूरी नहीं हुई है। कई माननीय सदस्यों के प्रश्नों से ऐसा लगता है कि इसकी जितनी पब्लिसिटी होनी चाहिए, जितनी जानकारी काश्तकारों को देनी चाहिए थी, प्रांतीय भाषाओं में देनी चाहिए थी, शायद उसमें कमी रह गई है।

इसीलिए इस व्यवस्था या इस योजना का जितना लाभ छोटे उधार लेने वालों को या काश्तकारों को उठाना चाहिए था, वह नहीं उठाया गया। इसलिए अभी माननीय सदस्यों के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए वैसे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह स्कीम 31 मार्च, 2003 तक रखी है। *...(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव: इसे कब तक बढ़ाने वाले हैं? *...(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह: जब आप जवाब नहीं सुनेंगे और बीच में बोलेंगे तो हम अवधि कैसे बढ़ाएंगे? *...(व्यवधान)* मैंने माननीय सदस्यों के प्रश्नों को सुना और उसमें एक बात जरूरी निकलती है कि इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। वहां भी पूछा गया कि क्या अभी मार्च तक है? मैं सोचता हूं कि जिनके पास अभी साधन नहीं हैं, विशेषकर 14 राज्यों में सूखा भी पड़ा है और बैंक की छोटी सैटलमेंट का ध्यान रखते हुए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इंटरप्शंस की तरफ ध्यान नहीं दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह: इसलिए मैं रिजर्व बैंक के गवर्नर से निवेदन करूंगा कि इस स्कीम को एक साल के लिए और बढ़ा दिया जाए ताकि काश्तकारों को इनका लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा के लिए विश्व बैंक की सहायता

***163. श्री भान सिंह भौरा: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या विश्व बैंक भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए सहायता उपलब्ध करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ग) इस धनराशि में से राज्यवार कितनी धनराशि वितरित की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना (डीपीई) को कार्यान्वित करने के लिए 1317.74 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 5137 करोड़ रु.) की राशि के उदार ऋण के रूप में आईडीए क्रेडिट को विश्व बैंक के साथ सहबद्ध किया गया है।

डीपीईपी की चल रही परियोजना में 16 राज्यों के 213 जिलों को शामिल किया गया है। ये राज्य हैं—असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड और राजस्थान।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

विवरण

प्राथमिक शिक्षा के लिए विश्व बैंक की सहायता का राज्य-वार संवितरण

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	संवितरित राशि
1.	असम	188.38
2.	हरियाणा	168.38
3.	कर्नाटक	344.31
4.	केरल	141.71
5.	महाराष्ट्र	235.95
6.	तमिलनाडु	184.21
7.	उत्तर प्रदेश	762.28
8.	उड़ीसा	131.70
9.	हिमाचल प्रदेश	77.57
10.	मध्य प्रदेश	271.75
11.	छत्तीसगढ़	8.49
12.	उत्तरांचल	17.32
13.	राजस्थान	130.34
14.	आंध्र प्रदेश	277.99
15.	बिहार	163.12
16.	झारखंड	16.92

[हिन्दी]

श्री भान सिंह भौराः अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के उत्तर में जो 5137 करोड़ रुपये 16 स्टेट्स को दिये गये हैं, इसमें 213 जिले हैं और आपको पता है कि इसमें पंजाब शामिल नहीं है। पंजाब में भी प्राइमरी एजुकेशन का क्या हाल है कि पचास प्रतिशत स्कूलों में कमरे नहीं हैं, 25 प्रतिशत स्कूलों में टीचर नहीं हैं। जहां पर टीचर हैं और यदि एक टीचर है तो वह किसी को ठेके पर देकर कोई और काम करता है। इसलिए जरूरत है कि दूसरी स्टेट्स और दूसरे जिलों में इसको भी कवर किया जाए ताकि प्राइमरी एजुकेशन का वहां अच्छा प्रबंध हो सके। क्या आप इस पर विचार करेंगे?

श्री जसवंत सिंहः निश्चित तौर पर हम विचार करेंगे। हमें पंजाब से कोई अदावत नहीं है परन्तु आवश्यकता है कि उसके लिए पंजाब भी कुछ पहल करे और पंजाब यदि पहल करेगा तो निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार की ओर से इसमें कोई कमी नहीं आएगी।

श्री भान सिंह भौराः अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री प्रश्न यह है कि कितना पैसा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में लगा और कितना पैसा प्राइमरी एजुकेशन को डैवलप करने में लगा और इसका स्टेट-वाइज ब्यौरा बताया जाए।

श्री जसवंत सिंहः महोदय, कुछ जानकारी तो इस प्रश्न के उत्तर में दे दी गई है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो पैसा वर्ल्ड बैंक एसिसटैंस का आता है, उसमें से कितना पैसा एडमिनिस्ट्रेशन पर लगता है और कितना वास्तव में तालीम के लिए लगता है—यह एक अहम सवाल है। हमारा अनुभव यह बताता है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए जो पैसा वर्ल्ड बैंक एसिसटैंस कार्यक्रम के तहत आता है, तो अकसर राज्य सरकारें—मैं किसी एक सरकार के बारे में नहीं कह रहा हूं और माननीय सदस्य इसको पंजाब पर टिप्पणी न समझें और अन्य भी किसी एक राज्य पर टिप्पणी न समझें, साधारणतया राज्य उस पैसे को वेज एंड मीन्स के तहत राजकाज का खर्च चलाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। एक बार तो वह पैसा आ जाता है और कुछ राज्य उसको एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च कर लेते हैं, परन्तु वर्ल्ड बैंक एसिसटेंस कार्यक्रम होने के नाते जिस काम के लिए वह पैसा आया है, वह काम अगर जमीन पर नहीं देखा जाता, तो आगे के लिए वह पैसा आना बन्द हो जाता है। मोटे तौर पर यह अनुभव रहा है और इस अनुभव के आधार पर इन सारी स्कीमों में सुधार करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः महोदय, यह एक गंभीर आरोप है।

अध्यक्ष महोदयः यह आरोप नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः सदन को इस बारे में पूरा पता होना चाहिए कि कैसे राज्य सरकारें सहायता का उपयोग जिस कार्य हेतु से दी गई हैं उनसे इतर, करती हैं।

अध्यक्ष महोदयः ऐसा होता है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशीः पूरे सदन को यह पता होना चाहिए कि किस राज्य ने ऐसा किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह राज्यों में हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय यही कहना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, सामाजिक क्षेत्र में हमें अध्ययन पर तत्परता से ध्यान देना होगा। अध्ययन के क्षेत्र में हमने जो राशि निर्धारित की है, वह हमारे जीडीपी के करीब-करीब 2.8 प्रतिशत से 3.0 प्रतिशत के बीच में है, जो हमारे आश्वासन से विपरीत है। हमने डेनमार्क और बाली में आश्वासन दिया था कि जीडीपी का 6 प्रतिशत अध्ययन के क्षेत्र में निर्धारित करेंगे, जब तक हम अध्ययन के क्षेत्र में इस राशि को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर एक आर्थिक नक्षत्र के रूप में नहीं उभरेंगे। इस बात को दृष्टि में रखते हुए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकार की इस दिशा में क्या सोच है? अध्ययन के क्षेत्र में जो राशि निर्धारित की जाती है, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में इस राशि को बढ़ाने के लिए और आईआईएम तथा आईआईटी में 70 करोड़ रुपया दिया जाता है, इस राशि को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या सोचा है? इसके साथ ही मेरा अगला प्रश्न है—अध्ययन के क्षेत्र में सरकार अकेले काम नहीं कर सकती, अन्तरराष्ट्रीय और निजी क्षेत्र के व्यय को भी हमें लेना होगा। इसके बारे में वित्त मंत्री जी और सरकार ने क्या सोचा है?

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो-तीन सवाल पूछे हैं। जहां तक जीडीपी के अनुसार 6 प्रतिशत खर्च करने की बात है, 6.0 प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होना चाहिए। यह सही बात है और सरकार उसके प्रति कटिबद्ध है। 6.0 प्रतिशत अभी नहीं हो रहा है। यह भी एक यथार्थ है। ऐसा नहीं है कि तुरन्त में हो जाएगा, तुरन्त में नहीं होगा। यह अपने आप में धीरे-धीरे क्रमश: 6.0 प्रतिशत पहुंचाने का लक्ष्य है और सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। माननीय सदस्य ने यह भी जानना चाहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया जा रहा है; मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्राइमरी एजुकेशन में विशेषकर गांवों में बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं। वैसे प्राइमरी एजुकेशन राज्यों के तहत आता है और दूसरे रूप से मैं कहूं, तो यह भिन्न मंत्रालय का कामकाज है, फिर भी अपने आप में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं प्रयत्न करूंगा और प्राइमरी एजुकेशन के तहत जो योजनायें आती हैं, अपने आप में विश्व बैंक की योजनायें हैं, जिनके बारे में विश्व बैंक से बातचीत हो रही है और ये योजनायें उसी लक्ष्य को लेकर चलें। तीसरा प्रश्न आपने किया है-सरकार इन लक्ष्यों की पूर्ति अपने आप नहीं कर सकती। आपने सही कहा कि छ: प्रतिशत केवल सरकार के खर्चे का आंकड़ा नहीं हो सकता, इसमें निजी क्षेत्र भी आएगा। हम विश्व बैंक से जिन योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, उसका अनुदान भी आएगा और राशि भी मिलेगी, इन तीनों के मिलने से ही यह काम हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: मुझे यह प्रश्न पूछने की अनुमति देने हेतु आपका धन्यवाद। प्राथमिक शिक्षा, विशेषकर डी.पी.ई.पी., के विस्तार हेतु विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही धनराशि मूलत: आसान ऋण के रूप में होती है। यह विभिन्न राज्यों, विभिन्न जिलों को वितरित की जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूर-दराज के जिलों, ग्रामीण जिलों, विशेषकर आदिवासी जिलों के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण सहायता है। दो वर्षों के अंदर एक सांविधिक समीक्षा की गई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि कितना व्यय हुआ है। एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है परन्तु वास्तव में कितनी राशि व्यय हुई है? गत वर्ष 20 नवम्बर को एक उत्तर में बताया गया था कि बमुश्किल 50 प्रतिशत राशि ही वास्तव में व्यय हुई है। चूंकि यह एक आसान ऋण है, अत: केवल 85 प्रतिशत ही बाहरी वित्तीय एजेंसियों, इस मामले में विश्व बैंक, द्वारा दिया जाता है और शेष राशि का योगदान राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कितना-कितना ब्याज दिया जाता है या फिर केवल राज्य सरकार ही ब्याज का भुगतान करती है। यदि राज्य सरकार ब्याज का भुगतान कर रही है या केन्द्र सरकार ब्याज का भुगतान कर रही है तो वास्तव में अब तक कितना ब्याज दिया गया है? इस संबंध में ब्याज की अवधि क्या है?

श्री जसवंत सिंह: यदि मैं ठीक समझा हूं तो माननीय संसद सदस्य ने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पूछा है।

श्री भर्तृहरि महताब: नहीं महोदय, यह डी.पी.ई.पी. के बारे में है।

श्री जसवंत सिंह: यदि माननीय संसद सदस्य सदस्य डी.पी.ई.पी. के बारे में पूछ रहे हैं तो मेरे पास जो जानकारी है वह मैं दूंगा। डी.पी.ई.पी. के संबंध में विश्व-बैंक सहायता का राज्य-वार ब्यौरा उत्तर के साथ संलग्न विवरण में दिया गया है। मैं उस विवरण को पढ़कर सुनाने में सदन का समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। यह मेरे पास है। डी.पी.ई.पी. प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य से है।

श्री भर्तृहरि महताब: नहीं महोदय, मैं व्यय के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री जसवंत सिंह: शायद मैं उनका प्रश्न ठीक से नहीं समझा हूं।

श्री भर्तृहरि महताब: मेरा प्रश्न यह है। डी.पी.ई.पी. के मामले में धनराशि बाहरी एजेंसियों, विशेषकर विश्व बैंक से आती है। गत वर्ष 20 नवम्बर को प्राथमिक शिक्षा हेतु विदेशी सहायता पर एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि, विशेषकर डी.पी.ई.पी. के

संबंध में 4,767 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे जबकि 2,017 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। अत: 4,767 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 2,017 करोड़ रुपये व्यय हुए। अर्थात लगभग 50 प्रतिशत व्यय हुआ।

श्री जसवंत सिंह: मैंने समझ लिया है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय समझ गए हैं।

श्री जसवंत सिंह: इस पर, विश्व बैंक द्वारा यह वितरण बिना ब्याज ने किया गया है। इस पर 0.75 प्रतिशत सेवा शुल्क है जिसका भुगतान विश्व बैंक को कर दिया गया है। इसका भार राज्यों पर 70 प्रतिशत ऋण के रूप में और 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में डाला गया है। राज्यों को ऋण पर ब्याज घटता-बढ़ता रहता है, वह आज औसतन 10.5 प्रतिशत की दर पर है ...*(व्यवधान)* इस विरोध का अनुमान था ...*(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता: क्या यह बहुत अनैतिक नहीं है? मेरे विचार से केन्द्र को केवल सेवा शुल्क लेना चाहिए न कि राज्य सरकारों से इतना अधिक दंडात्मक ब्याज लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दें।

श्री जसवंत सिंह: मैं आपके साथ केवल जानकारी बांट रहा हूं, ये ऐसी योजनाएं नहीं हैं जिनको मैंने एक व्यक्ति के तौर पर बनाया है। पूर्ववर्ती सरकारों ने एक पद्धति बनाई है यदि पूरी व्यवस्था में सुधार करना हो तो ...*(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता: आप इसे बदल क्यों नहीं देते?

श्री जसवंत सिंह: हम इस प्रश्न पर परस्पर ध्यान दे रहे हैं?

श्री आर.एल. जालप्पा: मंत्री महोदय सक्षम हैं और उनको इसे बदलना चाहिए।

श्री जसवंत सिंह: मैं आश्वासन नहीं दे सकता कि मैं इसे बदल दूंगा, परन्तु मैं स्वयं से अवश्य ही यह सवाल पूछता हूं, अनुदान और ब्याज सहित ऋण को स्वीकृत करने के अलावा भी अनेक तरीके हैं जिससे राज्यों को केन्द्र लाभ पहुंचा सकता है। मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं ऐसा कहूं कि इसे मैं तुरंत बदल दूंगा। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे अब बहुत सारे टिप्पण प्राप्त हो रहे हैं। हम ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज पर काम कर रहे हैं। केन्द्र सारी बातों की जांच कर रहा है कि राज्यों की भरपायी कैसे करें ताकि ब्याज कम किया जा सके इत्यादि। जिस किसी भी तरह, इन सब बातों की व्यवस्था किसी फार्मूले के अंतर्गत करनी होती है जो समय के साथ-साथ विकसित होता है। उदाहरण के लिए, केन्द्र और राज्य में भागीदारी के लिए गाडगिल फार्मूला है। यह केन्द्र की ओर से किसी प्रकार की मनमानी और एकतरफा कार्रवाई नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मंत्री महोदय उत्तर बड़े कूटनैतिक ढंग से देते हैं। मेरे विचार पिछले कार्यालय के कार्य का खुमार अभी भी उन पर चढ़ा हुआ है। वित्त मंत्री को स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। परंतु वे कूटनीतिक अधिक हैं। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि वे अपने पूर्व कार्यालय के प्रभाव से अभी मुक्त नहीं हुए हैं।

श्री जसवंत सिंह: वस्तुत: न केवल मेरे तत्काल पूर्ववर्ती परंतु मेरे सभी पूर्ववर्तियों के साथ अन्याय हुआ है। माननीय सदस्य अवश्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि हालांकि हम कुछ राज्यों से ऋण पर ब्याज वसूलते हैं संघ के ऐसे अनेक राज्य हैं जो विशेष श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और मैं उनकी सूची नहीं देना चाहता, जहां 90 प्रतिशत तक केन्द्र से सहायता अनुदान के रूप में होती है। आखिरकार, केन्द्र यह 90 प्रतिशत तक अनुदान कहां से लाए? हम लगातार रुपये बना या छाप तो नहीं सकते। कुछ माननीय सदस्य मुझ पर साहूकार होने का आरोप लगाते हैं।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: आप साहूकार नहीं हैं क्योंकि आप 0.75 प्रतिशत पर पैसा लेकर इसे 11 प्रतिशत पर देते हैं।

श्री जसवंत सिंह: पूर्व राजस्व सचिव के रूप में आप अवश्य विस्तृत जानकारी रखते हैं। प्रश्न बहुत स्पष्ट है, और मैं उन विशेष श्रेणी के राज्यों की सूची और विशेष राज्यों की कठिनाइयों को यहां बताना नहीं चाहता। उनको दी जाने वाली सहायता 90 प्रतिशत तक है, परंतु यह 90 प्रतिशत अनुदान कहां से आए? कुछ हिस्सा तो उन सम्पन्न राज्यों को दिए गये ऋण पर 30 प्रतिशत लगाए गये ब्याज के रूप में आता है। वास्तव में यह इस संघ यानि भारत में संतुलन स्थापित करने का सिद्धांत है-जो पैसा दे सकते हैं, कुछ ज्यादा पैसा देते हैं ताकि जो राज्य खर्चा उठाने में असमर्थ हैं उनकी प्रतिपूर्ति हो सके।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विश्व-बैंक के द्वारा भारत को जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में धन मुहैया कराया जाता है। उसके परसैंटेज ऑफ रेशियो पर भारत सरकार क्या ऐड देती है? साथ-साथ जो नए राज्य झारखंड का निर्माण हुआ है, उसमें भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो धन उपलब्ध कराया जा रहा है, उसकी यूटिलिटी रिपोर्ट आई है या नहीं? कितना पैसा खर्च हुआ और कितना पैसा मुहैय्या

किया गया? इसके साथ-साथ बिहार में इसकी उपयोगिता कैसी रही है?

श्री जसवंत सिंह: अध्यक्ष जी, जहां तक ऋण पर ब्याज का प्रश्न है, मैं उसका पहले जवाब दे चुका हूं। बिहार को कितना धन उपलब्ध कराया गया है? यह सूची में दिया है। बिहार को 163.12 करोड़ रुपये और झारखंड को करीब 17 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इनका क्या लाभ रहा है? यह राज्य सरकार पर डिपैंड करता है कि वह उनका लाभ उठाती हैं या नहीं? जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि कई राज्य सरकारें इन पैसों को अपने वेज एंड मीन्स के खर्चे पर लगाती है। मैं यह नहीं कहता कि बिहार या झारखंड इस काम पर इसे लगा रही हैं। मैंने कहा कि कई राज्य लगाते हैं। राज्य सरकारों को इस पर विचार करने की जरूरत है।

[अनुवाद]

बीड़ी का निर्यात

***164. श्री अबुल हसनत खां:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन देशों को भारत से बीड़ी का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक भारत से देशवार कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की बीड़ी का निर्यात हुआ है;

(ग) क्या अमेरिका ने भारत से बीड़ी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका बीड़ी उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

विनिवेश मंत्री, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (घ) एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मात्रा और मूल्य, दोनों के संबंध में भारत से बीड़ियों का देश-वार निर्यात निम्नानुसार रहा है:

(मात्रा टन; मूल्य; लाख रुपए)

देश	2000-2001		2001-2002		अप्रैल-सितम्बर, 2002	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
अफगानिस्तान	66	162.77	66	169.89	22	57.34
अर्जेंटीना	@	0.41	@	0.81	–	–
आस्ट्रेलिया	1	1.70	शून्य	शून्य	–	–
ब्राजील	–	–	–	–	–	–
बहरीन	18	61.98	शून्य	शून्य	@	0.40
कनाडा	4	13.02	4	19.90	2	7.73
फ्रांस	@	2.08	2	5.21	@	1.53
जेनेवा	–	–	2	3.23	–	–
यूनान	–	–	@	3.82	56	20.00
ईरान	–	–	10	26.54	–	–
जापान	1	23.56	@	3.64	@	2.30

1	2	3	4	5	6	7
जमैका	–	–	–	–	@	1.10
कुवैत	16	56.13	17	61.38	2	8.56
मैक्सिको	10	28.51	–	–	–	–
मलेशिया	15	72.27	11	45.73	7	29.73
मार्टिनिक, सेंट मार्टिन	–	–	–	–	2	8.49
न्यूजीलैंड	–	–	1	3.40	–	–
पुर्तगाल	@	0.21	@	0.28	–	–
फिलीपींस	@	0.12	@	0.05	–	–
रियूनियन आइलैंड	–	–	–	–	@	1.53
स्विटजरलैंड	9	21.90	8	27.62	3	9.16
सिंगापुर	27	114.75	42	148.91	19	66.81
दक्षिण अरब	–	–	18	8.07	–	–
दक्षिण अफ्रीका	@	1.83	@	0.29	1	5.94
दक्षिण अमेरिका	–	–	2	5.11	–	–
दक्षिण कोरिया	–	–	–	–	–	–
तंजानिया	–	–	@	1.61	–	–
यूएसए*	8	47.36	28	137.15	11	54.00
यूएई	634	2178.87	565	2028.6	279	957.64
यूके	–	–	–	–	–	–
वेस्टइंडीज	@	0.89	1	6.14	–	–
ताइवान	–	–	–	–	@	0.40
नीदरलैंड	–	–	–	–	@	0.90
यमन	153	507.52	184	630.10	96	389.20
कुल	962	3295.88	961	3337.48	500	2622.76

@500 कि.ग्रा. से कम का द्योतक है।

(स्रोत: तम्बाकू उत्पादों के निर्यातकों द्वारा तम्बाकू बोर्ड को प्रस्तुत की गई मासिक विवरणियां)

(ग) और (घ) भारत से बीड़ियों के आयात पर यूएसए में इस समय कोई राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध नहीं है।

श्री अबुल हसनत खां: महोदय, माननीय मंत्री के उत्तर से यह स्पष्ट है कि पिछले तीन वर्षों में 2,622.76 लाख रुपये कीमत की बीड़ियां विश्व के 30 से भी अधिक देशों में निर्यात की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक देशों में भारतीय बीड़ियों के निर्यात के लिए बाजार हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सरकार विश्व के विभिन्न देशों को बीड़ियों के निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री अरुण शौरी: महोदय, यह सच है कि पिछले दो से तीन वर्षों में बीड़ियों का निर्यात पर्याप्त रूप से घटा है जैसा कि आप विवरण में देख सकते हैं। इसके कई कारण हैं। अमरीका के पांच से छह राज्यों ने, चूंकि संयुक्त राज्य अमरीका ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है, बीड़ियों को भी प्रतिबंधित मदों की सूचियों में शामिल किया है। इसी कारण से हमारा निर्यात दबाव में आया है। एक सामान्य कदम यह उठाया गया है कि इस बात पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों पर अधिक जोर दिया जाए और साथ ही विभिन्न देशों को तंबाकू व्यापार दल भेजे जाएं। तंबाकू बोर्ड के अध्यक्ष अभी मिस्र, तुर्की, रोमानिया और रूस इसी संभावना का पता लगाने के लिए गये थे।

अंत में, अमरीका द्वारा उठाये गये दो कदमो के बारे में जिसे माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में पूछा था मैं यह बताना चाहता हूं कि यह मामला अमरीका के साथ उठाया गया है। एक मामले में, एक टेलीविजन न्यूज चैनल में यह दिखाया गया था कि एक बाल मजदूर को बीड़ी बनाने के लिए लगाया हुआ है और इसलिए अमरीका ने उस कारखाने से और बीड़ियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया।

दूसरा यह कि प्रति हजार बीड़ियों के पीछे 64 पैसे यदि बाद में कुछ विवाद उठे उसके निपटारे के लिए निलंब खाते में (एस्क्रू एकाउन्ट) डाला जाना था। दोनों ही मामले अमरीका के साथ उठाये गये हैं जैसा कि आप जानते हैं, भारत की व्यापार पर आम राय यह है कि व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए श्रम जैसे गैर-शुल्क उपाय को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस संबंध में विश्व व्यापार संगठन में हमारा पक्ष यही रहा है और साथ ही अधिकारिक बैठकों में इन मामलों को अमरीका के साथ उठाया गया है।

श्री अबुल हसनत खां: माननीय, अध्यक्ष महोदय, आप देश के बीड़ी कामगारों की दयनीय हालत से अवगत है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बीड़ी निर्यात के माध्यम से अर्जित कुछ राशि को देश के बीड़ी कामगारों के कल्याण के लिए देने पर विचार कर रही है।

श्री अरुण शौरी: जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966, बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम और बीड़ी कर्मकार उपकर अधिनियम, 1976 के अंतर्गत प्रति एक हजार बीड़ी 2 रुपये उपकर लगाया जाता है। इसके अंतर्गत इस वर्ष लगभग 53 करोड़ रुपये की राशि जमा हुई है। यह राशि 1996-97 की 21 करोड़ रुपये की राशि से बढ़कर इस वर्ष 53 करोड़ रुपये हो गई है। लगभग संपूर्ण राशि ही प्रत्येक वर्ष खर्च की जाती है। पिछले वर्ष, इस शुल्क निधि से श्रमिकों के कल्याण पर खर्च की गई राशि लगभग 52 करोड़ रुपये थी। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि किस शीर्ष के अंतर्गत श्रमिकों के कल्याण पर यह खर्च हुई है तो मैं उनको यह जानकारी यहां दे सकता हूं या उनको बाद में लिखित में दे दूंगा।

श्रीमती रेणुका चौधरी: महोदय, सभी जानते हैं कि (क) दुनिया के बेहतरीन सिगरेट ब्रांड के उत्पादक भारतीय तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करते (ख) हमारी 50 प्रतिशत से अधिक की उत्पादन क्षमता निष्क्रिय पड़ी है, और (ग) और आठवीं योजना ने हमारे वैज्ञानिकों को तंबाकू के अन्य वैकल्पिक इस्तेमाल के लिए अनुसंधान और विकास का कार्य करने के लिए कहा है, क्योंकि चीन हमारे यहां से तम्बाकू लेने के आश्वासन से मुकर गया है। इस परिदृश्य में, हमारे अनेक सिगरेट विनिर्माता छोटे आकार के सिगरेट बनाने की संभावना की तलाश कर रहे हैं। जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास विज्ञापन के माध्यम से धूम्रपान को जीवन-शैली के रूप में बढ़ावा देने के लिए पैसा है वे हमारे बीड़ी निर्माण और बीड़ी इस्तेमाल के हमारे क्षेत्र को हड़प लेंगे।

इस परिप्रेक्ष्य में, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि बीड़ी विनिर्माता और तेंदु पत्ता बीनने वालों के हित सुरक्षित रहें, हम बीड़ी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र के लोगों को हम रोजगार सुनिश्चित कर सकें और हम कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमारे देश में आने और छोटे आकार के सिगरेट बनाने और बीड़ी बाजार का स्थान लेने से रोक सकते हैं?

श्री अरुण शौरी: माननीय सदस्य ठीक कह रही हैं। तम्बाकू बोर्ड के अंतर्गत कार्य के विस्तार के लिए विभिन्न प्रस्ताव हैं। तम्बाकू बोर्ड जमा निधि का इस्तेमाल कर रहा है, उदाहरण के लिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तम्बाकू के अनधिकृत उत्पादन और पैदावार के लिए लगाए गये जुर्माने की राशि का उपयोग कार्य विस्तार के लिए किया जाता है, जिसके अंतर्गत गुणवत्ता सुधार और बेहतर फिल्टर इत्यादि जैसे कार्यों को करने के लिए राशि दी जाती है ताकि निकोटीन की मात्रा घटाई जा सके।

वास्तव में, यह विरोधी बातें हैं। उदाहरण के लिए परसों भी जब श्री शत्रुघ्न सिन्हा से कैंसर पर प्रश्न पूछा गया था, प्रत्येक सदस्य इस बात की निंदा कर रहा था कि सरकार कैंसर से लड़ने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। यहां हम कह रहे हैं कि सरकार को तम्बाकू उत्पादन के लिए और प्रयास करने चाहिए, और तम्बाकू से तो कैन्सर में वृद्धि होगी।

श्रीमती रेणुका चौधरी: पहले गुटखा पर प्रतिबंध लगाइए।

श्री अरुण शौरी: न केवल गुटखा अपितु तम्बाकू से सभी प्रकार के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। इन परस्पर विरोधी बातों पर भविष्य में सभा को स्वयं ध्यान देना चाहिए। पिछले पांच छह सालों में भी, आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्यों और साथ ही कर्नाटक के माननीय सदस्यों ने अन्य राज्यों में तम्बाकू के अनधिकृत उत्पादन के विरुद्ध शिकायत करने और सरकार को अन्य किसी भी राज्य के साथ पक्षपात न करने के लिए कहने आए थे। मैं इसका ब्यौरा दे सकता हूं।

माननीय सदस्य सही कह रही हैं कि जैसे जैसे इन चार सिगरेट निर्माता बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार के कारण सिगरेट निर्माण की तकनीक में सुधार होगा, स्वाभाविक रूप से बीड़ी उद्योग दबाव में आ जाएगा। यद्यपि खान साहब के प्रश्न के उत्तर में जिन प्रोत्साहन संबंधी उपायों की सूची मैंने दी थी वे किये जा रहे हैं, परंतु अंत में हमें इन क्षेत्रों में वैकल्पिक फसलों के उगाने के बारे में सोचना होगा।

मैं आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के उस सुझाव की जो वे कुछ वर्षों से दे रहे हैं प्रशंसा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री सिगरेट पर एक प्रतिशत शुल्क लगाएं, और उस निधि का इस्तेमाल उत्पादकों को इस फसल के अलावा अन्य फसल उगाने के काबिल बनाने के लिए किया जाए, प्रधानमंत्री ने भी जब वे आंध्र प्रदेश गये थे ऐसा ही सुझाव दिया था।

श्रीमती रेणुका चौधरी: आठवीं योजना में यह सुझाव दिया गया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से हमें तम्बाकू के वैकल्पिक उपयोग की संभावना का पता लगाना चाहिए क्योंकि यह एक नैसर्गिक जैविक-कीटनाशक है।

श्री अरुण शौरी: माननीय सदस्य एकदम सही कह रही हैं। यह उन कार्यों में से एक है जिन्हें तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1976 के अंतर्गत भी करना है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले से आता हूं जिसने बीड़ी निर्माण के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान बनाया हुआ है। बीड़ी और गरीब में एक-दूसरे का चोली-दामन का संबंध होता है।

बीड़ी बनाने वाले लोग गरीब होते हैं और उसका उपयोग करने वाले अधिकांश वर्ग भी गरीब ही होते हैं। आज बीड़ी निर्यात के क्षेत्र में जो बड़ी मात्रा में कमी आ रही है, उसके कारण गरीबों की रोजी-रोटी बड़ी मात्रा में प्रभावित हुई है। क्या सरकार की इस निर्यात को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है। जिससे गरीबों की कुटिया में चूल्हा भी जल सके और उन्हें रोजगार भी मिल सके। इसके साथ-साथ हमारे देश में तम्बाकू के खिलाफ जो एक वातावरण निर्मित हो रहा है, कहीं उसके कारण हमारा बीड़ी निर्यात तो प्रभावित नहीं हुआ है।

श्री अरुण शौरी: अध्यक्ष महोदय, पहली चीज यह है कि जो एक्सपोर्ट के लिए योजना है, वह मैंने आपको स्पैल आउट भी की है। यदि माननीय सदस्य और डिटेल्स चाहेंगे तो मैं उन्हें बतला दूंगा। जहां तक वह कहते हैं कि टोबैको के एडवरटाइजमैन्ट के विरुद्ध जो कदम उठाये गये हैं, वे रिमूव कर देने चाहिए, जिससे कि टोबैको ज्यादा ग्रो हो सके और बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव हो सके। इसमें हैल्थ मिनिस्ट्री चाहेगी कि वे बैन जरूर रहने चाहिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बकाया उत्पाद-शुल्क

***166. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बकाया उत्पाद-शुल्क कितना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, उत्पाद-शुल्क की कितनी वसूली की गई है;

(ग) क्या सरकारी तंत्र बकाया उत्पाद-शुल्क की वसूली करने में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा बकाया उत्पाद-शुल्क की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) 30.9.2002 की स्थिति के अनुसार बकाया केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क 11,320 करोड़ रुपये है।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की बकाया राशि में से परिसमापित राशि नीचे दिए अनुसार है :

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	1999-2000	5997.78
2.	2000-2001	6580.71
3.	2001-2002	14284.00

(ग) और (घ) जी, नहीं, क्योंकि बकाया केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है। प्रत्येक वर्ष शेष बकाया देनदारियों में नए मामले जुड़ जाते हैं जबकि मौजूदा मामले घट जाते हैं। इसलिए निश्चयपूर्वक यह कहना सही नहीं होगा कि सरकारी तन्त्र बकायों को वसूलने में असफल रहा है।

(ङ) विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई केवल तभी की जाती है जब यह पाया जाता है कि वे जान-बूझकर बकाया देनदारियों की किसी धनराशि को वसूलने में असफल रहे हैं जो अन्यथा वसूलनीय थीं।

(च) बकाया केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की वसूली के लिए ऐसे प्रशासनिक और वैधानिक उपाय किए गए हैं जिन्हें कि आवश्यक समझा गया है।

[अनुवाद]

कताई मिलों का आधुनिकीकरण

***167. श्री के.पी. सिंह देव** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कताई मिलों के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार ढड़ीसा में ढेंकानाल जिले के गोविंदपुर में कताई मिलों का आधुनिकीकरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार ने देश में कताई मिलों सहित वस्त्र और पटसन उद्योगों का आधुनिकीकरण करने के लिए 1 अप्रैल, 1999 से 5 वर्ष के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की है। इस योजना में निर्धारित वस्त्र परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए नामित बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किए गए ऋणों पर ब्याज के 5% बिन्दु की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था है।

राज्यों को कोई आबंटन नहीं किया जाता है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निधियों की प्रतिपूर्ति की जाती है जो आधुनिकीकरण के लिए पात्र विशिष्ट एककों को ऋण प्रदान करते हैं। गोविन्दपुर स्थित कताई मिल सहित कोई भी पात्र कताई मिल, टीयूएफएस के अंतर्गत मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सकती है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मंच

***168. श्री राम टहल चौधरी :**
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक जिले में एक-एक उपभोक्ता मंच स्थापित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या केंद्र सरकार इश प्रकार के मंचों का गठन न होने के कारण उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने में किसी समस्या का सामना कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार राज्यों के लिए इस प्रकार के मंचों की स्थापना को अनिवार्य बनाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकारों द्वारा कुछ नए जिलों में जिला मंच अभी स्थापित किए जाने हैं जैसा कि नीचे दिया गया है :

गुजरात	–	7 (6 नए जिले और 1 पुराना जिला)
झारखण्ड	–	4 (नए जिले)
कर्नाटक	–	7 (नए जिले)
महाराष्ट्र	–	4 (नए जिले)
त्रिपुरा	–	1 (नया जिला)

(ग) और (घ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन प्रत्येक जिले में जिला मंच स्थापित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए राज्य सरकारें ऐसे जिलों में जिला मंचों की स्थापना किए जाने तक अन्य जिला मंचों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करके वैकल्पिक व्यवस्थाएं करती हैं।

(ङ) और (च) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक जिला मंच स्थापित करेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्य आयोग भी स्थापित किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन

***169. श्री कांतिलाल भूरिया** : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कंपनी अधिनियम, 1956 में कतिपय संशोधन करने के लिए राज्य सरकारों, विशेषकर मध्य प्रदेश, से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यों द्वारा सुझाये गये संशोधनों का ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रस्तावों पर निर्णय लेने में देरी के क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन का सुझाव देने के बारे में हाल में मध्य प्रदेश सहित किसी भी राज्य सरकार से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

तम्बाकू क्षेत्र में ठेके पर खेती

***170. श्री के. येरननायडू** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तम्बाकू क्षेत्र में ठेके पर खेती की प्रणाली शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तम्बाकू उत्पादक सरकार की उक्त पहल का विरोध कर रहे हैं और वे वर्तमान उत्पादन और नीलामी प्रणाली को बनाए रखने के पक्ष में हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विनिवेश मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (च) कतिपय क्षेत्रों से सरसरी तौर पर इस आशय के सुझाव प्राप्त हुए हैं कि फ्लू क्योर्ड वर्जिनिया (एफसीवी) तम्बाकू के क्षेत्र में सीमित पैमाने पर, विशेष रूप से जहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संबंध हैं, ठेके पर खेती प्रणाली की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, तम्बाकू उत्पादकों की एसोसिएशन ने वर्तमान प्रणाली को जारी रखने का आग्रह किया है। इस समय सरकार का इस प्रणाली में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण

***171. श्री पुन्नू लाल मोहले** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान कराने हेतु इस योजना के अंतर्गत ऋण नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक को बेरोजगार स्नातकों द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) के अधीन बैंकों के ऋण प्राप्त करने में सामना की जा रही है समस्याओं की जानकारी है। समस्याओं को कम करने तथा योजना की कवरेज एवं कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए 22.1.1999 से कुछ संशोधन किए गए हैं। मुख्य संशोधन निम्नलिखित हैं :

(1) आयु : अ.जा./अ.ज.जा./भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक विकलांग तथा महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा को 35 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष किया गया है।

(2) शैक्षिक अर्हताएं : मैट्रिक/आईटीआई से कम करके कक्षा-8 पास रखी गई है।

(3) शामिल कार्यकलाप : शामिल किए गए कार्यकलापों की सीमा का कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों को शामिल करके विस्तार किया गया है परन्तु प्रत्यक्ष कृषि परिचालनों यथा फसल उगाने, खाद की खरीद आदि को इसमें से निकाल दिया गया है।

(4) पारिवारिक आय : पात्रता सीमा को 24,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए वार्षिक किया गया है।

पूर्वोत्तर राज्य के मामले में पी एम आर वाई के लिए निर्धारित इन पैरामीटरों/दिशा-निर्देशों में और छूट दी गई है।

आयु सीमा : सामान्य उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष के बढ़ाकर 40 वर्ष और अ.जा./अ.ज.जा./एवं महिला उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष बढ़ाई गई है।

सब्सिडी : 15% की दर पर, अधिकतम सब्सिडी 7,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई है।

मार्जिन राशि : परियोजना लागत को 5% से 12.5% किया गया है (पूर्व निर्धारित 5% के स्थान पर) जिससे सब्सिडी तथा मार्जिन अंशदान परियोजना लागत के 20% पर हो जाए।

[अनुवाद]

आर्थिक विकास

*172. **श्री रतन लाल कटारिया :**
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थशास्त्रियों का मत है कि वर्ष 2002-03 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 4.8 प्रतिशत रहेगा जोकि सरकार के अनुमानों से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा क्या कारण बताए गए हैं और सरकार की संशोधित अनुमानित विकास दर कितनी है; और

(ग) देश में आर्थिक विकास में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि 5.5 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) ने अक्तूबर, 2002 के लिए अपनी मासिक रिपोर्ट "मैक्रोट्रैक" में वर्ष 2002-2003 के लिये समग्र वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि 4.8 प्रतिशत पूर्वानुमानित की है, जिसमें कृषि में शून्य वृद्धि, उद्योग में 5.9 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है।

(ख) एनसीएईआर द्वारा किया गया वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का पूर्वानुमान वर्षा में अत्याधिक कमी पर आधारित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 अक्तूबर, 2002 को जारी की गई वर्ष, 2002-2003 के लिए मौद्रिक एवं ऋण नीति की अपनी मध्यावधि समीक्षा में इंगित किया है कि वर्ष 2002-2003 में समग्र वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि 6.0 से 6.5 प्रतिशत के पूर्वानुमान की तुलना में 5.0 से 5.5 प्रतिशत की सीमा में होने की सम्भावना हैं। पंचवर्षीय योजना के अधीन वृद्धि का लक्ष्य वार्षिक रूप से नियत नहीं किया जाता। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र का लक्ष्य दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि (2002-2007) के लिए 8 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर है।

(ग) सरकारी उच्चतर आर्थिक वृद्धि की जरूरत के प्रति जागरूक है। वर्ष 2002-03 के केन्द्रीय बजट में छह स्तरीय नीति अपनाई गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कृषि और खाद्य अर्थव्यवस्था में सुधार जारी रखने, आधारढांचा क्षेत्रों में सरकारी एवं गैर-सरकारी निवेशों में वृद्धि, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजारों को सुदृढ़ बनाने, संरचनात्मक सुधारों को गहन बनाने तथा औद्योगिक वृद्धि को पुन:स्थापित करने पर बल दिया गया है। सुधार के विभिन्न उपायों से अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की प्रत्याशा है।

[हिन्दी]

''स्टैन्डर्ड्स एंड पुअर'' द्वारा साख निर्धारण

***173. श्री राजो सिंह :**
डा. एस. वेणुगोपाल :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन ''स्टैन्डर्ड्स एंड पुअर'' में निर्यात में वृद्धि कृषि उत्पादन में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, भारतीय अर्थव्यवस्था की पहली तिमाही में सुधार के लक्षण दिखाई देने और अन्य कई महत्वपूर्ण व्यापार क्षेत्रों में बेहतर विकास दर होने के बावजूद भारतीय मुद्रा का न्यूनतम स्तर तक अवमूल्यन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय मुद्रा के विरुद्ध किसी षड्यंत्र की आशंका है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहतर तस्वीर पेश करने और ऐसे षड्यंत्र से बचाने हेतु क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) सितम्बर, 2002 में एक अंतराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग सर्विस (एस एंड पी) ने भारत के संबंध में अपनी स्थानीय मुद्रा सरकारी क्रेडिट रेटिंग्स को दीर्घावधि के लिए ''बीबीबी -'' से ''बीबी +'' तथा लघु अवधि के लिए ''ए-3'' से ''बी'' मे संशोधित किया था। साथ ही साथ एजेन्सी ने अपनी दोहरी ''बी'' दीर्घावधि तथा एकल-''बी'' लघु अवधि विदेशी मुद्रा सरकारी क्रेडिट रेटिंग्स की पुष्टि की है।

(ख) और (ग) सरकार अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता के बारे में आश्वस्त है। एस एंड पी की रेटिंग्स से अर्थव्यवस्था अथवा भारत सरकार द्वारा संसाधन जुटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार का दृष्टिकोण उन कारको पर आधारित है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2002-03 की अप्रैल-जुलाई की अवधि के दौरान बाजार उधारों की गिरती भारित औसत लागत, बेहतर औद्योगिक तथा निर्यात निष्पादन, उच्च सकल कर प्राप्तियां, साधारण मुद्रास्फीति दर तथा विदेशी मुद्रा भंडार का रिकार्ड स्तर शामिल हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2002 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी।

बैंकों में डकैतियां

***174. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान आज तक राज्य-वार सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कितनी बैंक डकैतियां हुई;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक डकैती में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) सरकार और प्रबंधन द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सूचना देने की तारीख तक भारतीय रिजर्व बैंक को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा डकैतियों की 20 घटनाओं की सूचना दी गई थी।

राज्य का नाम नाम	आंध्र प्रदेश	बिहार	छत्तीसगढ़	झारखंड	उड़ीसा	पंजाब	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	कुल
घटनाओं की सं.	01	08	01	02	03	02	01	02	20

(ख) दो मामलों में डाकुओं में पकड़ लिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक, उड़ीसा की पंचोरा एसएबी शाखा में दिनांक 5.4.2002 को हुई डकैती के सिलसिले में 9 डाकू पकड़े गये थे और पश्चिमी बंगाल की इलाहाबाद बैंक की मोरोग्राम शाखा में दिनांक 6.8.2002 को हुई डकैती के संबंध में 6 डाकू पकड़े गये थे।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्यान्वित किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बुलाई जाने वाली राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठकों में की जाती है। इन बैठकों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित बैंकरों और राज्य सरकार के अधिकारियों को भाग लेना होता है। समिति राज्य में सुरक्षा के वातावरण, बैंक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक उपायों का जायजा लेती है और जब कभी और सुधार की आवश्यकता होती है तब बैंकों को अपेक्षित मार्गनिर्देश/अनुदेश दिए जाते हैं। बैंकों ने अंतर्ग्रस्त जोखिम के पहलू के आधार पर अपनी शाखाओं का वर्गीकरण किया है और सशस्त्र गार्ड तैनात किए हैं, आवश्यकतानुसार सेंधमारी-विरोधी उपाय आदि किए हैं। राज्य पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए सशस्त्र गार्डों द्वारा बैंक शाखाओं की सुरक्षा के संबंध में जहां कहीं भी कमियों की सूचना जी जाती है, वहां

समिति पुलिस अधिकारियों पर पर्याप्त सशस्त्र गार्ड उपलब्ध कराने के लिए बल देती है।

[अनुवाद]

क्रेडिट कार्डों पर ब्याज दर

*175. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्रेडिट कार्ड धारकों से बैंकों द्वारा अत्यधिक ब्याज दर वसूल किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का क्रेडिट कार्ड धारकों के लाभार्थ कोई विनियामक मार्ग-निर्देश जारी करने की प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक सूचित किया है कि चूंकि ब्याज दरों को अनियमित कर दिया गया है, इसलिए बैंक क्रेडिट कार्डों पर अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस समय, बैंकों द्वारा प्रभारित की जाने वाली ब्याज दरें 24% से लेकर 36% वार्षिक तक भिन्न-भिन्न हैं। अधिक प्रभारों की वजह यह है कि क्रेडिट कार्ड के बराबर में बहुत अधिक पूंजी लगती है। इसमें आधारभूत सुविधा अर्थात आन-लाइन कंप्यूटर प्रणालियों, माह केन्द्रों (ग्राहक सेवा केन्द्रों), नकदी के वितरण के लिए इलेक्ट्रानिक आंकड़ा प्रगृहण (डाटा कैप्चर) मशीनों (ईडीसीएम) और बिक्री केन्द्र टर्मिनलों के लिए पूंजीगत व्यय अंतर्गस्त हैं। ये निरंतर चलने वाले निवेश व्यय हैं, क्रेडिट कार्डों के प्रयोग में अतंर्गस्त जोखिम को परिभाषित नहीं किया गया है क्योंकि क्रेडिट कार्ड की देय राशियां किसी प्रतिभूति/संपार्श्विक प्रतिभूति के बिना निर्बाध स्वरूप की हैं।

इसके अलावा, क्रेडिट कार्डों के मामले में धोखाधड़ी का जोखिम भी होता है, जो क्रेडिट कार्डों की चोरी/उसमें परिवर्तन किए जाने की वजह से होता है। क्रेडिट कार्डों की बकाया देयराशियों की वसूली कठिन, समय खपाने वाली और महंगी है।

बैंक सेवा प्रभारों का निर्धारण करने के लिए मात्रा, अपनाई गई प्रौद्योगिकी, प्रदान की गई सुविधाओं आदि के आधार पर लागतों का अनुमान लगाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को इस मुद्दे की जांच करने और विशेष रूप से वित्तीय प्रभारों, सेवा प्रभारों, ब्याज दरों में सामान्य कमी की पृष्ठभूमि में ब्याज दर के संबंध में कतिपय एकसमान दृष्टिकोण व्यक्त करने का परामर्श दिया है। उनके द्वारा इस मुद्दे को अपने सदस्य बैंकों के परामर्श से जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

नई चीनी मिलें

*176. **श्री मानसिंह पटेल** :
श्री शिवाजी माने :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में नई चीनी मिलें स्थापित करने हेतु अनेक प्रोत्साहनों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में चीनी उत्पादन की वर्तमान क्षमता देश में चीनी की आवश्यकता से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का चीनी की आवश्यकता और उत्पादन क्षमता के संबंध में क्या मूल्यांकन है;

(ङ) सरकार द्वारा सम्पूर्ण उत्पादन के अधिकतम उपयोग हेतु कौन-सी योजनाएं बनाई गई या बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कितनी मात्रा में चीनी का उपयोग किया गया और कितनी मात्रा में इसका निर्यात किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) 30.9.2002 की स्थिति के अनुसार, चीनी उद्योग की स्थापित क्षमता 174.43 लाख टन थी। 2001-2002 मौसम के दौरान लगभग 173.00 लाख टन चीनी की खपत हुई। तथापि, चीनी मौसम 2002-2003 के दौरान लगभग 182.00 लाख टन की खपत होने की आशा है जबकि 170 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है। तथापि, देश में चीनी का अत्यधिक स्टाक संचित होने के कारण इस संबंध में किसी कठिनाई की परिकल्पना नहीं की जाती है।

(च) पिछले तीन चीनी वर्षों के दौरान देश में चीनी की खपत और निर्यात की गई चीनी की मात्रा निम्नानुसार है :-

चीनी वर्ष	खपत (लाख टन में)	निर्यात की गई मात्रा (लाख टन में)
1999-2000	159.77	0.23
2000-2001	162.45	9.87
2001-2002	173.04	10.00

उत्पाद शुल्क के लम्बित मामले

***177. श्री सुरेश चन्देल :**
श्री महेश्वर सिंह :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली के लगभग 50,000 मामले हैं जिसमें 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि वसूल की जानी है, मंत्रालय में लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त मामलों में कुछ पार्टियों के निहित स्वार्थ के कारण अत्यधिक विलम्ब हो रहा है और वे जटिल प्रक्रिया का लाभ उठा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी जटिल प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) 30.9.2002 स्थिति के अनुसार सम्पूर्ण भारत में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के पास वसूली के लिए पुष्ट मांगों को 50142 मामले लम्बित थे जिनमें 11,320 करोड़ रुपए का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शामिल है प्रत्येक वर्ष कुछ पुराने मामले परिसमापित हो जाते हैं और कुछ नए मामले जुड़ जाते हैं।

(ग) अधिकांश पार्टियाँ वसूली प्रक्रियाओं में विलम्ब अथवा स्थगन को प्राथमिकता देती हैं। इसके लिए वे विभिन्न कानूनी उपायों का आश्रय लेती हैं। विभाग को न्यायालय/अपीलीय फोरम में इस प्रकार के मामलों का बचाव करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप विलम्ब होता है।

(घ) जब कभी इस प्रकार के मामलों को हल करना आवश्यक समझा जाता है तो विभाग द्वारा इस प्रकार के प्रशासनिक और विधायी उपाय किए जाते हैं। उठाए गए कदम ये हैं, (1) प्रभावी मॉनीटरिंग (2) मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए याचिकाएं दायर करना, (3) इस प्रकार के मामलों को हल करने के लिए अलग से वसूली इकाइयों का गठन करना।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अतिरिक्त खाद्यान्न

***178. श्री सवशीभाई मकवाना :**
श्री रामशकल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 2002 के अंत तक भारतीय खाद्य निगम के गादामों में राज्य-वार खाद्यान्न-वार कुल कितनी मात्रा का भंडार था;

(ख) क्या देश की वर्तमान मांग की तुलना में भंडारण किए गए खाद्यान्न की मात्रा अधिक है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों की श्रेणी के लिए खाद्यान्नों के मूल्य को कम करने का प्रस्ताव है ताकि अधिक गोदामों से अधिक मात्रा में खाद्यान्न उठाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक प्रत्येक राज्य में खाद्यान्न की वार्षिक खपत कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों को उचित रूप से खाद्यान्न वितरित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) अक्तूबर, 2002 के अंत में भारतीय खाद्य निगम के पास रखी राज्यवार खाद्यान्नों की कुल मात्रा संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) वर्ष 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 (अक्तूबर, 2002 तक) के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

और अन्य विभिन्न कल्याण योजनाओं के अधीन राज्यवार चावल और गेहूं के वार्षिक आबंटन और उठान की स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(च) जरूरतमंद व्यक्तियों को खाद्यान्नों का उचित वितरण करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण-III पर दिए गए हैं।

विवरण-I

(हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.11.2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों का राज्यवार स्टाक			1.11.2002 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास खाद्यान्नों का कुल स्टाक		
	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	13.62	2.83	16.45	13.62	2.83	16.45
अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	0.03
असम	0.35	0.2	0.55	0.35	0.2	0.55
बिहार	0.98	1.08	2.06	0.98	1.08	2.06
छतीसगढ़	5.64	0.37	6.01	5.64	0.37	6.01
दिल्ली	0.3	2.74	3.04	0.3	2.74	3.04
गोवा	0.05	0.03	0.08	0.05	0.03	0.08
गुजरात	0.69	6.1	6.79	0.69	6.1	6.79
हरियाणा	6.75	12.64	19.39	14.51	82.58	97.09
हिमाचल प्रदेश	0.04	0.12	0.16	0.04	0.12	0.16
जम्मू-कश्मीर	0.39	0.18	0.57	0.39	0.18	0.57
झारखंड	0.31	0.11	0.42	0.31	0.11	0.42
कर्नाटक	2.24	0.95	3.19	2.24	0.95	3.19
केरल	4.06	0.19	4.25	4.06	0.19	4.25
मध्य प्रदेश	1.62	3.89	5.55	2.26	4.94	7.24
महाराष्ट्र	4.43	6.94	11.37	4.43	6.94	11.37
मणिपुर	0.06	0	0.06	0.06	0	0.06
मेघालय	0.11	0	0.11	0.11	0	0.11
मिजोरम	0.04	0	0.04	0.04	0	0.04

1	2	3	4	5	6	7
नागालैण्ड	0.06	0	0.06	0.06	0	0.06
उड़ीसा	2.18	0.13	2.31	2.18	0.13	2.31
पंजाब	71.63	19.67	91.3	118.42	189.66	308.08
राजस्थान	0.76	7.55	8.31	0.76	7.55	8.31
सिक्किम	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	9.38	1.14	10.52	9.38	1.14	10.52
त्रिपुरा	0.17	0	0.17	0.17	0	0.17
उत्तर प्रदेश	15.34	9.23	24.57	19.31	18.78	38.09
उत्तरांचल	0.39	1.12	1.51	0.39	1.12	1.51
पश्चिमी बंगाल	2.8	1.55	4.35	2.8	1.55	4.35
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0	0
दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0
जे.एम.(पी.ओ.) विजाग	0	0	0	0	0	0
जे.एम.(पी.ओ.) कांडला	0	0	0	0	0	0
जे.एम.(पी.ओ.) चेन्नई	0	0	0	0	0	0
जे.एम.(पी.ओ.) कोलकाता	0	0	0	0	0	0
मार्जिन स्टाक	1.51	1.29	2.8	1.51	1.29	2.8
सकल जोड़ (अखिल भारत)	145.93	80.06	225.99	205.09	330.59	535.68

विवरण-II (एक)

(चावल - 2000-2001)

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001 तक चावल के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान (अनंतिम)			
		गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1316.648	1847.040	15.570	3179.258	923.047	1002.912	1.333	1927.292
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.384	70.320	0.000	88.704	15.828	13.958	0.000	29.786
3.	असम	457.428	331.280	0.000	788.708	374.143	5.768	0.000	379.911
4.	बिहार	750.840	86.604	0.000	837.444	131.445	1.032	0.000	132.477
5.	छत्तीसगढ़	99.288	20.004	7.185	126.417	76.400	0.060	11.744	88.204
6	दिल्ली	0.000	163.320	0.000	153.320	0.000	1.980	0.000	1.980
7.	गोवा	6.230	42.840	0.000	49.070	1.483	7.069	0.000	8.552
8.	गुजरात	343.526	216.000	0.000	559.526	113.962	2.584	0.050	116.596
9.	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000	1.640	0.000	0.000	1.640
10.	हिमाचल प्रदेश	34.947	62.760	0.984	98.691	21.755	3.539	0.980	26.274
11.	जम्मू-कश्मीर	112.800	150.120	0.000	262.920	64.649	4.096	0.000	68.745
12.	झारखंड	73.800	8.436	0.000	82.236	14.150	0.120	0.000	14.270
13.	कर्नाटक	568.272	917.000	0.000	1485.272	527.845	420.613	0.000	948.458
14.	केरल	365.144	1375.440	5.955	1746.539	417.011	71.939	0.000	488.950
15.	मध्य प्रदेश	468.496	104.196	4.760	577.452	278.330	1.050	3.718	283.098
16.	महाराष्ट्र	521.504	268.560	0.000	790.064	341.107	33.283	0.000	374.390
17.	मणिपुर	31.214	34.320	0.000	65.534	18.670	4.606	0.000	23.276
18.	मेघालय	34.354	190.416	0.000	224.770	30.106	1.058	0.000	31.164
19.	मिजोरम	13.940	81.720	0.000	95.660	13.938	27.122	0.000	41.060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	नागालैण्ड	18.480	103.560	0.000	122.040	17.944	0.271	0.000	18.215
21.	उड़ीसा	949.922	44.640	0.000	994.562	659.580	3.340	0.000	662.920
22.	पंजाब	16.800	3.360	0.000	20.160	0.364	0.070	0.000	0.434
23.	राजस्थान	23.595	9.360	0.107	33.062	1.141	0.020	0.064	1.225
24.	सिक्किम	8.916	83.640	0.000	92.556	5.875	3.284	0.000	9.159
25.	तमिलनाडु	1121.664	461.280	0.000	1582.944	1131.124	78.586	0.000	1209.710
26.	त्रिपुरा	55.450	109.440	0.000	164.890	53.567	6.225	0.000	59.792
27.	उत्तर प्रदेश	741.628	131.812	0.000	873.440	320.906	0.098	0.000	321.004
28.	उत्तरांचल	22.172	2.588	0.000	24.760	0.000	0.000	0.000	0.000
29.	पश्चिमी बंगाल	676.064	198.760	0.000	874.824	305.853	34.025	0.000	339.878
30.	अं. और नि. द्वीप	3.604	28.200	0.000	31.804	3.020	4.245	0.000	7.265
31.	चंडीगढ़	0.480	2.040	0.000	2.520	0.000	0.000	0.000	0.000
32.	दादरा और नागर हवेली	2.899	2.160	0.050	5.109	2.078	0.556	0.000	2.634
33.	दमण और दीव	0.532	1.320	0.000	1.852	0.211	0.150	0.000	0.361
34.	लक्षद्वीप	0.000	6.540	0.000	6.540	0.000	5.288	0.000	5.288
35.	पांडिचेरी	17.088	21.480	0.000	38.568	7.510	2.394	0.000	9.904
	जोड़	8876.049	7180.556	34.611	16091.216	5874.682	1741.341	17.889	7633.912

विवरण-II (दो)

(गेहूं - 2000-2001)

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001 तक गेहूं के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान (अनंतिम)			
		गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.000	96.000	0.000	96.000	0.000	3.295	0.000	3.295
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.840	6.360	0.000	8.200	0.278	0.466	0.000	0.744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	0.000	123.600	0.000	123.600	0.000	0.396	0.000	0.396
4.	बिहार	1126.260	129.908	0.000	1256.168	428.651	1.081	0.000	429.732
5.	छत्तीसगढ़	28.428	13.700	0.000	42.128	2.555	0.000	0.083	2.638
6.	दिल्ली	24.540	487.140	0.000	511.680	10.501	0.084	0.000	10.585
7.	गोवा	2.874	20.280	0.000	23.154	0.361	1.272	0.000	1.633
8.	गुजरात	565.287	354.000	0.000	919.287	284.423	2.690	0.020	287.133
9.	हरियाणा	175.918	8.640	0.000	184.558	47.763	0.000	0.000	47.763
10.	हिमाचल प्रदेश	67.369	38.400	0.984	106.753	24.700	2.727	0.905	28.332
11.	जम्मू-कश्मीर	35.520	88.320	0.000	123.840	22.993	7.881	0.000	30.874
12.	झारखंड	110.700	12.652	0.000	123.352	72.526	0.067	0.000	72.593
13.	कर्नाटक	142.0682	221.00	0.000	363.068	135.560	63.926	0.000	199.486
14.	केरल	0.000	452.640	0.000	452.640	0.000	30.212	0.000	30.212
15.	मध्य प्रदेश	665.612	138.100	11.050	814.762	277.928	3.518	7.642	289.088
16.	महाराष्ट्र	968.580	496.560	0.000	1465.140	619.256	8.032	0.000	627.288
17.	मणिपुर	0.000	20.520	0.000	20.520	0.000	0.000	0.000	0.000
18.	मेघालय	0.000	12.000	0.000	12.000	0.03	0.120	0.000	0.123
19.	मिजोरम	0.000	15.120	0.000	15.120	0.000	2.602	0.000	2.602
20.	नागालैण्ड	4.560	18.480	0.000	23.040	3.043	1.487	0.000	4.530
21.	उड़ीसा	102.300	0.000	0.000	102.300	0.000	0.000	0.000	0.000
22.	पंजाब	89.436	18.120	0.000	107.556	10.756	1.515	0.000	12.271
23.	राजस्थान	850.575	392.160	9.208	1251.943	321.592	1.457	8.055	331.104
24.	सिक्किम	0.000	1.200	0.000	1.200	0.000	0.350	0.00	0.350
25.	तमिलनाडु	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.759	0.000	0.759
26.	त्रिपुरा	0.000	15.360	0.000	15.360	0.000	0.000	0.000	0.000
27.	उत्तर प्रदेश	1537.660	260.916	0.000	1798.576	887.713	1.557	0.000	889.270
28.	उत्तरांचल	11.840	5.124	0.000	16.964	0.000	0.000	0.000	0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	पश्चिमी बंगाल	577.496	777.400	0.000	1354.896	493.111	39.797	0.000	532.908
30.	अं. और नि. द्वीप	1.680	8.160	0.000	9.840	1.737	5.064	0.000	6.801
31.	चंडीगढ़	3.838	11.640	0.000	15.478	0.000	0.000	0.000	0.000
32.	दादरा और नागर हवेली	0.725	0.600	0.020	1.345	0.364	0.120	0.000	0.484
33.	दमण और दीव	0.268	0.480	0.000	0.748	0.014	0.000	0.000	0.014
34.	लक्षद्वीप	0.000	0.504	0.000	0.504	0.000	0.000	0.000	0.000
35.	पांडिचेरी	0.000	6.240	0.000	6.240	0.000	0.827	0.000	0.827
	जोड़	7095.374	4251.324	21.262	11367.960	3645.828	181.302	16.705	3843.835

विवरण-II (तीन)

(चावल - 2001-2002)

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक चावल के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान (अनंतिम)			
		गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1470.960	1495.680	186.840	3153.480	972.348	564.141	191.522	1728.011
2.	अरुणाचल प्रदेश	24.459	70.320	1.134	95.913	25.007	21.065	0.740	46.812
3.	असम	515.058	311.280	28.152	854.490	429.825	45.296	28.515	503.636
4.	बिहार	656.370	69.732	60.000	786.102	64.639	0.686	43.252	108.577
5.	छतीसगढ़	305.748	60.012	86.220	451.980	148.292	0.210	77.884	226.386
6.	दिल्ली	11.790	163.320	0.480	175.590	9.699	18.652	0.246	28.597
7.	गोवा	6.431	42.840	0.979	50.250	3.539	4.206	0.734	8.481
8.	गुजरात	234.604	216.000	12.350	462.954	130.324	2.653	11.785	144.762
9.	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	हिमाचल प्रदेश	173.955	62.760	14.172	250.887	102.705	3.772	13.721	120.198
11.	जम्मू-कश्मीर	115.247	150.120	19.323	284.690	120.449	129.449	4.072	254.065
12.	झारखंड	227.000	25.308	36.650	288.958	76.529	5.609	26.925	109.063
13.	कर्नाटक	646.182	444.000	67.287	1157.469	639.186	380.709	64.640	1084.535
14.	केरल	374.958	1375.440	71.460	1821.858	371.494	21.005	61.507	454.006
15.	मध्य प्रदेश	289.756	64.188	57.120	411.064	121.551	0.791	51.922	174.264
16.	महाराष्ट्र	725.426	268.560	93.749	1087.735	426.556	1.509	82.663	510.728
17.	मणिपुर	35.136	34.320	1.914	71.370	25.455	0.000	0.740	26.195
18.	मेघालय	44.240	114.360	3.515	162.115	43.278	4.511	2.812	50.601
19.	मिजोरम	16.461	81.720	3.156	101.337	16.168	18.931	3.156	38.255
20.	नागालैण्ड	24.185	103.560	2.280	130.025	24.185	3.143	2.280	29.608
21.	उड़ीसा	907.045	44.640	88.466	1040.151	488.185	11.584	87.277	587.046
22.	पंजाब	18.080	3.360	0.000	21.440	1.588	0.000	0.000	1.588
23.	राजस्थान	6.282	9.360	1.284	16.926	0.338	0.159	0.484	0.981
24.	सिक्किम	11.205	35.640	1.176	48.021	11.371	5.972	1.146	18.489
25.	तमिलनाडु	1350.423	461.280	35.475	1847.178	1040.753	0.000	24.760	1065.513
26.	त्रिपुरा	61.718	109.440	7.917	180.075	61.115	15.363	6.786	83.264
27.	उत्तर प्रदेश	736.649	126.636	82.111	945.396	253.688	0.942	84.006	338.636
28.	उत्तरांचल	70.962	7.764	8.028	86.754	0.000	0.000	0.000	0.000
29.	पश्चिमी बंगाल	831.438	128.760	54.960	1015.158	213.648	28.757	27.957	270.362
30.	अं. और नि. द्वीप	3.686	28.200	0.591	32.477	2.888	9.585	0.303	12.776
31.	चंडीगढ़	0.350	2.040	0.318	2.708	0.055	0.000	0.318	0.373
32.	दादरा और नागर हवेली	3.009	2.160	0.600	5.769	2.475	0.745	0.570	3.790
33.	दमण और दीव	0.639	1.320	0.120	2.079	0.056	0.219	0.085	0.360
34.	लक्षद्वीप	0.044	6.560	0.040	6.644	0.000	3.000	0.000	3.000
35.	पांडिचेरी	22.701	3.480	1.125	27.306	8.502	0.120	0.917	9.539
	जोड़	9923.197	6124.160	1028.992	17076.349	5835.986	1302.786	903.725	8042.497

विवरण-II (चार)

(गेहूं - 2001-2002)

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक गेहूं के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान (अनंतिम)			
		गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.000	96.000	0.000	96.000	0.000	7.385	0.000	7.385
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.565	6.360	0.000	8.925	1.715	2.795	0.000	4.510
3.	असम	0.000	123.600	0.000	123.600	0.000	70.011	0.000	70.011
4.	बिहार	1164.501	104.604	90.000	1359.105	313.475	0.25	65.300	379.100
5.	छत्तीसगढ़	87.597	41.100	0.000	128.697	39.649	1.788	0.000	41.437
6.	दिल्ली	102.375	413.520	1.920	517.815	77.062	7.645	0.949	85.656
7.	गोवा	3.420	20.280	0.000	23.700	0.000	1.350	0.000	1.350
8.	गुजरात	634.936	354.000	49.400	1038.336	313.857	1.317	44.960	360.134
9.	हरियाणा	182.541	8.640	27.346	218.527	71.349	0.000	22.655	94.004
10.	हिमाचल प्रदेश	74.280	38.400	9.444	122.124	31.021	5.485	9.371	45.877
11.	जम्मू-कश्मीर	36.516	88.320	6.084	130.920	41.962	45.988	3.195	91.145
12.	झारखंड	340.491	37.956	54.980	433.427	152.531	0.861	35.867	189.259
13.	कर्नाटक	161.542	111.000	16.823	289.365	159.683	69.951	16.156	245.790
14.	केरल	0.000	452.640	0.000	452.640	0.000	98.533	0.000	98.533
15.	मध्य प्रदेश	696.227	110.700	132.600	939.527	460.717	6.306	121.639	588.662
16.	महाराष्ट्र	1370.786	496.560	174.112	2041.458	736.350	1.802	151.707	889.859
17.	मणिपुर	0.000	20.520	0.000	20.520	0.000	0.000	0.000	0.000
18.	मेघालय	0.000	12.000	0.000	12.000	0.000	6.334	0.000	6.334
19.	मिजोरम	0.000	12.120	0.000	12.120	0.000	8.887	0.000	8.887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	नागालैण्ड	5.937	18.480	0.558	24.975	5.937	12.314	0.558	18.809
21.	उड़ीसा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.468	0.000	0.000	0.468
22.	पंजाब	96.283	18.120	19.723	134.126	44.354	0.000	8.070	52.424
23.	राजस्थान	909.987	392.160	110.496	1412.643	559.028	10.458	102.298	671.784
24.	सिक्किम	0.000	1.200	0.000	1.200	0.000	0.600	0.000	0.600
25.	तमिलनाडु	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26.	त्रिपुरा	0.000	15.360	0.000	15.360	0.000	3.000	0.000	3.000
27.	उत्तर प्रदेश	1603.140	250.668	178.680	2032.488	895.511	7.805	162.420	1065.736
28.	उत्तरांचल	38.760	15.372	3.420	57.552	0.000	0.000	0.000	0.000
29.	पश्चिमी बंगाल	422.931	776.400	54.966	1254.297	309.607	159.547	28.952	498.106
30.	अं. और नि. द्वीप	1.764	8.160	0.231	10.155	1.547	2.534	0.128	4.209
31.	चंडीगढ़	5.330	11.640	0.000	16.970	0.050	0.000	0.000	0.050
32.	दादरा और नागर हवेली	0.753	0.600	0.240	1.593	0.489	0.230	0.206	0.925
33.	दमण और दीव	0.330	0.480	0.060	0.870	0.020	0.015	0.029	0.064
34.	लक्षद्वीप	0.000	0.500	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000
35.	पांडिचेरी	0.000	0.240	0.000	0.240	0.000	0.315	0.000	0.315
	जोड़	7942.992	4057.700	931.083	12931.775	4216.382	533.581	774.460	5524.423

विवरण-II (पांच)

(चावल - 2002-2003)

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 2002 से अक्टूबर, 2002 तक चावल के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान (अनंतिम)			
		गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	842.800	1232.623	152.586	2228.009	829.409	194.155	126.176	1149.740
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.298	44.266	3.703	66.267	17.222	23.260	3.887	44.369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	397.999	277.165	68.971	744.135	316.253	32.000	62.784	411.037
4.	बिहार	532.832	534.667	98.000	1165.499	43.403	0.230	70.986	114.619
5.	छतीसगढ़	262.836	363.075	70.413	695.324	10.461	0.000	4.654	15.115
6.	दिल्ली	25.259	194.802	2.144	222.205	18.310	12.147	1.691	32.148
7.	गोवा	4.578	47.085	1.792	53.455	3.639	3.583	1.207	8.429
8.	गुजरात	116.544	643.256	15.925	775.725	79.938	9.483	12.888	102.309
9.	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10.	हिमाचल प्रदेश	51.058	132.782	11.097	194.937	56.012	4.397	11.220	71.629
11.	जम्मू-कश्मीर	94.948	156.100	21.042	272.090	93.252	120.406	8.911	222.569
12.	झारखंड	190.099	50.477	35.917	276.493	21.380	0.124	26.711	48.215
13.	कर्नाटक	519.995	966.280	93.338	1579.613	503.306	226.866	84.622	814.794
14.	केरल	322.329	793.940	58.359	1174.628	178.162	6.328	58.046	242.536
15.	मध्य प्रदेश	212.941	577.579	44.388	834.908	94.488	0.754	43.131	138.373
16.	महाराष्ट्र	474.376	1072.231	85.897	1632.504	296.134	5.621	73.850	375.605
17.	मणिपुर	25.599	17.325	6.251	49.175	24.233	0.543	7.251	32.027
18.	मेघालय	37.947	21.728	6.888	66.563	38.701	4.856	6.887	50.444
19.	मिजोरम	14.154	24.598	2.576	41.328	14.153	22.743	2.576	39.472
20.	नागालैण्ड	20.678	29.737	3.724	54.139	20.678	2.728	3.724	27.130
21.	उड़ीसा	865.886	683.613	123.851	1673.350	223.536	0.000	93.418	316.954
22.	पंजाब	6.576	82.599	0.000	89.175	0.980	0.016	0.000	0.996
23.	राजस्थान	5.397	44.135	1.050	50.582	0.250	0.010	0.195	0.455
24.	सिक्किम	8.995	27.184	1.645	37.824	8.954	4.585	1.703	15.242
25.	तमिलनाडु	1025.901	2213.625	165.485	3405.011	658.625	0.000	163.103	821.728
26.	त्रिपुरा	61.194	93.296	11.081	165.571	53.840	14.346	10.930	79.116
27.	उत्तर प्रदेश	698.238	1723.353	132.020	2553.611	111.160	1.126	71.147	183.433
28.	उत्तरांचल	56.422	98.297	13.111	167.830	23.839	0.005	5.786	29.630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	पश्चिमी बंगाल	647.428	362.061	89.768	1099.257	145.567	10.467	52.335	208.369
30.	अं. और नि. द्वीप	2.919	16.450	0.756	20.125	1.999	7.596	0.000	9.595
31.	चंडीगढ़	0.105	7.282	0.518	7.905	0.105	0.030	0.518	0.653
32.	दादरा और नागर हवेली	2.583	3.262	0.490	6.335	0.827	0.150	0.190	1.167
33.	दमण और दीव	0.553	4.949	0.098	5.600	0.010	0.084	0.036	0.130
34.	लक्षद्वीप	0.217	3.608	0.098	3.923	0.000	0.500	0.000	0.500
35.	पांडिचेरी	18.277	35.208	2.205	55.690	4.463	0.062	1.636	6.161
	जोड़	7565.961	12577.638	1325.187	21468.786	3893.289	709.201	1012.199	5614.689

विवरण-II (छह)

(गेहूं - 2002-2003)

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 2002 से अक्तूबर, 2002 तक गेहूं के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान (अनंतिम)			
		गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.000	89.642	0.000	89.642	0.000	4.225	0.000	4.225
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.205	4.415	0.000	6.620	1.455	2.230	0.000	3.685
3.	असम	0.000	352.975	0.000	352.975	0.000	228.790	0.000	228.790
4.	बिहार	786.692	802.053	147.000	1735.745	154.267	0.935	112.067	267.269
5.	छत्तीसगढ़	75.306	247.975	0.000	323.281	37.970	0.449	0.000	38.419
6.	दिल्ली	67.106	492.900	5.696	565.702	51.970	70.004	4.829	126.803
7.	गोवा	2.940	23.427	0.000	26.367	0.000	1.697	0.000	1.697
8.	गुजरात	331.124	1053.692	63.700	1448.516	154.374	5.005	48.991	208.370
9.	हरियाणा	152.187	726.253	27.398	905.838	93.645	15.575	24.928	134.148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	हिमाचल प्रदेश	34.034	81.168	8.188	123.390	31.066	5.201	8.020	44.287
11.	जम्मू-कश्मीर	30.378	91.840	6.622	128.840	29.083	57.799	3.631	90.513
12.	झारखंड	285.138	75.698	53.879	414.715	114.418	0.633	39.906	154.957
13.	कर्नाटक	129.997	241.570	23.331	394.898	8125.21	71.580	20.613	217.404
14.	केरल	0.000	261.275	0.000	261.275	0.000	90.089	0.000	90.089
15.	मध्य प्रदेश	530.396	1131.485	110.550	1772.431	314.754	19.598	100.327	434.679
16.	महाराष्ट्र	881.048	1982.684	159.523	3023.255	462.856	12.397	134.987	610.240
17.	मणिपुर	0.000	10.360	0.000	10.360	0.000	1.850	0.000	1.850
18.	मेघालय	0.000	3.570	0.000	3.570	0.000	3.565	0.000	3.565
19.	मिजोरम	0.000	6.236	0.000	6.236	0.000	6.076	0.000	6.076
20.	नागालैण्ड	5.068	12.556	0.910	18.534	5.068	12.361	0.907	18.336
21.	उड़ीसा	0.000	120.000	0.000	120.000	0.000	6.683	0.000	6.683
22.	पंजाब	90.500	936.526	17.570	1044.596	48.799	4.993	8.251	62.043
23.	राजस्थान	463.631	1806.892	90.237	2360.760	346.805	89.238	85.294	521.337
24.	सिक्किम	0.000	1.085	0.000	1.085	0.000	1.016	0.000	1.016
25.	तमिलनाडु	0.000	50.000	0.000	50.000	0.000	8.874	0.000	8.874
26.	त्रिपुरा	0.000	13.698	0.000	13.698	0.000	2.576	0.000	2.576
27.	उत्तर प्रदेश	1407.615	3411.382	266.923	5085.920	373.897	3.884	131.548	509.329
28.	उत्तरांचल	31.592	194.642	5.586	231.820	12.976	0.730	2.528	16.234
29.	पश्चिमी बंगाल	345.844	2180.884	89.775	2616.503	239.012	113.794	61.070	413.876
30.	अं. और नि. द्वीप	1.421	4.760	0.294	6.475	1.001	2.052	0.000	3.053
31.	चंडीगढ़	4.998	40.465	0.000	45.463	0.610	0.030	0.000	0.640
32.	दादरा और नागर हवेली	0.651	0.903	0.196	1 750	0.132	0.218	0.096	0.446
33.	दमण और दीव	0.280	1.131	0.049	1.460	0.011	0.008	0.012	0.031
34.	लक्षद्वीप	0.000	0.292	0.000	0.292	0.000	0.150	0.000	0.150
35.	पांडिचेरी	0.000	2.549	0.000	2.549	0.000	0.380	0.000	0.380
	जोड़	5660.151	16456.983	1077.427	23194.561	2599.380	844.685	788.005	4232.070

विवरण-II (सात)

(2000-2001)

कल्याण योजनाओं के अधीन अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001 तक चावल और गेहूं के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मध्याह्न भोजन योजना				पोषाहार कार्यक्रम		जोड़	अन्नपूर्णा	
		चावल		गेहूं		गेहूं		आवंटन	चावल	गेहूं
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	(चावल+गेहूं)	उठान	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	234.61	128.84	0.00	0.00	23.00	0.00	11.19	4.87	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.43	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00
3.	असम	70.15	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00
4.	बिहार	54.47	32.24	132.52	38.16	0.00	0.00	26.59	0.00	0.00
5.	छतीसगढ़	30.90	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.00	17.98	5.73	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00
7.	गोवा	2.62	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
8.	गुजरात	59.40	18.22	60.18	18.14	22.30	9.63	5.32	0.00	0.00
9.	हरियाणा	20.08	13.10	20.56	13.21	0.00	0.30	2.07	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	16.61	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	4.95	0.35
11.	जम्मू-कश्मीर	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00
12.	झारखंड	21.43	6.49	2.04	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	114.57	99.91	46.93	46.34	0.00	0.93	8.17	0.00	0.00
14.	केरल	46.56	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34	0.94	0.00
15.	मध्य प्रदेश	80.53	74.32	138.09	117.89	1.20	0.51	14.38	0.00	0.00
16.	महाराष्ट्र	280.69	236.13	0.00	0.00	10.00	0.00	16.08	0.00	0.00
17.	मणिपुर	6.75	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
18.	मेघालय	8.91	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00
19.	मिजोरम	2.92	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00
20.	नागालैण्ड	3.04	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	उड़ीसा	101.19	55.20	0.00	0.00	4.46	3.00	7.78	4.80	0.00
22.	पंजाब	0.00	0.00	39.83	4.20	2.41	1.09	1.50	0.00	0.00
23.	राजस्थान	0.00	0.00	130.31	100.55	2.00	2.00	5.70	0.07	2.88
24.	सिक्किम	2.26	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	107.48	74.95	0.00	0.00	2.00	0.65	10.33	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	1.53	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.52	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	132.70	43.69	232.42	49.90	0.00	0.00	30.13	0.00	5.26
28.	उत्तरांचल	9.39	3.99	2.24	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
29.	पश्चिमी बंगाल	218.86	175.33	0.00	10.46	0.00	0.00	11.48	0.00	0.00
30.	अं. और नि. द्वीप	1.13	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.39	0.20	0.80	0.00	0.05	0.00	0.00
32.	दादरा और नागर हवेली	0.72	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
33.	दमण और दीव	0.44	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1.23	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00
	जोड़	1657.23	1088.03	823.47	405.18	68.17	18.11	165.15	16.58	8.56

1999-2000 के दौरान आवंटन केवल मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार कार्यक्रम और अन्नपूर्णा के लिए किया गया था।
पोषाहार कार्यक्रम के अधीन केवल गेहूं का आवंटन किया गया था।
अन्नपूर्णा के अधीन आवंटन खाद्यान्नों के रूप में किया गया था।
(अनंतिम)

विवरण-II (आठ)

(2001-2002)

कल्याण योजनाओं के अधीन अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक चावल और गेहूं के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अ./जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. छात्रावास			सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना				काम के बदले अनाज कार्यक्रम			
		जोड़ आवंटन (चावल+गेहूं)	चावल उठान	गेहूं उठान	चावल		गेहूं		चावल		गेहूं	
					आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	100.23	62.28	0.00	232.44	381.67	0.00	0.00	1650.00	1598.63	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	असम	0.18	0.00	0.00	328.70	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	228.48	24.90	0.00	0.00	100.00	5.05	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	124.29	124.22	0.00	2.75	120.55	130.38	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.01	0.00	0.00	1.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	5.32	0.00	3.19	0.00	0.14	92.45	11.60	11.59	25.03	46.51	80.76
9.	हरियाणा	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	88.79	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	9.06	5.46	7.19	5.08	0.00	5.97	0.00	0.00
11.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	0.00	19.98	13.20	9.73	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	0.76	0.00	0.00	115.52	10.01	53.54	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	17.07	8.03	3.10	158.96	117.88	22.55	17.90	57.46	57.25	42.54	42.54
14.	केरल	1.61	0.75	0.00	41.52	13.25	0.00	0.00	5.00	4.98	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	89.92	78.57	265.88	253.78	43.43	60.72	145.24	208.92
16.	महाराष्ट्र	20.85	0.29	0.37	81.86	24.58	153.90	39.81	28.00	7.44	112.00	27.09
17.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	8.38	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	11.97	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	मिजोरम	1.01	1.01	0.00	7.25	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	5.18	5.19	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	21.94	1.08	0.00	197.81	175.63	0.00	0.00	150.00	155.76	0.00	0.00
22.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.67	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	137.59	9.52	0.00	0.00	621.36	502.23
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	4.59	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	17.41	2.94	0.00	151.84	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	0.18	0.00	0.09	32.67	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	253.52	10.55	244.74	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	उत्तरांचल	0.13	0.00	0.00	16.98	5.88	12.89	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	पश्चिमी बंगाल	5.82	0.00	0.00	225.60	146.57	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	अं. और नि. द्वीप	0.01	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दादरा और नागर हवेली	0.64	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दमण और दीव	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.98	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़	196.47	76.42	6.79	2357.09	1318.92	1114.37	563.66	2166.03	2051.21	967.65	861.54

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. छात्रावास योजना के अधीन आवंटन खाद्यान्नों के रूप में किया गया था। (अनंतिम)

विवरण-II (नौ)

(2001-2002)

कल्याण योजनाओं के अधीन अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक चावल और गेहूं के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मध्याह्न भोजन योजना				पोषाहार कार्यक्रम				अन्नपूर्णा		
		चावल		गेहूं		चावल		गेहूं		जोड़	चावल	गेहूं
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन (चावल+गेहूं)	उठान	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	232.75	167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	23.14	21.53	14.03	11.99	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.30	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.09	0.00
3.	असम	91.72	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27	0.67	0.19
4.	बिहार	46.92	35.87	170.65	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06	6.47	10.62
5.	छत्तीसगढ़	126.72	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	3.20	0.94	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.00	20.21	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00
7.	गोवा	2.41	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.01	0.00
8.	गुजरात	45.08	10.65	45.08	11.36	0.09	0.03	22.05	11.00	0.00	0.00	0.00
9.	हरियाणा	24.25	18.43	24.25	18.34	0.00	0.00	0.90	0.85	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	हिमाचल प्रदेश	20.06	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.23	0.20
11.	जम्मू-कश्मीर	21.50	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	1.03	0.50	0.00
12.	झारखंड	21.43	18.17	2.04	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	120.45	106.11	35.70	29.16	36.42	7.86	37.00	16.98	0.00	0.00	0.00
14.	केरल	46.69	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51	3.52	0.00
15.	मध्य प्रदेश	44.35	35.91	146.26	131.51	5.73	0.07	55.16	29.68	0.00	1.12	4.44
16.	महाराष्ट्र	293.76	249.86	0.00	0.00	33.96	23.83	0.00	9.03	17.82	0.09	0.10
17.	मणिपुर	8.38	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.05	0.00
18.	मेघालय	12.57	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.18	0.00
19.	मिजोरम	2.95	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.10	0.00
20.	नागालैण्ड	4.79	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.40	0.00
21.	उड़ीसा	92.22	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	15.92	10.63	6.50	6.45	0.00
22.	पंजाब	0.00	0.42	49.79	28.83	2.27	0.00	3.04	0.09	0.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान	0.00	0.00	186.65	147.31	0.00	0.00	4.60	0.00	12.64	0.00	10.93
24.	सिक्किम	2.42	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	116.01	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	2.57	8.64	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	14.24	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	161.26	128.61	313.87	245.25	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	28.89
28.	उत्तरांचल	19.21	15.87	1.72	0.51	0.00	0.00	7.00	1.05	1.27	1.00	0.05
29.	पश्चिमी बंगाल	287.44	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	1.37	0.38
30.	अं. और नि. द्वीप	1.15	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.04	0.56	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
32.	दादरा और नागर हवेली	0.76	0.61	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00
33.	दमण और दीव	0.45	0.33	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1.25	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00
	जोड़	1867.50	1348.81	996.79	727.96	80.17	31.85	175.11	103.41	162.25	37.06	55.80

अन्नपूर्णा के अधीन आवंटन खाद्यान्नों के रूप में किया गया था।

विवरण-II (दस)

(2002-2003)

कल्याण योजनाओं के अधीन अप्रैल, 2002 से अक्तूबर, 2002 तक चावल और गेहूं के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मध्याह्न भोजन योजना				पोषाहार कार्यक्रम				अन्नपूर्णा		
		चावल		गेहूं		चावल		गेहूं		जोड़	चावल	गेहूं
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन (चावल+गेहूं)	उठान	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	223.69	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	11.18	5.15	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00
3.	असम	91.72	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.01
4.	बिहार	57.59	15.82	185.29	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	4.51
5.	छतीसगढ़	74.55	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	4.05	0.00	0.00	0.00
6.	दिल्ली	0.00	0.00	20.22	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.02	0.00
8.	गुजरात	32.59	5.97	32.59	6.08	0.00	0.00	28.00	0.43	0.00	0.00	0.00
9.	हरियाणा	23.07	11.30	23.07	11.47	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	19.20	10.48	0.00	0.00	1.88	0.20	2.14	0.23	0.76	0.51	0.00
11.	जम्मू-कश्मीर	24.66	0.06	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	झारखंड	47.44	7.97	4.36	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52	2.96	0.00
13.	कर्नाटक	142.92	58.39	10.64	6.08	55.99	13.41	35.00	4.15	0.00	0.00	0.00
14.	केरल	47.11	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00
15.	मध्य प्रदेश	49.31	20.40	161.34	67.04	2.00	0.00	60.00	15.15	0.00	0.55	2.18
16.	महाराष्ट्र	297.93	158.17	0.00	0.00	33.96	8.95	0.00	0.00	1.20	0.01	0.02
17.	मणिपुर	8.62	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मेघालय	13.04	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
19.	मिजोरम	2.81	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	नागालैण्ड	4.79	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.40	0.00
21.	उड़ीसा	123.76	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	34.57	7.03	0.00	3.71	0.00
22.	पंजाब	0.00	0.00	48.62	18.70	21.06	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	राजस्थान	0.00	0.00	154.04	88.20	0.00	0.00	5.16	1.07	12.64	0.00	6.65
24.	सिक्किम	2.31	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	108.03	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	18.76	3.85	8.64	2.62	0.00
26.	त्रिपुरा	13.80	3.16	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	151.10	66.12	294.57	127.78	0.00	0.00	31.07	0.00	0.00	0.00	20.04
28.	उत्तरांचल	20.79	5.25	3.86	0.69	0.00	1.40	7.00	0.01	0.00	0.00	0.00
29.	पश्चिमी बंगाल	292.92	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	1.98	0.00
30.	अं. और नि. द्वीप	1.08	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	1.25	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दादरा और नागर हवेली	0.30	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दमण और दीव	0.78	0.16	0.00	0.00	0.09	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1.25	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़	1884.23	723.26	939.85	380.78	120.26	23.96	280.81	45.27	46.80	25.91	33.41

अन्नपूर्णा के अधीन आवंटन खाद्यान्नों के रूप में किया गया था। (अनंतिम)

विवरण-II (ग्यारह)

(2002-2003)

कल्याण योजनाओं के अधीन अप्रैल, 2002 से अक्तूबर, 2002 तक चावल और गेहूं के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./छात्रावास				सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना			
		चावल		गेहूं		चावल		गेहूं	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	72.24	40.96	0.00	0.00	2024.26	1463.06	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.57	0.21	0.19	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	34.12	0.04	0.00	0.01	0.00	174.91	0.00	0.00
4.	बिहार	44.39	0.00	66.58	0.00	131.46	108.37	0.00	0.00
5.	छतीसगढ़	22.52	0.00	6.46	0.00	259.31	8.14	0.00	0.00
6.	दिल्ली	1.58	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.40	0.01	0.25	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	9.86	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00	38.08	49.70
9.	हरियाणा	0.00	0.00	13.04	0.05	0.00	0.00	78.69	69.92
10.	हिमाचल प्रदेश	4.38	0.70	2.92	0.23	9.58	3.58	8.46	1.84
11.	जम्मू-कश्मीर	8.06	0.00	2.54	0.00	7.12	6.93	3.43	2.56
12.	झारखंड	16.30	0.00	24.44	0.00	96.44	20.93	56.22	13.43
13.	कर्नाटक	44.57	7.96	11.15	2.19	318.89	257.99	14.97	13.57
14.	केरल	27.62	0.45	0.00	0.00	51.48	43.31	0.00	0.00
15.	मध्य प्रदेश	19.18	0.00	44.53	0.00	165.16	45.76	265.35	170.27
16.	महाराष्ट्र	40.66	3.56	75.52	5.34	49.92	52.75	90.51	87.02
17.	मणिपुर	2.20	0.37	0.00	0.00	4.53	1.02	0.00	0.00
18.	मेघालय	3.25	0.57	0.00	0.00	7.23	4.41	0.00	0.00
19.	मिजोरम	1.21	0.71	0.00	0.00	1.85	2.80	0.00	0.00
20.	नागालैण्ड	1.78	0.00	0.43	0.00	3.58	2.78	1.96	1.96
21.	उड़ीसा	74.22	1.74	0.00	0.00	495.14	371.39	0.00	0.00
22.	पंजाब	1.32	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00	11.96	7.79
23.	राजस्थान	0.47	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00	330.86	355.32
24.	सिक्किम	0.77	0.04	0.00	0.00	2.76	0.02	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	91.15	13.39	0.00	0.00	190.64	106.08	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	5.24	0.00	0.00	0.00	12.89	18.35	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	49.63	0.00	108.02	0.00	81.34	106.54	493.38	323.08
28.	उत्तरांचल	4.69	0.00	2.63	0.00	44.94	15.19	26.98	9.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	पश्चिमी बंगाल	72.73	0.01	12.41	0.00	93.80	98.05	0.00	0.00
30.	अं. और नि. द्वीप	0.25	0.00	0.12	0.00	0.38	0.57	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.01	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दादरा और नागर हवेली	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दमण और दीव	0.22	0.00	0.06	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1.57	0.00	0.00	0.00	0.64	0.32	0.00	0.00
	जोड़	658.21	70.72	452.67	7.82	4058.34	2913.42	1420.85	1105.92

अनंतिम

विवरण-III

देश के जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्यान्नों का उचित वितरण करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के आधीन 31.8.2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश जारी किया गया था। आदेश में निम्नलिखित प्रावधान हैं :

(*i*) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करना;

(*ii*) राशन कार्ड;

(*iii*) मात्रा और निर्गम मूल्य;

(*iv*) खाद्यान्नों का वितरण;

(*v*) लाइसेंसिंग;

(*vi*) मानीटरिंग; और

(*vii*) उल्लंघन के लिए दण्ड।

आदेश के खण्ड 3, 4, 6 और 7 का उल्लंघन करना आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध है।

विभाग ने सरकार के ध्यान में लाई गई अनियमितताओं की जांच करने और पहचान किए गए क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अंत्योदय अन्न योजना के क्रियान्वयन का सामान्य निरीक्षण/मानीटरिंग करने के लिए कार्य-दल का गठन किया है। जब भी भूख से मौतों अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में मुख्य कमी के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त होती है, तब कार्य-दल में से एक अथवा दो अधिकारियों के समूह को उस क्षेत्र का दौरा करने तथा सिफारिशों सहित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है। अब तक इन दलों को उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार सहित विभिन्न राज्यों को भेजा गया है। इनकी सिफारिशों की जांच की जाती है और संबंधित राज्य सरकार को कार्यवाही हेतु उपयुक्त परामर्श दिया जाता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के अधीन समाज के वास्तव में गरीब और कमजोर वर्गों को शामिल करें तथा पहचान करने की प्रक्रिया में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को सक्रिय रूप से शामिल करें। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया है कि वे नियमित अंतरालों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची की समीक्षा करें ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मिलने वाले लाभों से गरीब और जरूरतमंद वंचित न रहें।

विकलांगों के लिए आरक्षित पद

***179. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी सेवाओं में विकलांग लोगों के लिए आरक्षित पदों को भरा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विकलांग लोगों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम की स्थापना कर दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो निगम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(च) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(छ) ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर गुजरात के कच्छ जिले में रह रहे विकलांग लोगों के पुनर्वास हेतु कौन से कार्यक्रम बनाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में भारत सरकार के प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाए गए पदों पर रोजगार में 3% आरक्षण की व्यवस्था है। मार्च, 2001 में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर समूह 'क' 'ख' 'ग' और 'घ' में पहचान किए गए पदों के संदर्भ में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की स्थिति क्रमश: 6.56%, 5.43%, 6.50% और 6.39% है। जनवरी, 2002 में लोक उद्यम विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में पहचान किए गए पदों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की स्थिति क्रमश: 2.78%, 8.54%, 5.04% और 6.75% है।

(घ) और (ङ) जी, हां। विकलांग व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे आर्थिक और विकास कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए 1997 में राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है। निगम उन्हें स्व-रोजगार तथा अन्य आर्थिक उद्यमों के लिए ऋण देकर सहायता करता है। निगम संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य माध्यम एजेन्सियों के जरिए विकलांग व्यक्तियों को ऋण देता है। निगम ने एक माइक्रो वित्त पोषण योजना भी चलाई है जो विख्यात गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) यह मंत्रालय सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु गैर-सरकारी एजेन्सियों को सहायता देने तथा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाने संबंधी योजनाएं कार्यान्वित करता है। वर्ष 2001-2002 के दौरान 800 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों को 104.40 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है।

वर्ष 2000-2001 के दौरान, विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने संबंधी योजना के अन्तर्गत गुजरात के कच्छ जिले में दो गैर-सरकारी संगठनों को 4.37 लाख रुपए की सहायता दी गई है।

निजी बैंकों के सार्वजनिक निर्गम

***180. श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) की जारी करने के लिए पात्रता मानदंड पूरा करने हेतु सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों को छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के उक्त निर्णय की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो 'सेबी' के उक्त निर्णय की समीक्षा कब तक किए जाने की संभावना है;

(ङ) जे.आर. वर्मा समिति ने 'डेरीवेटीव ट्रेडिंग' के लिए जोखिम रोकने वाले उपायों की सिफारिश की है;

(च) क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा इन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है और इन्हें लागू किया जा रहा है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हां। अप्रैल 1996 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सार्वजनिक निर्गम लाने की योजना बनाने वाली कंपनियों के लिए मार्गनिदेश जारी किए थे। जुलाई, 1996 में सेबी ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को सार्वजनिक निर्गमों के लिए पात्रता मानदंड पूरा करने की छूट दी थी।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने नवगठित निजी क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सेबी के मार्गनिर्देशों के प्रचालन से छूट देने का सुझाव दिया था क्योंकि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र

में वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार की विनियामक शक्तियों के अधीन हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) स्टॉक सूचकांक फ्यूचर्स बाजारों हेतु जोखिम नियंत्रण उपायों के लिए जे.आर. वर्मा समिति की मुख्य अनुशंसाओं में अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिक बाजार संगणना की प्रविधि तथा नकदी में मार्जिन संग्रहण, नकद विल संपत्ति तथा वित्त प्रदायगी सीमाओं व स्थिति सीमाओं का निर्धारण शामिल है।

(च) समिति की इन अनुशंसाओं को सेबी बोर्ड की 19 मार्च 1999 को हुई बैठक में स्वीकार कर लिया गया था। और 28 जुलाई 1999 से इन्हें लागू कर दिया गया।

(छ) उपर्युक्त (च) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों को घाटे से उबारने हेतु 'पैकेज'

***181. श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों और आई.डी.बी.आई., एस.आई.डी.बी.आई., एक्जिम बैंक तथा यूटीआई बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं को संकट से उबारने के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए हैं और जबकि सरकार ने बहुराष्ट्रीय और अन्य कंपनियों से देय हजारों करोड़ों रुपयों को बट्टे खाते में डाला है साथ ही कृषि क्षेत्र से राजसहायता वापस ली है और लघु बचतों और कर्मचारी भविष्य निधि सहित जमा राशियों पर ब्याज कम किया है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रत्येक वर्षों के दौरान संकट से उबारने हेतु दिए गए पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान इससे वित्तीय और बजट घाटे में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई और व्यय की गई?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) संकट से उबारने हेतु कोई पैकेज नहीं है। सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

सरकारी क्षेत्र के बैंक

वर्ष	वित्तीय सहायता की राशि	वित्तीय सहायता का स्वरूप
1	2	3
1999-2000	शून्य	एन.ए.
2000-2001	शून्य	एन.ए.
2001-2002	1300 करोड़ रुपए	इंडियन बैंक को पुनर्पूंजीकरण सहायता
2002-2003	770 करोड़ रुपए	इंडियन बैंक को दिए जाने के लिए प्रस्तावित पुनर्पूंजीकरण सहायता
	वित्तीय संस्थाएं	
1999-2000	50 करोड़ रुपए	एक्जिम बैंक में पूंजी निवेश
2000-2001	300 करोड़ रुपए	यूटीआई को यूएस-64 के संबंध में आश्वासित पुनर्खरीद मूल्य एवं एन एवी में कमी को पूरा करने में दी गई वित्तीय सहायता।
2001-2002	400 करोड़ रुपए	आईएफसीआई के 20 वर्षीय परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश
	50 करोड़ रुपए	राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के अन्तर्गत सिडबी को अंशदान
	100 करोड़ रुपए	एक्जिम बैंक में पूंजी निवेश
	1157.02 करोड़ रुपए	भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों से आईडीबीआई को दिए गए राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण-दीर्घावधि

1	2	3
		परिचालन (एनआईसी-एलटीओ) का भारत सरकार में अन्तरण तथा सरकार द्वारा आईडीबीआई के 20 वर्षीय परिवर्तनीय बांडों में निवेश
	559.38 करोड़ रुपए	एक्जिम बैंक को दिए गए राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण दीर्घावधि परिचालन (एनआईसी-एलटीओ) का भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों से भारत सरकार में अन्तरण तथा सरकार द्वारा एक्जिम बैंक के 20 वर्षीय परिवर्तनीय बांडों में निवेश
	2172.80 करोड़ रुपए	सिडबी को दिए गए राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण दीर्घावधि परिचालन (एनआईसी-एलटीओ) का भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों से भारत सरकार में अन्तरण तथा सरकार द्वारा सिडबी के 20 वर्षीय परिवर्तनीय बांडों में निवेश
	148.87 करोड़ रुपए	आईआईबीआई को दिए गए राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण दीर्घावधि परिचालन (एनआईसी-एलटीओ) का भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों से भारत सरकार में अन्तरण तथा सरकार द्वारा आईआईबीआई के 20 वर्षीय परिवर्तनीय बांडों में निवेश
	973.48 करोड़ रुपए	सरकार द्वारा आई डी बी आई को दी गई आई बी आर डी ऋण सहायता की शेष राशि का 20 वर्षीय परिवर्तनीन डिबेंचरों में परिवर्तन
2002-2003	54.95 करोड़ रुपए	राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के अन्तर्गत सिडबी को दिए जाने के लिए प्रस्तावित अंशदान
	500 करोड़ रुपए	यू टी आई को यू एस 64 के संबंध में आश्वासित पुनर्खरीद मूल्य एवं एन ए वी के बीच कमी को पूरा करने के लिए दी गई वित्तीय सहायता
	1000 करोड़ रुपए	यू टी आई को जून एवं अगस्त, 2002 के दौरान परिपक्व हुई आश्वासित प्रतिफल योजना के संबंध में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए दी गई वित्तीय सहायता
	450 करोड़ रुपए	यू टी आई को 31 अक्तूबर, 2002 को परिपक्व हुए एमआईपी 97(IV) के संबंध में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए दी गई आर्थिक सहायता।

चूंकि, सरकार सरकारी क्षेत्र के इन बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की स्वामी है, अत: यह अपेक्षित होता है कि निर्धारित पूंजी पर्याप्ता मानदण्डों को बनाए रखने तथा अन्य प्रतिबद्धताओं/देयताओं को पूरा करने में इन्हें सक्षम बनाने के लिए इनके पूंजी आधार का संवर्धन किया जाए। ऐसी सहायता सरकारी बजट संसाधनों से है तथा जब भी संभव होता है कि यह प्रयास किया जाता है कि बैंक/वित्तीय संस्थाएं ऐसी राशि को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करें जिससे बजट से कम से कम नकदी बाहर जाए।

खाद्यान्न मूल्यों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

1753. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2000-01 के अपने प्रतिवेदन में केन्द्र की खाद्यान्नों के मूल्यों से संबंधित नीति की आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने 2000-01 की अपनी रिपोर्ट में खाद्यान्नों के मूल्यों के संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं। मुख्य टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :

(1) मूल्यों का उतार-चढ़ाव खरीददार की तुलना में उत्पादकों की ओर नीतिगत झुकाव दर्शाता है;

(2) अल्पकाल में राजसहायता में अपरिहार्य वृद्धि और उसके बाद केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में वृद्धि करने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यों तथा बाजार मूल्यों के बीच मार्जिन कम हो गया जिसके परिणामस्वरूप कुछ वर्षों में खाद्यान्नों के उठान में गिरावट आई है;

(3) सरकार के पास खाद्यान्नों की उपलब्धता के बावजूद 1992-99 के रिलीज की गई खाद्यान्नों की कुल मात्रा स्थिर रही;

(4) गेहूं का वसूली मूल्य अधिक था और यह अवश्य ही उपभोक्ता के लाभ में नहीं है;

(5) वसूली और रिलीज एजेंसियों के स्तर पर लीकेज और अकुशलता होने तथा राज्य स्तर पर कुछ अन्य लागतें जोड़ने के कारण उपभोक्ताओं के लिए मूल्यों में वृद्धि होती है जिसके परिणामस्वरूप 60-70% राशन कार्ड धारकों ने उचित दर दुकानों से चावल अथवा गेहूं नहीं खरीदा/नहीं खरीदते हैं।

(ग) सरकार द्वारा गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य मुख्यत: देश के आबादी के निर्धनतम और लाभ से वंचित वर्गों की सहायता करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राजसहायता प्राप्त दरों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए गेहूं और चावल जारी किया जाता है गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए निर्धारित केन्द्रीय निर्गम मूल्य में भी राजसहायता का घटक होता है। अत: खुले बाजार मूल्यों की तुलना के केन्द्रीय निर्गम मूल्य काफी कम होते हैं। तथापि, केन्द्रीय निर्गम मूल्य निर्धारित करते समय गेहूं और चावल की आर्थिक लागत को ध्यान में रखा जाता है।

2000-01 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के उठान में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिया है। 2000-01 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 117.1 लाख टन खाद्यान्नों का उठान हुआ था जो 2001-02 के दौरान बढ़कर 138.3 लाख टन हो गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (अप्रैल-अक्तूबर 2002-03) के प्रथम सात महीनों के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का उठान पहले ही 100 लाख टन पर पहुंच गया है।

[हिन्दी]

शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले

1754. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उन और जिलों की जहां बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक रहते हैं तथा जो शैक्षिक रूप से पिछड़े भी हैं, पहचान करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने की भी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (घ) यह मामला विचाराधीन है और आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से संबंधित आंकड़े उपयुक्त प्राधिकारी से एकत्रित किए जा रहे हैं।

मिलावटी शीतल पेय

1755. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मिलावटी शीतल पेय का कारोबार बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान सरकार की जानकारी में आये ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और

(घ) उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) सरकार के पास यह सिद्ध करने के लिए कोई वास्तविक और प्रमाणिक सूचना नहीं है कि देश में मिलावटी शीतल पेयों के कारोबार में वृद्धि हो रही है।

सीमेंट उत्पादकों द्वारा उत्पादक संघ का गठन

1756. श्री जय प्रकाश : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीमेंट उत्पादकों द्वारा उत्पादक संघ बनाने के कारण देश में सीमेंट के मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या वैश्वीकरण के कारण यूरोपीय कंपनियों द्वारा सीमेंट कंपनियों के अधिग्रहण किए जाने का खतरा बढ़ता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) सीमेंट पूर्णतया लाईसेंसमुक्त तथा नियंत्रणमुक्त वस्तु है और इसके मूल्यों का निर्धारण मांग व पूर्ति के आधार पर बाजार शक्तियों द्वारा होता है। विभिन्न उपभोक्ता केन्द्रों में ये मूल्य उत्पादन केन्द्रों से दूरी से भी प्रभावित होते हैं। सीमेंट का उत्पादन वर्ष 2000-01 से लगातार बढ़ता रहा है। वर्ष 2000-01 में प्राप्त उत्पादन स्तर के मुकाबले में वर्ष 2001-02 के दौरान इसमें 9.52% की वृद्धि दर्ज हुई है क्योंकि वर्ष 2000-01 में 97.61 मिलियन टन से बढ़कर 2001-02 में 106.90 मिलियन टन हो गया था। चालू वर्ष में भी यही प्रवृत्ति बनी हुई है क्योंकि विगत वर्ष के प्रथम सात महीनों की तुलना मे चालू वर्ष की इसी अवधि में सीमेंट के उत्पादन में 9.33% की वृद्धि दर्ज हुई है। इसका उत्पादन 60.45 मिलियन टन से बढ़कर 66.09 मिलियन टन हो गया है। सीमेंट की कीमतों में एक वर्ष से भी अधिक अर्से से वृद्धि होती दिखाई नहीं दी हैं जैसा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। इसका कारण उत्पादन में वृद्धि होना रहा है। ये प्रवृत्तियां सीमेंट उत्पादकों द्वारा कोई संघ बनाने की सुझाव नहीं देती हैं।

(ख) से (घ) यूरोपियन कंपनियों द्वारा अब तक केवल निम्नलिखित दो मामलों का अधिग्रहण करने की सूचना दी है।

विदेशी कंपनी	भारतीय कंपनी	क्षमता (मिलियन टन)	तारीख
लाफरर्जे	टिस्को	2.25	नवंबर, 1999
	रेमण्ड	2.20	जनवरी, 2001
इटालसीमेंटी	जुएरी (50-50)	2.20	अप्रैल, 2000
	श्री विष्णु	1.20	जनवरी, 2002

तथापि, सीमेंट उत्पादन में इनका हिस्सा नगण्य है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान उदार विश्व व्यापार तंत्र में अकेली बाजार शक्तियां ही सीमेंट की कंपनियों द्वारा अपनी इच्छा की कंपनियों में निवेश की मात्रा का निर्धारण करती हैं।

विवरण

क्षेत्र/केन्द्र	अप्रैल-01	मई-01	जून-01	जुलाई-01	अगस्त-01	सितम्बर-01	अक्तूबर-01	नवंबर-01	दिसंबर-01	जनवरी-02	फरवरी-02	मार्च-02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तरी क्षेत्र												
दिल्ली	147	140	131	139	139	143	139	139	138	131	130	122
करनाल	151	149	142	147	144	143	142	143	141	138	137	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चंडीगढ़	159	161	154	151	157	154	153	152	152	152	147	147
जयपुर	145	139	123	128	126	126	133	139	138	125	124	119
रोहतक	148	145	133	140	136	139	133	134	136	129	128	124
भटिंडा	159	160	152	144	154	151	151	150	150	150	143	143
लुधियाना	163	166	160	151	158	158	158	157	157	157	149	149
जम्मू	195	193	192	191	191	191	191	191	191	188	187	186
शिमला	168	168	164	166	167	167	167	167	167	161	164	166
पूर्वी क्षेत्र												
कलकत्ता	155	151	140	147	145	143	136	125	124	138	132	128
पटना	148	149	146	153	141	136	132	130	127	133	128	126
भुवनेश्वर	153	150	142	135	135	128	123	125	129	130	133	127
गुवाहटी	183	183	183	183	183	183	182	175	172	172	172	172
मुज्जफरपुर	150	151	148	154	144	141	138	137	131	134	134	130
पश्चिमी क्षेत्र												
मुम्बई	179	174	175	178	174	171	163	163	170	176	162	159
अहमदाबाद	153	154	154	155	155	145	138	142	141	140	137	134
नागपुर	152	148	142	145	144	130	137	128	129	142	131	124
पुणे	164	160	147	155	153	131	139	136	139	152	140	124
राजकोट	153	154	154	155	155	145	138	142	141	140	137	134
बड़ोदा	153	154	154	155	155	145	139	144	141	140	137	134
सूरत	153	154	154	155	155	145	139	144	141	140	137	134
दक्षिणी क्षेत्र												
चेन्नई	173	170	159	164	147	136	163	169	174	179	173	164
त्रिवेन्द्रम	185	186	183	185	162	158	175	180	184	184	184	174
बैंगलोर	166	164	162	165	159	140	140	157	164	170	165	148
हैदराबाद	143	144	151	155	140	120	136	147	149	149	138	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कालीकट	180	181	181	185	169	161	179	185	185	183	180	174
विशाखापटनम	151	149	156	160	144	130	144	143	149	154	146	139
गोवा	154	153	153	146	142	129	128	146	153	153	154	143
केन्द्रीय क्षेत्र												
लखनऊ	151	151	145	145	141	138	139	130	131	130	127	132
मेरठ	147	147	141	141	140	138	138	133	134	133	133	133
फैजाबाद	149	149	142	143	135	129	134	121	119	123	123	125
बरेली	147	147	141	142	137	133	134	128	130	128	129	126
भोपाल	149	141	136	137	134	127	117	119	123	124	124	122

क्षेत्र/केन्द्र	अप्रैल-02	मई-02	जून-02	जुलाई-02	अगस्त-02	सितम्बर-02	अक्तूबर-02
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तरी क्षेत्र							
दिल्ली	131	136	131	131	135	130	130
करनाल	137	140	137	137	141	135	136
चंडीगढ़	143	145	143	140	136	140	142
जयपुर	120	132	120	118	120	114	119
रोहतक	129	132	128	129	134	124	125
भटिंडा	142	141	142	137	136	133	139
लुधियाना	147	150	146	143	140	139	144
जम्मू	186	183	178	177	177	177	181
शिमला	165	162	158	156	153	152	153
पूर्वी क्षेत्र							
कलकत्ता	134	148	148	153	153	153	153
पटना	129	138	137	140	140	139	137
भुवनेश्वर	121	137	138	148	152	149	143
गुवाहटी	172	172	172	172	172	172	172
मुज्जफरपुर	131	137	138	143	143	141	139

1	2	3	4	5	6	7	8
पश्चिमी क्षेत्र							
मुम्बई	159	160	158	150	144	128	151
अहमदाबाद	136	138	141	137	137	129	127
नागपुर	122	123	123	119	113	107	106
पुणे	121	131	124	112	105	107	123
राजकोट	136	138	141	137	137	129	127
बड़ोदा	136	138	141	137	137	129	127
सूरत	136	138	141	137	137	129	127
दक्षिणी क्षेत्र							
चेन्नई	159	156	147	140	137	128	126
त्रिवेन्द्रम	164	162	156	146	141	133	131
बैंगलोर	131	133	134	136	139	135	138
हैदराबाद	115	111	105	104	105	105	120
कालीकट	164	162	156	146	141	136	136
विशाखापटनम	123	118	115	116	120	120	133
गोवा	130	133	134	133	130	137	128
केन्द्रीय क्षेत्र							
लखनऊ	130	129	134	143	143	133	128
मेरठ	132	137	133	138	138	131	132
फैजाबाद	123	126	134	141	139	128	125
बरेली	127	131	134	138	136	131	134
भोपाल	119	123	124	127	128	120	114

[अनुवाद]

कंपनियों द्वारा धनराशियों का विपणन

1757. श्री रामदास आठवले : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह कार्य बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी कार्य विभाग के निरीक्षण रिपोर्टों में विभिन्न कंपनी समूहों द्वारा लगभग 300 करोड़ रुपये के विपणन पर ध्यान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी कार्य विभाग ने इस तथ्य के बावजूद लगभग 300 करोड़ रु. वापस नहीं लाए गये हैं, इन कंपनियों पर जांच किए गए मामले को बंद करने के लिए 58000 रुपये का अर्थदंड लगाया हैच और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में 300 करोड़ रुपये अंतर्ग्रस्त होने के बावजूद मामूली अर्थदंड लगाने का औचित्य क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। क्योंकि विभाग ''निधियों के अपयोजन'' के कोई संचित आंकड़े नहीं रखता, अत: कोई ब्यौरा नहीं दिया जाना है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर विभाग का कम्प्यूटरीकरण

1758. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1994-95 में आयकर संबधी कार्यों का व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम शुरू किया था किन्तु यह कार्यक्रम अभी तक पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयकर प्राधिकारी 5 लाख रुपये से लेकर 18.28 करोड़ रुपये तक की राशि का कम उपयोग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच करवाने तथा संबद्ध व्यक्ति की जबावदेही और जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा नेटवर्किंग के कार्य तेजी लाने के अलावा संबद्ध व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कम्प्यूटरों तथा इनके साफ्टवेयरों की खरीद में क्या प्रणाली अपनाई गई है/अपनाये जाने का विचार है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। आयकर विभाग की व्यापक कम्प्यूटरीकरण योजना को वर्ष 1994-95 से एक चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रथम और द्वितीय चरण में जिसमें दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और 57 अन्य शहर शामिल हैं, को पूरा किया गया है। तीसरे चरण में शामिल किए जाने वाले 418 शहरों/कस्बों के शेष आयकर कार्यालयों के लिए मंत्रिमंडल की औपचारिक व्यय मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) जी, हां। यह सच है कि कोष का कम उपयोग हुआ है। लेकिन यह भुगतान जारी करने के लिए बिलों/समर्थनकारी दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने, कुछ टेंडरों के तकनीकी/वाणिज्यिक मूल्यांकन में विलम्ब जैसे विभिन्न अपरिहार्य कारकों के कारण से हुआ है।

(ग) जी, नहीं। उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हार्डवेयर, साफ्टवेयर नेटवर्किंग आदि की विभिन्न मदों की अधिप्राप्ति के संबंध में टेंडरों का तकनीकी मूल्यांकन तकनीकी उपसमिति द्वारा किया जाता है जो आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण के प्रौद्योगीकरण पहलुओं के संबंध में सहायता, मार्गदर्शन प्रदान करती है और मॉनिटर करती है। टेंडरों के वाणिज्यिक मूल्यांकन को तकनीकी मूल्यांकन एवं प्रापण समिति, जिसमें विभाग के अधिकारी, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं अन्तरिक्ष विभाग के वित्तीय सलाहकर (वित्त) एवं वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी शामिल हैं, द्वारा अन्तिम रूप दिया जाता है।

कर संबंधी राष्ट्रीय समिति

1759. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 ए.सी. के अन्तर्गत कर की कटौती और कर संबंधी राष्ट्रीय समिति गठित करने के लिए वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1991 में कोई प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति को गठित करने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय समिति के कार्यकरण की कोई समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) (1) कोई पात्र परियोजना अथवा स्कीम चलाने के प्रयोजनार्थ संघों और संस्थानों को अनुमोदित करना; और

(2) पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों के रूप में अधिसूचित किए जाने के लिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी सहित किसी कम्पनी, स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी अनुमोदित संघ अथवा संस्था की परियोजनाओं और स्कीमों की केन्द्र सरकार को सिफारिश करना।

(ग) सरकार द्वारा अभी तक कोई समीक्षा नहीं की हई है। इस संबंध मे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पहले ही सदन के पटल पर रख दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेशम पर आयात शुल्क

1760. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेशम पर आयात शुल्क को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 44.04 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है और 50 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए इच्छुक है;

(ख) इसने किस सीमा तक घरेलू रेशम उत्पादकों की सहायता की है;

(ग) देश में कुल रेशम उत्पादन कितना है इसमें से कर्नाटक का हिस्सा कितना है; और

(घ) कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में कौन-सी योजना तैयार की है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय को आयात शुल्क बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसे घरेलू बाजार में मूल्य स्थिरीकरण के लिए एक आवश्यक पूर्वापेक्षा के रूप में भी देखा जा सकता है। कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, कर्नाटक की राज्य सरकार द्वारा शहतूती रेशम के किसानों को मूल्य संबंधी प्रोत्साहन देने के लिए बाजार मध्यस्थता योजना का अनुमोदन किया गया है जिसमें केन्द्रीय अंशदान 50% हैं। इस योजना में किसानों को, मूल्य प्रोत्साहन के रूप में 10 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर से कोसों की, उनकी कीमतों के 110 रु./ कि.ग्रा. पंहुचने अथवा तीन महीनों की अवधि तक इसमें से जो भी पहले हो, प्रदान करने का प्रावधान है।

(ग) नीचे दी गई तालिका में कर्नाटक सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश में अपरिष्कृत रेशम का कुल उत्पादन निर्दिष्ट है :

वर्ष	रेशम का उत्पादन (एमटी) देश में					कर्नाटक में शहतूती	कर्नाटक का प्रतिशत अंशदान
	शहतूती	तसर	एरी	मूगा	कुल		
1999-2000	13944	211	974	85	15214	8121	58.2
2000-2001	14432	237	1089	99	15857	8200	56.8
2001-2002	15842	249	1160	100	17351	8728	55.1

(घ) कर्नाटक सरकार, रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सहयोग के राज्य में निम्नलिखित परियोजनाएं/ योजनाएं क्रियान्वित कर रही है :

(1) जेआईसीए के तकनीकी सहयोग से द्विफसलीय रेशम उत्पादन विस्तार योजना को सुदृढ़ बनाने की परियोजना।

(2) उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम।

नाबार्ड ऋण

1761. **श्री बसुदेव आचार्य**: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत और वितरित किए गए ऋणों का राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत धनराशि द्वारा नाबार्ड के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रयोजित प्रमुख कृषि परियोजनाओं का ब्यौरा दें और इन परियोजनाओं पर अभी तक कुल कितना खर्च किया जा चुका है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) कृषि एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है। वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान नाबार्ड द्वारा मंजूर एवं संवितरित ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्तमान में नाबार्ड भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की सब्सिडी वाली तीन ऋण योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। योजनाओं के नाम तथा उसके अन्तर्गत जारी राशि निम्नानुसार है:

(1) कोल स्टोरेजों के निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तार संबंधी पूंजी निवेश सब्सिडी योजना; जारी सब्सिडी की राशि 98.80 करोड़ रुपए;

(2) ग्रामीण गोदामों के निर्माण/जीर्णोद्धार/विस्तार संबंधी पूंजी निवेश सब्सिडी योजना-जारी सब्सिडी की राशि 18.84 करोड़ रुपए; तथा

(3) पूर्वी भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि (फार्म) जल प्रबंधन के संबंध में इस योजना को 2001-2002 के दौरान शुरू किया गया था और इस परियोजना में 433.33 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय की कल्पना की गई है

विवरण

वर्ष 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 के दौरान नाबार्ड द्वारा संस्वीकृत एवं संवितरित ऋणों का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		मंजूरी	संवितरण	मंजूरी	संवितरण	मंजूरी	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप	2.88	2.76	3.27	3.22	2.73	3.06
2.	आन्ध्र प्रदेश	2500.21	2135.37	2857.94	2363.13	2720.14	2463.39
3.	अरुणाचल प्रदेश	303.23	11.17	96.30	35.04	72.26	37.83
4.	असम	266.16	145.70	125.72	130.49	49.03	104.22
5.	बिहार	358.77	267.69	278.63	269.79	311.81	199.88
6.	चंडीगढ़	0.10	0.10	0.12	0.12	0.09	0.09
7.	छत्तीसगढ़					240.31	190.74
8.	दादरा और नागर हवेली	1.45	1.45	6.70	6.70	1.40	1.40
9.	गोवा	14.57	17.93	036.31	20.06	34.89	31.57
10.	गुजरात	916.35	630.82	1357.03	838.80	1257.90	874.25
11.	हरियाणा	1251.10	1182.92	1459.89	1356.71	1655.68	1477.33
12.	हिमाचल प्रदेश	192.90	135.72	228.89	198.63	309.18	246.62
13.	जम्मू-कश्मीर	146.19	87.48	197.28	108.22	258.96	189.56
14.	झारखंड					46.95	46.76
15.	कर्नाटक	1293.92	1249.15	1553.80	1354.40	1640.33	1313.75
16.	केरल	730.90	526.22	832.40	518.70	968.08	771.77
17.	लक्षद्वीप	0.24	0.22	0.90	0.90	0.90	0.90
18.	मध्य प्रदेश	1360.39	955.22	1414.96	1107.15	1463.66	1265.51
19.	महाराष्ट्र	1131.03	868.34	1419.02	1263.07	1607.05	1287.95

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	मणिपुर	2.02	8.16	10.20	1.87	1.55	7.90
21.	मेघालय	45.64	20.73	43.58	26.55	27.91	29.03
22.	मिजोरम	58.96	13.85	10.42	18.14	16.81	23.36
23.	नागालैंड	21.83	10.33	65.10	12.95	3.89	14.71
24.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	1.30	1.00	6.69	6.69	6.27	6.27
25.	उड़ीसा	825.30	776.25	835.65	798.45	1009.72	905.70
26.	पांडिचेरी	8.44	8.09	9.30	8.77	9.32	9.32
27.	पंजाब	1057.71	986.48	1323.20	1118.61	1297.52	1202.87
28.	राजस्थान	1040.38	913.25	1233.25	1069.32	1497.02	1167.81
29.	सिक्किम	11.82	14.00	7.40	10.79	8.83	15.96
30.	तमिलनाडु	1534.52	1206.58	1637.09	1356.17	1800.20	1464.08
31.	त्रिपुरा	79.79	29.47	68.60	35.65	15.99	19.64
32.	उत्तर प्रदेश	1848.79	1648.80	1948.77	1848.13	2089.19	2012.62
33.	उत्तरांचल					81.65	27.78
34.	पश्चिमी बंगाल	659.76	480.63	870.48	654.32	992.54	733.12
	कुल	17393.67	14345.87	19942.05	16534.75	21496.76	18139.59

कर मुक्त बांड

1762. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बचत को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में आयकर और संपति कर पर छूट से साथ ब्याज देने वाले बांड की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सरकार ने बिना किसी निवेश सीमा वाली "7 प्रतिशत बचत बांड, 2002" योजना 1 अक्तूबर, 2002 से व्यक्तियों तथा हिन्दू अविभाजित परिवारों, जिनमें अनिवासी भारतीय शामिल नहीं हैं, के लिए अभिदान हेतु आरंभ की है। बांडों की परिपक्वता अवधि 6 वर्ष है तथा इन पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय है। बांड संपत्ति कर से छूट प्राप्त हैं तथा उन पर उपार्जित ब्याज आयकर से मुक्त है। तथापि, ये बांड संबधितों को उपहार में दिए जाने से भिन्न किसी अन्य रूप में अंतरणीय नहीं हैं, इनका द्वितीयक बाज़ार में लेनदेन नहीं किया जा सकता तथा ये ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में भी पात्र नहीं हैं।

क्रेडिट कार्ड धारकों द्वारा बकाया का भुगतान न किया जाना

1763. श्री अमर राय प्रधान: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्डों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड धारकों को दी गई धनराशि में से क्रेडिट कार्ड धारकों द्वारा वापस न की गई धनराशि का बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंकों द्वारा इस बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण

1764. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार स्नातकों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों द्वारा ऋण दिया गया इसका राज्यवार और बैंक वार ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवाओं, जिनमें स्नातक शामिल हैं, को प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के तहत ऋण दे रहे हैं। पिछले तीन वर्ष अर्थात 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 (अनन्तिम) के दौरान पी एम आर वाई के तहत बैंकों द्वारा संवितरित ऋण के राज्य-वार एवं बैंक-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 (अनन्तिम) के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आई वाई) के तहत सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को संवितरित ऋणों के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	758	407.73	726	422.54	739	427.39
हिमाचल प्रदेश	391	252.90	339	187.10	562	340.10
जम्मू-कश्मीर	146	124.78	81	65.0	110	89.54
पंजाब	1287	746.11	1205	704.86	1320	749.25
राजस्थान	1907	922.20	2033	1012.84	2090	997.31
चण्डीगढ़	5	3.57	3	2.95	8	3.58
दिल्ली	89	57.05	94	54.64	92	69.63
असम.	1871	1396.98	579	409.28	379	267.88
मणिपुर	147	110.16	13	8.85	84	45.83
मेघालय	355	240.47	128	90.19	111	79.71
नागालैंड	69	6.74	18	14.43	31	36.81
त्रिपुरा	98	50.22	80	64.88	164	98.83

1	2	3	4	5	6	7
अरुणाचल प्रदेश	126	122.16	166	139.15	129	101.42
मिजोरम	64	50.88	26	13.70	17	13.40
सिक्किम	11	6.63	16	8.40	12	5.88
बिहार	1237	910.39	1557	1219.89	748	570.54
झारखंड	–	–	–	–	582	353.30
उड़ीसा	1321	910.09	1081	841.86	216	129.72
पश्चिमी बंगाल	611	421.01	441	291.31	348	275.78
अंडमान और निकोबार	26	20.74	27	21.29	19	14.20
मध्य प्रदेश	3370	2363.62	3749	2334.29	1482	855.95
छत्तीसगढ़	–	–	–	–	148	97.45
उत्तर प्रदेश	5663	3320.67	6416	4605.03	5455	3344.70
उत्तरांचल	–	–	–	–	487	243.19
गुजरात	1973	829.26	1468	693.18	1271	556.86
महाराष्ट्र	3758	1941.95	3044	1738.31	2439	1299.46
दमण और दीव	1	0.60	4	3.17	1	0.80
गोवा	11	7.15	12	7.33	10	5.82
दादरा और नागर हवेली	3	2.00	5	3.63	2	1.95
आंध्र प्रदेश	2665	1418.08	1582	948.03	1879	1127.65
कर्नाटक	2238	1380.12	2065	1321.56	1134	684.14
केरल	1283	661.87	1009	555.61	864	508.26
तमिलनाडु	2010	927.21	1541	690.34	1150	463.30
लक्षद्वीप	33	22.89	16	11.76	23	13.85
पाण्डिचेरी	49	15.79	32	12.60	20	8.21
जो विनिर्दिष्ट नहीं हैं	–	–	9	4.11	4	1.95
अखिल भारत	33576	19715.02	29565	18502.15	24130	13883.63

वर्ष 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 (अनन्तिम) के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को संवितरित ऋणों के बैंक-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाख में)

बैंक का नाम	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय स्टेट बैंक	10657	6481.00	8264	5430.00	6404	3792.00
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	675	322.17	766	388.28	702	339.99
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1149	715.42	1200	670.49	606	320.97
स्टेट बैंक आफ इंदौर	480	420.18	522	407.80	243	158.49
स्टेट बैंक आफ मैसूर	764	466.41	727	578.72	270	111.68
स्टेट बैंक आफ पटियाला	452	256.79	502	312.96	640	379.59
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	191	87.87	223	114.54	122	60.53
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	310	146.33	459	254.58	410	281.44
इलाहाबाद बैंक	893	594.08	1351	1055.88	889	585.02
आंध्रा बैंक	–	–	14	8.90	–	–
बैंक आफ बड़ौदा	2074	1163.34	2523	1650.16	1972	1071.87
बैंक आफ इंडिया	1922	1124.84	1693	982.64	1538	872.26
बैंक आफ महाराष्ट्र	846	488.29	451	249.53	566	296.59
केनरा बैंक	1427	716.67	1106	609.80	1296	722.81
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2334	1518.25	1416	953.18	1443	929.96
कार्पोरेशन बैंक	231	126.93	228	136.48	152	101.44
देना बैंक	397	187.48	426	244.66	153	74.48
इंडियन बैंक	692	336.73	657	280.80	498	223.07
इण्डियन ओवरसीज बैंक	988	479.81	109	57.75	–	–
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	375	190.35	320	191.79	337	194.02
पंजाब नैशनल बैंक	2497	1466.42	2656	1565.14	2492	1457.10
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	143	73.00	194	140.80	150	86.40
सिंडिकेट बैंक	799	418.23	817	416.46	740	376.31

1	2	3	4	5	6	7
यूनियन बैंक आफ इंडिया	1273	774.50	1079	698.24	907	518.29
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	317	205.50	145	98.4	338	226.10
यूको बैंक	730	434.14	818	514.49	569	347.10
विजया बैंक	418	255.14	405	241.27	254	149.01
आईसीआईसीआई बैंक लि.	–	–	12	9.00	16	3.26
बैंक आफ मदुरै लि.	27	21.00	–	–	–	–
बैंक आफ राजस्थान लि.	101	47.19	76	36.68	72	35.61
भारत ओवरसीज बैंक लि.	2	0.78	4	1.37	4	1.38
बनारस स्टेट बैंक लि.	–	–	–	–	–	–
कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	–	–	30	15.15	29	11.68
धनलक्ष्मी बैंक लि.	21	11.64	14	7.37	–	–
फैडरल बैंक लि.	88	48.83	99	59.31	80	36.62
जम्मू और कश्मीर बैंक लि.	–	–	–	–	–	–
कर्नाटक बैंक लि.	33	12.56	15	8.97	–	–
लक्ष्मी विकास बैंक लि.	17	5.21	8	1.31	5	1.55
नेदुनगाड़ी बैंक लि.	32	14.66	11	5.85	16	6.45
रत्नाकर बैंक लि.	–	–	1	0.80	2	1.68
सांगली बैंक लि.	–	–	16	7.68	4	1.94
साऊथ इंडियन बैंक लि.	47	19.52	51	20.72	56	23.05
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	8	2.98	8	2.32	11	4.08
युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	65	33.95	63	32.57	70	39.77
वैश्य बैंक लि.	80	39.88	48	20.21	60	31.72
बरेली कार्पोरेशन बैंक लि.	–	–	–	–	–	–
नैनीताल बैंक लि.	–	–	19	9.90	9	5.25
सिटी यूनियन बैंक लि.	–	–	–	–	–	–
लार्ड कृष्णा बैंक लि.	5	1.50	10	5.54	5	3.07
सभी बैंकों का कुल	33576	19715.00	29565	18502.15	24130	13883.63

पश्चिमी बंगाल को विदेशी सहायता

1765. श्री प्रबोध पण्डा : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने विदेशी सहायता हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए राज्य सरकार ने विदेशी सहायता मांगी है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रस्ताव और उनकी प्रास्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	दाता	प्रास्थिति
1.	पश्चिमी बंगाल स्वास्थ्य सेवा विकास उपाय	डीएफआईडी (यू.के.)	इस परियोजना पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे।
2.	फ्रांस द्वारा वित्तपोषित ''जल-वितरण प्रबंध में सुधार'' परियोजना में अतिरिक्त कार्य-क्षेत्र हेतु अतिरिक्त वित्त-पोषण	जर्मनी	राज्य सरकार ने एक अन्य दाता अर्थात जर्मनी के साथ मामला उठाया। राज्य सरकार से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के जरिए यह प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।
3.	जलापूर्ति एवं ठोस पदार्थ अपशिष्ट प्रबंध	इटली	इस परियोजना के लिए वित्तीय समझौते पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।
4.	परिवहन, पोषाहार और चिकित्सीय सहायता के लिए गर्भवती माताओं को वित्तीय सहायता देने की योजना	जर्मनी	राज्य सरकार से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय के जरिए यह प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।
5.	कोलकाता जलापूर्ति एवं मल-निपटान/ जल-निकासी	विश्व बैंक	इस परियोजना को विश्व बैंक ने स्वीकृत नहीं किया है।
6.	पश्चिमी बंगाल वानिकी परियोजना-II	विश्व बैंक	विश्व बैंक के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।
7.	माल्दा में उच्च स्तर की स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं में वृद्धि करना	ओपेक निधि और कुवैत निधि	यह परियोजना दाताओं को प्रस्तुत की गई है जिनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।
8.	सागरदीघी ताप विद्युत	जापान	विचाराधीन परियोजनाओं की प्राथमिकता पर निर्भर करते हुए दाता को यह परियोजना प्रस्तुत की जाएगी।

खातों की लेखा परीक्षा

1766. श्री रामजी मांझी : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री 9.8.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4001 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा 1995-96 से 1999-2000 की अवधि संबंधी एन.सी.सी.एफ. के लेखाओं की अधिरोपित लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातों और की गई कार्यवाही प्रतिवेदन/समीक्षा का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रतिवेदन के यथाशीघ्र प्रस्तुतीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) रिपोर्ट संबंधित मंत्रालय के परीक्षाधीन हैं।

गृह ऋणों के लिए दिशानिर्देश

1767. श्रीमती प्रभा राव : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ताकि गृह निर्माण ऋण स्वीकृत करने के संबंध में एक समान पद्धति अपनाई जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और भारतीय रिजर्व बैंक ने गृह निर्माण ऋण स्वीकृत करने हेतु सभी बैंकों द्वारा एक समान पद्धति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा आवास ऋण की मंजूरी के लिए कोई मार्गनिर्देश तैयार नहीं किया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं जिसमें आवास वित्त हेतु वार्षिक आबंटन सीमा निर्धारित की गई है। तदनुसार, प्रत्येक बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवास वित्त आबंटन के हिस्से का परिकलन पिछले वर्ष की तुलना में अपने वृद्धिशील जमाराशियों के 3 प्रतिशत पर करें। बैंकों द्वारा अपने संसाधन स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस स्तर को बढ़ाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। बैंकों की उधार दरें समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ब्याज दरों से संबंधित निदेशों से नियंत्रित होती हैं। विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार 2 लाख रु. तक के ऋणों पर ब्याज बैंक की प्राथमिक उधार दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा 2 लाख रु. से अधिक के लिए अपनी उधार दरें निर्धारित करने के लिए बैंकों को परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान किया गया है।

[हिन्दी]

वेतन भोगी वर्ग से आयकर वसूली

1768. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण देश में सभी राज्यों में कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि हुई है और उनमें से बहुत से कर्मचारी आयकर नेट के अन्तर्गत आ गए हैं और उन्हें कुछ धनराशि सरकार को आयकर के रूप में देनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के पश्चात् सरकार को राज्य-वार और वर्ष-वार प्राप्त धनराशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) ऐसी सूचना के रख-रखाव के लिए विभाग में कोई प्रणाली नहीं है। तथापि, वित्तीय वर्ष 1997-98 और इससे आगे के वर्षों के लिए आय कर (निगम कर के अलावा) के अन्तर्गत संग्रहण वृद्धि के वर्ष-वार आंकड़े निम्न प्रकार हैं:

वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
1997-98	17,101
1998-99	20,240
1999-2000	25,655
2000-2001	31,764
2001-2002	32,004

राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दर्शाये गए हैं।

विवरण

पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के पश्चात् आय कर (निगम कर के अलावा) का राज्य-वार और केन्द्र शासित प्रदेश-वार संग्रहण को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

राज्य	वित्तीय वर्ष				
	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	677.99	783.01	1051.52	1417.49	1638.86
अरुणाचल प्रदेश	4.08	3.32	7.08	5.01	2.84

1	2	3	4	5	6
असम	115.71	148.99	186.47	486.19	301.83
बिहार	319.3	330.04	424.37	583.91	336.87
छत्तीसगढ़	–	–	–	–	245.35
गोवा	84.77	89.65	106.11	137.78	141.31
गुजरात	1175.06	1336.87	1599.35	1944.88	1710.43
हरियाणा	242.07	297.39	339.43	466.14	587.11
हिमाचल प्रदेश	62.88	68.83	86.96	131.88	130.48
झारखण्ड	–	–	–	–	405.55
जम्मू-कश्मीर	36.17	44.36	54.69	108.96	119.53
कर्नाटक	1094.93	1229.78	1720.11	2304.77	2597.54
केरल	400.22	420.7	510.03	646.89	674.24
मध्य प्रदेश	396.2	476.02	536.64	758.2	713.44
महाराष्ट्र	5262.34	6077.27	8547.7	9657.2	9255.17
मणिपुर	5.68	5.63	4.64	13.21	10.74
मेघालय	12.47	12.67	17.03	21.74	41.21
मिजोरम	0.90	1.33	0.47	0.31	0.21
नागालैंड	4.24	6.27	7.52	3.48	4.40
नई दिल्ली	2454.34	3344.57	3328.98	4186.67	4031.11
उड़ीसा	137.18	155.59	173.81	246.01	343.03
पंजाब	435.05	562.57	600.13	708.75	732.22
राजस्थान	363.21	444.92	530.5	640.71	658.63
सिक्किम	0.50	0.09	0.29	1.00	2.75
तमिलनाडु	1377.87	1618.69	2003.55	2603.26	2750.36
त्रिपुरा	9.22	8.10	15.70	22.22	26.03
उत्तर प्रदेश	751.53	872.54	1177.72	1547.82	1376.27
उत्तरांचल	–	–	–	–	151.63
पश्चिमी बंगाल	892.98	1077.11	1397.83	1819.23	1818.3

1	2	3	4	5	6
संघ राज्य क्षेत्र					
अंडमान और निकोबार द्वीप	3.03	1.57	2.7	3.27	5.18
चंडीगढ़	119.78	89.06	172.82	205.03	214.1
दमण	0.10	0.01	0.78	2.02	0.00
दीव	0.08	0.05	0.6	0.16	0.00
दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	17.41	22.95	31.3	26.49	83.05
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
सिलवासा	0.09	0.01	0.39	0.32	0.01
सी.टी.डी.एस. (अनंतिम)	643.21	810.19	1017.68	1061.97	894.3
योग	17100.59	20240.15	25654.51	31763.99	32004.1

[अनुवाद]

पुनर्वास सेवा केन्द्र

1769. श्री पवन कुमार बंसल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ को पुनर्वास सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह केन्द्र वहां कार्य करने लग गया है;

(ग) यदि हां, तो इस केन्द्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह केन्द्र कब से कार्य करने लग जाएगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, रोपड़ जिला पंजाब में मेरूदंड क्षतियों से ग्रस्त व्यक्तियों तथा अन्य अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए एक क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र की स्थापना का अनुमोदन कर दिया गया है। इस केन्द्र ने गवर्नमेंट मेडिकल कालेज एण्ड होस्पीटल, सेक्टर-32, चंडीगढ़ में अस्थाई रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया है। यह केन्द्र इस समय स्पाईनल शल्य चिकित्सा, आकुपेशनल थिरेपी, व्यवसायिक परामर्श तथा नर्सिंग जैसे कार्यकलाप शुरू कर रहा है। इस केन्द्र के स्थाई भवन का निर्माण रोपड़ जिला, पंजाब में शुरू हो गया है।

टाटा दूरसंचार सेवाओं द्वारा निवेश

1770. श्रीमती कान्ति सिंह : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा टाटा दूर संचार सेवाओं में किए गए 1200 करोड़ रुपये के निवेश की जांच करने हेतु एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस समिति की रिपोर्ट मिल गई है और सरकार ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ङ) वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई समिति स्थापित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुखी एकक

1771. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को अपने राज्यों में निर्यातोन्मुखी एककों की स्थापना के लिए कोई वित्तीय अथवा अन्य प्रोत्साहन प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन प्रत्येक वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को प्रदान किए गए ऐसे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में स्थापित 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी/निर्यान्मुखी एककों की संख्या का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन एककों द्वारा निर्मित मदों का ब्यौरा क्या है;

(च) प्रत्येक राज्य में इस समय निर्यातोन्मुखी एककों की कुल संख्या क्या है; और

(छ) केन्द्र सरकार की देश में अधिकाधिक निर्यातोन्मुखी एककों की और स्थापना करने के लिए योजना क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उनके राज्यों में निर्यातोन्मुखी एककों (ईओयू) की स्थापना हेतु कोई वित्तीय या अन्य प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इन एककों की स्थापना भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निजी उद्यमियों/प्रवर्तकों द्वारा की जाती हैं।

(घ) से (छ) ईओयू देश के विभिन्न भागों में स्थित है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रचालनरत इओयू राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। अधिकांश ईओयू इन क्षेत्रों अर्थात् इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स और सॉफ्टवेयर, रसायन एवं प्लास्टिक, कृषि एवं वन, वस्त्र एवं यार्न, ग्रेनाइट तथा रत्न एवं आभूषण इत्यादि में विनिर्माता एकक हैं। एककों के वस्तु-क्षेत्रवार ब्यौरे भी संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। भारत सरकार और अधिक ईओयू की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए ईओयू योजना से संबंधित निर्यात-आयात नीति की समय-समय पर समीक्षा करती आ रही है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रचालनरत ईओयू का राज्य-वार वितरण

राज्य	1999-2000 एककों की संख्या	2000-2001 एककों की संख्या	2001-2002 एककों की संख्या
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	160	166	171
असम	–	–	–
बिहार	1	1	1
गुजरात	168	178	194
हरियाणा	53	58	59
हिमाचल प्रदेश	8	8	8
कर्नाटक	175	216	226
केरल	25	30	34
मध्य प्रदेश	64	73	78

1	2	3	4
महाराष्ट्र	184	192	201
उड़ीसा	6	7	7
पंजाब	40	43	42
राजस्थान	75	78	76
सिक्किम	1	1	1
तमिलनाडु	278	284	301
उत्तर प्रदेश	75	80	82
पश्चिमी बंगाल	43	48	52
अंदमान और निकोबार द्वीप	1	2	3
चंडीगढ़	–	–	–
दादरा और नागर हवेली दमण और दीव	11	15	16
दिल्ली	36	40	41
गोवा	14	18	17
पांडिचेरी	3	5	7
अन्य	17	13	4
कुल	1438	1556	1621

विवरण-II

प्रचालनरत ईओयू का उद्योग-वार ब्यौरा

क्र.सं.	क्षेत्र/उद्योग	दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार प्रचालनरत ईओयू	दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार प्रचालनरत ईओयू	दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार प्रचालनरत ईओयू
1	2	3	4	5
1.	इंजीनियरी उद्योग	135	150	154
2.	इलैक्ट्रानिक्स और साफ्टवेयर	125	151	158
3.	रसायन, प्लास्टिक और संबद्ध उद्योग	171	182	189
4.	चर्म तथा खेल सामान	28	31	32
5.	खाद्य कृषि एवं वन्य उत्पाद	271	286	301

1	2	3	4	5
6.	वस्त्र एवं परिधान तथा यार्न	433	464	489
7.	खनिज एवं अयस्क	23	24	25
8.	ग्रेनाइट	160	160	162
9.	रत्न एवं आभूषण	19	27	28
10.	विविध	73	81	83
	कुल	1438	1556	1621

[अनुवाद]

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार-सम्बन्ध

1772. **श्री सुल्तान सलाऊद्दीन ओवेसी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच निकट व्यापार-संबंध स्थापित करने की दृष्टि से ''एसोचैम'' ने ''शारजाह चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री'' के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच वर्तमान में व्यापार की स्थिति क्या है;

(घ) क्या ''एसोचैम'' ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाने से दोनों देशों के बीच व्यापार कहां तक बढ़ेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) एसोसिएटेड चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इंडिया (एसोचेम) और शारजाह चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) शारजाह के बीच व्यापारिक, औद्योगिकीय तथा औद्योगिक को सुदृढ़ करने के लिए सूचना की आदान-प्रदान, आर्थिक विकास विदेश व्यापार और निवेश नीतियों से संबंधित प्रकाशनों एवं सामग्री के आदान-प्रदान, व्यापार शिष्ट मंडलों को भेजने तथा उनके व्यावसायिक संपर्कों को सुकर बनाने के लिए पारस्परिक सहायता, अपने-अपने देशों में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनियों और व्यापार संवर्धन समारोह के बारे में सूचना के आदान-प्रदान, दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने, संयुक्त उद्यमों के विकास एवं निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए पारस्परिक सहायता इत्यादि का प्रावधान है।

(ग) डी.जी.सी.आई. एण्ड एस. के आंकड़ों के अनुसार चालू वर्ष में पहले चार महीनों के दौरान द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 1145.25 मिलि. अमरीकी डालर की तुलना में 1321.93 मिलि. अमरीकी डालर का हुआ।

(घ) और (ङ) एसोचेम विदेश व्यापार समिति ने यू.ए.ई. के साथ व्यापार के लिए थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी, तेल और गैस, मनोरंजन, पर्यटन, वित्तीय सेवाएं, बुनियादी सुविधा, खाद्य एवं खाद्य उत्पाद, जैव प्रौद्योगिकी, अपारम्परिक ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को अभिज्ञात किया है;

(च) एसोचेम और शारजाह चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री को आशा है कि उनके द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के जरिए अगले पांच वर्षों में भारत और यू.ए.ई. के बीच व्यापार में 50% तक की वृद्धि हो जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंक और उनका ऋण

1773. **श्री त्रिलोचन कानूनगो** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक प्रत्येक राज्य, विशेषकर उड़ीसा को प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पूर्णतया पालन कर रहे हैं;

(ख) क्या पिछड़े क्षेत्रों में कृषि तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोई प्रभावी निगरानी प्रणाली बनाई गई है;

(ग) क्या सरकार का बैंकों को इस आशय के अनुदेश देने का प्रस्ताव है कि पिछड़े क्षेत्रों में औसत बृहत लक्ष्यों को हासिल करने के अधिक प्रयास करने की अपेक्षा अपनी आर्थिक गतिविधियों को तेज करने पर अधिक ध्यान दें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत लक्ष्य/उप-लक्ष्य सम्पूर्ण बैंक पर लागू होते हैं। राज्य-वार और क्षेत्र-वार लक्ष्य नहीं है। तथापि, राज्य की ऋण संबंधी आवश्यकताएं अग्रणी बैंक योजना के तहत जिला स्तर पर बनाई गई वार्षिक ऋण योजना के जरिए पूरी की जाती हैं। मार्च, 2002 के सूचना देने के लिए नियत अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने एक समूह के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए शुद्ध बैंक ऋण (एन.बी.सी.) के 40 प्रतिशत का समग्र लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तथापि, 3 बैंकों ने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। जहां तक कृषि के लिए ऋण का संबंध है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने समग्र रूप से एन.बी.सी. का 15.81 प्रतिशत प्राप्त किया और 7 बैंकों ने 18 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया। कमजोर वर्गों को ऋण के संबंध में बैंकों ने एक समूह के रूप में 7.3 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया, जबकि 7 बैंकों ने एन.बी.सी. के 10 प्रतिशत का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की निगरानी मार्च एवं सितम्बर के सूचना देने के लिए नियत अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार छ:माही विवरणी की प्राप्ति के जरिए की जाती है और जो बैंक कृषि के संबंध में उप-लक्ष्य सहित लक्ष्य प्राप्त नहीं करते उन्हें सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों को ऋण प्रवाह बढ़ाएं। बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की निगरानी अग्रणी बैंक योजना के तहत विभिन्न मंचों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर की गई बैठकों में भी की जाती है।

(ग) और (घ) इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को कोई विशेष निर्देश नहीं दिए गये हैं।

[हिन्दी]

आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक को विश्व बैंक ऋण

1774. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को 49 करोड़ डालर का ऋण स्वीकृत किया है और यह ऋण आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक को उपलब्ध कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिये धन दिया जा रहा है और राज्यवार, प्रत्येक परियोजना को आवंटित की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार तथा विश्व बैंक ने 14/15 मार्च, 2002 को कुल 49 करोड़ डालर राशि के तीन ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ऋण हैं: द्वितीय कर्नाटक आर्थिक पुन:संरचना (10 करोड़ डालर); आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार (25 करोड़ डालर) तथा राजस्थान जल क्षेत्र पुन: संरचना परियोजना (14 करोड़ डालर)।

उत्तर प्रदेश और बिहार में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1775. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि सन् 2001 की जनगणना के मद्देनजर, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाभांशियों की संख्या बढ़ाई जाए;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/ क्या कदम उठाने का उसका विचार है;

(ग) क्या अन्य राज्यों से भी इसी आशय के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) केवल महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने 2001 की जनगणना के अनुसार लाभभोगियों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव भेजा था।

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाना

1776. श्री सुबोध मोहिते : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति की सूची में हल्बा कोशती को हल्बा और हल्बी के पर्याय के रूप में एक उपयुक्त संशोधन करके शामिल करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, हल्बा कोशतियों की हल्बाओं या हल्बियों, जो कि महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जनजाति की हैं, के साथ कोई जातीय समानता नहीं है।

हथकरघा कामगारों को सहायता

1777. श्री टी. गोविन्दन : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजसहायता प्रदान कर हथकरघा निर्माताओं और उद्योग की सहायता करने के लिये कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां।

(ख) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उत्पाद विकास, अवसंरचनात्मक सहायता, संस्थागत सहायता, बुनकरों को प्रशिक्षण, उपस्करों की आपूर्ति, विपणन सहायता आदि जैसी गतिविधियों की देख-भाल करने के लिए व्यापक एवं सूक्ष्म स्तर पर अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में बुनकरों के लिए कार्यशील पूँजी आधारभूत इनपुट, जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर ध्यान देने का प्रयास किया जाता है और इसके साथ ही उत्पादकता वृद्धि, प्रचार प्रावधान तथा विपणन प्रोत्साहन सहित उपयुक्त डिजाइन खोज करके गुणवत्ता वाले वस्त्रों के उत्पादन में सहायता देने का भी प्रयास किया जाता है। घटकवार पात्र सहायता अनुदान के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

वर्ष-वार जारी की गई राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	जारी राशि
1.	2000-2001	1695.84
2.	2001-2002	5935.06
3.	2002-2003 (आज तक)	2638.56
	कुल	10269.46

विवरण

घटक	केन्द्रीय अंश	राज्यांश	बुनकर अंशदान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए मार्जिन मनी	2000	1000	1000	–
करघा की खरीद	1000	1000	शून्य	–
डांबी की खरीद	750	750	शून्य	–
जैकार्ड	1000	1000	शून्य	–
उपस्कर	500	500	शून्य	–
प्रशिक्षण :				
1. बुनकर	1125	1125	शून्य	–
2. मास्टर बुनकर	3750	3750	शून्य	–

1	2	3	4	5
अवसंरचनात्मक सहायता :				
1. ऐसी प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां जिनका टर्न ओवर 25.00 लाख से अधिक है तथा ऐसे निगम/शीर्ष संगठन जिनका टर्न ओवर 5.00 करोड़ रुपये से अधिक है।	पूंजी लागत का 25%	–	शून्य	जल धारा शोधन संयंत्र, प्रसंस्करण हाऊस के लिए केन्द्रीय सहायता तभी प्रदान की जाती है जब पूंजी लागत का 75% बैंक से कर्ज के रूप में लिया जाता है।
2. ऐसी प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां जिनका टर्न ओवर 25.00 लाख से कम है और ऐसे निगम/शीर्ष संगठन जिनका टर्न ओवर 5.00 करोड़ रुपये से कम है।	1.5 लाख रुपये तक	1.50 लाख रुपये तक	शून्य	साधारण सुविधा केन्द्र की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदान की गई। रंगाई संबंधी उपस्करों की खरीद के लिए भी प्रत्येक को 0.50 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई।
डिजाइन इनपुट				
1. ऐसी प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां जिनका टर्न ओवर 25.00 लाख से अधिक है और ऐसे निगम/शीर्ष संगठन जिनका टर्न ओवर 5.00 करोड़ रुपये से अधिक है।	2.50 लाख रुपये	2.50 लाख रुपये	शून्य	कैड/कैम के प्रावधान हेतु। यह एक बार दी जाने वाली सहायता है।
2. ऐसी प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां जिनका टर्न ओवर 25.00 लाख से कम है और ऐसे निगम/शीर्ष संगठन जिनका टर्न ओवर 5.00 करोड़ रुपये से कम है।	0.50 लाख रुपये	0.50 लाख रुपये	शून्य	डिजाइन तैयार करने/विकसित करने हेतु राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान और बुनकर सेवा केन्द्रों की सहायता प्राप्त करने के लिए
प्रचार-प्रसार	2.50 लाख रुपये (अधिकतम)	2.50 लाख रुपये (अधिकतम)	शून्य	–
परिवहन सब्सिडी	वास्तविक का 90%	वास्तविक का 10%	–	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम तथा जम्मू व कश्मीर से तैयार माल को हथकरघा विकास आयुक्त द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य के बाहर अपनी दुकानों में ले जाने के लिए। यह सहायता केवल पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और जम्मू व कश्मीर के अंतर्गत आने वाली एजेंसियों को देय है।

1	2	3	4	5
हथकरघा संगठनों को मजबूत करना	लागत का 50%	लागत का 50%	–	संगठन द्वारा अपने क्रियाकलाप को सहज बना लेने, अपनी श्रमशक्ति को आनुपातिक कर लेने और बैंक द्वारा मान्य परियोजना प्रस्तुत करने के बाद ही पुनर्गठन हेतु सीड मनी के रूप में निधियां जारी की जाती हैं।
विपणन प्रोत्साहन				
1. राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय स्तरीय हथकरघा संगठन	क. वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान 4% ख. वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान 3% ग. वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान 2% घ. वर्ष 2006-2007 के दौरान 1%	क. वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान 4% ख. वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान 3% ग. वर्ष 2004-05 तथा 2005-08 के दौरान 2% घ. वर्ष 2006-07 के दौरान 1%	–	वित्तीय वर्ष, जिसके लिए अनुदान मांगा गया है, के पहले के पिछले तीन वर्षों की औसत बिक्री के आधार पर सहायता दी जाती है।
2. प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां	क. वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान 5% ख. वर्ष 2002-2003 तथा 2003-2004 के दौरान 4% ग. वर्ष 2004-2005 तथा 2005-2006 के दौरान 3% घ. वर्ष 2006-2007 के दौरान 2%	क. वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान 5% ख. वर्ष 2002-2003 तथा 2003-04 के दौरान 4% ग. वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान 3% घ. वर्ष 2006-07 के दौरान 2%	–	वित्तीय वर्ष, जिसके लिए अनुदान मांगा गया है, के पहले के पिछले तीन वर्षों की औसत बिक्री के आधार पर सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

एम.एम.टी.सी. में अनियमितताएं

1778. श्री सुबोध राय : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.एम.टी.सी. में आयात लाइसेंसों की अनुपयुक्त (संयुक्त उद्यम) बिक्री सहित दस विभिन्न मामलों में इक्कीस करोड़ रुपये से अधिक की अनियमितताएं बताई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 2002 की संख्या-3 (वाणिज्यिक) में यथा उल्लिखित एमएमटीसी में हुई अनियमितताओं के मामलों की सूची इस प्रकार है:

क्र.सं.	पैरा	पैरा का शीर्षक	संक्षिप्त विषय
1.	5.2.1.	संयुक्त उद्यम में कुल निवेश का घाटा	एमएमटीसी ने शक्तियों के प्रत्यायोजन का उल्लंघन करते हुए संयुक्त उद्यम में 4.75 करोड़ रु. का निवेश किया और निवेश की संपूर्ण कीमत गंवा दी।
2.	5.2.2.	विशेष आयात लाईसेंसों की बिक्री में हुए विलम्ब के कारण हुआ घाटा	कंपनी द्वारा विशेष आयात लाईसेंसों की बिक्री में विलम्ब और गलत निर्णय लेना जिसके परिणामस्वरूप 3.24 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।
3.	5.2.3	निजी पार्टी के लिए अनुचित पक्षपात से हुआ घाटा	बाद की तारीखों के चैक स्वीकार करने तथा निजी पार्टियों को असुरक्षित ऋण देने के परिमाणस्वरूप 2.47 करोड़ रुपये का परिहार्य घाटा हुआ और बैंक गारंटियों की स्वीकृति पूर्व सत्यापन न करने से कंपनी को 50.15 लाख रुपये का घटा हुआ।
4.	5.2.4.	कम दरों पर परिसर को पुन: किराये पर देने के कारण हुआ घाटा	सरकार के रजिस्टर्ड मूल्यांकक में इंगित दरों से कम दरों पर परिसर को पुन: किराए पर देने के परिणामस्वरूप 2.85 करोड़ रुपए की कम वसूली हुई।
5.	5.2.5	पार्टी के लाभार्थ समझौता ज्ञापन में संशोधन एवं उसे लागू करने में हुई खामियों के कारण हुए घाटे	कच्ची सामग्री के आयात और निर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए एक पार्टी के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन में संशोधन के साथ-साथ आयातित कच्ची सामग्री को अपने पास रखने में चूक तथा अपनी निर्यात प्राप्तियों की वसूली में नियंत्रण की कमी जिसके परिणामस्वरूप पार्टी से 2.72 करोड़ रुपये की देयताओं की वसूली नहीं हुई।
6.	5.2.6	अनुचित प्रक्रियाओं के कारण घाटा	कंपनी के एक अधिकारी द्वारा चिलियन कापर वायर बारों के आयात से संबंधित परक्राम्य दस्तावेजों को सौंपने के कारण 1.86 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।
7.	5.2.7	विदेशी दौरों पर अनियमित खर्च	लोक उद्यम विभाग के अनुदेशों के अनुसार विदेश यात्रा दावों को विनियमित करने में कंपनी की विफलता जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के दौरान अधिकारियों को 1.08 करोड़ रुपये का अनियमित भुगतान किया गया।
8.	5.2.8	निर्यात के लिए चाय की खरीद में हुआ घाटा	चाय के निर्यात के लिए एक आर्डर को स्वीकार करना और आयातक द्वारा साख-पत्र खोले जाने का सुनिश्चय किए बगैर उसे कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी देना तथा आयातक के कहने पर घरेलू बाजार में चाय के निपटान में विलम्ब जिसके परिणामस्वरूप 95 लाख रुपये का घाटा हुआ।
9.	5.2.9	एक निजी कंपनी को अनुचित लाभ	एक पत्तन से आयातित थर्मल कोयले की स्टीवी डोरिंग, हैंडलिंग, क्लियरिंग, फारवर्डिंग और ट्रांसपोर्टिंग के लिए एक एजेंट को बार्ज ढुलाई प्रभारों का भुगतान जिसके लिए खुले समुद्र से बजरों में ढुलाई की आवश्यकता नहीं थी और इसके परिणामस्वरूप एजेंट को 63.62 लाख रुपये का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।
10.	5.2.10	एक अप्रमाणित उत्पाद के आयात का वित्त पोषण करने में घाटा	बाजार की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाए बगैर और कंपनी के हित का संरक्षण किए बगैर एक ग्राहक की ओर से नए उत्पाद के आयात का अनुचित वित्त पोषण जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को 62.05 लाख रुपये का घाटा हुआ।

[अनुवाद]

चाय का आयात

1779. श्री एम.के. सुब्बा :
श्री अनंत नायक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कब से और किन-किन देशों से चाय का आयात किया जा रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान देश-वार कुल आयात की गयी चाय की मात्रा और उसका मूल्य क्या है;

(ग) क्या बर्मा, वियतनाम और इंडोनेशिया से चाय के आयात में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान इन देशों से आयात की गयी चाय की कुल मात्रा क्या है;

(ङ) क्या इस आयातित चाय को घरेलू चाय की तुलना में काफी कम मूल्य पर बेचा जा रहा है;

(च) क्या चाय के आयात में बढ़ोत्तरी के कारण घरेलू चाय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(छ) यदि हां, तो घरेलू चाय उद्योग के संरक्षण के लिये क्या कदम उठाए गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) अगस्त, 1998 से पहले चाय आयात हेतु एक प्रतिबंधित मद थी और इसकी अनुमति केवल आयात लाइसेंसों पर ही दी जाती थी। तथापि, शुल्क-छूट योजना के तहत आयात और पीओयू/ईपीजेड एककों द्वारा आयात की अनुमति शुल्क का भुगतान किए बिना तथा मूल्य-वर्धन के बाद पुन: निर्यात के अधीन रहते हुए दी जाती थी। अगस्त, 1998 से सार्क देशों से लाइसेंस के बिना शुल्क का भुगतान करने पर चाय के आयात की अनुमति भी दी जाती थी। दिनांक 1.4.2001 से मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के बाद किसी भी देश से चाय के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय के आयात के प्रमुख देश-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(मात्रा हजार किग्रा. में और मूल्य हजार रु. में)

देश	2001-2002		2000-2001		1999-2000	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
इंडोनेशिया	6219	302563	5772	343321	3247	180401
वियतनाम	6049	232579	3287	157996	619	28440
केन्या	1669	152060	1457	147554	1696	152423
श्रीलंका	984	77988	1861	173771	2953	178046
ईरान	222	6720	883	25778	592	21119
अन्य	878	55133	1966	106297	1256	59246
कुल	16021	827043	15226	954717	10363	619675

पिछले तीन वर्षों के दौरान वियतनाम और इंडोनेशिया से चाय के आयातों में वृद्धि प्रदर्शित हुई है। चालू वित्त-वर्ष (अप्रैल-सितम्बर, 2002) के दौरान वियतनाम से चाय का आयात लगभग 7.14 मिलियन किग्रा. का रहा है जबकि इंडोनेशिया से 2.68 मिलि. किग्रा. का आयात किया गया है। पिछले आठ वर्षों के दौरान बर्मा से चाय का कोई आयात नहीं हुआ है।

(ङ) से (छ) जी नहीं। भारत में चाय का आयात मुख्यत: मूल्यवर्द्धन के बाद पुन: निर्यात के प्रयोजनार्थ किया जाता है। आयातित चाय के 95% से अधिक का पुन: निर्यात किया जाता है। इसके अलावा चाय का कुल आयात चाय के घरेलू उत्पादन का केवल लगभग 2% बनता है। अत: चाय के आयात से घरेलू चाय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तथापि, घरेलू चाय

उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने चाय पर आयात शुल्क 70% से बढ़ाकर 100% कर दिया है।

[हिन्दी]

आदिवासी बोलियां

1780. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आदिवासी बोलियों को संरक्षण तथा प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र आदिवासी अनुसंधान संस्थान भी इस दिशा में कार्य कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (घ) जी, हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय, केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र आदिवासी अनुसंधान संस्थान सहित राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को जनजातीय संस्कृति के परिरक्षण के भाग के रूप में जनजातीय बोलियों के संरक्षण सहित विभिन्न अनुसंधान और मूल्यांकन की गतिविधियों के लिए निधियां उपलब्ध कराता है।

[अनुवाद]

बीमा कंपनियों द्वारा वापस ली गई योजनाएं

1781. श्री अम्बरीश :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा कंपनियों का अपनी कुछ योजनाओं को बन्द करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो बंद की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं के ब्यौरे के साथ-साथ पिछले एक वर्ष के दौरान बन्द की गई ऐसी योजनाओं का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन कंपनियों द्वारा बीमाकर्त्ताओं के लिये कोई विकल्प दिये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (च) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.), भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) तथा भारतीय साधारण बीमाकर्ता (सरकारी क्षेत्र) संघ (जिप्सा) से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जीवन बीमा कम्पनियां विद्यमान स्कीमों को बंद नहीं कर रही हैं बल्कि वे ऐसी स्कीमों के नए रूपों को ला रही हैं जो कभी-कभी बाजार की प्रचलित परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न नामों से होती हैं।

ये संशोधित रूप विशेष रूप से एकल प्रीमियम पालिसियों के मामले में होते हैं जिनमें पालिसीधारकों को गारंटीशुदा परिवर्धनों की अनुमति दी जाती है। निम्नलिखित सारणी में कम्पनी-वार स्थिति दिखायी गयी है:

बीमाकर्त्ता का नाम	एकल प्रीमियम पालिसियों के नाम जिनमें गारन्टीशुदा परिवर्धन शामिल हैं	विगत में किए गए संशोधन
1	2	3
भारतीय जीवन बीमा निगम	बीमा निवेश, 2002 (नवीनतम, सितम्बर, 2002)	(1) बीमा निवेश 2001 (जून, 2001) (2) नया बीमा निवेश (नवम्बर, 2001)
एसबीआई लाईफ इंश्योरेंस कम्पनी लि.	सुख जीवन प्रथा (नवीनतम संशोधन, सित., 2002)	सुख जीवन (सित., 2001)

1	2	3
आईसीआईसीआई-प्रू. लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	आईसीआईसीआई-प्रू. एश्योर इन्वेस्ट (नवीनतम संशोधन अक्तू., 2002)	इससे पहले अगस्त, 2002 में संशोधन हुआ था। अगस्त, 2001 (प्रथम प्रमोचन)
आईसीआईसीआई-प्रू. लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	आईसीआईसीआई-प्रू-रि-एश्योर (नवीनतम संशोधन अक्तू., 2002)	पहले अगस्त, 2002 में संशोधन हुआ था। अगस्त, 2001 (प्रथम प्रमोचन)
ओम कोटक लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	कोटक इंश्योरेंस बांड (नवीनतम संशोधन नवम्बर, 2002)	प्रथम प्रमोचन अगस्त, 2002 में

गारन्टीशुदा परिवर्धनों वाली एकल प्रीमियम पालिसियों के अतिरिक्त भारतीय जीवन बीमा निगम पुरानी पालिसियों के स्थान पर स्कीमों के निम्नलिखित नए रूप लाया:

स्कीम का नया रूप	स्वीकृति की तारीख	पूर्ववर्त्ती रूप
न्यू जीवन अक्षय-1	14.12.2001	जीवन अक्षय
न्यू जीवन धारा/जीवन सुरक्षा	11.1.2002	जीवन धारा और जीवन सुरक्षा
न्यू बीमा किरण	1.2.2002	बीमा किरण
न्यू जीवन श्री	4.2.2002	जीवन श्री
कोमल जीवन	7.11.2002	चिल्ड्रन डेफर्ड एश्योरेंस प्लान

जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वे अपनी वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अपनी स्कीमों के पोर्टफोलियो की पुनरीक्षा करते हैं। इनकी स्कीमों को भविष्य में वापस लिया जाना/संशोधन करना परिस्थितियों पर निर्भर करेगा जैसे कि बाजार में उपलब्ध दीर्घावधिक ब्याज दरें, खर्चों के बारे में अनुभव, ग्राहकों की बदलती हुई जरूरतें आदि। पिछले एक वर्ष में जीवन बीमा निगम ने 20 योजनाओं को वापस लिया है, यथा-बीमा निवेश, 2001, न्यू जीवन धारा; न्यू जीवन अक्षय; जीवन सुरक्षा; जीवन स्नेह; जीवन श्री; बीमा किरण; बीमा संदेश; जीवन संचय-12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष; मनीबैक चिल्ड्रन एश्योरेंस; न्यू बीमा निवेश; डेफर्ड एन्यूटी सर्टेन; इमीडियेट एन्यूटी सर्टेन; जीवन गृह दोगुनी सुरक्षा; जीवन गृह तिगुनी सुरक्षा; बंदोबस्ती बीमा सीमित अदायगी तथा बंदोबस्ती बीमा।

भारतीय साधारण बीमाकर्त्ता (सरकारी क्षेत्र) संघ (जिप्सा) ने सूचित किया है कि दीर्घावधिक जनता व्यक्तिगत दुर्घटना कवच (जेपीएसी) जो 1999 से पहले जारी किया गया था और जिसमें 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए व्यक्तियों को बीमित किया जाता था तथा प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपए से अधिक की राशि का बीमा किया जाता था, उन्हें निरस्त कर दिया गया था। यह निरसन ओरियन्टल इंश्योरेंस कं. लि. और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कं.लि. द्वारा किया गया था।

निवेश में कटौती, विद्यमान प्रीमियम को बनाए न रख पाना, प्रतिकूल दावा अनुपात आदि कारणों से कुछ योजनाओं को वापिस लेना पड़ा।

तथापि, वापस लिए जाने से पूर्व जारी की गयी जीवन बीमा पालिसियों के अन्तर्गत वचनबद्धताओं का पालिसी की स्थितियों के अनुसार बीमा कम्पनियों द्वारा सम्मान किया जाएगा। जे.पी.ए.सी. के मामले में वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान बीमितों को यथानुपात प्रीमियम लौटाया गया था।

साधारण बीमा कंपनी में पिछड़े वर्ग की रिक्तियां

1782. डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साधारण बीमा कंपनी की सहायक कंपनियों द्वारा "सहायक" संवर्ग की भर्ती में पिछड़े वर्ग के लिये सही अनुपात में आरक्षण का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो साधारण बीमा कंपनी में पिछड़े वर्ग की रिक्तियों को भरने के लिये क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) जब भी सामान्य भर्ती संबंधी कार्रवाई की जाती है तो ''सहायक'' संवर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) अनुपात को बनाए रखा जाता है। 1993 में ओबीसी आरक्षण जारी किए जाने के पश्चात् जीआईसी ने ''सहायक'' संवर्ग में 13 उम्मीदवारों की भर्ती की है जिनमें 3 उम्मीदवार ओबीसी वर्ग से हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों में सहायकों की कोई सामान्य नियुक्ति नहीं की गई है।

तम्बाकू की अनधिकृत खेती का विनियमन

1783. श्री कोलूर बसवनागौड : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के तम्बाकू-उत्पादकों ने राज्य में तम्बाकू की अनधिकृत खेती को विनियमित करने के मामले में केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने विगत वर्ष कर्नाटक में हुये आधिक्य उत्पादन पर 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया था;

(ङ) यदि हां, तो अन्य राज्यों में इस प्रकार के आधिक्यपूर्ण उत्पादन/अनधिकृत खेती पर जुर्माना न लगाये जाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने कर्नाटक में तम्बाकू की अनधिकृत खेती को विनियमित करने के संबंध में कदम उठाए हैं; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग), (च) और (छ) चालू वर्ष में उगाई गई अनधिकृत तम्बाकू के संबंध में प्राप्त हुए अभ्यावेदनों के प्रत्युतर में तम्बाकू बोर्ड ने फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू के अधिकृत फसल आकार को 42.08 मिलियन किग्रा. से बढ़ाकर 50 मिलि. किग्रा. कर दिया है।

(घ) सरकार ने वर्ष 2001 में कर्नाटक में अतिरिक्त उत्पादन पर निम्नलिखित जुर्माने लगाये हैं:

पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त तम्बाकू पर	–	2 रुपए प्रति किग्रा. + बिक्री मूल्य का 5%
अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अनधिकृत तम्बाकू पर	–	2 रुपए प्रति किग्रा. + बिक्री मूल्य का 15%

(ङ) अन्य राज्यों के संबंध में तम्बाकू बार्ड ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अनधिकृत फसल की बिक्री प्राप्ति के 25% को बरकरार रखा है। यह मामला अब उच्चतम न्यायालय के समक्ष है।

[हिन्दी]

नवी मुम्बई में विशेष आर्थिक क्षेत्र

1784. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के नवी मुम्बई क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की मंजूरी देने के विषय में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र को स्थापना के लिये कितने कृषकों से भूमि का अधिग्रहण किया गया है और प्रत्येक कृषक से कितने क्षेत्रफल भूमि अधिगृहीत की गई है;

(घ) विस्थापित कृषकों के पुनर्वास के लिये क्या योजना है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र नगर और उद्योग विकास निगम लि. (महाराष्ट्र सरकार का उपक्रम) के जरिए नवी मुम्बई, महाराष्ट्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना करने का प्रस्ताव किया था।

(ग) और (घ) एसईजेड के लिए विशेष रूप से कोई भूमि अधिगृहीत नहीं की गई है। नवी मुम्बई एसईजेड के लिए चिन्हित

की गई भूमि के एक भाग का अधिग्रहण ''न्यू बांबे'' टाउन परियोजना के लिए किया गया था।

(ङ) दिनांक 15.2.2002 को महाराष्ट्र सरकार को नवी मुम्बई में एसईजेड की स्थापना करने की अनुमति दी गई है।

ट्रैक्टरों का बीमा

1785. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि उद्देश्य से उपयोग किये जाने वाले ट्रैक्टरों का बीमा करने का कोई प्रावधान है;

(ख) क्या ट्रैक्टरों से जुड़ी ट्रालियों में बैठे यात्रियों के लिये बीमे की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में कोई योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो यह योजना कब तक बन जायेगी?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

निर्यात विकास दर

1786. श्रीमती रेणुका चौधरी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की वर्तमान गिरती निर्यात विकास दर को रोकने के लिये कोई उपाय करने का है और विकास दर को तीव्र करने के लिये कोई उत्तरोत्तर कदम उठाए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सं.रा. अमेरिका और जापान में व्याप्त मंदी की प्रवृत्तियों पर काबू पाने के लिये उत्पादों और बाजारों में विविधता लाने की परिकल्पना कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उक्त विविधीकरण को प्राप्त करने के लिये उपाय किये हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निर्यात योग्य कृषि उत्पादों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं/कदम उठाए जा रहे हैं ताकि निर्यात नीति की निरंतरता बनाए रखी जा सके और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विश्वसनीय आपूर्तिकर्त्ता की छवि बनाई जा सके।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-सितम्बर, 2002-2003) के दौरान पण्य वस्तुओं के निर्यात में वस्तुत: 13.49% की वृद्धि दर प्रदर्शित हुई है जो चालू वर्ष के लिए निर्धारित 12% के लक्ष्य से अधिक है।

तथापि, निर्यात संवर्धन सरकार का सतत प्रयास होने के कारण पिछले एक वर्ष के दौरान अनेक उपाय किए गए हैं। निर्यातों का सकारात्मक संवर्धन करने के लिए वर्ष 2002-2007 की एग्जिम नीति में भी अनेक उपाय शामिल किए गए हैं। निर्यात हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए राज्यों को सहायता योजना शुरू करने, बाजार पहुंच संबंधी उपाय को सुदृढ़ करने, विशेष आर्थिक जोनों के लिए अतिरिक्त सहायता एवं सुविधा जैसी नई पहलें शुरू की गई हैं।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार द्वारा उत्पादों एवं बाजारों के विविधीकरण हेतु सतत आधार पर उपाय किए जा रहे हैं जिनमें अन्य उपायों के साथ-साथ संयुक्त आयोगों/समितियों के जरिए सरकारी स्तर पर विचार विनिमय; विभिन्न विशिष्टीकृत मेलों तथा प्रदर्शनियों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी इत्यादि शामिल हैं। ''फोकस लैटिन अमरीकी देश'' (एल.ए.सी.) जिसे पूर्व में शुरू किया गया था, के अलावा सरकार द्वारा 2002 में ''फोकस अफ्रीका'' कार्यक्रम भी शुरू किया गया था ताकि उप-सहारा अफ्रीकी क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाया जा सके।

इसके अलावा, इस वर्ष मध्यावधि निर्यात कार्यनीति (एम.टी.ई.एस.) घोषित की गई थी जिसमें वर्ष 2006-07 तक विश्व निर्यातों में 1% का हिस्सा प्राप्त करने के लिए 220 फोकस उत्पादों और 25 फोकस बाजारों को अभिज्ञात किया गया है।

(ङ) निर्यात योग्य कृषि उत्पादों की उत्पादकता को बढ़ाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भरोसेमंद आपूर्तिकर्त्ता की छवि बनाने के लिए किए गए उपायों में अन्य के साथ-साथ ये शामिल हैं-कृषि निर्यात जोनों की स्थापना, लगभग सभी कृषि उत्पादों के मुक्त निर्यात की अनुमति देना, अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री हेतु छोटी एवं बड़ी पौधशालाएं लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना पैकेजिंग में सुधार करना, बाजार सूचना का प्रसार करना, उत्पादों की जांच हेतु प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए सहायता इत्यादि।

विज्ञापन पर कर

1787. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार से कई बार इस आशय का अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकारों को विज्ञापन पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त ऐसा कोई अनुरोध केन्द्र सरकार के पास लंबित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात के लिए कर लाभ-पैकेज

1788. श्री किरीट सोमैया : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात क्षेत्र में कच्छ के लिए घोषित कर लाभ पैकेज पर प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भूकंप के पश्चात् नये उद्योगों को आकर्षित करने के लिए ऐसे पैकेज की घोषणा की गई थी;

(ग) यदि हां, तो पैकेज का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिनकी उस क्षेत्र में इन एककों को स्थापित करने की योजना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दिनांक 31.7.2001 की अधिसूचना सं. 39/2001-के.उ.शु. द्वारा प्रदान की जाती है। यह छूट विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान स्थापित नई यूनिटों को कतिपय विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन उपलब्ध है। उक्त छूट वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है। तथापि, उक्त छूट कुछ विनिर्दिष्ट मदों के लिए लागू नहीं है। उक्त छूट में एक समिति की स्थापना का प्रावधान है जो निवेश के वास्तविक मूल्य और इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान स्थापित नई यूनिट एक यूनिट है।

(घ) उक्त समिति ने अब तक दो प्रमाण-पत्र जारी किए हैं। 11 यूनिटों के मामलों पर उक्त समिति द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

दवाओं पर बिक्री कर की एक समान दर

1789. श्री अधीर चौधरी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** दवाओं पर बिक्री कर की एकसमान दर के बारे में 3 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2049 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थोक दवाओं पर गुजरात ने केन्द्रीय बिक्री कर अन्य राज्यों के 4 प्रतिशत की तुलना में 2.2 प्रतिशत है; और

(ख) यदि हां, तो थोक दवाओं पर बिक्री कर के रूप में एक समान न्यूनतम दर के केन्द्र सरकार के निर्णय को लागू नहीं करने के मामले में केन्द्रीय सहायता और अनुदान रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) गुजरात राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ''सी'' फार्म के विरुद्ध थोक औषधियों की अन्तरराज्यीय बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर 2 प्रतिशत है।

(ख) 16 नवम्बर, 1999 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में औषधियों सहित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले सामान्य बिक्री कर की एक समान न्यूनतम दरों को कार्यान्वित करने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। केन्द्रीय सहायता और अनुदानों को रोकने का निर्णय केवल सामान्य बिक्री कर के संबंध में निर्णय कार्यान्वित न करने के अनुपालन के लिए था। चूंकि केन्द्रीय बिक्री कर एक समान न्यूनतम दरों की स्कीम का भाग नहीं है, इसलिए भारत सरकार द्वारा कोई कार्रवाई करना अपेक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

सोने का मूल्य

1790. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व वर्षों की तुलना में पिछले दो वर्षों के दौरान देश में सोने के मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सोने के मूल्यों में कमी लाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) सोने के मूल्य में परिवर्तन का विवरण निम्नानुसार है:

दिनांक	बम्बई प्रतिशत		लंदन प्रतिशत	
	रुपए/तोला	परिवर्तन	जीबीपी/औंस	परिवर्तन
30.9.1999	4150	–	264.7	–
30.9.2000	4535	+ 9.3	273.7	+ 3.4
30.9.2001	4750	+ 4.7	283.4	+ 3.5
30.9.2002	5325	+ 12.1	319.1	+ 12.6

(ख) और (ग) जैसाकि उपर्युक्त आंकड़ों में दर्शाया गया है, भारत में सोने का मूल्य मुख्य रूप से विश्व में सोने के मूल्यों द्वारा तथा भारतीय रुपये और ग्रेट ब्रिटेन पाउन्ड के विनिमय दर के बीच होने वाली घट-बढ़ द्वारा निर्धारित किया जाता है।

केले का निर्यात

1791. श्री वाई.जी. महाजन : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में केलों का निर्यात किया गया और उनका मूल्य क्या था;

(ख) क्या सरकार महाराष्ट्र के जलगांव जिले को केला निर्यात जोन बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु उक्त जिले के लिये क्या-क्या सुविधाएं दिये जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितनी धनराशि व्यय किये जाने की आवश्यकता है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केले का निर्यात निम्नानुसार रहा है:

वर्ष	मात्रा (किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1999-2000	6289744	12.81
2000-2001	8629426	18.00
2001-2002	8099617	15.84

(स्रोत: कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण)

(ख) से (घ) इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिस पर विचार करने के बाद उसे उचित संशोधन हेतु राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

प्याज के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाना

1792. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री उत्तमराव ढिकले :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्याज के निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने की भारी मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्याज के निर्यात पर से प्रतिबंध को पूरी तरह हटाने के लिये कोई कदम उठा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में प्याज निर्यात किये जाने का अनुमान है; और

(ङ) विशेषकर महाराष्ट्र में, चालू वर्ष में प्याज के निर्यात के संबंध में केन्द्र सरकार की क्या नीति है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) प्याज के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एग्जिम नीति के अनुसार, प्याज का निर्यात मात्रात्मक प्रतिबंधों के अधीन है और नैफेड तथा विभिन्न राज्य और सहकारी

एजेंसियों के जरिए सरणीकृत होता है। चालू वर्ष के लिए निर्यात की अधिकतम सीमा 7 लाख मी. टन निर्धारित की गई है।

गैर-सरकारी संगठनों को निधियां

1793. श्री जार्ज ईडन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 31 अक्तूबर, 2002 तक विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के लिए राज्यवार कुल कितनी राशि अनुमोदित और स्वीकृत की गयी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी): एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्तमान वित्त वर्ष 2002-03 (31 अक्तूबर, 2002 तक) के दौरान विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के लिए अनुमोदित और स्वीकृत कुल राशि

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-03 (31 अक्तूबर, 2002 तक) के दौरान मंजूर राशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2143.62
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.16
3.	असम	114.14
4.	बिहार	329.93
5.	छत्तीसगढ़	2[illegible].49
6.	गोवा	16.52
7.	गुजरात	408.57
8.	हरियाणा	205.45
9.	हिमाचल प्रदेश	26.17
10.	जम्मू और कश्मीर	11.95
11.	झारखंड	14.19
12.	कर्नाटक	810.30
13.	केरल	407.53
14.	मध्य प्रदेश	254.72
15.	महाराष्ट्र	970.17
16.	मणिपुर	228.73
17.	मेघालय	59.53
18.	मिजोरम	36.08
19.	नागालैंड	16.10
20.	उड़ीसा	861.11
21.	पंजाब	174.26
22.	राजस्थान	576.51
23.	सिक्किम	0.00
24.	तमिलनाडु	647.40
25.	त्रिपुरा	24.18
26.	उत्तर प्रदेश	1879.41
27.	उत्तरांचल	222.56
28.	पश्चिम बंगाल	734.97
29.	अंडमान और निकोबार	0.00
30.	चंडीगढ़	6.71
31.	दादरा और नागर हवेली	0.00
32.	दमन और दीव	2.00
33.	दिल्ली	726.91
34.	लक्षद्वीप	0.00
35.	पांडिचेरी	23.22

[हिन्दी]

सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात

1794. श्री तूफानी सरोज : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान दर्ज की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वस्त्रों के निर्यात के लिए पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ कोई समझौता किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी हां।

(ख) डीजीआईएंडएस के उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार चालू वर्ष अर्थात् अप्रैल-जुलाई, 2002 के दौरान सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात 1705.0 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के हुए जिसमें 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गन्ने की कीमत को युक्ति संगत बनाना

1795. **श्री प्रकाश वी. पाटील :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्ने की कीमत को युक्तिसंगत बनाने से संबंधित मामले को कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) को सौंपा गया है;

(ख) क्या सी.ए.सी.पी. ने व्यवहार्य मूल्य निर्धारण नीति तैयार करने के लिए सेमिनार आयोजित किया है; और

(ग) यदि हां, तो मामले की वर्तमान स्थिति से संबंधित ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गन्ना मूल्यण पर महाजन समिति की सिफारिशों को कृषि लागत और मूल्य आयोग को भेजा है और उनसे नई गन्ना-मूल्यण नीति की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया था। ''गन्ना मूल्य निर्धारण'' पर एक सेमिनार हुआ था, जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, चीनी उद्योग संघों, गन्ना उत्पादकों, चीनी तथा गन्ना से संबंधित अनुसंधान संस्थाओं और प्रमुख कृषि अर्थशास्त्रियों ने भाग लिया था।

बारहवां वित्त आयोग

1796. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बारहवें वित्त आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा कितनी सिफारिशें की गई हैं;

(घ) अब तक कितनी सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं; और

(ङ) शेष सिफारिशों को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 1 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना के माध्यम से आंध्र प्रदेश के गवर्नर डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में बारहवें वित्त आयोग का गठन किया है, जिसका संघटन निम्नांकित है:

1. श्री सोमपाल, सदस्य, योजना आयोग	– सदस्य (अंशकालिक)
2. श्री टी.आर. प्रसाद, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त), भूतपूर्व मंत्रिमंडल सचिव	– सदस्य
3. प्रो. डी.के. श्रीवास्तव, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	– सदस्य
4. श्री जी.सी. श्रीवास्तव, भारतीय प्रशासनिक सेवा	– सचिव

(ग) से (ङ) ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं दो शीर्षों के अंतर्गत आती हैं। अनुशंसाओं के प्रथम समूह संविधान के अनुच्छेद 270 तथा 275(आई) के अन्तर्गत अनिवार्य हैं। ये केंद्रीय करों के अंतरण, आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.) की योजनाओं के लिए अनुदान सहायता, आयोजना भिन्न राजस्व घाटा अनुदान (तथा राजकोषीय निष्पादन आधारित अनुदानों के लिए एक प्रोत्साहन निधि का गठन), स्थानीय निकायों तथा उन्नयन/विशेष समस्या

अनुदानों से संबंधित हैं। इन अनुशंसाओं की पूरी तरह क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्यारहवें वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) ने राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) के गठन की एक योजना की भी अनुशंसा की है, जिसका तदनन्तर गठन कर दिया गया है तथा योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार राज्यों को ऋण राहत दिए जाने संबंधी एक योजना क्रियान्वित की जा रही है। अन्य अनुवर्ती अनुशंसाए/टिप्पणियां अनुशंसात्मक प्रकृति की हैं तथा मुख्यतया राज्यों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं।

रेशम उद्योग के व्यावसायियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

1797. **डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के रेशम उद्योग व्यावसायियों के हितसाधन के प्रयास के रूप में, आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बंगलौर के साथ मिलकर न्यूनतम समर्थन मूल्य रखे जाने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल में कोया और कच्चे रेशम की कीमतें गिरी हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस अध्ययन का क्या निष्कर्ष रहा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) देश में कोये के मूल्य में भारी गिरावट के कारण, आंध्र प्रदेश के किसानों सहित रेशम उत्पादक किसानों को कोये की बिक्री से बहुत कम आय प्राप्त हो रही है। रेशम विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार ने रेशम विभाग द्वारा खरीदे गये कोयों की 10 रु. प्रति कि.ग्रा. प्रोत्साहन राशि प्रदान कर शहतूत किसानों से 3000 मी.ट. कोयों की अधिप्राप्ति हेतु 3.00 करोड़ रु. के परिव्यय (जो यह रेशम विभाग, आंध्र प्रदेश और केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा 50:50 के अनुपात में बांटे जाने का प्रस्ताव करता है) के साथ एक योजना तैयार की है।

(ग) जी हां। रीलिंग कोयों तथा कच्चे रेशम की कीमतें वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान गिरी हैं।

(घ) से (च) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा स्थिति के सूक्ष्म अध्ययन से यह सिद्ध हुआ है कि कोयों तथा कच्चे रेशम की घरेलू कीमतों में गिरावट आयातित कच्चे रेशम की गिरती हुई कीमतों का परिणाम है। अलग से कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

धान की खरीद

1798. **डा. चरणदास महंत : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2002-2003 खरीफ ऋतु के लिए धान की सरकारी खरीद 21 सितम्बर से करने की बजाए 1 अक्तूबर से करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो खरीद की तारीख में इस परिवर्तन के क्या कारण हैं; और

(ग) खरीद की तारीख में इस परिवर्तन से सरकार और किसानों को प्राप्त होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) वसूली प्रारंभ करने की तिथि राज्य सरकारों के परामर्श से नियत की जाती है। खरीफ विपणन मौसम 2002-2003 के लिए वसूली प्रारंभ करने की तिथि 1.10.2002 नियत की गई थी, जिसका आकलन बाजार में अनाज की आमद पर आधारित था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग का द्विविभाजन

1799. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग का द्विविभाजन कर एक पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) कब तक इसे स्थापित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय एक पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 को संशोधित करने हेतु संसद में संशोधन विधेयक लाने की प्रक्रिया चला रहा है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु सहायता

1800. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए योजनावार और राज्यवार केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान हेतु कोई विशेष कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार उक्त कार्यक्रमों/योजनाओं के कितने लाभभोगी हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए राज्यवार, योजनावार प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

25.11.2002 की स्थिति के अनुसार 2002-03 के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों को निर्मुक्त राशि

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना/ राज्य	विशेष केन्द्रीय सहायता	अनुसूचित जाति के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना	अनुसूचित जाति विकास निगम को सहायता	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना	मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति की योजना	प्रतिभा उन्नयन की योजना	लड़कियों के लिए होस्टल निर्माण की योजना
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	1458.88	236.98	496.50	2585.15	7.19	शून्य	शून्य
2.	असम	284.32	25.35	शून्य	221.32	8.11	शून्य	शून्य
3.	बिहार	0	90.46	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	गुजरात	392.04	39.46	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	23.05
5.	हिमाचल प्रदेश	173.54	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	हरियाणा	405.69	15.92	शून्य	शून्य	शून्य	7.65	शून्य
7.	जम्मू और कश्मीर	85.9	शून्य	शून्य	19.99	शून्य	शून्य	शून्य
8.	कर्नाटक	970.16	167.27	160.50	984.47	11.45	शून्य	8.53
9.	केरल	0	1.15	437.70	शून्य	शून्य	3.00	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	मध्य प्रदेश	1046.95	95.13	शून्य	272.33	36.89	14.70	शून्य
11.	महाराष्ट्र	0	96.16	शून्य	1478.77	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मणिपुर	0	29.33	शून्य	71.28	शून्य	शून्य	शून्य
13.	उड़ीसा	736.90	176.16	शून्य	शून्य	2.07	शून्य	शून्य
14.	राजस्थान	1057.46	123.88	शून्य	231.55	38.83	शून्य	शून्य
15.	सिक्किम	3.76	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	तमिलनाडु	1400.57	17.65	400.00	शून्य	51.49	शून्य	61.5
17.	त्रिपुरा	74.8	7.12	शून्य	85.06	2.30	शून्य	शून्य
18.	उत्तर प्रदेश	3973.64	202.07	314.60	1469.46	शून्य	36.25	शून्य
19.	प. बंगाल	2127.8	105.42	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	40.06
20.	झारखंड	0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	पंजाब	0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	छत्तीसगढ़	300.67	5.29	503.70	106.83	21.80	शून्य	शून्य
23.	चंडीगढ़	0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	35.42
24.	उत्तरांचल	0	12.27	61.40	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25.	अंडमान और निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26.	दमण और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	8.00	शून्य	शून्य	शून्य
27.	दिल्ली	0	114.43	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	6.89	शून्य	शून्य	शून्य
30.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	दादरा और नागर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	गोवा	0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34.	पांडिचेरी	5.81	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क्र.सं.	योजना/ राज्य/	लड़कों के लिए होस्टल निर्माण की योजना	पुस्तक बैंक योजना	कोचिंग और संबद्ध योजना	अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना	पीसीआर और अत्याचार
1	2	10	11	12	13	14	15
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2737.76	328.14
2.	असम	शून्य	0.78	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	65.00
4.	गुजरात	शून्य	शून्य	5.45	शून्य	शून्य	208.14
5.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	239.96	शून्य
6.	हरियाणा	4.50	8.47	24.68	शून्य	शून्य	17.28
7.	जम्मू और कश्मीर	24.97	5.99	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	कर्नाटक	114.32	115.63	शून्य	शून्य	शून्य	487.05
9.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	मध्य प्रदेश	शून्य	24.99	शून्य	शून्य	शून्य	435.98
11.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	59.72
12.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.81
14.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1.90
16.	तमिलनाडु	89.49	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	327.31
17.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	उत्तर प्रदेश	शून्य	11.42	शून्य	शून्य	शून्य	886.64
19.	प. बंगाल	शून्य	3.21	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	105.97
21.	पंजाब	शून्य	14.51	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	88.27
23.	चंडीगढ़	50.18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	10	11	12	13	14	15
24.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	22.42
25.	अंडमान और निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26.	दमण और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	दिल्ली	शून्य	शून्य	3.70	शून्य	शून्य	शून्य
28.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	दादरा और नागर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	26.32
33.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	29.23
35.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2002-03 के दौरान राज्य सरकारों को निर्मुक्त निधियां
(5.11.2002 की स्थिति के अनुसार)

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/योजनाएं	आदिवासी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान	लड़कियों के लिए होस्टल	लड़कों के लिए होस्टल	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	आश्रम स्कूल	अनुसंधान और प्रशिक्षण (टीआरआई)	राज्य टीडीसीसी को सहायतानुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	910.93	–	–	–	–	–	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	1019.66	–	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	185.52	–	–	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	1542.06	–	–	–	–	–	–	–
6.	गुजरात	1310.30	–	–	–	–	–	–	–
7.	हिमाचल प्रदेश	514.82	–	–	–	–	–	–	–
8.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	झारखंड	1956.75	–	–	–	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	257.11	–	–	–	–	–	–	–
11.	केरल	91.23	–	–	–	–	–	–	–
12.	मध्य प्रदेश	2611.07	–	–	–	–	–	–	–
13.	महाराष्ट्र	1241.28	–	–	–	–	–	–	–
14.	मणिपुर	253.99	–	–	–	–	–	–	–
15.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	2165.10	–	–	–	–	–	–	4.00
19.	राजस्थान	1216.52	–	–	–	–	–	–	–
20.	सिक्किम	36.01	–	–	–	–	–	–	–
21.	तमिलनाडु	107.77	–	–	–	–	–	–	–
22.	त्रिपुरा	347.01	–	–	–	–	–	–	–
23.	उत्तरांचल	74.33	–	–	–	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	10.70	–	–	–	–	–	–	–
25.	प. बंगाल	1956.75	–	–	5.00	–	–	–	–
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	66.95	–	–	–	–	–	–	–
27.	दमण और दीव	33.05	–	–	–	–	–	–	–
28.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	17908.91	–	–	5.00	–	–	–	4.00

क्र.सं.	राज्य/योजनाएं	ग्रामीण अन्न बैंक	आदिम जनजाति समूहों का विकास	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	पुस्तक बैंक	जनजातियों के दौरे का आदान-प्रदान	कोचिंग और सम्बद्ध	योग्यता का उन्नयन	कुल
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	910.93
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	0.00
3.	असम	–	–	–	–	–	–	–	1019.66

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–	–	185.52
5.	छत्तीसगढ़	–	–	32.07	8.21	–	–	–	1582.34
6.	गुजरात	–	–	–	10.25	–	–	–	1320.55
7.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	514.82
8.	जम्मू-कश्मीर	–	–	6.50	–	–	–	–	6.50
9.	झारखंड	–	–	–	..	–	–	–	1956.75
10.	कर्नाटक	–	1.74	75.38	20.00	–	–	–	354.23
11.	केरल	–	–	–	–	–	–	–	91.23
12.	मध्य प्रदेश	–	–	–	16.49	–	–	–	2627.56
13.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	–	1241.28
14.	मणिपुर	–	–	820.11	–	–	–	–	1074.10
15.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	0.00
16.	मिजोरम	–	–	310.62	–	–	–	–	310.62
17.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	0.00
18.	उड़ीसा	–	–	–	–	–	–	–	2169.10
19.	राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–	1216.52
20.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	0.75	36.76
21.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	–	107.77
22.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	347.01
23.	उत्तरांचल	–	–	–	–	–	–	–	74.33
24.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	0.63	–	11.33
25.	प. बंगाल	–	–	–	2.85	–	–	–	1964.60
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	–	–	1.59	–	2.79	–	–	71.33
27.	दमण और दीव	–	–	1.05	–	–	–	–	34.10
28.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	–	1.74	1247.32	57.80	2.79	0.63	0.75	19228.94

[अनुवाद]

रूस में कामर्शियल बैंक आफ इंडिया

1801. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक ने रूस में कामर्शियल बैंक आफ इंडिया खोलने के लिए एक संयुक्त उद्यम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संयुक्त उद्यम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस नए बैंक द्वारा कब तक अपना कार्य आरम्भ करने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक को रूस में संयुक्त उद्यम अनुषंगी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है क्योंकि रूस का कानून रूस में निगमित स्थानीय रूप से पंजीकृत अनुषंगी/संयुक्त उद्यम के माध्यम से ही विदेशी बैंकों की मौजूदगी की अनुमति प्रदान करता है। संयुक्त उद्यम का मुख्य उद्देश्य रूस में भारतीय बैंकों की मौजूदगी को बनाए रखना है।

(ग) रूसी परिसंघ के केन्द्रीय बैंक से प्रथम चरण का अनुमोदन संबंधित बैंकों को प्राप्त हो चुका है और द्वितीय चरण के लिए आवेदन प्रक्रियाधीन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 मार्च, 2003 तक रूस में उपर्युक्त संयुक्त उद्यम बैंक स्थापित करने की अनुमति की वैधता अवधि बढ़ा दी है।

[हिन्दी]

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण

1802. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री कैलाश मेघवाल :
श्री पद्मसेन चौधरी :
डा. अशोक पटेल :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेषकर राजस्थान में लघु उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करने संबंधी कितने आवेदन सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से राज्यवार कितने ऋण आवेदनों का निपटान किया गया और कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया गया;

(ग) राज्यवार कितने आवेदन विचाराधीन/लम्बित हैं और ऐसे आवेदनों का निपटान कब तक किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) बैंकों को लघु उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अतिरिक्त भूमि की बिक्री

1803. श्री दिलीप संघाणी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने विभिन्न राज्यों में अपनी अतिरिक्त भूमि को बेच देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो पहचान की गई अतिरिक्त भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसकी बिक्री हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) अतिरिक्त भूमि की बिक्री से राज्य-वार कुल कितनी राशि प्राप्त होने की आशा है; और

(घ) उसका उपयोग किस उद्देश्य हेतु किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल): (क) जी हां। बी.आई.एफ.आर. ने एन.टी.सी. के रुग्ण सहायक निगमों के लिए पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें बेशी परिसंपत्ति की बिक्री के माध्यम से इन योजनाओं के लिए निधियां एकत्र की जाएंगी।

(ख) और (ग) बेशी भूमि तथा इनकी बिक्री से प्राप्त होने वाली अपेक्षित राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। परिसम्पतियों का मूल्यांकन स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है तथा बी.आई.एफ.आर. के निर्देशाधीन गठित सम्पत्ति विक्रय समितियों के माध्यम से बिक्री की जा रही है।

(घ) इस राशि का उपयोग वी.आर.एस., सांविधिक देयताओं, आधुनिकीकरण आदि पर होने वाले व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

विवरण

बेशी भूमि के क्षेत्र तथा मूल्य का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	बेशी भूमि	
		क्षेत्रफल एकड़ में	मूल्य करोड़ रु. में
1.	दिल्ली	8.98	82.54
2.	पंजाब	63.56	29.65
3.	राजस्थान	61.05	65.86
4.	उत्तर प्रदेश	247.90	309.03
5.	मध्य प्रदेश	343.84	190.24
6.	छत्तीसगढ़	52.10	12.71
7.	गुजरात	188.10	183.27
8.	आंध्र प्रदेश	344.87	93.43
9.	कर्नाटक	361.91	214.58
10.	केरल	38.17	6.04
11.	तमिलनाडु	119.64	210.61
12.	पांडिचेरी	40.00	48.79
13.	महाराष्ट्र	430.33	1778.58
14.	पश्चिमी बंगाल	209.30	157.37
15.	असम	50.00	0.60
16.	बिहार	54.97	6.02
17.	उड़ीसा	62.17	0.87
	कुल	2676.89	3390.19

[हिन्दी]

राज्यों को निधियां

1804. श्री थावरचन्द गेहलोत :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री के.पी. सिंह देव :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा किन उद्देश्यों हेतु निधियों का आबंटन किया गया;

(ख) इन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय निधि की कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या केन्द्र सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि किसी राज्य में निधि का कम उपयोग हुआ है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को निधियां गैर-योजना अनुदानों, राज्य योजनाओं के वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय योजना सहायता तथा विविध केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से आबंटित की जाती है।

(ख) से (ङ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत तैयार की गई राज्य लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के जरिए निधियों के उपयुक्त उपयोग हेतु राज्य सरकारें अपनी राज्य विधान सभाओं के प्रति जवाबदेह हैं। तथापि, यदि अनुमोदित/संशोधित योजना परिव्यय की तुलना में योजना व्यय में कोई कमी आती है तो राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता में समानुपात रूप से कटौती की जाती है।

धागे का उत्पादन

1805. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़े पैमाने पर धागे का उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के दौरान देश में कुल धागा उत्पादन क्षमता कितनी थी;

(ग) क्या सरकार ने धागे के कुल उत्पादन में हैंक यार्न (लच्छा धागा) की प्रमात्रा भी निश्चित की है;

(घ) यदि हां, तो निश्चित प्रमात्रा कितनी है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान हैंक यार्न (लच्छा धागा) की वार्षिक औसत उत्पादन की मात्रा क्या थी; और

(ङ) देश में हैंक यार्न (लच्छा धागा) की कुल घरेलू आवश्यकता के मुकाबले उसके उत्पादन की मात्रा किस हद तक कम है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) जी हां। देश में बड़े पैमाने पर स्पन यार्न का उत्पादन होता है और वर्ष 2001-2002 में 3101 मिलियन किलोग्राम यार्न का उत्पादन हुआ था। इस अवधि के दौरान, यार्न उत्पादन क्षमता इस प्रकार थी:

तकुए	–	38.33 मिलियन
घूर्णक	–	480000

(ग) हैंक यार्न पैकिंग अधिसूचना में निर्धारित किया गया है कि यार्न का वह प्रत्येक उत्पादक जो सार्वजनिक खपत के लिए यार्न पैक करते हैं, वे अप्रैल/जून, 2000 से आरंभ होने वाली प्रत्येक तिमाही अवधि में तथा उसके पश्चात की प्रत्येक तिमाही अवधि के दौरान सार्वजनिक खपत के लिए यार्न को हैंक के रूप में पैक करेंगे, जो अनुपात में उसके द्वारा पैक किए गए कुल यार्न के 50% से कम न हो।

हैंक यार्न दायित्व के प्रयोजन के लिए यार्न का तात्पर्य है स्पन यार्न में सूत की मात्रा 90% से और/अथवा विसकोस फाईबर की मात्रा उनके सम्मिश्रणों और/अथवा उनके अपशिष्ट सहित, 90%, से कम न हो, परन्तु इनमें निम्नलिखित शामिल न हों:

(1) हौजरी यार्न

(2) सिलाई का धागा

(3) औद्योगिक यार्न

(4) मिश्रित यार्न

(5) सैल्यूलोसिक/गैर-सैल्यूलोसिक फिलामेंट यार्न

(6) शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख द्वारा उत्पादित यार्न।

(घ) और (ङ) इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान मात्रा के साथ-साथ हैंक यार्न के वार्षिक औसत उत्पादन की मात्रा निम्नानुसार परिभाषित की गई हैं:

वर्ष	पैक किए गए यार्न की कुल दायित्व किस्म	हैंक यार्न दायित्व (कालम संख्या 3 का 50%)	हैंक यार्न दायित्व की पूर्ति (वास्तविक पैंकिंग के आधार पर)	पूर्ति का प्रतिशत
1999-2000	1054.91	527.46	533.51	101.15%
2000-2001	1091.12	545.56	559.78	102.61%
2001-2002	1068.78	534.39	577.57	108.08%

कालम संख्या (5) से यह पता चलता है कि हैंक यार्न की मात्रा, कुल निर्धारित दायित्व तथा देश में हैंक यार्न की आवश्यकता से अधिक है।

बैंकों की विदेश स्थित शाखाएं

1806. **कुंवर अखिलेश सिंह :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्रीमती जस कौर मीणा :
श्री तूफानी सरोज :
श्री बृजलाल खाबरी :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय स्टेट बैंक और बैंकवार अन्य भारतीय बैंकों ने किन-किन देशों में अपनी-अपनी शाखाएं खोली हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों द्वारा देशवार कितने डालर मूल्य का व्यवसाय किया गया;

(ग) इन बैंकों, विशेषकर भारतीय स्टेट बैंक ने निकट भविष्य में किन-किन देशों में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति मांगी है;

(घ) क्या विदेश स्थित भारतीय बैंकों के व्यवसाय में लगातार गिरावट का रुख रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से निवारक उपाय किए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) विदेश स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं के देश-वार और बैंकवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भारतीय बैंकों ने निम्नलिखित देशों में शाखाएं खोलने की अनुमति मांगी हैं:

बांग्लादेश, आस्ट्रेलिया, रूस, कतर, जर्सी चैनल द्वीपसमूह, चीन, केन्या, तंजानिया, मलेशिया, युनाइटेड किंगडम, कनाडा, सिंगापुर, दुबई।

भारतीय स्टेट बैंक ने आस्ट्रेलिया, चीन, बांग्लादेश में शाखाएं खोलने और रूस में केनरा बैंक के साथ संयुक्त उद्यम बैंक खोलने की अनुमति मांगी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

विदेशी केन्द्रों में भारतीय बैंकों की देश-वार शाखाएं

देश का नाम	राष्ट्रीयकृत बैंक							गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक		कुल
	एसबीआई	बीओआई	बीओबी	इंड बैंक	आईओबी	यूको	केनरा बैंक	सिंडिकेट बैंक	भारत ओवर-सीज बैंक,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
श्रीलंका	2	–	–	2	2	–	–	–	–	6
युनाइटेड किंगडोम	3	6	7	–	–	–	1	1	–	18
संयुक्त राज्य अमेरिका	4	2	1	–	–	–	–	–	–	7
जापान	2	2	–	–	–	–	–	–	–	4
मालदीव द्वीपसमूह	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
पश्चिमी जर्मनी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
बांग्लादेश	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
बहामास द्वीपसमूह (नसाऊ)	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2
बहरीन	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
बेल्जियम	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2
सिंगापुर	1	1	–	1	1	2	–	–	–	6
हांग कांग	1	2	–	–	2	2	–	–	–	7
केमन द्वीपसमूह	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
फ्रांस	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
चैनल द्वीपसमूह	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
फिजी द्वीपसमूह	–	–	9	–	–	–	–	–	–	9
केन्या	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2
मारिशस	–	–	8	–	–	–	–	–	–	8
संयुक्त अरब अमीरात	–	–	6	–	–	–	–	–	–	6
सेशेल्स	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
दक्षिण अफ्रीका	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2
दक्षिण कोरिया	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
सल्तनत आफ ओमान	–	–	3	–	–	–	–	–	–	3
थाईलैंड	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
कुल	21	18	38	3	6	4	1	1	1	93

अफगान युद्ध के कारण हानि

1807. श्री भालचन्द्र यादव : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें अफगान युद्ध के कारण भारत को वित्तीय हानि उठानी पड़ी और उसके क्या कारण थे; और

(ख) सरकार द्वारा इस वित्तीय हानि को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अपराधी जनजातियों के लिए आयोग

1808. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची से पूर्व अपराधी जनजातियों व अन्य को शामिल करने के उद्देश्य से उनके दावों की जांच हेतु कोई आयोग गठित किया है;

(ख) क्या आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अपवंचन

1809. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी :
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री सईदुज्जमा :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और बड़े व्यापारिक घराने हजारों करोड़ रुपये के कर अपवंचन में शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े व्यापारिक घरानों का ब्यौरा क्या है और ऐसी प्रत्येक बहुराष्ट्रीय कम्पनी और बड़े व्यापारिक घराने द्वारा कितना-कितना कर अपवंचन किया गया है;

(ग) इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े व्यापारिक घरानों की कर अपवंचन संबंधी कार्यप्रणाली क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे चूककर्ताओं के विरुद्ध कर वसूली हेतु क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है और उसमें अभी तक कितनी सफलता मिली है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) यह सत्य नहीं है कि कई सौ करोड़ रुपये के कर अपवंचन में बहुत सी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और कुछ बड़े व्यापारिक घराने शामिल हैं। तथापि, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े व्यापारिक घरानों सहित सभी श्रेणियों के कर-निर्धारितियों के संबंध में आयकर अपवंचन के विरुद्ध आयकर अपवंचन के विरुद्ध आयकर विभाग द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(ख) और (ग) ऐसी सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है। पूरे देश में फैले क्षेत्रीय कार्यालय से अपेक्षित सूचना के संग्रहण और समेकत में काफी समय और प्रयास लगेगा जो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के अनुरूप नहीं होगा।

(घ) सभी मामलों में कर मांग की वसूली के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और इस संबंध में समुचित प्रशासनिक, वैधानिक और अन्य उपाय किए जाते हैं।

टी.सी.आई.डी.एस.

1810. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा से कपड़ा केन्द्र अवसंरचना विकास योजना (टी.सी.आई.डी.एस.) के अंतर्गत सहायता देने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अनुरोधों पर क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

कपड़ा संबंधी द्विपक्षीय व्यापार समझौता

1811. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री चिंतामन वनगा :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) कपड़ा क्षेत्र में एक सीमित द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने की संभावना का पता लगा रहे हैं ताकि यूरोपीय संघ द्वारा दी जा रही शुल्क मुक्त पहुंच के परिणामस्वरूप पाकिस्तान को मिलने वाले व्यापार के कारण भारत को होने वाले 250 मिलियन यूरो से अधिक से संभावित नुकसान की क्षतिपूर्ति की जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या 10 जुलाई, 2002 को ब्रूसेल्स में हुए भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त आयोग के 12वें सत्र के दौरान इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) यूरोपीय यूनियन (ईयू) की सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (जी.एस.पी.) योजना में 1 जनवरी, 2002 से 31 दिसम्बर, 2004 तक की अवधि के लिए अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे सभी उत्पादों के लिए सीमा शुल्क का, ईयू द्वारा आस्थगन करने की व्यवस्था है जो विशेष प्रभार के अंतर्गत नशीले पदार्थों के उत्पादन और उसकी तस्करी से निबटने के लिए विकसित नहीं हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत पाकिस्तान एक लाभभोगी देश है। चूंकि इससे ईयू को भारत के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए भारत ने इस मुद्दे को फरवरी, 2002 और जुलाई, 2002 में हुई द्विपक्षीय वार्ताओं में उठाया था और 25 मार्च, 2002 को डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान व्यवस्था के अंतर्गत इस पर परामर्श किया था। इन परामर्श के दौरान विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया था कि पाकिस्तान को दी गई शुल्क की रियायतों के कारण भारत के व्यापार को काफी घाटा होगा। ईयू से अनुरोध किया गया था कि वह ऐसी रियायतों के कारण व्यापार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का निदान करे। इस संबंध में ईयू ने अभी तक हमारी चिंता को दूर नहीं किया है। इसके अतिरिक्त डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष

1812. श्री टी.एम. सेल्वागनपति :
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन कंपनियों से अदा न किए गए लाभांश खाते में 7 वर्षों से अदा नहीं की गई सभी लाभांश राशि को 31 अक्तूबर, 1995 तक अथवा उसके बाद निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में जमा कराने को कहा है;

(ख) क्या अनेक कंपनियां इस संबंध में बनाए गए नियमों का पालन नहीं कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो अभी तक कुल कितनी राशि आईईपीएफ में अदा न किए गए लाभांश को जमा कराने से संचित हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) कंपनी अधिनियम की धारा 205ग तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत यह कंपनियों के लिए आवश्यक है कि वे लाभांश सहित उस शेष राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण फंड में जमा कर दे जो सात वर्षों तक गैर-भुगतान की गई व अदावाकृत रही। जैसा कि अधिनियम में प्रावधान है 31 अक्तूबर, 2002 तक, कंपनियों द्वारा 81,05,59,483.46 रु. की राशि फंड में जमा कर दी गई है। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि कंपनियां नियमों का पालन नहीं कर रही हैं।

तम्बाकू उत्पादन के लिए अधिकतम सीमा

1813. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002 और 2002-03 के दौरान कर्नाटक में तम्बाकू उत्पादन की अधिकतम सीमा कितनी नियत की गई है;

(ख) क्या कर्नाटक इस वर्ष 65,000 मी. किग्रा. तम्बाकू का उत्पादन कर सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव कर्नाटक में तम्बाकू उत्पादन की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 65,000 मी. कि.ग्रा. करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू हेतु कर्नाटक के लिए अधिकृत फसल आकार निम्नानुसार था:

2001-2002	38.07 मिलि. किग्रा.
2002-2003	50.00 मिलि. किग्रा.

(ख) तम्बाकू बोर्ड द्वारा लगाए गए उत्पादन संबंधी अनुमान के अनुसार इसके 65 मिलि. किग्रा. पर पहुंचने की संभावना नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राजस्थान में पिछड़े और जनजातियों का विकास

1814. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान के पिछड़े, जनजातीय और कमजोर वर्ग के लोगों के विकास के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि नहीं, तो उक्त योजना को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ङ) राज्य सरकार को इस कार्य हेतु निधियां कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ङ) जी, हां। राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित योजनाओं अर्थात् अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, अनुसूचित जातियों के छात्रों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृति तथा लघु वनोत्पाद कार्यों के लिए राज्य जनजाति विकास सहकारी निगम के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इन योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार से एक प्रस्ताव दिनांक 8.11.2002 को प्राप्त हुआ। इस संबंध में राजस्थान सरकार से मांगे गए स्पष्टीकरणों की अभी तक प्रतीक्षा है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों, अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति तथा पुस्तक बैंक योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में राजस्थान सरकार से स्पष्टीकरणों की मांग की गई है।

विवरण

राजस्थान राज्य में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों की निर्मुक्ति

(रु. लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	2002-03
अनुसूचित जाति विकास		
1.	अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	1057
2.	अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	231.55
3.	अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	38.83
4.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	6.26
अन्य पिछड़ा वर्ग		
5.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उच्च स्तर तथा पीएच.डी. के लिए उच्चतर अध्ययन सहित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	199
अनुसूचित जनजाति		
6.	लघु वन उत्पाद के कार्यों के लिए राज्य जनजाति विकास सहकारी निगम	251.61

ग्रामीण क्षेत्र में नए बैंक

1815. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति ने सिफारिश की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नए बैंक न खोले जाएं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) समिति की अन्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि उन्होंने जुलाई, 2002 में स्थानीय क्षेत्र बैंक योजना की कार्यप्रणाली के संबंध में एक पुनरीक्षा दल का गठन किया था। पुनरीक्षा दल ने अपनी रिपोर्ट 1 अक्तूबर, 2002 को प्रस्तुत की है। पुनरीक्षा दल का मत है कि चूंकि वर्तमान स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) ने हाल ही में कार्य करना प्रारम्भ किया है, अत: उनके निष्पादन की जांच करने तथा उन्हें अपनी कमजोरियों से उबारने के लिए कुछ और समय दिए जाने की आवश्यकता है। पुनरीक्षा दल ने विद्यमान एलएबी को सुदृढ़ करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दिया है तथा यह सिफारिश की है कि विद्यमान एलएबी को सुदृढ़ करने के लिए जब तक इन उपायों को निष्पादित नहीं किया जाता तथा जब तक इन्हें अच्छी स्थिति में नहीं लाया जाता तब तक नए एलएबी को कोई लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) पुनरीक्षा दल की अन्य मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

(1) एलएबी अपने वर्तमान पूंजी आधार के साथ अर्थक्षम संस्थाएं नहीं बन सकती हैं। विद्यमान एलएबी को 5 वर्ष की अवधि के दौरान कम से कम 25 करोड़ रु. की शुद्ध मालियत तक पहुंचना चाहिए।

(2) एलएबी को 15 प्रतिशत की न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता को बनाए रखने के आदेश दिए जाने चाहिए।

(3) एलएबी पर अपने विकास काल-5 वर्ष की अवधि के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों एवं अन्य पेपरों में कारबार करने के लिए प्रतिबंध लगाना चाहिए।

(4) एलएबी को अपने कारबार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एजेन्टों एवं अर्द्ध एजेंटों की सेवाएं लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(5) एलएबी के निर्धारण (शेड्यूलिंग) पर विचार उनके द्वारा अधिक पूंजी एवं पूंजी पर्याप्तता प्राप्त करने तथा कुछ समय तक उनके निष्पादन की निगरानी करने के उपरांत ही किया जाए।

(6) एलएबी को उनके चार्टर के अंतर्गत आने वाली शाखाओं को खोलने के मामले में सहकारी बैंकों के बराबर माना जाना चाहिए।

पुनरीक्षा दल की सिफारिशें टिप्पणियां मांगने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट में शामिल कर दी गई हैं जिनके आधार पर यथासमय उचित निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

राज्य वित्त निगम को बंद करना

1816. श्री नरेश पुगलिया : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य वित्त निगमों और राज्य औद्योगिक विकास निगम को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

व्यय सुधार आयोग

1817. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) व्यय सुधार आयोग द्वारा पुनर्गठन/कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए पहचान किए गए विभागों की संख्या कितनी है;

(ख) व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने की स्थिति में तृतीय व चतुर्थ वर्ग के कितने कर्मचारियों को अतिरिक्त घोषित किए जाने की संभावना है; और

(ग) अतिरिक्त घोषित किए गए कर्मचारियों के लिए उपलब्ध करायी गयी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर कितनी धनराशि व्यय होगी?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) 36

(ख) और (ग) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने अब तक सभी समूहों के लगभग 23,400 पद अतिरिक्त घोषित किए हैं तथा अब तक 11,485 पद समाप्त घोषित कर दिए गए हैं। व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किए जाने की स्थिति में इस स्तर पर यह अनुमान लगाना कठिन है कि समूह 'ग' और 'घ' के कितने कर्मचारियों को अतिरिक्त घोषित करने की संभावना है तथा कितने कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठाएंगे।

अमरीकी अधिकारियों का दौरा

1818. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी अधिकारियों ने हाल ही में भारत का दौरा किया तथा कृषि संबंधी एक समझौते पर भारत का समर्थन चाहा जिस पर जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा वार्ता की जानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अमरीकी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर दक्षिण एशिया में अंत: क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के कुछ मुद्दों पर भी बातचीत हुई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम सामने आए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) भारत-अमरीका आर्थिक एवं वित्तीय फोरम की मंत्रिमंडल स्तर की दूसरी बैठक 22 नवम्बर, 2002 को नई दिल्ली में हुई थी। विचार-विमर्श भारतीय तथा अमरीकी अर्थव्यवस्थाओं के विशिष्ट संदर्भ के साथ वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर केन्द्रित था। पारस्परिक चिंता एवं भावी संभावनाओं के क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया था। दोनों पक्षों ने व्यापार को बढ़ाने की जरूरत पर सहमति व्यक्त की थी और पारम्परिक तथा अपारम्परिक क्षेत्रों में सेवा व्यापार को सुदृढ़ करने के तरीकों पर विचार किया था।

दौरे पर आये अमरीकी अधिकारियों के साथ नवम्बर, 2002 के प्रथम सप्ताह में किये गये विचार-विमर्शों में भारत से विनिर्मित उत्पादों के निर्यातों को सुकर बनाने तथा डब्ल्यूटीओ में चल रही वार्ताओं के विभिन्न क्षेत्रों, जिनमें कृषि भी शामिल है, में हितों की हिस्सेदारी सहित विभिन्न आर्थिक, व्यापारिक और वाणिज्यिक मामले शामिल थे।

विदेशी निवेशक

1819. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1999 में कंपनी अधिनियम में किए गए संशोधन से विदेशी निवेशकों के एक वर्ग का विश्वास खंडित हुआ क्योंकि इससे भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी शेयरधारकों के लिए मनमानी शर्तें तय करने में सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत स्थित नार्वे के राजदूत ने यह टिप्पणी की है कि यह संशोधन चीन को एक बेहतर निवेश स्थल साबित करने में सहायक हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने बंगाल उद्योग परिसंघ की बैठक में बोलते हुए कहा है कि भारतीय व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है और इसमें ऐसी कई अवांछित चीजें हैं जो विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित करती हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अन्य देशों को निर्यात

1820. श्री रामदास रुपला गावीत : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय निर्यात कुछ खास देशों तक ही सीमित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार भारतीय सामान का निर्यात अधिकतम देशों में सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कर रही है; और

(घ) वर्तमान में अमेरिका के साथ सूचना और प्रौद्योगिकी उत्पादों से संबंधित भारतीय निर्यात का प्रतिशत कितना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) जी, नहीं। यू.एस.ए., ई.यू, और जापान के अतिरिक्त, पण्य वस्तुओं के भारतीय निर्यातों के गंतव्य स्थानों में शामिल हैं : एशिया तथा ओशीनिया में अनेक देश, सी.आई.एस. देश, लैटिन अमरीका, अफ्रीका, आदि।

(ग) बाजार के विविधीकरण की दिशा में, सरकार ने समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं शुरू की हैं। एक समेकित कार्यक्रम "फोकस : एल.एस." 1997 में शुरू किया गया था ताकि नए बाजारों का पता लगाया जा सके और भारत का लैटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार को बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा वर्ष 2002 में "फोकस : अफ्रीका" कार्यक्रम शुरू किया गया था ताकि उप-सहारा अफ्रीकी क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाया जा सके जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है: दोनों क्षेत्रों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के क्षेत्रों को अभिज्ञात करना, उद्योग और व्यापार शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान अनन्य भारतीय प्रदर्शनियों तथा मेलों का आयोजन, आदि।

सरकार निर्यात के क्षेत्र का विस्तार करने तथा यूरोप के देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए सतत आधार पर उपाय भी कर रही है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं: संयुक्त आयोगों/समितियों के माध्यम से सरकारी स्तर पर विचार-विनिमय करना, प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान करना, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, संगोष्ठियों में भागीदारी आयोजित करना, विदेश स्थित हमारे मिशनों के माध्यम से प्रचार करना, भारत तथा विदेश में शीर्षस्थ व्यापार निकायों के साथ विचार-विनिमय करना, आदि। अन्य व्यापारिक सहभागियों के बारे में इसी प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं।

इस वर्ष मध्यावधि निर्यात कार्य नीति 2002-07 भी घोषित की गई थी, जिसमें फोकस उत्पादों तथा फोकस बाजारों को अभिज्ञात करना शामिल है।

(घ) वर्ष 2001-02 के दौरान इलेक्ट्रोनिक तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कुल भारतीय निर्यातों से यूएसए का हिस्सा 57% है।

[अनुवाद]

पुनर्निर्यात के लिए चाय का आयात

1821. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा देश से पुनर्निर्यात करने के उद्देश्य से किए जा रहे पौधरोपण संबंधी उत्पादों के आयात की वजह से देशी पौधरोपण उद्योग खासकर चाय बागान प्रतिकूलत: प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश से पुनर्निर्यात करने के उद्देश्य से किए जाने वाले पौधरोपण उत्पादों के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) बागान वस्तुओं चाय, कॉफी और रबड़ के मामले में पुन: निर्यात करने के लिए इन वस्तुओं के आयात से घरेलू उद्योग प्रभावित नहीं हुआ है जिसके कारण नीचे दिए गए है:

* चाय के मामले में केवल एक 100% निर्यात अभिमुख इकाई (ई.ओ.यू.) है, कुछ मूल्य वर्धन करने के पश्चात पुन: निर्यात के उद्देश्य से भारत में चाय का आयात करने वाली एकमात्र बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कंपनी द्वारा आयातित चाय की घरेलू बाजार में कोई बिक्री नहीं की जाती है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय चाय की कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पुन: निर्यात के लिए चाय के आयात की अनुमति दी गई है जिससे चाय के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आयातित चाय को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (पी.एफ.ए.) के अधीन यथानिर्धारित गुणवत्ता मापदंडों के अनुरूप भी होना चाहिए। इसके अलावा, भारत में आयात की जाने वाली चाय की कुल मात्रा चाय के कुल घरेलू उत्पादन के 2% से कम है।

* काफी के मामलों में, ग्रीन बीन स्वरूप में काफी का आयात निर्यात अभिमुख इकाइयों (ई.ओ.यू.) द्वारा किया जाता है जो देश के विदेशी मुद्रा अर्जन में योगदान करते हुए इसका मूल्य वर्धित उत्पाद के रूप में पुन: निर्यात करती हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान काफी आयात की वार्षिक औसत मात्रा काफी के वार्षिक औसत निर्यात का केवल लगभग 2% है।

* रबड़ के मामले में, अग्रिम लाइसेंसों पर और ई.ओ.यू./ ई.पी.जेड. इकाइयों के लिए प्राकृतिक रबड़ का शुल्क मुक्त आयात प्रतिबंधित है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पुन: निर्यात के लिए देश में प्राकृतिक रबड़ का कोई आयात नहीं किया जाता है।

भारतीय चाय और काफी उत्पादकों को संरक्षण देने के उद्देश्य से, सरकार ने चाय और काफी पर आयात शुल्क 70% से बढ़ाकर 100% कर दिया है। देश से पुन: निर्यात के लिए चाय और काफी के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

जीवन बीमा निगम द्वारा निवेश

1822. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अक्तूबर, 2002 के राष्ट्रीय सहारा में "एल.आई.सी. में जोखिम में डाल रही है निवेशकों का धन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें बताये गये मामले के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा आम निवेशकों के धन की सुरक्षा हेतु एल.आई.सी. के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) से (ग) निगम द्वारा किए जाने वाले निवेशों को बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 तथा निगम की निवेश समिति द्वारा समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रशासित किया जाता है। कानून के प्रावधानों के अनुसार, निगम की कम से कम 50% निधियों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाना होता है तथा 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा निगम की 57% निधियों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया गया है। अपने पालिसीधारकों के लिए अधिक लाभ अर्जित करने की दीर्घकालिक दृष्टि से, निगम अपनी निधियों का कुछ भाग इक्विटी बाजार में भी निवेश कर रहा है। जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि उन्होंने बाजार के अवसर को देखते हुए पिछली लम्बी अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में मूल रूप से मजबूत कंपनियों में इक्विटी निवेश किए हैं तथा पूंजीगत लाभ दर्ज किया है। 2001-2002 के दौरान, निगम ने इक्विटी बाजार में

4775 करोड़ रुपए का निवेश किया और 1830 करोड़ रुपए की इक्विटी बेच कर 723 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया। इसी प्रकार, 2002-2003 के दौरान, 15.11.2002 की स्थिति के अनुसार निगम ने इक्विटी बाजार में लगभग 3067 करोड़ रुपए का निवेश किया तथा 847 करोड़ रुपए के स्टाक की बिक्री करके 422 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया।

[अनुवाद]

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

1823. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने के लिए वर्तमान मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या नियुक्ति के वर्तमान मानदंडों का उल्लंघन करते हुए भारी संख्या में बैंकों के मृत अधिकारियों और कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारी के योग्य आश्रित को परिवार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए पात्र मामलों में दी जाती है।

(ख) से (च) अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां केवल पात्र मामलों में ही की गई है और सरकार को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के विद्यमान मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

राज्यों को सेवा कर लगाने की अनुमति

1824. श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री वाई.वी. राव :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सहित अनेक राज्यों ने केन्द्र सरकार से उन्हें अपने-अपने राज्यों में सेवा कर संग्रहित करने की शक्ति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फिक्की ने भी केन्द्र सरकार से ऐसा ही अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सेवा कर संग्रहित करने की शक्ति दिये जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि वे इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग समाज सेवा के कार्यों में कर सकें?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) राज्यों ने अपनी मौजूदा बिक्री कर प्रणाली को 1 अप्रैल, 2003 से मूल्य वर्धित कर प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया है। इस संदर्भ में तथा अपने कर आधार को बढ़ाने के लिए भी, सभी राज्यों ने अनुरोध किया है कि उन्हें सेवाओं पर कर लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। राज्यों के इस अनुरोध का फिक्की सहित विभिन्न व्यापार और औद्योगिक संगठनों द्वारा भी समर्थन किया गया है।

(घ) इस संबंध में उचित कार्रवाई शुरू की गई है।

भारत-लीबिया द्विपक्षीय सहयोग

1825. श्री राजैया मल्याला : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लीबिया ने भारत से चाय के आयात पर लगा प्रतिबंध उठा लिया है और विद्युत, तेल, गैस और अवसंरचना के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने का इच्छुक है ताकि व्यापार की वर्तमान मात्रा को बढ़ाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) भारतीय कंपनियों के एक समूह के साथ व्यापार संबंधी विवादों का निराकरण न होने के कारण पिछले कुछेक वर्षों में लिबियाई सरकार की एक खरीद एजेंसी नेशनल सप्लाई कार्पोरेशन (नास्को) द्वारा भारत से चाय समेत अन्य वस्तुओं का आयात रोक दिया गया था। नई दिल्ली में 9-11 अक्तूबर, 2002 को भारत-लिबियाई संयुक्त आयोग (आई.एल.जे.सी.) की बैठक के 8वें सत्र के दौरान लिबियाई पक्ष ने यह सूचित किया था कि नास्को अब भारतीय कंपनियों के पंजीकरण पर प्रतिबंध नहीं लगाती है और अनेक भारतीय कंपनियां पहले ही पंजीकृत की जा चुकी हैं। लिबियाई पक्ष ने यह भी सूचित किया कि नास्को

प्रभावी शर्तों एवं विनियमों के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों का पंजीकरण करने का इच्छुक है। विधिवत् रुप से पंजीकृत कंपनियों के पास चाय समेत विभिन्न वस्तुओं की बोली लगाने में भाग लेने का और यदि उनकी पेशकश गुणवत्ता और कीमत के रूप में प्रतिस्पर्धी हो तो ठेके लेने का अधिकार होगा। इसका प्रभाव भारतीय पक्षकारों से मदों के आयात से अनौपचारिक प्रतिबंध हटा लेने के समान है।

आई.एल.जे.सी. की बैठक के दौरान दोनों पक्ष अन्य बातों के साथ-साथ हाइड्रोकार्बन, बिजली, बुनियादी सुविधाओं (रेलवे, सड़क एवं पत्तन, भवन निर्माण सामग्री उद्योग समेत) इत्यादि जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए और तेल एवं गैस उद्योग इत्यादि में संयुक्त उद्यम स्थापित करने, तकनीकी सहयोग करने और प्रशिक्षण में सहयोग देने जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने से संबंधित विशिष्ट उपाय अभिज्ञात किए गए। इन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

आंतरिक और बाह्य ऋण

1826. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश का प्रति व्यक्ति आंतरिक और बाह्य ऋण कितना है;

(ख) क्या सरकार को इस अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में मंदी आने की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बकाया प्रति व्यक्ति ऋण निम्नानुसार है:

मार्च-अंत तक बकाया प्रति-व्यक्ति ऋण

(रुपए)

	आन्तरिक ऋण	बाह्य ऋण
1999-2000	7135	4281
2000-2001	7887	4564
2001-2002	8766	4618

(ख) और (ग) जून, 2002 में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा निर्मुक्त किए गए संशोधित अनुमानों के अनुसार भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि, वर्ष 1999-2000 के 6.1 प्रतिशत और वर्ष 2000-01 (त्वरित अनुमान) के 4.0 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2001-02 में 5.4 प्रतिशत अनुमानित की गई है।

[हिन्दी]

लेवी चीनी के आबंटन का कोटा

1827. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री शिवराजसिंह चौहान :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में लेवी चीनी का राज्य-वार कितना कोटा आबंटित किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार 1991 की जनगणना के आधार पर लेवी चीनी उपलब्ध करा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से वर्तमान जनगणना रिपोर्ट के आधार पर लेवी चीनी का कोटा बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) इस समय देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक मास 2.16 लाख टन लेवी चीनी का आवंटन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, लगभग 1 लाख टन लेवी चीनी का कोटा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक त्यौहार कोटे के रूप में आवंटित किया जाता है। तथापि, पंचांग वर्ष 2001 और 2002 के लिए यह त्यौहार कोटा दुगुना कर दिया गया था ताकि त्यौहारों के दौरान चीनी की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा किया जा सके। एक विवरण संलग्न है जिसमें लेवी चीनी तथा वार्षिक त्यौहार कोटे का राज्यवार आवंटन दिया गया है।

(ख) जी, नहीं, लेवी चीनी का मासिक कोटा 1.3.2000 को प्रक्षिप्त जनसंख्या के आधार पर आवंटित किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित करने के लिए लेवी चीनी के कोटे का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन

(मात्रा टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मासिक लेवी कोटा	वार्षिक त्यौहार कोटा
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	9690	7614
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप	389	74
3.	अरुणाचल प्रदेश	834	94
4.	असम	18337	2896
5.	बिहार	20516	7527
6.	चंडीगढ़	62	112
7.	दादरा और नगर हवेली	48	14
8.	दिल्ली	2610	2316
9.	गोवा	120	150
10.	दमन और दीव	11	12
11.	गुजरात	5841	4878
12.	हरियाणा	2485	1924
13.	हिमाचल प्रदेश	4698	608
14.	जम्मू-कश्मीर	6962	868
15.	कर्नाटक	8636	5350
16.	केरल	4103	3600
17.	लक्षद्वीप	115	22
18.	मध्य प्रदेश	12441	5523
19.	महाराष्ट्र	16792	9014
20.	मणिपुर	1763	208
21.	मेघालय	1704	200
22.	मिजोरम	666	78
23.	नागालैंड	1179	128
24.	उड़ीसा	8707	3730
25.	पांडिचेरी	243	88
26.	पंजाब	1385	2392
27.	राजस्थान	7242	5092
28.	सिक्किम	391	50
29.	तमिलनाडु	10820	6790
30.	त्रिपुरा	2647	302
31.	उत्तर प्रदेश	33013	15154
32.	पश्चिमी बंगाल	14087	7796
33.	छत्तीसगढ़	4512	2023
34.	झारखंड	6948	2551
35.	उत्तरांचल	6033	782
	जोड़	216130	99950

टिप्पणी : सरकार ने पंचांग वर्ष 2001 तथा 2002 के लिए त्यौहार कोटा दुगुना कर दिया है ताकि त्यौहारों के दौरान चीनी की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात

1828. श्रीमती जसकौर मीणा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प उत्पादों की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है; और

(घ) इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटील (यत्नाल)]: (क) और (ख) जी हां, हाथ से गुंथे कालीनों सहित हस्तशिल्प का निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष 2001-2002 की

अवधि में 4428.76 करोड़ रुपये की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2002-03 (अप्रैल-अक्तूबर) के दौरान 5203.78 करोड़ रुपये रहा जो 17.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए हाथ से गुंथे कालीनों सहित हस्तशिल्प उत्पादों की मात्रा रुपयों में और अर्जित की गई विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार हैं:

क्रमांक	वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपये में)	निर्यात (अमरीकी मिलियन डालर में)
1.	1999-2000	8105.63	1859.95
2.	2000-2001	9270.50	2050.34
3.	2001-2002	9205.63	1942.54

[अनुवाद]

लेखा फर्मों के लिए आचार समिति

1829. **श्री कमलनाथ :**
श्री वी. वेत्रिसेलवन :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हाल में अमरीका में चार्टर्ड एकाउन्टेंटों, कंपनी निवेशकों और निगमों द्वारा किए गए घोटालों को ध्यान में रखते हुए लेखा संबंधी मानदंडों को पुन: बनाने की तैयारी कर रही है;

(ख) क्या सरकार द्वारा गठित आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों की विस्तृत रूपरेखा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) कम्पनी कार्य विभाग ने कोई आचार समिति स्थापित नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अन्य देशों द्वारा मुक्त व्यापार के रास्ते में रूकावटें डालना

1830. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न देशों ने मुक्त व्यापार पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं और इनके वर्ष 2005 तक जारी रहने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य है;

(ग) इन देशों में किन-किन वस्तुओं के आयात और निर्यात प्रतिबंध है; और

(घ) इन प्रतिबंधों का भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) डब्ल्यूटीओ सदस्यों सहित विश्व के सभी देशों द्वारा मुक्त व्यापार पर कुछेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं; इनमें टैरिफ प्रतिबंध और/अथवा गैर-टैरिफ प्रतिबंध शामिल हैं। इन सभी प्रतिबंधों को बनाए रखने की कोई समय सीमा नहीं है अर्थात इन सभी को वर्ष 2005 तक हटाया जाना अपेक्षित नहीं है। तथापि, वस्त्र आयातों पर कोटा जैसे कुछेक गैर-टैरिफ प्रतिबंधों, जिन्हें विकसित देशों द्वारा अब तक लगाया जा रहा है, को दिनांक 1.1.2005 से हटाया जाना अपेक्षित है।

भारतीय निर्यातकों द्वारा सामना किये गए प्रतिबंधों की निगरानी की जाती है ताकि इनकी वैधानिकता की जांच की जा सके। जैसे ही इन्हें भारत के निर्यातों पर अनावश्यक प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला पाया जाता है वैसे ही इन्हें संबंधित देश के साथ उठाया जाता है। इनमें से कुछेक प्रतिबंधों को दोहा कार्यक्रम के तहत डब्ल्यूटीओ में चल रही वार्ताओं में भी उठाया जाएगा।

[अनुवाद]

छात्रावास निगरानी समिति

1831. श्रीमती हेमा गमांग : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय लोगों के लाभार्थ बनाए गए युवक और युवतियों के छात्रावासों की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) जनजातीय लोगों के लाभार्थ बनाए गए युवक और युवतियों के छात्रावासों की निगरानी करने के लिए निगरानी समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, इन छात्रावासों की निगरानी से संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा उनके राज्य तंत्र के माध्यम से की जाती है। मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर इन छात्रावासों का निरीक्षण किया जाता है।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को ऋण राहत

1832. श्री वी. वेत्रिसेलवन :
श्री जय प्रकाश :
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री अनन्त नायक :
श्री राजो सिंह :
श्री चिंतामन वनगा :
श्री आर.एल. जालप्पा :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री बी. वेंकटेस्वरलु :
श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूखा प्रभावित राज्यों के किसानों को ऋणों में राहत देने हेतु बैंकों को क्या दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के इन दिशानिर्देशों का कहां तक पालन किया है;

(ग) क्या सूखा प्रभावित राज्यों के किसानों ने सरकार से उनके द्वारा सहकारिताओं और अन्य बैंकों से लिए गए ऋणों या ऋण पर ब्याज माफ करने या ऋण के भुगतान की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को इस संबंध में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों की ओर से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने 2 अगस्त, 1984 (बाद में 1998 में संशोधित) के अपने परिपत्र द्वारा स्थायी मार्गनिर्देश जारी किए हैं, जिनमें सभी बैंकों को बाढ़, सूखा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में राहत उपायों की सलाह दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने मौजूदा दिशानिर्देशों को दोहराते हुए हाल ही में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित जिलों में सूखे से प्रभावित किसानों को निम्नलिखित सहायता देने की सलाह दी है:

(1) खरीफ फसल ऋण के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मूल या ब्याज के जरिए कोई भी राशि वसूल नहीं की जानी चाहिए।

(2) फसल ऋण की मूल राशि मीयादी ऋण में बदल दी जानी चाहिए और इसे लघु एवं सीमान्त किसानों के मामले में न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि में और अन्य किसानों के मामले में चार वर्ष की अवधि में वसूल किया जाएगा (जबकि मौजूदा दिशानिर्देशों में तीन वर्ष निर्धारित है)।

(3) फसल ऋण पर चालू वित्तीय वर्ष में देय ब्याज आस्थगित किया जाना चाहिए। आस्थगित ब्याज पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाना चाहिए।

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करें।

(ग) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत-नेपाल सरकारी समिति की बैठक

1833. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री जय प्रकाश :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष के अगस्त माह में नई दिल्ली में भारत-नेपाल व्यापार-पारगमन और सहयोग संबंधी सरकारी समिति की तीन दिवसीय बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने नेपाल में स्थित भारतीय संयुक्त उद्यम कंपनियों के समक्ष आ रही समस्याओं को हल करने का मुद्दा इस बैठक में उठाया था;

(घ) यदि हां, तो इस पर नेपाल की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध और अधिक उदार हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) अनधिकृत व्यापार को रोकने के लिए भारत-नेपाल की व्यापार पारगमन और सहयोग संबंधी अंतर्सरकारी समिति की एक बैठक 15-18 अगस्त 2002 को नई दिल्ली में हुई थी।

(ख) इस बैठक में द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था:

(1) निवेशों के संवर्धन और संरक्षण के लिए द्विपक्षीय करार।

(2) द्विपक्षीय व्यापार का संवर्धन करने के लिए सामान्य मानक और माप तैयार करने हेतु द्विपक्षीय सहयोग।

(3) अन्तर्देशीय क्लीयरेंस डिपो (आई.सी.डी.) वीरगंज नेपाल को प्रचालित करने तथा पूर्णिया, फारबिसगंज जोगबनी की पुन: स्थापना करने सहित सीमा पर अभिज्ञात स्थल सीमा शुल्क स्टेशनों पर बुनियादी संरचना का सुधार।

(4) मोटर वाहन यातायात के विनियमन से संबंधित करार।

(5) उत्सर्जन मानकों के अधीन भारतीय वाहनों का नेपाल में आयात।

(6) खाद्य जांच और संगरोधन जांच सुविधाओं सहित नेपाल खाद्य वस्तुओं और अन्य कृषि उत्पादों के आयात के लिए सुविधाओं में सुधार।

(7) भारत को निर्यातित कुछ नेपाल वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क तथा विशेष अतिरिक्त शुल्क में छूट।

(8) भारतीय उद्योगों को संरक्षण के लिए कुछ नेपाली उत्पाद के संबंध में टैरिफ रेट कोटा।

(ग) और (घ) भारतीय पक्ष ने नेपाली श्रमिक कानून में संशोधन के कारण नेपाल में भारतीय संयुक्त उद्यम कंपनियों के सामने आ रही समस्याओं का मुद्दा उठाया। नेपाली पक्ष ने भारतीय पक्ष की चिंता को समझा और उचित कार्यवाही करने के लिए सहमत हुए।

(ङ) और (च) भारत नेपाल व्यापार संधि के उपबंधों की द्विपक्षीय व्यापार का संवर्धन करने और दोनों पक्षों के उद्योगों की समस्याओं का निराकरण करने की दृष्टि से मार्च, 2002 में विस्तृत समीक्षा की गई थी। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(1) संधि की वैधता 6 मार्च, 2002 से 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।

(2) संधि में पहले वाले उपबंधों में सुधार करने के लिए संधि के अनुच्छेद V और IX के संदर्भ में प्रोटोकॉल V और IX में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

(क) भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच की पात्रता के लिए, नेपाल में विनिर्मित वस्तुओं को उस एच.एस. कोड संख्या में 4 अंकीय स्तर के परिवर्तन से गुजरना होता है जो उस अंक से भिन्न है जिसमें सभी तीसरे देशों के मूल निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों को वर्गीकृत किया जाता है और नेपाल में हुई विनिर्माण प्रक्रिया में 6 मार्च, 2002 से 5 मार्च, 2003 तक की अवधि के दौरान न्यूनतम 25% मूल्य वृद्धि तथा 6 मार्च, 2003 के बाद 30% मूल्य वृद्धि सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(ख) ऐसे मामलों में जहां चार अंक स्तरीय परिवर्तन की शर्त पूरी नहीं होती है, वहां भारत सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि ऐसी वस्तु नेपाल में पर्याप्त विनिर्माण प्रक्रिया से गुजरी है अलग-अलग मामलों के आधार पर नेपाल विनिर्मित ऐसी वस्तुओं के लिए अधिमानिक पहुंच पर विचार करेगी।

(ग) वनस्पति वसा, एक्रिलिक यार्न, तांबा उत्पादों और जिंक आक्साइड के नेपाल से शुल्क मुक्त आयात के मामले में एक वर्ष में विनिर्दिष्ट मात्राओं के लिए ही अनुमति दी जाएगी।

(घ) नेपाल के ऐसे उत्पादों के लिए जो भारतीय बाजार में अधिमानिक पहुंच के लिए निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करते हैं, भारत सरकार परम मित्र राष्ट्र (एमएफएन) के आधार पर भारतीय बाजार में सामान्य पहुंच उपलब्ध कराएगी।

(ङ) नेपाल में लघु यूनिटों में विनिर्मित वस्तुओं पर उन सुविधाओं के समान अतिरिक्त सीमाशुल्क लगाने में राहत प्रदान की जाएगी जो उत्पाद शुल्क लगाने में भारत की समान लघु यूनिटों के लिए लागू हैं।

(च) मूल स्थान के प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता के बारे में उचित संदेहों के मामले में भारतीय सीमाशुल्क प्राधिकारी नेपाल की प्रमाणीकरण एजेंसी से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो नेपाल में विनिर्माण सुविधाओं के संयुक्त दौरे भी किए जा सकते हैं।

(छ) ऐसे मामले में जहां एक किसी विशेष मद की अधिमानी पहुंच से आयातक देश के उद्योग को क्षति पहुंचती है तो ऐसे मुद्दों का निराकरण करने के लिए संयुक्त रूप से विचार-विमर्श किए जाएंगे और यदि विचार-विमर्शों द्वारा कोई संतोषजनक समाधान नहीं होता है तो अनुरोधकर्ता सरकार उचित निवारक उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार

1834. श्री एस. अजय कुमार :
श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री पी. मोहन :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 31 अक्तूबर, 2001 और 31 अक्तूबर, 2002 के बीच की अवधि के दौरान विशेषकर तमिलनाडु में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों पर किये गये अत्याचार की घटनाओं की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) ऐसी कुल घटनाओं की तुलना में हत्या और बलात्कार के मामलों का अनुपात कितना है; और

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अपराध आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध की घटना में वर्ष 2000 में 29645 मामलों की तुलना में वर्ष 2001 में 29683 मामले हैं जो 0.13% की अति अल्प वृद्धि हुई है। वर्ष 2000 और 2001 के लिए मामलों के राज्य/संघ राज्य सरकार क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। जहां तक तमिलनाडु राज्य का संबंध है, नवम्बर, 2001 से सितम्बर, 2002 के उपलब्ध आंकडे से पता चलता है कि ऐसी 460 घटनाएं हुई है जिसमें से हत्या और बलात्कार के मामले क्रमश: 6 और 3 थे। यह भी उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु में मामलों की संख्या वर्ष 2000 के 1305 मामले से घटकर वर्ष 2001 में 537 हो गई हैं।

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों की रोकथाम के उद्देश्य से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है। प्रभावित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने, प्रशासनिक, प्रवर्तन और न्यायिक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है अधिनियम के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

विवरण

वर्ष 2002 और 2001 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार हुए अत्याचार मामलों की कुल संख्या

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2000	वर्ष 2001
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1784	2056
2	अरुणाचल प्रदेश	13	3
3.	असम	11	0
4.	बिहार	802	657
5.	छत्तीसगढ़	विद्यमान नहीं	706

1	2	3	4
6.	गोवा	1	1
7.	गुजरात	1647	1247
8.	हरियाणा	117	150
9.	हिमाचल प्रदेश	63	63
10.	जम्मू-कश्मूर	13	1
11.	झारखण्ड	विद्यमान नहीं	0
12.	कर्नाटक	1393	1376
13.	केरल	530	580
14.	मध्य प्रदेश	6476	6301
15.	महाराष्ट्र	631	637
16.	मणिपुर	0	0
17.	मेघालय	2	1
18.	मिजोरम	1	0
19.	नागालैंड	0	0
20.	उड़ीसा	1021	1050
21.	पंजाब	40	44
22.	राजस्थान	6320	5915
23.	सिक्किम	23	1
24.	तमिलनाडु	1305	537
25.	त्रिपुरा	3	0
26.	उत्तरांचल	विद्यमान नहीं	125
27.	उत्तर प्रदेश	7408	8191
28.	पं बंगाल	0	6
29.	अंडमान निकोबार द्वीप	1	1
30.	चंडीगढ़	1	1
31.	दादर और नगर हवेली	3	4
32.	दमन और दीव	1	0
33.	दिल्ली	13	16
34.	लक्षद्वीप	1	0
35.	पांडिचेरी	21	13
	कुल	29645	29683

स्रोत : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय।

जलपाईगुड़ी में भारतीय खाद्य निगम का कार्यालय

1835. श्रीमती मिनाती सेन : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जलपाईगुड़ी जिले में स्थित भारतीय खाद्य निगम का कार्यालय बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस कार्यालय को बंद किए जाने से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अधिक खाद्यान्नों की आपूर्ति खतरे में पड़ जाएगी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उपरोक्त योजना की पुनरीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक में खाद्यान्न वितरण

1836. श्री सी.के. जाफर शरीफ : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में विद्यमान सूखे की स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार से केन्द्रीय पूल से राज्य

की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कुल आवश्यकताओं के अनुसार खाद्यान्न जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य की मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने 8.00 लाख टन खाद्यान्नों की आवश्यकता बतायी थी।

(ग) राज्य के सूखा प्रभावित जिलों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार सृजित करने के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अधीन 2.00 लाख टन चावल की मात्रा मुफ्त आवंटित की गई हैं।

डावकी लैंड कस्टम स्टेशन

1837. श्री पी.आर. किन्डिया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डावकी लैंड कस्टम स्टेशन, जैतिया हिल्स, मेघालय देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित सबसे पुराना और सर्वाधिक महत्वपूर्ण लैंड कस्टम स्टेशन है और भारत और बंग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य का प्रवेश द्वार है;

(ख) क्या भारत और बंग्लादेश की बीच बढ़ते व्यापार और वाणिज्य को देखते हुए कृषि आधारित तथा बागवानी उत्पादों के आयात के लिए डावकी लैंड कस्टम स्टेशन को प्रवेश द्वार बनाने और डावकी में प्लांट क्वारेंटाइन कार्यालय स्थापित करने हेतु इस क्षेत्र के लोगों की लम्बे समय से मांग चली आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में लोगों की मांग को पूरा करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) कृषि आधारित एवं बागवानी उत्पादों के व्यापार की मौजूदा मात्रा से डावकी में प्लांट क्वारंटाइन कार्यालय की स्थापना करना न्यायोचित नहीं है।

[हिन्दी]

राजस्थान में अन्य पिछड़े वर्ग की सूची

1838. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन जातियों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल किया गया है;

(ख) राजस्थान में ऐसी कितनी जातियों को इस समय केन्द्रीय पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने हेतु आवेदन किया गया है;

(ग) अन्य पिछड़े वर्गों की इस सूची में जातियों को शामिल करने हेतु विभिन्न राज्यों में विद्यमान नियमों के अंतर का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में उन जातियों को शामिल करने का है जिन्हें अन्य राज्यों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) पिछली तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल की गई जातियों/समुदायों के नाम भारत का राजपत्र अधिसूचना संख्या 241 दिनांक 27.10.1999, सं. 270 दिनांक 6.12.1999, सं. 71 दिनांक 4.4.2000, सं. 210 दिनांक 21.9.2000 तथा सं. 246 दिनांक 6.9.2001 द्वारा प्रकाशित किए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन सी बी सी) को हाल ही में राजस्थान के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में खाटी, तरखान के पर्याय/उप जाति के रूप में ''रामगडिया'' जाति/समुदाय को शामिल करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। इसके अलावा राजस्थान के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिलों में जाटों और राजस्थान के ''बिश्नाई'' जाति/समुदाय को शामिल करने हेतु पुनर्विचार करने संबंधी अनुरोध भी प्राप्त हुए थे। इन्हें पुनर्विचार के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भेजा गया था। आयोग ने सूचित किया है कि आयोग द्वारा इन पर विचार किया और यह निर्णय लिया गया कि चूंकि आयोग एन सी बी सी अधिनियम, 1993 की धारा 9 (1) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान के अनुसार केवल सरकार को अपनी राय देता है, अत: स्वयं की राय की समीक्षा करने का अधिकार

उसके पास नहीं है और इन अनुरोधों पर विचार केवल इन सी बी सी अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत 10 वर्ष के पश्चात् संशोधनों के समय ही किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी एवं बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में 16.11.1992 को दिए गए अपने निर्णय में भारत सरकार तथा प्रत्येक सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में जाति/समुदायों को शामिल करने के लिए अनुरोधों पर विचार, उनकी जांच और सिफारिश करने के लिए एक स्थायी निकाय का गठन करने का निर्देश दिया था। राज्य आयोग राज्य सूचियों में शामिल करने के मामलों पर विचार करते हुए उस विशेष राज्य में जाति के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्तर को ध्यान में रखता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुरोधों पर विचार करने के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं जिसमें पिछड़ेपन के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पहलुओं को समटते हुए उनके मानदंड शामिल हैं।

[अनुवाद]

चीनी उद्योग की सफलता के बारे में भारतीय उद्योग परिसंघ की रिपोर्ट

1839. श्री वाई.वी. राव : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि चीन की सफलता की कुंजी कम कर भार है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु भारत में ऐसे कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) भारतीय उद्योग परिसंघ और मैकिंजे द्वारा प्रस्तुत "भारत की विनिर्माण क्षमता को व्यक्त करने के लिए चीन से जानकारी" नामक रिपोर्ट ने यह निर्दिष्ट किया है कि चीन में अप्रत्यक्ष करों में कमी और इनके सरलीकरण से मांग बढ़ी है।

(ख) से (घ) सरकार कर तंत्र के यौक्तिकीकरण और वर्तमान आर्थिक सुधारों के एक मुख्य भाग के रूप में कर आधार को व्यापक बनाने की नीति अपनाती रही है। इस नीति के परिणामस्वरूप कर दरें न्यूनतर और अल्पतर हो गई हैं और कर प्रणाली पहली की अपेक्षा अधिक पारदर्शी हो गई है। वर्ष 2000-03 के बजट में सीमा-शुल्क की शीर्षस्थ दरें घटकर 30 प्रतिशत हो गई हैं। कर का और यौक्तिकीकरण करने का प्रस्ताव किया गया है। कर तंत्र में सुधार देश की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए विशेष प्रकोष्ठ

1840. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य के नेताओं ने बाढ़ और सूखा प्रभावित राज्यों को किए गए खाद्यान्न वितरण की निगरानी हेतु कोई विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने के बारे में अगस्त, 2002 में कोई बैठक की थी, ताकि विभिन्न राहत उपायों का समुचित कार्यान्वयन हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (ग) बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ और सूखे की स्थिति की समीक्षा करने के लिए अगस्त, 2002 में इन राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, इन राज्यों में बाढ़ और सूखे की स्थिति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई थी। बिहार सरकार को बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच वितरण के लिए 25,000 टन खाद्यान्नों का मुफ्त आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सूखा प्रभावित परिवारों में वितरण के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अधीन 2.00 लाख टन खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है।

व्यापार और उद्योग संबंधी एशियाई सम्मेलन

1841. श्री जे.एस. बराड़ : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में व्यापार और उद्योग के संबंध में अक्तूबर, 2002 माह में हुए एशियाई सम्मेलन के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) भारत में लघु और मध्यम उद्योगों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि उन्हें डब्ल्यू टी ओ की शर्तों के कारण कठिनाईयों का सामना न करना पड़े ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) प्रथम भारत-आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त सरकारी व्यापारिक पहल के रूप में नई दिल्ली और हैदराबाद में क्रमशः दिनांक 17 और 18 अक्तूबर, 2002 को हुआ था। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत और आसियान सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने के लिए पारस्परिक क्रियाशीलता को विकसित करने तथा

उसमें तेजी लाने, नीतियों एवं कार्य योजनाओं का संवर्धन करने के लिए किया गया था। शिखर सम्मेलन के कार्यक्रम में दिल्ली और हैदराबाद में दिन भर चलने वाले आयोजन शामिल थे जिसमें बुनियादी सुविधा, तेल एवं गैस, वित्त, पर्यटन, व्यापार एवं निवेश, जैव-प्रौद्योगिकी एवं भेषज, आई टी एवं मनोरंजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में गहन विचार-विमर्श किए गए थे। आमने-सामने व्यापार नेटवर्किंग बैठकों और फैक्टरी/स्थानों के दौरों की भी व्यवस्था की गई थी।

छोटे एवं मंझोले उद्योगों के हित की रक्षा करने का मुद्दा काफी देर बाद केवल तब उठाया जाएगा जब भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र संबंधी संभावित करार के जरिये टैरिफ रियायतों के आदान-प्रदान पर वास्तविक रूप से विचार किया जाएगा।

राज्यों को एशियाई विकास बैंक ऋण

1842. श्री के. मुरलीधरन : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें गत दो वर्षों के दौरान एशियाई विकास बैंक से ऋण उपलब्ध कराया गया है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 2002-2003 के दौरान एशियाई विकास बैंक ऋण हेतु आवेदन किया है; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव अडसुल) : (क) कलैण्डर वर्ष 2000 और 2001 के दौरान एशियाई विकास बैंक ने गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए ऋण सहायता देना मंजूर किया है।

(ख) और (ग) एशियाई विकास बैंक के देश कार्यक्रम मिशन ने राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श करके कलैण्डर वर्ष 2002 के लिए मध्य प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश के लिए परियोजनाओं हेतु ऋण-सहायता का प्रस्ताव किया है। कलैण्डर वर्ष 2003 के लिए एडीबी के कार्यक्रम मिशन ने असम, छत्तीसगढ़, केरल और पश्चिम बंगाल के लिए परियोजनाओं को संभावित सहायता हेतु शामिल किया है। भारत सरकार ने सहायता हेतु उपर्युक्त ऋणों पर कार्रवाई की हैं।

आंध्र प्रदेश के लिए विश्व बैंक ऋण

1843. डा. डी.वी.जी. शंकर राव : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश सामुदायिक वन प्रबंधन के लिए विश्व बैंक के साथ 108 मिलियन डालर (लगभग 531.36 करोड़ रु.) के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश के उन जिलों के नाम और उनकी संख्या क्या है जहां की राशि का उपयोग किए जाने की संभावना है;

(ग) इन परियोजनाओं पर कार्य कब से शुरू होने की संभावना हैं; और

(घ) इस संबंध में अन्य ब्यौरे क्या हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) इन परियोजना में 14 जिले शामिल हैं नामत: - आदिलाबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम, निजामाबाद, मेडक, महबूबनगर, श्रीकाकुलम, विजियानगरम, विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी, नेल्लोर, चित्तूर और कुडप्पा।

(ग) इस परियोजना पर कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।

(घ) उपर्युक्त परियोजना विकास का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के साथ बेहतर वन प्रबंध के जरिए ग्रामीण निर्धनता को कम करना है।

इसके तीन मुख्य घटक हैं अर्थात् सामुदायिक वन प्रबंध के लिए समर्थकारी माहौल पैदा करना, वन प्रबंध और सामुदायिक विकास।

यह ऋण आईडीए की मानक शर्तों पर दिया गया है।

वस्त्र पार्क

1844. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री अनन्त नायक :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र पार्कों की स्थापना का उद्देश्य क्या है;

(ख) राज्य-वार अभी तक प्रस्तावित वस्त्र पार्कों की संख्या कितनी है तथा इसमें से कितने स्वीकृत किये जा चुके है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन पार्कों की स्थापना के लिए दी जाने वाली सुविधाएं क्या हैं।

(घ) क्या देश के अन्य भागों में भी इन पार्कों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) 'अपैरल निर्यात पार्क' योजना नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक योजना आरंभ की गई है। योजना के उद्देश्य निम्नानुसार है :-

(1) उत्कृष्ट केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे आधुनिक अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना करने पर ध्यान संकेन्द्रित करना जो प्रतिष्ठित क्रेताओं के लिए एकल केन्द्र (वन-स्टॉप-शॉप) का कार्य करेंगे।

(2) आयात से प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने और इस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उत्पादन में तेजी लाना।

(ख) कुछ राज्य सरकारों ने अपने संबंधित राज्यों में अपैरल निर्यात पार्कों की स्थापना के लिए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए है, जैसे :- विशाखापट्टनम और कुप्पम (आंध्र प्रदेश), लुधियाना (पंजाब), सूरत और हैदराबाद (गुजरात), चैन्नई, कांचीपुरम और त्रिरूपुर (तमिलनाडु) कोतकाता-हावड़ा (पश्चिम बंगाल), बैंगलोर और बेल्लारी (कर्नाटक), ट्रोनिका सिटी और कानपुर (उत्तर प्रदेश), इन्दौर, जबलपुर, मलानपुर-घिरोर्गी, खेड़ा (मध्य प्रदेश), गन्नौर (हरियाणा), तिरूवंतपुरम् (केरल) सोलन (हिमाचल प्रदेश), भागलपुर (बिहार), भुवनेश्वर (उड़ीसा)।

'अपैरल निर्यात पार्क' योजना के मार्गदर्शी-सिद्धान्तों के अधीन गठित परियोजना अनुमोदन समिति ने ट्रोनिका सिटी और कानपुर (उ.प्र.), सूरत (गुजरात), तिरू वंनतपुरम (केरल), विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश), लुधियाना (पंजाब), बैंगलोंर (कर्नाटक) और त्रिरूपुर और कांचीपुरम (तमिलनाडु) में अपैरल पार्कों की स्थापना के लिए सिद्धांतत: 9 परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदन को स्वीकृति दी है।

(ग) योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अध्यसंरचना विकास लागत के 75% तक की सहायता प्रदान की जाती है। बशर्ते अधिकतम राशि 10 करोड़ रु. से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त, बहिस्राव संसाधन संयंत्र, बाल ग्रह, विपणन/प्रदर्शन आदि के लिए किसी प्रकार का बहु-प्रयोजन केन्द्र/हाल की स्थापना हेतु अधिकतम पांच करोड़ रु. तक शत-प्रतिशत सहायता देगी तथा पार्क में अन्य प्रशिक्षण सुविधा की लागत के 50% तक सहायता प्रदान करेगी जो अधिकतम 2 करोड़ रु. तक की होगी।

(घ) परियोजना अनुमोदन समिति समय-समय पर नये पार्कों की स्थापना की समीक्षा करेंगी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

1845. श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री शिवराजसिंह चौहान :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिकतम, 1973 के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों में से कुछ को आज की तिथि तक मुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा 31.5.2002 तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिकतम (फेरा), 1973 (रद्द होने तक) के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न उल्लंघनों के लिए 79 व्यक्ति हिरासत में लिए गए थे। ऊपर उल्लिखित हिरासत में लिए गए सभी व्यक्ति न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिए गए हैं।

(ख) राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 दिनांक 1.6.2002 (31.5.2002 तक उपलब्ध समाप्ति अवधि तक) से रद्द कर दिया गया है तथा इसका स्थान विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम (फेमा), 1999 नामक नए अधिनियम ने ले लिया है जो सिविल विधायन के सदृश है। तदनुसार, इसमे जांच की अवधि के दौरान परिकल्पित गिरफ्तारियों के लिए प्रावधान नहीं होता है। फेरा मामले अब संबंधित न्यायालयों में जांच के विभिन्न स्तरों पर हैं।

विवरण

गिरफ्तारियों का विवरण पत्र
राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	वर्ष 1999	वर्ष 2000	वर्ष 2001	वर्ष 2002 (31-5-02 तक)
गुजरात	01	01	–	–
कर्नाटक	10	01	–	–
तमिलनाडु	07	–	–	–
केरल	03	01	–	–
दिल्ली	13	08	01	–
राजस्थान	03	–	–	–
पश्चिम बंगाल	02	–	01	–
महाराष्ट्र	12	10	04	01
कुल	51	21	06	01

राज्य वित्त निगमों का पुनर्गठन

1846. श्री अनादि साहू : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जी.पी. गुप्ता समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य वित्त निगमों का पुनर्गठन करना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों में दिये गये सुझावों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) गुप्ता समिति ने दिनांक 30.1.2001 को अपनी रिपोर्ट में राज्य वित्तीय निगमों (एस एफ सी) के परिचालनात्मक, वित्तीये एवं संगठनात्मक पुनर्गठन संबंधी सिफारिशें की। उन सिफारिशों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए सभी राज्य वित्तीय निगमों में यह रिपोर्ट परिचालित की गई थी जिसमें राज्य वित्तीय निगमों के परिचालनात्मक एवं संगठनात्मक पुनर्गठन जैसी वित्तीय सहायता शामिल न हो। राज्य वित्तीय निगमों के पुनर्पूंजीकरण से संबंधित सिफारिशों पर परामर्श की प्रक्रिया अभी पूरी की जानी है।

[अनुवाद]

जुआंग जनजाति का उत्थान

1847. श्री अनन्त नायक : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के जुआंग जनजाति के कल्याण तथा उत्थान हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में कोई समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस समीक्षा के क्या नतीजे निकले; और

(ङ) इन छोटी-छोटी जनजातियों की पहचान करने तथा उनकी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा की जुआंग जनजाति के उत्थान के लिए एक लघु परियोजना शुरू की हैं। भारत सरकार, केन्द्रीय

क्षेत्र की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को जुआंग जनजाति सहित आदिम जनजातियों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता भी प्रदान करती है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार योजनाओं के कार्यान्वयन की वार्षिक समीक्षा करती है। उड़ीसा सरकार ने भी आदिम जनजातीय समूहों का बेसलाइन सर्वेक्षण किया है और जुआंग सहित राज्य के आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए वह एक कार्रवाई योजना प्रस्तुत करेगी।

रेशम की खेती संबंधी विकास कार्यक्रम

1848. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ विदेशी सहायता प्राप्त रेशम कृषि विकास कार्यक्रम आरम्भ किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ये कार्यक्रम कब से और किन राज्यों में चलाए जा रहे हैं; और

(ग) देश में रेशम कृषि विकास परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए कौन से संगठन निधियां प्रदान कर रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) से (ग) जी हां। देश में निम्नलिखित बाह्य सहायित परियोजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं:-

क्रमांक	परियोजना का नाम	शामिल किए गए राज्य	करार पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष	विदेशी संगठन का नाम
1	2	3	4	5
1.	भारत में द्विपक्षीय रेशम उत्पादन के लिए विस्तार योजना के सुदृढ़ बनाना	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु	2000-03	जापान इंटरनेशनल कोपरेशन एजेंसी
2.	सेरी-2000	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल	1997-98	स्विस डवलपमेंट कोपरेशन
3.	छत्तीसगढ़ रेशम-उत्पादन परियोजना (जो पहले मध्य प्रदेश की रेशम उत्पादन परियोजना के नाम से जानी जाती थीं)	छत्तीसगढ़	1998-99	जापानी बैंक फॉर इंटरनेशनल
4.	मणिपुर रेशम-उत्पादन परियोजना	मणिपुर	1998-99	जापानी बैंक फॉर इंटरनेशनल कोपरेशन
5.	सीसीएफ-1 के अंतर्गत गैर-शहतूती फाईबर रेशम और हस्तशिल्प संबंधी उप-कार्यक्रम	आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, असम, मेघालय और नागालैंड	1999-2000	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कोटा

1849. श्री रामानन्द सिंह : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कभी संघ सरकार को राज्य में सरकारी सेवाओं में वर्ष 1993 से 1998 के बीच अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाए जाने हेतु अनुशंसा की थी;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उपर्युक्त संबंध में संघ सरकार को कई बार स्मरण पत्र भी भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भेजे गए आवेदन की वर्तमान स्थिति क्या है और कथित अनुशंसा के कार्यान्वयन में होने वाले विलंब के क्या कारण है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 200 के साथ पठित अनुच्छेद 201 के प्रावधान के अंतर्गत भारत से राष्ट्रपति के दिनांक 7 दिसम्बर, 2001 के निर्देशों के अनुसरण में, मध्य प्रदेश सरकार को पहले ही सूचित किया जा चुका है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 1995 को मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल को इस सन्देश के साथ लौटा दिया जाए कि विधान मंडल इस पर पुनर्विचार करे और यह प्रावधान करने के लिए इसमें उपयुक्त संशोधन करे कि :-

(1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुल आरक्षण का प्रतिशत 50% से अधिक नहीं हो; और

(2) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का श्रेणीवार प्रतिशत सभी पदों अर्थात् श्रेणी 1 से 4 तक एक समान हो।

[अनुवाद]

भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंध

1850. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और जापान के बीच किन-किन क्षेत्रों में व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए है;

(ख) क्या जापान के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो भारत और जापान के बीच व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए किन नए क्षेत्रों की पहचान की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) भारत-जापान व्यापारिक संबंधों के प्रमुख क्षेत्रों में रत्न एवं आभूषण, समुद्री उत्पाद, काटन यार्न, फेब्रिक्स, मशीनरी, इलेक्ट्रानिक सामान, लोहा एवं इस्पात शामिल हैं।

(ख) सरकार का जापान के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने का सतत प्रयास रहता है।

(ग) संभावित नए क्षेत्रों में मांस, भूसी रहित चावल (ब्राउन), टर्बो जेट, गैस टर्बाइन पुर्जे, साइकिलें तथा अन्य साइकिलें शामिल हैं।

बी.आई.एफ.आर. पंजीकृत कताई मिलें

1851. श्री टी.टी.वी दिनाकरन : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार, देश में आज की तिथि के अनुसार कितनी कताई मिलें है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में रूग्ण घोषित मिलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) बी.आई.एफ.आर. के पास ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसी मिलों का ब्यौरा क्या है जिनका उक्त समयावधि में पुनरुद्धार किया गया?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) देश में कताई मिलों (एसएसआई और गैर-एसएसआई) की राज्य-वार संख्या 31.10.2002 (अनंतिम) की स्थिति के अनुसार निम्नानुसार है:-

राज्य	कताई मिलें
1	2
आंध्र प्रदेश	107
असम	6
बिहार	7
छत्तीसगढ़	1
दिल्ली	4
गोवा	1
गुजरात	86

1	2
हरियाणा	150
हिमाचल प्रदेश	15
जम्मू-कश्मीर	2
झारखंड	1
कर्नाटक	54
केरल	39
मध्य प्रदेश	49
महाराष्ट्र	146
मणिपुर	1
उड़ीसा	17
पंजाब	105
राजस्थान	53
तमिलनाडु	1700
उत्तर प्रदेश	99
उत्तरांचल	8
पश्चिम बंगाल	24
संघ राज्य क्षेत्र	
दादरा व नगर हवेली	3
दमन व दीव	3
पांडिचेरी	11
कुल योग	2692

(ख) और (ग) बीआईएफआर ने सूचित किया है कि विगत तीन वर्षों के दौरान, अर्थात 1 अक्तूबर 1999 से 31 अक्तूबर 2002 तक वस्त्र मिलों के पंजीकृत मामले निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य	पंजीकृत मामलों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	11
2.	दादरा और नागर हवेली	04
3.	गोवा	01
4.	गुजरात	25
5.	हरियाणा	05
6.	केरल	06
7.	कर्नाटक	19
8.	मध्य प्रदेश	05
9.	महाराष्ट्र	66
10.	एनसीटी दिल्ली	27
11.	उड़ीसा	02
12.	पंजाब	14
13.	राजस्थान	15
14.	तमिलनाडु	80
15.	उत्तर प्रदेश	05
16.	पश्चिमी बंगाल	14
	कुल	299

बीआईएफआर के आरंभ से और 31 अक्तूबर, 2002 की स्थिति अनुसार, रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधान के तहत वस्त्र मिलों के 740 मामले बोर्ड में पंजीकृत हुए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान अर्थात 1.10.1999 के 31.10.2002 तक बोर्ड के साथ वस्त्र मिलों के 299 मामले पंजीकृत थे।

(घ) इस अवधि के दौरान वस्त्र मिलों के 13 मामलें पुनर्स्थापित किए गए है। इन मिलों के ब्यौरे नीचे दिए गए है :-

क्र.सं.	कंपनी
1	2
	गुजरात
1.	डायमंड टेक्सटाइल मिल्स
2.	ब्राउच टेक्सटाइल मिल्स
3.	रोहित मिल्स लि.

1	2
4.	प्लॉड मशीन्स लि.
	कर्नाटक
5.	श्री गणेश्वर टेक्सटाइल
	मध्य प्रदेश
6.	गंगवाल उद्योग प्रा.लि.
	महाराष्ट्र
7.	फैन्सी कोरपो.
8.	जय भारत सिंथटिक्स
9.	सुदर्शन सिंथेटिक प्रा.लि.
	राजस्थान
10.	बाँसवारा टेक्सटाइल
	तमिलनाडु
11.	तिरूपुर कॉटन
12.	श्री मिनाक्षी मिल्स लि.
	उत्तर प्रदेश
13.	इंडिया पोली फाईबर्स लि.

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता

1852. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा कितने बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई, और इसका वर्षवार, राज्यवार, ब्यौरा क्या है; और

(ख) किसी बेरोजगार युवा को उपर्युक्त निगम द्वारा अधिकतम रूप से उपलब्ध कराई जाने लाली धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम 30.00 लाख रु. तक की लागत वाली परियोजनाओं की 90% धनराशि तक का आवधिक ऋण प्रदान करता है।.

विवरण

वित्तीय सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5312	14752	25457
2.	अरुणाचल प्रदेश	30	3	0
3.	असम	203	588	395
4.	बिहार	–	39	242
5.	चड़ीगढ़	89	56	123
6.	छत्तीसगढ़	–	–	70
7.	दादरा और नागर हवेली	0	9	0
8.	दिल्ली	83	130	232

1	2	3	4	5
9.	गोवा	9	21	6
10.	गुजरात	858	5032	4145
11.	हरियाणा	29	123	61
12.	हिमाचल प्रदेश	107	104	115
13.	जम्मू-कश्मीर	51	–	473
14.	झारखंड	–	–	188
15.	कर्नाटक	3760	3411	8890
16.	केरल	333	701	217
17.	लक्षद्वीप	7	57	–
18.	मध्य प्रदेश	1351	1718	1388
19.	महाराष्ट्र	80	675	1243
20.	मणिपुर	156	120	0
21.	मिजोरम	140	2122	–
22.	नागालैंड	64	147	–
23.	उड़ीसा	343	390	44
24.	पांडिचेरी	33	112	96
25.	पंजाब	150	78	4
26.	राजस्थान	344	212	348
27.	सिक्किम	84	230	109
28.	तमिलनाडु	340	36	342
29.	त्रिपुरा	351	177	537
30.	उत्तर प्रदेश	–	11937	15073
31.	उत्तरांचल	–	–	614
32.	प.बंगाल	1005	18922	15882
	कुल	15312	61902	76296

[अनुवाद]

कंपनियों के निदेशक

1853. श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में डी.सी.ए. द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वतंत्र निदेशकों को दिया जाने वाला वेतन काफी कम है;

(घ) क्या ''एसोचैम'' ने डी.सी.ए. से कम्पनी अधिनियम में कुछ संशोधन करने की अनुरोध किया है जिससे इन निदेशकों को उचित महत्व दिलाया जा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में डी.सी.ए. की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) एसोचैम ने स्वतंत्र निदेशकों के बारे में अन्य बातों के साथ-साथ उत्कृष्ट व्यवसायिकों के पैनल में से नियुक्ति, कार्य क्षेत्र को परिभाषित करते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 में परिभाषा जोड़कर तथा ऐसे कार्य क्षेत्र मे नियुक्ति को आवश्यक करते हुए तथा स्वतंत्र निदेशकों को उनकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रतिकर देने जैसे क्षेत्रों को कवर करते हुए कई सुझाव दिए हैं। उद्योग तथा व्यापार संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर सम्यक रूप से विचार किया जाता है और दिए गए सुझावों पर उपयुक्त निर्णय लिए जाते हैं।

आई.डी.बी.आई. को निगम का दर्जा देना

1854. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम रद्द करने पर विचार कर रही है ताकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को निगम का दर्जा दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का आई.डी.बी.आई. का किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ विलय करने का प्रस्ताव हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार आई डी बी आई अधिनियम, 1964 को निरासित करने तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत इसे कंपनी में बदलने पर विचार कर रही है।

(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के निरसन;

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित एवं पंजीकृत की जाने वाली कंपनी में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के उपक्रमों का अंतरण एवं निहित करने;

(3) ऐसी कम्पनी को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अनुसार बैंकिग कारोबार करने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्व अधिकारियों की सम्पत्ति

1855. प्रो. दुखा भगत :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयकर, सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क विभागों के उन अधिकारियों पर नजर रखती है जो अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और कर चोरी के कितने मामले सामने आए हैं;

(घ) उपर्युक्त व्यक्तियों में से कितनी व्यक्तियों को दोषी पाया गया है; और

(ङ) उपर्युक्त में से कितने व्यक्तियों को उनके अपराध के लिए दंडित किया गया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तलाशियां ली गई हैं और मामले दर्ज किए गए।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने गत तीन वर्षों के दौरान आयकर से समूह 'क' और 'ख' अधिकारियों के संबंध में 24 मामले दर्ज किए हैं जो कि निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	2000-01	2001-02	2002 (31.10.2002 तक)
मामले	2	14	8

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने गत तीन वर्षों के दौरान सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के समूह 'क', 'ख' और 'ग' के अधिकारियों के संबंध में 21 मामले दर्ज किए हैं, जो कि निम्नानुसार है :-

वर्ष	2000	2001	2002 (31.3.02 तक)
मामले	8	9	4

(घ) और (ङ) जहां तक आयकर अधिकारियों का संबंध है केन्द्रीय जांच ब्यूरो से केवल एक मामले में अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अनानुपातिक परिसम्पत्तियों का कोई भी मामला स्थापित नहीं हुआ है। जहां तक सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों/कार्मिकों का संबंध है, दो मामले मुकदमे के लिए लम्बित हैं एक मामला अभियुक्त के निधन के कारण बंद कर दिया गया है, एक मामले में अभियोजन की संस्वीकृति हो गई है और एक मामले में अधिकारी बड़े दंड के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई का सामना कर रहा है। शेष मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के अधीन है।

[अनुवाद]

टी-शर्टस का निर्यात कोटा

1856. डा. बी.बी. रमैया : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका को दिया जाने वाला बुनी हुई टी-शर्टस तथा सैंड टी-शर्टस का निर्यात कोटा चालू वर्ष के नौ महीनों में ही पूरा कर लिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यातकों ने कोटा बढ़ाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौडा पाटिल (यत्नाल)] : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, संयुक्त राज्य अमरीका को निटिड शर्टों और टी शर्टों के लिए निर्यात कोटा, नवंबर, 2002 के प्रथम सप्ताह तक पूरा कर लिया गया।

(ग) और (घ) संयुक्त राज्य अमरीका को निटिड शर्टों और टी शर्टों सहित कुछ वस्त्र श्रेणियों के लिए भारत के निर्यात, बहु फाईबर व्यवस्था (एमएफए) के अंतर्गत हुए द्विपक्षीय करार, जो कि वस्त्र और क्लोदिंग संबंधी डब्ल्यूटीओ के करार का एक भाग बन गया है, के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक कोटा सीमाओं के अध्ययीन होते हैं। निटिड शर्टों और टी शर्टों के लिए कोटा सीमा को बढ़ाने का मुद्दा, संयुक्त राज्य अमरीका के प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका पहले से ही निर्धारित की गई सीमाओं पर पुनर्विचार करने का इच्छुक नहीं है।

बैंक की ए.टी.एम. मशीनें

1857. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा कितनी ऑटोमैटिक टेलर मशीनें (ए.टी.एम.) लगाई गई हैं;

(ख) क्या ए.टी.एम. सुविधा को ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उपर्युक्त सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में कब तक उपलब्ध कराई जाएगी?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) 30 सितम्बर, 2002 को समाप्त अवधि के लिए "सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कम्प्यूटरीकरण की प्रगति" संबंधी सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भेजी गई छमाही रिपोर्ट के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्थापित एटीएम की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) बैंकों द्वारा स्थापित एटीएम की संख्या से संबंधित आंकड़े केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही एकत्र किए जाते हैं। स्थान-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) ए टी एम खोलना अलग-अलग बैंकों का विषय है तथा बैंक ही कारोबार व्यवहार्यता के आधार पर ए टी एम खोलने के स्थान का निर्धारण करते हैं।

विवरण

क्र.सं.	बैंकों के नाम	30.9.2002 की स्थिति के अनुसार स्थापित एटीएम
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	1138
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	26
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	30
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	14
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	3
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	49
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	5
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	15
9.	इलाहाबाद बैंक	43
10.	आन्ध्रा बैंक	83
11.	बैंक आफ बड़ौदा	34
12.	बैंक आफ इंडिया	93
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	44
14.	केनरा बैंक	135
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	25
16.	कार्पोरेशन बैंक	252
17.	देना बैंक	42
18.	इंडियन बैंक	74
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	58
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	33
21.	पंजाब नैशनल बैंक	192
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	6
23.	सिंडिकेट बैंक	31
24.	युको बैंक	14
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	26
26.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	7
27.	विजया बैंक	18
	कुल	2490

[हिन्दी]

राष्ट्रीय गन्ना एवं गन्ना प्रौद्योगिकी संस्थान का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को हस्तांतरण

1858. श्री बालकृष्ण चौहान : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के जिला मऊ में स्थित राष्ट्रीय गन्ना एवं गन्ना प्रौद्योगिकी संस्थान को सैद्धान्तिक रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सौंप दिया गया है;

(ख) येदि हां, तो उपर्युक्त कॉम्प्लैक्स को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अभी तक न सौंपे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त कॉम्प्लैक्स का हंस्तातरण किस समय तक पूर्ण कर लिया जाएगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश के मऊ स्थित गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अंतरित करने का निर्णय सिद्धांत रूप में ले लिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वित्तीय दायित्वों, लंबित विधानों आदि के संबंध में कुछ सूचनाएं मांगी हैं। संस्थान के सुपुर्द करने के संबंधित कार्य को पूरा करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

सेबी द्वारा आई.पी.ओ. संबंधी दिशा-निर्देश

1859. डा. बलिराम : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेबी ने आईपीओ जारी किए जाने के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा की है/करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दिशानिर्देशों को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पिछले 6 महीनों में आईपीओ जारी करने के लिए कोई नए दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं।

सेबी ने प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का गठन किया है जो सेबी (प्रकटन और निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 में अपेक्षित परिवर्तनों के बारे में प्राथमिक बाजार में भागीदारों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर सेबी को अनुशंसाएं करती है।

इस समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर सेबी द्वारा विचार किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो समय-समय पर सेबी (प्रकटन और निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 में संशोधन किए जाते हैं।

सुपारी की खरीद

1860. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से सुपारी की खरीद के संबंध में कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने जनवरी से जून, 2003 मौसम के लिए एरीकेनट (छाली) के संबंध में बाजार हस्तक्षेप करने की योजना प्रस्तुत की है। केरल सरकार ने मौसम के दौरान 65 रुपये प्रति किलोग्राम के बाजार हस्तक्षेप मूल्य पर 9000 टन ऐरीकेनट खरीदने का प्रस्ताव किया है। इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने स्कीम के क्रियान्वयन के संबंध में होने वाली हानि का 50% वहन करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) प्रस्ताव में राज्य सरकार ने वर्ष 2001-02 के दौरान उत्पादन और 2003 मौसम के लिए प्रत्याशित उत्पादन तथा संभावित मूल्यों के आंकड़े नहीं भेजे हैं। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में बाजार हस्तक्षेप की योजना क्रियान्वित करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए यह सूचना अपेक्षित है। राज्य सरकार से यह सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

आर्थिक सुधार

1861. प्रो. रासासिंह रावत :
श्री के.पी. सिंह देव :

क्या **वित्त कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में आर्थिक सुधारों हेतु विभिन्न कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपर्युक्त आर्थिक उपायों की पुनरीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) सरकार द्वारा वर्ष 1991 से ही अनेक आर्थिक सुधार संबधी उपाय किये गये हैं, जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास में तेजी लाना, अधिक निवेश को सुसाध्य बनाना, प्रतिस्पर्द्धात्मक भावना को बढ़ाना, निर्धनता स्तर को घटाना, निजी क्षेत्र को अधिक अवसर देना, तथा विश्व आर्थिक व्यवस्था के साथ अधिक समेकन स्थापित करना है। इन सुधार संबंधी उपायों के परिणामस्वरूप, आर्थिक वृद्धि में सुधार, मुद्रास्फीति दर में कमी, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह में समग्र वृद्धि, भुगतान संतुलन व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार के संचय में सुनिश्चितता और विदेशी ऋण संकेतकों में संपूर्ण सुधार हुए हैं। आर्थिक सुधार निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और मौजूदा परिस्थिति के आधार पर, समय-समय पर इन उपायों की समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

चाय बागानों को बंद किया जाना

1862. श्री के. फ्रांसिस जार्ज :
श्री शिबु सोरेन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के कई भागों में विशेषकर उत्तरी बंगाल और केरल में बड़ी संख्या में चाय कंपनियों ने चाय बागान बंद कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) इससे प्रभावित होने वाले श्रमिकों की राज्यवार संख्या कितनी हैं;

(घ) क्या इन बागानों के बंद होने के कारण श्रमिकों को होने वाली समस्याओं तथा अन्य परिणामों से निपटने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कोई कदम उठाए है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) उत्तरी बंगाल, असम, त्रिपुरा और केरल में चाय के कुछ बागानों में पिछले कुछ वर्षों मे मुख्यत: चाय की कीमतों में निरंतर गिरावट आने और चाय की अधिक उत्पादन लागत के कारण तालाबंदी कर दी गयी है/परित्याग कर दिया गया है जिसकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप बागान श्रमिकों के वेतनों के भुगतान में विलम्ब हुआ और और कभी-कभी भुगतान नहीं किया गया है तथा राशन की आपूर्ति नहीं हो पायी है जिसके कारण श्रमिकों में अशांति उत्पन्न हुई। परित्यक्त/तालाबंद चाय बागानों की संख्या और प्रभावित श्रमिकों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

राज्य का नाम	परित्यक्त/तालाबंद चाय बागानों की संख्या	प्रभावित श्रमिकों की संख्या
पश्चिम बंगाल	12	13050
असम	03	2526
त्रिपुरा	04	560
केरल	06	3250

इसके अतिरिक्त केरल में 5 बागान जिनमें लगभग 2500 श्रमिक हैं, प्रबंधकों की अनुपस्थिति में श्रमिकों और कर्मचारियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने भारत में श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए विभिन्न अधिनियमों और नियमों का अधिनियमन किया है। इनके अधीन बनाए गए बागान श्रमिक अधिनियम और नियमों द्वारा चाय बागान श्रमिकों के लिए विभिन्न सुविधाओं को प्रशासित किया जाता है तथा चाय बागानों में कार्य की शर्तों को विनियमित किया जाता है। राज्य सरकारें उक्त अधिनियम के अधीन बागान श्रमिकों को उपलब्ध कराए जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की प्रगति पर निगरानी रखने सहित बागान श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न लाभ प्रदान करने के लिए उचित प्राधिकरण हैं। केरल राज्य सरकार ने प्रभावित बागान श्रमिकों को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं जिनमें श्रमिकों को चावल का मुफ्त वितरण, कृषि आय कर के स्थगन के अतिरिक्त चिकित्सा, शिक्षा और अन्य मूल सुविधाओं की व्यवस्था शामिल हैं। चूंकि चाय बागान उद्योग में वर्तमान संकट चाय के अलाभकारी मूल्यों के कारण है इसलिए भारत सरकार ने चाय उद्योग की सहायता करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- वर्ष 2002-03 के बजट में चाय के उत्पाद शुल्क को 2 रुपए प्रति किग्रा. से कम करके 1 रुपया प्रति किग्रा. कर दिया गया है।

- वर्ष 2001-02 के बजट में आयकर अधिनियम की धारा 33 क ख के अंतर्गत छूट को 20% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।

- देश में छोटे उत्पादकों द्वारा विनिर्मित चाय की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए टी बोर्ड द्वारा एक गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

- सार्वजनिक चाय नीलामियों के जरिए 75% चाय उत्पादन की अनिवार्य बिक्री की शर्त को हटाने के लिए चाय विपणन (नियंत्रण) आदेश, 1984 को संशोधित किया गया है। चाय के उत्पादक अब अपनी चाय कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

- वर्ष 2002-03 के बजट में की गयी घोषणा के अनुसार चाय के आयात पर मूल सीमा शुल्क को 70% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है।

- मध्य अवधि निर्यात नीति के एक हिस्से के रूप में भारतीय चाय का संवर्धन करने के लिए एक संचार

अभियान और टी बोर्ड द्वारा विकसित लोगो को अभी हाल ही में रूस में शुरू किया गया है।

- देश में उत्तम गुणवत्ता वाली परम्परागत और गैर प्रसंस्कृत सीटीसी चाय के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए टी बोर्ड द्वारा कारखाना उन्नयन की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

- सरकार ने हैंडलिंग, पैकेजिंग, परिवहन/भाड़ा प्रभारों की आंशिक लागत को पूरा करने के लिए चाय के निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किए हैं।

- 100% निर्यातोन्मुख एककों (ईओयू) और निर्यात प्रसंस्करण जोनों के एककों (ईपीजैड) द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में चाय की बिक्री पर प्रतिबंध हैं।

- देश के भीतर चाय की खपत में सुधार करने के लिए एक प्रजातिगत संवर्धन अभियान शुरू किया गया है।

- आरबीआई द्वारा एक राहत पैकेज की घोषणा की गयी है जिसमें चाय क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋणों का पुनर्गठन/पुनः भुगतान कार्यक्रम बनाने की व्यवस्था है।

आयकर प्रत्यर्पण

1863. श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के बीच आयकर प्रत्यर्पण का प्रतिशत कुल के संग्रह के 5.3 प्रतिशत और 43.4 प्रतिशत के बीच रहा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आयकर विभाग के पास चैक बुक की कमी के कारण भी प्रत्यर्पण संभव नहीं हो पा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो आयकर दाताओं को शीघ्र प्रत्यर्पण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) आयकर विभाग में एम.आई.सी.आर. रिफण्ड वाउचर बहियों की कमी के कारण बड़े शहरी स्थानों में कुछेक मामलों में वापसियों को जारी करने में कभी-कभी विलम्ब हुआ है।

(घ) सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पैनल पर अनुमोदित प्राईवेट मुद्रकों के माध्यम से वापसी वाऊचरों को मुद्रित कराने के लिए आयकर विभाग के प्रस्ताव को "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रदान कर दिया है।

पिछड़े क्षेत्रों में एलआईसी तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेश

1864. श्री अमर राय प्रधान : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार, पिछले तीन वर्षों में भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा विभिन्न राज्यों के पिछड़े हुए क्षेत्रों और विशेषकर पश्चिमी बंगाल के उत्तरी बंगाल क्षेत्र को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सहायता से अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में लाभान्वित हुए लोगों की राज्य-वार संख्या क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निर्यातोन्मुखी इकाइयों द्वारा शुल्क की चोरी

1865. श्री रामजी मांझी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि निर्यातोन्मुखी इकाइयां (ईओयू) को सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों की शुल्क की चोरी करके दुरूपयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार की जानकारी में आए ऐसे मामलों की संख्या क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार और निर्यातोन्मुखी इकाइवार निर्यातोन्मुखी इकाईयों द्वारा अब तक कुल कितनी शुल्क चोरी किया जा चुका है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत में निवेश के लिए प्रस्ताव

1866. श्रीमती प्रभा राव : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान की कुछ कंपनियों से भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) से (ग) विदेशी विनियमन प्रबंधन (भारत से बाह्य के किसी आवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमन, 2000 (अधिसूचना 20/2000-आर.बी. दिनांक 3.5.2000) के विनियम 5(1) की शर्तों के अधीन पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों अथवा सत्ता, चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं, और श्रीलंका के नागरिकों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष (एफ.डी.आई.) का किया जाना प्रतिबंधित है। वर्तमान पद्धति के अनुसार, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) से संबंधित सभी आवेदन-पत्रों को विधिवत रूप में पंजीकृत किया जाता है और ये आवेदन-पत्र वेबसाइट ''डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्य डी आई पी पी एन आई सी इन'' में डाल दिया जाते हैं एफ आई पी बी से संबंधित ऐसे सभी प्रस्तावों पर, जिनमें चीन के निवेश संबंधी प्रस्ताव भी शामिल हैं, उक्त प्रस्तावों पर क्षेत्रीय नीतिगत विनियमों तथा सामरिक अथवा रक्षा से संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित अंतर-मंत्रालयीय परामर्श के बाद विचार किया जाता है।

चंड़ीगढ़ में ऋण योजना का कार्यनिष्पादन

1867. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि संघ राज्य क्षेत्र चंड़ीगढ़ में जिला ऋण योजना और अन्य कल्याण योजनाओं के लगातार खराब कार्य निष्पादन का मुख्य कारण भागीदार बैंकों का उदासीन होना है; और

(ख) यदि हां, को स्थिति में सुधार लाने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2001 और 2002 के लिए जिला ऋण योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र चंड़ीगढ़ के निम्नलिखित कार्य निष्पादन की सूचना दी है:-

(रु. लाख में)

क्षेत्र	मार्च 2001 की स्थिति के अनुसार			मार्च 2002 की स्थिति के अनुसार		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्राप्त %	लक्ष्य	उपलब्धि	प्राप्त %
कृषि/संबंद्ध क्रियाकलाप	191	261	136	220	318	145
लघु उद्योग	50	27	53	64	12	19
सेवा	179	154	86	267	229	86
योग	420	442	105	551	559	101

जहां तक प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) जैसी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कार्य निष्पादन का संबंध हैं, गिरावट का कारण मामलों की अपर्याप्त प्रायोजन, विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रायोजित आवेदनों की खराब गुणवत्ता एवं कृतिक बल समिति द्वारा अपर्याप्त संख्या में अनुमोदन रहा है। अतिरिक्त सुधार दर्जा करने के उद्देश्य से जिला परामर्शदात्री समिति की तिमाही बैठकों में नियमित रूप से ऋण योजना के संबंध में बैंकों के कार्यनिष्पादन पर विचार-विमर्श किया जाता हैं।

काफी उत्पादन

1868. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में देश में काफी का कितना उत्पादन हुआ और काफी की राज्य-वार प्रति हेक्टेयर उत्पादकता क्या है;

(ख) राज्य-वार, बागानों का औसत आकार क्या है;

(ग) देश में काफी की खपत कितनी है तथा कुल कितनी काफी का निर्यात किया जाता है और उन देशों के नाम क्या है जिन्हें काफी निर्यात की जाती है तथा निर्यात की जाने वाली काफी की किस्में कौन-कौन सी हैं;

(घ) क्या पिछले कुछ वर्षों में काफी की कीमतों में गिरावट आई हैं यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा पिछले तीन वर्षों में कीमतों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या काफी की कीमतों में गिरावट के कारण काफी उत्पादकों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(च) यदि हां, तो काफी बागानों के मालिकों के लिये क्या पैकेज प्रस्तावित किया गया है तथा कीमतों को बनाये रखने के लिए तथा उत्पादकों को लाभ दिलाने के लिए तथा अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये क्या वैकल्पिक कार्यकरण बनाया गया है;

(छ) क्या सरकार का विचार उत्तम क्वालिटी की इंसटेंट काफी के उत्पादन के लिये काफी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना का है जिससे कि निर्यात बाजार को बढ़ाया जा सके; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कॉफी उत्पादन और उत्पादकता निम्न प्रकार है:-

(उत्पादन मात्रा एमटी में/उत्पादकता किग्रा./हैक्टे. में)

राज्य	1999-2000	2000-2001	2001-2002	औसत उत्पादकता
कर्नाटक	209100	210950	208670	1045
केरल	60470	70550	66690	787
तमिलनाडु	19400	16450	21630	705
आन्ध्र प्रदेश	2176	2220	2500	143
उड़ीसा	152	180	40	209
पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा गैर-परम्परागत क्षेत्र	702	850	710	88

(ख) राज्यवार औसत बागान जोतों का आकार-उनकी संख्या नीचे दी गई है।

आकार (है)	कर्नाटक	केरल	तमिलनाडु	अन्य	कुल
छोटी जोत (0.10 है.)	52621	76997	14085	10508	154211
बड़ी जोत (10 है. से अधिक)	1918	307	351	24	2600
कुल (भारत)	54539	77304	14436	10532	156811

(ग) देश में कॉफी की औसत वार्षिक खपत लगभग 60,000 मी. टन है। वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान निर्यात की गई कॉफी की मात्रा क्रमश: 2.45 लाख टन (मूल्य 1901 करोड़ रुपए), 2.47 लाख टन (मूल्य 1377 करोड़ रुपए) और 2.13 लाख टन (मूल्य 1049 करोड़ रुपए) रही है। भारतीय काफी का विश्व के 60 के अधिक देशों को निर्यात किया जाता है। भारतीय कॉफी का आयात करने वाले कुछ प्रमुख देश इटली, रूसी परिसंघ, जर्मनी, बैल्जियम, स्पेन, स्लोवेनिया, अमरीका,

जापान, यूनान, कुवैत, स्विटजरलैंड इत्यादि है। कॉफी निर्यातों के गंतव्य स्थान-वार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसी एंड आईएस), कोलकाता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार आंकड़ों में उपलब्ध हैं, जिनकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) हाल ही के वर्षों में उत्पादक देशों द्वारा कॉफी की खपत से कॉफी का अधिक उत्पादन करने के कारण कॉफी की कीमतों में गिरावट आई है। कीमत की गिरावट से भारत सहित सभी कॉफी उत्पादक देश प्रभावित हुए है और भारत में कॉफी उत्पादक आज उतनी कीमतें भी प्राप्त नहीं कर रहें हैं जितनी वे 2-3 वर्ष पहले प्राप्त कर रहे थे। पिछले वर्षों के दौरान उत्पादकों को उपलब्ध औसत कॉफी निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	कीमत (रुपए/किग्रा.)	
1999	81	60
2000	80	40
2001	56	29

(च) भारत सरकार कॉफी बोर्ड के जरिए कॉफी के विकास हेतु अनेक योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत कॉफी उत्पादकों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय/तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कॉफी की उत्पादकता बढ़ाने तथा गुणवत्ता में सुधार पर भी जोर दिया जा रहा है कॉफी उत्पादकों के सामने आ रही समस्याओं के चिन्तित होकर भारत सरकार ने हाल ही में कॉफी उत्पादकों के लाभ हेतु अनेक पहल की है जैसे कॉफी उत्पादकों द्वारा लिए गए आवधिक ऋणों और फसल ऋणों का पुनर्गठन करना, छोटे उत्पादकों को उनके द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर 5% ब्याज छूट प्रदान करना, कॉफी के निर्यात हेतु प्रोत्साहनों का पैकेज और अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में नवप्रवर्तनकारी विपणन नीतियां ताकि निर्यातों में गिरावट को रोका जा सके और घरेलू खपत को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, कॉफी बोर्ड के 10वीं पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम और स्कीमों को तैयार कर लिया गया है ताकि इस क्षेत्र का दीर्घावधि विकास सुनिश्चित किया जा सके। हाल ही में सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने बागान उद्योग की ऋण संबंधी समस्याओं पर शीघ्र ध्यान देने के लिए एक "बागान उद्योग प्रकोष्ठ" गठित किया है।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कर्नाटक और गुजरात को विश्व बैंक से ऋण

1869. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा गुजरात राज्य के भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों और कर्नाटक को दो परियोजनाओं के लिए 54.2 करोड़ डॉलर का ऋण मंजूर करने का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त ऋण कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ग) परियोजनाओं के लिए राज्य-वार और परियोजना-वार कितनी निधियां आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उपर्युक्त ऋण कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं। इस संदर्भ में ऋणों के लिए कोई नए प्रस्ताव नहीं हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में बैंक शाखाएं

1870. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उन बैंकों, जिनको विभिन्न राज्यों, विशेषकर बिहार में चालू वित्त वर्ष के दौरान, अपनी अतिरिक्त शाखायें खोलने के लिए प्राधिकृत किया गया है, का बैंक-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्थात् 1 अप्रैल, 2002 से आगे बिहार सहित विभिन्न राज्यों में अपनी अतिरिक्त शाखाएं, खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किए गए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

चालू वर्ष के दौरान बैंकों को जारी प्राधिकार पत्रों की बैंक-वार एवं राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	बैंक का नाम	शाखाओं की सं.
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	इलाहाबाद बैंक	2
		आन्ध्रा बैंक	4
		बैंक आफ इंडिया	2
		कार्पोरेशन बैंक	1
		इंडियन ओवरसीज बैंक	1
		ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	2
		स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	3
		कुल	15
2.	असम	पंजाब एंड सिंध बैंक	1
		सिंडिकेट बैंक	1
		विजया बैंक	1
		भारतीय स्टेट बैंक	1
		कुल	4
3.	बिहार	बैंक आफ बड़ौदा	1
		बैंक आफ इंडिया	3
		सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1
		कुल	5
4.	चण्डीगढ़	पंजाब नेशनल बैंक	2
		कुल	2
5.	छत्तीसगढ़	यूकों बैंक	2
		भारतीय स्टेट बैंक	1
		कुल	3
6.	दिल्ली	आन्ध्रा बैंक	1
		बैंक आफ बड़ौदा	1
		कार्पोरेशन बैंक	1

1	2	3	4
		ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	2
		पंजाब नेशनल बैंक	1
		सिंडिकेट बैंक	1
		यूनियन बैंक आफ इंडिया	1
		विजया बैंक	1
		भारतीय स्टेट बैंक	2
		कुल	11
7.	गोवा	भारतीय स्टेट बैंक	1
		कुल	1
8.	गुजरात	बैंक आफ बड़ौदा	2
		ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1
		पंजाब नेशनल बैंक	2
		कुल	5
9.	हरियाणा	आन्ध्रा बैंक	2
		इंडियन ओवरसीज बैंक	1
		ओरियंटल बैंक अफ कामर्स	3
		भारतीय स्टेट बैंक	1
		स्टेट बैंक आफ पटियाला	3
		कुल	10
10.	हिमाचल प्रदेश	भारतीय स्टेट बैंक	1
		स्टेट बैंक आफ पटियाला	2
		कुल	3
11.	झारखण्ड	इलाहाबाद बैंक	1
		आन्ध्रा प्रदेश	1
		बैंक आफ बड़ौदा	1
		बैंक आफ इंडिया	1
		कुल	4

1	2	3	4
12.	कर्नाटक	इलाहाबाद बैंक	1
		आन्ध्रा बैंक	2
		केनरा बैंक	5
		कार्पोरेशन बैंक	1
		इंडियन ओवरसीज बैंक	2
		ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1
		सिंडिकेट बैंक	2
		विजया बैंक	1
		स्टेट बैंक आफ मैसूर	3
		कुल	18
13.	केरल	आन्ध्रा बैंक	2
		बैंक आफ महाराष्ट्र	1
		इंडियन ओवरसीज बैंक	2
		सिंडिकेट बैंक	2
		भारतीय स्टेट बैंक	1
		कुल	8
14.	मध्य प्रदेश	इलाहाबाद बैंक	1
		बैंक आफ बड़ौदा	3
		बैंक आफ इंडिया	1
		सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2
		इंडियन ओवरसीज बैंक	2
		यूकों बैंक	1
		स्टेट बैंक आफ इन्दौर	4
		कुल	14
15.	महाराष्ट्र	बैंक आफ बड़ौदा	2
		बैंक आफ इंडिया	1
		केनरा बैंक	1
		सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2
		इंडियन ओवरसीज बैंक	1

1	2	3	4
		ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	4
		पंजाब नैशनल बैंक	1
		विजया बैंक	2
		भारतीय स्टेट बैंक	3
		स्टेट बैंक आफ इन्दौर	1
		स्टेट बैंक आफ पटियाला	4
		कुल	22
16.	मेघालय	पंजाब नेशनल बैंक	1
		कुल	1
17.	उड़ीसा	कार्पोरेशन बैंक	1
		कुल	1
18.	पांडिचेरी	इंडियन ओवरसीज बैंक	1
		कुल	1
19.	पंजाब	आन्ध्रा बैंक	1
		इंडियन ओवरसीज बैंक	2
		ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	6
		पंजाब एंड सिंध बैंक	1
		पंजाब नेशनल बैंक	5
		भारतीय स्टेट बैंक	1
		स्टेट बैंक आफ पटियाला	7
		कुल	23
20.	राजस्थान	आन्ध्रा बैंक	1
		बैंक आफ बडौदा	3
		इंडियन ओवरसीज बैंक	2
		ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1
		यूनियन बैंक आफ इंडिया	2
		कुल	9
21.	सिक्किम	इलाहाबाद बैंक	1
		कुल	1

1	2	3	4
22.	तमिलनाडु	आन्ध्रा बैंक	8
		बैंक आफ इंडिया	1
		कार्पोरेशन बैंक	1
		इंडियन बैंक	2
		इंडियन ओवरसीज बैंक	2
		ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1
		सिंडिकेट बैंक	1
		भारतीय स्टेट बैंक	2
		स्टेट बैंक आफ मैसूर	1
		स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1
		कुल	20
23.	उत्तर प्रदेश	बैंक आफ इंडिया	1
		ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	2
		पंजाब नेशनल बैंक	3
		यूनियन बैंक आफ इंडिया	1
		विजया बैंक	1
		भारतीय स्टेट बैंक	2
		स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1
		कुल	11
24.	उत्तरांचल	इंडियन ओवरसीज बैंक	1
		पंजाब नेशनल बैंक	1
		यूनियन बैंक आफ इंडिया	2
		स्टेट बैंक आफ पटियाला	4
		कुल	8
25.	पश्चिमी बंगाल	आन्ध्रा बैंक	1
		बैंक आफ बड़ौदा	1
		बैंक आफ इंडिया	1
		कार्पोरेशन बैंक	3
		पंजाब नेशनल बैंक	2
		स्टेट बैंक आफ मैसूर	2
		कुल	10
	कुल जोड़		210

जाली स्टाम्प पेपर और नोटरी पब्लिक दस्तावेजों की बिक्री

1871. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, गुजरात, मुम्बई आदि देश के अन्य भागों से अक्तूबर-नवम्बर, 2002 में जाली स्टाम्प पेपरों, स्टाम्पों और जाली नोटरी पब्लिक दस्तावेजों की बिक्री में संलिप्त गिरोह/व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जब्त किए गए जाली स्टाम्प पेपरों का कुल अनुमानित मूल्य कितना है;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) गिरोह और व्यक्तियों को किस प्रकार गिरफ्तार किया गया; और

(च) इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए की गई/प्रस्तावित ठोस कार्यवाही क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अप्रत्यक्ष कर संबंधी कृतिक बल

1872. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **वित्त और कपंनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रत्यक्ष कर संबंधी कृतिक बल के गठन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ख) इस कृतिक बल की शर्तों और गठन तथा इस कृतिक बल में सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु नामनिर्दिष्ट करने के लिए अनुसरण की गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) अप्रत्यक्ष करों पर कृतिक बल के गठन का मुख्य उद्देश्य सूचना तकनीक का लाभ उठाना है और अप्रत्यक्ष कर प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सबसे बेहतर अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के बराबर लाना है और इस तरह अनुपालन को बढ़ावा देना तथा लेन-देन लागतों में कमी करना है।

(ख) कृतिक बल की विचारणीय मदें निम्नानुसार है:-

(1) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना और उनको सरल बनाने के लिए सिफारिश करना, अनुपालन की लागत को कम करना और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना।

(2) उपभोक्ता के अनुकूल और पारदर्शीकर प्रशासन के लिए स्वचलन के अधिक प्रयोग के संबंध में सिफारिश करना।

(3) कानूनी रूप से निर्धारित रिकार्डों, दस्तावेजों और विवरणियों (आवर्तिता सहित) का समीक्षा करना और उनकी उपयोगिता के विषय में और उन्हें सरल बनाने हेतु सुझाव देना।

(4) मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए पद्धतियों में आंतरिक तन्त्र की व्यवस्था के लिए सिफारिश करना।

(5) कर दाताओं को सुविधा प्रदान करने और कर अनुपात को सुधारने के लिए कानूनी प्रावधानों और प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर कोई अन्य सिफारिश करना।

कृतिक बल के लिए कार्य की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

(1) कृतिक बल को, सरकार को 45 दिनों के भीतर अर्थात् 21.10.2002 तक अपनी सिफारिशों का एक मसौदा परामर्शी पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसे 1.11.2002 तक फीडबैक और टिप्पणी के लिए सार्वजनिक किया जाएगा, जिस पर कृतिक बल द्वारा विचार किया जाएगा और 30.11.2002 तक सरकार को एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(2) कृतिक बल को यह शक्ति दी गई है कि विभागीय अधिकारियों व्यापारियों और व्यक्तियों को साथ संपर्क कर सकते हैं तथा चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा कर सकते हैं।

(3) गैर शासकीय कृतिक बल सदस्य मानदण्ड़ों के अनुसार टी.ए./डी.ए. के पात्र होगें।

कृतिक बल की संरचना निम्नानुसार है :

1.	डा. वी.एल. केलकर, वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्री के सलाहकार	अध्यक्ष
2.	डा. अशोक लाहिरी, दिल्ली	सदस्य
3.	प्रो. जयन्त राय, भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता	सदस्य
4.	श्री सुनील कान्त मुन्जल, हीरों साइकिल्स, लुधियाना, सी.आई.आई. का प्रतिनिधित्व करने वाले	सदस्य
5.	श्री संजय भाटिया, हिन्दुस्तान टिन वर्क्स, गाजियाबाद, पी.एच.डी. चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने वाले	सदस्य
6.	श्री के.एस. सुरेश, आई.टी.सी. लि., कोलकाता फिक्की का प्रतिनिधित्व करने वाले	सदस्य
7.	श्री बीहाल कोठारी, हिन्दुस्तान लीवर लि. मुम्बई , "एसोचैम" का प्रतिनिधित्व करने वाले	सदस्य
8.	श्री वाई.पी. सूरी, रेक्स इंटरप्राईजेज, दिल्ली "फारसी" का प्रतिनिधित्व करने वाले	सदस्य
9.	श्री के.एस. रविशंकर, बंगलौर, "नासकोम" का प्रतिनिधित्व करने वाले	सदस्य
10.	श्री दीपक पूरी, मोजर बेअर, दिल्ली, इलैक्ट्रानिक्स तथा साफटवेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल	सदस्य
11.	श्री गौतम रे, संयुक्त सचिव, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली	सदस्य
12.	श्री एस.एस. भटनागर, निदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

कृतिक बल के गठन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के अंतर्गत प्रमुख चैम्बर्स आफ ट्रैड एण्ड इन्डस्ट्री एसोसिएशनों से उनके प्रतिनिधित्व नामित करने के लिए आग्रह किया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निवेश

1873. श्री ए ब्रह्मनैया : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश कम कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिक द्रव्यता वाली विदेशी मुद्राओं और जमा में अपनी धारिता बढ़ा दी है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निवेश के तरीके में इस परिवर्तन के कारण क्या हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक, मौजूदा बाजार परिस्थितियों को देखते हुए तथा भारतीय बैंक अधिनियम की धारा 17 की परिधि में रहते हुए निवेश करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2002 के प्रारम्भ में जो स्थिति रही उसकी तुलना में विदेशी प्रतिभूति निवेश में अपना निवेश में अपना निवेश कम नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार का कुछ प्रमुख मुद्राओं में निवेश कर रहा है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक नकदीकरण है। वर्ष 2002 की शुरूआत में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शहरी सहकारी बैंक

1874. श्रीमती रेणुका चौधरी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन के लिए अध्यादेश के कार्य प्रभाव क्षेत्र से शहरी सहकारी बैंकों को बाहर रखने का क्या औचित्य है; और

(ख) शहरी सहकारी बैंकों के गैर-निष्पादन परिसम्पत्तियों के आंकड़े और 1999-2000 के बाद से, वर्षवार शहरी सहकारी बैंकों के गैर-निष्पादन परिसम्पत्तियों की वसूली के लिए की गई नीतिगत पहल क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) इस समय वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ही उक्त अध्यादेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तथापि, केन्द्र सरकार गजट अधिसूचना जारी करके उक्त अध्यादेश के उपबंधों में किसी भी अन्य संस्था या वर्ग को शामिल कर सकती है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई सूचना के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों (यू सी बी) की अनुपयोज्य आस्तियों (एन पी ए) के 1999-2000 से वर्ष-वार आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

निम्नलिखित तारीख की स्थिति के अनुसार	बैंकों की सं.	सूचना देने वाले यू सी बी की सं.	सकल अनुपयोज्य आस्तियां (करोड़ रु. में)	कुल अग्रिम राशि के प्रतिशत के रूप में सकल अनुपयोज्य आस्ति
31 मार्च, 2000	2050	1,784	4,535	12.2
31 मार्च, 2001	2084	1,942	9.245	16.1
31 मार्च, 2002	2090	1,342	11,472	21.9

ऋण वसूली को प्रोत्साहित करने के लिए एक उपाय के रूप में सहकारी बैंकिग क्षेत्र में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(1) यू सी बी को सलाह दी गई थी कि जान बूझकर चूक करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक उपाय शुरू करें;

(2) अक्तूबर 2001 में सभी राज्य के मुख्य सचिवों/केन्द्र सहकारी समिति रजिस्ट्रार से अनुरोध किया गया था कि अपने राज्यों के यू सी बी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित योजना के मसौदे के अनुसार अनुपयोज्य आस्तियों के एक बारगी निपटान की योजना को कार्यान्वित करने के लिये उपयुक्त निर्देश जारी करने पर विचार करें।

[हिन्दी]

भारतीय जीवन बीमा निगम के डिविजनों का कम्प्यूटरीकरण

1875. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम् का इंटरनेट के माध्यम से लेन-देन को सुगम बनाने के लिए सभी 89 डिविजनल कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अनुमानित व्यय और कोराबार में वृद्धि का अनुमानित अनुपात क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि उन्होंने देश भर में 89 केन्द्रों के सभी 100 मंडल कार्यालयों को पहले ही नेटवर्क से जोड़ दिया है। 2048 शाखाओं में से 1421 शाखाओं को नेटवर्क से जोड़ दिया गया है और शेष शाखाओं की नेटवर्किंग नौ महीने के समय में पूरी हो जाने की संभावना है। कम्प्यूटरीकरण के कारण कारोबार में होने वाली वृद्धि का अनुमानित अनुपात पालिसियों में लगभग 15%, बीमित राशि में 25% और प्रथम प्रीमियम आय में 40% है।

कृषकों के ऋणों को माफ करना

1876. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान कृषकों द्वारा लिए गए ऋणों और उन पर तत्संबंधी ब्याज को माफ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण देने वाले सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों के नाम क्या है; और

(ग) इस मद पर इन अभिकरणों द्वारा कुल कितना घाटा होने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान किसानों द्वारा लिए गए ऋण तथा इन पर लगे ब्याज को माफ करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सरकार से परामर्श करके दक्षिण-पश्चिमी मानसून के विफल होने से प्रभावित राज्यों में चालू वित्त वर्ष के दौरान ब्याज सहित फसल ऋणों की कोई वसूली न करने का निर्णय लिया है।

तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 नवम्बर, 2002 के अपने परिपत्र के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित जिलों में सूखे से प्रभावित किसानों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खरीफ 2002-03 के लिए निम्नलिखित सहायता/राहत दी जाए:-

(1) खरीफ फसल ऋण के संबंध में चालू वित्त वर्ष के दौरान मूल अथवा ब्याज के रूप में किसी राशि की वसूली नहीं होनी चाहिए

(2) फसल ऋण की मूल राशि को मीयादी ऋण में परिवर्तित किया जाना चाहिए तथा इसकी वसूली छोटे एवं सीमान्त किसानों के मामले में न्यूनतम पांच वर्ष तथा अन्य किसानों के मामले में चार वर्ष की अवधि के दौरान की जाएगी।

(3) चालू वित्त वर्ष के दौरान फसल ऋण पर देय ब्याज को भी आस्थगित किया जाना चाहिए। आस्थगित ब्याज पर कोई ब्याज नहीं लेना चाहिए।

(ख) देश में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराते हैं।

(ग) उपर्युक्त के अनुसार ऋणों के पुनर्निर्धारण पर बैंकों को देय ब्याज का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। तथापि, उपर्युक्त उपाय की घोषणा हाल ही में हो गई है और अत: इस घाटे की मात्रा का निर्धारण करना जल्दबाजी होगी।

[अनुवाद]

जाली कंपनियां

1877. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 48 कंपनियों का क्या ब्यौरा है जिनके बारे में सूचना मिली है कि उन्होंने जाली शेयरों को चलाया है और इस प्रकार से निवेशकों के लगभग 2000 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं; और

(ख) इस संबंध में, इन कंपनियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि सेबी को निक्षेपागारों से जाली शेयर चलाने वाली कंपनियों के बारे में किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है, जैसाकि प्रेस रिपोर्ट में कहा गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सुपर बाजार को बंद करना

1878. श्री वाई.जी. महाजन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुपर बाजार को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) इस समय सुपर बाजार के कितने खुदरा बिक्री केंद्र हैं; और

(घ) सुपर बाजार की इस समय कुल कितने मूल्य की परिसम्पत्तियां है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक ने दिनांक 5.7.2002 के आदेश द्वारा सुपर बाजार, दि कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली को बंद करने का निदेश दिया है।

(ख) सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक ने सुपर बाजार को बंद करने के आदेश जारी करते समय यह पाया कि वर्तमान में सुपर बाजार वित्तीय विघटन के कगार पर है और यह सरकार से निरंतर वित्तीय सहायता के बिना अपने कार्यकलापों को आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है।

(ग) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि इस समय खुदरा दुकानों की संख्या 125 है जो सभी बंद होने की प्रक्रिया के कारण काम नहीं कर रही है।

(घ) सुपर बाजार की परिसम्पत्तियों के अवमूल्यन तथा वर्षों की संचित हानि को ध्यान रखते हुए इसका निबल मूल्य नकारात्मक है।

केरल के खाद्यान्न कोटे में वृद्धि

1879. श्री जार्ज ईडन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने क्रिसमस और नव वर्ष के अवसर पर राज्य के खाद्यान्न आवंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बहुस्तरीय विपणन

1880. डा. एस. वेणुगोपाल : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बहु-स्तरीय विपणन (एमएलएम) के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिर पर मैला ढोने वाले

1881. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ''एम्पलायमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेन्जर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन ऑफ ड्राई लैटरीन एक्ट, 1993'' को अब तक अंगीकार नहीं करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी राज्यों जिन्होंने इस अधिनियम को अंगीकार कर लिया है, सिर पर मैला ढोने वालो के नियोजन का अब तक पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम और उत्तराचल राज्यों ने सिर पर मैला ढोने वालों को रोजगार एवं शुष्क शौचालय निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 को स्वीकार नहीं किया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, असम, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश राज्यों ने इस अधिनियम को स्वीकार कर लिया है, जिसमें से गोवा, गुजरात और त्रिपुरा राज्यों ने स्वयं को स्कैवेंजर मुक्त के रूप में घोषित किया है। केरल, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम राज्यों ने अधिनियम को स्वीकार नहीं किया है किन्तु स्कैवेन्जर मुक्त के रूप में घोषित किया है।

झारखण्ड में खाद्यान्न घोटाला

1882. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 अगस्त, 2002 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में प्रकाशित समाचार के अनुसार झारखण्ड में अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत रियायती दरों पर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों में वितरण हेतु दिए गए खाद्यान्नों को लाभ अर्जित करने के लिए बेचा गया;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (घ) झारखंड राज्य सरकार ने इस मामले में पहले ही अपेक्षित कार्यवाही कर दी है।

गरीबी उन्मूलन के लिए ऋण

1883. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी बैंक (लीड बैंक) उस क्षेत्र के व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों को ऋण प्रदान करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान बैंक-वार गुजरात में इस उद्देश्य के लिए अग्रणी बैंकों द्वारा कितना ऋण दिया गया?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अग्रणी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक स्वर्णजंयती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई), तथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) जैसी सरकार प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वन में भाग लेते है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गुजरात में पिछले तीन वर्ष के लिए एस जे एस आर वाई तथा एस जी एस वाई योजनाओं के अंतर्गत बैंकों के कार्यनिष्पादन संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000, 2000-2001 एवं 2001-2002 के दौरान गुजरात में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कार्य निष्पादन

वर्ष	संस्वीकृति		वितरण	
	संख्या	राशि (लाख रु.)	संख्या	राशि (लाख रु.)
1999-2000	3968	1003.94	3677	907.49
2000-2001	3070	772.00	2831	705.28
2001-2002	3166	929.63	2958	829.05

विवरण-II

वर्ष 1999-2000, 2000-2001 एवं 2001-2002 के दौरान गुजरात में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कार्य निष्पादन

(लाख रु. में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	बैंक आफ बड़ौदा	846	1151	823.06	2819.06
2.	बैंक आफ इंडिया	159	245	214.06	618.06
3.	बैंक आफ महाराष्ट्र	6	19	8.73	24.73
4.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	157	237	198.75	592.75
5.	देना बैंक	331	695	630.88	1653.88
6.	इंडियन बैंक	7	11	8.80	26.80
7.	इंडियन ओवरसीज बैंक	15	23	21.57	59.57
8.	सिंडिकेट बैंक	14	40	9.66	63.66
9.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	97	170	117.13	374.13

1	2	3	4	5	6
10.	यूको बैंक	16	45	30.63	91.63
11.	भारतीय स्टेट बैंक	432	622	519.03	1564.03
12.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	287	476	452.80	1215.80
13.	पंजाब नेशनल बैंक	6	15	13.24	34.24
14.	अन्य वाणिज्यिक बैंक	43	14	9.41	66.41
15.	ग्रामीण बैंक	460	973	988.25	2421.25
16.	सहकारी बैंक	1105	1579	1001.09	580.63
17.	अन्य संस्थाएं	83	167	174.32	424.32
	कुल	4064	6463	5198.41	15735.41

अनुसूचित जनजातियों को मान्यता देना

1884. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के छोटा नागपुर डिविजन से असम में प्रवास करने वाली जनजातियों को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम सरकार ने भी इन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (घ) झारखंड सहित अन्य राज्यों से असम के चाय बागानों में मजदूर के रूप में प्रवास करने वाली जनजातियों को असम में अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता नहीं मिली है क्योंकि उस राज्य के संबंध में उन्हें इस प्रकार अधिसूचित नहीं किया गया है। असम सरकार ने उन्हें अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित करने की सिफारिश की थी। इस प्रकार को दावों पर निर्णय लेने की सिफारिश पर अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की गई है।

बीमा कंपनियों की ग्रामीण क्षेत्र के प्रति बाध्यता

1885. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने ग्रामीण क्षेत्र की कठोर परिभाषा को हटाने की घोषणा की है, जो कि नई बीमा कंपनियों के लिए उनकी अनिवार्य ग्रामीण क्षेत्र बाध्यताओं को पूरा करने में बाधा साबित हो रही थी;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र संबंधी विनियमों का सकारात्मक स्वरूप, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के बीमे के विकास के विरुद्ध था; और

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्र की कठोर परिभाषा के हटाये जाने से ग्रामीण क्षेत्र को किस सीमा तक सहायता मिली है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि अब उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की जनगणना संबंधी परिभाषा के अपना लिया है। ऐसा विनियमों के बेहतर अनुपालन और आईआरडीए द्वारा उनकी मॉनीटरिंग को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। प्राधिकरण ने ग्रामीण क्षेत्र के प्रति जीवन बीमाकर्ता के दायित्वों में भी वृद्धि की है। उन्होंने यह निर्धारित किया है कि कोई भी बीमाकर्ता 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए रिकार्ड किए गए कारोबार के स्तर से कम ग्रामीण/सामाजिक क्षेत्र का कारोबार नहीं करेगा। ये संशोधन वित्तीय वर्ष 2002-03 से प्रभावी होंगे।

(ख) और (ग) आईआरडीए ने सूचित किया है कि ये विनियम ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के बीमा के विकास के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे। आईआरडीए ने उन कम्पनियों को नोटिस जारी किए हैं जिन्होंने ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र संबंधी अपने दायित्वों को नहीं निभाया है। यह आशा की जाती है कि नए संशोधनों से बीमाकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान और विनियमन संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में अधिक सुविधा होगी।

निजी केबल नेटवर्क से अर्जित आय

1886. श्री राम टहल चौधरी :
श्री मान सिंह पटेल :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न निजी केबल नेटवर्क संगठनों से सरकार को कुल कितनी आय अर्जित हुई है;

(ख) क्या सरकार के पास बड़ी केबल नेटवर्क कंपनियों की कार्यप्रणाली और मासिक आय का पता लगाने और तत्संबंधी जांच करने के लिए निगरानी अभिकरण है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) केबल टी.वी प्रचालनों में लगी फार्मों/कम्पनियों/व्यष्टियों से संबंधित मामले केन्द्रीकृत नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के व्यवसाय कार्यकलाप से प्राप्त आय के अलग रिकार्ड आय कर विभाग द्वारा नहीं रखे जाते।

(ख) सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के व्यवसाय कार्यकलापों और उनकी मासिक आय की निगरानी के लिए कोई अलग अभिकरण गठित नहीं किया हैं। आयकर विवरणी के अनुसार, कर निर्धारिती को केवल वार्षिक आय घोषित करनी आवश्यक है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) जब कभी किसी व्यक्ति (केबल टी.वी प्रचालकों समेत) द्वारा कर का अपवंचन अथवा आय के संगोपन का कोई मामला सरकार के ध्यान में आता है, तब सरकार को होने वाले राजस्व के नुकसान को रोकने के लिए कानून में की गई व्यवस्था के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ङ) कोई सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता नहीं है।

चाय और कॉफी उद्योग में संकट

1887. श्री पी.सी. थामस :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री के. फ्रांसिस जार्ज :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को बहुत कम मूल्य मिलने के कारण चाय और कॉफी की खेती पर संकट गहरा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थिति से उबरने के लिए चाय और कॉफी उत्पादकों के शिष्टमंडल ने अलग-अलग काफी सारी मांगें रखी हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कॉफी और चाय उद्योग के सम्मुख आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए वित्त और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों की कोई संयुक्त बैठक हुई है;

(ङ) यदि हां, तो इस बैठक के क्या परिणाम हैं;

(च) क्या सरकार ने उत्पाद शुल्क को हटाने और आयात शुल्क को बढ़ाने तथा आयात इत्यादि को बन्द करने का निर्णय लिया है ताकि उत्पादकों की समस्या को दूर किया जा सकें;

(छ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है;

(ज) क्या बागवानी फसलों विशेषकर चाय और कॉफी के पुनः निर्यात के लिए आयात हेतु केरल सरकार और अन्य राज्यों द्वारा सुझाव दिया जा रहा है; और

(झ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) जी, हां। देश में चाय और कॉफी बागान कम कीमतों की वजह से संकट का सामना करते आ रहे हैं तथा चाय और कॉफी उत्पादकों के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने

चाय पर उत्पाद शुल्क कम करने, घरेलू एवं निर्यात दोनो प्रकार की मांग को बढ़ाने के उपाय करने, चाय के आयातों को स्थगित करने, चाय नीलामी सुधार, हरी पत्ती के लिए कीमत निर्धारण तंत्र, कॉफी उत्पादकों द्वारा लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान में छूट देने, कॉफी ऋणों तथा मूलधन पर ब्याज को माफ करने तथा कॉफी कीमत सहायता के उपाय करने इत्यादि के लिए सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं।

(घ) और (ङ) चाय और कॉफी सहित वस्तु क्षेत्र की समस्याओं को समाधान करने के लिए वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों समेत भारत सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समय-समय पर विचार विनिमय किया जाता है।

(च) और (छ) सरकार ने दिनांक 1.4.2002 से चाय पर उत्पाद शुल्क 2 रुपए से घटाकर 1 प्रति रुपए प्रति किग्रा. कर दिया है तथा चाय और कॉफी के लिए आयात शुल्क बढ़ाकर 100% कर दिया है।

(ज) जी, नहीं

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय बैंक धोखाधड़ी निवारण बोर्ड

1888. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय बैंक धोखाधड़ी निवारण बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त बोर्ड को अब तक कितने मामले सौंपे गए है;

(घ) बोर्ड ने उपरोक्त मामलों में से 28 फरवरी, 2002 तक कितने मामलों का निपटान किया है; और

(ङ) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने व्यक्ति दोषी पाए गए हैं और कितनों को दंड दिया गया हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) और (ख) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के उधार खातों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सलाह देने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा बैंक धोखाधड़ियों से संबंधित केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन 1 मार्च, 1999 में किया गया था। इस बोर्ड की सलाह केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। दिनांक 8.8.2000 से इस बोर्ड का नाम बदल कर बैंकिंग वाणिज्यिक और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड (ए.बी.बी.सी.एफ.एफ.) कर दिया गया है। इस बोर्ड का क्षेत्राधिकार इन मामलों तक सीमित होगा जहाँ सरकारी क्षेत्र के उद्यम, बैंक, वित्तीय संस्थाओं या बीमा कम्पनी से असहमति रखते हुए (1) सरकारी क्षेत्र के बैंक में उधार खाते में धोखाधड़ी या, (2) सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्था, उद्यम या बीमा कम्पनी में वित्तीय या वाणिज्यिक धोखाधड़ी के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो नियमित मामला (आर.सी.) दायर करना/प्राथमिक जांच करना चाहता है।

(ग) से (ङ) बोर्ड का कार्य सिर्फ सलाह देना है और इसके पास कोई कार्यपालक या जांच-पड़ताल संबंधी अधिकार नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च 1999 से फरवरी 2002 की अवधि के दौरान बोर्ड को 46 मामले प्राप्त हुए थे और सभी का निपटान कर दिया गया है।

[अनुवाद]

एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1889. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित बुनियादी ढांचागत विकास संबंधी राज्य-वार परियोजनाएं कौन-सी हैं; और

(ख) सरकार ने इन परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने और विनिर्दिष्ट गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) एशियाई विकास बैंक ने राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित निम्नलिखित आधारभूत ढांचा विकास परियोजनाओं को ऋण-सहायता प्रदान की है:

1. आंध्र प्रदेश

   (क) रायलसीमा ताप परियोजना

2. गुजरात

   (क) गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना

   (ख) गुजरात भूकम्प पुनर्वास और पुनर्निर्माण परियोजना

3. मध्य प्रदेश

   (क) मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना

4. पश्चिमी बंगाल

(क) कोलकाता पर्यावरण सुधार परियोजना

(ख) पश्चिमी बंगाल गलियारा विकास परियोजना

5. कर्नाटक

(क) कर्नाटक शहरी आधारभूत ढांचा विकास परियोजना

(ख) कर्नाटक शहरी विकास एवं तटीय पर्यावरण परियोजना

6. राजस्थान

(क) राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचा विकास परियोजना

7. तमिलनाडु

(क) उत्तरी मद्रास ताप विद्युत

(ख) द्वितीय उत्तरी मद्रास ताप विद्युत

8. बहु-राज्यीय परियोजनाएं/केन्द्र-राज्य परियोजनाएं

(क) सड़क सुधार (आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु)

(ख) द्वितीय सड़क सुधार (आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश)

(ग) द्वितीय पत्तन (केन्द्र और आंध्र प्रदेश)

(ख) किए गए उपायों में ये शामिल हैं-परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान करना, निष्पादक अभिकरणों के साथ मिलकर परियोजना मानीटरिंग यूनिट की स्थापना करना, आवधिक मॉनीटरिंग तथा समीक्षा करना और शीघ्र कार्यान्वयन हेतु प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाना इत्यादि।

पेंशन निधि

1890. श्री के. येरननायडू : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने विनिवेश से होने वाली प्राप्तियों में एक स्थायी पेंशन निधि बनाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अन्य कौन-कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मानसिक रूप से विकलांगों के लिए कल्याण योजनाएं

1891. श्री राजो सिंह : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को बिहार सहित विभिन्न राज्यों से मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए नई परियोजनाएं चलाने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है और राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) स्वीकृति हेतु अभी कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं; और

(घ) सभी परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए नई परियोजनाएं शुरू करने हेतु नि: शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से गैर-सरकारी संगठनों के 159 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) 95 आवेदन लम्बित हैं। चार आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है।

(घ) परियोजनाओं का अनुमोदन तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्टों, अपेक्षित दस्तावेजों की संतोषजनक प्राप्ति और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 (आज तक) के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं और दी गई सहायता का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	धनराशि (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10	12.34
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	0	0
4.	बिहार	0	0
5.	चंडीगढ़	0	0
6.	छत्तीसगढ़	1	3.31
7.	दिल्ली	1	4.09
8.	गोवा	0	0
9.	गुजरात	0	0
10.	हरियाणा	1	1.69
11.	हिमाचल प्रदेश	2	2
12.	जम्मू	0	0
13.	झारखंड	1	4.25
14.	कर्नाटक	4	4.82
15.	केरल	2	1.33
16.	मध्य प्रदेश	3	9.1
17.	महाराष्ट्र	7	6.95
18.	मणिपुर	0	0
19.	मेघालय	0	0
20.	मिजोरम	0	0
21.	नागालैंड	0	0
22.	उड़ीसा	6	16.03
23.	पांडिचेरी	0	0
24.	पंजाब	2	0.91
25.	राजस्थान	5	14.41
26.	सिक्किम	0	0
27.	तमिलनाडु	5	4.23
28.	त्रिपुरा	0	0
29.	उत्तर प्रदेश	2	0
30.	उत्तरांचल	2	2.53
31.	पश्चिमी बंगाल	6	7.03
	योग	60	95.02

निर्यात फर्मों द्वारा वचनबद्धता को पूरा किया जाना

1892. श्री मानसिंह पटेल : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कम्पनियों की ओर से विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय की गई निर्यात संबंधी वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

(ख) क्या गत तीन वर्ष के दौरान कुछ कम्पनियों के निर्यात संबंधी अपनी वचनबद्धताएं पूरी नहीं की हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की वर्तमान नीति के अनुसार, गैर लघु औद्योगिक उपक्रमों द्वारा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के विनिर्माण और सान्द्रित सामग्रियों के आयात के संबंध में निर्यात करने की अनिवार्यता लागू है। तदनुसार, ऐसे सभी मामलों में निर्यात अनिवार्यता की शर्त को विधिवत लागू किया जाता है। निर्यात अनिवार्यता का अनुपालन न करने से दोषी कंपनी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के अधीन उस पर कार्यवाही किये जाने के लिए जिम्मेदार हो जाती है। सरकार के ध्यान में आने वाले ऐसे सभी मामलों को कानून के अन्तर्गत उचित कार्यवाही हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जाता है।

औद्योगिक घरानों पर बकाया आयकर

1893. श्री सुरेश चन्देल : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े औद्योगिक घरानों पर आयकर और अन्य करों की भारी रकम बकाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान करों की कुल कितनी राशि बकाया है और यह राशि कौन-कौन से औद्योगिक घरानों पर बकाया है;

(ग) बकाया राशि के बढ़ते रहने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई सुधारात्मक कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका क्या निष्कर्ष निकला है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) आयकर विभाग ''बड़े औद्योगिक घरानों'' जैसे वर्गीकरण के आधार पर बकाया करों के ब्यौरे नहीं रखता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कर निर्धारितियों के विरुद्ध बकाया मांगें अपीलों सहित प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर लम्बित हैं;

(घ) और (ङ) करों की वसूली एक सतत प्रक्रिया है जिसमें ब्याज प्रभारित करना, अर्थदण्ड लगाना, चल एवं अचल सम्पत्तियों की कुर्की एवं बिक्री करना, आदि जैसे विभिन्न सांविधिक उपबन्ध अन्तर्ग्रस्त हैं। आयकर प्राधिकारियों द्वारा उच्च मांग वाले मामलों की आवधिक समीक्षा एवं मनिटरिंग नियमित आधार पर की जाती है तथा करों की वसूली करने के लिए समय-समय पर आवश्यक अनुदेश जारी किये जाते हैं।

[अनुवाद]

फलों और सब्जियों का आयात

1894. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्ष के दौरान विभिन्न देशों से आयातित फलों एवं सब्जियों की देशवार, किस्म-वार एवं मूल्यवार मात्रा कितनी है; और

(ख) इन फलों/सब्जियों को आयात करने के बाध्यकारी कारण क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न देशों से आयातित फल एवं सब्जियों के देशवार, किस्मवार और मूल्यवार मात्रा के ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित ''भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी, खंड-2 (आयात)-वार्षिक अंक'' नामक प्रकाशन में निहित हैं; जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) फल एवं सब्जियों सहित सभी मदों का आयात एग्जिम नीति तथा क्रियाविधि पुस्तिका में निर्धारित क्रियाविधियों के अनुसार अनुमत्य है। जिन मात्रात्मक प्रतिबंधों को भुगतान संतुलन के आधार पर पहले लगाया जा रहा था उन्हें आर्थिक उदारीकरण संबंधी नीति के अनुरूप और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति देश की वचनबद्धता के अनुसार हटा दिया गया है।

आचार संहिता

1895. श्री ए. नरेन्द्र : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टाक एक्सचेंजों के निदेशकों के लिए कौन-सी आचार संहिता बनाई गई है;

(ख) क्या गत तीन वर्ष के दौरान सरकार को इस आचार संहिता के उल्लघंन की जानकारी मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या हैं उल्लंघन के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सेबी, सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11 के संबंध में अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में विफल रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं;

(छ) क्या सरकार की जानकारी में यह बात भी आई है कि शेयर दलाल उनके कर्त्तव्यों का निर्वाह कर रहें हैं; और

(ज) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) स्टॉक एक्सचेंजों के निदेशकों और पदाधिकारियों के लिए आचार संहिता का पालन करने संबंधी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) की परिपत्र 18 मई, 2001 का जारी किया गया था और एक्सचेंजों द्वारा इसे अगस्त, 2001 तक कार्यान्वित किया जाना था। आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

* एक्सचेंज निवेशकों से संबंधित मामलों से निपटने में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाना;
* एक्सचेंज के पदाधिकारियों और निवेशकों द्वारा प्रतिभूतियों में सौंदों का प्रकटीकरण;
* निर्णय लेने में हितों के टकराव का परिहार;
* पदाधिकारियों द्वारा लाभकारी हित का प्रकटन;

* प्रतिभूति बाजार पर लागू नियमों और विनियमों का पदाधिकारियों द्वारा अनुपालन;

एक्सचेंजों द्वारा आचार संहिता का कार्यान्वयन करने के लिए एक्सचेंजों द्वारा उनके बनाए गए उपनियमों में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। आचार संहिता दलाल निदेशकों सहित एक्सचेंजों के प्रमुख पदाधिकारियों पर लागू होती है। यह सभी स्टॉक ब्रोकरों पर लागू नहीं होती। जनवरी, 2002 में सेबी ने निर्देश दिया कि दलाल निदेशक किसी एक्सचेंज के पदधारी नहीं हो सकते। इसके परिणामस्वरूप, दलाल निदेशकों, जो एक्सचेंज के पदाधिकारी थे, से संबंधित आचार संहिता के उपबंध बेकार हो गए हैं। चूंकि एक्सचेजों द्वारा आचार संहिता का क्रियान्वयन अगस्त, 2001 से किया जाना था इसलिए इससे पहले की अवधियों के लिए आचार संहिता के उल्लंधन का प्रश्न नहीं उठता। स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सेबी के विभिन्न परिपत्रों/दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुपालन की जांच स्टॉक एक्सचेंज के निरीक्षण के समय की जाती है। तदनुसार, आचार संहिता से संबंधित सेबी के उपर्युक्त निदेश के अनुपालन की जांच इस वर्ष (2002-2003 के लिए) किए जाने वाले निरीक्षणों के दौरान की जाएगी।

(घ) से (ज) सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11 में व्यवस्था हैं कि सेबी बोर्ड का यह कर्त्तव्य है कि प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों का संरक्षण करे और प्रतिभूति बाजार के विकास व नियमन के लिए ऐसे उपाय करे जिन्हें वह उचित समझे। सेबी ने सूचित किया है कि निवेशकों के हित व प्रतिभूति बाजार के सुव्यवस्थित विकास के लिए अपने कर्त्तव्यों का प्रभावशाली ढंग से निर्वाह करने के लिए इसने समय-समय पर अनेक उपाय किए हैं।

बाजार दुराचार की घटनाओं के दौरान सेबी के हाल के अनुभव से सेबी अधिनियम के विधायी उपबंधों में कई कमियों का पता लगा है। इस स्थिति को सुधारने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ सेबी के जांच और प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सेबी अधिनियम, 1992 को संशोधित करते हुए एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है। इस अध्यादेश के पुर:स्थापन हेतु एक विधेयक वर्तमान में संसद के समक्ष प्रस्तुत है।

सेबी ने 2001 के आरंभ में स्टॉक बाजारों में संकट लाने वाली घटनाओं की जांच के दौरान विभिन्न सेबी विनियमों के उल्लंघन के लिए 60 से अधिक कंपनियों/दलाल फर्मों/ओसीबी के मामलों के मामले की जांच की है। अब तक की गई कार्रवाई में, अन्य बातों के साथ-साथ कुछ दलालों को प्रतिभूतियों का व्यवसाय करने से वर्जित करना, उदाहरणार्थ, क्रेडिट शुशे फर्स्ट बोस्टन सिक्यूरिटीज प्राईवेट लिमिटेड और पंजीकरण प्रमाणपक्ष निरस्त करना उदाहरणार्थ बियानी समूह, पोद्दार समूह, सिंहानिया समूह, निर्मल बांग समूह आदि के अन्तर्गत कतिपय दलाली फर्मों के और उनके विरूद्ध अर्ध-न्यायिक कार्यवाही शुरू करना शामिल है।

[हिन्दी]

राजस्थान के लिए खाद्यान्न

1896. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह माह के दौरान केन्द्र सरकार ने राजस्थान को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राहत के रूप में खाद्यान्नों की कितनी मात्रा का आवंटन किया है;

(ख) राजस्थान के प्रत्येक जिले में सूखा प्रभावित लोगों में खाद्यान्नों की कितनी मात्रा वितरित की गई है; और

(ग) राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों का कुल कितना भंडार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अधीन वर्तमान सूखे (2002-2003) के लिए राजस्थान राज्य सरकार को अब तक 7.00 लाख टन गेहूं का आवंटन किया गया है। इसमें ल.सा.वि.प्र. और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अधीन राज्य सरकार को दिए गए खाद्यान्नों के सामान्य आवंटन शामिल नहीं है।

(ख) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अधीन वितरित खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाले विवरण I और II संलग्न हैं।

(ग) 31.10.2002 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान राज्य में भा.खा.नि. के पास कुल 8.31 लाख टन स्टॉक उपलब्ध था।

विवरण-I

2002-03 के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अंतर्गत राजस्थान राज्य को खाद्यान्नों का आवंटन

क्र.सं.	जिला का नाम	खाद्यान्न (गेहूं) टन में
1	2	3
1.	अजमेर	6073
2.	अलवर	4020
3.	बांसवाडा	6987
4.	बाड़न	1820
5.	बाड़मेर	20431
6.	भरतपुर	2820
7.	भीलवाड़ा	5453
8.	बीकानेर	15553

1	2	3
9.	बूंदी	1820
10.	चित्तौड़गढ़	2820
11.	चुरु	7607
12.	दौसा	2633
13.	धौलपुर	1720
14.	डूंगरपुर	6553
15.	गंगानगर	3253
16.	हनुमानगढ़	2293
17.	जयपुर	11293
18.	जैसलमेर	11293
19.	जालौर	4593
20.	झालवाड़	2633
21.	झूंझनू	8467
22.	जोधपुर	10000
23.	करौली	3013
24.	कोटा	1867
25.	नागौर	9233
26.	पाली	8993
27.	राजसमंड	4740
28.	दक्षिण माधोपुर	3253
29.	सीकर	7413
30.	सिरोही	2440
31.	टोंक	8000
32.	उदयपुर	10907
	जोड़	200000

विवरण-II

फाइल संख्या V-24011/18/2002/एस.सी. (एस.जी.आर.वाई.), दिनांक 18.11.2002 द्वारा स्वीकृत 2002-03 के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अंगर्तत राजस्थान राज्य को खाद्यान्नों का आंवटन

क्र.सं.	जिला का नाम	खाद्यान्न (गेहूं) टन में
1	2	3
1.	अजमेर	12505
2.	अलवर	5436
3.	बांसवाडा	2175
4.	बाड़न	3348
5.	बाड़मेर	63227
6.	भरतपुर	7658
7.	भीलवाड़ा	8383
8.	बीकानेर	51457
9.	बूंदी	180
10.	चित्तौड़गढ़	5166
11.	चुरु	29696
12.	दौसा	4775
13.	धौलपुर	1629
14.	डूंगरपुर	17217
15.	गंगानगर	2536
16.	हनुमानगढ़	8578
17.	जयपुर	20034
18.	जैसलमेर	42999
19.	जालौर	25584
20.	झालवाड़	6819
21.	झूंझनू	12071
22.	जोधपुर	27742
23.	करौली	12025

1	2	3
24.	कोटा	5610
25.	नागौर	10140
26.	पाली	28623
27.	राजसमंड	14047
28.	दक्षिण माधोपुर	10317
29.	सीकर	10942
30.	सिरोही	14322
31.	टोंक	15894
32.	उदयपुर	18865
	जोड़	500000

[अनुवाद]

अशक्त लोगों को लाभ

1897. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशक्त लोगों के लाभ के लिए योग्य व्यक्तियों की पहचान कर और ऐसी पहचान और विनियमन के लिए उनकी पहुंच के भीतर प्राधिकरणों की स्थापना कर "अशक्त व्यक्ति" (समान अवसर और अधिकारों की रक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के लाभ प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में अब तक हुई प्रगति सहित इस प्रक्रिया में विलंब के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) नि:शक्त व्यक्तियों की जनसंख्या का निर्धारण करने के लिए जनगणना 2001 के माध्यम से नि:शक्तता के आंकड़े एकत्रित किए गए और उन आंकड़ो का संकलन किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जुलाई-दिसम्बर, 2002 की अवधि के दौरान 58वें राउण्ड में नि:शक्तता के संबंध में सर्वेक्षण कर रहा है। इसके अलावा, कुछ राज्यों में नि:शक्त व्यक्तियों की पहचान करने के लिए जिलावार पूर्ण सर्वेक्षण भी किया है। नि:शक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चिकित्सा बोर्डों के गठन के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया है। नि:शक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 398 जिलों में में चिकित्सा बोर्डों का गठन किया गया है।

नि:शक्त व्यक्तियों को उपलब्ध अधिकारों और सुविधाओं के रक्षोपाय और इन अधिकारों के वचन के संबंध में शिकायतों की जांच करने के लिए भी नि:शक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा, सभी राज्यों ने अपने राज्यों में इसी तरह के प्राधिकरणों का गठन किया हैं।

(ख) फरवरी, 1996 से लागू नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में सकारात्मक कार्रवाई और सुरक्षात्मक उपबंधों का प्रावधान है जिनका उद्देश्य नि:शक्त व्यक्ति का सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इसके लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के सभी मंत्रालयों और अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के बहुक्षेत्रीय सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अधिनियम के लागू होने के बाद से इसके विभिन्न उपबंधों को कार्यान्वित करने की कार्रवाई सही अर्थों में कर दी गई हैं। वर्तमान संस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है। नई संस्थाओं/संगठनों का गठन किया गया है और 1995-96 के बाद नि:शक्तता क्षेत्र के लिए परिव्यय में पर्याप्त रूप में वृद्धि की गई है।

[हिन्दी]

पदों को समाप्त किया जाना

1898. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों में 12000 पदों को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन मंत्रालयों का ब्यौरा क्या है जहां पदों को समाप्त किया गया है;

(ग) क्या पदों को समाप्त किए जाने से विभाग पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) व्यय सुधार

आयोग की सिफारिशों के आधार पर अब तक विभिन्न स्तरों के 11,485 पद समाप्त कर दिए गए हैं। मंत्रालय-वार ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ग) और (घ) पदों को समाप्त करने से कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं हैं, क्योंकि केवल उन्हीं पदों को समाप्त किया गया है जो अतिरिक्त पाए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	समाप्त किए गए पदों की संख्या
1	2	3
1.	सूचना एवं प्रसारण	334
2.	आर्थिक कार्य	1903
3.	लोक उद्यम	15
4.	आपूर्ति	996
5.	इस्पात	6
6.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	16
7.	रसायन एवं पेट्रोलियम	624
8.	उर्वरक	11
9.	उपभोक्ता कार्य एवं सार्वजनिक वितरण	57
10.	कृषि और सहकारिता	214
11.	महिला एवं बाल विकास	175
12.	पर्यावरण एवं वन	779
13.	संस्कृति	12
14.	शहरी विकास	6291
15.	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन	52
	कुल	11,485

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों का विनिवेश

1899. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 में वित्त मंत्रालय के आकलन के अनुसार लाभ कमाने वाली सरकारी क्षेत्र की 15 बड़ी इकाइयां कौन-सी हैं;

(ख) उक्त दो वर्षों में लाभ कमाने वाले 10 बड़े अधिसूचित बैंक कौन-कौन हैं;

(ग) क्या उक्त कथन के अनुसार विनिवेश मंत्रालय ने किसी लाभ कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा अधिसूचित बैंक की महत्वपूर्ण बिक्री हेतु किसी तरह के विनिवेश के लिए योजना बनाने हेतु उनके मंत्रालय से औपचारिक विचार-विमर्श किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जनजातीय विकास हेतु योजनाएं

1900. कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जनजातीय विकास हेतु योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को इनमें प्रत्येक योजना हेतु आवंटित धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनजातीय उत्थान हेतु कुल आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग किया गया;

(घ) सरकार द्वारा राज्यों को आवंटित धनराशि के न्यायोचित उपयोग की निगरानी करने हेतु कौन-सी केन्द्रीय एजेंसी नियुक्त की गई है; और

(ङ) राज्यों के पास यदि कोई अप्रयुक्त धनराशि है तो उसका ब्यौरा क्या है और राज्यों द्वारा जारी की गई धनराशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ग) अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए मंत्रालय द्वारा राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की सूची संलग्न विवरण I पर हैं। जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय

सहायता और संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्यवार निधियां आबंटित की जाती है। राजस्थान को इन दो योजनाओं के अंतर्गत निधियां और पिछले तीन वर्षों में उनके उपयोग का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय राज्यों को आबंटित निधियों के उपयोग की निगरानी रखता है। संलग्न विवरण-II में दिए गए विवरण में राजस्थान को आबंटित निधियों और उनके उपयोग की स्थिति का ब्यौरा दिया गया है।

राज्यों द्वारा निधियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) आगे और निधियां निर्मुक्त करने के लिए पूर्वापेक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर जोर दिया जाता है।

(2) योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जाती है औरर उनकी समीक्षा की जाती है।

(3) केन्द्र सरकार के अधिकारीगण योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का पता लगाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं।

(4) निधियां निर्मुक्त करने के उद्देश्य से प्रस्तावों की समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करने तथा योजनाओं के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए राज्यों के सचिवों और जनजातीय कल्याण विभागों के प्रमुखों के साथ बैठकों/सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है।

(5) क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के अतिरिक्त, राज्य स्तर पर जनजातीय परामर्श परिषद् और ब्लॉक स्तर पर आईटीडीपी की परियोजना कार्यान्वयन समितियों तथा पंचायत समितियों जैसी एजेंसियां निधियों के सामयिक खर्च और योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन की निगरानी रखती है।

विवरण-I

राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के नाम

1. जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
2. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत अनुदान
3. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
4. अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के लिए छात्रावास
5. अनुसूचित जनजातीय लड़कों के लिए छात्रावास
6. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
7. जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर
8. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण
9. लघु वन उत्पादन के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों के लिए सहायता अनुदान
10. ग्राम अन्न बैंक
11. आदिम जनजातीय समूहों का विकास
12. अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना
13. अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए पुस्तक बैंक
14. अनुसूचित जनजातीय छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन
15. जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों मे आश्रम स्कूल
16. राज्य जनजातीय वित्त विकास निगम
17. जनजातीय समुदायों/प्रतिनिधियों द्वारा यात्राओं का आदान-प्रदान।

विवरण-II

राजस्थान राज्य में विभिन्न योजनाओं के लिए निर्मुक्त निधियां और वास्तविक व्यय तथा अप्रयुक्त धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	योजना	1999-2000			2000-2001			2001-2002		
		निर्मुक्त निधियां	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त धनराशि	निर्मुक्त निधियां	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त धनराशि	निर्मुक्त निधियां	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त धनराशि
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	2915.24	3355.46	(-) 440.22	2915.24	3260.51	(-) 345.31	3649.56	3721.21	(-) 71.65
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	800.29	300.00	500.29	1700.00	1200.00	500.00	2550.00	3006.33	(-) 456.33

(-) केन्द्रीय आबंटन से अधिक का व्यय दर्शाता है।

भारत और नेपाल के बीच व्यापार समझौता

1901. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री सुबोध मोहिते :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-नेपाल संशोधित व्यापार संधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) पूर्व की संधि में क्या बदलाव किया गया है;

(ग) क्या नेपाल सरकार ने मार्च, 2002 में नवीनीकृत भारत-नेपाल व्यापार संधि में कुछ और बदलाव के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) संधि में बदलाव के लिए क्या कारण दिए गए हैं; और

(च) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) भारत-नेपाल संधि की 2 मार्च, 2000 को वाणिज्य सचिवों द्वारा पत्रों का आदान-प्रदान करके समीक्षा तथा संशोधन किया गया था। संशोधित संधि की मुख्य विशेषताओं के साथ-साथ पहली संधि में तदनुरूपी प्रावधानों में समीक्षा की गई संधि में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं:-

(1) संधि की वैधता 6 मार्च, 2002 से 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।

(2) संधि में पहले वाले उपबंधों में सुधार करने के लिए संधि के अनुच्छेद V और IX के संदर्भ में प्रोटोकॉल V और IX में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए है:-

(क) भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच का पात्रता के लिए, नेपाल में विनिर्मित वस्तुओं को उस एच.एस. कोड संख्या में 4 अंकीय स्तर के परिवर्तन से गुजरना होता है जो उस अंक से भिन्न हैं जिसमें सभी तीसरे देशों के मूल निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियां को वर्गीकृत किया जाता है और नेपाल में हुई विनिर्माण प्रक्रिया में 6 मार्च, 2002 से 5 मार्च, 2003 तक की अवधि के दौरान न्यूनतम 25% मूल्य वृद्धि तथा 6 मार्च 2003 के बाद 30% मूल्य वृद्धि सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(ख) ऐसे मामलों में जहां चार अंक स्तरीय, परिवर्तन की शर्त पूरी नहीं होती हैं, वहीं भारत सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात कि ऐसी वस्तु नेपाल में पर्याप्त विनिर्माण प्रक्रिया से गुजरी है, अलग-अलग मामलों के आधार पर नेपाल विनिर्मित ऐसी वस्तुओं के लिए अधिमानिक पहुंच पर विचार करेगी।

(ग) वनस्पति वसा, एक्रिलिक यार्न, ताबां उत्पादों और जिंक आक्साइड के नेपाल से शुल्क मुक्त आयात के मामले में एक वर्ष में विनिर्दिष्ट मात्राओं के लिए ही अनुमति दी जाएगी।

(घ) नेपाल के ऐसे उत्पादों के लिए जो भारतीय बाजार में अधिमानिक पंहुच के लिए निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करते हैं, भारत सरकार परम मित्र राष्ट्र (एमएफएन) के आधार पर भारतीय बाजार में सामान्य पंहुच उपलब्ध कराएगी।

(ङ) नेपाल में लघु यूनिटों में विनिर्मित वस्तुओं पर उन सुविधाओं के समान अतिरिक्त सीमाशुल्क लगाने में राहत प्रदान की जाएगी जो उत्पाद शुल्क लगाने में भारत की समान लघु यूनिटों के लिए लागू हैं।

(च) मूल स्थान के प्रमाण पक्ष की प्रमाणिकता के बारे में उचित संदेहों के मामले में भारतीय सीमाशुल्क प्राधिकारी नेपाल की प्रमाणीकरण एजेंसी से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो नेपाल में विनिर्माण सुविधाओं के संयुक्त दौरे भी किए जा सकते हैं।

(छ) ऐसे मामले में जहां एक किसी विशेष मद की अधिमानी पहुंच से आयातक देश के उद्योग को क्षति पहुंचती है तो ऐसे मुद्दों का निराकरण करने के लिए संयुक्त रुप से विचार-विमर्श किए जाएंगे और यदि विचार-विमर्शों द्वारा कोई संतोषजनक समाधान नहीं होता है तो अनुरोधकर्त्ता सरकार उचित निवारक उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(ग) से (च) महामहिम नेपाल सरकार ने इस आधार पर एच.एस. कोड के अध्याय 74 के अंतर्गत आने वाले तांबा उत्पादों को टैरिफ रेट कोटा मदों की सूची से हटाने के लिए अनुरोध किया था कि उनकी विनिर्माण यूनिटों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संशोधित व्यापार संधि के अनुबंध ''ग'' के अधीन निर्धारित 7500 एम टी प्रति वर्ष की मात्रा की सीमा पर्याप्त नहीं हैं। भारत सरकार ने इस अनुरोध पर विचार किया है और अध्याय 74 तथा एच एस कोड के शीर्ष 85.44 के अंतर्गत आने वाले तांबा उत्पादकों के लिए मात्रात्मक सीमा में उचित वृद्धि करने पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

जनजातीय साक्षरता दर

1902. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर राज्य-वार कितनी है;

(ख) महाराष्ट्र में विशेषकर मालेगांव क्षेत्र में साक्षरता दर कितनी है जो कि पूर्ण रूप से जनजातीय क्षेत्र है; और

(ग) सरकार द्वारा इस जनजाति के साक्षरता दर का राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने हेतु क्या विशेष योजनाएं/कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं और इस दर को राष्ट्रीय स्तर के बराबर कब तक लाए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख गया है।

(ख) 1991 की जनगणना के अनुसार मालेगांव की साक्षरता दर 54.99% थी।

(ग) शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के अतिरिक्त केवल अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास पर बल देने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें यथा :

(1) अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के लिए छात्रावास (2) अनुसूचित जनजातीय लड़कों के लिए छात्रावास (3) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना (4) अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (5) पुस्तक बैंक योजना (6) महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकिटों में शैक्षिक परिसर, कार्यान्वित की जा रही हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	साक्षरता दर
1	2	2
	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	17.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	34.45
3.	असम	49.16
4.	बिहार	26.78
5.	गोवा	42.91
6.	गुजरात	36.45
7.	हिमाचल प्रदेश	47.09
8.	जम्मू-कश्मीर	*
9.	कर्नाटक	36.01
10.	केरल	57.22
11.	मध्य प्रदेश	21.54
12.	महाराष्ट्र	36.69
13.	मणिपुर	53.63
14.	मेघालय	46.71
15.	मिजोरम	82.71
16.	नागालैंड	60.59
17.	उड़ीसा	22.31
18.	राजस्थान	19.44
19.	सिक्किम	59.01
20.	तमिलनाडु	27.89
21.	त्रिपुरा	40.37
22.	उत्तर प्रदेश	35.70
23.	पश्चिम बंगाल	27.78
	संघ राज्य क्षेत्र	
24.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	56.62
25.	दादरा और नगर हवेली	28.21
26.	दमन व दीव	52.91
27.	लक्षद्वीप	80.58
	भारत	29.60

*जम्मू-कश्मीर के आंकड़ों को छोड़कर जहां 1991 में गणना नहीं की गई थी।

[अनुवाद]

चावल की खरीद

1903. श्री प्रबोध पण्डा :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक राज्यवार कितना खाद्यान्न खरीदा गया और उस खरीद का मूल्य क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने मूल्य का खाद्यान्न बेचा गया और राज्य-वार एवं खाद्यान्न-वार बेचे गए खाद्यान्न का मूल्य क्या है;

(ग) क्या इस तरह की खरीद से किसानों का शोषण हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) 1999-2000 विपणन मौसम से केन्द्रीय पूल के लिए वसूल की गई गेहूं और चावल की राज्यवार मात्रा को दर्शानेवाला विवरण-I संलग्न हैं।

विगत तीन विपणन मौसमों के दौरान गेहूं और धान की वसूली के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नानुसार हैं:-

(रुपये प्रति क्विंटल)

विपणन मौसम	गेहूं	धान	
		साधारण	ग्रेड-ए
1999-2000	550	490	520
2000-2001	580	510	540
2001-2002	610	530	560
2002-2003	620	530*	560*

*धान के लिए न्यूमतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 20 रुपये प्रति क्विंटल के विशेष सूखा राहत मूल्य की अनुमति दी गई।

चावल मिल मालिकों/डीलरों से लेवी चावल की वसूली के लिए राज्यवार मूल्यों को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ख) ल.सा.वि.प्रा. के अधीन वितरण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय पूल से एक समान निर्गम मूल्यों पर गेहूं और चावल जारी किए जाते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित किए गए केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार हैं:-

(रुपये प्रति क्विंटल)

निम्न तारीख से लागू	गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य		चावल का केन्द्रीय निर्गम मूल्य	
	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर
29.1.99	250	650	350	905
1.4.99	250	682	350	905
1.4.2000	450	900	590	1180
25.7.2000	415	830	565	1130
12.7.2001	415	610	565	830
1.4.2002	415	510	565	730
1.7.2002	415	610	565	830

अंतिम खुदरा मूल्य राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी ढुलाई लागत, खुदरा विक्रेता के मार्जिन आदि को जोड़ने के बाद नियत किए जाते हैं।

ल.सा.वि.प्रा. के अधीन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एक समान केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर उठाई गई गेहूं और चावल की कुल मात्रा निम्नानुसार हैं:-

(लाख टन में)

वित्तीय वर्ष	गेहूं	चावल	जोड़
1	2	3	4
1999-2000	57.6	113.1	170.7
2000-2001	39.7	77.4	117.1
2001-2002	56.8	81.5	138.3
2002-2003 (अप्रैल-सितम्बर)	36.6	48.1	84.7

(ग) और (घ) जी, नहीं। मूल्य समर्थन योजना के अधीन वसूली का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ प्राप्त हों।

विवरण-I

1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 विपणन मौसमों के दौरान चावल और गेहूं की राज्यवार वसूली

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-01		2001-02		2002-03*	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	5498	–	7174	–	6425	–	28	–
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–
असम	20	–	–	–	–	–	–	–
बिहार	–	–	19	–	89	43	–	–
चंड़ीगढ़	15	–	16	–	–	12	–	–
छत्तीसगढ़	–	–	857	–	1922	–	नगण्य	–
दिल्ली	6	2	–	–	–	50	–	35
गुजरात	–	–	–	–	–	–	–	–
हरियाणा	987	3870	1481	4498	1484	6407	1127	5888
हिमाचल प्रदेश		–	1		1	2	नगण्य	2
जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	–
कर्नाटक	111	–	230		137	–	–	–
मध्य प्रदेश	1104	542	176	351	273	294	नगण्य	424
महाराष्ट्र	51	–	34		129	–	3	–
उड़ीसा	889	–	918		1253	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पांडिचेरी	9	–	40	–	11	–	–	–
पंजाब	6815	7832	6963	9424	7282	10560	7093	9863
राजस्थान	32	637	26	539	39	676	27	461
तमिलनाडु	919	–	1695	–	852	–	–	–
उत्तर प्रदेश	1422	1261	1174	1545	1936	2446	10	2111
उत्तंराचल	–	–	42	–	235	140	12	183
पश्चिम बंगाल	351		434		48	–	–	–
जोड़	18229	14144	21280	16357	22126	20630	830	19025

*22.11.2002 की स्थिति के अनुसार

विवरण-II

(रु. प्रति क्विंटल)

क्र. सं.	राज्य	रॉ चावल				सेला			
		साधारण		ग्रेड "ए"		साधारण		ग्रेड "ए"	
		2001-2002	2002-2003	2001-2002	2002-2003	2001-2002	2002-2003	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	935.10	970.30	985.00	1020.10	931.00	956.20	980.10	1006.20
2.	असम	879.10	914.30	926.00	960.90	875.80	901.00	921.80	947.00
3.	बिहार	895.10	930.30	942.60	977.80	891.60	916.80	938.50	963.70
4.	चंडीगढ़	911.10	946.30	959.50	994.70	907.40	932.80	938.50	980.30
5.	दिल्ली	937.50	972.70	987.40	1022.60	933.40	958.60	982.60	1007.80
6.	गुजरात	859.10	894.30	904.60	939.80	856.10	881.30	901.00	926.20
7.	हरियाणा	939.10	974.30	989.10	1022.80	935.00	960.20	984.30	1009.50
8.	कर्नाटक	863.10	898.30	908.80	944.00	860.10	885.30	905.10	930.30
9.	मध्य प्रदेश	872.70	907.90	919.00	954.20	869.50	894.70	915.10	940.30
10.	महाराष्ट्र	863.10	898.60	909.20	944.40	860.50	885.70	905.60	930.70
11.	उड़ीसा	903.10	938.30	951.10	986.30	899.50	924.70	946.80	972.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	पांडिचेरी	855.10	890.30	900.40	935.60	852.20	877.40	896.80	922.00
13.	पंजाब	939.10	974.30	989.10	1024.30	935.00	960.20	984.30	1009.50
14.	राजस्थान	915.90	951.10	964.60	999.80	912.10	937.30	960.10	985.30
15.	उत्तर प्रदेश	903.10	938.30	951.10	986.30	899.50	924.70	946.80	972.00
16.	पश्चिमी बंगाल	875.10	901.30	921.50	956.70	871.90	897.10	917.60	942.80
17.	छत्तीसगढ़	871.10	906.30	917.30	952.50	868.00	893.10	913.50	938.70
18.	उत्तरांचल	883.10	938.30	930.00	986.30	879.80	924.70	946.80	972.00

सत्यम समिति की रिपोर्ट

1904. श्रीमती कान्ति सिंह : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र संबंधी सत्यम समिति की रिपोर्ट सरकार को तीन वर्ष पहले ही प्राप्त हो गई थी पर उस रिपोर्ट की सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) से (ग) विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की ऐसी सिफारिशें, जिन्हें स्वीकार करने योग्य पाया गया था, उन्हें सरकार ने नवम्बर, 2000 में घोषित राष्ट्रीय वस्त्र नीति-2000 में सम्मिलित कर लिया है। वस्त्र मंत्रालय राष्ट्रीय वस्त्र नीति-2000 के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है जिसमें सत्यम समिति रिपोर्ट की अधिकांश सिफारिशें शामिल है।

पाटनरोधी समझौतों में सुधार करने की आवश्यकता

1905. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने पाटनरोधी समझौते में सुधार करने और उन उपबंधों को हटाने की जरूरत पर जोर दिया है जो व्यापार में अवरोधक है और जिनका दुरूपयोग उन देशों द्वारा किया जाता है जो विभिन्न कानूनी उपबंधों को तोड़ने मरोड़ने में सिद्धहस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यद्यपि भारतीय निर्यातकर्ताओं पर अन्य देशों द्वारा कई बार कार्रवाई की गई है फिर भी भारत को बराबर ड्यूटी लगाने हेतु अभी कार्रवाई करनी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां। दि एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया ने पाटनरोधी करार में कुछ सुधार करने की मांग की है।

(ख) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के दोहा मंत्रिस्तरीय अधिदेश में पाटनरोधी करार के अंतर्गत आने वाले विषयों का सुधार करने और स्पष्टीकरण करने पर लक्षित वार्ताओं का प्रावधान है। भारत ने नियमों संबंधी डब्ल्यू टी ओ के वार्ताकारी ग्रुप को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें स्पष्टीकरण और सुधारों की मांग करने के लिए कुछ मुद्दे उठाए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाटनरोधी करार का संरक्षणवादी प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग न किया जाए।

(ग) और (घ) हांलाकि भारतीय निर्यातकों को कुछ देशों द्वारा समान शुल्क कार्यवाहियों के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है परन्तु पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ने इस संबंध में कोई अभ्यावेदन अथवा विशिष्ट शिकायत न होने के कारण अभी तक डब्ल्यू टी ओ के इमदादों और समानताकारक उपायों से संबंधित करार के उपबंधों के अंतर्गत बराबर शुल्क लगाने का कोई मामला शुरू नहीं किया है।

कपास उत्पादकों को प्रोत्साहन

1906. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्नाटक में कपास उत्पादकों को रिआयती दरों पर कपास के बीजों की आपूर्ति कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कर्नाटक में कपास की विभिन्न किस्म के बजाए कपास की एक किस्म के ही विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक में किस किस्म के कपास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) और (ख) पिछले 15 वर्षों के दौरान अधिसूचित किस्मों (मिश्रित और गैर-मिश्रित दोनों) के लिए 1000 रु. प्रति क्विंटल की सीमित लागत के 50% की सहायता, कर्नाटक सहित कपास उपजाने वाले राज्यों में कपास उपजकर्त्ताओं को प्रमाणित बीज का वितरण करने के लिए प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा कर्नाटक में केवल एक ही किस्म की कपास उपजाने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता हैं। तथापि, भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने, मूल्य समर्थन अभियानों/वाणिज्यिक प्रचालनों के अंतर्गत खरीदारी करने के अपने प्रमुख दायित्व के अतिरिक्त कपास के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कदम उठाए हैं। भारतीय कपास निगम के विकास संबंधी क्रियाकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ कपास उपजकर्त्ताओं को सब्सिडी दरों पर (गैर-मिश्रित कपास के लिए 50% और मिश्रित कपास के लिए 25% की छूट) प्रमाणित बीजों की आपूर्ति करना तथा विभिन्न प्रकार की किस्मों के मिश्रण को रोकने के लिए एक किस्म की अवधारणा पर एक ही गांव के सिद्धांत पर गांव अपनाने का कार्यक्रम शामिल है। यह सहायता किसी विशेष किस्म और मिश्रण के लिए सीमित नहीं होती हैं।

[हिन्दी]

निर्यात संवर्धन के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाएं

1907. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा अनेक लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत निर्यात संवर्धन और विपणन विकास योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है;

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत ऋण, अनुदान और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या फार्मूला अपनाया गया है;

(ग) इन योजनाओं में राज्य सरकारों की कितनी वित्तीय हिस्सेदारी है; और

(घ) राजस्थान में 1 अप्रैल, 1998 से "निर्यात संवर्धन और विपणन विकास" योजना के अंतर्गत सीधे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अलग-अलग कौन-कौन सी योजनाएं/कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के संबंध में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट

1908. श्री नरेश पुगलिया :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बैंकों में अधिक गैर-निष्पादनकारी आस्तियों से मौद्रिक नीति की प्रभावकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था पर गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जी, हां। "एशियन डेवलपमेंट आउटलुक" 2002 में यह उल्लेख किया गया है कि, "गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों का प्रभाव बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्र में संरचनात्मक रूप से ऊंची मध्यस्थता लागतों के लिये एक कारक अवश्य बना रहा है, और इसने निधियों की ऊंची लागत

तथा निर्व्याज प्रचालनात्मक व्ययों के साथ मिलकर ब्याज दरों में गिरावट की प्रक्रिया को कुछ हद तक सीमित किया है और इसीलिए मौद्रिक नीति की प्रभावकारिता को भी इसी प्रकार सीमित किया है।''

(ग) और (घ) हालांकि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों का देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया गया है, फिर भी सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक गैर-निष्पादकारी परिसम्पत्तियों के विषय में चिन्तित हैं और इससे उबरने की एक नीति को विकसित तथा कार्यान्वित कर रहे हैं।

विदेशी बैंकों की शाखाएं

1909. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री बृजलाल खाबरी :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित विदेशी बैंकों की शाखाओं की बैंक-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार विदेशी बैंकों को कोई सुविधाएं प्रदान करती है ताकि वे भारत में अपनी शाखाएं खोल सकें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को देश में अतिरिक्त शाखाएं खोलने के लिए विदेशी बैंकों से आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में बैंक-वार क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) 31 अक्तूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं की बैंक-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा विदेशी बैंकों को अपनी शाखाएं स्थापित करने के लिए कोई सुविधा नहीं दी जाती है।

(घ) और (ङ) सरकार ने प्राप्त आवेदनों के आधार पर 6 विदेशी बैंकों को देश में 16 अतिरिक्त शाखाएं खोलने को अनुमति दी है। केन्द्र-वार तथा बैंक-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

31 अक्तूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार

	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
	1	2
1.	एबीएन अमरों बैंक एन.वी.	12
2.	आंटवर्प डायमंड बैंक	1
3.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	2
4.	अमेरिकन एक्सप्रैस बैंक लि.	4
5.	अरब बंग्लादेश बैंक	1
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	1
7.	बैंक मस्कट इंटरनेशनल एसएओजी	1
8.	बैंक आफ अमेरिका एन.टी. एंड एस.ए.	5
9.	बैंक आफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी	2
10.	बैंक आफ सिलोन	1
11.	बैंक आफ नोवा स्कोटिया	5
12.	बैंक आफ टोक्यो मित्सुबिशी लि.	4
13.	बैंक नेशनल डी पेरिस	8
14.	बारक्लेज बैंक पीएलसी	2
15.	चाइना ट्रस्ट कमर्शियस बैंक	1
16.	चो हंग बैंक	1
17.	सिटीबैंक एन.ए.	19
18.	कामर्जबैंक एजी	1
19.	क्रेडिट एग्रीकोल इंडो सुज	2
20.	क्रेडिट लिओनिल्स	4
21.	ड्यूश बैंक एशिया	5
22.	डेवल्पमेंट बैंक आफ सिंगापुर लि.	1
23.	हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन लि.	31
24.	आईएनजी बैंक एन.वी.	2
25.	जेपी मोरगन चेज बैंक	1

	1	2
26.	केबीसी बैंक एन.वी.	1
27.	करूंग थाई बैंक पीसीएल	1
28.	मशरक बैंक पीएससी	2
29.	मिजुहो कार्पोरेट बैंक लि.	1
30.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी	2
31.	ओवरसी-चाइनिज बैंकिग कार्पोरेशन लि.	1
32.	सियम कमर्शियल बैंक लि.	1
33.	सोसिएट जनरेल	4
34.	सानाली बैंक	2
35.	स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक/स्टैण्डर्ड चार्टर्ड ग्रिंडलेज बैंक लि.	62
36.	स्टेट बैंक आफ मारीशिश लि.	3
37.	सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कार्पोरेशन	2
38.	टोरान्टो डोमिनियन बैंक	1
39.	यूएफजे बैंक लि.	1
	कुल	201

विवरण-II

भारत में विदेशी बैंकों के नए केन्द्रों का बैंक-वार ब्यौरा

बैंक	केन्द्र
1	2
सिटी बैंक	सुरत, लखनऊ, नोएडा, कोलकाता, त्रिवेन्द्रम
एचएसबीसी	बंगलौर, थाणे, नई दिल्ली,
स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	भोपाल, सुरत, हावड़ा, जालन्धर,
बैंक आफ बहतरीन एंड कुवैत	नई दिल्ली
अरब बंग्लादेश बैंक	कोलकाता
एबीएन अमरो बैंक	मुम्बई कोलकाता

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि

1910. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि को प्रतिवर्ष आठ प्रतिशत तक बढ़ाने के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना आयोग ने वार्षिक योजना 2003-2004 के लिए सकल बजटीय समर्थन में अधिकाधिक अठारह प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अनुरोध की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इसके कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) योजना आयोग ने दसवीं योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद के अधिदेशाधीन उद्देश्यों अर्थात दस वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना तथा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष करना, की पूर्ति करने के लिए, चालू वर्ष (2002-2003) के लिए 1,13,500 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता की तुलना में वार्षिक योजना 2003-04 के लिए 1,34,064 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में सरकार के

प्रस्ताव को वर्ष 2003-04 के वार्षिक बजट सहित संसद के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

चावल निर्यातक देशों का संगठन

1911. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने चावल के अधिमूल्यन द्वारा विश्व में चावल के निर्यात व्यापार में थाइलैंड और वियतनाम पर बढ़त हासिल कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकाक में हाल में हुई एक बैठक के दौरान चावल निर्यातक देशों का संगठन बनाने हेतु एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें भारत प्रमुख भागीदार है; और

(घ) यदि हां, तो भारत किस सीमा तक इस प्रस्ताव से सहमत है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) वर्ष 2001-03 की अवधि में चावल के प्रमुख निर्यातक देशों द्वारा किए गए चावल (मिल्ड) के निर्यातों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

मिलियन टन में

देश	2001	2002	2003
थाईलैंड	7.5	7.1	7.5
वियतनाम	3.5	3.0	3.4
यूएसए	2.5	3.1	3.1
भारत	1.9	5.0	4.5
पाक	2.3	1.4	1.4

(स्रोत : एफ ए ओ, फूड आउटलुक नं. 4 अक्तूबर 2002)

(ग) जी, हां।

(घ) इस मामले में किसी भी समझौते में भारत की भागीदारी उसके क्षेत्र-विस्तार और कवरेज पर निर्भर करेगी।

पाटनरोधी जांच संबंधी समिति

1912. श्री अशोक मा. माहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाटनरोधी जांच संबंधी नियम और प्रविधियों की जांच करने हेतु समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट की जांच की है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (च) निर्दिष्ट प्राधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 27.4.2001 को पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डी जी ए डी), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की गई थी ताकि पाटनारोधी जांचों को सुविधाजनक और सरल एवं कारगर बनाया जा सके। इस समिति में राजस्व विभाग, वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, डी जी ए डी के अधिकारी तथा भारत सरकार द्वारा वकीलों के पैनल से नियुक्त किए गए विधि विशेषज्ञ शामिल हैं। समिति ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे 5.7.2002 को अनुमोदित कर दिया गया था। चूंकि, सिफारिशें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1995 में यथा संशोधित) के अंतर्गत विभिन्न उपबंधों में संशोधन से संबंधित हैं इसलिए वित्त मंत्रालय, वाणिज्य विभाग से समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

शैक्षिक परिसर का निर्माण

1913. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999 से अक्तूबर, 2002 के दौरान आदिवासी क्षेत्रों की आदिवासी बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु शैक्षिक परिसर निर्माण पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ख) इससे कुल कितनी बालिकाएं लाभान्वित हुई; और

(ग) सरकार द्वारा विशेषकर झारखंड राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में लागू की जा रही विकास योजनाओं के मूल्यांकन के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) जनजातीय लड़कियों को कम साक्षरता वाले पॉकिटों में शिक्षा देने के लिए शैक्षिक परिसरों का निर्माण किया गया है। 1998-99 में संशोधन के बाद, इस स्कीम में निर्माण की मद नहीं रखी गई है। सन् 1999 से अक्तूबर, 2002 की अवधि के दौरान किसी भी संगठन को निर्माण कार्य के लिए नवीन मंजूरी नहीं दी गई है। तथापि, 1998-99 से पहले दी गई निर्माण संबंध मंजूरियों के लिए दूसरी किश्त के रूप में चार संगठनों को 18.36 लाख रुपए के निर्माण अनुदान की मंजूरी दी गई है। सन् 1999-2000 से अक्तूबर, 2002 तक की कालावधि में किराए पर/संगठनों के अपने भवनों में परिसरों की स्थापना और रख-रखाव के लिए खर्च की गई धनराशि और उन से लाभान्वित जनजातीय लड़कियों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	धनराशि (रुपए करोड़ में)	लाभान्वित जनजातीय लड़कियों की संख्या
1999-2000	1.84	1940
2000-2001	1.02	1075
2001-2002	3.99	4200
अक्तूबर, 2002 तक	1.03	8420

(ग) स्कीम में, राज्य सरकार/जिला प्राधिकारियों द्वारा, शैक्षिक परिसरों के वार्षिक निरीक्षण का प्रावधान है। जहां भी आवश्यकता महसूस की जाती है, मंत्रालय के अधिकारी/कर्मचारी भी संगठन की गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने मई, 2002 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक परिसरों का मूल्यांकन करने के लिए हरियाली ग्रामीण विकास केन्द्र, 192/2, स्ट्रीट 5 ए, जाकिर नगर, ओखला, नई दिल्ली-110025 को एक अध्ययन करने का कार्य सौंपा हैं।

[अनुवाद]

पाटनरोधी शुल्क लगाना

1914. श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाटनरोधी महानिदेशालय के महानिदेशक ने अन्य देशों से कई वस्तुओं के आयात पर शुल्क लगाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिन पर वर्तमान में पाटनरोधी महानिदेशालय ने शुल्क लगाया है;

(घ) क्या पाटनरोधी शुल्क लगाने के बावजूद निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों से बाजार भर गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) जी, हां। पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डी जी ए डी) ने अब तक 142 मामलों में पाटनरोधी जांच शुरू की है। इन मामलों की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है :

ऐसे मामले जिनमें अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए हैं	106
ऐसे मामले जिनमें प्रारंभिक जांच परिणाम प्रकाशित किए गए है तथा आगे की कार्यवाही चल रही है	16
प्रारंभिक जांच परिणामों के लिए जांचाधीन मामले	16
ऐसे मामले जिन्हें शुरू किया गया था किन्तु बंद कर दिया गया था	4
कुल	142

पाटनरोधी जाचों में जो देश प्रमुख हैं वे हैं-चीन, ईयू, जापान, कोरिया, ताईवान, यू एस ए और रूस।

जिन प्रमुख उत्पाद श्रेणियों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, वे हैं- रसायन एवं पैट्रो-रसायन, भेषज, फाइबर/यार्न, इस्पात एवं अन्य धातुएं तथा उपभोक्ता वस्तुएं।

(घ) और (ङ) पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य पाटन द्वारा उत्पन्न व्यापार विकृति तथा घरेलू उद्योग को हुई परिणामकारी क्षति को दूर करना होता है। पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देशो से होने वाले आयात प्रतिबंधित नहीं होते है।

म्युच्युल फंड के लिए मानदंड

1915. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेबी ने म्युच्युल फंड्स संबंधी मानदंड़ों में ढील दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ निजी म्युच्युल फंड्स, निवेशकों का धन काफी मात्रा में इकट्ठी करके बाजार से गायब हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी मुद्रा का लेन-देन

1916. **श्री किरीट सोमैया** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 2002 से भारत में विदेशी मुद्रा का लेन-देन प्रत्यक्ष समाधान के रूप में किया जा रहा है;

(ख) क्या क्लीयरिंग कार्पोरेशन ने नवम्बर 2002 से भारतीय बैंकों में विदेशी मुद्रा का प्रत्यक्ष लेन-देन प्रारम्भ कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या लाभ है;

(घ) क्लीयरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की अवधारणा क्या है; और

(ङ) किस तरह से यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय क्लियरिंग कारपोरेशन लि. (सीसीआईएल) ने 8 नवम्बर, 2002 से अपना विदेशी मुद्रा समाशोधन परिचालन प्रारम्भ कर दिया है।

(ख) और (ग) जी, हां। सीसीआईएल की विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली अंतर बैंक यूएसडी/आईएनआर लेन-देनों के बहुस्तरीय निर्धारण के लिए प्लेटफार्म प्रदान करेगा जिसके परिणामस्वरूप प्रतिपक्षी बैंकों के जोखिम निपटान में पर्याप्त कमी आएगी, लागत में कमी आएगी तथा खातों का त्वरित समाधान हो जाएगा।

(घ) और (ङ) सीसीआईएल सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार, अन्य कर्ज, मुद्रा बाजार लिखत एवं अंतर-बैंक यूएसडी/आईएनआर लेन-देनों के समाशोधन एवं निपटान के लिए केन्द्रीकृत समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है अपने सदस्यों को अपेक्षाकृत कम लागत पर परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करते हुए यह दक्ष एवं सुव्यवस्थित निपटान सुनिश्चित करेगा और सीसीआईएल के माध्यम से हुए निपटान से बाजारों की सुरक्षा में वृद्धि होगी।

चन्दन का निर्यात

1917. **श्री एन.एन. कृष्णदास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने चन्दन के प्रमुख निर्यातक देश के रूप में अपनी स्थिति को खो दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) भारत सरकार की निर्यात आयात नीति के अनुसार चन्दन का निर्यात 1992 से प्रतिबंधित है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी निवेश के लिए नियम

1918. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल** :
श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक देश में कुल कितना विदेशी निवेश किया गया है और अनिवासी भारतीयों द्वारा किया गया निवेश देशवार कितना हैं; और

(ख) देश में विदेशी पूंजी निवेश द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में लगायी पूंजी को निकालने और सभी परियोजनाओं को बीच में छोड़ कर जाने के संबंध में लगाये गए प्रतिबंधों का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मजदूरी की दर में वृद्धि

1919. श्री रामदास आठवले : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एन.टी.सी. मिलों में कार्य कर रहे वस्त्र उद्योग के कामगारों की मजदूरी की दर बढ़ाने का प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न एन.टी.सी. मिलों में एक समान कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी में कोई समानता नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो मजदूरी में समानता लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मिलों में कामगारों की मजदूरी क्षेत्र-सह-मजदूरी अधिनिर्णय द्वारा शासित होती है और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यह अलग-अलग होती है। इसके अलावा, एनटीसी मिलों के कुछ स्टाफ संगठनों ने कारपोरेट कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन के बराबर मजदूरी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की है। मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित है।

विनियामक प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त धन का उपयोग

1920. श्री सुबोध मोहिते : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेबी (भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड) और आईआरडीए सहित सभी विनियामक प्राधिकरण अपने अतिरिक्त धन को सरकारी खाते में जमा नहीं करा रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन प्राधिकरणों द्वारा उनके स्थापना काल से फीस और अर्थदंड के रूप में कितनी धनराशि वसूली गई;

(घ) इन प्राधिकरणों द्वारा इस राशि का किस प्रकार उपयोग किया गया; और

(ङ) इस धनराशि को सरकारी खाते में जमा कराए जाने का उपाय किए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जहां तक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड का संबंध हैं दिनांक 29 अक्तूबर, 2002 को प्रख्यापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2002 के माध्यम से दंडो और जुर्मानों की युक्ति से जुटाई गई सभी राशियां भारत की समेकित निधि में जमा करायी होती है। बीमा विनियामक और विकास अधिकरण को निदेशित किया गया है कि आईआरडीए फंड में सारी राशि को भारत के लोक लेखा में जमा कराएं।

(ग) और (घ) वर्ष 1993-94 से 2001-2002 तक सेबी द्वारा संग्रहित फीस व दंडों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	संग्रहित फीस की राशि	संग्रहित दंड की राशि
1993-94	1,589.94 लाख रुपए	शून्य
1994-95	2,549.78 लाख रुपए	शून्य
1995-96	3,217.70 लाख रुपए	शून्य
1996-97	2,535.42 लाख रुपए	शून्य
1997-98	1,895.50 लाख रुपए	4.60 लाख रुपए
1998-99	2,039.29 लाख रुपए	1.65 लाख रुपए
1999-2000	2,774.74 लाख रुपए	29.00 लाख रुपए
2000-2001	6,132.82 लाख रुपए	60.98 लाख रुपए
2001-2002	9,741.24 लाख रुपए	97.14 लाख रुपए

सेबी इन निधियों का उपयोग बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों, अन्य परिलब्धियों संबंधी व्यय तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बोर्ड को खर्चों को पूरा करता है। जहां तक अन्य विनियामक एजेंसियों का संबंध है सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2002 के अनुसार दंडों की युक्ति से जुटाई गई सारी राशियां भारत की समेकित निधि में जमा कराई जानी आपेक्षित है।

अमेरिका के आर्थिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी की यात्रा

1921. श्री अम्बरीश : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के आर्थिक मामलों में अंडर सेक्रेटरी ने हाल ही में नई दिल्ली की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशो के बीच चर्चाएं हुई; और

(ग) इनके क्या परिणाम निकले?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां। यूएस अंडर सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इकोनोमिक बिजनेस एण्ड एग्रीकल्चरल अफेयर्स, एलन लार्सन 7 से 9 नवम्बर, 2002 के दौरान दिल्ली की यात्रा पर थे।

(ख) उनकी यात्रा ने भारत-अमरीकी आर्थिक संबंधों की प्रगति की पुनरीक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान किया।

(ग) दोनों पक्ष भारत-अमरीकी द्विपक्षीय आर्थिक वार्तालाप को और अधिक गहन तथा मजबूत बनाने के लिए सहमत हुए जिसमें वित्तीय तथा आर्थिक मंच, व्यापार नीति संबंधी कार्य दल, वाणिज्यिक वार्तालाप, ऊर्जा संबंधी परामर्श तथा पर्यावरण सहयोग शामिल हैं। अंडर सेक्रेटरी लार्सन की यात्रा के दौरान निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ एक भारत-यू.एस. बायोटेक्नोलॉजी एलायंस की शुरूआत की गई।

शेयरों की बिक्री

1922. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अगस्त, 2002 के 'द हिन्दू में ''कोका-कोला टु ऑफलोड 49 परसेन्ट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोका-कोला ने इस संबंध में पूर्व में जारी शासकीय आदेशों का पालन किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) इस मामले में कंपनी की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) शासकीय नियमों और आदेशों का पालन न किए जाने के लिए कंपनी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान कोका कोला होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (एचसीसीएच) को 17.7.97 को अल्कोहल रहित पेयों के उत्पादन और वितरण के लिए दो पूर्णतया धारित भारतीय सहायक कंपनियों का गठन करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। उपर्युक्त अनुमोदन इस शर्त के साथ दिया गया था कि प्रस्तावित सहायक कंपनियों की इक्विटी में 49 प्रतिशत तक भारतीय भागीदारी पांच वर्ष की अवधि के भीतर सुनिश्चित की जाएगी। निर्निहितीक्रण की शर्त हटाने के लिए अभ्यावेदनों पर सरकार द्वारा अनेक अवसरों पर विचार किया गया और निरस्त कर दिया गया। इस कंपनी ने दिनांक 12.6.2002 के अपने अभ्यावेदन द्वारा निर्निहितीकरण की शर्त हटाने के उनके अनुरोध के पुनर्विचार हेतु लंबित होने तक निर्निहितीक्रण खंड की पूर्ति हेतु समय बढ़ाने की मांग की है। उसके उत्तर पर एचसीसीएच को निर्निहितीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए दिनांक 16.8.2002 तक एक महीना बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। तत्पश्चात, निर्निहितीकरण की प्रक्रिया एक निश्चित समय सारणी के भीतर पूरा किए जाने के लिए किए गए उपायों और प्रस्तावित उपायों के संबंध में कंपनी द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर सरकार ने निर्निहितीकरण प्रक्रिया पूरी करने की तारीख 28.2.2003 तक बढ़ा दी है।

(घ) एचसीसीएच ने सूचित किया है कि इसने दिनांक 17.10.2002 को कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट और कर्मचारी स्टाक आप्शन ट्रस्ट के पास 10 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के नियोजन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। कंपनी द्वारा 28.3.2003 तक शेष 39 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का निर्निहितीकरण निवासी भारतीय नागरिकों या निकायों के पक्ष में किया जाना अपेक्षित है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को नि:शुल्क कोचिंग

1923. श्री पी.आर. किन्डिया : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को नि:शुल्क कोचिंग की सुविधा मुहैया कराए जाने की योजना को क्रियान्वित किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितना वित्तीय आवंटन किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इन राज्यों में कब तक इस योजना को क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां। भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना को कार्यान्वित कर रही है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना के अंतर्गत कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता और निधि की निर्मुक्ति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए कार्यान्वित कोचिंग और सम्बद्ध योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को प्रदान किए गए सहायतानुदान का ब्यौरा इस प्रकार है : -

क्र.सं.	राज्य का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
2.	असम	शून्य	शून्य	शून्य
3.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
4.	मेघालय	1.79	1.79	शून्य
5.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
6.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
7.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
8.	त्रिपुरा	0.67	शून्य	शून्य

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को कोई सहायतानुदान निर्मुक्त नहीं किया गया है क्योंकि इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

भारतीय व्यापार पर विश्व व्यापार संगठन समझौते का प्रभाव

1924. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व व्यापार संगठन समझौते के बाद से किन-किन वस्तुओं का आयात बढ़ा है;

(ख) इस समझौते के बाद किन-किन वस्तुओं का निर्यात बढ़ा है;

(ग) क्या विश्व व्यापार संगठन समझौते के क्रियान्वयन के बाद देश के कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ङ) घरेलू कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ङ) विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी, 1995 को की गई थी। आयात अथवा निर्यात की जिन मदों के आंकड़ों में तब से आज तक वृद्धि हुई है वे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े खंड I (निर्यात) और खंड II (आयात) में दिए गए हैं जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। वर्ष 1995-96 से 2001-02 तक रुपए के रूप में देश

के निर्यातों में 11.9% की मिश्रित दर से वृद्धि हुई है जबकि आयात 12.2% की मिश्रित दर पर बढ़े हैं।

आर्थिक सुधारों के भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के अनुसार भी विभिन्न मदों के आयात संबंधी मात्रात्मक प्रतिबंध समय-समय पर हटाए गए हैं। इन वर्षों के दौरान मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने से आयातों की औसत वृद्धि दर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। वस्तुत: इस अवधि के दौरान रुपए के रूप में गैर तेल आयातों में 10.6% की मिश्रित दर से वृद्धि हुई हैं। हमारें अधिकांश आयातों में कच्ची सामग्री, अनिवार्य मदें, पूंजीगत माल और पेट्रोलियम क्रूड शामिल हैं। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाटन अथवा अधिक आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू अर्थव्यवस्था को हानि न पहुचें, विश्व व्यापार संगठन के करारों के अनुसार पाटनरोधी और संरक्षण उपाय किए जाते हैं। वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंतरमंत्रालयी दल का भी गठन किया गया है ताकि 300 संवेदनशील मदों के आयात पर निगरानी रखी जा सके। घरेलू उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा के लिए समान आधार उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए है:-

(1) अनेक मदों पर आयात शुल्क बढ़ा दिए गए हैं।

(2) सभी डिब्बा बंद वस्तुओं के लिए घरेलू उत्पादकों पर यथा लागू भार एवं माप मानक (डिब्बाबंद वस्तु) आदेश 1977 की सभी शर्तों का अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया है।

(3) 135 उत्पादों के आयातों को घरेलू वस्तुओं के लिए यथालागू अधिदेशित भारतीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के अध्यधीन लाया गया है। इस आवश्यकता के अनुपालन के लिए इन उत्पादों के सभी विनिर्माताओं/भारत को किए जाने वाले निर्यात के निर्यातकों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) में स्वयं को रजिस्टर कराने की आवश्यकता होगी।

[अनुवाद]

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार शिखर वार्ता

1925. श्री वाई.वी. राव : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कोपेनहेगेन में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार शिखर वार्ता में अपने संशोधन में यूरोपीय संघ के व्यापार मामले में भारत के दीर्घकालिक हित को ध्यान में रखने की बात कही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्री ने कोपेनहेगेन में आयोजित भारत-यूरोपीय संघ व्यापार शिखर वार्ता को सम्बोधित नहीं किया।

अग्रिम कर संग्रहण

1926. श्री मन्दा जगन्नाथ : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत और दूरसंचार को छोड़कर सभी बड़े क्षेत्रों में अग्रिम कर संग्रहण में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत और दूरसंचार क्षेत्रों में इस प्रवृत्ति का अध्ययन कराने का विचार किया हैं क्योंकि इन दोनों ही क्षेत्रों में कर संग्रहण में वृद्धि दर्ज नहीं हो पाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) सितम्बर, 2002 में 100 शीर्ष निगमित कर निर्धारितियों द्वारा संदत्त अग्रिम कर के विश्लेषण से यह पता चलता है कि बैंकिंग, वित्तीय संस्थाओं, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल्स, खनन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में सितम्बर में, 2001 में संदत्त अग्रिम कर धनराशि की तुलना में 28 से 105 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है।

(ग) चूंकि देश में आयकर निर्धारितियों की संख्या काफी है इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा कर निर्धारितियों की पहचान की जाती है जिसमें वे कम्पनियां शामिल हैं जो विद्युत और दूरसंचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रवृत्तियों से व्यष्टि रूप से विचलित हुई पाई गई हैं। अत: क्षेत्रीय यूनिटों के लिए ऐसे विचलन के कारणों का अध्ययन करना अपेक्षित हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए ऐसी सूचना केंद्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ङ) उपर्युक्त पैरा (ग) के उत्तर में पहले ही उल्लेख किया गया है।

बेहतर कार्य-निष्पादन करने वाले सहकारी बैंक

1927. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ''नाबार्ड'' ने देश में बेहतर कार्य-निष्पादन करने वाले सहकारी बैंकों का चयन करने और उन्हें पुरस्कार प्रदान करने हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो ''नाबार्ड'' ने बैंकों के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाए है;

(ग) क्या लघु बैंक अपने कार्य-निष्पादन हेतु ''नाबार्ड'' का ध्यान पाने में समर्थ नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो ''नाबार्ड'' द्वारा ऐसे बैंकों के चयन हेतु एक व्यापक आधार वाला दल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल)] : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसके पास 1995-96 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सबसे अच्छा कार्य करने वाले सहकारी बैंकों को प्रत्येक वर्ष पुरस्कार देने की योजना है। नाबार्ड पुरस्कारों के लिए सबसे अच्छे बैंकों का चयन करने के लिए ग्रामीण विकास, ग्रामीण अर्थशास्त्र और सहकारिता क्षेत्रों के विशेषज्ञों की चयन समिति गठित करता है। सहकारी बैंकों के चयन के लिए अपनाए गए मापदण्ड़ों में कार्यनिष्पादन के सूचक, नेतृत्व के पहलू और बैंक द्वारा अपने परिचालन के क्षेत्र में अदा की गई विकास संबंधी भूमिका, प्रणालियां और प्रक्रियाएं, लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता, वसूली के स्तर, कारोबार, स्वाधिकृत निधियां आदि शामिल हैं। इसके अलाव, बैंकों को कार्यनिष्पादन वर्ष में परिचालन संबंधी हानियां नहीं वहन की होनी चाहिए, न्यूनतम पूंजी और आरक्षित निधि का रख-रखाव करने के मामले में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 11(1) और धारा 24 का पालन करना चाहिए, नाबार्ड द्वारा निर्धारित ऋण निगरानी व्यवस्था संबंधी मानदण्ड़ों का पालन करना चाहिए और नाबार्ड द्वारा किए गए निरीक्षण में कोई गंभीर प्रतिकूल बात/निष्कर्ष नहीं होना चाहिए।

(ग) सहकारी बैंकों का चयन आकार के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि ऊपर वर्णित मानदण्डों के आधार पर किया जाता है। अपेक्षाकृत छोटे बैंक भी अपने कार्यनिष्पादन के आधार पर पुरस्कार के लिए पात्र होते हैं। नाबार्ड के पास 1999-2000 से शुष्क भूमि/वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कार्यरत जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के लिए पुरस्कार की एक अलग श्रेणी भी हैं।

(घ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि चयन समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि बृहत समिति हो और उसमें सुप्रसिद्ध बैंकर और विशेषज्ञ शामिल हों।

[हिन्दी]

विशेष वस्त्रों का उत्पादन

1928. श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री शिवराजसिंह चौहान :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरधा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 के अधीन हथकरघा बुनकर कार्यशाला के जरिए कुछ विशेष प्रकार के वस्त्रों के उत्पादन के संबंध के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिनियम के अंतर्गत हथकरघा बुनकर कार्यशाला के माध्यम से किस प्रकार के वस्त्रों का उत्पादन किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या यह संख्या 22 से घटकर 11 हो गई थी;

(घ) क्या बाजार विकास सहायता योजना को बंद कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या हथकरघा विकास केन्द्र और गुणवत्ता नियंत्रण इकाई परियोजनाएं पूरी तरह बंद हो गई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पीछे क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 तथा भारत के राजपत्र में अधिसूचित प्रावधान के अंतर्गत जारी किए गए दिनांक 26 जुलाई, 1996 के आदेश के अनुसार वस्त्र मदों की 21 श्रेणियों को केवल हथकरघा द्वारा तैयार

करने के लिए आरक्षित किया गया हैं। हालांकि, पूर्वोक्त मदों के उत्पादन के लिए किसी भी बुनकर कार्यशाला में कोई भी लक्ष्य निश्चित नहीं किए गए हैं।

(ख) दिनांक 26 जुलाई, 1996 के आदेश की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है जिसमें हथकरधा द्वारा उत्पादन हेतु मदों को आरक्षित किया गया हैं।

(ग) 11 मार्च 1986 के आदेश के अनुसार हथकरघा क्षेत्र द्वारा उत्पादित की जाने वाली मदों की संख्या 22 थी। आरक्षित मदों के स्वस्थ और श्रेणी की समीक्षा करने के बाद जारी किए गए 26 जुलाई, 1996 के संशोधित आदेश में इसे घटाकर 11 कर दिया गया था।

(घ) और (ङ) 1.4.2000 से दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हथकरघा एजेंसियों को विपणन प्रोत्साहन सहायता देने संबंधी प्रावधान है, के शुरू हो जाने के पूर्ववर्ती बाजार विकास सहायता योजना को बंद कर दिया गया था।

(च) और (छ) वर्ष 1993-94 में हथकरघा विकास केन्द्रों और गुणवत्ता रंगाई इकाईयों की स्थापना हेतु योजना शुरू की गई थी। 31.3.98 तक अनेक राज्यों की विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को 1848 हथकरघा विकास केन्द्रों और 391 गुणवत्ता रंगाई इकाइयों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। चूंकि कार्यान्वयन एजेंसियों को बैंकों से नगद ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती थी और चल रही अन्य योजनाओं में भी एचडीसी/क्यूडीयू के अंतर्गत उपलब्ध घटकों हेतु प्रावधान था इसलिए हथकरघा विकास केन्द्र और गुणवत्ता रंगाई इकाईयों की स्थापना संबधी योजना को 1.4.98 से बंद कर दिया गया था। तथापि, कार्यान्वयन एजेंसियों को 31.3.98 तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु प्रतिबद्ध दायित्वों के लिए 31.3.02 तक भुगतान किया गया था।

विवरण

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/96

भारत का राजपत्र
असाधारण
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 451 नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 1996/श्रावण 16, 1918

वस्त्र मंत्रालय
आदेश
नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1996

का.आ. 557(अ)—केन्द्रीय सरकार, हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 (1985 का 22) की धारी 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के आदेश संख्या 459 (अ) तारीख 4 अगस्त, 1986 और 477 (अ) तारीख 6 अगस्त, 1986 का अधिक्रमण करते हुए, सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, अपना यह समाधान हो जाने पर कि हथकरघा उद्योग के संरक्षण और विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित सारणी में वर्णित वस्तुओं अथवा वस्तुओं का श्रेणी की उत्पादन केवल हथकरघों द्वारा आरक्षित करने का निदेश देती है, अर्थात्:

सारणी

क्र.सं.	वस्तु	हथकरघों द्वारा उत्पादन हेतु आरक्षित क्षेत्र
1	2	3
1.	साड़ी	(क) साड़ी एक ऐसा कपड़ा है, जो सूत या रेशम या उनके किसी मिश्रण से धागे का काउंट और लम्बाई-चौड़ाई पर ध्यान दिए बिना बनाया गया है। इसे सामान्यत: इसी नाम से जाना जाता है और इसकी निम्नलिखित संयुक्त विशेषताएं भी हैं:- (1) किनारी और/या शीर्ष और/या मुख्य बाग में अतिरिक्त ताने और/या अतिरिक्त बनाने का डिजाइन जिसमें बूटा भी है, जिसमें कोई रंगीन या ग्रे या विरंजित धागा या जरी का कोई अन्य धात्विक/धातु की तह चढ़े धागे या उनका मिश्रण भी शामिल हैं। और/या

1	2	3
		(2) जिसमें ठोस रंगीन बुनी हुई किनारी है।
		(ख) बांधनु और रंजित साड़ी, ताने वार और/या बाने वार, जो सूत या रेशम या कृत्रिम रेशम या उनके किसी मिश्रण से बनी हैं, चाहे उसमें किसी भी काउंट के धागे व लम्बाई-चौड़ाई का प्रयोग किया गया हो व अतिरिक्त ताने या अतिरिक्त बाने के सहित या रहित मजबूत ठोस बुनी हुई किनारी हैं। **टिप्पणी:–** (1) इस निदेश की कोई बात 100 प्रतिशत सिंथेटिक रेशे/धागे अर्थात् पालिएस्टर, नायलान इत्यादि से या उनके किसी मिश्रण से बनाई गई साड़ियों पर लागू नहीं होगी। (2) इस निदेश को कोई बात 45 प्रतिशत भार से अधिक मानव निर्मित रेशे/धागे के (जिसके अन्तर्गत विस्कोज रेयान भी है) किसी प्राकृतिक या मानव निर्मित रेशे/धागे से बनाई गई साड़ियों पर लागू नहीं होगी। (3) इस निदेश की कोई बात क्रेप, शेफान, चिनोन, जार्जेट और सूती वायल साड़ियों पर लागू नहीं होगी। (4) इस निदेश की कोई बात किनारी में बनी हुई अतिरिक्त ताने की डिजाइन वाली ग्रे/विरंजित रेशमी साड़ियों पर लागू नहीं होगी।
2.	धोती	धोती एक ऐसा कपड़ा हैं, जो सामान्यत: इसी नाम से जाना जाता है व धागे के कांउट और लंबाई-चौड़ाई को विचार में न रखते हुए सूत या रेशम या उनके किसी मिश्रण से बनाया गया है, जिसकी किनारा (सेलवेज सहित) फन्नी के 16 दंती से ज्यादा का प्रयोग करके अतिरिक्त ताने और/या अतिरिक्त बाने के डिजाइन से बनाई जाती है व इसका शीर्ष अतिरिक्त बाने के डिजाइन में हो भी सकता हैं और नहीं भी। **टिप्पणी:–** (1) इस निदेश की कोई बात 10 प्रतिशत सिंथेटिक रेशे/धागे अर्थात् पालिएस्टर, नायलान इत्यादि से या उनके किसी मिश्रण से बनाई गई धोतियों को लागू नहीं होगी। (2) इस निदेश की कोई बात 45 प्रतिशत भार से अधिक मानव निर्मित रेशे/धागे के (जिसके अंतर्गत विस्कोज रेयान भी हैं) किसी प्राकृतिक या मानव निर्मित रेशे/धागे के मिश्रण से बनाई गई धोतियों को लागू नहीं होगी।
3.	तौलिया, गमछा और अंगवस्त्रम्	तौलिया एक ऐसी कपड़ा है जो बोर्डर अथवा शीर्ष सहित सादा, चटाई, टुइल, छत्ते, हक्का बैंक अथवा इन सब के मिश्रण से बुना जाता हैं। इसकी निम्नलिखित संयुक्त विशेषताएं भी हैं : (1) इसे सूत अथवा सूत के मिश्रण के साथ अन्य रेशों को मिलाकर तैयार किया जाता हैं। (2) इसे अलग-अलग लम्बाई-चौड़ाई में तैयार किया जाता है। (3) यह सफेद अथवा रंगीन हो सकता है।

1	2	3
		(4) जैकार्ड पर तैयार किये गये तौलिए सजावटी डिजाइन में हो सकते हैं।
		(5) मैट बुनाई के साथ तैयार किया गया तौलिया केरल में सामान्यत: झरझा थोरथू और तमिलनाडु में झरझो थुन्डू के नाम से जाना जाता है और इसमे गमछा और अंगवस्त्रम् भी शामिल हैं।
4.	लुंगी	लुंगी एक ऐसा कपड़ा हैं जो सूत या कृत्रिम रेशम या इनके किसी मिश्रण से बनाया गया है, जिसकी चौड़ाई 110 से.मी. या उससे अधिक है और इसमें प्रत्येक इंच पर 64 या उससे अधिक ताने के धाग हैं और जिसमें चेक और/या धारी पैटर्न बनाने के लिए रंगे हुए धागे का प्रयोग करके बुना गया हैं।
5.	खेस, बैडशीट, बैडकवर, पलंगपोश, फर्नीशिंग (जिमसें टेपेस्ट्री, इपहोजरी शामिल हैं)	खेस, बैडशीट, बैडकवर, पलंगपोस, फर्नीशिंग (जिसमें टेपेस्ट्री अपहोजरी शामिल है) चाहे देश के विभिन्न भागों में किसी भी नाम से जाने जाते हों अंतर्गत डबल क्लाथ और बंधेज भी है जो सूत या कृत्रिम रेशम अथवा इनके मिश्रण से बहुपद चालित हथकरघा पर और/या डाबी और/या जैकार्ड सहित शुद्ध सूती तथा की दशा में 200 हुक तक और सूती तथा कृत्रिम रेशम ताने के मिश्रण की दशा में 400 हुक तक जिसमें काउंट व लम्बाई-चौड़ाई पर ध्यान दिये बिना बुना गया हो। **टिप्पणी:–** इस निदेश की कोई बात सादी बुनाई के कपड़े (प्लेन शीटिंग) पर लागू नहीं होगी।
6.	जामाकालम दरी या डरट	जामाकालन दरी या डरट सामान्यत: इसी नाम से जाने जाते हैं, जो सूत या कृत्रिम रेशम या ऊन या जूट या उनके किसी मिश्रण से एकल धागे या परिणामी बटे हुए धागे का प्रयोग करके सादी बुनाई या टिव्ल बुनाई या टिव्ल और सादी बुनाई के संयोजन से 24 ताने के धागे/इंच तक किसी भी लम्बाई-चौड़ाई में तैयार किया गया है।
7.	ड्रैस मेटेरियल	ड्रेस मेटेरियल जिसके अंतर्गत मशरू कपड़ा और धागा बांधनू और संजित कपड़ा भी है। इसे सूत या रेशम (जिसके अतंर्गत स्पन रेशम भी है) या कृत्रिम रेशम या इनके किसी मिश्रण से कांउट और लम्बाई-चौड़ाई का ध्यान किए बिना तैयार किया गया है व इसकी किनारी और/या मुख्य भाग अतिरिक्त बाने की डिजाइन से बनाई गई हैं। इसके अंतर्गत तौलिया रूमाल, रियल मद्रास रूमाल भी हैं, जिन्हें इसी नाम से जाना जाता हैं।
8.	बैंरक कम्बल, कम्बल या कम्बली	बैंरक कम्बल किसी कांउट और किसी रंग के ऊनी धागे से बना रेशेदार सतह वाला मोटा कपड़ा है जिसे मिलिंग और रेजिंग द्वारा तैयार किया जाता है। इसकी निम्नलिखित संयुक्त विशेषताएं भी हैं:-
		(1) ऊनी कम्बल ऊन और ऊनी धागे या अन्य रेशों के साथ मिलकर तैयार किया जाता है।
		(2) इसे किसी भी लम्बाई-चौड़ाई और बुनाई में तैयार किया जाता है।
		(3) इस निदेश की कोई बात साड़ी ऊनी धागे से बनाए गए बैरक कम्बल और कम्बल या कम्बलियों को लागू नहीं होगी।
		(4) जो ऊन और/या सूती या उनके किसी मिश्रण से सादा या चैक डिजाइन में बुना गया है, उसे कम्बल या कम्बली के रूप में परिभाषित किया जाएगा।

1	2	3
9.	शाल, लोई, मफलर, पंखी इत्यादि	शाल एक ऐसा कपड़ा हैं, जिसे वर्स्टेड अथवा ऊनी अथवा कैशमिलोन या पशमीना अथवा अन्य किसी रेशे और या उनके मिश्रण से बुना जाता है। इसका प्रयोग महिलाओं अथवा पुरुषों द्वारा अपने शरीर को ढकने के लिए किया जाता है व इसे कंधे के ऊपर बिना सिलाई प्रक्रिया को ओढ़ा जाता है। इसकी निम्नलिखित संयुक्त विशेषताएं भी हैं:- (1) इसे किसी भी रेशे के प्रयोग से डिजाइन में तैयार किया जाता है, जिसमें अतिरिक्त बाना हो भी सकता है अथवा नहीं भी। (2) इसे किसी भी प्रकार के ऊनी धागे, वर्स्टेड धागे अथवा मिश्रित धागे और इनके मिश्रण से तैयार किया जाता है। (3) इसे किसी भी कांउट के धागे से तैयार किया जाता है। (4) इसे किसी भी लम्बाई-चौड़ाई और भार में तैयार किया जाता है, और (5) इसे सामान्यत इसी नाम से जाना जाता है। शाल मद में लोई, पंखी व मफलर भी शामिल हैं। इसमें कुल्लू, किन्नोरी, कानी पशमीना, धोरी, लिंराचा (तिब्बती), स्कार्फ इत्यादि जैसी परम्परागत शालें भी शामिल हैं।
10.	ऊनी कपड़ा (वूलन ट्वीड)	यह एक ऐसा कपड़ा है जिसे 100 प्रतिशत शुद्ध ऊनी धागे से बुना जाता है। इससे कोट, जैकेट और पहनने के कपड़े बनाए जाते हैं। इसकी निम्नलिखित संयुक्त विशेषताएं भी हैं:- (1) इसे चेक या स्ट्राइप डिजाइन में लम्बाई-चौड़ाई को विचार में लाए बिना तैयार किया जाता है, और (2) इसे 3/1 टुइल बुनाई में तैयार किया जाता है।
11.	चादर, मेखला/फणिक	यह शरीर के निचले भाग और/या ऊपरी भाग को ढकने के लिए उपयोग में लाया जाता है और यह सूत या रेशम या कृत्रिम रेशम या इनके किसी मिश्रण से तैयार किया जाता है, जो काउंट और लम्बाई-चौड़ाई को विचार किये बिना चेक या स्ट्राइप डिजाइन में सादा/ट्विल बुनाई में बुना जाता है और इसकी किनारी और/या शीर्ष (क्रास बार्डर), अतिरिक्त ताने और/या बाने में होने की इसकी विशेषता हैं। **टिप्पणी:-** उपरोक्त निदेश में निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं:- (1) मिजोरम का पुआन। (2) मेघालय का धारा, जेनसेम, ड़ाकमंडा, ड़कसारी। (3) नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के स्कर्टस् और औड़ना कपड़े। (4) त्रिपुरा के रिहा और पचारा। (5) दक्षिणी राज्य के पावदा (सेट)/धावनी। (6) असम के दखोना, टका, खमलेट, फणिक।

[सं. 2/10/95-डी.सी.एच./सी.ई.ओ.]

बी.एल. शर्मा, संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (हथकरघा)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग-II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 305] नई दिल्ली, बुधवार, जून 2, 1999/ज्येष्ठ 12, 1921

वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय)

(प्रवर्तन प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून, 1999

का.आ. 408(अ)—केन्द्रीय सरकार, हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 (1985 का 22) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, अपना यह समाधान हो जाने पर कि हथकरघा उद्योग के संरक्षण और विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक हैं, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के आदेश संख्यांक कां.आ. 557 (अ) तारीख 26.7.1996 का तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त आदेश की सारणी में, क्रम संख्यांक 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

"8 बैरक कम्बल, कम्बल या कम्बली

(क) बैरक कम्बल से, औसत 34 माईक्रोन या उससे मोटी ऊन का बना रेशेदार सतह बाला मोटा कपड़ा अभिप्रेत हैं, जिसका मिलिंग और रेजिंग से उत्पादन किया जाता है; तथा इसमें ऐसे बैरक कम्बल शामिल हैं जो प्राकृतिक ग्रे या काली ऊन या इसके मिश्रण से हाथ से कते या मिल के कते ऊनी धागे का प्रयोग करके बने हों तथा जो किसी भी आकार तथा किसी भी बुनाई में तैयार किए जाते हैं।

(ख) कम्बल या कम्बली से, औसत 34 माईक्रोन या उससे मोटे ऊन का बना रेशेदार सतह वाला ऐसा मोटा कपड़ा अभिप्रेत हैं, जिसे मिलिंग तथा रेंजिग द्वारा तैयार किया जाता है तथा जिसमें ऐसे कम्बल या कम्बली शामिल हैं जो हाथ से कटे अथवा मिल के कटे ऊनी धागे, वर्स्टेड या उनके मिश्रित धागों का प्रयोग करके सादा, धारीदार या चारखाना डिजाईन में बुना गया हो।

(ग) मद (क) तथा मद (ख) की कोई बात शॉडी यार्न, जो कि पुन: प्रयुक्त या पुन: प्रसंस्कृत ऊन तथा पुराने सिन्थैटिक कपड़ों से बने घटिया किस्म का ऊनी धागा हैं, से बने बैरक कम्बल, कम्बल, या कम्बली पर लागू नहीं होगी।"

[फा.स. 2/10/95-डीसीएच/सीईओ/जि-IV]

अरूण गुप्ता, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (हथकरघा)

रजिस्ट्री संख्या डी.एफ. 33004/99

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग-II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 284] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 1999/बैशाख 5, 1922

वस्त्र मंत्रालय

(हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय)

(प्रवर्तन खंड)

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2000

का.आ. 405 (अ)—केन्द्रीय सरकार, हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 (1985 का 22) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सलाहकार समिति द्वारा उसे की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाने पर कि हथकरघा उद्योग के संरक्षण और विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक हैं, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के आदेश संख्यांक का.आ. 557 (अ), तारीख 26 जुलाई, 1996 का निम्नलिखित रूप में, तुरन्त प्रभाव से और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त आदेश की सारणी में क्रम संख्यांक 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"9. शाल, लोई, मफलर, पंखी इत्यादि

"शाल एक ऐसा कपड़ा है, जिसे वर्स्टेड या ऊनी या पश्मीना या शुद्ध रेशम या सूती धागे और/या उनसे सम्मिश्रण से बुना जाता हैं। उसका प्रयोग महिलाओं या पुरुषों द्वारा अपने शरीर को ढकने/कंधे के ऊपर बिना सिलाई प्रक्रिया के ओढ़ने के लिए किया जाता है। इसकी निम्नलिखित संयुक्त विशेषताएं भी हैं:-

(1) अतिरिक्त बाना डिजाइन के साथ ऊनी या वस्टेड या पश्मीना या शुद्ध रेशमी धागे या सूती धागे और/या उनसे किसी अन्य रेशे अर्थात्

प्राकृतिक और/या मानव निर्मित/संशिलष्ट रेसों के साथ सम्मिश्रिण या मिश्रण से बुनी गई शालें जिनमें 400 हुक तक का डोबी/जेकुआर्ड डिजाइन हों;

(2) उसमें किसी प्रकार के ऊनी वर्स्टेड या पश्मीना या शुद्ध रेशमी धागे या सूती धागें और/या उनके सम्मिश्रण का प्रयोग किया जाता है;

(3) इसे किसी की काउंट के धागे से बुना जाता है;

(4) इसे किसी भी लंबाई चौड़ाई और भार में बुना जाता है; और

(5) इसे सामान्यत: इसी नाम से जाना जाता है।

स्पष्टीकरण: शाल पद में लोई, पंखी, मफ्लर, परंपरागत शालें जैसे कुल्लु, किन्नोरी, कानी पश्मीना, थोरी, लिरांचा (तिब्बती), गजारी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उत्पादित शालें जैसे नागा, मणिपुरी, मिजों शालें इत्यादि भी सम्मिलित हैं।

[फा.सं. 2/10/95-डीसीएच/सीईओ/वोल्यूम (VI)]

अरूण गुप्ता, अपर सचिव, और विकास आयुक्त (हथकरघा)

[अनुवाद]

खनिजों का आयात

1929. श्री अनन्त नायक : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और खनिज-वार कुल कितनी प्रमात्रा में विभिन्न प्रकार के खनिजों का आयात किया गया है;

(ख) वे कौन-कौन सी प्रमुख एजेंसियां हैं जिनके माध्यम से खनिजों का आयात किया गया है;

(ग) क्या सरकार के पास निकट भविष्य में खनिजों और सामग्रियों के आयात को कम करने हेतु कोई प्रस्ताव हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान आयातित विभिन्न किस्म के खनिजों की वर्षवार और खनिजवार कुल मात्रा के ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित प्रकाशन ''भारती विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े : खंड 2 (आयात) वार्षिक अंक'' में दिए गए हैं जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) खनिज, निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के अध्याय 25, 26 और 27 के अंतर्गत शामिल हैं। खनिज उत्पादों से संबंधित निर्यात एवं आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 2002-2007 के खंड V के अनुसार अध्याय 27 के एग्जिम शीर्ष संख्या 27.10 के अधीन यथा वर्गीकृत केवल 9 मदें आयातों के लिए राज्य व्यापार उद्यम (एस टी ई) व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। इन मदों का केवल भारतीय तेल निगम के माध्यम से आयात किया जा सकता है। अध्याय 25, 26 और 27 के अंतर्गत शामिल अन्य सभी मदों का या तो निर्बाध रूप से अथवा एग्जिम नीति 2002-07 में यथा उल्लिखित प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आयात किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) खनिजों का आयात विशिष्ट ग्रेडों और विशेषताओं से संबंधित प्रयोक्ता उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हीं द्वारा किया जाता है। भारत में भी खनिजों जैसे कच्चे पेट्रोलियम, कोकिंग कोयले, तांबे, लेड़ जिंक जैसी मूल धातुओं अधिक मूल्य की धातुओं और खनिजों जैसे स्वर्ण, हीरे, निकल, टंस्टन, राक फास्फेट, पोटाश आदि की कमी है। सरकार के खनिजों का पता लगाने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए 1994 और दिसम्बर 1999 में खनन संविधियों में संशोधन किए हैं।

रेशम कीट पालन क्षेत्र में उपलब्धियां

1930. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **वस्त्र मंत्री** 9 अगस्त, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4037 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेशम कीट पालन क्षेत्र में और रोजगार सृजन में विभिन्न राज्यों में विशेषकर मध्य प्रदेश में योजनाओं को लागू करने के बाद इस उद्योग में क्या उपलब्धि हासिल हुई है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) देश में कच्चे रेशम का उत्पादन 1997-98 में 15236 मी.टन से बढ़कर 2001-02 में 17351 मी. टन हो गया है। संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य 1997-98 में 111 मी. टन का उत्पादन कर रहा था। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद मध्य प्रदेश में कच्चे रेशम का उत्पादन 2001-02 में 12 मी. टन था। देश में रेशम उत्पादन संबंधी क्रियाकलापों में अनुमानित रोजगार सृजन 1997-98 में 53.22 लाख व्यक्ति से बढ़कर 2001-02 में 55.00 लाख व्यक्ति हो गया जिसमें मध्य प्रदेश में 0.07 लाख व्यक्ति का अनुमानित रोजगार शामिल है।

(ख) चालू वर्ष में केन्द्रीय रेशम बोर्ड की योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2002-03 के दौरान राज्यवार और योजनावार किए गए आबंटन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2002-03 के दौरान आबंटन								
		यूएनडीपी	विशेष एसजीएसवाई परियोजना	सेरी-2000	सीडीपी	छत्तीसगढ़ रेशम उत्पादन परियोजना	मणिपुर रेशम उत्पादन परियोजना	जंगली तसर प्रजातियों के संरक्षण संबंधी परियोजना	द्विफसलीय सेरी के लिए विस्तार प्रणाली सुदृढ़ करने वाली परियोजना	मध्य प्रदेश (रैली में) प्राकृतिक रूप से उपजाई जाने वाली तसर का विकास
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	23.94	–	125.00	–	–	–	–	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	62.27	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	60.45	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गुजरात	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	झारखंड	94.26	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	कर्नाटक	–	–	79.93	–	–	–	–	–	–
12.	केरल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	मध्य प्रदेश	–	–	–	7.69++	–	–	–	–	–
14.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	मेघालय	3.36	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	नागालैंड	3.25	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	उड़ीसा	14.66	–	–	–	–	–	10.00	–	–
20.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	तमिलनाडु	–	–	102.89	–	–	–	–	–	–
24.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	उत्तरांचल	185.24	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	पश्चिमी बंगाल	19.14	–	111.92	–	–	–	–	–	–
28.	सभी राज्यों के लिए समान रूप से	110.00	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	576.57+	–*	419.74@	7.69$	–*	–*	10.00	–	–

+396.57 लाख रुपए का यूएनडीपी हिस्सा सहित *राज्य परियोजना *राज्य आबंटन ++ मध्य प्रदेश को अक्तूबर 2002 तक जारी राशि
$चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के लिए राज्यवार आबंटन राज्य से प्राप्त होने वाली अलग-अलग प्रस्ताव पर निर्भर करेगी।

आई सी आई सी आई बैंक के चूककर्ता

1931. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई सी आई सी आई बैंक ने हाल ही में अपने चूककर्ताओं विशेषकर 16 शीर्षस्थ चूककर्ताओं को नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुप्रयोज्य आस्तियों की वसूली के संबंध में राष्ट्रपति के अध्यादेश के बाद चूककर्ताओं को कितने नोटिस जारी किए गए है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार आई सी आई सी आई बैंक की चूक के रूप में कुल कितनी धनराशि बकाया है;

(घ) अब तक कितने मामलों को सुलझा लिया गया है और चूककर्ताओं से कुल कितनी धनराशि की वसूली की गई है; और

(ङ) आई सी आई सी आई द्वारा अनुप्रयोज्य आस्तियों की वसूली हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) आईसीआईसीआई बैंक ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अध्यादेश, 2002 के अंतर्गत जुलाई, 2002 तक 16 चूककर्ताओं तथा इसके बाद 8 अन्य कंपनियों को नोटिस जारी किए। ऐसी कंपनियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(ग) इन 24 कंपनियों के विरुद्ध दावाकृत कुल राशि 19214 मिलियन रुपए (अर्थात 1921.40 करोड़ रुपए) हैं।

(घ) उक्त कंपनियां अभी भी आईसीआईसीआई बैंक की बहियों में शामिल की हुई हैं क्योंकि इन मामलों में से किसी मामले का अभी पूरी तरह निपटान नहीं हुआ है। बैंक ने इनमें से कुछ मामलों में बैंक की देय राशियों के रूप में 15.2 मिलियन रुपए (अर्थात् 1.52 करोड़ रुपए) की वसूली की हैं।

(ङ) आईसीआईसीआई उक्त अध्यादेश के अधीन नोटिस जारी करने के अलावा अपनी देयराशियों की वसूली के लिए विभिन्न उपाय अपनाता रहा है जिनमें ये शामिल हैं: ऋण वसूली अधिकरणों के समक्ष वाद दायर करना और/अथवा आवेदन करना, न्यायालय के बाहर निपटान और एकबारगी निपटान/वास्तविक मामलों में जहां कंपनी चलनिधि के अत्यधिक संकट का सामना कर रही हैं, वहीं बैंक या तो अकेले अथवा संघीय सहायता के माध्यम से पुनर्निधारण पैकेज के लिए सहमत हुआ हैं। बैंक कारपोरेट ऋण पुनर्निर्धारण तंत्र के माध्यम से भी प्रस्ताव भेज रहा हैं।

विवरण

आईसीआईसीआई के चूककर्ताओं की सूची

(मिलियन रुपए)

क्रम सं.	समूह	कंपनी का नाम	नोटिस की तारीख	दावाकृत राशि	
1	2	3	4	5	
1.	जैडएस	एकबर लेमिनेटर्स	16/7/2002	153.3	बी-73, एमआईजीसी, वलूज औद्योगिक क्षेत्र, एमआईडीसी, औरंगाबाद-431136
2.	सीएसआईआई	एपेक्स इलेक्ट्रीकल्स	17/7/2002	251.0	पैडरा रोड, समिझया, एल-391410 जिला बड़ौदा
3.	जैडएस	ब्लू ब्लैंड्स	16/7/2002	269.4	यूबीएफ हाउस, ओल्ड पोस्ट आफिस लेने, कलवादेवी रोड, मुम्बई-400071
4.	सीएसआई	सीडी इंडस्ट्रीज	14/7/2002	20.0	512, स्वास्तिक चेम्बर, कुर्ला ट्राम्बे रोड, चेम्बूर, मुम्बई-400071
5.	सीएसआईआई	देवरा पालिटैक्स	17/7/2002	95.4	122 ए, मित्तल कोर्ट, ए विंग, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021
6.	सीएसआई	कीर्ति स्टील	15/7/2002	790.1	यमनापेठ, इंडस्ट्रीयल एरिया, घरकासर, रंगारेड्डी जिला, आन्ध्र प्रदेश
7.	सीएसआई	लायड स्टील	23/7/2002	4011.3	माडर्न मिल्स, कंपाउंड 101, केशवपुरम खाद्य मार्ग, जेकोब सर्किल, मुम्बई-11
8.	सीएसआई	मार्डिया केमिकल्स	15/7/2002	2934.9	501, पांचवां तल मंगलमूर्ति कांप्लेक्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380006
9.	सीएसआई	परसामपुरिया इंडस्ट्रीज	15/7/2002	1601.1	सर्वे सं. 214/3, दादरा-396191, दादर एवं नागर हवेली
10.	सीएसआई	परसामपुरिया सिंथेटिक्स	15/7/2002	3139.7	103 सूर्यमैंशन, 1 कौशल्य पार्क, हौज खास, नई दिल्ली-110016
11.	सीएसआई	पथेजा ब्रादर्स एंड फोरजिन्स	16/7/2002	172.3	16, ई-20, एमआईडीसी इंडस्ट्रीयस एरिया, भोसारी, पुणे-26
12.	सीएसआई	पथेजा फोरजिन्स एंड आटो पार्ट्स	15/7/2002	262.8	16, ई-20, एमआईडीसी इंडस्ट्रीयल एरिया, भोसारी, पुणे-26
13.	सीएसआईआई	पोपलेव फोरजिन्स	18/7/2002	57.0	31, सागर प्लाजा, कशारवादी, पुणे-411034
14.	जैडएस	शार्प इंडस्ट्रीज	16/7/2002	92.4	प्लाट नं. 6, वालीव गांव, वालीव पूर्व, वशाई (पूर्व), जिला थाणे-401208

1	2	3	4	5	
15.	सीएसआईआई	टेक्नीकोन सिस्टम्स	14/7/2002	107.2	प्लाट सं. 32, मरोल इंडस्ट्रीज एरिया, एमआईडीसी, बी-क्रास रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400093
16.	जैडएस	विष्णु विजय	16/7/2002	284.3	बी-5, एमआईडीसी, वलूज, औरंगाबाद-431136
17.	चेन्नई	तमिलनाडु हास्पीटल लि.	16/9/2002	568.5	नं. 439, चेरोन नगर, पेरूबकम, चेन्नई-601302
18.	सीएसएएमजी	माडर्न टेरी टावल्स लि.	17/10/2002	338.6	ए-4, विजयपेठ, तिलक नगर, जयपुर-302004
19.	सीएसएएमजी	रेपल इंजीनियरिंग लि.	24/10/2002	1415.9	प्लाट सं. 112, तेरहवीं रोड, एमआईडीसी इंडस्ट्रीयल एरिया, मरोल, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400093
20.	दिल्ली	एरीहेंट काटसिन लि.	18/9/2002	92.1	बी-35, फेज, 5, फोकल प्वाइंट, लुधियाना-141010
21.	दिल्ली	भिवानी डेनिम एंड एपेरेल्स लि.	29/8/2002	165.9	13/7, मथुरा रोज, फरीदाबाद, हरियाणा
22.	दिल्ली	जेम्स होटल्स लि.	13/9/2002	27.6	ब्लाक नं. 10, सेक्टर-17, चण्डीगढ़-160017
23.	कलकत्ता	यूनिवर्थ लि.	26/10/2002	2280.0	70 ए, शेक्सपियर्स सरानी, कलकत्ता
24.	चेन्नई	मद्रास पेट्रोकेमिकल्स लि.	21/11/2002	73.2	नं. 16, नरीमन भवन, 227, विनय के शाह मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई
25.	कुल			19214.00	

[हिन्दी]

वृद्धाश्रम

1932. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002-03 के दौरान डे केयर सेन्टर और वृद्धाश्रमों की स्थापना से संबंधित कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इन वृद्धाश्रमों को स्वीकृति प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया में कोई संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) चालू वर्ष में इन योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को कुल कितनी धनराशि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) वर्ष 2002-03 के दौरान मंजूरी हेतु नए प्रस्तावों का कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। मंजूरी हेतु नए प्रस्तावों की संख्या विभिन्न कारकों जैसे- चालू मामलों के लिए प्रतिबद्ध देयताएं, निधियों की उपलब्धता तथा सभी प्रकार से और योजना के अनुसार नए प्रस्तावों के पूर्ण होने आदि पर निर्भर करेगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2002-03 के लिए आबंटित कुल निधि 18.27 करोड़ रु. हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्र को ऋण प्रदान करना

1933. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्र को ऋण देने संबंधी विशेषज्ञ समिति का कहना है कि वाणिज्यिक बैंक अपनी 19,000 ग्रामीण शाखाओं के नेटवर्क के बावजूद कृषि को ऋण देने से कतरा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय रिजर्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान करना अनिवार्य बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ग्रामीण ऋण संबंधी विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ग्रामीण ऋणों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच की है। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वाणिज्यिक बैंकों ने, जिन्हें राष्ट्रीयकरण के बाद अपने ग्रामीण परिचालनों का पर्याप्त विस्तार करना था, ऐसा नहीं किया है क्योंकि ऐसे परिचालनों में उन्हें बहुत अधिक संख्या में छोटे खातों जमा और उधार दोनों का रख-रखाव करना होता है, जिसे वे महंगा और दुर्वह पाते हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इस प्रकार निर्धारित किए गए लक्ष्यों और उसके अधीन उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक
प्राथमिकता क्षेत्र उधार का लक्ष्य	निवल बैंक ऋण का 40%	निवल बैंक ऋण का 32%
उपलब्धि	निवल बैंक ऋण का 40.9%	निवल बैंक ऋण का 34.2%

मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार लक्ष्य प्राप्त न करने वाले विदेशी बैंकों को समस्त कम राशि को एक वर्ष की अवधि के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के पास जमा कराना अपेक्षित है। जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का संबंध है, जिनका प्राथमिकता क्षेत्र/कृषि ऋण कम होता है, उन्हें ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आधारिक निधि) में अंशदान के लिए राशियां आबंटित की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने के मामले में बैंकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करता रहा है और लक्ष्य/उप लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता पर बल देता रहा है ताकि प्राथमिकता क्षेत्र/कृषि, कमजोर वर्गों को समयबद्ध तरीके से ऋण का अधिक प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। अप्रैल/मई, 2001 के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दो वर्ष की समय सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके अन्दर गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्राथमिकता तदनुसार, इन बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि वे इन क्षेत्रों के ऋण के प्रवाह में वृद्धि करें ताकि मार्च 2003 तक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

विश्व व्यापार संगठन के संबंध में मंत्रियों का समूह

1934. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के बारे में तेजी से फैसला लेने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समूह द्वारा किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी; और

(घ) अगले वर्ष मैक्सिकों में होने वाले विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन में होने वाले विचार-विमर्श में यह समूह किस सीमा तक कृषि के संबंध में भारत के विचार रख सकेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) जी, हां। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) में कृषि संबधी वार्ताओं के दौरान अपनाई जाने वाली कार्यनीति को अंतिम रूप देने और डब्ल्यू टी ओ मामलों में संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित समग्र पद्धति के भीतर समय-समय पर उचित निर्णय लेने के लिए सरकार ने मंत्री समूह का गठन किया है जिसमें वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्री, विधि एवं न्याय मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री और विदेश मंत्री शामिल हैं। कृषि संबंधी वार्ताओं जिन्हें 1 जनवरी 2005 तक संपन्न किए जाने का कार्यक्रम हैं, में सरकार ने भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

खनिजों का निर्यात

1935. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक लौह अयस्क समेत विभिन्न प्रकार के खनिजों की खनिजवार कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ख) इन खनिजों विशेषकर लौह अयस्क को किन राज्यों से प्राप्त करके निर्यात किया गया;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उन राज्यों से लौह अयस्क समेत खनिजों के निर्यात में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मूल्य के रूप में निर्यातित प्रमुख खनिजों तथा जिन राज्यों से इन्हें प्राप्त किया गया है, उनके ब्योरे निम्नानुसार हैं:-

(अंनतिम आंकड़े)/(करोड़ रु.)

मद	2000-01	2001-02	2002-03 (अप्रैल-जुलाई)	राज्य जिनसे निर्यात हेतु प्राप्त किया गया
लौह अयस्क	1633.80	1918.22	1150.83	गोवा, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़
अभ्रक	41.60	55.22	13.24	झारखंड
कोयला	167.51	276.06	61.13	आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल
प्रसंस्कृत खनिज*	1719.83	1612.99	728.07	तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश
अन्य अयस्क एवं खनिज**	1704.63	1909.80	713.99	उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, गुजरात
कुल	5267.37	5772.29	2667.26	

* केलसिंड एल्मिना, बैरिटस, बेंटोनाइट, क्वार्टड, फेल्डस्पार, इलमेनाइट और अन्य शामिल हैं।

** क्रोम अयस्क, मैंगनीज अयस्क, बोक्साइट साल्ट और अन्य शामिल हैं।

(स्रोत : डी जी आई एंड एस)

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त 'ग' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केन्द्र

1936. श्री वेंकटेश नायक : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ) ने कर्नाटक में कुछ क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केन्द्रों को स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इन क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केन्द्रों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(घ) क्या आई टी पी ओ का प्रस्ताव राज्यों में और क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केन्द्रों की स्थापना के लिए किन मानदंडो का पालन किया जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ) और कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डैवलपमेंट बोर्ड (के आई ए डी बी) के बीच सह प्रोन्नायकों के रूप में गठित की गई एक संयुक्त उद्यम कंपनी ने कर्नाटक सरकार द्वारा व्हाइट फील्ड एरिया, बंगलौर में उपलब्ध कराई गई लगभग 50 एकड़ भूमि के प्लाट पर एक व्यापार केन्द्र/प्रदर्शनी केन्द्र स्थापित किया है। प्रदर्शनी परिसर की योजना में अन्य बातों के साथ-साथ चार प्रदर्शनी कक्षों जिनमें प्रत्येक का माप 5000 वर्ग मी. है और सहायक सेवाओं के चरण-बद्ध ढंग से निर्माण किए जाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) इस केन्द्र के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा अभी तक कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) आई टी पी ओ इस संबंध में पश्चिम बंगाल, असम और गुजरात राज्य सरकारों के प्रस्तावों को सुविधापूर्वक तैयार कराने के उनके अनुरोध पर उन्हें तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध करा रहा है।

(च) आर टी पी सी की स्थापना के लिए स्थानों का चयन करने हेतु अपनाए गए मुख्य मानदंडों में अन्य बातों के साथ साथ काफी अधिक जनसंख्या वाले महानगर के रूप में उपयुक्तता उत्तम औद्योगिक आधार की मौजूदगी पिछले कुछेक वर्षों के दौरान वार्षिक रूप से 3-4 बड़ी व्यापार प्रदर्शनियों को आयोजित करने का प्रमाणित अनुभव, राज्य सरकार द्वारा विकसित भूमि जिसमें सड़कों, विद्युत, जल आदि के रूप में सहायक बुनियादी संरचना हो, उपलब्ध कराने की सहायता और निधियों की उपलब्धता शामिल है।

सेबी द्वारा भारत सरकार के ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक

1937. श्री सुबोध राय : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेबी ने 105 करोड़ रुपए के सरकारी ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की थी जैसाकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वर्ष 2000 की रिपोर्ट संख्या 4 में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो चूक के कारणों का पता लगाने के लिए कराई गई औपचारिक जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चूक के लिए सेबी के सभी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) पुनर्भुगतान के लिए धनराशि के स्रोत को दर्शाते हुए चुकाये गए ऋण का तिथिवार ब्यौरा क्या है;

(च) आज की तिथि के अनुसार समूचे ऋण पर कुल कितना ब्याज बकाया है; और

(छ) सरकार का किस तरीके से ऋण की वसूली का प्रस्ताव है और तत्संबंधी ब्याज कितना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) भारत सरकार ने सेबी को इसके पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए 1992-93 से 1996-97 के दौरान 115 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया है। सेबी द्वारा इन ऋणों की पुनर्अदायगी दो वर्ष की छूट की अवधि के बाद दस समान किस्तों में की जानी थी। सेबी ने मार्च, 1997 तक 10 करोड़ रुपए की पुनर्अदायगी की और अनुरोध किया कि शेष बकाया ऋणों को अनुदानों में परिवर्तित कर दिया जाए। सरकार का निर्णय लंबित होने के कारण सेबी ने 1999-2000 तक तीन किस्तों में भुगतान नहीं किया। चूंकि ऋणों को अनुदान में परिवर्तित करने की सेबी का अनुरोध सरकार द्वारा नहीं माना गया, सेबी ने फरवरी, 2001 में बकाया किस्तों की पुनर्अदायगी कर दी। नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में सरकार को ऋणों की इस किस्तों की अदायगी न करने के बारे में टिप्पणी की है। फरवरी, 2001 के दौरान बकाया किस्तों की पुनर्अदायगी के परिणामस्वरूप इन टिप्पणियों को हटा दिया गया।

(ङ) पुनर्अदायगी की तारीख	पुनर्भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपए)
30 मार्च-1995	1.00
20 मार्च-1996	3.50
31 मार्च-1997	5.50
2 फरवरी-2001	10.50
8 फरवरी-2001	6.00
20 फरवरी-2001	15.00
31 मार्च-2001	11.50
31 मार्च-2002	11.50
जोड़	64.50

इन ऋणों की वापसी-अदायगी सेबी की आय में से की जाती है।

(च) ये ऋण ब्याज मुक्त हैं।

(छ) अब सेबी पुनर्भुगतान समय-सारणी के अनुसार ऋण की पुनर्अदायगी कर रहा हैं।

अवसंरचना संबंधी उद्योगों की वृद्धि दर

1938. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में अवसंरचना संबंधी 6 मुख्य उद्योगों ने 6% की तीव्र वृद्धि दर्ज की जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में 1.5% वृद्धि दर्ज की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्योगवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वृद्धि के बावजूद सितम्बर, 2002 में इसमें गिरावट देखी गई;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किन उद्योगों में धीमी वृद्धि दर्ज की गई है; और

(ङ) उन उद्योगों की वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान दर्ज की गई विकास दरों के (प्रतिशत) उद्योगवार ब्यौरे नीचे दिये गये है:

	अप्रैल-सितम्बर	
	2001-02	2002-03
कच्चा पेट्रोलियम	-2.9	5.2
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद	4.2	5.6
कोयला	2.1	5.9
विद्युत	3.2	3.4
सीमेंट	3.4	9.8
तैयार इस्पात	-0.9	9.3
समग्र	1.5	6.0

(ग) चालू राजकोषीय वर्ष 2002-03 के शुरू से ही छः अवसंरचना उद्योगों की विकास दरं में सितम्बर, 2002 को छोड़कर बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शायी हैं जब 1.7 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की गई थी। तथापि, 6 अवसंरचना उद्योगों ने अक्तूबर, 2002 के दौरान 6.1 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की जिसके नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं।

(घ) सितम्बर, 2002 में देखी गई मंदी के कारण उद्योग विशेष हैं। कुछ रिफाइनरियों में विद्युत की कमी तथा बंद किया जाना, तेल के कुओं से कम योगदान तथा पर्यावरण संबंधी समस्याओं से कच्चे तेल का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जबकि दक्षिण क्षेत्र में ग्रिड के फेल होने से विद्युत क्षेत्र प्रभावित हुआ है। सितम्बर, 2002 के दौरान कच्चा पेट्रोलियम, कोयला तथा विद्युत क्षेत्रों ने निम्न विकास दरें दर्ज की।

(ङ) सरकार ने अवसंरचना उद्योगों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:-

- केंद्रीय बजट 2002-03 में अवसंरचनात्मक विकास के लिए करावकाश की घोषणा की गई है।
- प्रधान मंत्री वृहत सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ, जिससे सीमेंट, इस्पात और कोयला की मांग में वृद्धि होगी।
- सरकार द्वारा नई अन्वेषण लाइसेंसिग नीति के अंतर्गत ब्लाक प्रदान करके कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाये गये हैं।
- पेट्रोलियम उत्पादों के लिए प्रशासित मूल्य प्रणाली (ए पी एम) को समाप्त कर दिया गया है। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य का निर्धारण अब बाजार द्वारा किया जाता है।
- व्यापक विद्युत क्षेत्र के सुधारों को सुविधाजनक बनाने के लिए विद्युत विधेयक का मसौदा संसद में पेश कर दिया गया है।

आयकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना

1939. श्री शीश राम सिंह रवि : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आयकर के कार्यालय मांग किए जाने पर उचित अवधि के भीतर कर निर्धारितियों को आयकर अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तिथि तक आयकर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आयकर में प्रत्येक वार्ड में कितने आवेदन लम्बित हैं;

(घ) ये आवेदन कब से लम्बित हैं; और

(ङ) इनके कब तक जारी किये जाने की सम्भावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) आयकर निकासी प्रमाणपत्र उचित समय अवधि के भीतर जारी किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली क्षेत्र में 81।

(घ) लगभग 7 दिन।

(ङ) निकासी प्रमाणपत्र उचित समय अवधि के भीतर जारी किये जा रहे हैं।

जनजातियों को गैर-अधिसूचित किया जाना

1940. **श्रीमती प्रभा राव** : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ''थोटी और चोधरा'' जनजातियां गैर अधिसूचित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें गैर अधिसूचित किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन दो जनजातियों के लोग बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के कई जिलों में रहते हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अपने फैसले की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ङ) महाराष्ट्र सरकार, भारत के महापंजीयक तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग ने महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची से थोटी और चोधरा जनजातियों को निकालने की सिफारिश की है। वर्ष 1991 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार चोधरा समुदाय मुख्यत: ग्रेटर बम्बई और थाणे जिलों में पाए जाते हैं और थोटी समुदाय मुख्यत: नांदेड़ और बीर जिलों में पाए जाते हैं। इस मामले में पहले से लिए गए निर्णय की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत राज्यों को नाबार्ड ऋण

1941. **श्री त्रिलोचन कानूनगो** : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परियोजनाओं के चयन एवं राज्यों को आर आई आई डी एफ ऋण प्रदान करने के क्या मानदण्ड हैं;

(ख) आर आई डी एफ के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने हेतु चयनित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) प्रत्येक राज्यों में आज तक आर आई डी एफ के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा किए गए निवेश की धनराशि कितनी है; और

(घ) आज की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में आर आई डी एफ के अंतर्गत बकाया ऋण कितना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि ग्रामीण आधारभूत ढांचे के सृजन के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग परियोजनाओं का चयन किया जाता है और उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इसके पश्चात् मंजूरी से पूर्व इन परियोजनाओं का तकनीकी व्यवहार्यता और वित्तीय/आर्थिक साध्यता के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

(ख) और (ग) नाबार्ड सिंचाई, सड़क, पुल, वाटरशेड प्रबंधन, बाढ़ से सुरक्षा, जल निकास कार्य, मृदा संरक्षण, मछली पकड़ने के लिए पत्तन, देश के भीतरी भागों में नौवहन, प्राथमिक/माध्यमिक स्कूल, संयुक्त वन प्रबंधन, रबर की खेती, जन स्वास्थ्य, ग्रामीण पेय जल, ग्रामीण बाजार प्रांगण, ग्रामीण गोदाम, नागरिक सूचना केन्द्र, खाद्य उद्यान, उर्जा क्षेत्र में प्रणाली में सुधार, लघु जल परियोजनाएं, पशु पालन, आंगनबाड़ी तथा बीज फार्म आदि जैसे उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारों को परियोजनाएं मंजूर करती है। ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के विभिन्न खण्डों के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा मंजूर एवं संवितरित कुल निधियों की राज्य-वार राशि संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(घ) 31 अक्तूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार बकाया आरआईडीएफ ऋण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

नाबार्ड द्वारा ग्रामीण आधारिक विकास निधि के विभिन्न खण्डों के अन्तर्गत संस्वीकृत एवं संवितरित निधियों की कुल राशि का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत	संवितरण
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2965.34	1915.73
2.	अरुणाचल प्रदेश	183.01	80.06
3.	असम	379.42	241.54
4.	बिहार	209.82	53.35
5.	छत्तीसगढ़	385.22	239.22
6.	गोवा	50.66	28.48
7.	गुजरात	1590.05	954.73
8.	हरियाणा	564.09	325.35
9.	हिमाचल प्रदेश	630.91	417.79
10.	जम्मू-कश्मीर	741.18	335.12
11.	झारखण्ड	214.27	2.48
12.	कर्नाटक	1696.76	960.35
13.	केरल	849.57	480.64
14.	मध्य प्रदेश	1609.85	936.05
15.	महाराष्ट्र	2361.74	1527.29
16.	मणिपुर	10.08	0.96
17.	मेघालय	107.51	56.42
18.	मिजोरम	67.64	42.00
19.	नागालैण्ड	85.79	28.02
20.	उड़ीसा	1103.69	651.68
21.	पंजाब	962.00	653.19
22.	राजस्थान	1529.67	1008.92
23.	सिक्किम	40.04	34.48
24.	तमिलनाडु	1720.61	1081.92
25.	त्रिपुरा	149.82	29.35
26.	उत्तर प्रदेश	2612.76	1695.30
27.	उत्तरांचल	131.42	8.90
28.	पश्चिमी बंगाल	1958.22	970.84
	कुल	25011.14	14760.20

विवरण-II

31 अक्तूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण आधारिक विकास निधि के अन्तर्गत बकाया ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल बकाया (करोड़ रुपए)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1494.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	75.50
3.	असम	221.57
4.	बिहार	53.34
5.	छत्तीसगढ़	178.75
6.	गोवा	20.32
7.	गुजरात	723.24
8.	हरियाणा	250.44
9.	हिमाचल प्रदेश	359.24
10.	जम्मू-कश्मीर	318.03
11.	झारखण्ड	2.48
12.	कर्नाटक	744.70
13.	केरल	363.04
14.	मध्य प्रदेश	723.65
15.	महाराष्ट्र	1220.27

1	2	3
16.	मणिपुर	0.24
17.	मेघालय	49.92
18.	मिजोरम	39.74
19.	नागालैण्ड	26.64
20.	उड़ीसा	406.90
21.	पंजाब	504.48
22.	राजस्थान	774.16
23.	सिक्किम	34.53
24.	तमिलनाडु	921.10
25.	त्रिपुरा	27.91
26.	उत्तर प्रदेश	1226.65
27.	उत्तरांचल	0.00
28.	पश्चिमी बंगाल	810.10
	कुल	11571.08

अप्रयुक्त विदेशी सहायता

1942. श्री रामजी मांझी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार विदेशी सहायता की धनराशि बढ़कर साट हजार करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है और यह अप्रयुक्त पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(घ) क्या देश को अप्रयुक्त विदेशी सहायता संबंधी वचनबद्धता प्रभार का भुगतान करना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने वचनबद्धता प्रभार का भुगतान किया गया है; और

(च) विदेशी सहायता का उचित रूप से उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) दिनांक 31.3.2002 तक कुल 200183.38 करोड़ रुपए राशि की विदेशी सहायता प्राप्त हो चुकी है जिसमें से 77331.71 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया जाना अभी बाकी है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि विदेशी सहायता मुख्यतया परियोजना से जुड़ी होती है और इसलिए किसी भी परियोजना के लिए मंजूर की गई सहायता का उपयोग परियोजना की कार्यान्वयन अवधि के दौरान होता है। इसके परिणामस्वरूप, किसी भी समय विशेष पर, कुछ अप्रयुक्त राशि हमेशा ही रहेगी जो मिल रही सहायता को प्रतिबिम्बित करती है तथा जो परियोजना कार्यान्वयन के दौरान उपयोग में लाई जाएगी।

(घ) जी हां।

(ङ) वर्ष 1999-00, 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान क्रमशः 41.78 करोड़ रुपए, 40.23 करोड़ रुपए तथा 48.46 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान वचनबद्धता प्रभार के रूप में किया गया।

(च) सहायता राशि के उपयोग में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों में ये शामिल हैं- राज्य और केन्द्रीय सरकार के बजटों में विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधि व्यवस्था सुनिश्चित करना, अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाना, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विदेशी सहायता देने की प्रक्रिया में मध्यवर्तियों की समाप्ति, कार्यान्वयनकारी अभिकरणों के साथ समीक्षा, आर्थिक कार्य विभाग में परियोजना प्रबंधन एकक की स्थापना, कुछ राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों में परियोजना प्रबंधन एककों को मजबूत बनाना, राज्यों के लिए केन्द्रक अधिकारियों की नियुक्ति और परियोजनाओं की शुरूआत के समय उनकी गुणवत्ता के संदर्भ में निरन्तर समीक्षा करना इत्यादि।

किसान क्रेडिट कार्ड

1943. श्रीमती रेणुका चौधरी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसान क्रेडिट कार्ड योजना हेतु पात्र किसानों की पहचान कराने के लिए बैंकों द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो पहचान किए गए किसानों में से अब तक कितने किसानों को कार्ड उपलब्ध कराए गए है;

(ग) छोटे एवं सीमान्त किसानों को किसान क्रेडिट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु क्या उपाय किए जा रहें हैं/ किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड के कार्यान्वयन एवं संचालन संबंधी समस्याओं के संबंध में कोई अध्ययन भी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं। बैंक ऋणों के निचले स्तर के ऋण संबंधी आंकड़ों के बैंक पात्र किसानों की संख्या का अनुमान लगाते हैं।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि बैंकिग क्षेत्र, जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं, द्वारा 31 अगस्त, 2002 की स्थिति (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार इसकी शुरूआत से 2,61,94,845 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए गए है।

(ग) लघु एवं सीमांत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि 5000/- रुपए से कम के उत्पादन ऋण के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की निर्णय अपने विवेक से लें। सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं कि तीन वर्ष की समय सीमा में अर्थात् 31 मार्च, 2004 तक सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाएं। बैंकों को यह सलाह भी दी गई है कि विशेषकर लघु एवं सीमान्त किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए गहन प्रचार अभियान चलाएं।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने वाणिज्यिक बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए आन्तरिक अध्ययन करवाया था। अध्ययन के निष्कर्षों से यह पता लगता है कि समय पर प्राप्त होने, बाधा रहित परिचालनों और साथ ही उपभोग के लिए ऋण सहित ऋण की पर्याप्तता को देखते हुए इस योजना का किसानों ने स्वागत किया है। बैंकरों का विचार था कि इस योजना के परिणामस्वरूप लेन-देन लागत एवं प्रलेखीकरण दोनों में कमी आई हैं। तथापि, इस योजना के तहत सभी पात्र किसानों को शामिल करने हेतु इसके कार्यान्वयन में एवं पहुंच में जो परिचालनात्मक समस्याएं आती रही हैं, वे भूमि संबंधी रिकार्ड को अद्यतन न बनाए जाने, लघु जोत एवं ऋणकर्ताओं की निरक्षरता के कारण हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह भी सलाह दी है कि अध्ययन में पता चलीं कमियों को दूर करें।

भारतीय मानक ब्यूरो

1944. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो ने देश में विनिर्मित लगभग सभी वस्तुओं के लिए लाइसेंस एवं मानक जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विनिर्दिष्ट मानकों के कार्यान्वयन हेतु भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इन मानकों को विनिर्माताओं द्वारा बार-बार की जाने वाली अपीलों से शिथिल किया जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो सुनिश्चित करने हेतु कि इन नियमों की अवज्ञा न हो, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न प्रकार के उत्पादों से संबंधित लगभग 9250 मानक प्रतिपादित किए हैं। तथापि, 1083 भारतीय मानकों के लिए 16471 लाइसेंसधारियों को भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिह्न लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय मानक ब्यूरो को मानक सुसंगठित तकनीकी समितियों के माध्यम से प्रतिपादित किए जाते हैं जिनमें प्रौद्योगिकीविदों, विनिर्माताओं उपभोक्ताओं आदि सहित सभी संबंधित लाभभोगी समूहों के तहत विनिर्देशनों का कड़ाई से अनुपालन हो, भारतीय मानक ब्यूरो अपने लाईसेंसधारियों की समय-समय पर निगरानी निरीक्षण करता है।

व्यापार मंत्रियों का सम्मेलन

1945. श्री पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में सिडनी में हुए व्यापार मंत्रियों के सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल में कौन-कौन शामिल थे;

(ख) सम्मेलन में हुई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्मेलन के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या व्यापार मंत्री निर्धन देशों को सस्ती दरों पर पेटेंटकृत औषधियों का आयात करने हेतु निर्धन देशों को समर्थ बनाने के लिए एक नई विश्व संगठन सुविधा बनाने संबंधी किसी निष्कर्ष पर भी पहुंचे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 14-15 नवंबर, 2002 को सिडनी में आयोजित डब्ल्यू टी ओ व्यापार मंत्रियों की अनौपचारिक लघु मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया था। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य थे-श्री दीपक चटर्जी, वाणिज्य सचिव, श्री एस एन मेनन, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, श्री के एम चन्द्रशेखर, राजदूत/डब्ल्यू टी ओ जेनेवा के लिए भारत के स्थाई प्रतिनिधि तथा मंत्री के निजी सचिव।

(ख) से (ङ) विचार-विमर्श नवम्बर 2001 में दोहा में आयोजित चौथे डब्ल्यू टी ओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में मंत्रियों द्वारा पारित दोहा कार्यक्रम में शामिल विभिन्न मुद्दों पर किए गए थे। इनमें व्यापार से संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकारों के पहलू संबंधी करार (ट्रिप्स) और दवाइयों की पहुंच से संबंधित मुद्दों के विशेष संदर्भ के साथ लोक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे शामिल थे। शामिल किए गए अन्य मुद्दे ये थे-मौजूदा डब्ल्यू टी ओ करारों विशेष एवं अलग किस्म (एस एंड डी) के व्यवहार तथा व्यापार से संबद्ध तकनीकी सहायता का कार्यान्वयन, कृषि, गैर कृषि। उत्पादों तथा सेवाओं के लिए बाजार पहुंच; विवाद निपटान समझौते (डी एस यू) तथा व्यापार एवं निवेश के सिंगापुर मुद्दों, व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा नीति की समीक्षा, सरकारी खरीद में पारदर्शिता एवं व्यापार को सुकर बनाना।

चूंकि यह एक अनौपचारिक बैठक थी इसलिए विचार-विमर्श भागीदार देशों के विचारों के आदान-प्रदान के रूप में किए गए थे जिनका कोई घोषित परिणाम नहीं था। इसका उद्देश्य यह देखना था कि अगले वर्ष कांकुन, मैक्सिको में आयोजित होने वाले पांचवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के समय तक दोहा कार्यक्रम के संबंध में आगे किस प्रकार प्रगति की जा सकती है।

पश्चिमी बंगाल में अनुसूचित जनजाति

1946. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने देशवली माझी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने की अनुशंसा की है; और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने देशवली माझी को अपने राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची मे सम्मिलित करने की अनुशंशा की है। इस प्रकार के दावों पर विचार करने के लिए अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार इस प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई है।

जनजातीय विद्यार्थियों हेतु अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय

1947. **श्री पी.सी. थामस** : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2002-2003 के दौरान केरल में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम वाले अंग्रेजी माध्यम के आदर्श आवासीय विद्यालय शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को केरल सरकार से ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और समूची परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में ऐसे विद्यालयों के लिए सहायता दी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन वर्ष में ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक वर्ष कुल कितने विद्यार्थियों के लाभान्वित होने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2001-2002 के दौरान मंत्रालय ने केरल राज्य से भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक (1) के अंतर्गत तिरूवंतपुर जिले में सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम वाले आदर्श आवासीय स्कूल की स्थापना के लिए प्राप्त किया था जिसे मंजूर कर दिया गया है। छः वर्षों की अवधि की अनुमानित परियोजना लागत 1042.14 लाख रुपए हैं जिसमें से 724.41 लाख रूपए गैर-आवर्ती लागत है।

(घ) से (च) जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान प्रत्येक कक्षा में 30 लड़कों और 30 लड़कियों के साथ VI से XII कक्षा तक के आदर्श आवासीय स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया गया था। सरकार ने 84 ''एकलव्य'' आदर्श आवासीय स्कूलों की स्थापना के लिए सहायता दी है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

प्रति स्कूल गैर-आवर्ती लागत 250 लाख रुपए हैं। संलग्न विवरण में उल्लिखित स्कूल ऊपर बताए गए स्कूलों के अतिरिक्त हैं।

विवरण

स्कूलों की संख्या और ''एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों'' की स्थापना के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	स्कूलों की संख्या जिसके लिए नौंवी योजना के दौरान धनराशि निर्मुक्त की गई है	अब तक निर्मुक्त कुल धनराशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6	16.50
2.	असम	2	2.00
3.	बिहार/झारखंड	4	4.00
4.	गुजरात	6	12.00
5.	हिमाचल प्रदेश	1	1.00
6.	जम्मू-कश्मीर	1	1.00
7.	कर्नाटक	3	8.05
8.	केरल	2	2.00
9.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	17	25.10
10.	महाराष्ट्र	4	4.00
11.	मणिपुर	3	5.00
12.	उड़ीसा	10	12.40
13.	राजस्थान	7	17.50
14.	सिक्किम	1	2.50
15.	तमिलनाडु	1	2.95
16.	त्रिपुरा	3	4.50
17.	उत्तर प्रदेश	1	2.50
18.	पश्चिमी बंगाल	5	5.00
19.	अरुणाचल प्रदेश	1	1.00
20.	मेघालय	2	2.00
21.	मिजोरम	1	1.00
22.	नागालैंड	3	7.50
	कुल	84	139.50

भवन निर्माण अग्रिम पर ब्याज दर

1948. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्य एजेंसियों यथा बैंक और वित्तीय संस्थाओं की तरह 3-4 वर्ष पूर्व उच्च ब्याज दर पर भवन निर्माण अग्रिम लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ब्याज दर घटाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) सरकार ने 1.4.2001 से गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) के विभिन्न स्लैबों पर ब्याज दरों में 100 आधार बिन्दु की तथा 1.4.2002 से और 500 आधार बिन्दु की कमी की है।

[हिन्दी]

औद्योगिक क्षेत्र पर उदारीकरण की नीति का प्रभाव

1949. श्री राम टहल चौधरी :
श्री शिवाजी माने :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के उदारीकरण की नीति ने औद्योगिक क्षेत्र में कोई प्रभावी प्रगति नहीं दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उदारीकरण की नीति अपनाए जाने से औद्योगिक इकाइयों की संख्या में गिरावट आई हैं;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ङ) उदारीकरण की नीति अपनाए जाने के समय राज्यवार-कितने उद्योग थे; और

(च) इस समय राज्यवार कितने (बड़े मझौले और लघु) उद्योग है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) और (ख) उदारीकरण की नीति भारत के आर्थिक सुधारों के अभिन्न अंग के रूप में 1991 में शुरू की गई थी और यह स्वतन्त्र व्यापार और प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों पर आधारित थी। भारतीय उद्योग को विदेशी प्रौद्योगिकी के समझौतों, विदेशी निवेश के अंतर्वाहों, संवर्द्धित निर्याथ के अवसरों और लाइसेंस की अपेक्षाओं में पर्याप्त कमी के रूप में लाभ हुआ है।

(ग) और (घ) कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत रखे गये कारखानों से संबंधित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1991 में अपनाई गई उदारीकरण की नीति से औद्योगिक इकाईयों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 1991-92 के दौरान इकाईयों की संख्या 1,12,286 थी जो वर्ष 1999-2000 में बढ़ कर 1,31,557 हो गई थी।

(ङ) और (च) उदारीकरण की नीति अपनाई जाने के समय (वर्ष 1991-92) और वर्ष 1999-2000 में औद्योगिक इकाईयों की राज्यवार संख्या के नवीनतम आंकड़े निम्नानुसार हैं :

राज्य/संघ शासित प्रदेश	इकाईयों की संख्या	
	1991-92	1999-2000
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	15972	13164
असम	1625	1648
बिहार	3671	1570
गोवा	243	477
गुजरात	11094	14710
हरियाणा	3102	4296
हिमाचल प्रदेश	331	508
जम्मू-कश्मीर	240	393
कर्नाटक	5850	6952
केरल	3702	4845
मध्य प्रदेश	4163	3269
महाराष्ट्र	15264	19009
मणिपुर	63	61
मेघालय	29	27
नागालैंड	63	147
उड़ीसा	1566	1591
पंजाब	5985	6910
राजस्थान	3689	5063
तमिलनाडु	15502	20249
त्रिपुरा	200	206
उत्तर प्रदेश	10124	10303
पश्चिमी बंगाल	5679	6373
अंडमान और निकोबार द्वीप	52	22
चंड़ीगढ़	288	323
दादरा और नागर हवेली	132	846
दमन और दीव	66	1118
दिल्ली	3346	3596
पांडिचेरी	245	462
झारखंड		1423
छत्तीसगढ़		1380
उत्तरांचल		616
अखिल भारत	112286	131557

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

टिप्पणी : झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल के संबंध में वर्ष 1991-92 की सूचना क्रमश: बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों की सूचना में शामिल कर दी गई है।

[अनुवाद]

बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया

1950. श्री के. येरननायडू : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक गैर-सरकारी संगठनों ने यह कहा है कि देश में बच्चे गोद लेने की वर्तमान प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है जिसके कारण बच्चों का व्यापार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1951. श्री राजो सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सामाजिक लेखांकन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा किए जा रहे लेखांकन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (घ) भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, विशेषकर उचित दर दुकान स्तर पर मानीटरिंग और पर्यवेक्षण करने के लिए सामाजिक लेखा-परीक्षा के उपाय के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं तथा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को बड़े पैमाने पर शामिल करें। बिहार सहित लगभग सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पंचायती राज संस्था को शामिल करने के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को क्रियान्वित कर रहे हैं।

भारतीय उद्योगों द्वारा की जा रही प्रतिस्पर्द्धा

1952. श्री सुरेश चन्देल : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 2001 में मात्रात्मक प्रतिबंधों को वापस लिए जाने के पश्चात् भारतीय उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगियों से प्रतिस्पर्द्धा करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय उद्योग को इस प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला करने के लिए सम्यक रूप से तैयार किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो चीन और सिंगापुर आदि जैसे देशों के लघु उद्योगों द्वारा दी जा रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) भारत आयातों पर से प्रतिबंधों को हटाने के लिए वर्ष 1991 से एक सतत नीति का अनुसरण कर रहा है। टैरिफ लाइनवार आयात नीति की घोषणा पहली बार 31.3.1996 को की गई थी। उस दिन तक की स्थिति के अनुसार कुल 10202 टैरिफ लाइनों (10 अंक स्तरीय) में से 6161 टैरिफ लाइनों (10 अंक स्तरीय के आयात शुल्कों से मुक्त थे।

इसके पश्चात डब्ल्यू डी ओ के प्रति भारत की वचनबद्धता और मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार ये प्रतिबंध उन मदों पर से कई वर्षों के दौरान हटाए गए हैं, जिन्हें देश द्वारा पहले भुगतान संतुलन कारणों से रखा जा रहा था। डब्ल्यू टी ओ को अधिसूचित मदों में से शेष 715 मदों पर से मात्रात्मक प्रतिबंध 31.3.2001 को हटा लिए गए थे।

उदारीकृत आयात व्यवस्था में घरेलू सीमा शुल्क की लागू की जाने वाली दरों के अध्यधीन आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाध्य होगा। तथापि आयातों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सरकार उपर्युक्त टैरिफ और गैर-टैरिफ तंत्र के समुचित उपयोग के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है कि आयातों से घरेलू उत्पादकों को कोई हानि नहीं पहुंचे। इस दिशा में हाल ही में किए गए कुछेक उपाय निम्नानुसार हैं-

(1) अनेक मदों पर आयात शुल्कों में वृद्धि की गई है।

(2) चीन से होने वाली बैटरी के सैलों, बैटरी से चालित खिलौनों एवं खेलकूद के जूतों के आयातों पर स्वत: पाटनरोधी जांच शुरू की गई है।

(3) सभी डिब्बा बंद वस्तुओं के आयातों को घरेलू उत्पादकों पर यथा मानक भार एवं माप (डिब्बा बंद वस्तु) आदेश 1977 की सभी शर्तों के अनुपालन के अधीन रखा गया है।

(4) 135 उत्पादों के आयात को घरेलू सामानों पर यथा प्रभावी अनिवार्य गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के अधीन रखा गया हैं। इस अपेक्षा के अनुपालन के लिए भारत को इन उत्पादों के सभी विनिर्माताओं/निर्यातकों को भारतीय मानक ब्यौरों में स्वयं को पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। इन 135 उत्पादों की सूची में शामिल हैं-विभिन्न खाद्य परिरक्षक एवं अभिवर्धक, दुग्ध पाउडर, शिशु, दुग्ध खाद्य सीमेंट की कतिपय किस्में घरेलू एवं इसी प्रकार के बिजली के उपकरण गैस सिलिण्डर और बहुउद्देशीय शुष्क बैटरियां तथा चिकित्सा थर्मामीटर।

(5) सरकार ने विदेश व्यापार (विकास और विनियमन अधिनियम 1992 के उपबंधों को संशोधित करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया है ताकि स्थिति की आवश्यकता के अनुसार मात्रात्मक प्रतिबंधों के रूप में रक्षोपायों की कार्यवाही की जा सके।

सरकार ने लघु उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता करने के लिए कई उपाय भी किए हैं। सरकार को एस एस आई एककों को उभरते हुए परिदृश्य के बारे में जानकारी है तथा उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए जाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें कई क्षेत्रों जैसे प्रौद्योगिकी उन्नयन, सामूहिक नीति के जरिए बुनियादी संरचना सहायता, ऋणों को समय पर उपलब्ध कराने, आधुनिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने, इलैक्ट्रानिक बुनियादी संरचना के प्रयोग, विपणन और व्यापार उदारीकरण की उभरती हुई चुनौतियों के प्रति लघु उद्योगों को संवेदनशील बनाने सहित समय पर सूचना के प्रसारण के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाना शामिल हैं। लघु उद्योगों के विकास के लिए एक विस्तृत नीतिगत पैकेज की 30 अगस्त, 2000 को घोषणा की गई है। इस पालिसी पैकेज से आसानी से ऋण प्राप्त करना, 26 लाख रु. तक आधारमुक्त मिश्रित ऋण की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए पूंजीगत सब्सिडी और सुधरी हुए बुनियादी संरचना के जरिए लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो जाएगी।

[अनुवाद]

वानिकी विकास परियोजना

1953. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोआपरेशन (जेबीआईसी) द्वारा वित्तपोषण कराने हेतु नई वानिकी विकास परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोआपरेशन को सौंप दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोआपरेशन को सौंपे जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां। गुजरात की राज्य सरकार ने एक वानिकी परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राजकोषीय वर्ष 2003 के अन्तर्गत जेबीआईसी के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए परियोजनाओं या तदन्तर ऋण पैकेज का चयन गुजरात सरकार से वानिकी विकास परियोजना सहित सभी संभावित परियोजनाओं की प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

साधारण बीमा निगम में भ्रष्टाचार

1954. श्री ए. नरेन्द्र : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान ऑल इंडिया नेशनल जनरल इंश्योरेंस इम्पलाइज एसोसिएशन से सरकार को भ्रष्टाचार के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) सरकार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय साधारण बीमा कर्मचारी संघ से दिनांक 3.9.2002 और 4.9.2002 की दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें अन्य बातों के अलावा, न्यू इण्डिया एश्योरेंस कं. लि. के कुछ अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और सम्मेलनों पर होने वाले फिजूल खर्च इत्यादि का आरोप लगाया गया हैं। इश्योरेंस कंपनी ने सूचित किया है कि संघ द्वारा अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों का स्परूप अस्पष्ट है। जहां तक फिजूलखर्च का संबंध हैं, कम्पनी ने सूचित किया है कि किया गया व्यय मंजूरशुदा बजट की सीमा में ही हैं।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार

1955. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जारी आदेशों के अनुसरण में प्रत्येक राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इस कार्य योजना के अंतर्गत कितने राज्यों को शामिल किया गया है; और

(घ) इस संबंध में अभी तक उठाए कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय ने 2001 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 196 में दिनांक 28 नवम्बर, 2001 के अपने अंतरिम आदेश में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिक से अधिक 1 जनवरी, 2002 तक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान के कार्य को पूरा कर लेने का निदेश दिया था। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई थी कि यदि उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान का कार्य पहले ही पूरा नहीं कर लिया है तो उसे पूरा कर लें। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को पहचान की रिपोर्ट दे दी है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहचाने गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्यवार पहचान किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पहचान किए गए अंत्योदय अन्न योजना सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या (लाख में)
1	2
1. आंध्र प्रदेश	113.60
2. अरुणाचल प्रदेश	1.20
3. असम	18.85
4. बिहार	61.63
5. गोवा	0.08
6. गुजरात	33.90
7. हरियाणा	7.68
8. हिमाचल प्रदेश	2.98
9. जम्मू-कश्मीर	6.23
10. कर्नाटक	62.80
11. केरल	20.58
12. मध्य प्रदेश	44.87
13. महाराष्ट्र	77.00
14. मणिपुर	1.29
15. मेघालय	1.72
16. मिजोरम	0.91
17. नागालैण्ड	1.24
18. उड़ीसा	48.57
19. पंजाब	4.35
20. राजस्थान	23.74
21. सिक्किम	0.44
22. तमिलनाडु	65.51
23. त्रिपुरा	2.50
24. उत्तर प्रदेश	105.75
25. पश्चिमी बंगाल	47.87
26. अंडमान और निकोबार द्वीप	0.17
27. चंड़ीगढ़	0.23
28. दादरा और नागर हवेली	0.16
29. दमन और दीव	0.04
30. दिल्ली	4.11

1	2
31. लक्षद्वीप	0.01(1285)
32. पांडिचेरी	0.95
33. छत्तीसगढ़	17.48
34. झारखण्ड	22.21
35. उत्तरांचल	4.30
जोड़	804.85

ट्यूनीशिया को कृषि उत्पादों का निर्यात

1956. श्री वाई.जी. महाजन : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ट्यूनीशिया को गेहूं तथा चावल सहित अनेक कृषि उत्पादों का निर्यात करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ट्यूनीशिया को गेहूं तथा चावल सहित अनेक कृषि उत्पादों का निर्यात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) यद्यपि मई 2002 में आयोजित भारत ट्यूनीशिया संयुक्त आयोग की बैठक के नौवें सत्र के दौरान भारतीय पक्ष ने अन्य बातों के साथ साथ ट्यूनीशिया को गुणवत्तायुक्त तंबाकू के निर्यात की संभावना का उल्लेख किया था तथापि सरकार को इस संबंध में अथवा गेहूं और चावल सहित किसी अन्य कृषि उत्पादन के संबंध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

विनिवेश से प्राप्तियों का उपयोग

1957. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की बाल्को और अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जिनका विस्तार अथवा आधुनिकीकरण के लिए विनिवेश किया गया है की महत्वपूर्ण बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग किस प्रकार करने की योजना है;

(ख) क्या इस प्रकार विनिवेश के प्राप्त राशि का समय-समय पर बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, को यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राप्त धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिस उद्देश्य के लिए इनका विनिवेश किया गया था, हेतु क्या सुनिश्चित तंत्र है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) विनिवेश प्राप्तियों को भारत सरकार की किसी अन्य प्राप्ति के समान भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। भारत से समेकित निधि में किए जाने वाले व्यय, जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य दोनों योजनाओं के अतंर्गत अवसंरचना क्षेत्रों, सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों की पुनर्संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार जैसे सामाजिक क्षेत्रों के लिए परिव्यय शामिल हैं; को संसद द्वारा मंजूरी दी जाती है।

राजस्थान के माडा क्षेत्र का विस्तार

1958. कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से अलवर जिले के 28 और गांवों तथा माडा उप-खंड में धोलपुर जिले के 3 गांवों को शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को राजस्थान सरकार से प्राप्त प्रस्ताव की स्थिति क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूर/अनुमोदित किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, हां। मंत्रालय ने कुछ अन्य प्रस्तावों सहित अलवर जिले के 28 गांवों तथा मादा उप-खंड में ढोलपुर जिले के 3 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त किया है।

(ख) और (ग) राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया है कि इन क्षेत्रों को आईटीडीपी/मादा पॉकिटों के अंतर्गत संशोधित/शामिल करने हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव इस मंत्रालय को प्रस्तुत करें, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का विकास

1959. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों के आर्थिक शैक्षिक और सामाजिक विकास हेतु कोई विशेष पैकेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन लोगों के लिये बनाए गये आर्थिक प्रावधान उनकी जनसंख्या के अनुपात में है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ङ) संघ सरकार के पास योजनाएं हैं जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक विकास के लिए हैं। आदिवासी उप-योजना तथा विशेष संघटक योजना नीति के अनुसार राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता के अनुपात में योजना निधि का एक भाग निर्धारित करते हुए आदिवासी उप-योजना और विशेष संघटक योजना तैयार और कार्यान्वित करने को कहा गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यान्वित योजनाओं की सूची संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कार्यान्वित योजनाओं की सूची

अनुसूचित जाति के लिए योजनाएं

1. अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता
2. अनुसूचित जाति के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम
3. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
4. पी.सी.आर. अधिनियम, अत्याचार निवारण
5. अनुसूचित जाति लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टल
6. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम
7. राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम
8. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी विकास एवं वित्त निगम
9. पुस्तक बैंक
10. सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास
11. मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति
12. कोचिंग तथा सम्बद्ध
13. अनुसूचित जाति के अखिल भारत स्वरूप की समर्थक परियोजना (अनुसंधान और प्रशिक्षण)
14. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्रतिभा उन्नयन
15. अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता
16. राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति

अनुसूचित जनजाति के लिए योजनाएं

1. आदिवासी उप-योजना का विशेष केन्द्रीय सहायता
2. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम परंतुक के अन्तर्गत अनुदान

3. आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण
4. लघु वन उत्पादन के लिए राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान
5. आदिम जनजाति समूहों का विकास
6. अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
7. अनुसूचित जनजाति के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान
8. अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्रतिभा उन्नयन
9. आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के विकास के लिए निम्न साक्षरता वाले पॉकिटों में शैक्षिक परिसर
10. अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल
11. अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल
12. आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना
13. आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को अनुदान
14. छात्रों के लिए पुस्तक बैंक योजना
15. अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग और संबद्ध स्कीमें
16. ग्रामीण खाद्यान बैंक योजना
17. राज्य आदिवासी विकास निगम को सहायता
18. अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की योजनाएं

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास के लिए कार्यान्वित विशेष प्रावधान/पहलें

1. दोपहर भोजन योजना
2. सर्वशिक्षा अभियान
3. जिला शिक्षा कार्यक्रम
4. महिला समाख्या
5. कस्तूरबा गांधी स्वतंत्रता विद्यालय
6. शिक्षा कर्मी परियोजना
7. माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए बोर्डिंग तथा होस्टल सुविधाओं को सुदृढ़ करना।

[अनुवाद]

आय कर चूककर्ता

1960. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे बीस प्रमुख व्यक्ति और निगमित निकाय कौन से हैं जिन्होंने हाल ही में आयकर का भुगतान करने में चूक की है;

(ख) क्या सरकार आयकर की वसूली करने पर विचार कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) दिनांक 30.6.2002 को अधिकतम आयकर बकाया वाले 20 शीर्ष व्यष्टियों और निगमित निकायों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) कर की वसूली, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII और दूसरी अनुसूची के अंतर्गत प्रावधान की गई कार्यप्रणाली के जरिए की जा रही है। उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ धारा 220(2) के अंतर्गत सांविधिक सूचना जारी करना, ब्याज प्रभारित करना और देय राशि का भुगतान न करने के लिए अर्थदंड अधिरोपित करना, चूककर्ताओं के बैंक खातों और कर्जदार द्वारा ऐसे चूककर्ताओं की देय राशि को कुर्क करना, चूककर्ताओं की चल और अचल सम्पत्तियों की कुर्की और बिक्री, चूककर्ता की गिरफ्तारी और उन्हें जेल में रखना, चूककर्ता की चल और अचल सम्पत्तियों आदि के प्रबंध के लिए रिसीवर को नियुक्त करना आदि शामिल है।

विवरण

क्र.सं.	नाम	दिनांक 30.6.2002 (करोड़ रुपए में)
1	2	3
1.	श्री हर्षद एस. मेहता (आयकर)	5429.57
2.	ए.डी. नरोत्तम (आयकर)	3564.02
3.	सहारा इंडिया फायनेंशल कारपोरेशन लि.	3192.54
4.	श्री हितेन पी. दलाल	2086.98
5.	नार्दन कोल्ड फील्ड	1857.87

1	2	3
6.	सहारा इंडिया म्यूचुअल बेनिफिट कं. लि.	1002.72
7.	शॉ वालेस कं. लि.	944.69
8.	श्री भूपिन्दर सी. दलाल (आयकर)	745.54
9.	मारूति उद्योग लि.	739.88
10.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	737.39
11.	श्री अश्विन एस मेहता	640.63
12.	विदेश संचार निगम लि.	569.50
13.	श्री एस. रामास्वामी	564.88
14.	मैसर्स ग्रोमोर रिसर्च एवं एसेट प्रबंधन लि.	402.67
15.	रोलेक्स होल्डिंग लि.	389.96
16.	सहारा इंडिया एयरलाइन्स लि.	383.58
17.	मैसर्स टेलीकोम वेनचर्स लि.	370.53
18.	जी.टी.सी. इंडस्ट्रीज लि.	367.22
19.	ट्रायम्फ इंटरनेशनल लि.	342.88
20.	गनपति एक्स.	326.14
	कुल	24659.19

असीम दासगुप्ता समिति

1961. श्रीमती कान्ति सिंह :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के वित्त मंत्री श्री असीम दासगुप्ता की अध्यक्षता वाली उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने केन्द्रीय नीतियों के परिणामस्वरूप राज्यों द्वारा सामना की जा रहीं चार प्रमुख समस्याओं को सूचीबद्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को असीम दासगुप्ता समिति की सिफारिशों पर विचार करने हेतु गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में चार प्रमुख समस्याओं पर क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (घ) डा. असीम कुमार दासगुप्ता, वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल की अध्यक्षता में राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति ने अपने ज्ञापन में राज्यों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को सूचीबद्ध किया है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, (1) 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण वेतन संशोधन की वजह से राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव, (2) केन्द्रीय सरकार के ऋणों की औसत लागत की तुलना में केन्द्रीय ऋणों पर उच्च ब्याज दर अदा करने की वजह से राज्यों पर ब्याज का अधिक भार, (3) 2001-02 में राज्य सरकारों को केन्द्रीय राशि के अंतरण में कमी का प्रतिकूल प्रभाव, और (4) अर्थोपाय एवं ओवरड्राफ्ट सीमाओं को कठोरता से लागू करने में भारतीय रिजर्व बैंक का प्रभाव शामिल हैं।

राज्यों की राजकोषीय स्थिति का आकलन करने के लिए गठित केन्द्रीय वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्री का अध्यक्षता में उच्च अधिकार-प्राप्त समिति ने इन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया तथा कतिपय उपायों की सिफारिश की जिस पर केन्द्रीय वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्री की अध्यक्षता में समस्त राज्य वित्त मंत्रियों की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। तदुपरान्त, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई ताकि सर्वसम्मत दृष्टिकोण अपनाने के लिए व्यापक परामर्श किया जा सके। भारत सरकार मुख्य मंत्रियों की इस बैठक में लिए गए निर्णयों से दिशा-निर्देशित होगी।

ऋण विनिमय योजना

1962. श्री नरेश पुगलिया :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री रामदास आठवले :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति :
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तीन वर्षों में उच्च लागत वाले ऋणों को कम करने के लिए एक बृहद ऋण विनियम योजना को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो राज्य ऋण विनियम हेतु इस योजना के लिए तैयार हो गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जो इस योजना से असहमत हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार का अंतिम निर्णय क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) भारत सरकार के ऋणों और अग्रिमों तक सीमित राज्यों के उच्च लागत वाले ऋणों को लौटाने हेतु राजकोषीय समेकन की दिशा में राज्यों के प्रयासों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने चालू वर्ष अर्थात् 2002-03 के दौरान ऋण विनियम तंत्र का प्रस्ताव रखा है ताकि राज्यों को संवितरित की जाने वाली लघु बचतों के 20 प्रतिशत अतिरिक्त निवल संग्रहण का उपयोग करने के लिए सुसाध्य बनाया जा सके। चालू वर्ष के दौरान ऋण विनियम के लिए सहमत होने वाले राज्यों को ही बाजार से अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाएगी ताकि वे उच्च लागत वाले अतिरिक्त ऋण को लौटा सकें।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों ने ऋण विनिमय के सिद्धान्त का स्वागत किया हैं। सोलह राज्य प्रस्तावित ऋण विनिमय स्कीम से सहमत हो गए हैं, जबकि शेष राज्यों ने महसूस किया है कि प्रस्ताव को और अच्छा बनाने की जरूरत है चूंकि राजस्व घाटे की स्थिति में 20 प्रतिशत लघु बचत ऋणों को अलग करके उनके द्वारा सामना की जा रही नकदी की समस्या असमर्थनीय है।

चालू वर्ष हेतु ऋण विनियम संबधी प्रस्ताव पर भारत सरकार का दृष्टिकोण राज्य सरकारों के विचारों द्वारा दिशानिर्देशित होगा।

प्रकृत व्यक्तियों की आवाजाही

1963. श्री पवन कुमार बंसल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार और सेवाओं संबंधी सामान्य समझौते (गेट्स) का भारत पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण हैं;

(ख) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन में प्रकृत व्यक्तियों की आवाजाही के लिए भारत के मामले पर बल दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या रहे; और

(घ) क्या विश्व व्यापार संगठन में विभिन्न मुद्दों पर बल देने वाले विकसित देश स्वयं श्रम बाजार खोलने के पक्ष में हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) सामान्य सेवा व्यापार करार (गैट्स) में अभेदभावकारी बहुपक्षीय नियमों का निर्धारण किया गया है जिससे अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार सुविधाजनक हो जाता है। सेवाएं भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और गैट्स से भारत को विश्व सेवा व्यापार में हिस्से में वृद्धि करने का अवसर प्राप्त होता है।

(ख) से (घ) भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) में व्यावसायिक के अवागमन के उदारीकरण के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। डब्ल्यू टी ओ सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यावसायिकों के आवागमन में आने वाली बाधाओं का पता लगाता हैं और इस क्षेत्र में सार्थक उदारीकरण उपलब्ध कराने की नीतियों का सुझाव देता है। दस्तावेज में क्षेत्र विशिष्ट वचनबद्धताओं वीजा व्यवस्थाओं के प्रशासन में अधिक पारदर्शिता और आर्थिक आवश्यकता परीक्षणों के लिए बहुपक्षीय मानदंडों तथा अर्हताओं की मान्यता के मानदंडों के लिए अनुरोध किया गया है। भारत के प्रस्ताव में उठाए गए मुद्दों पर डब्ल्यू टी ओ की सेवा व्यापार परिषद (सी टी एस) के विशेष सत्रों में विचार किया जा रहा है। इस समय गैट्स की वार्ताएं चल रही हैं और प्रकृत व्यक्तियों के आवागमन से संबंधित प्रस्ताव सहित विभिन्न सेवा क्षेत्रों के प्रस्ताव विकासशील देशों सहित डब्ल्यू टी ओ के सदस्य देशों के समक्ष प्रस्तुत सहित विभिन्न सेवा क्षेत्रों के प्रस्ताव विकासशील देशों सहित डब्ल्यू टी ओ के सदस्य देशों के समक्ष प्रस्तुत हैं। यह करार सेवा प्रदान करने के लिए प्रकृत व्यक्तियों के अस्थायी आवागमन को प्रभावित करने वाले उपायों पर ही लागू होता है और स्थायी आधार पर रोजगार, बाजार, नागरिकता अथवा आवास प्राप्त करने की मांग करने वाले प्रकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होता हैं।

जाली मुद्रा और नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प

1964. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाइडे :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली मुद्रा, जाली ज्यूडीशियल और नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्पों तथा पासपोर्ट का पता लगाने के संबंध में हैदराबाद में आन्ध्र प्रदेश अपराध विज्ञान प्रयोगशाला तथा इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, नासिक द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यशाला में किन मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या सरकार को जाली मुद्रा और स्टाम्पों के भारी प्रचलन के कारण हर वर्ष करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या जाली नोटों और स्टाम्पों की पहचान करने वाले विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से सरकार सहमत है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संकट से बचने के लिये सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 7 और 8 नवम्बर, 2002 को निदेशक, न्यायिक प्रयोगशाला, आन्ध्र प्रदेश द्वारा हैदराबाद में नकली प्रतिभूति उत्पादों का पता लगाने संबंधी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय (आईएसपी), नासिक ने भी कार्यशाला में भाग लिया था। कार्यशाला का मुख्य केन्द्र बिन्दु भागीदारों को विभिन्न नकली प्रतिभूति उत्पादों का पता लगाने संबंधी जानकारी प्रदान करना था।

(ग) जाली स्टाम्पों और मुद्रा के प्रचलन के कारण सरकार को होने वाली राजस्व हानि का अनुमान लगाना कठिन है। तथापि, हाल के वर्षों के दौरान, जाली स्टाम्पों और जाली भारतीय मुद्रा नोटों की कुछ भारी मात्रा में जब्ती की गई है।

(घ) स्टाम्पों और करेंसी नोटों के क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त विचारों पर सरकार द्वारा, जाली मुद्रा का आसानी से पता लगाने के लिए इन प्रतिभूति दस्तावेजों में प्रतिभूति गुणों में वृद्धि करने की दृष्टि से नियमित आधार पर विचार किया जाता हैं।

(ङ) सरकार ने देश में नकली स्टाम्पों और करेंसी नोटों का प्रचलन रोकने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें अन्यों के साथ-साथ ये उपाय शामिल हैं : जाली करेंसी नोटों को पूर्णतया जांच-पड़ताल करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक विशेष एकक की स्थापना करना, देश में जाली करेंसी की तस्करी रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल/सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता बढ़ाना, उच्चतर मूल्यवर्ग के नोटों में विशेष प्रतिभूति गुणों को शामिल करना, जनता के हित के लिए प्रिंट मीडिया और दूरदर्शन के माध्यम के प्रतिभूति गुणों से संबंधित सूचना का प्रसार करना तथा गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपरों की जालसाजी रोकने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक कार्यकारी दल की स्थापना करना। उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय बैंक नोटों में कुछ अतिरिक्त प्रतिभूति गुणों को शामिल करने के लिए अनुमोदन दिया गया है, जिससे जाली मुद्रा बनाना बहुत ही कठिन हो जाएगा।

चीनी के आयातकों द्वारा एडवांस लाइसेंस स्कीम का दुरूपयोग

1965. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों को जानकारी है कि चीनी आयात के लिये वर्तमान एडवांस लाइसेंस स्कीम के अंतर्गत भारी शुल्क से बचने के लिए कई भारतीय व्यापारी अपरिष्कृत चीनी बताते हुए परिष्कृत चीनी का आयात करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या (अपरिष्कृत चीनी के रूप में चिन्हित) परिष्कृत चीनी के आयात में लिप्त आयातकों की कार्य प्रणाली से सरकार को राजस्व की भारी हानि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या चीनी आयात की खेप की गुणवत्ता निर्धारण के लिए पत्तनों पर पर्याप्त परीक्षण/जांच सुविधाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारत-रूस आर्थिक सहयोग

1966. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-रूस आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रूस द्वारा सहायता प्राप्त और स्वीकृत मुख्य परियोजनाएं कौन-कौन हैं और इनकी वर्षवार प्रगति कितनी हैं ?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जूट प्रौद्योगिकी

1967. श्री अधीर चौधरी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जूट की गुणवत्ता सुधारने तथा इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए एक जूट प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो जूट और इसके उत्पादों के निर्यात का वर्तमान चलन क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) सरकार का प्रस्ताव देश में पटसन अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु पटसन प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का है।

(ख) पटसन समानों का निर्यात 2000-01 के दौरान निर्यात की तुलना में 2001-02 में आंशिक रूप में कम हुआ है। हांलाकि चालू वर्ष के प्रथम 6 महीनों में (अप्रैल-सितंबर, 2002), पटसन समानों का निर्यात मौद्रिक रूप में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 270.65 करोड़ रुपए की तुलना में 406.60 करोड़ रुपए हुआ अर्थात इसमें 50% की वृद्धि हुई हैं।

(ग) और (घ) सरकार पटसन समानों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठा रही है। इनमें पटसन सामानों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्रियान्वित की जा रही बाह्य बाजार सहायता (ईएमए) योजना और शुल्क हकदारी पासबुक (डीईपीबी) योजना के अंतर्गत सहायता शामिल है। पटसन विनिर्माण विकास परिषद (जेएमडीसी) संभावित पटसन उत्पादों जैसी खाद्य श्रेणी के पटसन उत्पाद, फ्लोर कवरिंग, सैकिंग और पटसन विविधीकृत उत्पादों आदि पर विशेष ध्यान देते हुए विशिष्ट वस्तु मेला, क्रेता-विक्रेता बैठक और संपर्क संवर्द्धन कार्यक्रम का भी आयोजन करती हैं।

विदेशी निवेश नीति

1968. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विदेशी निवेश हेतु योजना आयोग द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का एक नवीन विदेशी निवेश प्रोत्साहन विधि बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल)] : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग द्वारा गठित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) संबंधी संचालन समूह ने अगस्त, 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समूह की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं : (1) विदेशी निवेश संवर्द्धन कानून को अधिनियमित करने के संबंध में विचार करना; (2) बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में सभी प्रकार से निवेशों को त्वरित करने के लिए बुनियादी ढांचे से संबंधित विशेष निवेश कानून को अधिनियमित करने हेतु राज्यों को प्रेरित करना; (3) प्रारंभिक केन्द्रीय स्तर पर पंजीकरण और अनुमोदन प्रदान करने के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को अधिकार प्रदान करना; (4) क्षेत्रक एफडीआई सीमाओं को कम करके न्यूनतम कर दिया जाना चाहिए और प्रविष्टि व्यवधानों को समाप्त किया जाना चाहिए; (5) विश्व में निर्यात संबंधी एफटीआई के लिए सर्वाधिक प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य के रूप में विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए; और (6) विद्युत क्षेत्र शहरी बुनियादी ढ़ांचे और स्थावर संपदा तथा विनियंत्रण/लाईसेंसिंग पद्धति को समाप्त करने के लिए घरेलू नीतिगत सुधारों को त्वरित किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) संचालन समूह ने विदेशी निवेश संवर्द्धन कानून, जो एफडीआई के संवर्द्धन से संबंधित पहलुओं को समाविष्ट और एकीकृत करता है, का अधिनियम करने पर विचार करने के लिए सिफारिश की है।

[हिन्दी]

सभी बैंकों के एटीएम को आपस में जोड़ना

1969. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री शिवराजसिंह चौहान :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी बैंकों के एटीएम को इंटरनेट से जोड़ने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बैंक अपने कारबार की आवश्यकताओं के आधार पर अपने कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम बनाते हैं।

यूटीआई के अधिकारियों का विदेश दौरा

1970. श्री रामदास आठवले : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अगस्त, 2002 के 'दैनिक जागरण' में 'यूटीआई अधिकारियों की विदेश यात्रा पर ढाई करोड़ रुपए खर्च' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में यूटीआई द्वारा यूटीआई के अधिकारियों के विदेश दौरों के साथ ही प्रचार पर किए गए व्यय का उल्लेख है यूटीआई ने अपने आधिकारियों के विदेश दौरों तथा प्रचार पर निम्नांकित व्यय की सूचना दी है :

वर्ष	विदेशी दौरे पर व्यय	घरेलू स्कीमों द्वारा प्रचार पर व्यय
1 जुलाई, 1999-30 जून, 2000	101,30,733.00 रु.	43,91,20,000.00 रु.
1 जुलाई, 2000-30 जून, 2001	90,37,902.50 रु.	38,40,81,000.00 रु.
1 जुलाई, 2001-30 जून 2002	59,63,717.40 रु.	27,55,39,000.00 रु.

(ग) यूटीआई द्वारा विदेश दौरों तथा प्रचार पर किया गया व्यय इनके सामान्य व्यवसाय के भाग के रूप में किया जाता है। यूटीआई के अध्यक्ष को छोड़कर इसके अधिकारियों को अपने विदेश दौरों के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। यूटीआई के अध्यक्ष के उस विदेश दौरे के मामले में सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्कता होती है जिसमें एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान विदेशी यात्रा की संचयी अवधि 15 दिनों से अधिक हो।

राजस्थान की संस्थाओं को सहायता

1971. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा राजस्थान में स्थापित संस्थाओं को कितनी सहायता दी गई है और यह सहायता किन रूपों में दी गई है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा फर्जी पायी गई संस्थाओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की सहायता देने से पहले संबंधित जनप्रतिनिधियों की राय लेने का है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) गत तीन वर्ष के दौरान इस मंत्रालय द्वारा राजस्थान में कोई संस्थान स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केन्द्रीय आर्थिक सुधार आयोग

1972. श्री वाई.वी. राव : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय आर्थिक सुधार आयोग की स्थापना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय के पास केन्द्रीय आर्थिक सुधार आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अप्रत्यक्ष कर संग्रहण

1973. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रत्यक्ष कर संग्रहण बजट अनुमानों का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बजट अनुमानों का लक्ष्य हासिल करने के लिए अप्रत्यक्ष कर संग्रहण की गति बनाए रखने या उसमें सुधार लाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएगें?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) विभागीय रिकार्डों के अनुसार गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में वर्ष 2002-03 (अप्रैल से अक्तूबर) के दौरान उत्पाद शुल्क राजस्व द्वारा 18.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी प्रकार, सीमा शुल्क राजस्व द्वारा गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 2002-03 (अप्रैल से अक्तूबर) के दौरान 11.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तथापि, इस स्तर पर, वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए अप्रत्यक्ष कर वसूली का सही-सही अनुमान लगाना संभव नहीं होगा क्योंकि विभिन्न कारकों जैसे देश के बहुत से हिस्सों में सूखा और बजट पेश किए जाने के पश्चात दी गई छूटों से पड़ने वाले प्रभाव का अभी निर्धारण किया जाना है।

(ग) बजट अनुमान प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। इनमें टैरिफ ढांचे को युक्तिसंगत बनाना, कर छूटों की समीक्षा करना और जहाँ कहीं आवश्यक हो, उन्हें समाप्त करना, तस्करी-रोधी और अपवंचन-रोधी उपायों के जरिए राजस्व नि:सरण को रोकना, आयातित वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय कीमतों की मॉनीटरिंग करना और उनका अनुपालन करना और कर वसूली प्रक्रियाओं को सरल बनाना शामिल है, ताकि कर अनुपालन में सुधार किया जा सके।

विदेशों में बैंकों की स्थापना

1974. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकों ने विदेशों में बैंकों की स्थापना करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) से (ग) केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री द्वारा निर्यात आयात नीति 2002-07 में की गई घोषणा के अनुसरण में कि विशेष आर्थिक अंचलों (एस ई जेड) में पहली बार विदेशी बैंकिग एककों (ओ बी यू) की अनुमति दी जाएगी, भारतीय रिजर्व बैंक ने नवम्बर 2002 में भारत में कार्य कर रहे बैंकों के लिए एस ई जेड में ओ बी यू स्थापित करने को सुकर बनाने हेतु एक योजना बनाई। ये ओ बी यू भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के रूप में कार्य करेंगे, परन्तु भारत में स्थित होंगे तथा इन्हें आरक्षित नकदी निधि अपेक्षा एवं सांविधिक चल निधि आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी। ये विदेशी बैंकिग एकक एस ई जेड एकक एवं एस ई जेड विकास को अन्तर्राष्ट्रीय दरों पर अन्तराष्ट्रीय वित्त के लिए पहुंच प्रदान करेगा।

छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता

1975. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** जुलाई, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1946 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में अनु.जन.जा. के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता के दो मामले कौन-कौन से हैं;

(ख) उनका अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनियमितता में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 30 विभिन्न संस्थान, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग आदि के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण में की गई अनियमितताओं में शामिल पाए गए और यह कुल धनराशि 1,67,19,827 रुपए है। इन सभी संस्थानों के विरुद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।

आंध्र प्रदेश के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मोटे कपड़े के उत्पादन में गिरावट

1976. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष मोटे कपड़े का राज्यवार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या यह घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) क्या उत्पादन में गिरावट के कारण कुछ कपड़ा मिलों को बंद करना पड़ा है और इसके परिणामस्वरूप काफी श्रमिक बेरोजगार हो गये; और

(घ) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)] : (क) मोटे कपड़े के कुल उत्पादन के आंकड़े पृथक रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान कपड़े के कुल और क्षेत्रवार उत्पादन के आंकड़े निम्न अनुसार हैं :

(मिलियन वर्ग मीटर में)

क्षेत्र	2000-2001	2001-2002	2001-2002 (अप्रैल-सितम्बर)	2002-2003 (अ) (अप्रैल-सितम्बर)
मिल	1670	1546	778	765
विद्युतकरघा	23803	25192	12517	13391
हथकरघा	7506	7585	3871	2958
हौजरी	6696	7067	3416	3872
कुल	38006	39845	19804	20221

(ख) जी हां। अनेक वर्षों के कपड़ें की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ रही है। वर्ष 2001-02 के दौरान कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो वर्ष 2000-2001 में 30.68 प्रति वर्ग मीटर से बढ़ कर 31.97 प्रति वर्ग मीटर हो गई।

(ग) जी हां।

(घ) इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों में, वस्त्र कामगार पुनर्वासन योजना (टीडब्ल्यूएफआरएस) द्वारा मिल क्षेत्र के विस्थापित कामगारों को मुआवजे का भुगतान करना और अपैरल पार्क योजना तथा वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजना (टीसीआईडीएस) जैसी योजनाओं से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्लान योजनाओं के क्रियान्वयन करना शामिल है।

गैर-भेदभाव और विकास प्रावधानों संबंधी विश्व व्यापार संगठन की बैठक

1977. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश संबंधी कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक जुलाई 2002 में जेनेवा में हुई थी जिसमें गैर-भेदभाव और विकास प्रावधान जो भारतीय दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं पर विचार-विमर्श किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) उक्त निर्णय किस हद तक भारत के अनुकूल हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सहित अनेक सदस्यों ने उक्त बैठक में इन मुद्दों पर हुए विचार-विमर्शों में योगदान किया था और लिखित अनुरोध भी प्रस्तुत किए गए थे। तथापि, कार्य दल में किए गए विचार-विमर्श स्पष्टीकारक और शिक्षाप्रद स्वरूप के हैं। कोई भी निर्णय 10-14 सितम्बर, 2003 के दौरान कांकुन, मैक्सिकों में आयोजित होने वाले डब्ल्यू टी ओ के अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में ही लिया जाएगा।

गुजरात में नमक बनाने का काम

1978. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेष रूप से कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में कितने स्थानों पर नमक बनाने का कार्य चल रहा है;

(ख) इस क्षेत्र में पट्टे अथवा स्वामित्व वाली भूमि जिस पर नमक बनाने का कार्य चल रहा है ऐसी भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण विकास आयुक्त द्वारा नमक बनाने के कार्य में संलग्न श्रमिकों का रिकार्ड नहीं रखा जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) गुजरात में 2762 नमक कारखाने हैं। जिसमें से कच्छ में 984 कारखाने हैं और 1446 नमक कारखाने सौराष्ट्र क्षेत्र में हैं।

(ख) नमक कारखानों की संख्या और प्रत्येक क्षेत्र के बारे में भू-क्षेत्र संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) असंगठित नमक कामगारों के अभिलेख ग्रामीण विकास आयुक्त, गुजरात सरकार द्वारा तैयार किये जाते हैं और संगठित नमक कामगारों के अभिलेख श्रम आयुक्त, गुजरात सरकार द्वारा तैयार किये जाते हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गुजरात क्षेत्र में नमक कारखानों के विवरण (1.7.2002 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	क्षेत्र/जिला	केन्द्र सरकार की पट्टे पर भूमि		राज्य सरकार की पट्टे पर भूमि		कांडला पत्तन न्यास (केन्द्र सरकार का संगठन) की पट्टे पर भूमि		निजी भूमि स्वामित्व पर (पट्टा)		कुल भूमि	
		नमक कारखानों की संख्या	क्षेत्र (एकड़)	नमक कारखानों की संख्या	क्षेत्र (एकड़)	नमक कारखानों की संख्या	क्षेत्र (एकड़)	नमक कारखानों की संख्या	क्षेत्र (एकड़)	नमक कारखानों की संख्या	क्षेत्र (एकड़)
1.	कच्छ	0	0	942	65811	41	14974	1	50	984	80835
2.	सौराष्ट्र	1	23595	1444	196066	0	0	1	99	1446	219760
3.	अन्य जिले	4	1856	328	64680	0	0	0	0	332	66536
	कुल गुजरात	5	25451	2714	326557	41	14974	2	149	2762	367131

[हिन्दी]

बैंक कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)

1979. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सरकार से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना (वीआरएस) के अंतर्गत पुराने कर्मचारियों की छंटनी करने और उनके स्थान पर तकनीकी रूप से कुशल कर्मचारियों की भर्ती करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों की सभी शाखाओं के कंप्यूटरीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(घ) नई कार्य प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु तकनीकी कर्मचारियों की मांग को किस प्रकार पूरा किया जा रहा है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल) : (क) और (ख) एक राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि सही संख्या में कर्मचारी रखने के लिए दूसरी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की जाए। यह योजना विचाराधीन हैं। अतिरिक्त कर्मचारियों की छंटनी का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ग) निर्बाध ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देय से सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने प्रमुख वाणिज्यिक एवं रिहायशी केन्द्रों में एटीएम स्थापित करने, इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग प्रणाली, कंपनी ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रानिक निधियों का अन्तरण आदि सहित अपनी शाखाओं/कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण/यंत्रीकरण के लिए विविध उपाय किए हैं।

(घ) बैंको ने अपनी भर्ती नीति बनाते समय अपनी आवश्यकतानुसार तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती हेतु प्रावधान किए हैं। बैंकों ने अपने कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल को उन्नत बनाने के लिए प्रशिक्षण तंत्र बनाया है, ताकि नई प्रौद्योगिकी वाले कार्य स्थान की चुनौतियों एवं ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समुचित क्षमता वाले मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

घुमंतु आदिवासियों के लिए सुरक्षा उपाय

1980. श्री सदाशिवराव मंडलिक :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 सितम्बर, 2002 के ''राष्ट्रीय सहारा'' में ''हकों के मोहताज करोड़ों आदिवासी घुमंतु'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इसके लिए बजटीय प्रावधान की व्यवस्था नहीं कर रही है और न ही उन्हें संविधान में प्रदत्त अधिकार दिए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (घ) 1 सितम्बर, 2002 के ''राष्ट्रीय सहारा'' में ''हकों के मोहताज करोड़ों आदिवासी घुमन्तु'' शीर्षक से एक समाचार छपा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि कथित सभ्य समाज अनअधिसूचित और भ्रमणशील जनजातियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करता है और सरकार ने उनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि सरकार उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार भी नहीं देती।

अनअधिसूचित और भ्रमणशील जनजातियों को संबधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के आधार पर, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि, अनअधिसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकरणानुसार, जैसा भी मामला हो, सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध लाभों/रियायतों को पाने के पात्र हैं।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संगठन समझौतों का भारतीय किसानों पर प्रभाव

1981. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. माहोल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बारे में आम राय है कि कृषि संबंधी विश्व व्यापार संगठन समझौतों में भारतीय किसानों के साथ न्याय नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों के हितों की रक्षा करने और विश्वव्यापार संगठन की पुनः बातचीत वाले दौर में विकसित देशों का सामना करने के लिए समान विचारधारा वाले राष्ट्रों की लाबी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) 1 जनवरी, 19995 को लागू हुए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के कृषि संबंधी करार (ए ओ ए) का उद्देश्य उचित और बाजारोन्मुख कृषि व्यापार प्रणाली स्थापित करना और सहायता तथा संरक्षण के संबंध में नियमों और अनुशासनों का प्रावधान करना है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भारतीय घरेलू नीति के विकल्प कृषि संबंधी करार के अंतर्गत की गई वचनबद्धताओं द्वारा अवरुद्ध नहीं हुई हैं। तथापि कृषि संबंधी करार के कार्यान्वयन के अनुभव से इसके प्रावधानों में कुछ विषमता और असंतुलन उजागर हुए हैं। इन्हें भारत द्वारा डब्ल्यू टी ओ में कृषि संबंधी चल रही वार्ताओं में प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों में पेश किया गया है। इस प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ आयातों पर टैरिफ संरक्षण को उचित स्तर प्रदान करके और भारत जैसे विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा और आजीविका चिंताओं को ध्यान में रखते हुए तथा हमारे निर्यात हितों के कृषि उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच के जरिए वार्ताओं के दौरान अपने कृषि उत्पादन और किसानों के हितों की सुरक्षा करने की आवश्यकता पर विचार किया गया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय किसानों को कोई कठिनाई न हो सरकार ने संवेदनशील मदों के आयातों पर निगरानी रखने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया है और वह बाध्य स्तरों के भीतर लागू प्रशुल्कों के उचित अंशशोधन और पाटनरोधीन समान शुल्कों को लागू करने तथा आवश्यकतानुसार विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में रक्षोपाय कार्यवाही करने के साथ-साथ डब्ल्यू टी ओ के अनुकूल उपायों के जरिए घरेलू उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

भारत अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डब्ल्यू टी ओ के सदस्यों के साथ व्यापक रूप से संघबंधन भी कर रहा है।

शेयरों की वापिस खरीद संबंधी नियम

1982. श्रीमती प्रभा राव : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने शेयरों को वापिस खरीदने हेतु कंपनियों के शेयरधारकों की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई कंपनियों का जिन्होंने सार्वजनिक निर्गम के माध्य से बड़ी धन राशि जुटाई थी उनका परिसमापन हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसी कंपनियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। कम्पनी अधिनियम की धारा 77क के अंतर्गत, किसी वर्ष में यदि शेयरों की वापिस खरीद प्रदत्त पूंजी और खुली आरक्षितियों से 10% अधिक हैं, एक विशेष संकल्प के द्वारा शेयर धारकों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती हैं।

(ग) से (ङ) कम्पनी कार्य विभाग समापन के अधीन सूचीबद्ध कम्पनियों की अलग से सूचना नहीं रखता है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 650(अ) जो 17 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में दो में कतिपय परिवर्तन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6126/2002]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अंतर्गत, गुजरात राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड और गुजरात राज्य हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 2002 जो 20 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 653(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6127/2002]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 73 की उपधारा (3) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) का.आ. 994(अ) जो 13 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों और असम राइफल्स के केवल 'युद्धक कार्मिक' के पदों की सभी श्रेणियों को नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के उपबंध से छूट प्रदान करना है।

(ख) का.आ. 995(अ) जो 13 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों और असम राइफल्स के केवल 'युद्धक कार्मिक' के पदों की सभी श्रेणियों को नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47 के उपबंध से छूट प्रदान करना है।

(ग) का.आ. 1179 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय सशस्त्र बलों के 'युद्धक कार्मिक' के पदों की सभी श्रेणियों को नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47 के उपबंध से छूट प्रदान करना है।

(घ) का.आ. 1180 जो 13 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय सशस्त्र बलों के 'युद्धक कार्मिक' के पदों की सभी श्रेणियों को नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के उपबंध से छूट प्रदान करना है।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (तीन) और (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6128/2002]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी. 6129/2002]

(ख) (एक) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एलटी. 6130/2002]

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टैक्नालॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नॉलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार

द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6131/2002]

(4) (एक) सिंथेटिक एण्ड रेयन टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक एण्ड रेयन टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6132/2002]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2002 जो 3 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 467(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2002 जो 8 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 483(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6133/2002]

(2) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 157 की उपधारा (4) के अंतर्गत व्यापार चिह्न नियम, 2002 जो 26 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 114(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6134/2002]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 875(अ) जो 16 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मुरली एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बड़ोदा, महाराष्ट्र को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6135/2002]

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6136/2002]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 3272 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "अन्नई जे.के.के. सम्पूर्णी अम्माल चैरिटेबल ट्रस्ट, इथिरमेडू, कोमैरीपल्यम, तमिलनाडु" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दो) का.आ. 3273 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन, पीएचडी हाउस, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 3274 जो 19 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''हमदर्द दवाखाना (वक्फ), दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चार) का.आ. 3275 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''रेल मंत्री कल्याण और राहत कोष, नई दिल्ली' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से 2000-2001 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 3276 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''भारतीय परिवार कल्याण संघ, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छह) का.आ. 3277 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''स्टरलाईट फाउंडेशन, वर्ली, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का.आ. 3278 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 3279 जो 19 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''ओरोविल फाउंडेशन, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 3280 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स चेन्नई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से 2000-2001 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का.आ. 3281 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''रामकृष्ण मिशन, पश्चिम बंगाल'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 3282 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''रामकृष्ण मठ, पश्चिम बंगाल'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 3283 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''सदर्न हेल्थ इम्प्रूवमेंट समिति, पी.ओ. भंगुर जिला, 24 परगना, पश्चिम बंगाल'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 3284 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''कृष्ण गोपाल आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालय ट्रस्ट, अजमेर'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-1994 से 1995-1996 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 3285 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 3286 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''पंजाब केसरी क्लब, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995-1996 से 1997-1998 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 3287 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''रिसर्च एंड इन्फोरमेशन सिस्टम फॉर द नॉन अलाइंड एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 3288 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''गुजरात इकोलौजिकल एजुकेशन रिसर्च (जी.ई.ई.आर.) फाउंडेशन, गांधीनगर, गुजरात'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 3289 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''नेशनल होर्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव, हरियाणा'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 3290 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''जहांगीर आर्ट गैलरी, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 3291 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''फाउंडेशन आगा खान, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 3292 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''भोपाल मेमोरियल ट्रस्ट, भोपाल'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 3293 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स, कोलकाता'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995-1996 से 1996-1997 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 3294 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''फ्रैंड्स ऑफ मोरल री-अपार्टमेंट (इंडिया, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 से 1998-1999 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 3295 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 3296 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''स्वामीनारायण अक्षरपीठ, अहमदाबाद'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 3272 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''पोपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 3298 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1989-1990 से 1991-1992 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 3299 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''बम्बई गौ रक्षक मंडली, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से 2000-2001 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्तीस) का.आ. 3300 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''ओरोविल फाउंडेशन, विल्लापुरम जिला, तमिलनाडु'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीस) का.आ. 3301 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''सर रतन टाटा ट्रस्ट, बम्बई हाउस, होमी मोदी, स्ट्रीट, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 3302 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 3303 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''बी.पी. कोईराला इंडिया-नेपाल फाउंडेशन, रॉयल नेपालीज एम्बेसी, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 3304 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''कृष्णामूर्ति फाउंडेशन, चेन्नई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 3305 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''दि थियोसोफिकल सोसायटी, अडेर, चेन्नई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 3306 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''पोपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 3307 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''श्री रामकृष्ण सत्यानंद आश्रम, गांव जिराकपुर, पी.ओ. बशीरहट रेलवे स्टेशन, जिला उत्तर 24 परगना (एन), पश्चिम बंगाल'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 3308 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 3309 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''कैंसर रिलीफ सोसाइटी, कोचीन'' को कतिपय शर्तों, के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-1994 से 1995-1996 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 3310 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''यू.पी. रूरल वाटर सप्लाई एण्ड एनवायरमेंट सैनिटेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 3311 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 3312 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 3313 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''खेलाघर, पाल्म ऐवन्यू, कोलकाता'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ. 3315 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''सेंटर फार हाई टेक्नॉलाजी, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1992-1993 से 1994-1995 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौवालीस) का.आ. 3316 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''एक्शन फार फूड प्रोडक्शन (एएफपीआरओ), जनकपुरी, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1994-1995 से 1996-1997 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 3317 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''दि सोसाइटी ऑफ दि फ्रांसिस्कन सर्वेन्ट्स ऑफ मैरी, अल्गापुरम, सेलम'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1992-1993 से 1994-1995 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. 3318 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''दिल्ली सोसाइटी फार मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, ओखला सेंटर, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के

अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ. 3319 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''लिबरेशन मूवमेंट फार वूमेन, कक्कानूर, तमिलनाडु'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1994-1995 से 1995-1996 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 3320 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 3321 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''इंडियन इंटरनेशनल टेक्सटाइल्स मशीनरी, एक्जीबिशन सोसाइटी, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पचास) का.आ. 3322 जो 19 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत ''पंजाब आपदा राहत निधि, पंजाब चंडीगढ़'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1991-1992 से 1993-1994 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्यावन) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2002 जो 19 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 642(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बावन) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2002 जो 19 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 643(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तिरपन) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2002 जो 24 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 659(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौवन) आयकर (अठारहवां संशोधन) नियम, 2002 जो 29 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 642(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पचपन) आयकर (चौबीसवां संशोधन) नियम, 2001 जो 31 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1284(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छप्पन) का.आ. 647(अ) जो 19 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 709(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्तावन) आयकर (बीसवां संशोधन) नियम, 2002 जो 5 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 827(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठावन) आयकर (चौबीसवां संशोधन) नियम, 2002 जो 27 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1046(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6137/2002]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा आयकर विवरणियों का बल्क में भरा जाना योजना, 2002 जो 24 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 661(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 1206(अ) जो 12 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें स्थायी लेखा संख्या के आवंटन के लिए आकलन अधिकारी

को आवेदन करने वाले व्यक्तियों के वर्ग अथवा वर्गों को विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6138/2002]

(3) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युच्युअल फंड्स) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2002 जो 30 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 809(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहण का पर्याप्त अर्जन) दूसरा संशोधन विनियम, 2002 जो 9 सितम्बर 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 954(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युच्युअल फंड्स) चौथा संशोधन विनियम, 2002 जो 9 सितम्बर 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 956(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्वीट इक्विटी का निर्गम) विनियम, 2002 जो 24 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1031(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने की प्रक्रिया और शास्ति अधिरोपित करना) विनियम, 2002 जो 27 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1045(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संविभाग प्रबन्धक) संशोधन विनियम, 2002 जो 11 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1087(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6139/2002]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 562(अ) जो 13 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 19 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या 137/2002-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 563(अ) जो 13 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन और रखरखाव के प्रयोजनों के लिए विकासकर्ताओं/प्रवर्तकों द्वारा आयातित सभी माल को पूर्णत: छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6140/2002]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 560(अ) जो 13 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 19 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या 52/2002-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 561(अ) जो 13 अगस्त, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन और रखरखाव के प्रयोजनों के लिए विकासकर्ताओं/प्रवर्तकों द्वारा स्वदेश में अधिप्राप्त सभी माल को पूर्णत: छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 742(अ) जो 31 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 8/97-के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 6141/2002]

(6) संविधान के अनुच्छेद 280 और वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 की धारा 6 और 8 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी 1 नवम्बर, 2002 का आदेश जो अधिसूचना संख्या का.आ. 1161(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा जो अध्यक्ष और तीन सदस्यों वाले वित्त आयोग के

गठन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 6142/2002]

(7) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 727(अ) जो 25 अक्तूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय संयुक्त राज्य अमरीका के ऐसे यात्रियों, जो आगरा में आयोजित भारत-अमरीका संयुक्त अभ्यास ''कोप इंडिया 2002'' में भाग लेने के लिए भारत आए हैं, को विदेश यात्रा कर की अदायगी से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6143/2002]

(8) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऋण वसूली अधिकरण, पुणे (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 9 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 628(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बटूर (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 9 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 629(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापत्तनम (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 9 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 630(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ऋण वसूली अधिकरण-3, दिल्ली (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 9 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 631(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) ऋण वसूली अधिकरण, रांची (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 9 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 632(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 9 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 633(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) ऋण वसूली अधिकरण-3, कोलकाता (समूह 'ग' और 'घ' पद) (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2002 जो 9 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 634(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6144/2002]

(9) बैंक और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 8 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 479(अ) जो 8 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमे उल्लिखित ऋण वसूली अपील अधिकरण के स्थान में परिवर्तन को अधिसूचित किया गया है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6145/2002]

(10) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) 2002 जो 29 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईएन/2/2002 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2002 जो 13 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पेंशन-3 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी/कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2002 जो 13 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.ओ. ओएसआर एण्ड आईआर: 27/108/एच/611 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी/कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2002 जो 27 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या एचओ: ओएसआर एण्ड आईआर: 27/1081/330 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 6146/2002]

(11) (एक) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 19 की उपधारा (5) और धारा 24 के अंतर्गत भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6147/2002]

(12) (एक) भारतीय औद्योगिक विकास अधिनियम, 1964 की धारा 18 की उपधारा (5) और धारा 23 के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6148/2002]

(13) (एक) प्रतीची (भारत) न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रतीची (भारत) न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6149/2002]

(14) (एक) सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6150/2002]

(15) (एक) इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6151/2002]

(16) (एक) नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6152/2002]

(17) (एक) आचार्यकुल, वर्धा के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आचार्यकुल, वर्धा के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6153/2002]

(18) (एक) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट इकॉनॉमिक्स, दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट इकॉनॉमिक्स, दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6154/2002]

(19) (एक) औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6155/2002]

(20) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक, रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक, रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6156/2002]

(21) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6157/2002]

(22) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई का वर्ष 2001-2002 का सांख्यिकीय विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) मसाला बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) संशोधन विनियम, 2002 जो 5 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.प्रशा./पंजी./01/2002 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) मसाला बोर्ड (संशोधन) नियम, 2002 जो 10 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 636(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) संशोधन नियम, 2002 जो 13 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 645(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 6158/2002]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) मसाला व्यापार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मसाला व्यापार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6159/2002]

(ख) (एक) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6160/2002]

(ग) (एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6161/2002]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद की ओर से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) संशोधन विनियम, 2002 जो 30 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 531(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 6162/2002]

अपराह्न 12.03 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 2 दिसम्बर, 2002 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 2002 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार और पारित करना।

3. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान:

   (1) वर्ष 2002-03 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)

   (2) वर्ष 2002-2003 के अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

4. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:

   (1) कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2001

   (2) जैव विविधता विधेयक, 2000

   (3) मैसूर राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) निरसन विधेयक, 2002

   (4) सूचना की स्वतंत्रता विधेयक, 2000

   (5) भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक, 2002

   (6) संपत्ति अंतरण (संशोधन) विधेयक, 2002

   (7) विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2002

5. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:

   (1) खाद्य अपमिश्रण निवारण (कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों पर विस्तारण) निरसन विधेयक, 2002

   (2) गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2002

   (3) सामुद्रिक नौपरिवहन और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि पर स्थिर प्लेटफार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधि विरुद्ध कार्यों का दमन विधेयक, 2002

   (4) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2002

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

(एक) लोक सेवक की जवाबदेही निर्धारित किए जाने की आवश्यकता क्योंकि समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने के कारण केरल राज्य सरकार को केन्द्र से सूखा राहत सहायता नहीं मिल पाई।

(दो) सिलाई उद्योग में कार्यरत कामगारों के लिए कल्याण योजना की आवश्यकता।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

(एक) एच.एफ.सी.एल. और एफ.सी.आई.एल. के अलगभग 12000 कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे और उन्होंने स्वैच्छिक

सेवानिवृत्ति ली है और उन्हें 31.12.2002 तक सभी मकान खाली करने होंगे अथवा शास्तिक किराया अदा करना पड़ेगा। कामगारों को 1987 से वास्तविक वेतनमानों से वंचित रखा गया है। भविष्य निधि खातों के समयपूर्व बंद कर दिए जाने से उन्हें भारी वित्तीय घाटा होगा।

(दो) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लंबित वेतन तत्काल निपटाए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए एच.एस.सी.एल. विशेष रूप से दुर्गापुर इकाई के कामगारों के वेतन 35 माह से लंबित हैं।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए:

1. राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा मकान बनाने हेतु दिए जा रहे ऋणों में भारी भिन्नता है। जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आवास ऋण 8.5 से 10.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है जबकि सहकारी बैंकों द्वारा 18.5 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। दोनों बैंकों के ब्याज दर में एकरूपता लाई जाए।

2. सूखा प्रभावित राज्यों में फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा राशि उपलब्ध कराई जाए जबकि ऐसा सरकार द्वारा सूखा क्षेत्र घोषित किए जाने के बावजूद भी बीमा राशि नहीं दी जा रही है जिससे किसान त्रस्त हैं। अत: केन्द्र सरकार सर्वे/समीक्षा करा कर किसानों को फसल बीमा की राशि उपलब्ध कराए।

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाये:

(एक) तमिलनाडु में सेलम में एड्स के मरीजों के इलाज हेतु एक अस्पताल के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने की आवश्यकता।

(दो) रासीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु में सेंथामंगलम में नैनामलै हिल्स पर सड़क के निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषय जोड़े जाएं:

1. हमारे देश की जनसंख्या लगभग 1 अरब 3 करोड़ हो गई है। विश्व के भू-भाग में हमारा हिस्सा केवल 2.4 प्रतिशत है, किन्तु आज हर छठवां व्यक्ति भारतीय है। यदि जनसंख्या वृद्धि की गति यही रही, तो सन् 2050 तक हमारी जनसंख्या 1.6 अरब से भी ज्यादा होगी, तब स्थिति की भयावहता की सहज ही कल्पना की जा सकती है, यद्यपि भारत सरकार जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हेतु यथासंभव प्रयास कर रही है, किन्तु इस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक राष्ट्रीय सहमति बने इस हेतु चर्चा की आवश्यकता।

2. महिलाओं पर अत्याचार, विशेषकर बलात्कार तथा छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो घोर चिन्ता का विषय है। यह समस्या केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है; अपितु इसका सामाजिक पक्ष भी है। पारिवारिक मूल्यों का क्षरण, नग्न फिल्में एवं विज्ञापन, इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी की सर्वसुलभता, यौन अपराधों की एक बड़ी वजह है, इस समस्या पर संपूर्णता से विचार कर समाधान निकालने हेतु चर्चा की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री चरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मद को शामिल किया जाये:

(एक) नारियल के किसान भूख से मर रहे हैं। मैं केन्द्र सरकार से विश्व व्यापार संगठन समझौते में नारियल गिरि को एक कृषि उत्पाद के रूप में शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

(दो) अब भारत में चाय की खेती बंद हो गई है। श्रमिक, बेरोजगार हो गए हैं। मैं केन्द्र सरकार से चाय की खेती में सुधार की दिशा में तत्काल उपचारात्मक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए:

[श्री नवल किशोर राय]

1. उत्तरी बिहार में पूर्वी चम्पारण में विदर्भ गांधी आश्रम एवं नलिहा आश्रम से जुड़ी हुई, जगत जननी मां सीता की जन्म भूमि सीतामढ़ी को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में शामिल कर जानकी सर्किट के रूप में विकसित करने पर चर्चा।

2. रहिका-पुपरी-सीतामढ़ी पथ को राष्ट्रीय उच्च पथ में शामिल करने पर विशेष चर्चा।

श्री वाई.वी. महाजन (जलगांव): अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाये।

1. जलगांव मध्य रेलवे के भुसावल मण्डल का एक मुख्य जंक्शन स्टेशन है। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफायें यहां से 45 किलोमीटर की दूरी पर हैं जिन्हें देखने के लिए देश-विदेश से भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन इस स्टेशन पर कई एक्सप्रैस गाड़ियों के न रुकने के कारण उन्हें काफी कठिनाई होती है। इसलिए जलगांव स्टेशन पर एक्सप्रैस गाड़ियों के ठहराव की आवश्यकता है।

2. जलगांव (महाराष्ट्र) से विमान सेवा शुरू किये जाने की आवश्यकता।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाये:

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के टूटने के कारण पूरे भारत वर्ष में किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की आवश्यकता है।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता कम होने के कारण रोजगार के अवसर घट रहे हैं। अत: इस क्षेत्र में प्राथमिकता से कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

अपराह्न 12.11 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

मसाला बोर्ड

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री अरुण शौरी की ओर से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि मसाला बोर्ड नियम 1987 के नियम 4(1)(ख) और 5(1) के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3(3)(ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि मसाला बोर्ड नियम 1987 के नियम 4(1)(ख) और 5(1) के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3(3)(ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन मसाला बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.12 बजे

शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त समिति

[अनुवाद]

समिति में एक सदस्य की नियुक्ति के लिए राज्य सभा से सिफारिश

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री अमर सिंह की राज्य सभा से सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप हुई रिक्ति में राज्य सभा के एक सदस्य को शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त समिति में नियुक्त करे और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए गए सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री अमर सिंह की राज्य सभा से सेवानिवृत्ति के

परिणामस्वरूप हुई रिक्ति में राज्य सभा के एक सदस्य को शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त समिति में नियुक्त करे और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए गए सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.13 बजे

लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा) संशोधन विधेयक*

–पुर:स्थापित

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के. जना. कृष्णामूर्ति: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी समस्या है। *...(व्यवधान)* वहां लॉ एंड आर्डर की हालत खराब है। *...(व्यवधान)* महाराष्ट्र में श्री नारायण जी राणे का मकान जलाया गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके बोलने की इजाजत दूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री चन्द्रकांत खैरे पहले बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी को बोलने का मौका दूंगा। दासमुंशी जी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। श्री राम विलास पासावन जी, मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं एक-एक करके सुनूंगा। अभी मैं खैरे जी को सुनना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुमारी भावना गवली और श्री मोहन रावले ने मुझे अलग-अलग सूचनाएं दी हैं। वे खैरेजी की बात के साथ अपने को सम्बद्ध करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाये। *...(व्यवधान)*

महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में

अपराह्न 12.16 बजे

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन काफी खराब है। हम सोमवार से ही इस प्रश्न को यहां उपस्थित कर रहे हैं लेकिन आज हमें इस पर बोलने का मौका मिला है। हमारा कहना है कि विपक्ष के नेता माननीय श्री नारायण जी राणे का कंटोली में मकान, बंगला, पेट्रोल पम्प, होटल आदि जलाया गया है। वह पूरी की पूरी बिल्डिंग राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से जला दी गई है।

महाराष्ट्र में शिव सैनिकों ने बालासाहेब ठाकरे के निर्देश के अनुसार बहुत शान्ति एवं संयम रखा। *...(व्यवधान)* मैं आपके

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 29.11.2002 में प्रकाशित।

[श्री चन्द्रकांत खैरे]

माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हम एन.डी.ए. के घटक पक्ष के हैं। महाराष्ट्र में लॉ एंड आर्डर की जो सिचुएशन खराब हुई है, गृह राज्य मंत्री वहां जाएं। ...*(व्यवधान)*

मैं यह नहीं कहता कि राणे जी के मकान पर हमला हुआ लेकिन महाराष्ट्र में किसानों के ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, मुम्बई में मनोरी के पास मछुवारों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। ...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र में आज तक 59 रॉयट्स हुए हैं और पूरे महाराष्ट्र में लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। ...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि श्री आडवाणी जी या श्री स्वामी वहां की सिचुएशन का जायजा लेने के लिए जाएं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): महोदय, मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: महाराष्ट्र सरकार जो नीति चला रही है, उसे रद्द किया जाए। ...*(व्यवधान)* विपक्ष के नेता, जो पूर्व मुख्य मंत्री हैं, उनके ऊपर हमला होता है तो सामान्य जनता के साथ क्या होगा। ...*(व्यवधान)* श्री छगन भुजबल ने जो स्टेटमैंट दिया है ...*(व्यवधान)* पूरी महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जाए। ...*(व्यवधान)* मैंने नोटिस दिया है, आप उसे मंजूर कीजिए। पूरे लॉ एंड आर्डर के बारे में चर्चा होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बात सच है कि यह विषय स्टेट गवर्नमैंट का है लेकिन स्टेट गवर्नमैंट का विषय होने के बावजूद, खेरे जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने आपको इजाजत दी क्योंकि

[अनुवाद]

विपक्ष के नेता का घर जला दिया गया। इसलिए मैंने सोचा कि यह गम्भीर मामला था अत: आपको मैंने बोलने की अनुमति प्रदान की है। परन्तु यह समझना चाहिए कि इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। जहां तक आपके अनुरोध का संबंध है कि स्थिति को देखने के लिए किसी को भेजना चाहिए, यह निर्णय करना सरकार पर निर्भर है। चूंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं, यदि वे चाहते हों तो इस मुद्दे पर बोल सकते हैं।

अब मोहन रावले जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा): अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की हत्या की गई है। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): जो हत्या के बारे में बोल रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमारे सामने हत्या का विषय नहीं है। जो विषय है, उसके बारे में बोलिए।

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, मैं वहां के सुपरिन्टैंडैंट ऑफ पुलिस से मिला था। उन्होंने रात बारह बजे सूचना दी कि सब जगह पुलिस का बंदोबस्त करेंगे। उसके बाद सुबह साढ़े चार बजे राणे जी, जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं ...*(व्यवधान)* आप लोग यहां इतना हल्ला कर रहे हैं, वहां क्या हुआ, यह जान लीजिए। ...*(व्यवधान)* उनके घर में पत्थर फेंके गए। उनके मैनेजर ने उनकी सूचना दी कि यहां पत्थर फेंके जा रहे हैं। सुबह साढ़े दस बजे पुलिस के सामने उनका घर जलाया गया यानी पुलिस भी उसमें शामिल थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रावले जी, प्लीज, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: महाराष्ट्र में लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन खराब हो गई है। उसकी यहां चर्चा होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने चर्चा के बारे में नोटिस दिया है। यदि हाउस ऐग्री करे तो मैं इस विषय में अगले हफ्ते चर्चा दे सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे इस मुद्दे पर कार्यवाही करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: इससे पहले भूतपूर्व गृह मंत्री के घर पर हमला हुआ था। तो इन्द्रजीत गुप्ता जी वहां चले गये थे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये, प्लीज।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): बाबू जगजीवन राम के मामले में क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: वहां जो 150-200 लोगों ने हमला किया, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे। ...*(व्यवधान)* उनका घर जलाया गया। ...*(व्यवधान)* जिसकी हत्या हुई, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस मुद्दे पर अगले सप्ताह में वाद-विवाद कराने की अनुमति देने पर विचार कर रहा हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): मैं उनकी बातों पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि यदि कुछ हुआ है तो इस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी की हत्या हुई है तो हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। यदि किसी व्यक्ति ने किसी और के घर में आग लगायी है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। अत:, इसे यहां पर एक मुद्दा न माना जाए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: अभी तक नहीं हुई। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: एक पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता का घर जलाया जाता है और आप उसे प्रोटैक्ट कर रहे हैं। जिन्होंने घर जलाया है, उन्हें गिरफ्तार करो। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये। खैरे जी, मैंने कहा है कि अगले हफ्ते सोमवार के बाद मैं चर्चा उपस्थित करने का कोई रास्ता निकालूंगा। आपके नोटिस पर जरूर निर्णय किया जायेगा। अब आप बैठिये। मैं एक के बाद एक मुद्दों पर क्रमश: विचार कर रहा हूं। मैं आपके मुद्दे पर भी विचार कर रहा हूं।

श्री मोहन रावले: वस्तुस्थिति को जानने के लिए गृह मंत्री जी को वहां जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जगजीवन बाबू का इश्यू भी मैं लेने वाला हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रमोद महाजन, क्या आप उत्तर देना चाहेंगे?

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर): राज्य सरकार सरपंच की हत्या की भी जांच कर रही है। शिवसेना लाइसेंस लेकर रखा है, मर्डर करने का। महाराष्ट्र में जो मर्डर हो रहे हैं, उसके लिए कौन दोषी हैं? सरपंच का जो मर्डर हुआ है ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: कोई मर्डर नहीं हुआ है। मर्डर करने वाले कांग्रेस के लोग हैं।

श्री नरेश पुगलिया: वहां सरपंच का मर्डर करवाया है। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: उसमें दो राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग शामिल हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये। मंत्री जी यहां रैस्पोंड करने के लिए खड़े हुए हैं और आप शोर मचा रहे हैं तो कैसे काम चल सकता है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: मंत्री जी ने हाउस में कहा था कि सदन की भावना का संदेश प्रधान मंत्री को पहुंचाएंगे। आज 29 तारीख है, इस पर संसदीय कार्य मंत्री क्या कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: जब विषय आयेगा तो बोलेंगे, अभी सदन के सामने विषय नहीं आया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांतिपूर्वक बैठ जाइए और सहयोग कीजिए।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष जी, जैसा आपने कहा, बाकी सदस्यों ने कहा और शिवराज जी ने कहा कि अगर किसी की हत्या हुई है तो वह भी निन्दनीय है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे: हमने तो निन्दा की है, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन: लेकिन उसके साथ-साथ किसी व्यक्ति की हत्या हुई, उसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस उसे देख सकती है और जो भी अपराधी है, उसे दण्डित कर सकती है, लेकिन अगर उस हत्या को निमित्त बनाकर विपक्ष के नेता के घर या उनके व्यवसाय को जलाया गया हो तो इससे निश्चित रूप से कोई सहमत नहीं होगा। हम समझते हैं कि सभी लोग इसका विरोध

[श्री प्रमोद महाजन]

करेंगे कि यह भी जो हुआ है, वह गलत हुआ है। जैसा आपने कहा कि कानून और व्यवस्था मुख्यत: राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार का इसमें सीधे दायित्व नहीं है। माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि केन्द्र सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि वहां जाकर देखे, तो मैं गृह मंत्री जी तक उनकी यह मांग पहुंचा दूंगा। वे परम्परा और नियमों के अनुसार फैसला करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): अध्यक्ष महोदय, कोई ऐसी परम्परा न डाली जाए जिससे आगे चलकर मुश्किल पैदा हो। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बाबू जगजीवन राम जी के आवास को स्मारक बनाने के लिए जो हमने मांग की थी, उसके बारे में क्या हुआ ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं एक के बाद एक को मौका दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: अगर यहां विपक्ष के नेता के घर पर हमला हुआ होता, कोई उनके घर में गया होता, तो क्या हमें कोई आपत्ति नहीं होती? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): मैं महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। मुझे राज्य में किसी व्यक्ति विशेष की चिंता नहीं है। मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के 25 करोड़ लोगों से संबंधित मुद्दा उठा रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: वहां पर विपक्ष के नेता के घर पर हमला हुआ है इसलिए राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मोहन रावले जी, मैंने इस विषय पर सूचना देने के लिए कहा था। वह दे दी गई है। अब आप बैठ जाइए।

अपराह्न 12.25 बजे

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के पांचवें प्रतिवेदन पर चर्चा कराने की मांग के बारे में

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा भारत के महामहिम राष्ट्रपति को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इस राष्ट्रीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी, 2001 को प्रस्तुत कर दी है। मुझे इस सभा के समक्ष यह कहते हुए दुख हो रहा है कि विगत में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्टों पर लोक सभा में नियमित रूप से चर्चा की जाती थी।

इसकी पांचवीं रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है और उस आयोग ने बहुत क्रांतिकारी सिफारिशें की हैं और सुझाव दिए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लोक सभा को इन बातों से अवगत कराये कि आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के इन 25 करोड़ लोगों को किन अशक्तताओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मैं सभा को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि देश भर के राज्यपालों के हुए एक महत्वपूर्ण सम्मेलन, जो दो वर्ष पूर्व हुआ था, में राज्यपालों ने माननीय राष्ट्रपति से यह शिकायत की थी कि केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के अंतर्गत की गई राशि और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत दी गई राशि को विभिन्न राज्य सरकारों ने अन्य प्रयोजनार्थ व्यय कर दिया है। यह गम्भीर शिकायत थी कि संवैधानिक उपबंधों के बावजूद भूमिहीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भूमि वितरित नहीं की जा रही है।

तत्पश्चात् महामहिम राष्ट्रपति ने श्री पी.सी. एलग्जेंडर की अध्यक्षता में सात राज्यपालों की एक समिति नियुक्त की थी। मेरी सूचना के अनुसार इस उच्च स्तरीय समिति ने माननीय राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है और अब तो यह रिपोर्ट भारत सरकार के पास भी पहुंच गई होगी। मैं आरक्षित निर्वाचन से निर्वाचित सदस्य के रूप में, न केवल किसी व्यक्ति अथवा विशिष्ट राज्य में किसी व्यक्ति विशेष के घर के बारे में चिंतित हूं बल्कि यह मामला 25 करोड़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि पिछले पांच अथवा छ: वर्षों के दौरान इस सभा में राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा क्यों नहीं की गई और इस संबंध में यह कमी क्यों है। हमें इसके कारणों की जानकारी दें।

श्री प्रमोद महाजन: मैं माननीय सदस्य, श्री प्रवीण राष्ट्रपाल द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह से सहमत हूं। मेरे विचार से इस मुद्दे पर विचार करने का यह सही समय है। कई सत्रों से हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से

संबंधित मुद्दों पर चर्चा नहीं की है। मेरे विचार से यदि आपके नेतृत्व में कार्यमंत्रणा समिति इस मामले पर चर्चा करने का निर्णय करती है तो उस पर सरकार की ओर से कोई आपत्ति नहीं होगी। हम इस सत्र में भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की पांचवीं रिपोर्ट और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए समय निकाल सकते हैं। हम माननीय सदस्य द्वारा की गई मांग का पूरी तरह समर्थन करते हैं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: इस चर्चा को 15 दिसम्बर के बाद के लिए रखा जाये ताकि मैं उस समय उपलब्ध रह सकूं।

श्री प्रमोद महाजन: स्वाभाविक है कि इस पर उसी समय चर्चा की जाएगी जब आप उपस्थित होंगे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: बाबू जगजीवन राम जी के विषय में पहले भी शून्यकाल में चर्चा हुई है। इस विषय पर अभी चर्चा की जरूरत नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको दो मिनट में अपनी बात कहने की इजाजत दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपको इजाजत दे रहा हूं। रघुवंश प्रसाद जी, आप पूछना चाहते हैं, आप भी पूछ सकते हैं।

अपराह्न 12.30 बजे

6, कृष्ण मेनन मार्ग, नई दिल्ली को बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने के बारे में

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): मैं इस सदन में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 6, कृष्ण मेनन मार्ग के मुद्दे को रखने की अनुमति दी और यहां पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री मौजूद हैं। उन्होंने इस सदन को आश्वासन दिया था कि इस मामले को वह प्रधान मंत्री की नालेज में लाएंगे। इस बीच में अखबार में देखने को मिला कि पार्लियामेंट के एक जवाब में सरकार ने कहा है कि बाबू जगजीवन राम जी के 6, कृष्ण मेनन मार्ग को जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मामला था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। बाहर बार-बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोर्ट की मेरे पास कॉपी है। आप कहें तो मैं दे सकता हूं। कोर्ट ने 10.11.1998 के अपने अंतरिम आदेश में कहा था:

[अनुवाद]

> "मामले पर समग्र रूप से विचार करने के बाद हम यह निदेश देते हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा न्यासों, स्मारकों और राजनीतिक पार्टियों के प्रयोजनार्थ और मकानों का आवंटन अगली तिथि तक न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।"
>
> पहले पैराग्राफ में कहा कि:
>
> "6, कृष्ण मेनन मार्ग और 1, मोती लाल नेहरू मार्ग के संबंध में निर्णय को अगली तिथि को न्यायालय के समक्ष रखा जाये।"

[हिन्दी]

उसके बाद कोई फैसला नहीं हुआ और जो 1, मोतीलाल नेहरू मार्ग था, उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी हम लोगों के नेता हैं, हमारे देश के नेता हैं, जो किया गया, बहुत अच्छा किया गया लेकिन बाबू जगजीवन राम के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि नौवीं लोक सभा के 114 एमपीज, दसवीं लोक सभा के 267 एमपीज और मदन लाल खुराना जी यहां बैठे हुए हैं, जार्ज फर्नांडीज ने 11 जुलाई, 2002 को लिखा। साहिब सिंह वर्मा ने 4 जुलाई 2002 को और बंगारू लक्ष्मण ने भी इस सदन को लिखा है। शरद यादव ने 31 जुलाई 2002 को, सूरजभान जी ने 26 जुलाई 2002 को लिखा है। लाल बिहारी तिवारी जी ने लिखा है, एच.डी. देवगौड़ा जी ने लिखा है। इन्द्र कुमार गुजराल साहब ने लिखा है। पी.वी. नरसिंहराव जी ने लिखा है, शंकर दयाल शर्मा जी ने राष्ट्रपति की हैसियत से, 22 जुलाई 1995 को पी.एम. को लिखा है। के.आर. नारायणन ने 6.7.2002 को दुबारा लिखा। मनोहर जोशी ने स्पीकर की हैसियत से 16 सितम्बर 2002 को स्ट्रांगली रिकमेंड किया। 2000-2002 को सैकड़ों एमपीज ने लिखा। इसमें जगजीवन राम जी का क्या क्राइम है? सब लोगों के लिखने के बावजूद भी लाल बहादुर शास्त्री जी का हो गया। कोर्ट ने कहा कि दोनों पर विचार करो तो जगजीवन राम जी के प्रति इस तरह का अन्याय मेरी समझ में नहीं आता है और यह सरकार ...*(व्यवधान)* यह सरकार दलित वर्ग के प्रति ...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: बाबू जगजीवन राम जी एक महान स्वतंत्रता सैनानी थे। ...*(व्यवधान)* इस तरह से उनके साथ जो भेदभाव किया गया है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ...*(व्यवधान)* सदन में सरकार बताए कि सरकार का क्या कहना है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: यह कोई साधारण मुद्दा नहीं है। यदि किसी को कोई आपत्ति है या सदन को आपत्ति है तो एक व्यक्ति भी खड़ा होकर बोले। *...(व्यवधान)* हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार इस बारे में जवाब दे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने यह महत्वपूर्ण विषय बहुत अच्छी तरह से रखा है। मैं सोचता हूं कि यह सब सूचना सरकार तक पहुंचाने की जरूरत थी जो आपने पहुंचाई है। अभी सरकार इस विषय में क्या उत्तर देती है, वह मैं देखना चाहता हूं।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, पिछले सप्ताह में संसदीय कार्य मंत्री ने इसके बारे में आश्वासन दिया था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्यमंत्री स्वयं सत्तापक्ष के हैं उन्हें इसका उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया था। *...(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह: पिछले सप्ताह में संसदीय कार्य मंत्री ने हमें यह आश्वासन दिया था कि वे इस संदेश को माननीय प्रधान मंत्री तक पहुंचा देंगे।

श्री प्रमोद महाजन: जी हां, मैंने यह किया था *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: महोदय, यह सरकार पूरी तरह से गूंगी और बहरी है। असंवेदनशील और गैर-जिम्मेदार है, वरना इतने दिनों से यह मसला उठ रहा है, इसके ऊपर सरकार को जवाब लेकर सदन में आना चाहिए था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर बहुत चर्चा हो गई है, और चर्चा नहीं कर सकते हैं। दूसरे भी अर्जेंट विषय मेरे सामने हैं। यह एक इम्पोर्टेंट विषय है। इस पर मंत्री जी जवाब दे सकते हैं।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, शांति से अगर माननीय सदस्य सुनें, तो जितनी जानकारी मेरे पास है, वह मैं सदन को दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब यह विषय सदन में उठा था, तो मैंने सदन में कहा था कि सदन में जिन सदस्यों ने भावना व्यक्त की है, उसको मैं प्रधान मंत्री जी तक उसी क्षण उसी दिन पहुंचाऊंगा और वह मैंने पहुंचाई है। अगर निश्चित रूप से उत्तर मिले, तो मैं निश्चित रूप से सदन को दे सकता हूं। इस क्षण मैं दो बातें कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* एक तो यह है कि यह सच नहीं है, कम से कम आज तक, इसके बाद फैसला हो, सरकार फैसला करे, तो सरकार हर बड़े नेता का स्मारक बना सकती है, यह अलग बात है *...(व्यवधान)* महोदय, मेरी दृष्टि में सब नेता बड़े हैं। मैं किसी के साथ किसी एक की तुलना करूं, इसका क्यों और उसका क्यों, उस तुलना में शास्त्री जी का क्यों या बाबू जगजीवन राम जी का क्यों, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। यह ठीक है, जिन सारे पत्रों के बारे में आपने कहा, वे पत्र और जो अभी प्रधान मंत्री जी हैं, उन्होंने लिखा था या देवगौड़ा जी ने लिखा था या गुजराल जी ने लिखा था—ये तीनों प्रधान मंत्री बने, लेकिन उन्होंने किया नहीं। इन सबके पास प्रधान मंत्री पद रहे *...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: किसी ने हटाया नहीं।

श्री प्रमोद महाजन: किसी ने हटाया नहीं, लेकिन वे स्मारक तो हैं नहीं। दूसरी बात, यह सच नहीं है कि सरकार केवल इससे ही इन्कार कर रही है। चौ. अजित सिंह का पत्र था कि चौ. चरणसिंह जी इस घर में इतने वर्षों तक रहे हैं, इसलिए इस घर को स्मारक बना दिया जाए। इस बात से सरकार ने सहमति प्रकट नहीं की। चौ. ओमप्रकाश चौटाला जी का पत्र आया कि चौ. देवीलाल जी देश के उपप्रधान मंत्री थे और इस घर में इतने वर्षों तक रहे हैं, इसलिए इस घर को स्मारक बना दीजिए। सरकार ने कहा कि स्मारक नहीं बनेगा। सन् 2000 में जो वर्तमान सरकार थी, सरकार की कैबिनेट ने, जिस कैबिनेट में रामविलास पासवान जी भी कुछ महीने तक सदस्य थे, उस कैबिनेट ने यह फैसला किया *...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: जी नहीं, बाद में, सन् 2002 में।

श्री प्रमोद महाजन: आप सदस्य थे, उस दिन थे या नहीं थे, इतना मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मंत्रिमंडल के सदस्य थे, जिस मंत्रिपरिषद् ने यह फैसला किया कि दिल्ली के घरों में बहुत बड़े-बड़े लोग रहते हैं, उन सब के लिए अलग से एक स्मारक करना हो, तो अलग-अलग प्रकार से महान व्यक्तियों के स्मारक कर सकते हैं, जिनमें बाबू जगजीवन राम का भी कर सकते हैं। यहां दिल्ली में वर्षों से बड़े नेता रहते रहे हैं, जिन घरों में रहे हैं, उन घरों में उनकी मृत्यु के बाद उनका स्मारक बनाने की परम्परा के तहत कुछ घर ही बनें, ज्यादा

नहीं बनें, लेकिन उस समय की कैबिनेट ने कहा इससे आगे किसी का नहीं किया जाएगा। मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर नहीं हूं, मुझे कोर्ट के बारे में डिटेल का पता नहीं है। आपने इस विषय को उठाया है, लेकिन यह सच नहीं है कि सरकार भेदभाव कर रही है। चौ. अजित सिंह जी स्वयं इस मंत्री परिषद् के सदस्य हैं, फिर भी हमने कहा कि आपके पिता जी के प्रति हमारा पूरा सम्मान होने के पश्चात् भी हम उस घर को स्मारक नहीं बना सकते हैं। चौ. ओमप्रकाश चौटाला जी एनडीए के सदस्य हैं, मुख्य मंत्री हैं, लेकिन हमने कहा कि हमारा पूरा सम्मान चौ. देवीलाल जी के प्रति है, लेकिन उस घर को स्मारक नहीं बना सकते हैं, क्योंकि घरों के बीच किसी एक घर को स्मारक में परिवर्तित न करें। इस प्रकार का कैबिनेट ने फैसला किया हैं, फिर आपने आग्रह से अपनी बात कही है, मैं आज फिर आपकी बात प्रधान मंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। वे जो फैसला करें और अगर मुझे उस फैसले का पता चला, तो मैं जरूर बताऊंगा। *...(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में फैसला किया, लेकिन बाबू जगजीवन राम जी के बारे में फैसला नहीं हो रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: दो आदमियों के बारे में फैसला हुआ है।

श्री प्रमोद महाजन: कौन से साल में हुआ? *...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: 1991 में। *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: 1991 में किस की सरकार थी? आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं, उनसे पूछिए। *...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: 1998 में। *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : हमारी सरकार आने के बाद कोई नया स्मारक नहीं बना।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय, क्या आप मुझे कृपया एक बात कहने की अनुमति देंगे?

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इस मुद्दे पर एक बात कहना चाहते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: नहीं, इस मुद्दे पर नहीं। मैं किसी और मुद्दे पर कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राममनोहर लोहिया के स्मारक बनाने के बारे में भी विचार किया गया था। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): महोदय, जो सबमिशन दिया गया था, इन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, उसका क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: मुझे प्रधानमंत्री जी ने इसमें हां या नहीं, कुछ नहीं कहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश प्रसाद जी, आप जानते हैं कि मैंने खुद इस विषय में पत्र दिया है। मैं आपसे एक विनती करूंगा और प्रमोद महाजन जी से भी कहूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन: यह जो बार-बार 30 तारीख की बात हो रही है, मीरा कुमार जी के पति ने कोर्ट में लिख कर दिया है कि मैं 30 तारीख तक खाली करूंगा। हमने कोई तारीख कोर्ट में नहीं दी है, सरकार की तरफ से कोई तारीख कोर्ट को नहीं दी गई। *...(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: महोदय, वहां से मेमोरियल नहीं हटेगा। *...(व्यवधान)* मीरा कुमार जी वहां से दूसरी जगह चली गई हैं। *...(व्यवधान)* मैं राष्ट्रीय स्मारक की बात कर रहा हूं, मीरा कुमार जी की नहीं कर रहा हूं। मीरा कुमार जी को वहां से हटा दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप सब लोग बैठ जाइए।

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर): उस तारीख का सवाल ही नहीं है, मीरा कुमार जी वहां से चली गई हैं। बाबू जी के सभी फोटोग्राफ्स, म्युजियम उसी जगह पर हैं तो सरकार को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सरकार दो-चार दिन में डिसीजन ले सकती है, क्योंकि बाबू जी का पूरा म्यूजियम वहां रखा है। मीरा कुमार जी और उनके पति वहां से चले गए हैं। अभी तक सब लोगों के वहां स्मराक हैं, केवल दो दलित थे—एक डा. अम्बेडकर साहब और दूसरे जगजीवन राम जी—उनके नहीं हैं। यह मैसेज देश में गलत जाएगा। दलितों के बारे में इस तरह का निर्णय होना ठीक नहीं है। इस बारे में अभी भी सरकार सोच सकती है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इसमें राजनीति लाना ठीक नहीं है। शिंदे जी, अगर मैं राजनीति लाना शुरू करूं तो ठीक नहीं होगा। बाबू जी का देहावसान हुए 16 साल हो गए हैं। उसके बाद आप कम से कम दस वर्ष तक सत्ता में थे तब आपने क्यों नहीं किया? *...(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे: हम लिखते रहे। *...(व्यवधान)* हमने कभी निकाला नहीं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: क्या हमने निकाला है? *...(व्यवधान)* आप गलत बोल रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। *...(व्यवधान)* क्या आपने बनाया है? *...(व्यवधान)* क्या हमने विरोध किया था? राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री बने, उसके बाद पी.वी. नरसिंह राव जी, वी.पी. सिंह जी, गुजराल जी और फिर देवेगौड़ा जी प्रधान मंत्री बने, किसी ने नहीं बनाया। *...(व्यवधान)* आप हमारी सरकार को कह रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप सब बैठ जाइए। रघुवंश प्रसाद जी, आप भी बैठ जाइए।

..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर बहुत चर्चा हुई है। आप जगजीवन बाबू का स्मारक बनाना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन: वहां कोई संग्रहालय नहीं है, जिसे हम हटवा रहे हैं। *...(व्यवधान)* उस घर में कभी कोई फैसला संग्रहालय का नहीं हुआ। *...(व्यवधान)* उनकी बेटी वहां रहती थी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं समझता कि आप इस विषय पर रास्ता निकालना चाहते हैं। आप बैठ जाइए। देखिये, सदन में हर विषय पर रास्ता निकल सकता है, बात को आपको समझना चाहिए, लेकिन आप उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। क्या शोर मचाने से समस्या हल हो सकती है। इसलिए शोर मचाने की जरूरत नहीं हैं। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि वे माननीय प्रधान मंत्री जी से अभी इस पर बात कर रहे हैं। इसके ऊपर एक ही रास्ता है कि जब हर पक्ष और पार्टी चाहती है कि स्मारक बनना चाहिए, तो आप सब लोग इकट्ठा होकर प्रधान मंत्री जी से मिल सकते हैं। अगर एक निर्णय हुआ भी है तो वह बदला जा सकता है, इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: तब तक खाली तो मत करवाइये।

श्री प्रमोद महाजन: खाली किससे न करवायें? रामविलास पासावन जी बार-बार कह रहे हैं कि खाली न करवायें। लेकिन किससे खाली न करवाएं?

श्री राम विलास पासवान: वह दूसरे के नाम से, एक्स-जज के नाम से अलॉट हो गया है।

श्री प्रमोद महाजन: उसका पोजेशन किसके पास है, यह पता होना चाहिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: उनके जीवन से संबंधित जो चीजें वहां रखी हैं, उनको न हटाया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम अगला विषय लेते हैं।

...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: यह सरकार जान-बूझकर दलितों को भड़काना चाहती है। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.46 बजे

(तत्पश्चात् श्री राम विलास पासवान तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद का सामना करने के बारे में

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने पर मैं आपका आभारी हूं। मैं सदन और आपके माध्यम से इस सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं जिसके कई महत्वपूर्ण मंत्री यहां उपस्थित हैं। इसी सदन ने सीमा-पार से आतंकवाद से निपटने हेतु तीन अवसरों पर पूरी सरकार और प्रधानमंत्री का समर्थन किया है और हम अब भी अपने संकल्प पर दृढ़ हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे परोक्ष रूप से भी पाकिस्तान या परवेज मुशर्रफ को भारत के विरुद्ध प्रचार करने हेतु कोई मुद्दा हाथ लगने में सहायता मिले *...(व्यवधान)*

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): अध्यक्ष जी, हम भी बोलना चाहते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह क्या है? हमको तो बोलने दीजिए।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): आप हर विषय पर बोलते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपको यह पता होना चाहिए कि मैं मुख्य विपक्षी दल का प्रतिनिधित्व करता हूं। यदि आपको यह पता नहीं है तो आप चुप रहें। *...(व्यवधान)* महोदय, जब मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं तो ये मेरी बात में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? *...(व्यवधान)*

सरकार ने विपक्षी दलों के समर्थन से यह संकल्प पारित किया है। जैसा कि मैंने कहा कि आज भी पूरा सदन सीमा-पार से प्रायोजित आतंकवाद का सामना करने हेतु एकजुट है।

परंतु, जैसा कि आज 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी हैं। कल, रक्षा मंत्री ने संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि सैन्य बलों की तैनाती के पश्चात सीमा-पार से आतंकवाद में कमी आई थी। उन्होंने जो कहा था मैं वह उद्धृत करता हूं:

> ''सेना की तैनाती से पाकिस्तान पर दबाव बना और पाकिस्तानी राष्ट्रपति को 12 जनवरी और 27 मई के अपने भाषणों के माध्यम से 'जेहाद' से अपना समर्थन वापस लेना पड़ा।'' उन्होंने आगे कहा था:
>
> ''पाकिस्तान में कुछ आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित किया गया था, पाक-अधिकृत कश्मीर में कुछ आतंकवादी शिविरों को बंद किया गया था, उनके खातों में किसी भी प्रकार के लेन-देन पर रोक लगा दी गई थी और नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। गत वर्ष की इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में इस वर्ष घुसपैठ में काफी कमी आई है।''

रक्षा मंत्रालय द्वारा इस अधिकारिक राय से सदन को अवगत कराया गया था। आगे यह भी बताया गया है:

> ''विचित्र बात यह है कि विदेश मंत्रालय के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि परवेज मुशर्रफ की 27 मई की घुसपैठ समाप्त करने की घोषणा के बाद भी 175 दिन की अवधि में ऐसी घटनाओं और मारे गये नागरिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। पहले के 1403 की तुलना में 27 मई के बाद ऐसी 1624 घटनाएं घटीं और पहले के 442 की तुलना में 582 नागरिकों की हत्याएं हुईं।''

अब विदेश मंत्रालय इन आंकड़ों का प्रचार कर यह कह रहा है कि सीमा-पार से आतंकवाद में वृद्धि हुई है और ऐसी गतिविधियां जारी हैं। रक्षा मंत्रालय यह दावा कर रहा है कि सेना की तैनाती के कारण इनमें कमी आई है। इससे सरकार के पूरे रवैये और जानकारी के संबंध में पूर्णतया उलझन पैदा हो गई है।

इसलिए मैं दृढ़तापूर्वक यह महसूस करता हूं कि यह बात इतनी महत्वपूर्ण है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी को अगले सप्ताह आकर इसे स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के विरोधाभासी प्रचार से परवेज मुशर्रफ को ही शक्ति मिलेगी न कि सीमा-पार से आतंकवाद का सामना करने के संकल्प में इस देश के लोगों को।

अत: मैं यह मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री जी को इन गलतफहमियों को दूर करना चाहिए और इस मुद्दे को स्पष्ट करते हुए यह बताना चाहिए कि रक्षा मंत्रालय सही है या विदेश मंत्रालय सही है ...*(व्यवधान)* हम कोई भ्रम पैदा नहीं कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता कि इसे हल्के से लिया जाए। सरकार सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति जवाबदेह है और इस मुद्दे पर दो मंत्रालयों की अलग-अलग अवधारणा नहीं हो सकती। इससे केवल परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान को मदद मिल रही है। अत: मेरे विचार से सरकार जवाबदेह है और चूंकि दो मंत्रालयों के बीच मतभेद है अत: प्रधानमंत्री को इस मुद्दे को पूरे देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री आएं और इस पूरे मुद्दे पर स्पष्टीकरण दें ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): नहीं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्यों नहीं? महोदय, मैं सरकार से उत्तर चाहता हूं ...*(व्यवधान)* महोदय, यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे हल्के से लिया जाए ...*(व्यवधान)* सरकार को उत्तर देना ही पड़ेगा क्योंकि यह मुद्दा मुख्य विपक्षी दल की ओर से उठाया गया है ...*(व्यवधान)* सरकार इस मुद्दे पर चुपचाप नहीं बैठ सकती ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: रक्षा मंत्री को सुनना पड़ेगा, तभी यह होगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए, मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, जब एक मुद्दे पर दो मंत्रालयों के बीच मतभेद हैं तो केवल प्रधानमंत्री ही इस स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं ...*(व्यवधान)* महोदय विधि मंत्री यहां बैठे हैं और ऊर्जा मंत्री भी यहां बैठे हैं। वे मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन्हें उत्तर देना चाहिए कि क्या इन दोनों मंत्रालयों के बीच यह भ्रम सही है अथवा क्या प्रधान मंत्री इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे ...*(व्यवधान)* महोदय, विदेश मंत्रालय कह रहा है कि इन घटनाओं में कमी नहीं आई है जबकि रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कमी आई है। महोदय, हम इसका उत्तर चाहते हैं ...*(व्यवधान)* यदि सरकार उत्तर नहीं देगी है तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, ये आज पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रौंगली बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप पाकिस्तान के खिलाफ तीन महीने से बोल रहे हैं। हम नेहरू जी के समय से बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कोआपरेट करिए। सब को बोलने का नम्बर आ जाएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सदन में तीन कैबिनेट मंत्री उपस्थित हैं। मैं आपसे इसे माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाने का अनुरोध करूंगा।

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): महोदय, मैं इसे माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में ले आऊंगा।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल के मेरे जिले बांकुरा में जंगली हाथियों का खतरा बना हुआ है। जंगली हाथी मेरे जिले में रालमा पहाड़ियों, जो झारखंड में स्थित है, से घुस आते हैं। महोदय, इन जंगली हाथियों ने करोड़ों रुपये की फसल बर्बाद कर दी है। यहां तक कि गरीबों की झोपड़ियां भी इन जंगली हाथियों ने तोड़ डाली है।

पश्चिम बंगाल सरकार इन लोगों को मुआवजा दे रही है परन्तु उन्हें पूरा-पूरा मुआवजा देना राज्य सरकार के लिए कठिन है। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल राज्य को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करे। मैं केन्द्र सरकार से मेरे जिले बांकुरा में एक अभ्यारण बनाने का भी अनुरोध करता हूं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): महोदय, मैं सभी राज्यों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए खड़ी हुई हूं। यह मामला स्थायी समिति में भी उठाया गया है। यह भारत सरकार द्वारा मुख्य सचिवों के माध्यम से हाल ही में दिए गए उस आदेश के संबंध में है कि वन क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को बिना किसी विलम्ब के बेदखल कर दिया जाये। वास्तव में, 30 सितम्बर की तिथि दी गई है और सूचनाएं जारी कर दी गई हैं।

महोदय, केवल एक जिले में ही, जहां से मैं संबधित हूं, 33,000 परिवारों को बेदखल करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में ऐसे और हजारों परिवार हैं और सभी राज्य इससे प्रभावित हैं। असम जैसे अन्य राज्यों में यह समस्या बहुत गंभीर है। जमीन ही नहीं है। मैं विशेष रूप से उत्तरी कनारा का उल्लेख कर रही हूं जहां चार जल-विद्युत परियोजनायें, एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और अब वहां सी-बर्ड नौसेना परियोजना है जहां सारी उपलब्ध भूमि या तो जलमग्न हो गई है अथवा पुनर्वास हेतु उसका उपयोग कर लिया गया है और 80 प्रतिशत जिले को वन्य भूमि या आरक्षित वन घोषित कर दिया गया है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि ये सब लोग कहां जाएं और सरकार इन्हें कहां बसाने जा रही है। हम यह मामला पहले उठा चुके हैं और कई बार बिना किसी मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के आदेश का उल्लेख किया जाता था। यह एक कानून और व्यवस्था संबंधी प्रश्न भी बनता जा रहा है क्योंकि हिंसात्मक प्रदर्शन आरंभ हो चुके हैं। ये छोटे लोग हैं जहां एक परिवार के पास आधा एकड़ या चौथाई एकड़ भूमि ही है। वहां कोई बड़ा उद्योग नहीं है, वहां कोई प्रदूषण नहीं है और फिर भी जमीनी सच्चाई का आंकलन किए बिना ही ऐसे आदेश जारी कर दिए गए हैं।

मैं सरकार से इस भारी विपदा, जो कि आम आदमी पर आ रही है, को टालने हेतु सरकार से आवश्यक कदम उठाने के लिए कह रहा हूं। महोदय, मैं चाहता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री हन्नान मोल्लाह, आपको उनसे सम्बद्ध कर दिया जायेगा। श्री नरेश पुगलिया, आपको भी उनके साथ सम्बद्ध कर दिया जाएगा। अब श्री नवल किशोर राय।

...(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: मुझे अपना अंतिम वाक्य पूरा करने दें *...(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, एक करोड़ जनजातीय लोग प्रभावित होंगे। यह एक बहुत गंभीर समस्या है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महोदय, मैंने अपना अंतिम वाक्य पूरा नहीं किया है।

मैं केवल यह कह रही हूं कि देश को हरा-भरा रखने और 33 प्रतिशत वन क्षेत्र को बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल कुछ जिलों पर डालकर अन्य को इससे मुक्त नहीं रखा जा सकता। सरकार को एक योजना बनानी चाहिए कि देश में प्रत्येक राज्य में न्यूनतम कितने वन क्षेत्र की आवश्यकता है ताकि हरियाली का समान वितरण हो सके और जनजातीय लोगों को भी विकास का लाभ मिले।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य से आता हूं। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना के फरीदपुर गांव के राशिदा खातून और मोहम्मद इलियास के तीन बच्चे 15 दिन के अंदर भूख से मर गये। यह खबर प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया में बड़े पैमाने पर छपी। साथ ही निजी चैनल पर इन भूख से मरने वाले बच्चों की खबर आई। मैंने खुद जाकर उस परिवार को देखा और पाया कि वे बच्चे भूख से तड़प-तड़प कर मर गये। जिला प्रशासन, प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत के अन्य अधिकारियों तथा निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों की जब एक आम सभा हुई तो उसमें सर्वसम्मति से तय किया गया कि गांव फरीदपुर में एक परिवार सब से ज्यादा गरीब है। इसलिए अन्नपूर्णा अन्ना योजना, अंत्योदय योजना के तहत उनकी जीवन रक्षा के लिए उन्हें लाल कार्ड जारी किया जाये लेकिन आम सभा की सहमति के बाद भी इस परिवार को न अंत्योदय योजना में और न ही अन्नपूर्णा अन्न योजना या काम के बदले अनाज योजना में शामिल किया गया। जब उन भूखों से तड़पते हुए बच्चों के मरने की खबर मीडिया में आई तो बिहार सरकार ने इस खबर को दबाने के लिए मुजफ्फरपुर के एक होम्योपैथिक चिकित्सक मोहम्मद बशीर द्वारा तंत्र-मंत्र की कहानी गढ़ी और मोहम्मद इलियास को फंसाया जा रहा है। हाई कोर्ट के एक वकील के नेतृत्व में मानवाधिकार संरक्षण संगठन में वहां जाकर इस मामले की जांच की गई जिसकी जांच रिपोर्ट मेरे हाथ में है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकरण की जांच हाई कोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश से कराई जाये और होम्योपैथिक चिकित्सक को हटाया जाये तथा पीड़ित लोगों को जो फंसाया जा रहा है, उन्हें बचाया जाये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, भगवान बुद्ध महानिर्वाण के बाद जब वैशाली से केसरिया जा रहे थे तो वैशाली के लोग उनका साथ नहीं छोड़ रहे थे। उन्हें लौटाने के लिए उन्होंने एक भिक्षापात्र दिया तब वैशाली के लोग लौटे। डा. श्रीधरन वासुदेव सोहानी, पूर्व मुख्य सचिव, बिहार सरकार जो एक बड़े इतिहासकार भी हैं, ने इस के बारे में लिखा है। इसके अलावा श्रीमती लक्ष्मी मैनन, उप-सचिव, विदेश मंत्रालय और श्री हक्सर, जो अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत थे, उन्होंने पाया कि भगवान बुद्ध का वही भिक्षापात्र अफगानिस्तान में है। उस भिक्षापात्र का फोटो खिंचवाकर यहां भेजने का काम किया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि भगवान बुद्ध ने जो भिक्षापात्र वैशाली के लोगों को दिया था, उसे तलाश करके यहां मंगाये और वैशाली को लौटाये।

अध्यक्ष महोदय, भगवान बुद्ध का अस्थि कलश खुदाई में मिला था, उसे विश्व धरोहर घोषित किया जाये क्योंकि आज से 2600 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने विश्व को शान्ति का संदेश दिया था। इसलिए वह भिक्षा पात्र और अस्थि कलश को विश्व धरोहर घोषित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया 2-2 मिनट में अपनी बात पूरी करें।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एम्बरनाथ में कार्पोरेटर और आर.पी.आई. के अध्यक्ष श्री गायकवाड़ की हत्या 8 नवम्बर को कर दी गई थी। अभी तक इस मामले में ठीक से जांच नहीं हो रही है।

अपराह्न 1.00 बजे

हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि एक दलित कर्मचारी की हत्या हुई है। इसलिए इसकी सी.बी.आई. के द्वारा इंक्वायरी होनी चाहिए, यही हमारी मांग है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया): अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट और केन्द्र सरकार के दबाव में बिहार में पंचायत, नगर निकाय और जिला परिषद के चुनाव हो गये। एक साल से ऊपर होने जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा पंचायतों को कोई अधिकार नहीं दिये गये। मुखिया, ब्लाक प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष या सदस्यों को कोई अधिकार सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। कल भी हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पंचायत को पूर्ण अधिकार दिए जाएं। पंचायत को संविधान सम्मत 29 विभाग प्राप्त हैं, लेकिन इनमें से एक भी विभाग के अधिकार मुखिया, ब्लाक प्रमुख को नहीं दिये गये हैं। जब कि हाई कोर्ट ने पेपर्स के द्वारा संज्ञान लिया है और इस बारे में बार-बार कहा है। लेकिन आज तक वहां विकास का कोई पैसा नहीं जा सका। प्रधान मंत्री सड़क योजना का 400 करोड़ रुपया बिहार सरकार को दिया गया। देश के विभिन्न राज्यों में प्रधान मंत्री सड़क योजना चालू है। इसमें दोबारा फंड चला गया है। लेकिन बिहार में पहले जो राशि गई थी, वह काम भी पूरा नहीं किया गया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इतना लम्बा भाषण नहीं हो सकता है। आप एक मिनट में समाप्त करिए। मैंने दो-दो मिनट सबको देने हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: यहां तक बिहार में पेयजल की यह स्थिति है कि इस मद में 425 करोड़ रुपया बिना खर्च हुए रखा हुआ है। मेरी केन्द्र सरकार से सिर्फ यह मांग है कि केन्द्र सरकार यहां से आदेश दे कि निश्चित रूप से पंचायत राज में संविधान के संगत जो नियम और कानून हैं, वे बिहार में अक्षरश: लागू हों। इस कारण से केन्द्र सरकार ने जो पैसा नहीं दिया है, वह पैसा रिलीज किया जाए और उस पैसे पर यहां से एक जांच कमेटी बने, जो प्रधान मंत्री सड़क योजना का पैसा तथा पंचायत राज का पैसा है, जो केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है, वह डायरेक्ट बिहार सरकार को न दिया जाए। बिहार सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप न हो।

अध्यक्ष महोदय: अब आप बैठिये, दूसरे सदस्यों को भी मौका मिलना चाहिए। इसके आगे कुछ मत बोलिए वे जो भी बोलेंगे, केवल वही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित होगा।

*...(व्यवधान)**

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहां कोई काम नहीं होता है, वहां सड़कें भी नहीं बनाई जाती हैं। राज्य में लोग रोज मरते हैं। क्रिमिनल्स भाग जाते हैं और पुलिस आराम से पहुंचती है। डेवलपमैन्ट न होने का यही सबसे बड़ा कारण है। श्री पप्पू यादव जी की बात का मैं समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अभी उड़ीसा के सदस्य बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): महोदय, मैं सभा का ध्यान और साथ ही सरकार का ध्यान एक बड़ी तेल कंपनी द्वारा लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय के संबंध में आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूं *...(व्यवधान)* यह एक बड़ी तेल कंपनी भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा लिए गये निर्णय के संबंध में है, जिसका प्रभाव इस देश के तेल उद्योग की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। इतना ही नहीं, इसका प्रभाव उड़ीसा जैसे गरीब राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। इतना ही नहीं यह अप्रत्यक्ष रूप से इस देश के माननीय प्रधान मंत्री का अनादर है।

दो वर्ष पूर्व जून, 2002 में देश के प्रधान मंत्री अपनी बीमारी के बावजूद पारादीप, उड़ीसा गये थे। उन्होंने पारादीप में 12,000 करोड़ रुपये की तेलशोधन परियोजना की आधारशिला रखी थी। यह देश की एक बड़ी परियोजना है जो बनने वाली है। उड़ीसा सरकार ने इस परियोजना के लिए 3,500 एकड़ से भी अधिक की भूमि दी है। उड़ीसा सरकार ने 11 वर्ष के लिए बिक्री कर के रूप में 20,000 करोड़ रुपये के कर राहत की तैयारी दर्शायी है। परंतु आश्चर्य है कि आईओसीएल ने किन्हीं कारणों से इस परियोजना को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तक टालने का निर्णय किया है। इसका प्रभाव उड़ीसा की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। इसका प्रभाव देश की तेल कंपनियों पर भी पड़ने वाला है।

अखबारों में यह रिपोर्ट आई है कि यह निर्णय एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी रिलायन्स ग्रुप के दबाव के अंतर्गत लिया गया है जो अपनी तेल परिशोधन परियोजनाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार करने वाली है। इसका प्रभाव उड़ीसा पर पड़ेगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं, मुझे आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना मिली है।

श्री प्रसन्न आचार्य: इसलिए, पेट्रोलियम मंत्रालय आईओसीएल को पारादीप की इस परियोजना को न टालने पर राजी करें और मंत्रालय आईओसीएल को कार्य तत्काल आरंभ करने और इसे निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए राजी करें *...(व्यवधान)*

श्री वी.एस. शिवकुमार (तिरूवनन्तपुरम): महोदय, मैं कोलम से कोवलम तक राष्ट्रीय जलमार्ग नं. 3 के विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

कोलम से कोट्टापुरम राष्ट्रीय जलमार्ग नं. 3 का दक्षिण की ओर कोवलम तक 86 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 78 कि.मी. की लंबाई के विस्तार का प्रस्ताव सिद्धांतत: स्वीकृत हो चुका है।

नए जलमार्गों के लिए दसवीं योजना परिव्यय में 24 करोड़ रुपये की अत्यल्प राशि का ही योजना आयोग ने प्रावधान किया है।

चूंकि माननीय प्रधान मंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष हैं इस कारण मैं उनसे आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि वह कृपया इस मामले पर दखल दें और इस प्रावधान को कम से कम 100 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए तत्काल कार्रवाई करें।

मैं सरकार से कोलम से कोवलम तक के जलमार्ग नं. 3 को विस्तार की शीघ्राताशीघ्र घोषणा करने का निवेदन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, परभनी आल इंडिया रेडियो को फुल-फ्लैज्ड केन्द्र बनाने के लिए मैंने

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बार-बार कोशिश की, किन्तु अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है।

अध्यक्ष महोदय: आपकी आवाज ठीक नहीं हो, तो इस विषय को सोमवार को रखें क्योंकि यह आल इंडिया रेडियो का मामला है।

श्री सुरेश रामराव जाधव: सर, मेरी आवाज ठीक है।

अध्यक्ष महोदय: अब आवाज ठीक हो गई।

श्री सुरेश रामराव जाधव: हमारे क्षेत्र की जनता की 20-25 साल से मांग चली आ रही है कि परभनी आकाशवाणी केन्द्र को पूर्ण केन्द्र का दर्जा दिया जाए। सर, 1983 और 1992 में भी औरंगाबाद और परभनी आकाशवाणी केन्द्र को पूर्ण केन्द्र का दर्जा देने के आदेश दे दिए गए, लेकिन अभी तक उन्हें पूर्ण केन्द्र का दर्जा नहीं मिला है।

महोदय, मजे की बात यह है कि दिनांक 21.11.2002 को मुम्बई दूरदर्शन से एक पत्र गया कि परभनी आकाशवाणी केन्द्र को पूर्ण केन्द्र का दर्जा प्रदान कर दिया गया है, लेकिन दिनांक 26.11.2002 को एक दूसरा आदेश दिया गया कि परभनी आकाशवाणी केन्द्र का पूर्ण केन्द्र का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। यानी कुछ दिन पहले ही पूर्ण केन्द्र का दर्जा दिए जाने का पत्र जाता है और कुछ दिन बाद ही उसे समाप्त करने का पत्र भेज दिया गया।

मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि हमारा परभनी आल इंडिया केन्द्र मुम्बई और पूना के आकाशवाणी केन्द्र जब बने थे तभी वह बना था और इस प्रकार वह अत्यन्त पुराना आकाशवाणी केन्द्र है। उसे पूर्ण आकाशवाणी केन्द्र का दर्जा देने हेतु आप सरकार को निर्देशित करें। इतनी ही मेरी मांग है।

श्रीमती रीना चौधरी (मोहनलालगंज): अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठे हुए सांसदों को ज्ञात होगा कि संसद के सभी सदस्यों से उनके संसदीय क्षेत्र में टी.ए.सी. के पांच-पांच सदस्य बनाने हेतु अनुशंसाएं मंत्रालय द्वारा मांगी गई थी। मैंने भी अपने संसदीय क्षेत्र के पांच नामों की अनुशंसा मंत्रालय को प्रेषित कर दी जिसका स्वीकृति पत्र भी मुझे मंत्रालय की ओर से प्राप्त हो गया है, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इतना समय बीतने के बाद भी मेरे द्वारा अनुशंसित पांच व्यक्तियों में से केवल एक का टेलीफोन लगा है और चार का नहीं लगा। जबकि आज हिन्दुस्तान के सभी सांसदों द्वारा अनुशंसित टी.ए.सी. सदस्यों के टेलीफोन लग चुके हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि बाकी चार टी.ए.सी. मैम्बरों के टेलीफोन भी तत्काल लगाए जाएं क्योंकि समय व्यतीत होता जा रहा है और यह इस अवधि की भी उनके दो वर्ष के कार्यकाल में से कटौती होगी। मेरा संसदीय क्षेत्र मोहनलालगंज है।

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण जनहित के मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी आबादी वाला औद्योगिक, व्यापारिक और मजदूरों का नगर है। वहां 18 सितम्बर से न्यायपालिका का काम पूर्णत: बन्द है। वहां न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं, उनमें और वकीलों में विवाद के कारण कानपुर के सारे मुकदमे वहां से 80 किलोमीटर दूर फतेहपुर को प्रेषित कर दिए गए हैं। फतेहपुर में केवल 13 अदालतें हैं जबकि कानपुर में 56 अदालतें थीं। दो महीने से कानपुर के 50 हजार से ज्यादा नागरिक दौड़कर फतेहपुर जाते हैं और वहां केवल तारीखें दी जा रही हैं। 18 सितम्बर, 2002 से यह काम चल रहा है और दोनों अपनी-अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सरकार हस्तक्षेप करे और सारे मुकदमे कानपुर में स्थानांतरित करने हेतु अपनी ओर से आदेश दे।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में दो चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं जिन्हें विगत वर्षों में राष्ट्रपति द्वारा हिन्दुस्तान की सबसे अच्छी चीनी मिलें होने का अवार्ड भी दिया जाता रहा है, परन्तु कुप्रबंधन के कारण आज यह स्थिति आ गई है कि किसानों को गन्ना आपूर्ति का पैसा भी नहीं मिल रहा है।

महोदय, अभी कुछ दिन पहले हमारे एक सिख कास्तकार थे, जिन्हें गन्ने का पैसा नहीं मिला और जिनकी जमीन नदी से कटाव में चली गई। उन्होंने नदी में डूब कर आत्महत्या कर ली। गन्ना किसान आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में इन दो चीनी मिलों से 5 लाख की जनसंख्या में अंधेरा छाया हुआ है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र के अंधेरे को दूर करने और जनता में खुशहाली लाने के लिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के गन्ना किसानों को बचाने के लिए और इन दोनों मिलों को चलाने के लिए, जिनमें से एक का नाम सरजू सहकारी चीनी मिल, बिलरायां है और दूसरी का नाम किसान सहकारी चीनी मिल, संपूर्णानन्द है, इनको भारत सरकार की ओर से विशेष अनुदान के रूप में 70-70 करोड़ रुपए दिलाने की कृपा करें जिससे ये दोनों चीनी की मिलें चल सकें और किसानों की जिन्दगी बच सके।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में दो कमियां हैं। एक यह है कि वहां स्थायी प्रदर्शनी मैदान नहीं है। दूसरा, हरिद्वार में मनसा माता के मंदिर पर जाने के लिए रोपवे की व्यवस्था की गई है, वैसे ही जयपुर में नहरगढ़, जयगढ़, आमेर, गलता आदि सभी स्थान पहाड़ पर स्थित हैं, वहां जाने के

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

लिए रोपवे की व्यवस्था होनी चाहिए। राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ है इसलिए वहां की सरकार के पास रोपवे लगाने के लिए पैसा नहीं है। मेरा कहना है कि वहां रोपवे की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पर्यटक, विशेषकर वृद्ध लोग आसानी से जाकर उन स्थानों को देख सकें।

मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि वह जयपुर शहर में रोपवे लगाने के लिए राजस्थान सरकार को पैसा दे ताकि वे उन दर्शनीय स्थानों पर रोपवे लगा सकें।

श्री राम टहल चौधरी (रांची): अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। झारखंड में अति पिछड़ों की संख्या 40 प्रतिशत है। बिहार में अति पिछड़ों को बराबर आरक्षण मिलता रहा है। झारखंड में भी एक साल मिला है परन्तु इस साल अति पिछड़ों को जो आरक्षण मिलना चाहिए था, वह नहीं दिया गया है। इससे लोगों में काफी आक्रोश है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि अति पिछड़ों को पहले जैसा आरक्षण मिलता था, वैसा ही आरक्षण मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैं आपका और आपके माध्यम से सरकार का बेरोजगारी से संबंधित समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हाल के वर्षों में इस समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। सरकार ने एक करोड़ बेरोजगार युवकों को नौकरी देने का आश्वासन दिया था। तथापि सरकार इस संबंध में कोई व्यापक नीति अभी तक सामने नहीं लाई है। इसके अतिरिक्त कोई राष्ट्रीय युवक नीति भी नहीं है।

महोदय आज हजारों की संख्या में नवयुवक आ रहे हैं और जंतर-मंतर के सामने धरना दे रहे हैं। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं ताकि उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक राष्ट्रीय युवा नीति बनाई जा सके।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, इस वर्ष केरल में वर्षा के घटकर 40 प्रतिशत ही रहने के कारण वहां सूखा पड़ा है।

महोदय, उन सभी राज्यों जिन्होंने यह दिखाया कि उनके यहां 25 प्रतिशत तक कम वर्षा हुई है को सूखा प्रभावित घोषित कर दिया गया था और उनको 10,000 करोड़ रुपये का लाभ मिला जिसकी घोषणा केन्द्र सरकार ने की है।

अब, मैं केन्द्र सरकार को भी यहां दोष नहीं दे सकता क्योंकि यह बात अपने आप में स्पष्ट है कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा ज्ञापन नहीं दिया गया है। केरल के राजस्व मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि, उस समय इस प्रकार का ज्ञापन, जिलानुसार और क्षेत्रानुसार नहीं दिया जा सका। इसे बाद में दिया जाएगा।

अब, समस्या यह है कि समय हाथ से निकल चुका है और अब इस काम को करना पूर्णतः कठिन हो सकता है। इसलिए, अब केरल के लोगों की स्थिति यह है कि हजारों लोग इस समस्या से प्रभावित हुए हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री पी.सी. थामस, आप अपनी बात अब सरकार से कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामसः इसलिए, मैं यहां सरकार से यह निवेदन करता रहा हूं कि व्यवस्था में भी बदलाव होना चाहिए। मान लीजिए कि संबंधित प्राधिकारियों से उचित ज्ञापन नहीं आता है तो ऐसा न हो कि देश के उस भाग के लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़े। इसलिए एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिससे ऐसे मामलों में भारत सरकार भी लोगों को मदद करने के लिए हस्तक्षेप कर सके और आवश्यक कार्रवाई कर सके।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वह उन क्षेत्रों में सूखा राहत के तौर पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता या अन्य प्राकृतिक आपदा राहत सहायता के तौर पर भी देने के लिए कदम उठाये, भले ही संबंधित प्राधिकारी अपने कार्य में असफल हो जाएं। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि संसद में संबधित व्यक्तियों पर उत्तरदायित्व निश्चित करने और उसके अनुसार सजा देने के लिए एक विधान होना चाहिए क्योंकि इससे लोगों को काफी नुकसान हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सूखा प्रभावित क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में अकाल पड़ा हुआ है। वहां किसानों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इसी के साथ-साथ वहां किसान क्रेडिट कार्ड भी नहीं बांटे जा रहे हैं। किसानों को सिंचाई के लिए तथा रबी की फसल लगाने के लिए ऋण की आवश्यकता है, लेकिन वह भी नहीं मिल रहा है। वहां के सम्पूर्ण किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू की गई है लेकिन उसकी राशि भी उनको नहीं मिल रही है।

मेरा कहना है कि वहां आम नागरिक जो जीविकोपार्जन करना चाहते हैं, रबी की फसल लगाना चाहते हैं, उनको इसकी भी सुविधा नहीं मिल रही है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के सूखा प्रभावित इलाकों में सम्पूर्ण क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए लागू की जाये।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार की दृष्टि एक गंभीर मामले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आपको भी मालूम होगा कि असम के आदिम जाति (इंडीजिनस बोडो) ट्राईबल लोग काफी साल पहले से एक अलग बोडोलैंड राज्य की मांग को लेकर घमासान आन्दोलन कर रहे हैं, लेकिन आज भी भारत सरकार की तरफ से और असम सरकार की तरफ से बोडोलैंड मुद्दे का समाधान करने के लिए जिस ढंग से आगे बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ पाए हैं। इसलिए उस इलाके में आतंकवाद की परिस्थिति (सिचुएशन) गंभीरतम हो गई है। मैं आग्रह करता हूं कि भारत सरकार बोडोलैंड की मांग को अतिशीघ्र ही स्वीकार करके इस समस्या को स्थायी रूप से हल करें।

[अनुवाद]

महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि वह ज्वलंत बोडो मामले पर स्थायी, सम्माननीय और स्वीकार्य राजनीतिक समाधान लाने के लिए एक ठोस और प्रभावी नीतिगत निर्णय ले क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, पिछले 50 वर्षों से ही भारत के संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी जनजातीय लोगों को पहले ही संविधान के छठी अनुसूची के अंतर्गत या तो स्वयं के अलग प्रांतीय राज्य या स्वयं के स्वायत्त जिलों को बनाने के लिए आत्मनिर्णय के लिए न्यूनतम राजनीतिक अधिकार दिये गये हैं परन्तु दुर्भाग्य से, पहाड़ियों से भी अधिक जनसंख्या होने के बावजूद समग्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय लोगों व असम के मैदानी जनजातीय लोग बोडो को स्वतंत्रता के बाद भी पिछले पांच दशकों से संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत न्यूनतम संवैधानिक प्रावधानों से वंचित रखा गया है।

इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि, ज्वलंत बोडोलैंड मामले के लिए स्थायी और सम्माननीय राजनैतिक समाधान लाने के लिए ठोस और प्रभावी नीतिगत निर्णय ले ताकि इस महान देश भारत के बोडो लोग अन्य लोगों के बराबरी में अपनी अलग भाषा, संस्कृति, स्वयं की जातिगत पहचान बनाते हुए पूरे सम्मान के साथ इस देश में रह सकें और देश के अन्य हिस्से के बराबरी में विकास और स्वयं की बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकें।

अध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' की सभी सूचनाएं समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए, सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.13 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.13 बजे पुन: समवेत हुई।

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* **हुए]**

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) दूसरा संशोधन विधेयक और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक

सभापति महोदय: सभा अब विचार करने और पारित करने के लिए विधेयकों को लेगी। मद संख्या 14 और 15 ।

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णामूर्ति): महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें): अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय दो विधेयक विचार किए जाने के लिए लंबित पड़े हैं। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि दोनों विधेयकों पर एक साथ विचार किया जाए। एक विधेयक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कुटुम्ब पेंशन से संबंधित है और दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुटुम्ब पेंशन से संबंधित है। दोनों अधिनियमों में समान संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है इसलिए दोनों के लिए दिए जाने वाले कारण और तर्क भी एक से हैं।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया है, सभा दोनों विधेयकों पर एक साथ विचार करेगी।

सभापति महोदय: हम दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा करेंगे।

श्री के. जना कृष्णामूर्ति: महोदय, मैंने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तों से संबंधित सरकारी संशोधन भी प्रस्तुत किया है। यह एक तकनीकी गलती थी। प्रिन्ट में इसका दूसरा संशोधन के रूप में उल्लेख किया गया था। परन्तु इस संबंध में पहले कोई संशोधन नहीं हुआ है।

इस विधेयक को पहले पुर:स्थापित किया गया था किन्तु इस पर विचार नहीं किया गया था। इसलिए इसे पुन: पुर:स्थापित किया गया है और त्रुटिवश इसे दूसरा संशोधन के रूप में पेश किया गया है। अब शब्द 'दूसरा' का लोप किया जाए। इसके लिए एक सरकारी संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है।

इन विधेयकों में जो संशोधन प्रस्तुत किये जा रहे हैं वे बहुत सरल हैं। उनमें विसंगति को दूर करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1986 से पहले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पारिवारिक पेंशन की गणना अंतिम आहरित वेतन के आधार पर की जाती थी। बाद में, न्यायाधीशों ने इच्छा व्यक्त की कि उनकी पारिवारिक पेंशन का परिकलन उनको प्राप्त पेंशन को आधार मानकर किया जाए। इस प्रकार 1.1.1986 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीशों ने प्राप्त किये गये वेतन की विशेष प्रतिशतता के आधार पारिवारिक पेंशन प्राप्त की। जबकि 1.1.86 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीशों ने अपनी पेंशन की प्रतिशतता के आधार पर पारिवारिक पेंशन प्राप्त की। इन परिस्थितियों में विसंगति पैदा हुई। उन न्यायाधीशों को जिन्होंने अंतिम आहरित वेतन के आधार पर परिकलित पारिवारिक पेंशन लेने का विकल्प दिया था, उन्हें अपेक्षाकृत अधिक धनराशि प्राप्त हुई तथा उन न्यायाधीशों को जिन्होंने प्राप्त पेंशन के आधार पर परिकलित पारिवारिक पेंशन लेने का विकल्प दिया था, अपेक्षाकृत कम धनराशि प्राप्त हुई। इस प्रकार यह विसंगति पैदा हुई।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक मामला भी था जिसमें निर्णय दिया गया था। उस मामले में केन्द्र सरकार एक पक्षकार थी। मैं उस निर्णय के अंतिम पैरे को पढ़ने के लिए अध्यक्षपीठ की अनुमति चाहता हूं। यह एक छोटा पैरा है। इसमें लिखा है:

> ''अतएव, पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का विश्लेषण करने के पश्चात् हमारा यह मत है कि एक कैबिनेट सचिव की तुलना में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दी जाने वाली परिवारिक पेंशन के भुगतान के मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसलिए हम केन्द्र सरकार को यह निदेश देते हुए इस रिट याचिका की अनुमति देते हैं कि याचिकाकर्त्ता को देय पारिवारिक पेंशन की गणना उसको संदेय पेंशन के आधार पर न करके उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन के आधार पर की जाए।''

जैसा कि बताया गया है इस संबंध में भी एक विसंगति है। केबिनेट सचिव द्वारा आहरित पारिवारिक पेंशन तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा आहरित पारिवारिक पेंशन में अंतर था। इसलिए इन संशोधन विधेयकों में इन विसंगतियों को दूर करने के प्रयास किए गए हैं।

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक के खंड 2 में यह उल्लेख किया गया है कि:

> ''उनको ग्राह्य पेंशन के साठ प्रतिशत की दर से परिकलित पारिवारिक पेंशन'' के स्थान पर ''उनके वेतन का पचास प्रतिशत'' प्रतिस्थापित किया जाए।
>
> ''और तत्पश्चात् इस प्रकार ग्राह्य पारिवारिक पेंशन के आधे की दर से'' के स्थान पर ''और तत्पश्चात् उनके वेतन के तीस प्रतिशत की दर से'' प्रतिस्थापित किया जाए।
>
> बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत परिकलित पारिवारिक पेंशन की राशि का इस अधिनियम के तहत न्यायाधीश को संदेय पेंशन से किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होगी।''

ठीक इसी प्रकार, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2002 के खण्ड 2 में यह उल्लेख किया गया है कि:

> ''ग्राह्य पेंशन के साठ प्रतिशत की दर से परिकलित पारिवारिक पेंशन'' के स्थान पर ''उनके वेतन के पचास प्रतिशत की दर से परिकलित पारिवारिक पेंशन'' प्रतिस्थापित किया जाए।
>
> ''और तत्पश्चात् इस प्रकार ग्राह्य पारिवारिक पेंशन के आधे की दर से'' के स्थान पर ''और तत्पश्चात् उनके वेतन के लिए तीस प्रतिशत की दर से'' प्रतिस्थापित किया जाए।
>
> ''पारिवारिक पेंशन ग्राह्य पेंशन की तीस प्रतिशत होगी'' के स्थान पर ''पारिवारिक पेंशन उनके वेतन की तीस प्रतिशत होगी'' प्रतिस्थापित किया जाए।''

इस प्रकार यह एक सरल संशोधन है जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के

न्यायाधीशों की पारिवारिक पेंशन का परिकलन उनकी पेंशन की प्रतिशतता के रूप में न करके उनके वेतन की प्रतिशतता के रूप में किया जाए। यह बिल्कुल सरल मामला है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये संशोधन विधेयक एक विसंगति को दूर करने के लिए लाए गए हैं।

इसलिए, मैं इन संशोधन विधेयकों को पारित करने के लिए पूरे सदन का सहयोग चाहता हूं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

कार्यमंत्रणा समिति ने इन विधेयकों को बिना चर्चा किए पारित करने का निर्णय लिया है। तथापि, कुमारी ममता बनर्जी इस पर बोलना चाहती हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, मैं इस मामले में सभा का अधिक समय नहीं लूंगी। मैं पांच मिनट के भीतर अपना भाषण समाप्त करूंगी।

मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि यह स्थगन योग्य प्रस्ताव है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन विधेयकों में ये संशोधन करने का अनुरोध किया था। मुझे माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ एक अनुरोध करना है। यद्यपि यह विधेयक न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तों से संबंधित है फिर भी हमें यथासंभव शीघ्र न्यायिक सुधार करने चाहिए।

महोदय, यदि आप सूची को देखें तो पायेंगे कि हमारे देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों, निचली अदालतों और जिला न्यायालयों में लाखों मामले लंबित पड़े हैं। न्याय में देरी का अर्थ है न्याय का न मिलना। आम आदमी सही समय पर न्याय प्राप्त नहीं कर पाता।

निस्संदेह, न्यायाधीशों का ख्याल रखना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो मुझे पता है कि कभी-कभी यहां तक कि जिला न्यायाधीशों, सब-डिविजनल न्यायाधीशों और स्थानीय न्यायाधीशों को न्यायालयों तक आने-जाने हेतु वाहन के लिए पुलिस पर निर्भर रहना पड़ता है। जब भी वे न्यायालय आते हैं तो इसके लिए पुलिस को अपनी कार भेजनी पड़ती है क्योंकि उनके पास अपनी कारें नहीं होती। वे कार के लिए कभी पुलिस पर निर्भर करते हैं तो कभी स्थानीय प्रशासन पर।

हमारा मानना है कि वे आत्म-निर्भर होने चाहिए। न्यायपालिका को साफ-सुथरा होना चाहिए। कोई राजनैतिक दखल नहीं होना चाहिए। इस वजह से व्यापक न्यायिक सुधार किये जाने की नितांत आवश्यकता है।

वर्तमान में न्याय व्यवस्था काफी महंगी हो गयी है। गरीब लोगों के लिए यह काफी मुश्किल है कि वे केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आदि स्थानों से दिल्ली आएं और यहां आकर सर्वोच्च न्यायालय में अपने मुकदमों की सुनवाई करवाएं। वे काफी मुश्किल से दिल्ली आ पाते हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिक से अधिक न्यायपीठों की स्थापना की जानी चाहिए। इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि न्यायिक सुधारों के लिए व्यापक कार्ययोजना बनायी जाए तो इससे सभी को लाभ होगा।

सभापति महोदय, मैं मात्र एक सूचना से सभा को अवगत करा रही हूं। हाल ही में बंगाल में स्टाम्प शुल्क में भारी वृद्धि की गयी है। यह वृद्धि करीब 1000 प्रतिशत है। इसकी वजह से उच्च न्यायालय सहित बार एसोसिएशनों व स्थानीय अदालतों ने पिछले 15 दिनों से अपना कामकाज बंद कर दिया है। जबकि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को स्टाम्प शुल्क कम करने का अनुदेश दे रही है, पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टाम्प शुल्क में 1000 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है और इस वजह से सभी वकीलों, बैरिस्टर, बार एसोसिएशनों ने पिछले 15 दिनों से अपना काम रोक दिया है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे बार एसोसिएशन से बात करें जो कि उच्च न्यायालय अथवा बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्य होते हैं ताकि इस मसले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके। लोगों को न्याय मिलना चाहिए। यदि राज्य सरकार उनसे बात नहीं कर रही है तो यह केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उनसे बात करें।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करती हूं तथा इन विधेयकों को लाने के लिए माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 3

"दूसरा" का लोप किया जाए। (1)

(श्री के. जना कृष्णामूर्ति)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: अब माननीय मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री के. जना कृष्णामूर्ति: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा उच्च न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक पर चर्चा करेगी।

श्री के. जना कृष्णामूर्ति: महोदय, पिछले विधेयक के लिए मैंने जो तर्क दिए थे वे इस विधेयक पर भी लागू होंगे। इस विधेयक को पारित करने के लिए मुझे सभा का सहयोग चाहिए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम, विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री के. जना कृष्णामूर्ति: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.27 बजे

शरणार्थी सहायता कर (उत्सादन) निरसन विधेयक

[अनुवाद]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल): महोदय, मैं श्री जसवंत सिंह की ओर से, प्रस्ताव करता हूं:

"कि शरणार्थी सहायता कर (उत्सादन) अधिनियम, 1973 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।'

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि शरणार्थी सहायता कर (उत्सादन) अधिनियम, 1973 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं जानता हूं कि यह एक बहुत ही सरल संशोधन है; यह केवल विधेयक का निरसन है।

इस बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने तथा पुनर्वास का विकास करने के लिए शरणार्थी सहायता कर लगाए गए थे।

किंतु यह कार्य पूरी तरह पूरा नहीं किया गया खास तौर से देश के पूर्वी भाग में मैं सरकार का ध्यान इन समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं जो देश का पूर्वी भाग, विभाजन के बाद से झेल रहा है। बिना किसी चीज के साथ लिए बहुत से लोग इस ओर आ गए थे। कम से कम देश के पश्चिम भाग में 'संपत्तियों का आदान-प्रदान' इत्यादि तो हुआ था किंतु पूर्वी भाग में लोग बिना कुछ लिए ही आ गए वे खाली हाथ और पूरी तरह शरणार्थी के तौर पर आये थे। केवल देश के पश्चिमी भाग के लिए पुनर्वास प्रदान करके केन्द्रीय सरकार ने भेदभाव वाला रवैया अपनाया। इसलिए, देश के पूर्वी भाग के प्रति भेदभाव किया गया चूंकि लाखों लोगों का अभी भी पुनर्वास किया जाना है। पूर्वी क्षेत्र के लिए यह एक गंभीर समस्या है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने देश के उन हिस्से में शरणार्थियों के शेष पुनर्वास कार्य को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति हेतु एक योजना प्रस्तुत की थी। यह योजना सरकार के पास अभी तक लम्बित पड़ी हुई है।

अब सरकार विधेयक का निरसन कर रही है। सरकार समझती है कि उस प्रकार के कार्य हेतु कर की वसूली की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। मैं यह भी जानता हूं कि दूसरे मामलों में ऐसे कर एकत्र करना समाप्त कर दिया गया है। इस बारे में, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस पर विचार करे तथा देखे कि लाखों बेघर, बेरोजगार और आधे-अधूरे ढंग से रह रहे ऐसे लोगों का पूरा पुनर्वास किया जाए। सरकार को इस मामले की पुनरीक्षा करनी चाहिए और उचित योजनाएं बनानी चाहिए। तत्कालीन पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पूर्ण पुनर्वास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की 500 करोड़ रुपये मंजूर किए जाने की मांग पर भी सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि वर्ष 1947 से जम्मू और कश्मीर में 30 हजार शरणार्थी सिख रह रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आये थे और इनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली है। इन राज्य विहीन लोगों को मताधिकार भी प्राप्त नहीं है और इनके पास राशनकार्ड भी नहीं है। ये लोग जम्मू-कश्मीर राज्य में सम्पत्ति नहीं खरीद सकते हैं।

भारत सरकार ने शरणार्थियों की स्थिति के संबंध में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वह इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करे।

भारत में तिब्बती शरणार्थी अभी भी रह रहे हैं। इसलिए मेरा विचार है कि इस अधिनियम का निरसन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बल्कि, जब तक शरणार्थियों की सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक इस अधिनियम को संविधि पुस्तक में रखा जाना चाहिए और सभी सिखों जो राज्य विहीन हैं, को भारतीय नागरिकता दी जानी चाहिए। कश्मीर में उनके मामले पर विचार किया जाना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, श्री हन्नान मोल्लाह एवं अन्यों द्वारा शरणार्थियों से संबंधित समस्या उठाये जाने की मैं प्रशंसा करता हूं। महोदय, आप सहमत होंगे कि भारत में शरणार्थी या तो पाकिस्तान से आते हैं या फिर बंग्लादेश से। खास तौर पर देश के पूर्वी भागों-पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शरणार्थी बांग्लादेश से आए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी और मुजिबुर रहमान तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू और लियाकत अली खान के बीच हुए समझौतों के अनुसार मार्च 1971 से पहले भारत आए शरणार्थी भारतीय नागरिक माने जाएंगे।

मुख्य समस्या यह है कि कई कालोनियों को अभी तक पूर्ण स्वामित्व (फ्रीहोल्ड) अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। सिद्धांत रूप से तो भारत सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था और इसके लिए धन भी स्वीकृत किया था किंतु अभी भी कई कालोनियों को नियमित किया जाना है। दूसरे, राजनैतिक एवं अन्य कारणों से शरणार्थियों को उचित पुनर्वास नहीं मिल रहा है। मैं आपको बता सकती हूं कि वे अभी भी बहुत सी कालोनियों को स्वामित्व अधिकार नहीं मिले हैं। पहले वहां शरणार्थी पुनर्वास निगम हुआ करता था किंतु अब वह बंद हो चुका है। मैं जानती हूं कि सरकार ने शरणार्थियों के लिए बहुत से कार्य किए हैं। यह भी सच है कि ये शरणार्थी हमारे देश में खास परिस्थितियों में खाली हाथ आए थे। इसलिए, हमें उनकी समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। उन पर और अधिक कर नहीं लगाए जाने चाहिए। उन्हें करों में रिआयत मिलनी चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगी कि वे राज्य सरकार से यह पता लगाएं कि वहां कितनी शरणार्थी कालोनियां हैं और उनमें से कितनी कालोनियां नियमित की जा चुकी हैं और उनमें

[श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल]

से कितनी कालोनियों को स्वामित्व अधिकार दिया गया है? यदि उन्हें स्वामित्व अधिकार नहीं दिए गए हैं तो इसके क्या कारण हैं? क्या मंत्री महोदय मामले को राज्य सरकार के साथ उठाएंगे और हमें अद्यतन स्थिति से अवगत कराएंगे?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं, यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूं।

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): महोदय, माननीय सदस्यों ने इस निरसन विधेयक पर बोलते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। हमने शरणार्थियों को राहत देने के लिए विभिन्न अधिनियम लागू किए हैं। कुमारी ममता बनर्जी और अन्य माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लेते हुए कुछ सुझाव दिए हैं। हमने उन सभी बातों को नोट किया है और हम आगे समय आने पर उन पर सावधानीपूर्वक विचार करेंगे। जहां तक शरणार्थियों से संबंधित अन्य मामले हैं हम उन पर अलग से विचार करेंगे।

मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। अब, मैं सभा से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि शरणार्थी सहायता कर (उत्सादन) अधिनियम, 1973 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: आप दोनों मंत्री उत्तरदायित्व निभा रहे हैं।

प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.36 बजे

समयोपरि भत्ते की दरों में संशोधन संबंधी अधिनिर्णय को अस्वीकार करने के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि यह सभा संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम् की योजना के पैरा 21 के निबंधनों के अनुसार कार्यालयीय और तुलनीय कर्मचारियों के लिए समयोपरि भत्ते की दरों में संशोधन करने और इस भत्ते की ग्राह्यता हेतु ऊपरी वेतन सीमा को बढ़ाने के बारे में माध्यस्थम् बोर्ड द्वारा 1981 के सी.ए. संदर्भ संख्या 6 में दिए गए अधिनिर्णय को अस्वीकार करने संबंधी सरकार के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करती है क्योंकि इस अधिनिर्णय के कार्यान्वयन से बकाया भुगतानों के रूप में 460 करोड़ रुपये से अधिक और 54 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का आवर्ती व्यय होगा, जिसके परिणामस्वरूप अल्प संसाधनों का अपयोजन विकासात्मक व्यय के बजाय गैर उत्पादक व्यय पर होगा तथा इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।"

मैं, सभा के माननीय सदस्यों के प्रति कृतज्ञ हूं जिन्होंने संसाधनों की अत्यंत कमी की वजह से माध्यस्थम बोर्ड द्वारा दिए गए अधिनिर्णय को अस्वीकार करने संबंधी सरकार के निर्णय के कारक, सभी पहलुओं के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया है। माननीय सदस्यों ने यह नोट किया होगा कि यह अधिनिर्णय 18 नवम्बर, 1982 को दिया गया था जिसमें समयोपरि भत्ते (ओ.टी.ए.) की उपरि-सीमा को प्रतिमाह 750 रु. से बढ़ाकर 900 रु. प्रतिमाह किया गया था। यह चौथे वेतन आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान के

अनुसार प्रतिमाह 2,200 रु. और 2,500 रु. की राशि तथा समयोपरि भत्ते की दर में बढ़ोत्तरी करके परिलब्धियों की दर (प्रति घंटे की दर) का सवा गुना करने के समतुल्य है।

उपरोक्त अधिनिर्णय को चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग के पास भेजा गया था जिन्होंने समयोपरि भत्ता के निरसन की सिफारिश की थी और इसीलिए अधिनिर्णय पर विचार नहीं किया था। तदनुसार, अधिनिर्णय को अस्वीकृत कर दिया गया और तात्कालीन प्रक्रिया के अनुसार नवम्बर, 1997 में एक विवरण सभा में रखा गया। तथापि, 1989 में लागू जे.सी.एम. प्रक्रिया के अनुसार सरकार के निर्णय पर संसद की स्वीकृति अपेक्षित है। इसलिए इस संकल्प का प्रस्ताव करने की आवश्यकता पड़ी।

विभिन्न सरकारें वर्ष 1992 से लेकर अब तक विभिन्न समयों पर इस मामले की समीक्षा करती रही हैं, परन्तु किसी ने भी प्रतिकूल प्रभावों के मद्देनजर इस अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं किया है। इस समय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि चौथे और पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने ही सरकारी कार्यालयों में समयोपरि भत्ता दिए जाने की प्रणाली को बंद करने की सिफारिश की थी।

इसमें काफी व्यापक प्रभाव हैं और अभी किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 1998-99 के दौरान बकाया राशि 460.25 करोड़ रुपये थी जिसमें प्रतिवर्ष 54 करोड़ रुपये की आवर्ती वृद्धि हो रही है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रतिकूलत: प्रभावित करेगी। इस अधिनिर्णय को अधिनिर्णय की तिथि (18 नवम्बर, 1982) से लागू करना और भी अधिक कठिन होगा क्योंकि समयोपरि भत्ते के अभिलेख उपलब्ध नहीं होंगे और अब तक काफी संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके होंगे। कार्यान्वयन की स्थिति में, समयोपरि भत्ते की उपरि-सीमा 1 दिसंबर, 1990 से, जब उपरि-सीमा 750 रु. से संशोधित करके 2200 रु. कर दी गयी थी, 900 रु. से संशोधित करके 2500 रु. करने की भी आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, जैसा कि कर्मचारियों की ओर से विभिन्न मंचों से समयोपरि भत्ते की वर्तमान दर को पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों के अनुसार पुन: संशोधित करने की मांग की जा रही है, इस मांग को मान लिए जाने की स्थिति में वर्तमान में 2200 रु. (900 रु. के स्थान पर नियत किए जाने की हालत में 2500 रु.) के सैद्धांतिक वेतन के रूप में दिए जाने वाले समयोपरि भत्ते की इस उपरि सीमा को भी संशोधित करना पड़ेगा। केन्द्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर आने वाला खर्च लगातार बढ़ता रहा है। यह 1996-97 में 19,955 करोड़ रुपए था जो 1997-98 में बढ़कर 26,938 करोड़ रुपए हो गया और उसके बाद 1998-99 में बढ़कर 31,066 करोड़ रुपया हो गया। यदि सशस्त्र बलों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्तशासी निकायों आदि पर आने वाले खर्च को भी जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़े काफी बढ़ जाएंगे। केन्द्र सरकार द्वारा पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आलोक में अतिरिक्त लाभों की अनुमति दिए जाने का राज्य सरकारों पर भी प्रभाव पड़ा है।

मैं इस संबंध में यह भी बताना चाहती हूं कि विभिन्न समयोपरि भत्ता योजनाओं के तहत समयोपरि भत्ता पर आने वाला सरकार का खर्च लगातार बढ़ता रहा है। विभिन्न श्रेणी के केन्द्र सरकार कर्मचारियों को दिए गए सम्पूर्ण वेतन पैकेज और भत्तों में की गई बढ़ोत्तरी के बावजूद यह वृद्धि रही है और वह भी उस समय जब रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए काफी धन की जरूरत है।

मैं सभा को यह बताना चाहती हूं कि वर्ष 1966 में जे.सी.एम. योजना के लागू किए जाने के समय से अब तक माध्यस्थम बोर्ड द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए 168 अधिनिर्णयों में से 152 अधिनिर्णयों को सरकार पहले ही लागू कर चुकी है। सरकार व कर्मचारी यूनियनों के बीच आपसी समझौता के आधार पर जे.सी.एम. योजना के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार सरकार आमतौर पर माध्यस्थम बोर्ड के अधिनिर्णयों को स्वीकार कर लेती है तथा वह अपवादस्वरूप सिर्फ वैसे ही मामलों से संबधित अधिनिर्णयों को अस्वीकार करती है जो अत्यंत खास व प्रामाणिक हों तथा जिसमें वैसे वित्तीय संकट की संभावना हो जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अथवा सामाजिक न्याय का सिद्धांत प्रभावित होता हो।

वर्तमान परिस्थितियों में, इस अधिनिर्णयों को अस्वीकार किया जाना पूर्णत: न्यायसंगत है। इसलिए, मैं इस अधिनिर्णय को अस्वीकार करने के लिए माननीय सदस्यों की आभारी हूं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि श्री बसुदेव आचार्य, श्री पवन कुमार बंसल और श्री जी.एम. बनातवाला ने श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा प्रस्तावित संकल्प में संशोधनों हेतु नोटिस दिए हैं। चूंकि श्री बसुदेव आचार्य और श्री पवन कुमार बंसल द्वारा दी गयी संशोधनों की सूचनाएं एक ही तरह की हैं, उनमें से केवल एक व्यक्ति ही संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है।

इसलिए, मैं श्री बसुदेव आचार्य को संशोधन करने का प्रस्ताव करने हेतु आमंत्रित करता हूं जिन्होंने समय के हिसाब से नोटिस पहले दिया है। मैं समझता हूं वह अनुपस्थित हैं। श्री पवन कुमार बंसल भी अनुपस्थित हैं। श्री जी.एम. बनातवाला भी अनुपस्थित है। उन्होंने नोटिस दिए हैं; परन्तु वे सभा में उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है:

''कि यह सभा संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम् की योजना के पैरा 21 के निबंधनों के अनुसार कार्यालयीय

[सभापति महोदय]

और तुलनीय कर्मचारियों के लिए समयोपरि भत्ते की दरों में संशोधन करने और इस भत्ते की ग्राह्यता हेतु ऊपरी वेतन सीमा को बढ़ाने के बारे में माध्यस्थम बोर्ड द्वारा 1981 के सी.ए. संदर्भ संख्या 6 में दिए गए अधिनिर्णय को अस्वीकार करने संबंधी सरकार के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करती है क्योंकि इस अधिनिर्णय के कार्यान्वयन से बकाया भुगतानों के रूप में 460 करोड़ रुपये से अधिक और 54 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का आवर्ती व्यय होगा, जिसके परिणामस्वरूप अल्प संसाधनों का अपयोजन विकासात्मक व्यय के बजाय गैर उत्पादक व्यय पर होगा तथा इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.42 बजे

निजी सचिवों को विशेष वेतन देने संबंधी अधिनिर्णय को अस्वीकार करने के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): महोदय मैं प्रस्ताव करती हूं:

''कि यह सभा संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम् की योजना के पैरा 21 के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिवों (विलीन श्रेणी 'क' और 'ख') को 6 अक्तूबर, 1987 से विशेष वेतन देने के बारे में माध्यस्थम बोर्ड द्वारा 1991 के सी.ए. संदर्भ मामला सं. 02 में दिनांक 4 फरवरी, 1993 को दिए गए अधिनिर्णय को अस्वीकार करने संबंधी सरकार के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करती है क्योंकि इस अधिनिर्णय के कार्यान्वयन से मार्च, 2000 तक बकाया भुगतानों के रूप में 8.38 करोड़ रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का आवर्ती व्यय होगा, जिसके परिणामस्वरूप अल्प संसाधनों का अपयोजन विकासात्मक व्यय के बजाय गैर-उत्पादक व्यय पर होगा तथा इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।''

इसकी अस्वीकृति के कारणों और औचित्य दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखा गया है। अतिरिक्त वित्तीय भार, अन्य विभागों पर प्रभाव, इसी तरह तैनात विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय सहित विभिन्न प्रभावों पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने इसे कार्यान्वयन योग्य नहीं पाया है और सरकार के पास इस निर्णय की अस्वीकृति की सिफारिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

मैं सभा से इस संकल्प को स्वीकृत करने का अनुरोध करती हूं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि श्री बसुदेव आचार्य, श्री पवन कुमार बंसल और श्री जी.एम. बनातवाला ने श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा प्रस्तावित संकल्प में संशोधन की सूचनाएं दी हैं। चूंकि श्री बसुदेव आचार्य और श्री पवन कुमार बंसल द्वारा दी गई संशोधन की सूचनाएं एक जैसी है अत: इनमें से कोई एक संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है।

अत: मैं संशोधन का प्रस्ताव करने हेतु श्री बसुदेव आचार्य को आमंत्रित कर रहा हूं जिनकी सूचना पहले प्राप्त हुई है। मेरे विचार से वे अनुपस्थित हैं। श्री पवन कुमार बंसल भी अनुपस्थित हैं। श्री जी.एम. बनातवाला भी अनुपस्थित हैं।

प्रश्न यह है:

''कि यह सभा संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम् की योजना के पैरा 21 के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिवों (विलीन श्रेणी 'क' और 'ख') को 6 अक्तूबर, 1987 से विशेष वेतन देने के बारे में माध्यस्थम् बोर्ड द्वारा 1991 के सी.ए. संदर्भ मामला सं. 02 में दिनांक 4 फरवरी, 1993 को दिए गए अधिनिर्णय को अस्वीकार करने संबंधी सरकार के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करती है क्योंकि इस अधिनिर्णय के कार्यान्वयन से मार्च, 2000 तक बकाया भुगतानों के रूप में 8.38 करोड़ रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का आवर्ती व्यय होगा, जिसके परिणामस्वरूप अल्प संसाधनों का अपयोजन विकासात्मक व्यय के बजाय गैर-उत्पादक व्यय पर होगा तथा इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.44 बजे

आशुलिपिक ग्रेड 'घ' के वेतनमानों में संशोधन संबंधी अधिनिर्णय को अस्वीकार करने के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

> ''कि यह सभा संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम् की योजना के पैरा 21 के निबंधनों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'घ' के वेतनमानों में 6 दिसम्बर, 1991 से ऊर्ध्वगामी संशोधन करने के बारे में माध्यस्थम् बोर्ड द्वारा 1992 के सी.ए. संदर्भ सं. 11 में दिनांक 30 जुलाई, 1998 को दिए गए अधिनिर्णय को अस्वीकार करने संबंधी सरकार के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करती है क्योंकि इस अधिनिर्णय के कार्यान्वयन से दिसम्बर, 1999 तक बकाया भुगतानों के रूप में 32.36 करोड़ रुपये से अधिक और 6.45 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का आवर्ती व्यय होगा, जिसके परिणामस्वरूप अल्प संसाधनों का अपयोजन विकासात्मक व्यय के बजाय गैर-उत्पादक व्यय पर होगा तथा इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय के सिद्धान्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।''

इसकी अस्वीकृति के कारणों और औचित्य को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है। इस संबंध में अतिरिक्त वित्तीय भार, अन्य विभागों पर प्रभाव, इसी प्रकार तैनात अन्य श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय सहित विभिन्न प्रभावों पर विचार करने के बाद सरकार ने यह पाया कि यह कार्यान्वयन योग्य नहीं है और सरकार के पास इस अधिनिर्णय को अस्वीकृत करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

मैं सभा से इस संकल्प को स्वीकृत करने का अनुरोध करती हूं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे इस सभा को यह सूचित करना है कि श्री बसुदेव आचार्य और श्री जी.एम. बनातवाला ने श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा रखे गए संकल्प में संशोधन की सूचनाएं दी हैं। श्री बसुदेव आचार्य और श्री जी.एम. बनातवाला अनुपस्थित हैं।

प्रश्न यह है:

''कि यह सभा संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम् की योजना के पैरा 21 के निबंधनों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'घ' के वेतनमानों में 6 दिसम्बर, 1991 से उर्ध्वगामी संशोधन करने के बारे में माध्यस्थम् बोर्ड द्वारा 1992 के सी.ए. संदर्भ सं. 11 में दिनांक 30 जुलाई, 1998 को दिए गए अधिनिर्णय को अस्वीकार करने संबंधी सरकार के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करती है क्योंकि इस अधिनिर्णय के कार्यान्वयन से दिसम्बर, 1999 तक बकाया भुगतानों के रूप में 32.36 करोड़ रुपये से अधिक और 6.45 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का आवर्ती व्यय होगा, जिसके परिणामस्वरूप अल्प संसाधनों का अपयोजन विकासात्मक व्यय के बजाय गैर-उत्पादक व्यय पर होगा तथा इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, अब सभा के समक्ष कोई कार्य नहीं हैं।

सभापति महोदय: क्या सभा की बैठक को अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित कर दिया जाये।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): महोदय, सभा के स्थगन की बजाय गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य समय से पहले आरम्भ कर दिया जाये।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, सभा की बैठक स्थगित करने की बजाय गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को समय से पहले प्रारम्भ करना बेहतर होगा।

अपराह्न 2.46 बजे

कार्यमंत्रणा समिति

तैंतालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी, श्री प्रमोद महाजन की ओर से कार्यमंत्रणा समिति का तैंतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.46$^{1}/_{2}$ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के अट्ठाईसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री डेंजिल बी. एटकिन्सन (नामनिर्दिष्ट): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 27 नवम्बर, 2002 को सभा में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के अट्ठाइसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 27 नवम्बर, 2002 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के अट्ठाइसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.47 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प

गोवध पर प्रतिबंध

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह सभा अब गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के अंतर्गत संकल्प पर विचार करेगी। अन्यथा हमें सभा स्थगित करके पुन: अपराह्न 3.00 बजे समवेत होना पड़ेगा।

यह सभा अब मद सं. 20 अर्थात श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा करेगी। अब श्री भर्तृहरि महताब अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मुझे अपना भाषण जिसे अचानक 26 जुलाई को रोक दिया गया था। जारी रखने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं यहां श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि समस्त देश में गाय और गोवंश के वध पर पाबंदी लगाने के लिए एक उपयुक्त संकल्प लाया जाए।

मैंने पहले भी बताया था कि हमारी भूमि ही ऐसी एकमात्र भूमि है जहां हमें चार माताओं का आशीर्वाद प्राप्त है अर्थात माता वह है जिसके गर्भ में हम नौ महीने से अधिक का समय बिताते हैं, जन्मभूमि जहां हम रहते हैं, गंगा माता जो हमारे इस देश के जीवन को आधार देने वाली है और इसके साथ-साथ हम गौ माता की भी पूजा करते हैं।

मैं सभा को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि एक शताब्दी पूर्व बाल गंगाधर तिलक ने और साथ ही महात्मा गांधी ने भी विभिन्न कालमों में अपने लेखों द्वारा गौवध पर पाबंदी लगाने का प्रचार किया था। यह दु:ख की बात है कि स्वतंत्रता के 55 साल बाद भी अभी तक गौवध पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। इसके लिए जो भी अधिनियम या कानून है, उसे दो राज्यों को छोड़ कर सभी जगह आवश्यक रूप से लागू किया गया है।

इसे राज्य की विषय सूची में रखा गया है। केवल केन्द्र सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में गाय लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में कानून को कार्यान्वित किया है। परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है, देश के केवल दो राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल और केरल ने अभी भी गौवध पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

हम सभी जानते हैं कि पशुधन देश की कृषि उन्मुख अर्थव्यवस्था को बनाए रखने और उसमें सुधार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गांवों और ग्रामीण क्षेत्र में सामान लाने-ले जाने का 70 प्रतिशत से भी अधिक कार्य पशुओं की सहायता से ही किया जाता है। इसलिए उनकी संख्या में अत्यधिक कमी करने से ग्रामीण क्षेत्र में जीवन गंभीर रूप से अस्त-व्यस्त हो जाएगा।

महोदय, आप यह जानकर अचंभित होंगे कि सरकार ने निर्यात इकाइयां, मशीनीकृत वधशाला शुरू करने के लिए राजसहायता दी है, मुझे इस सरकार का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु एक भी वधशाला विदेशों से कोई संसाधन प्राप्त नहीं कर पाई है। मैं यह बताना चाहता हूं कि खाद्यान्नों और चारे के उत्पादन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है अत: वे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है। परन्तु 1990 के दशक में सरकार ने घोषणा की कि मांस का निर्यात एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र होगा और इसके लिए सरकार ने प्रोत्साहन और राजसहायता भी प्रदान की। सरकार ने एक नीति बनाई और उसके बाद से मांस

के निर्यात में बढ़ोत्तरी हुई है। 2000-01 में इस देश से 2,68,000 टन मांस का निर्यात किया गया। यह कहा गया कि यह देश के कुल उत्पादन का केवल 4 प्रतिशत है। यदि आप इस देश के आंकड़ों पर विचार करे तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रति वर्ष 67 लाख टन मांस का उत्पादन होता है। एक पूरी तरह विकसित भैंस से 75 किलो मांस प्राप्त होता है। यह औसतन 330 किलो शरीर के वजन से प्राप्त होता है। मोटे तौर पर यह कहा जाता है कि नौ करोड़ पशुओं का वध किया जा रहा है।

इसका एक दूसरा दिलचस्प पहलू भी है, हालांकि यह भी गंभीर है। योजना आयोग ने दसवीं योजना में इसके लिए अपनी एक नीति बनाई है। उन्होंने अपनी मंशा यह बताई है कि वह मांस के निर्यात से अपनी 1000 करोड़ रुपये की वर्तमान आय को दुगुना करना चाहता है। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के एक उप समूह को सम्बद्ध किया गया। कुछ पहले, मैंने मांस निर्यात से जुड़ी समस्या और इसके ग्रामीण अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से गौ और गौवंश पर इसके प्रभाव पर माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया था। यह अर्थव्यवस्था संबंधी पहलू है जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं गौ और गौवंश के साथ हमारे भावात्मक लगाव और उनके साथ जुड़े होने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। सरकार को मांस निर्यात को हतोत्साहित करना चाहिए। मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि उसे मांस के निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए कदम उठाने चाहिए क्योंकि यह अदूरदर्शितापूर्ण नीति है। इसे लाखों मूक प्राणियों के अंधाधुंध वध को भी हतोत्साहित करना चाहिए। इस कार्य को हतोत्साहित किये जाने का तर्क केवल भावनात्मक या धार्मिक रूप से नहीं किया गया है बल्कि निष्पक्ष अध्ययन से भी यह सिद्ध किया गया है कि समाज को इस संदर्भ में मिलने वाले लाभ की तुलना में हानि ही अधिक है।

विशेष रूप से आरएसएस के सरसंघ चालक श्री सुदर्शन ने हाल ही में हुए एक सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों को यह अपील की थी कि वे गौवध पर पाबंदी का समर्थन करें। इसके लिए हमें इस सभा में आम राय बनाने की आवश्यकता है। इसे धार्मिक मुद्दा नहीं समझना चाहिए और इसे भावनात्मक मुद्दे में भी नहीं बदलना चाहिए। लेकिन गौवध पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर 1960 के दशक के अंत में भी चर्चा की गई थी और उस समय गौवध पर पाबंदी के लिए आंदोलन भी हुआ था परंतु उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं हुआ।

महोदय, मैं कानूनी पहलू का भी उल्लेख करना चाहता हूं। संसद ने इस प्रयोजनार्थ एक कानून आया है। मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ महीनों पूर्व उस समय की तत्कालीन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्रीमती मेनका गांधी के आदेश या निर्देश पर उत्तर प्रदेश में पशुओं से भरी ट्रेन को रोका गया था। गौवंश और गौ को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-ले जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में इस संसद द्वारा एक कानून बनाया गया है। केवल दुधारू गायें ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है और एक ट्रेन के डिब्बे में कितनी गायें ले जाई जा सकती हैं, इसकी भी एक निर्धारित सीमा है। श्रीमती मेनका गांधी ने उत्तर प्रदेश में गायों के लाने-ले जाने को रोकने के निर्देश दिये थे जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है और समाचार पत्रों में भी यह बात छपी है परंतु वास्तव में क्या हुआ? क्या यह इन्हें लाना ले जाना बन्द हुआ?

मैं उस राज्य से हूं जहां पशुओं के झुंड के झुंड हर रोज आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़ भेजे जाते हैं। यह हर रोज होता है और पशुओं को कोई चारा दिये बिना उन्हें अमानवीय ढंग से लम्बी दूरी के लिए चलाया जाता है। वास्तव में उनके साथ क्या होता है? उनको कौन खरीदता है? किस प्रयोजन के लिए उन्हें कैसे लाया ले जाया जाता है? मैं श्री अनन्त नायक जो उड़ीसा के क्योंझर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं को याद दिलाना चाहता हूं कि उनके यहां मनोहरपुर में एक कायरतापूर्ण घटना घटी। ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कारण है? इस घटना में जो लोग शामिल थे, अब उन पर मुकदमा चला रहा है और उसे लोगों का बहुत समर्थन मिला। उन्हें लोगों का समर्थन क्यों मिला? क्योंकि इसका संबंध उस भावनात्मक लगाव से है जो हमारा गौ के साथ है।

अपराह्न 2.59 बजे

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुई*]

मैं यहां दो या तीन सुझाव देना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* यह बात वास्तव में दिलचस्प है कि यहां यह मामला श्री कानूनगो उठा रहे हैं। क्यों और किन परिस्थितियों में कि आदमी गाय बेचने पर मजबूर होता है? हमारे देश में बेची जाने वाली दुधारू गायों का प्रतिशत क्या है? यह आर्थिक मुद्दा है। मैं नहीं जानता कि भारत सरकार या अन्य राज्यों के कृषि मंत्रालय के पास ये आंकड़े हैं। गौवंश और गौ का अनुपात क्या है जिन्हें बेचा जाता है? बेचे और खरीदे जा रहे भैंसो का अनुपात क्या है और कितनी दुधारू गायें बेची जा रही हैं? कितनी गायों को मांस, चमड़े और खालों के लिए बेचा जा रहा है? जब हम कह रहे हैं कि हमें गौवध पर पाबंदी लगानी है तो मेरे विचार से इन सब आंकड़ों पर बहस करने का यह उचित समय नहीं है।

[श्री भर्तृहरि महताब]

अपराह्न 3.00 बजे

परंतु हम सभी जानते हैं कि गौ और गौवंश ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों या किसानों का जीवन आधार है। यह एक ऐसा धन है जिनके माध्यम से वे अपने धान के खेतों में भैंसों का उपयोग करके न केवल अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं बल्कि उनसे उनके समाज में उनके आर्थिक स्तर का भी पता चलता है।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि पशुओं पर अत्याचार रोकने की आवश्यकता है और गौवंध पर पाबंदी के साथ-साथ सभा द्वारा एक पशु अधिभार आयोग भी गठित किये जाने की आवश्यकता है। यह मानव अधिकार आयोग की तरह ही अनिवार्य है। चेन्नई में पशु कल्याण बोर्ड है परन्तु हमारे यहां पशु अधिकार आयोग नहीं है जिसके माध्यम से संसद द्वारा बनाए गये कानून को हम लागू कर सकें।

इस संबंध में मैं सभा का ध्यान कुछ महीनों पूर्व पशु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष न्यायाधीश गुमान मल लोढा के दौरे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): वे संसद के सदस्य थे।

श्री भर्तृहरि महताब: जी हां, वे संसद सदस्य थे। कुछ महीनों पूर्व वे भुवनेश्वर गये थे और उन्होंने कटक का भी दौरा किया था। उन्होंने भुवनेश्वर के पास एक उपेक्षणीय गांव जादुपुर का अचानक दौरा किया था जहां उनकी आंखों के सामने दो बैल और एक गाय मारी गयी थी। यह पिछले छ: से आठ महीने पहले की बात है। उन्होंने वहां धरना दिया। सरकार घबरा गई क्योंकि इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा होती। परंतु वे अपनी बात पर अड़े रहे क्योंकि उड़ीसा में इस संबंध में एक कानून है।

मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जादुपुर में यह घटना बड़ी क्रूरतापूर्ण घटी। परंतु इसका प्रभाव यह पड़ा कि जब अखबारों में इसकी खबर छपी तो नंदनकानन चिड़ियाघर में मांस की कोई आपूर्ति नहीं की गई। मैं नहीं जानता कि हम इसके बारे में पहले जानते थे। उसके बाद ही सबको इस बात की जानकारी हुई कि इस चिड़ियाघर में हर रोज मांस भेजा जाता था। मैं नहीं जानता कि दिल्ली और देश के अन्य भागों में चिड़ियाघर में मांस की आपूर्ति के संबंध में क्या स्थिति है परन्तु उड़ीसा में चिड़ियाघर में प्रतिदिन मांस की आपूर्ति की जाती है और अचानक उस चिड़ियाघर के किसी भी ठेकेदार द्वारा मांस की आपूर्ति न किए जाने से मांसाहारी जीव जिनका खाद्य मांस है, भूखे रह गये और ऐसा एक महीने से भी अधिक समय तक रहा।

उसके बाद सरकार ने कानून में परिवर्तन करने का निर्णय लिया। परंतु कानून में कहा गया है कि पशु चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किये जाने पर एक पशु को मारा जा सकता है और ऐसा आवश्यक रूप से हर जगह होता है कि प्रमाणपत्र हासिल कर लिए जाते हैं। अत: उन लोगों, जो मांस, चमड़ा और खाल आदि का व्यवसाय करते हैं, को उस अधिकारी द्वारा इस आशय का एक प्रमाणपत्र देना पड़ता है कि फलां गाय वध के लिए उपयुक्त है। यह सब पशुचिकित्सक पर निर्भर करता है।

मेरे विचार से इसमें सुधार करने की आवश्यकता है और विशेषकर केन्द्र सरकार के कृषि मंत्रालय को भी इसे हतोत्साहित करने का प्रयत्न करना चाहिए। परंतु जैसी कि 12 वर्ष पूर्व परिपाटी बनाई गयी है कि हमें अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए अधिक मांस निर्यात करना चाहिए। इसको हतोत्साहित करना चाहिए। इसी के साथ मैं एक और बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा जो कई लोगों के लिए अरुचिकर हो सकती है, कि सामान्यतया यह माना जाता है कि हिंदू मांस नहीं खाते।

हम किस हिंदू समाज की बात कर रहे हैं? क्या यह वही समाज है जिसमें महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन का नेतृत्व किया था? जब महात्मा गांधी सभी हरिजनों और दलितों को इसमें लाना चाहते थे तब उससे पूर्व यह हिंदू समाज क्या था? जब उन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष किया था।

मैं अध्यक्षपीठ का ध्यान 90 के दशक के आरंभ और 80 के दशक की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जब उड़ीसा के एक दूर-दराज के क्षेत्र रायगढ़ के काशीपुर जिले में लोग मरे थे। वहां यह पाया गया कि वहां के जनजातीय और दलित समाज के लोगों में मृत पशुओं, विशेषकर गाय और भैंस के सूखे मांस को नमक लगाकर महीनों तक संरक्षित रखने की प्रवृत्ति है। एक बार इसमें फफूंद लग गई तो वह खाने के योग्य नहीं रह जाता यदि वे उसे खाते हैं तो उससे एन्थ्रैक्स हो जाता है। एन्थ्रैक्स से उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं। ऐसा 80 के दशक में हुआ था। ऐसा 90 के दशक में हुआ था। इस दशक में गत दो वर्षों के दौरान ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होता था और अभी भी दूर-दराज के क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है।

महात्मा गांधी और हरिजन आंदोलन का महानतम योगदान, जिसने पूरे समाज को प्रभावित किया था, यह था कि हिंदु समाज एक हो गया। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था, परन्तु उससे पूर्व मैं यह कहने की स्वतंत्रता लेना चाहूंगा कि जब 1993-94 में स्वामी विवेकानन्द विदेश गए तो उन्होंने दावा किया था कि हिन्दू गाय का मांस नहीं खाते। उस समय उन्होंने शायद हिन्दू समाज के इस तबके को अलग-थलग कर दिया था क्योंकि वह

दलितों को हिंदू समाज का अंग नहीं मानता था। परंतु आज हमारे पास एक हिंदू समाज है, जो एक बड़ा समाज है। महाभारत में 'किरात' का उल्लेख है परन्तु रामायण में नहीं है क्योंकि महाभारत का परिदृश्य बड़ा था जिसे बहुत बाद में लिखा गया, जैसा कि बताया जाता है। अत: हिन्दू समाज में धीरे-धीरे विस्तार हुआ है और आज भी बढ़ रहा है। इस इक्कीसवीं सदी में हमारे पास एक पहले से बड़ा हिंदू समाज है। यही वह समय है जब हमें प्रत्येक बात को स्वास्थ्य की दृष्टि से देखना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं यह कहना चाहूंगा कि हालांकि मैंने अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं देखी है लेकिन हमारे समाज में सामान्यतया यह माना जाता है कि नियमित रूप से गाय का मांस या कोई अन्य मांस खाने से हम कुष्ठ रोग की ओर अग्रसर होते हैं। अभी मैंने इस पर कोई चिकित्सकीय रिपोर्ट नहीं देखी है। मैंने बहुत से चिकित्सकों से परामर्श किया है और वे कहते हैं कि अनुसंधान चल रहा है। कोई भी रिपोर्टों से यह जान सकता है कि समाज के एक विशेष वर्ग में कुष्ठ रोग अधिक होता है। ऐसा उनके द्वारा चिकित्सा के लिए आगे न आने के कारण भी हो सकता है और किसी अन्य कारणवश भी। लेकिन यहां मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा और एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से, समाज को मजबूती प्रदान करने हेतु और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमें तत्काल गौ-वध पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

सभापति महोदया: अब, श्री अनादि साहू।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): सभापति महोदया, यदि आप कृपया मुझे अनुमति दें तो मैं उड़िया भाषा में बोलूंगा। मैंने एक सूचना भी दी है।

सभापति महोदया: ठीक है आपने सूचना दी है। अत: उसका अनुवाद भी उपलब्ध होना चाहिए।

श्री अनादि साहू: सभापति महोदया, यह एक विचित्र संयोग है कि जब मैंने दो वर्ष पूर्व उड़िया भाषा में भाषण दिया था तब भी आप ही पीठासीन थीं।

सभापति महोदया: जब भी आपको बोलना होता है तो हमेशा पीठासीन होती हूं।

***श्री अनादि साहू:** धन्यवाद। महोदया, गो-वध पर प्रतिबंध लगाने के संकल्प पर अपने विचार व्यक्त करने से पूर्व मैं आपका ध्यान हमारी भारतीय संस्कृति के दो पहलुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पहली और सर्वोपरि बात है गो और अत्र, गोत्र अर्थात कुल। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा समाज पशुधन पर आश्रित समाज था। प्राचीन काल के दौरान हमारे समाज में पशुधन एक मुख्य सम्पत्ति माना जाता था। यदि आपने अथर्ववेद (चतुर्थवेद) पढ़ा हो तो आपने एक मन्त्र अवश्य पढ़ा होगा। इसका अर्थ बहुत सुन्दर है। जब कोई किसी को पराजित करना चाहता है और उसे अपने नियंत्रण में लाना चाहता है तो वह एक मन्त्र का उच्चारण करता है। इससे बाद में तन्त्र शुरु हुआ। वह मन्त्र है: जितम अस्वमाकं, उद्भिग्न अस्वमाकं, तेज अस्माकं, ब्रह्म अस्माकं, पशव: अस्माकं, प्रजा अस्माकं आदि।

पशव: अस्मांक का अर्थ है पशुधन जिसे उस समय एक प्रमुख सम्पत्ति समझा जाता था। साधु-संत आश्रमों में कुटियों में रहते थे। पशुधन ही उनकी मुख्य सम्पत्ति थी और वे एक बड़े क्षेत्र में फैले रहते थे। पशुधन की संख्या और जिस क्षेत्र में वे चलते थे उसकी सीमा ही उनके प्रभाव क्षेत्र का द्योतक थी। वे पशु एक निश्चित स्थान गो-अत्र तक ही जाते थे जिसे बाद में गोत्र कहा जाने लगा। इस गोत्र का हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमें इस गोत्र से ही पहचाना जाता है कि हम किस समूह या कुल से हैं और हम किससे संबंधित हैं। अत: गोत्र से ही हमारी पहचान का आरंभ हुआ था। गोत्र के अतिरिक्त एक दूसरी चीज है जिसे हम गोधलि लग्न कहते हैं। यह क्षण आकाश में सूर्य के अस्त होने से पूर्व आता है। उस समय की दृश्यावली बहुत खुशनुमा और सुन्दर होती है। शाम ढलने ही वाली है। आकाश में पश्चिम दिशा की ओर सूर्य की लालिमा बिखरी हुई है। गायें व्यग्रतापूर्वक अपने बछड़ों-बछियाओं की ओर रंभाती हुई दौड़ पड़ती है। गायों के खुरों से उड़ती धूल पूरे मार्ग को धूसरित कर देती है। इसके परिणामस्वरूप धरती से लेकर आकाश तक धूल ही धूल भर जाती है। इन सब चीजों से मिलकर और विशेषकर इस उड़ती हुई धूल में से छनकर आती सूर्य की लालिमा एक बहुत ही सुन्दर दृश्यावली प्रस्तुत करती है। इस गोधलि लग्न की संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के बहुत से लेखकों ने बड़ी ही सुन्दर व्याख्या की है। गोधलि लग्न की हमेशा ही एक शुभ घड़ी माना जाता रहा है। हमारे साहित्य में गाय को हमेशा ही एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारत में गाय पर अनेक लेख और कविताएं लिखी गई हैं।

महोदया, श्री भर्तृहरि महताब ने महाभारत का उद्धरण दिया था। मैं भी महाभारत से ही आरंभ करना चाहता हूं। यह कहानी रामायण और रघुवंश में भी है। आपने राजा दिलीप और गाय नन्दिनी के बारे में अवश्य सुना होगा। अयोध्या के राजा दिलीप के कोई पुत्र नहीं था। अत: उन्होंने अपने राजगुरु श्री वशिष्ठ से कोई ऐसा उपाय करने को कहा जिससे कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सके। राजा का अनुरोध सुनने के बाद श्री वशिष्ठ ने उन्हें सुझाव दिया कि वे कामधेनु नन्दिनी की सेवा में प्रस्तुत हों। कामधेनु अर्थात वह गाय जो पर्याप्त दूध देती हो। आज भी कुछ गायें कामधेनु की भांति ही 20 से 30 लीटर तक दूध देती है। यह वास्तविकता है। यदि आप जैसी चाहिए वैसी ही सेवा करने

*मूलत: उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री अनादि साहू]

में समर्थ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। अत: राजा दिलीप ने नन्दिनी की देखभाल करनी आरंभ की। एक दिन वे कामधेनु नन्दिनी के साथ जा रहे थे। रास्ते में नन्दिनी के राजा की परीक्षा लेनी चाही। अत: उन्होंने एक नकली सिंह उत्पन्न किया। उस सिंह ने नन्दिनी पर हमला कर दिया। दिलीप राजा थे। वे क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का अर्थ है क्षत अर्थात घाव को दूर करना यानि दूसरों की चोट पहुंचने से रक्षा करना। इसका किसी जाति से अर्थ नहीं है। चूंकि राजा दिलीप एक क्षत्रिय थे अत: उन्होंने नन्दिनी को सिंह से बचाना ही अपना प्रथम कर्तव्य माना। अत: उन्होंने उस सिंह को मारने के लिए अपने तूणीर से बाण निकालने का प्रयास किया परंतु वे ऐसा न कर सके। यह सब माया थी जिसे राजा नहीं समझ सके थे। जब वे अपने तूणीर से बाण निकालने में असफल रहे तो उन्होंने सिंह से नन्दिनी को छोड़ देने की प्रार्थना की। उन्होंने सिंह से कहा, ''महोदय, आप कृपया नन्दिनी को छोड़ दें और उसके बदले मेरा भक्षण कर लें।' यह सुनकर नन्दिनी गाय राजा से बहुत प्रसन्न हो गई। तब उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके फलस्वरूप राजा रघु का जन्म हुआ। रघु एक महान पुत्र थे अपराजेय और एक विजेता थे। उनसे रघुवंश प्रारंभ होता है। कालिदास के रघुवंश में राजा रघु उनके साम्राज्य और उनके अंतर्गत भारत के विभिन्न भागों का सुन्दर वर्णन है। भारत जम्बू द्वीप का भाग था और यह साम्राज्य अफगानिस्तान जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। बदलते समय के साथ-साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश भारत के साथ नहीं रहे। वे भारत से अलग हो गए लेकिन रघु के शासनकाल के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान सदियों तक भारत का हिस्सा बने रहे। मैंने नन्दिनी और राजा दिलीप के अध्याय का उल्लेख क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं इस बात पर जोर देना चाहता था कि यदि हम गाय को समुचित रूप से सेवा करें तो कितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

महोदया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो कि हमें यह बताते हैं कि गाय की सेवा करना किस प्रकार हमेशा लाभदायक होता है। आपने 'प्रश्नोपनिषद' पैदा होगा। उसमें प्रश्नोत्तर का विवरण है। हम यहां प्रश्न-काल के दौरान एक-दूसरे से लड़ते रहते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। जब कोई साधु और संतों के पास उनसे कुछ सीखने या कोई प्रश्न पूछने जाता है तो वे उससे सबसे पहले आश्रम में रहकर, कम से कम एक वर्ष तक गाय की सेवा करने को कहते हैं। लेकिन यह शर्त रखने से पूर्व साधु उस प्रश्नकर्ता को यह बता देते हैं कि यदि वह उत्तर जानता है तो उसके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अन्यथा उसे कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा। तब प्रश्नकर्ता साधु एक वर्ष के लिए गाय की सेवा में लग जाता और तब उसे अपना उत्तर और साधु-संतों का आशीर्वाद मिल जाता अत: मैं विद्वान संसद सदस्यों से प्रश्नोपनिषद में गाय से संबंधित अध्यायों को पढ़ने का अनुरोध करता हूं। इससे उन्हें उस समय के प्रश्न काल की एक स्पष्ट तस्वीर मिलेगी और इससे उन्हें यहां भी बहुत सहायता मिलेगी। इससे यह सिद्ध होता है कि उन दिनों आश्रमों में गाय की सेवा करना ही मुख्य कर्त्तव्य था। साधु-संत राजाओं के पास जाते थे। राजग अपनी क्षमता और उन संतों के महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ सोने के सिक्के, कपड़े और एक हजार से दस हजार तक गायें दान में दिया करते थे। उन्हें गायों से दूध मिलता था। गाय के गोबर का उपयोग आश्रम को साफ रखने में होता था। राजा से मिले उपहारों से उन्हें अपनी जीविका चलाने और आश्रम का प्रबंध करने में मदद मिलती थी। गाय और गाय के गोबर की आश्रमों में चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब गाय की मृत्यु होती है तो उसके पित्त से एक पीले रंग का दृश्य मिलता है। यह दृश्य बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। उस रंगद्रव्य को गोरचना कहा जाता है। बंगाली, मैथिली और उड़िया साहित्य में गोरचना का सुंदर वर्णन किया गया है।

आपको शायद मालूम होगा कि कृष्ण किस तरह नंद के साथ रहते थे। नंद राजा नहीं थे। उन्हें पशुधन के कारण राजा कहा जाता था। ये नंद और उपनंद अस्थि चिकित्सक होते थे जो गाय के किसी भाग की हड्डी टूटने पर उसे या जोड़ को ठीक कर देते थे। इस तरह आप सोच सकते हैं कि नंद और उपनंद किस प्रकार गायों की सेवा करने तथा उनके रोगों का उपचार करने में सक्षम थे। समाज में उनका स्थान बहुत ऊंचा था।

एक माननीय सदस्य: नंद वह व्यक्ति होता था जिसके पास 10,000 गाय होती थी। उपनंद उसे कहते थे जिसके पास 5000 गाय होती थी।

श्री अनादि साहू: नहीं वे अलग है।

गौमूत्र अर्थात् गाय के मूत्र की उपयोगिता का बहुत सुंदर वर्णन है। गौमूत्र औषधीय गुण है। श्री महताब गाय पर गांधी जी के विचारों का उल्लेख कर रहे थे। महात्मा गांधी सभी को गायों की उचित देखभाल करने तथा घर को साफ करने के लिए गोबर का उपयोग करने के लिए कहते थे। यदि मिट्टी के मकानों पर गोबर लगाया जाए तो पर्यावरण साफ और स्वास्थ्यकर रहता है। मैं महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन करता हूं और इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि गोबर किस तरह से हमारे पर्यावरण के लिए उपयोगी है। मैं इसे किसी धर्म से जोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं आपको गाय के गोबर की उपयोगिता बता रहा हूं। आप गाय के दूध और घी का महत्व जानते हैं। गाय के दूध और घी का उपयोग यज्ञ कुंड में होता है। जब ओम स्वाह मंत्र का उच्चारण होता है उस समय यज्ञ अग्नि में घी डाला जाता है। गाय

के घी के साथ बेर के पेड़ के पदार्थ तथा अन्य अपेक्षित कण हवन कुंड में डाले जाते हैं। इन सबके जलने से जो धुआं उठता है, उससे सुगंध आती है और इसके पर्यावरण भी स्वच्छ होता है। धुएं से बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। मैं पर्यावरणविदों को सलाह देता हूं कि वे ऐसे कुछ समारोह आयोजित करें और स्वस्थ वातावरण बनाने हेतु गाय के घी की आहूति दें। ऐसे स्वस्थ वातावरण में यदि रोगग्रस्त व्यक्ति सांस लेगा तो ठीक हो जाएगा।

हम गोवध पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता संबंधी संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसा करते समय हमें हमारी संस्कृति से जुड़ी भावनाओं और तथ्यों को नहीं भूलना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं इसे धर्म से जोड़ रहा हूँ। मैं धर्म पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मेरा मुद्दा बिल्कुल अलग है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं नास्तिक हूं। मैंने भारतीय संस्कृति को अपनाया है और एक भारतीय होने के नाते मुझे हमारी संस्कृति पर गर्व है। महोदया, गाय और भारतीय संस्कृति अभिन्न है। देश के अनेक महान पुरुषों और महिलाओं ने गायों को सुरक्षा देने हेतु वर्षों प्रयास किया है। महात्मा गाधी गायों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सदैव महत्व देते थे। लेकिन यह खेदजनक है कि कुछ लोग गोमांस को धर्मांतरण से जोड़ देते हैं। भारत में किसी को गोमांस और कबूतर नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन हमारे पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। इसका कारण यह है कि हमारे देश की जलवायु गर्म है और इनके मांस बहुत गर्म होते हैं और हमारे पाचक-तंत्र के अनुकूल नहीं है। सामान्यत: जो लोग गोमांस खाते हैं उन्हें कुष्ठ रोग हो जाता है। अनेक लोगों ने गोमांस के विपरीत प्रभाव को सिद्ध किया है। मैं इस बारे में और अधिक नहीं कहना चाहता हूं।

हमें अपनी जलवायु को ध्यान में रखते हुए कपड़े पहनने चाहिए। गर्म कपड़े हमेशा हमारे लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों के कुछ लोग भी ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे पूरा शरीर ढक जाता है। क्या इसका उनके शरीर पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? अन्य देशों के धर्म का अनुसरण वाले कुछ लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं। यह उचित नहीं है। किसी भी व्यक्ति का कोई भी धर्म हो सकता है लेकिन उसके कपड़े भारतीय जलवायु के अनुकूल होने चाहिए। यह भारतीय संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए। संस्कृति का अर्थ है हमारा दृष्टिकोण, हमारी व्यवस्था और इसका विशिष्ट प्रभाव। हमें इसे अपनाना चाहिए। यदि हम अन्य देशों की जीवनशैली और प्रणाली को अपनाते हैं तो वह हमारे अनुकूल नहीं होगी। यह हमारी भारतीय संस्कृति के लिए उपयुक्त नहीं होगी। लेकिन यह खेदजनक है कि कुछ लोग विदेशी संस्कृति अपना रहे हैं। यह शोभा नहीं देता है। इसीलिए हम दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पत्तन हो रहा है क्योंकि हम भारत की जमीन में विदेशी संस्कृति का बिना सोचे समझे अनुसरण कर रहे हैं।

महोदया, हम सही समय पर इस संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। हमें निर्णय लेना है कि किस तरह से गौवध रोका जाए। कुछ राज्यों ने उस संबंध में कुछ उपाय किए हैं। कम से कम 19 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। लेकिन इसके क्रियान्वयन में समस्या है क्योंकि हमारे संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 48 में 'प्रयास' शब्द का प्रयोग किया है। हम गाय और बछड़ों का वध निषेध नहीं कर पाए हैं। हमने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु अपने संविधान में संशोधन किया है। इसी तरह हमें संविधान में और विशेषरूप से नीति-निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 48 में संशोधन करने होंगे ताकि कृषि और पशुपालन संगठित करने सहित हम गाय और उसकी नसल के वध पर भी प्रतिबंध लगा सकें।

महोदया, प्रभावी प्रशासन राज्य को प्रमुख अथवा सम्राट की शक्ति पर निर्भर करता है। यदि सम्राट सशक्त है तो वह सर्वोत्तम प्रशासन दे सकता है। जैसाकि हमने इतिहास से देखा है कि जब कभी समाज सशक्त और एकजुट हुए वे मजबूत प्रशासन दे पाए। यदि छोटे राज्य अपनी इच्छा को प्रशासन को चलाएंगे तो केन्द्र जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएगा। केन्द्र अच्छे कार्य नहीं कर पाएगी। अत: ऐसे कुछ कानूनों पर विशेषरूप से केन्द्र का नियंत्रण होना चाहिए। यदि संविधान में संशोधन किया जाता है और संसद द्वारा अधिनियमन पारित किया जाता है तो गौवध पूर्णत: बंद हो जाएगा यद्यपि प्रारंभिक अवस्था में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है।

शायद आपको इस तथ्य के बारे में जानकारी हो कि हरियाणा में सैकड़ों गायों का वध किया जाता है और निजामुद्दीन में बेचा जाता है। गायों को बहुत अमानवीय तरीके से ले जाया जाता है। नियमानुसार एक डिब्बे में 12 गायों को भेजा जाना चाहिए। लेकिन क्या इस नियम का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है? 50 से 60 गायों को एक डिब्बे में भर दिया जाता है। यह वास्तव में बहुत दु:खद और क्षुब्धकारी है।

श्री भर्तृहरि महताब: वे दुधारू गाय नहीं है।

श्री अनादि साहू: चाहे वे दुधारू हो अथवा नहीं लेकिन बात यह है कि उन्हें अमानवीय तरीके से ले जाया जाता है। इसका हमारे समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रथा बंद की जानी चाहिए। यहां कानून हैं लेकिन कौन उनका पालन कर रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब स्वर्गीय

[श्री अनादि साहू]

श्री राजेन्द्र नारायण सिंह देव उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गौवध पर प्रतिबंध लाने की मांग करते हुए 1967 में अधिनियम बनाया था। कुछ समय के लिए इस अधिनियम को कड़ाई से लागू किया गया था। लेकिन बाद में इसके क्रियान्वयन में ढिलाई आ गई। किसी ने इसका अनुपालन नहीं किया। हम आज भी उसी अंधकार में हैं जैसे विगत में थे। त्योहारों पर सैकड़ों गायों का अमानवीय तरीके से वध किया जाता है। कटक, भद्रक अथवा हर स्थान में नालियां खून से भर जाती है। रोज कुछ गायों का वध किया जाता है लेकिन त्यौहारों पर स्थिति और बदतर हो जाती है क्योंकि इन दिनों इनकी संख्या बढ़ जाती है। इस संबंध में लोढा आयोग का गठन किया गया था। और अधिक आयोग गठित किए जाने चाहिए। यदि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया जाता है तो इन आयोगों का कोई अर्थ नहीं है। कई बार लोग इस मुद्दे पर बहस करते हैं। संतों ने कुंभ मेले के समय इसका विरोध किया था। गौवध की प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। विगत में अंडमान की सेल्युलर जेल में अमानवीय व्यवहार पर राजनैतिक आंदोलन हुआ था। लेकिन इस तरह के व्यवहार को रोकने हेतु काफी दबाव डाला गया था। मेरे विचार से कानून को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए और इस तरह धीरे-धीरे गौवध रुक जाएगा। इसके लिए, अल्पसंख्यक समुदाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुर्बल पशुओं को न बेचा जाए।

महोदया, विद्रोही और क्रांतिकारी में क्या अंतर है। विद्रोही जो लड़ता है और जीत जाता है, क्रांतिकारी बन जाता है लेकिन जो हार जाता है उसे जेल में और यहां तक कि अंडमान की सेल्युलर जेल में भेज दिया जाता है। दूसरी ओर जो जीतता है वह लेनिन की भांति मशहूर हो जाता है। इस तरह विद्रोही और क्रांतिकारी में बहुत कम अंतर है। मेरे विचार से जो लोग गौवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए काम कर रहे हैं वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा काम करते समय उन्हें कुछ समस्या आ सकती है। लेकिन यह राष्ट्र और मानव कल्याण के लिए है। अत: इस संबंध में उनके प्रयास प्रशंसनीय है।

महोदया, मैं एक या दो मिनट का समय लूंगा। हम गाय का दूध लेते हैं जिसमें एस.एन.एफ. होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे गाय का दूध दिया जाता है। भैंस अथवा बकरी के दूध में एस.एन.एफ. की गुणवत्ता नहीं होती है। इस तरह गाय का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। कृपया याद रखें कि बच्चा तब बढ़ता है जब वह मां के गर्भ में होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो गाय के दूध से बढ़ता है।

इसलिए, यदि आप एक शक्तिशाली भारत चाहते हैं तो हमें गोवध को रोकना होगा और हमें ऑपरेशन मिल्क फ्लड कार्यक्रम क्रियान्वित करके क्रांति करनी है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): सभापति महोदया, गौवध पर प्रतिबंध लगाने संबंधी श्री प्रहलाद सिंह पटेल के संकल्प पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं और मेरा दल-शिरोमणि अकाली दल इस संकल्प का पुरजोर समर्थन करता है क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि गौवध द्वारा इस देश के बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में भी इस सिद्धांत को लागू किया गया है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह गौवध पर एक सख्त संकल्प लाए।

गौवध पर प्रतिबंध का समर्थन करने के साथ-साथ, मैं भारत सरकार से यह अनुरोध भी करूंगा कि इस कानून में गौसुरक्षा तथा उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, संबंधी उपबन्ध भी शामिल हों। मैं सिफारिश करूंगा कि देश की सभी गौशालाओं को एम्पीलैड योजना के क्षेत्राधिकार में लाया जाए तथा गौशालाओं की समुचित देख-रेख के लिए संसद सदस्यों को जिम्मेवार बनाया जाए तथा उन्हें इसके लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जानी चाहिए ताकि गौशालाएं पर्याप्त वित्त के साथ कुशलतापूर्वक चल सकें।

जहां मैं गौवध पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक का समर्थन करता हूं, वहीं मैं यह भी चाहता हूं कि भारत सरकार पोटा की तर्ज पर भारत में अल्पसंख्यकों के वध के खिलाफ भी एक कड़ा कानून लाएं। मैं भारत सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र की नरसंहार के विरुद्ध की गई संधि की ओर दिलाना चाहूंगा और अल्पसंख्यकों-ईसाईयों, बौद्धों, सिक्खों और मुसलमानों के .स्मारकों की सुरक्षा तथा नरसंहार के विरुद्ध एक कड़ा कानून लाया जाए। भारत को मानवीयता से पूर्ण समाज बनना चाहिए और भारतीयों की धार्मिक भावनाओं के प्रत्येक पहलू का सम्मान किया जाना चाहिए। मैं सभा को याद दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 1799 से 1846 तक महाराजा रणजीत सिंह के सिक्ख साम्राज्य के दौर में हालांकि मौत की सजा अधिकतर अपराधों में प्रतिबंधित थी किंतु गौवध के अपराध के लिए सजा-ए-मौत दी जाती थी। उनका साम्राज्य पेशावर से सतलुज नदी तक फैला हुआ था जिसमें जम्मू-कश्मीर तथा लेह और लद्दाख भी शामिल थे। इसलिए, मेरे विचार से, एक धर्मनिरपेक्ष समाज में बहुसंख्यकों की भावनाओं का भी हमें आदर करना चाहिए और यदि अल्पसंख्यकों की भावनाओं का आदर नहीं किया जाता तो यह धर्मनिरपेक्ष नहीं होगी।

इस संकल्प का पूर्ण समर्थन करते हुए मैं यह आशा करता हूं कि भारत सरकार गौवध तथा अल्पसंख्यक-वध दोनों ही के खिलाफ ये दोनों कानून लाएगी।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदया, मैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा प्रस्तुत संकल्प का पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय श्री अनादि साहू गौवध के प्राचीन व शास्त्रसम्मत पहलू पर प्रभावशाली ढंग से बोल चुके हैं किन्तु मैं इसके ऐतिहासिक पहलू को ही उठाऊंगा जो भारत में मुगल शासन के दौरान हुआ था। ये मुगल शासक मूलत: मुसलमान थे जो गौमांस खाते थे।

महोदया, आप बाबर का उदाहरण लीजिए। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया था। 935 हिजरा में उसने गौवध पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।

अपनी मृत्यु शैय्या से उसने अपने पुत्र हुमायूं को एक पत्र लिखा था कि "मेरे पुत्र, हुमायूं, यदि तुम भारत पर राज करना चाहते हो तो तुम्हें गाय का सम्मान करना होगा। तुम्हें गौवध रोकना होगा।" उसने गौवध को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है और यह पत्र अभिलेखागार में उपलब्ध है। जहांगीर का उदाहरण लीजिए। मुगल बादशाह, जहांगीर, ने भी एक आदेश पारित किया था। उसने यह आदेश दिया था कि रविवार के दिन, जब उसका बेटा अकबर पैदा हुआ था और वृहस्पतिवार के दिन जब स्वयं उसका राज्यभिषेक हुआ था, इन दो दिनों में किसी भी जानवर को न तो मारा जाएगा और न ही उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। मुसलमान होने के बावजूद बादशाह ने गौवध पर प्रतिबंध का समर्थन किया। 1586 में अकबर ने भी अपने साम्राज्य में गौवध पर रोक लगाने का फरमान जारी किया। उसने गौवध को पूरी तरह से रोक दिया था। यहां तक कि कट्टर मुसलमानों में से एक औरंगजेब का उदाहरण लीजिए। उसने भी बकरीद के दौरान गौवध पर रोक लगा दी थी।

जैसाकि श्रीमान पहले ही कह चुके हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के काल में भी केवल गौवध के अपराध के लिए ही मृत्युदण्ड दिया जाता था। महोदया, जैसा कि आप जानती हैं कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, जब ब्रिटिश सेना के कमांडरों ने हिन्दू और मुसलमानों से गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों को दातों से काटने का आदेश दिया, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया था। मंगल पांडे नामक एक ब्राह्मण ने सार्जेन्ट व्हीलर पर गोली दाग दी थी। वर्ष 1857 में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई शुरू होने का एक कारण गौवध भी है मेरा कहने का अर्थ यह है कि गाय, देश के बहुसंख्यक हिन्दुओं की मानसिकता से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं।

आप मध्य-पूर्व का उदाहरण ले लीजिए। वहां गौमांस उपलब्ध ही नहीं होता। वहां पर गाय का संरक्षण होता है चूंकि रेगिस्तान में गाय एक बेशकीमती पशु है। वे वहां ऊंट को तो मार देते हैं किंतु वे गाय को नहीं मारते।

भारत में यदि आप कहते हैं कि हम प्रोटीन और पोषण से भरपूर भोजन के लिए गाय को मारते हैं तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा। क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार की गाय को मारा जाता है? क्या वह अच्छी सेहत वाली गाय होती है? आप खुद ही देख चुके हैं कि किस प्रकार की गाय को मारा जाता है। उन्हीं गायों को मारा जाता है जो बूढ़े हों, अशक्त हों अथवा जो बीमार हों। अब जो भी वह मांस खाता है उसे उन बीमारियां के लगने की संभावना हो जाती है। मेरे विचार से, वे लोग ऐसा मांस नहीं लें तो बेहतर होगा क्योंकि वह अच्छा मांस नहीं होता है।

अब मैं अपने निष्कर्ष पर आता हूं। हम कुछ भी कहें, गाय हिन्दुओं की मानसिकता से जुड़ी है और हिन्दू उसे पूजते हैं किन्तु मूलत: ये हिन्दू ही हैं जो गाय या बैल बेचते हैं।

जब कोई गाय वृद्ध हो जाती है तथा अधिक दूध नहीं दे पाती अथवा बैल बूढ़ा हो जाता है और वह खेत नहीं जोत पाता तो किसान जो ज्यादातर हिन्दु समुदाय के होते हैं वे उन्हें बेच देते हैं। वह उन्हें किन्हें बेचते हैं? वे उन्हें कसाई को बेच देते हैं। यह जीवन का सच है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गाय या बैल कुछ समय पश्चात अशक्त हो जाता है और किसान उन्हें चारा नहीं दे पाते तथा उन्हें बेच दिया जाता है। इन्हें खरीद कर मारने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं। इसलिए, हम जो भी कहें किन्तु हमें यह देखना होगा कि हिन्दू समुदाय के लोग गाय-बैल न बेचें।

महोदया, इस बारे में मेरे दो सुझाव हैं। मैं हिन्दु समुदाय से अनुरोध करूंगा कि वह गाय और बैलों की सुरक्षा के लिए गौशाला निर्माण हेतु आगे आएं। यदि गाय-बैलों का वध हिन्दू भावनाओं से जुड़ा है तो हिन्दू अपनी गाय-बैलों की सुरक्षा के लिए स्वयं आगे क्यों नहीं आते? मैं नहीं सोचता कि केवल किसी और पर आरोप लगाने से समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि हम गाय को पूजते हैं तो अनुत्पादक गायों की देखभाल की जिम्मेदारी भी हमीं को उठानी होगी। क्या हम अपने माता-पिता और दादा-दादी को बूढ़ा हो जाने पर घर से निकाल देते हैं? यदि हिन्दु गाय को अपनी माता समझते हैं तो उन्हें ही उनकी सुरक्षा के लिए पहल करनी होगी। हमारे देश में बहुत सी धर्मशालाएं हैं। गाय-बैलों की सुरक्षा के लिए हम गौशालाएं क्यों नहीं बना सकते? यह मेरा पहला सुझाव है जिस पर इस देश के हिन्दू खास तौर पर ध्यान दें।

महोदया, मेरा दूसरा सुझाव है, कि हम अनुत्पादक भारतीय गायों और बैलों के स्थान पर गायों और बैलों की बेहतर नस्ल क्यों न लायें? उनकी संख्या भले ही कम हों किन्तु ऐसी गाय ज्यादा दूध देंगी तथा बैल बेहतर ढंग से जुताई करेंगे तथा उनकी

[श्री खारबेल स्वाइं]

आयु में भी वृद्धि होगी। इसलिए, संख्या की बजाए हमें गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। आजकल, ग्रामीण क्षेत्रों में बैलों का स्थान ट्रैक्टर ले रहे हैं। यहां तक कि उड़ीसा जैसे क्षेत्र में भी जहां लोगों के पास भूमि बहुत कम है और वहां के किसान हरियाणा और पंजाब के किसानों की तुलना में बहुत गरीब है वहां भी ऐसे गाय-बैलों के स्थान पर अच्छी नस्ल की गाय-बैल लाए जा रहे हैं। इनसे भी इस समस्या के समाधान में सहायता मिलेगी।

महोदया, मैं जैविक खेती और रासायनिक उर्वरक के स्थान पर जैविक उर्वरक का उपयोग करने के बारे में सुझाव देना चाहूंगा। भारत सरकार को जैविक खेती और जैविक उर्वरकों को प्रयोग में लाने की सिफारिशें करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा गठित कार्य बल का मैं भी सदस्य था। भारत में हम जहां भी गए हमने पाया कि जैविक घटकों के विकास के लिए गाय बहुत जरूरी हैं। इसके लिए गाय और बैल के गोबर की जरूरत होती है। यदि कोई एक एकड़ भूमि के लिए जैविक खाद बनाना चाहता है, तो इसके लिए कम से कम एक गाय या बैल के गोबर की जरूरत होती है। इस प्रकार यह लाभकारी है।

महोदया, अंततः हिन्दू समुदाय से मेरी अपील है कि वे देश में और अधिक गोशालाओं के निर्माण हेतु आगे आएं तथा हम धीरे-धीरे अनुत्पादन गायों के स्थान पर बेहतर नस्ल वाली गायों को लाएं। मैं भारत में गौमांस खाने वाले सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे इस देश के बहुसंख्यक हिन्दू समुदाय के प्रति कुछ सम्मान दिखाएं।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदया: यदि आप गाय की नस्ल आयात करेंगे तो आपके पास आयातित गौ माता होगो। तब आपको समस्या होगी।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): हमें उच्च गुणवत्तावाली नस्लों का आयात करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, मैं प्रस्तावक के प्रस्ताव के उद्देश्य को चुनौती नहीं दे रहा हूं क्योंकि वे जिस भावना का आदर करते हुए यह प्रस्ताव सदन में लाये हैं, जिसके साथ हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पालिसी के भी ताल्लुकात हैं। इस देश की एकता, देश के बहुभाग, बहुसमाज, बहुभाषा, बहुरीति, बहुनियम और बहुआचार को देखते हुए, शायद उन्होंने ठीक ही समझा कि इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पालिसी में रखा जायें। सभी स्टेट गवर्नमैट्स अपने-अपने समाज के साथ, अपने-अपने वर्ग के साथ, मजहब के साथ बात करके इस स्थिति में पहुंचे जिससे सारा समाज एकमत हो जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैंने समझा कि आप स्वामी विवेकानन्द को उदधृत कर रहे थे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं।

[हिन्दी]

मेरा कहना है कि हर कोई अपने-अपने ढंग से खाना खाता है, कपड़े पहनता है। यह हमारे देश की परम्परा है। एक दिन मैंने अपनी माता जी से एक सवाल पूछा कि मां, आप यह बताओ कि काली मां, दुर्गा मां की तो हिन्दू लोग पूजा करते हैं लेकिन जो लोग वैष्णव धर्म को न मानकर शिव धर्म को मानते हैं, वे बकरी की बलि चढ़ाते हैं, कबूतर की बलि चढ़ाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे शेर की बलि क्यों नहीं चढ़ाते, भालू की बलि क्यों नहीं चढ़ाते? वे शेर और भालू की बलि इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि शेर और भालू बलि चढ़ाने वाले को ही खा जायेगा। इसलिए वे कबूतर की बलि चढ़ाकर कहते हैं कि हे भगवान हम तेरे नाम पर बलि चढ़ा रहे हैं। यह सब हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। इसे हमने अपने स्वार्थ के लिए खुद ही बनाया हुआ है और इसे धर्म के नाम पर डाल दिया है। मेरा सवाल सुनकर माता हंस पड़ी और कहने लगी कि तुम यह सवाल पंडित जी से पूछना जो कि हमारे घर में पूजा करने के लिए आते हैं। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है।

मैं एक ही बात कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा कि गाय ही हमारी माता क्यों है? प्रकृति हमारी माता है, विश्व माता है, दुनिया माता है, समुद्र माता है। चंडी के स्तोत को अगर पूरा पढ़ें तो उसमें इन सबका वर्णन किया गया है।

"या देवी सर्वभूतेषु, श्रद्धारूपेण संस्थिता,
तृष्णारुपेण संस्थिता, छायारूपेण संस्थिता,
मायारूपेण संस्थिता, जलरूपेण संस्थिता।"

सबकी नजर में प्रकृति एक मां है। गाय का मांस लोग खाते हैं, फिश खाते हैं, चिकन खाते हैं। इसके अलावा बकरी का भी मांस खाया जाता है। बकरी के मांस के लिए हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि इसको बैन करो। यह इसलिए नहीं कहते क्योंकि हिन्दू ने मान लिया है कि जो नॉन वेजीटेरियन है, उनके लिए बकरी का मांस खाना कोई अन्याय नहीं हैं। भले ही इसका दूध बच्चा पी ले लेकिन इसको बैन मत करो।

मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि प्रस्तावक के प्रस्ताव के उद्देश्य से मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस देश में एकता रखने के लिए ...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): आप भी इसका समर्थन करिये न। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अगर आपके कहने पर चलते तो हम कांग्रेस में क्यों रहे, हम वहां जाकर बैठें। आप साधु-संत तो पहले एक हो जाइये कि हिन्दू धर्म के मायने क्या हैं, उसके बाद सब ठीक होगा। मैं कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी, यहां जो स्वामी बैठे हैं, उनसे बड़े स्वामी जी हैं। जब दुर्भिक्ष हुआ तब उनके पास कुछ नौजवान गऊ माता बचाव संघ के लिए चंदा मांगने के लिए गये। जब उन्होंने पूछा कि चंदा किसलिए चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि गऊ माता की रक्षा करनी है। स्वामी जी ने कहा कि इतना दुर्भिक्ष हो रहा है, इतने इंसान मर रहे हैं, तुम उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो। तब उन्होंने जवाब दिया कि यह उनके पूर्व जन्म से कर्म हैं। स्वामी जी ने कहा कि अगर पूर्व जन्म के कर्म से इंसान मर रहा है तो शायद पूर्व जन्म के कर्म से ही वह गऊ के रूप में पैदा होकर मर रहा है। उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत कहिये। इंसान की बात हम बाद में करेंगे, पहले आप गऊ माता की बात कीजिए। स्वामी जी ने कहा कि अगर माता ने ऐसे बेटे को पैदा किया है जो इंसान का ख्याल नहीं करता, उसको मैं चंदा नहीं दे रहा। मैं स्वामी जी की भावनाओं के साथ जुड़ते हुए कहना चाहूंगा कि देश के सामने सिर्फ गऊ माता का सवाल नहीं है। जितने पशु हमारे देश की कृषि के साथ जुड़े हुए हैं, समाज के काम में लोगों की मदद करते हैं, उनके लिए कोई नैशनल पालिसी बने तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

लेकिन सलैक्टिवली जब एक के बारे में बात होती है तो इससे मजहब में डिवीजन होता है। इसलिए स्टेट पॉलिसी ऑफ डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स के आधार पर सैंट्रल गवर्नमेंट को इस बारे में सबके साथ बात करके, एक संतुलित स्थिति पैदा करनी चाहिए, जबर्दस्ती प्रस्ताव पारित करने से कुछ नहीं होता। मुझे इतना ही कहना है।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): सम्मानित सभापति महोदया, माननीय सांसद प्रहलाद पटेल जी ने सदन में जो बिल प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि उनकी भावना सदन का ध्यान आकर्षित करने की ही होगी अन्यथा वे ट्रेजरी बैंच के सदस्य हैं, उनकी सरकार है, उनके राज्य मंत्री बैठे हुए हैं। अगर सरकार ने इसकी महत्ता को समझा होता, अभी हमने कई बिल पास किए हैं, इनका बिल भी आ जाता, तो हम पास कर देते। मैं आपको इसलिए धन्यवाद देता हूं कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जिस बिल को आप लाए हैं, वह बहुत आवश्यक है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इस बिल में महत्वपूर्ण विषय नहीं है। अभी आदरणीय साहू जी और मेहताब जी ने जो कहा, ऐसा लगा कि उन्होंने उड़ीसा में हम लोगों को पुरानी पीढ़ी की बात याद कराई। मैं जानता हूं कि हमारे आदरणीय साहू जी ने बहुत दिनों तक प्रशासनिक पद पर काम किया है, उनको मौका भी मिला होगा, उनके सामने ऐसा कई अवसर आए होंगे और उन्होंने उनका निष्पादन करने का प्रयास भी किया होगा।

मैं आपके माध्यम से राज्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं-उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान। पुरानी संस्कृति में खेती उत्तम थी, व्यवसाय मध्यम था, सेवा तृतीय श्रेणी में थी और भीख मांगने वाला आज चौथी श्रेणी में है, वह तो सही है। लेकिन क्या समाज और राज्य को चलाने की बात कहने वाली इस सरकार ने कभी यह सोचा? कौन कहता है कि गाय का महत्व नहीं है। उसके मूत्र का महत्व है, उसके गोबर का महत्व है। जब तक वह बच्चा नहीं देती, तब तक उसके दर्शन का महत्व है। इसे समाज ने कब अस्वीकार किया है। लेकिन हमारे एक साथी ने बताया था कि आखिर इसकी जवाबदेही किस पर है। आज जो गौ वंश की हत्या हो रही है, उसमें 90 प्रतिशत से ऊपर ऐसी गौ हैं और गौ वंश से उत्पन्न हुए पशुओं का जब घर वाले अनादर कर देते हैं, वे समझते हैं कि इससे दूध नहीं मिलने वाला, इससे हल नहीं चलने वाला, अब इसकी उपयोगिता नहीं है तो उसकी बिक्री टके में कर देते हैं। इस बात को रोकने की जवाबदेही किस पर है। आपने कहा कि दो ही राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इसे रोकने के संबंध में बिल नहीं बनाए, लेकिन बाकी राज्यों ने तो किया था। फिर आप राजनैतिक लाभ लेने के लिए इसका उपयोग न करें। यह सामाजिक है और आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहले बिहार और दूसरी जगह कहा जाता था कि गाय और गाय वंश की रखवाली यादव के जिम्मे है, राज्य मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव के जिम्मे नहीं-मैं ऐसा नहीं मानता।

ऐसी बात नहीं है कि हमारी आर्थिक स्थिति उससे सुधरती थी, हमारा स्वास्थ्य उससे ठीक होता था, हमारी पैदावार बढ़ती थी। इन सारी बातों को नुकसान पहुंचाया, जब आपने सीलिंग कानून पास कर दिया। आपने आन्दोलन छेड़ा, भारतवर्ष के नक्शे पर सीलिंग लागू करो, जमीन जोतने वाले को दो, लेकिन जोतने वाले अब कहां हैं। अब तो सभी आदमी अपनी जमीन छोड़-छोड़ कर, अपने जानवरों को बेचकर दूसरे के जिम्मे करके, दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता जैसे शहरों में जाना चाहते हैं और नौकरी की तलाश में रहते हैं। अब नौकरी ऊपर चली गई और उससे भी उपर व्यवसाय चला गया।

[श्री राजो सिंह]

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप नॉन ऑफिशियल जो बिल लाये, उससे हमारा ध्यान आकर्षित किया, लेकिन अपने दल की तरफ गिन लीजिए, इसका कितना महत्व है। आप राजनीतिक दृष्टि से इसकी चर्चा मत करिए, इससे समाज का बहुत नुकसान हुआ है, और होने वाला है। मैं समझता हूं कि इसका आर्थिक पहलू है, सामाजिक पहलू है, इस पर विचार करना चाहिए। गौशाला को किसने बन्द कर दिया, कृषि मंत्री जी और हुक्म देव बाबू यहां नहीं हैं। हमारे इलाके में काफी गौशालाएं थीं। जो आदमी जानवर को नहीं रखना चाहता था, चाहे गाय हो या बैल हो, जो पुराना हो जाता था, जिसे वह अपनी दृष्टि से उपयोगी नहीं समझता था, उसे गौशाला में रख देता था। जो भी सामान किसान लोग खरीदने आते थे, उससे गौशाला के लिए कुछ टैक्स लिया जाता था। वह बहुत अच्छी चीज थी। इस पर निगरानी करने के लिए आपको किसने मना किया?

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि गौशाला मृतप्राय: हो गई, जिसकी जवाबदेही भी होती थी, उसका संगठन स्टेट के लेवल पर होता था, जो निगरानी भी करता था कि हमारे पशु, जो उपयोगी नहीं हैं, उनकी हिफाजत यहां हो, किसी दूसरी जगह ट्रक में ले जाकर उनका गलत उपयोग कोई न करे, लेकिन आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसमें थोड़ी देर हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, सुबह का भूला हुआ आदमी अगर शाम को वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इन बातों को दृष्टि में रखते हुए सरकार अगर सांगोपांग नीति नहीं बनाएगी, तो काम नहीं चलेगा। हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दासमुंशी जी ने भी इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है, सब को अपने-अपने ढंग से व्याख्या करनी है, लेकिन जो सिद्धांत सरकार का है, राष्ट्र का है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। ...*(व्यवधान)* महाभारत में और रामायण में गऊमाता की चर्चा है, यह क्या हम नहीं जानते हैं। लोग तो गंगा को भी गंगा मैया कहते हैं, गऊमाता कहते हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, यहां कृषि मंत्री जी नही हैं, राज्य मंत्री जी नहीं हैं, मंत्रि-परिषद के एक मंत्री हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वे मुझे अभी बोलकर गये हैं कि मैं दो मिनट में आ रहा हूं।

श्री राजो सिंह: आपकी इजाजत से ही गये होंगे, बिना इजाजत कैसे जाएंगे। आदरणीय श्री शरद यादव जी से भी मैं कहूंगा कि इसके संबंध में सभी दलों से विचार-विमर्श करके आप एक अच्छा बिल सदन में ले आइये। जब सारे दलों से विचार-विमर्श करके आप एक बिल लाएंगे तो उसे पास करने में सदन को दिक्कत नहीं होगी। कई महत्वपूर्ण बिल आज भी हमने ऐसे पास किये हैं। पटेल साहब, बहुत अच्छा मौका आया है, लोक सभा में गैर-सरकारी बिल देने पर क्या हाल होता है, यह आप देख ही रहे हैं। थोड़ी देर में यह होने वाला है कि मंत्री जी उठेंगे और कहेंगे कि आप इस बिल को वापस ले लीजिए। मगर मंत्री जी इतना तो कहें कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया है, उसके अंतर्गत आपसे निवेदन है कि इसे आप गांठ बांध लीजिए कि इसी सत्र में आप सांगोपांग आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से इस बिल को हाउस में ले जाएंगे।

अपराह्न 4.00 बजे

अगर हमारे नेताओं के साथ विचार करके इस बिल को लाएंगे तो हम सब एक स्वर से इसको पास करेंगे। किसी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। समाज का कोई भी वर्ग इसका विरोधी नहीं है। सभी वर्गों के लोग गाय रखते हैं। लेकिन आज आप दिल्ली में देखें कि लोग गाय का दुध दुहने के लिए तो उसे अपने पास रखते हैं और फिर उसको खुला छोड़ देते हैं। नतीजा यह होता है कि गाय सड़क पर चली जाती है या रेल की पटरी पर भी चली जाती है और किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती है या रेल से कट कर मर जाती है। वे लोग गाय तो पाल लेते हैं, उसका दूध भी लेते हैं, उनके परिवार के लोग भी उस पर पलते हैं, फिर भी वे ऐसा करते हैं। इसलिए इस पर भी निगरानी रखने का काम सरकार को करना चाहिए। सरकार को सारे देश में गऊशालाओं को पुनर्जीवित करने का काम भी करना चाहिए। जिससे हमें इतना अत्यधिक लाभ मिलता है, उसका हम मृत्युपर्यंत तक पालन कर सकें, यह भावना हमारे मन में होनी चाहिए।

मैं प्रहलाद जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा महत्वपूर्ण संकल्प यहां प्रस्तुत किया और हमें उसमें भाग लेने का अवसर मिला। इससे सारे लोग सहमत हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदया, हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। यह प्रस्ताव देश की कोटि-कोटि जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। वैसे ही इस देश की समृद्धि के साथ भी यह जुड़ा हुआ है। यह देश कृषि प्रधान देश है। कृषि में गोवंश का कितना महत्व है, यह हम सभा जानते हैं। गोवंश की सुरक्षा के लिए गोवध पर प्रतिबंध हो, इस दृष्टि से जो प्रस्ताव यहां पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

हमारे संविधान निर्माताओं ने इस देश की कृषि की रक्षा की दृष्टि से इस देश की भावनाओं को देखते हुए संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स आफ स्टेट पालिसीज हैं, उसके 48वें अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया है-

[अनुवाद]

"राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों की नसल्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा।"

[हिन्दी]

यह बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गौ की हत्या पर, उसके बछड़ों की हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए और उसकी किस प्रकार से वृद्धि की जाए, इस पर सरकार चिंता करे।

इस बात को लेकर देश में कई प्रकार के आंदोलन हुए। संतों और महात्माओं ने अपनी गिरफ्तारियां दीं। इसी संसद भवन के सामने लाखों की संख्या में संत और देश की जनता इकट्ठी हुई थी। उस समय गोलियां भी चली थीं, जिसमें कई लोग हताहत हुए थे और कइयों को जेल भी जाना पड़ा था। इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए-इसे हम सभी जानते हैं। आज देश की जनता में इस भावना को लेकर उभार है और वह चाहती है कि गोवध पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाए। यह देश गौतम गांधी का देश है, राम कृष्ण और दयानंद का देश है।

अभी कई माननीय सदस्यों ने भाषण दिया है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। हमारे माननीय सदस्य राजो सिंह जी इसकी कृषि संबंधी महत्ता को बता रहे थे। साथ ही साथ चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई बात भी बता रहे थे। आजकल गोमूत्र और गोमय को लेकर नए-नए प्रयोग और अनुसंधान चल रहे हैं। उसमें कई तथ्य हमारे सामने आए हैं। गोमूत्र से कैंसर तक की चिकित्सा सम्भव मानी गई है। कई जगह इस प्रकार के अनुसंधान हुए हैं। कई वैज्ञानिक और डाक्टर इस काम में लगे हुए हैं। गोमूत्र में ऐसी खासियत होती है कि उससे कैंसर के कीटाणु मर जाते हैं, जो विषपूर्ण वातावरण बनाते हैं। इसी तरह से गोमय खेती में बहुत उपयोगी है। उसका खाद के रूप में प्रयोग करने पर उन्नत फसल पैदा की जा सकती है की जाती रही है। लेकिन आज रासायनिक खाद जितनी अधिक मात्रा में डाली जा रही है, उससे जमीन पर विपरीत असर पड़ रहा है। मेरे मित्र शरद जी बैठे हुए हैं, वे कृषि के ज्ञाता हैं। उनको भी पता है कि आज जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है।

इसीलिए फिर से इन खादों को लाया जा रहा है, कम्पोस्ट बनाया जा रहा है या गोबर की खाद के साथ इन खादों को उपयोग में लाया जा रहा है। गोमय खेती में इस प्रकार की खासियत है कि न केवल जीव-जंतुओं को नष्ट करती है बल्कि जमीन की उर्वरा शक्ति को आगे बढ़ाते हुए शक्ति प्रदान करती है। इस दृष्टि से चाहे गोमय हो या गो-मूत्र हो ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.06 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

इसके संवर्धन की दृष्टि से गो-वंश की सुरक्षा आवश्यक है और इसीलिए आज आवश्यकता इस बात की है हम गौशालाओं का निर्माण करें उन्हें आर्थिक सहायता दें। गौ-वंश की रक्षा के लिए जो प्रयास हो सकते हैं, वे हम करें। यह अच्छी तरह से जानते हैं कि कई राज्य सरकारों ने भी इसके प्रबंध किये हैं कि गौ-वंश की रक्षा करें, अच्छी बीड्स आए, अच्छी नसल आए और उसके कारण न केवल अच्छे बछड़े हों अपितु दूध के अंदर भी विशेष क्रांति आए। यह बात ठीक है कि हम श्वेत क्राति की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत ने कृषि के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। ...*(व्यवधान)* वैदिक काल हो या पौराणिक काल हो 'गौ' की पूजा होती रही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, इस संकल्प पर चर्चा हेतु आबंटित समय पहले ही समाप्त हो चुका है। क्या सभा इस समय को आधे घंटे के लिए बढ़ाना चाहेगी।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

उपाध्यक्ष महोदय: इस प्रकार, समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। अब आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : मैं जो निवेदन कर रहा था, आज हम जिस प्रकार से श्वेत क्रांति की ओर हम बढ़ रहे हैं तो हमने न केवल खाद्यान्न के उत्पादन क्षेत्र में अपितु दूध के उत्पादन क्षेत्र में भी एक लक्ष्य प्राप्त किया है। उससे आगे भी बढ़े हैं। कृषि के बारे में विदेशों में कहा जाता है कि वहां अच्छी उन्नति हुई है लेकिन आज जहां खाद्यान्न के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, वहीं इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम गौ-वंश की रक्षा करें और गौ-हत्या पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाएं। यह बात ठीक है कि बहुत सी राज्य सरकार इस बारे में सहमत हैं कुछ अभी सहमत नहीं है और यह एक वैधानिक स्थिति आ सकती है लेकिन कुछ राज्य सरकारें, हो सकता है कि उनकी सहमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई हो लेकिन राज्य सरकारों से आग्रह किया जाएगा तो उनकी भी सहमति इस पर ली जा सकती है क्योंकि यह देश की आवश्यकता है और

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

जनता की कोटि-कोटि भावनाओं से जुड़ा हुआ यह मामला है। मैंने जैसा प्रारम्भ में कहा कि इस दृष्टि से चारों तरफ, चाहे कोई किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, मैं लम्बे उदाहरणों में नहीं जाना चाहता लेकिन यदि हम पिछले इतिहास की तरफ जाएं तो मुगलकाल में भी गौ-वध को पूर्णत प्रतिबंधित किया गया था और जब उस समय की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया था तो इस समय ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस बारे में निश्चित रूप से सरकार विचार करे और विचार करके देश की जनता की भावनाओं की रक्षा करे और जिस संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, उस संविधान की मंशा की रक्षा करे। देश के प्रमुख पूर्व राष्ट्रपति जी, अनेक वैज्ञानिकों ने भी गौवध प्रतिबंध की बात कही है। आखिर संविधान की शपथ लेकर हम यहां आते हैं और उसी संविधान की पूर्ति की दृष्टि से प्रहलाद सिंह पटेल जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसी दृष्टि से और न केवल भावनात्मक दृष्टि से बल्कि देश की अर्थ-सम्पदा की दृष्टि से क्योंकि यह सीधे-सीधे कृषि से जुड़ा हआ मामला है और उससे संबंधित होने के कारण कृषि हमारे देश का मूल आधार है। हमारी आर्थिक रीढ़ वही है और यदि हम इसे सुदृढ़ करना चाहते हैं तो गौ-वंश की रक्षा करने की आवश्यकता है। आज हालात उलटे हैं। गौवध हो रहा है, गोचर भूमि काटी जा रही है; उसका औचित्य माना जा रहा है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं कि कितनी हत्याएं हो रही हैं और कितने बूचड़खाने अंग्रेजों के जमाने में थे और अब उनकी संख्या बढ़ी है या बढ़ी है तो क्यों बढ़ गई है, बाहर से हम कितना मांस आयात करते हैं या निर्यात करते हैं, मैं इस सब चर्चा में जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं वास्तव में यह कहना चाहता हूं कि हमें गौ-वंश की रक्षा करनी चाहिए और अगर इसी प्रकार से गौ-वंश धीरे-धीरे समाप्त होता चला गया तो हमारे देश की कृषि पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। इस दृष्टि से भी और भावनात्मक दृष्टि से भी गौ-वंश की रक्षा करना आवश्यक है। आज चिकित्सक लोग यह कहते हैं कि माता के दूध के बाद अगर बच्चे के लिए भी यदि कोई दूध श्रेयस्कर है तो वह गाय का दूध है।

इसलिए यह कहा गया है कि भैंस का दूध, श्रेष्ठकर नहीं हो सकता है या बकरी का दूध, श्रेष्ठकर नहीं हो सकता है या ऊंटनी का दूध, श्रेष्ठकर नहीं हो सकता है। चिकित्सकों ने कहा है कि कैंसर का उपचार गौ-मूत्र से हो सकता है। अगर कान में पीप पड़ गया है, तो गौ-मूत्र से उसका इलाज हो सकता है। इस इलाज के लिए भैंस या अन्य किसी जानवर के बारे में नहीं कहा गया है। गाय के दूध और गाय के गौ-मूत्र जैसी विशेषता किसी अन्य जानवर में नहीं है। हमारे यहां पंचत्रव्य की व्याख्या की गई है। इसके अलावा जहां हम पैट्रोलियम पदार्थ की कमी की वजह से परेशान है, ट्रैक्टर और बड़ी-बड़ी मशीनों के लिए डीजल आयात करना पड़ रहा है, अगर हम गौवंश की रक्षा करें, तो हम कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। हम लौट कर पीछे आ रहे हैं, रासायनिक खाद से हटकर हम पुरानी परम्परागत खादों की ओर आ रहे हैं, उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। हमारे देश की आर्थिक सम्पदा, सुरक्षा और चिकित्सा तथा जन-जन की स्वास्थ्य रक्षा और भावनात्मक दृष्टि से भी गौवंश पर प्रतिबंध लगाना बहुत आवश्यक है। इस हेतु कई समितियों के स्वीकारात्मक प्रतिवेदन है। उन्हें मान्य करे। मा. जस्टिस लोढ़ा जी ने भी इस हेतु प्रस्ताव रखा था। किन्तु सदन के असमय भंग होने से वह पारित नहीं हो सका।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री श्रीराम चौहान (बस्ती): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा पेश किए संकल्प, कि सरकार सम्पूर्ण देश में गौ और गोवंश के वध पर पाबन्दी लगाने हेतु एक उपयुक्त विधान लाए, का मैं पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, पौराणिक काल से लेकर आज तक गाय और गौवंश का क्या स्थान है, क्या महत्ता है, इसके बारे में तमाम माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस देश में गाय की बहुत पुराने जमाने से ही बहुत ज्यादा महत्ता थी। गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर का उपयोग करके बीमारियों के निदान के प्रयास करते आए हैं। आज भी जब पूजा होती है, तो चरणामृत में गाय के दूध का ही प्रयोग करते हैं। किसी अन्य जानवर का दूध वर्जित माना जाता है। इसी प्रकार हवन आदि भी गाय के घी का ही प्रयोग किया जाता है, किसी अन्य जानवर के घी का प्रयोग वर्जित माना जाता है। पुराने जमाने से लेकर आज तक अनवरत इस देश के लोगों, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, लगभग समूचे जनमानस की मांग रही है कि गोवंश के वध पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मैं इस मौके पर महाभारत का एक उदाहरण देना चाहता हूं। महाभारत में जब पांडवों को वनवास हो गया, 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास, तो अज्ञातवास के दौरान उन्होंने राजा विराट के यहां शरण ली और शरण के दौरान उन्होंने नाम परिवर्तन कर दिया। विभिन्न नामों से, विभिन्न वेशभूषाओं और विभिन्न प्रकार के काम वे वहां पर करने लगे। उधर दुर्योधन को चिन्ता हुई कि पांडव कहां चले गए। कारण यह था कि अज्ञातवश के दौरान यदि पता चल जाता है कि वे कहां हैं, तो फिर 12 वर्ष के लिए उनको और वनवास जाना

पड़ता। इस कारण उनकी बहुत तलाश हुई। महाराजा विराट के यहां बहुत बड़ी गौशाला थी। उन्होंने गायों का हरण करने का निश्चय किया। लेकिन इससे पहले उन्होंने धावा बोल दिया था, जिससे महाराज विराट की सेना उधर चली गई थी और राज्य में कोई दूसरा योद्धा नहीं था।

वेश बदल कर रहने वाले, सादा जीवनयापन करने वाले अर्जुन वहां रह रहे थे। उन्होंने कहा कि गायों का हरण हो जाए, मेरे देखते-देखते इस प्रकार का कार्य हो जाए तो आने वाली पीढ़ियां, समाज और इतिहास मुझे क्षमा नहीं करेगा। वह बगैर इसकी चिन्ता करते हुए कि मुझे 12 वर्ष का बनवास होगा, वे अपने धनुष-बाण को निकाल करके, गांडीव की टंकार करके सारे कौरव पक्ष के सेनापतियों को परास्त करने का काम अर्जुन करते हैं। उन्हें यदि अपने जीवन और बनवास की चिन्ता होती तो निश्चित रूप से वह यह काम नहीं करते। गाय का सम्मान उस काल में इतना ज्यादा था कि ऐसा करने के लिए उन्हें विवश होना पड़ा। आज इतिहास में गो-भक्त और गो-रक्षक के रूप में हम सब लोग अर्जुन को याद करते हैं। इस देश में पौराणिक महत्ता बहुत ज्यादा रही है। पुरातन काल में आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसका बड़ा महत्व है।

महोदय, आज बहुत सारे ऐसे जिले हैं, जहां साम्प्रदायिक तनाव गो-वंश का वध हो जाने के बाद हो जाता है। अभी मेरे क्षेत्र से लगा हुआ संत कबीर नगर जिला है। वहां के दुधारा थाने में गो हत्या के बाद बहुत जबर्दस्त असंतोष हुआ। आमने-सामने दो वर्ग के लोग इकट्ठे हो गए और बड़ी भारी साम्प्रदायिक हिंसा हो गई, लेकिन लोगों ने उस मामले को संभाला। बकरा थाने में भी इसी प्रकार का बवाल हुआ। जगह-जगह, जहां भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो साम्प्रदायिक विद्वेष की भावना को बल मिलता है और साम्प्रदायिक सद्भाव इस समाज से खत्म हो जाता है। इसलिए सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसका बड़ा महत्व है। इस देश में गो-हत्या पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए। आर्थिक दृष्टि से भी यह इस देश की बड़ी भारी आधारशिला है। बैल हमारे खेत में काम करते हैं। किसान उससे हल जोतता है और पैदावार होती है। धनधान्य से परिपूर्ण, ऐसी वसुंधरा को बनाने का काम इस देश के गाय-बैल किया करते हैं। गाय से दूध मिलता है।

लक्ष्मीनारायण पांडेय जी कह रहे थे कि गाय का दूध सबसे शुद्ध, पवित्र और ताकतवर है और सभी चीजों को अपने अंदर समाहित किए हुए होता है। ऐसी गाय के दूध से शरीर बढ़ता है, बलवान होता है। इसे पीकर जहां हम अपने शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं, वहां मानसिक और बौद्धिक क्षमता भी इस दूध को पीने से बढ़ती है। ऐसा वैज्ञानिकों ने अपने शोध के माध्यम से किया है। इससे कई प्रकार के खाद बना कर खेतों में अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। अगर दस गाय हैं तो दस-बीस परिवार आराम से और आर्थिक खुशहाली के साथ अपने जीवनयापन का काम कर सकते हैं। इसका आर्थिक दृष्टिकोण से भी बड़ा भारी महत्व है। चिकित्सकीय दृष्टिकोण से लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि बहुत बड़े-बड़े असाध्य रोग, जिन पर कई प्रकार की औषधियां फेल हो जाती हैं, गाय के द्वारा उत्पन्न तमाम चीजों से कई प्रकार के रोगों का निराकरण कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि विचार किया जाए तो गाय और गो-वंश हमारे जीवन की प्रत्येक चीजों को प्रभावित एवं संवर्द्धित करती है तथा विकास करती है।

पटेल जी जो गैर-सरकारी बिल लाए हैं, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और इनका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसलिए आपको भी धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी द्वारा जो निजी संकल्प यहां पेश किया गया है कि ''सरकार सम्पूर्ण देश में गौ और गोवंश के वध पर पाबंदी लगाने हेतु एक उपयुक्त विधान लाए'', उसका स्वागत करते हुए मैं माननीय सदस्य को धनय्वाद देना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर सम्पूर्ण सदन और देश का ध्यान आकर्षित करके उन्होने जो प्रस्ताव पेश किया है, निश्चित ही उसके लिए वह हृदय से धन्यवाद के पात्र हैं।

महोदय, भारतीय संस्कृति का मूल वेद है। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि ''अध्यने ते रुपाय नमः'' अर्थात् हे अवध्य गौ तेरे स्वरूप को नमन है। ऐसा वेदों में कहा गया है। वेदो ने विभिन्न प्रकारों से गौ और गाय की बछिया या बछड़े को हर प्रकार से पूज्य माना है। वजह धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से और हर प्रकार से भारतीय संस्कृति के संदर्भ में गोवंश की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता है। यदि कहा जाए कि गाय भारत के धर्म और कृषि प्रधान संस्कृति को जोड़ने का एकमात्र माध्यम है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। निश्चित ही भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जिस देश की 70 से 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, वह देश गोवंश का पालन न करके उन विकसित राष्ट्रों के पीछे, उस भौतिकता के पीछे भाग रही है जहां की मात्र 2 से 5 प्रतिशत जनसंख्या ही कृषि पर आधारित है। मैं समझता हूं कि यह नासमझी होगी। भारत जैसे धर्म प्रधान देश में जिसने हर संस्कृति का, हर मजहब और वर्ग का सम्मान किया है, ''सर्व धर्म समभाव'' का एक आदर्श उपस्थित किया है, उस धर्म का आधार, उस संस्कृति का आधार अगर कोई है तो गौ है, गोवंश है और गौ माता है। इसलिए गाय के उन तमाम लक्षणों को देख कर, उनके गुणों को देख कर आर्य संस्कृति में गावो विश्वस्य मातरः के रूप में उसे प्रधानता दी गई है। धर्म शास्त्रों में गौ माता के

[योगी आदित्यनाथ]

बारे में और उसके गुणों के बारे में जो बातें कही गई हैं इसलिए वहां कहा है कि ''सर्वे देवा: स्थिता देहे सर्व: देव महि ही गौ'' जितने भी देवी देवता हैं, उन सब का कोई एक आधार हो सकता है, किसी एक स्थान में उनकी प्राप्ति हो सकती है तो वह इस गौ माता से प्राप्त हो सकती है, उसकी सेवा और पूजन से प्राप्त हो सकती है। हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश की किसी व्यवस्था में जाएं तो जैसा मैंने कहा कि हम पश्चिम के उन विकसित राष्ट्रों के पीछे भागते हैं, जहां दो से पांच प्रतिशत जनसंख्या ही कृषि पर निर्भर करती है। भारत गांवों का देश है। गांवों के देश जहां पर 70 से 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और कृषि पर निर्भर यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था यदि पश्चिम के उन राष्ट्रों का अनुसरण करेगी तो निश्चित ही विकासशील देश की बात तो दूर है, हम विश्व के उन पिछड़े राष्ट्रों में रहेंगे,

जो आज हमारी दुर्गति हुई है, आजादी के बाद निरंतर हम विकास की उन बुलंदियों को नहीं छू पा रहे हैं क्योंकि हम भारतीयता, उसकी संस्कृति और परम्परा से हटे हैं, यह उसी का परिणाम है। आज अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। हमारे यहां गो माता के लिए कितने त्याग और बलिदान की बात की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, भगवान श्री राम जिस सूर्यवंश की परम्परा में पैदा हुये थे। उस परम्परा में महाराज दलीप सम्राट हुए थे। महाराज दलीप को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। वे अपने गुरु वशिष्ट के पास गये और प्रार्थना की कि उन्हें पुत्र-रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो उन्होने कहा कि मेरे पास कामधेनु गाय है उसकी बछिया 'नन्दिनी' है, इसकी सेवा करो। जहां कहीं जाओ, हर प्रकार से सेवा करोगे तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। उस गाय को बचाने के लिए महाराज दलीप ने क्या नहीं किया। महाराज दलीप की परीक्षा लेने के लिए स्वयं परमपिता परमेश्वर आए तो उस परीक्षा में महाराज सफल हुए। एक सिंह गाय को खाने के लिए झपटा तो महाराज दलीप प्रार्थना करते हुए शेर से कहते हैं कि आपकी भूख शान्त करने के लिए मैं मौजूद हूं। इस प्रकार गाय की रक्षा के लिए उन्होंने वह महान् परम्परा कायम की और अपने शरीर के एक-एक अंग को सिंह के हवाले किया। गो माता की रक्षा के लिए भारत की महान् परम्परा कायम करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मेरे कहने का अर्थ यह है कि भारत ने गौ माता की रक्षा करने के लिए एक महान् परम्परा डाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, देवासुर संग्राम में देवों और असुरों में संघर्ष हो रहा था। समुद्र मंथन के बाद उस में से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। उन रत्नों में से एक कामधेनु गाय थी। उस कामधेनु गाय की आज भी हम पूजा करते हैं। उसी कामधेनु गाय की परम्परा हमारे देश में है। उस देश में, जहां समुद्र मंथन से कामधेनु गाय प्राप्त हुई, महाराज दलीप ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और प्रभु श्रीराम जी के जन्म के कारण जो गौ माता बनी।

हमारे पुराणों में एक कथा आती है कि त्रेता युग में पृथ्वी पर जब असुरों ने उत्पाद मचाना शुरू किया तो पृथ्वी गौ माता के रूप में भगवान विष्णु के सामने गई और प्रार्थना की कि असुरों के आक्रांत से पृथ्वी की रक्षा करो। तब भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और उस पृथ्वी से असुरों का समूल नाश किया। गौ के विभिन्न रूपों में पृथ्वी भी एक रूप है। इंद्रियां भी गौ का ही रूप हैं। उस महान् परम्परा वाले देश में आज क्या हो रहा है। इस देश में रोजाना नये बूचड़खाने खोले जा रहे हैं। हर रोज सूर्योदय के समय 29,500 गायें बूचड़खानों में भेजी जाती हैं। जब तक इस देश में गायों का लहू बहेगा, तब तक इस देश में शान्ति नहीं आ सकती है, कहीं विकास की बातें नहीं की जा सकती है। आज यही सब कुछ हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश धर्म प्रधान और कृषि प्रधान देश है। हमने सम्पूर्ण जीवन को चार पुरुषार्थों में बांटा है-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का आधार गौ माता था। उस गौ माता की सेवा करने पर हमें उसका दूध प्राप्त होता है, गौ मूत्र प्राप्त होता है। उसके द्वारा अर्थ-उपार्जन का साधन प्राप्त होता है। कृषि प्रधान देश में उसकी महत्ता रही है। धर्म में गौ माता की सेवा करके धर्म के साधन की पूर्ति कर रहे हैं। उसके द्वारा हमें जो गोबर और दूध प्राप्त हो रहा है, बछड़े प्राप्त होते हैं जो खेती के साधन हैं।

उनके माध्यम से हम अर्थोपार्जन कर रहे हैं और अर्थ से कामनाओं की सिद्धि हो रही है और उस गोमाता के माध्यम से चतुर्थ पुरुषार्थ की कामना होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां प्रत्येक हिन्दू के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताये गये हैं। अंत समय में हमारे यहां गोदान की बड़ी महत्ता है। किसी व्यक्ति ने जीवन भर कुछ किया हो या न किया हो, लेकिन अंत समय में एक बात आती है कि यदि जाने-अनजाने में हमारे कोई पाप हो गया हो कोई दुराचार, अनाचार हो गया हो तो गोमाता के दान से मोक्ष पद की प्राप्ति होती है अर्थात् जीवन-मरण के बंधन से सर्वथा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस मोक्ष का मार्ग भी गौमाता ही प्रशस्त करती है। हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि अगर किसी से होती है तो केवल गौमाता के माध्यम से होती है।

इतना ही नहीं इस देश की आजादी के लिए जब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे थे तो

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश की आजादी में भी गोमाता की अहम् भूमिका रही है। कौन नहीं जानता कि 1857 के गदर के पीछे क्या कारण थे। गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए कारतूसों को भारतीय सैनिकों ने निकालने से इन्कार कर दिया था और 1857 की क्रांति हुई थी और उसके बाद देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त हुआ था। लेकिन आज हम कहां पहुंच गये हैं। ऐसा नहीं है कि प्रयास न हुए हों। आजादी के बाद 1946-47 में इस देश के पूज्य धर्माचार्यों ने एक आंदोलन प्रारम्भ किया था। उन्होंने मांग की थी कि गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनना चाहिए। उसका परिणाम था कि 1946-47 में जो आंदोलन प्रारम्भ हुआ था, देश की आजादी के बाद सरदार दातार सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था और उस कमेटी ने देश में गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सिफारिश की थी। उस कमेटी ने संस्तुति की थी कि जब तक गौहत्या पूर्णत: बंद नहीं होगी, तब तक भारत की आत्मा को शांति नहीं होगी। अत: उपयोगी पशुओं के वध पर तत्काल प्रतिबंध लगे और अनुपयोगी पशुओं के लिए सभी सरकारें गोसदन खोलें और दो वर्ष में गोवध बंद किया जाए।

उसके बाद 1966-67 में गोरक्षा का आंदोलन हुआ था, जिसमें देश के पूज्य धर्माचार्यों के साथ-साथ देश के 25 लाख लोगों ने संसद के सामने प्रदर्शन किया था। देश के ज्ञात इतिहास में यह सबसे बड़ा आंदोलन था। उस समय की इस घटना में उन लोगों ने लाठियां और गोलियां खाई थी और उसी का परिणाम था कि 1967 में नवगठित सरकार के सामने तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति जी ने रेडियो संदेश में देश की जनता को आश्वासन दिया था कि नवगठित सरकार गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनायेगी। लेकिन वह अभी तक नहीं हो पाया है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इस मुद्दे के लिए आबंटित समय भी समाप्त होने जा रहा है। क्या सभा की सहमति है कि इस समय को माननीय मंत्री द्वारा उत्तर दिए जाने तक बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

उपाध्यक्ष महोदय: इसलिए, समय को उक्त सीमा तक बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तब आचार्य विनोबा भावे जी ने गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए आमरण अनशन किया था। उस आंदोलन के फलस्वरूप तत्कालीन सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से यद्यपि गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

लेकिन महोदय, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी के कारण यह नहीं हो सका। आजादी के बाद निरन्तर देखा गया, हमारी सरकारों के अन्दर, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी होने के नाते इस प्रकार का कोई कानून नहीं बन पाया है।

1996 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 13 दिन के लिए बनी और 1996 में ही तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा जी ने दोनों सदनों को संबोधित करते हुए यह घोषणा की थी कि यह सरकार गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक लाएगी, लेकिन सरकार का पतन होने के बाद ही वह घोषणा भी समाप्त हो गई।

महोदय, यही नहीं, आज मुझे याद है कि कांचीपुरम के आचार्य ने आमरण अनशन की घोषणा की थी। उनकी गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिए आमरण अनशन करने की घोषणा के फलस्वरूप सरकार ने इस बात को समझा और माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस बात को समझा कि कांचीपुरम के आचार्य के आमरण अनशन के बाद देश में सद्भाव पर असर पड़ सकता है, स्थितियां बिगड़ सकती हैं। इसलिए 1 अगस्त, 2001 को माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर ''नैशनल कमीशन ऑन कैटल'' बनाया गया। महोदय, उस कमीशन ने जस्टिस गुमानमल लोढ़ा जी की अध्यक्षता में 31 जुलाई, 2002 को अपनी रिपोर्ट माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी को दे दी। 1500 पेज की आयोग की वह पूरी रिपोर्ट बनी है। उसमें सारे कारण दिए गए हैं। धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण दिए गए हैं और उन सब कारणों को देते हुए नैशनल कमीशन ऑन कैटल ने भारत सरकार से अपेक्षा की है और यह अनुरोध किया है कि गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। महोदय, निश्चित रूप से उस भावना को समझने का प्रयास होना चाहिए।

महोदय, आजादी के बाद से हमारे देश में भारतीय नस्ल के गौ वंश में निरन्तर कमी आई है। उसकी संख्या में निरन्तर ह्रास हुआ है। भारत गौ-प्रधान और कृषि-प्रधान देश है। यहां पर गौ-वंश की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी नहीं है बल्कि अन्य राष्ट्रों से कम है। 1951 में 1000 जनसंख्या के पीछे 436 गौ वंश था। यह संख्या 1961 में 400 पर आ गई, 1971 में 328 हो गई और 1981 में 271 तथा 1991 में 216 और 1996-97 में 1000 व्यक्तियों पर मात्र 156 रह गई है। यह भारतीय जीव-जन्तु कल्याण

[योगी आदित्यनाथ]

बोर्ड की रिपोर्ट है। वह कहती है कि किस प्रकार से निरन्तर गौ-वंश में कमी होती जा रही है और यदि यही स्थिति रही, तो भारतीय नस्ल की गौ-वंश की प्रजातियां धीरे-धीरे लुप्त हो जाएंगी। जो भारतीय गौ-वंश की 22 प्रजातियां बताई गई हैं उनमें से 6 लुप्त हो चुकी हैं और 3 लुप्त होने के कगार पर हैं। हम शोध ही नहीं करना चाहते हैं। सरकार नए-नए बूचड़खाने खोलने के लिए 100 प्रतिशत तक अनुदान देती है, लेकिन आश्चर्यजनक स्थिति यह है कि भारतीय नस्ल के गो-वंश के अनुसंधान के लिए यदि किसान ऋण लेना चाहता है, तो उसे ऋण भी नहीं दिया जाता है। गौ-शालाओं की स्थिति कितनी जर्जर है, वह किसी से छिपी नहीं है। जितनी गौ-चर भूमि हैं, उन पर भू-माफियाओं का कब्जा हो चुका है। कई सरकारों ने अपने वोट बैंक की खातिर गौ-चर भूमि को भी बांटने का कार्य किया है।

ये सब कार्य हो रहे हैं लेकिन गौवंश के बारे में नहीं सोचा गया है, भारत जैसे देश में इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है। हम जब ऋण भी देते हैं तो जर्सी गाय के लिए देते हैं जो अधिक से अधिक 40 किलो तक दूध देती है। सौराष्ट्र के गिरनार में गिर नस्ल की गाय पाई जाती है। ब्राजील इस गाय को ले गया था। गिर नस्ल की गाय ब्राजील में 100 लीटर तक दूध दे रही है। हम शोध नहीं कर सकते, हम कार्य नहीं कर सकते। हम केवल दूसरों की ओर देखना चाहते हैं। हम कर्महीन हो गये हैं। हमारी साधना समाप्त हो चुकी है। हम तपस्या ही नहीं करना चाहते, शोध ही नहीं करना चाहते। जब हम दूसरों की ओर देखेंगे तो ऐसी ही स्थितियां पैदा होंगी।

गिर नस्ल की गाय ब्राजील में 100 लीटर दूध दे सकती है। वही गिर नस्ल यहां क्यों नहीं पैदा की जा सकती? आप यहां संरक्षण, संवर्धन करके उसकी नस्ल को क्यों नहीं सुधार सकते? हमारे अनुसंधान केन्द्र कहां चले गये जिस पर सरकार अरबों रुपया खर्च करती है। साईवाल गौवंश भारतीय नस्ल की है, हरियाणवी नस्ल भारतीय गौवंश की है। सिंधी, खाटपाकर और काफरेच देशी नस्ल की गाय हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में हम जाकर देखते हैं कि किसान दिन भर उनको खुला छोड़ देते हैं। वे दिन भर घूमकर शाम को जब वापिस जाती है तब भी दो-चार लीटर दूध दे देती है। हम मेहनत किये बगैर सब कुछ पा लेना चाहते हैं।

हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। उन्होंने हमें यही कहा था कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गौवंश की पूजा होनी चाहिए। गाय की पूजा होनी चाहिए। उनका कहा कि राजा की पूजा मत करिये, इंद्र की पूजा मत करिये, अगर पूजा करनी है तो उस गाय की पूजा करिये जो दूध देती है, घी देती है, दही देती है जो पापों का नाश करने वाली है। पंचगव्य पाप नाशक है। हमारे यहां गंगा जल जैसा पवित्र पंचगव्य है। गौमूत्र, गौमल, गौ घी, गौ दूध, आदि का कुश जल के साथ पान अगर कोई कर लेगा तो उसके सारे पापों का हरण हो जायेगा। उस पंचगव्य का पान कराने वाली गौ माता की रक्षा करिये। गोवर्धन की पूजा करिये।

हमारे यहां दीपावली के बाद गोपाष्टमी मनाते हैं। प्रत्येक हिन्दू उसे मनाता है। ऐसे देश में गो हत्या हो रही है और गऊ हत्या करने के लिए नये-नये बूचड़खाने खोले जा रहे हैं। योजना आयोग कोई रिपोर्ट पेश करता है या कोई योजना बनाता है, तो इस देश का गौ मांस निर्यात करने की योजना बनाता है। गौमांस का निर्यात करके हम विदेशी मुद्रा कमाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए कोई योजना नहीं बनाना चाहते हैं। आज गौमूत्र से हमारी कुछ संस्थाएं विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाती हैं। 36 से अधिक प्रकार की औषधियां गौमूत्र से बन रही हैं।

अभी माननीय पाण्डे जी ने कहा था कि हमारी एक निजी संस्था को गौमूत्र से कैंसर जैसी असाध्य रोग को दूर करने के लिए पेटेंट हासिल हुआ है। मुझे याद है 1998 में मैं काठमांडू में एक कार्यक्रम में गया था। जब मेरा कार्यक्रम समाप्त हुआ तो मुझे बताया गया कि काठमांडू में पशुपति क्षेत्र में एक गौशाला स्थान है जिसमें एक गौशाला है। वहां देसी नस्ल की गाय पाली जाती हैं। वहां एक नेपाली नौकर कार्य करता था। उसके पेट में अल्सर फट गया था। डाक्टरों ने उसे कहा कि तुम्हें कैंसर हो गया है और अब तुम बच नहीं पाओगे। नागपुर में गौमूत्र पर शोध हो रहा था। वहां गौमल से, गौमूत्र से कई प्रकार की औषधियां बनाई जा रही हैं। हमारा एक कार्यकर्ता नागपुर से सीखकर गया था। वह वहां से गौमूत्र के कुछ पैकेट साथ ले गया था। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप समाप्त करिये क्योंकि अभी एक रेजोल्यूशन श्री रामानंद सिंह जी का और है। वैसे भी हमें पांच बजकर बीस मिनट पर इस प्राइवेट मैम्बर बिल को समाप्त करना है क्योंकि हमने इसे जल्दी शुरू किया था।

योगी आदित्यनाथ: जब डाक्टर ने उसको मना कर दिया कि तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा, तब जो कार्यकर्ता नागपुर से गौ मूत्र बटी बना कर ले गया था, उसने कहा कि जब मरना ही है तो इसे खाकर मरो। उसने दो महीने तक गौ मूत्र बटी की दो-दो गोलियां लेनी प्रारंभ कर दी और दो महीने के अंदर उसका अल्सर, जो कैंसर में बदल चुका था, पूरा साफ हो गया, बिल्कुल स्वस्थ था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, हां, गौ माता की सेवा और गौ मूत्र से बनी हुई औषधि से यह चमत्कार हुआ है। मुझे डाक्टरों ने कह दिया था कि अब तुम बच नहीं पाओगे लेकिन मैं आज सबके सामने जिन्दा हूं, सबके सामने खड़ा हूं, स्वस्थ हूं।

हमें उसका पेटैंट इसी वर्ष हासिल हुआ है। इतनी बड़ी उपलब्धि हमें गौ मूत्र से प्राप्त हुई है, गाय से प्राप्त हुई है। हम कार्य नहीं करना चाहते, सीधा रास्ता देखना चाहते हैं। निश्चित ही माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण संकल्प पेश किया है। आज माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर नैशनल कमीशन आन कैटल ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। उसने सारी संस्तुति एक केन्द्रीय कानून ''गौ हत्या'' पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए दी है तो निश्चित ही इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः अब समाप्त कीजिए।

योगी आदित्यनाथः मैं समाप्ति की ओर ही जा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अपना वक्तव्य समाप्त करें। अब मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने हेतु बुलाने वाला हूं क्योंकि श्री रामानंद सिंह एक अन्य संकल्प प्रस्तावित करने वाले हैं। आपने चालीस मिनट ले लिए हैं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथः इतने महत्वपूर्ण विषय पर निश्चित ही एक केन्द्रीय कानून बनना चाहिए। अलग-अलग राज्यों में जो कानून बने हैं, वे सफल नहीं हो पाए। विभिन्न राज्यों ने कानून बनाए हैं-पश्चिम बंगाल ने बनाया था लेकिन बंगाल में क्या होता है। आज भी सड़कों पर गौ काटी जाती है। बड़ी मात्रा में गौ तस्करी पश्चिम बंगाल और बंगलादेश के लिए होती है।

मैं तमिलनाडु और कर्नाटक गया था। कांचीपुरम के आचार्य अनशन पर बैठ रहे थे। हम भी वहां गए थे। वहां यही था कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से सारा गौ वंश तस्करी के रूप में केरल में जाता है जहां गौ हत्या बंदी पर कोई रोक नहीं है जिसके कारण वहां सड़कों पर सरेआम गौ काटी जाती है। इसका परिणाम होता है कि वहां इस देश के बहुसंख्यक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को सीधे आहत किया जाता है, भावनाएं उसे तोड़ने का कार्य होता है। इसके परिणामस्वरूप बार-बार सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के फिजिक्स के एक प्रोफैसर ने अपना एक शोध पत्र दिया है। उसमें कितनी सच्चाई है। मैं पूर्ण रूप से धार्मिक हूं, गौ माता के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति मेरी आस्था है। फिजिक्स के प्रोफैसर ने अपने शोध पत्र में दिया है कि सृष्टि की रचना ध्वनि तरंगों से हुई है। ध्वनि तरंगों में सबसे प्रथम ध्वनि ओंकार की थी। भारतीय नस्ल का गौ वंश जब चिल्लाता है तो ओंकार की ध्वनि करता है, ओउम की ध्वनि करता है। उसने कहा कि जल्दी-जल्दी जो भूकम्प आ रहे हैं, बूचड़खानों में बहुत बड़ी मात्रा में जो गौ वंश काटा जा रहा है, उसकी करुण पुकार उन ध्वनि तरंगों में हलचल और ह्रास का कारण है और वह भूकम्प का कारण बन जाता है। यह दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफैसर ने अपने शोध पत्र के माध्यम से दिया है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः अब आप समाप्त कीजिए।

योगी आदित्यनाथः मुझे थोड़ा समय और बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री रामानन्द जी का रैजोल्यूशन है, वह भी अभी लेना है।

योगी आदित्यनाथः उस पर अगले दिन चर्चा हो जाएगी। जब उनका समय आएगा तो उनको बोलने दीजिएगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला संकल्प भी काफी महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथः मैं एक लाइन भी दुबारा नहीं कह रहा हूं। मैं सही और सत्य ही बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदयः और इधर असत्य बोल भी नहीं सकते।

योगी आदित्यनाथः इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम इस सदन में आपको इस महत्वपूर्ण मामले में अपना संरक्षण हमें देना चाहिए। अगर हम गौरक्षा के बारे में नहीं कहेंगे तो किसके बारे में कहेंगे। ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्यः सभी मामले महत्वपूर्ण होते हैं।

योगी आदित्यनाथः सबसे बड़ा कलंक तो आपका राज्य ही पैदा कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदयः आप जल्दी से खत्म कीजिए। रामानन्द जी का जो रैजोल्यूशन है, उसके साथ वे उधर बैठे हैं।

योगी आदित्यनाथः जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, उसमें अगर आज एक भौतिक विज्ञानी भी इस बात को स्वीकार कर रहा है तो निश्चित ही उसके पीछे कुछ कारण है। हमारे शास्त्रों में बहुत

[योगी आदित्यनाथ]

पहले ही गाय की पूजा की है, ''गावो विश्वस्य मातर:'', विश्व की माता के रूप में उसे कहा है: ''सर्वे देवा स्थिता: देहे, सर्व देव: महि ही गौ।'' माता के रूप में उसका सम्मान किया है, उसे पूजा है, उसे माना है तो निश्चित ही उसके पीछे कारण रहे होंगे। हमने उसके पीछे के उस भौतिक विज्ञान को छिपा दिया है, हमने उसके पीछे के उस सामाजिक कारण को भुला दिया है कि वह धर्म के आधार पर नहीं, केवल उसके पीछे छिपे उस महत्वपूर्ण विज्ञान के कारण ही नहीं, विज्ञान के तत्व को भी जानने की आवश्यकता है और आज वह एक-एक करके हमारे सामने आ रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, जिस प्रकार से मैंने कहा कि गौवंश की भारतीय प्रजाति की छ: नस्लें समाप्त हो चुकी हैं और तीन समाप्त होने के कगार पर हैं। हमारी जो 22 प्रजातियां थीं, उनमें से छ: तो समाप्त हो चुकी हैं और तीन समाप्ति होने के कगार पर हैं। बाकी जो बची हुई हैं, बड़े पैमाने पर हो रही तस्करी और योजना आयोग के द्वारा बनाई जा रही नित्य गौमांस के निर्यात के लिए उनकी नई-नई व्यवस्थाएं निश्चित ही खतरनाक हैं, वह एक शुभ संकेत नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि हर दृष्टि से, चाहे वह धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, आर्थिक हो या पर्यावरण की दृष्टि से हो, हर प्रकार से गोमाता भारतीय समाज के लिए पूज्य रही है और उसे उसी प्रकार से सम्मान दिया जाना चाहिए।

मुगल पीरियड में भी गौहत्या पर प्रतिबन्ध था। मैं सम्राट अकबर के दरबार की एक कविता को यहां पर दोहराना चाहूंगा। उस समय गौमाता की जगह-जगह हत्या हो रही थी तो अपनी करुण पुकार लेकर सम्राट अकबार के नवरत्नों में से एक रत्न श्री नरहरि जी, जो गौमाता के गले में कागज टांगकर सम्राट अकबर के दरबार में उसे ले गये थे, जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक छन्द के माध्यम से कुछ पंक्तियां उद्धृत की थी:

''अरिहुं दन्त तृन धरै, ताहि मारत न सबल कोइ,
हम सन्तत तृन चरहिं, बचन उच्चरहिं दीन होइ।
हिन्दुहिं मधुर न देहि, कटुक नहिं तुरकहिं प्यावहिं,
पय विशुद्ध अति स्रबहिं, बच्छमति थंम न लावहिं।
सुनहूं शाह अकबर अरज, करत गऊ जोरे करन,
कवन चूक मोहिं मारियत, मुएहूं चाम सेवत चरन॥''

अर्थात् यदि शत्रु दांतों तले शरणागति सूचक तृण दबा ले तो कोई शक्तिशाली व्यक्ति उसे नहीं मारता, फिर हम तो सदा तृण ही चरती हैं और दीन वचन ही बोलती रहती हैं, तब हमें क्यों मारा जा रहा है। पुनश्च ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हम हिन्दुओं को तो मीठा और मुसलमानों को कड़वा दूध पिलाती हों। अरे हम तो हिन्दू, मुसलमान और ईसाई, सभी को एक जैसा मधुर दूध ही पिलाती हैं। यहां तक कि अपने बछड़े के लिए भी बचाकर नहीं रखतीं। ऐसी स्थिति में, हे बादशाह अकबर, मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि मुझे बताइये कि हमें किस अपराध के कारण मारा जाता है, जबकि मरने के बाद भी मैं सब की जूती के लिए चमड़ा भी प्रदान करती हूं।

इस ऐतिहासिक छन्द के साथ मैं आपके माध्यम से, माननीय सदस्य ने जो संकल्प पेश किया है और उस वर्ष में पेश किया है, जब कि नेशनल कमीशन ऑन कैटल ने भी भारत सरकार को 1500 पृष्ठों की रिपोर्ट में संस्तुति की है कि भारत में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। उस स्थिति में भारत जैसे राष्ट्र में, राम-कृष्ण की जन्मभूमि पर, बुद्ध महावीर की इस धरती पर, अशोक और गांधी के इस देश में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनना चाहिए, जिससे भारतीय संस्कृति और उसकी आत्मा और कृतघ्न होने से बच सके।

इन शब्दों के साथ मैं पुन: एक बार माननीय सदस्य को हृदय से धन्यवाद देता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय: दो मिनट में आप क्या बोलेंगे, अब मंत्री जी को उत्तर देने दें। इसके बाद दूसरा प्रस्ताव लेना है।

श्री रामदास आठवले: मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा। प्रहलाद सिंह जी ने जो प्रस्ताव यहां पेश किया है, उसमें गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। मेरा सुझाव है कि मानवता के दृष्टिकोण से यदि हम विचार करें तो गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, उसी तरह से अन्य किसी भी जानवर की हत्या नहीं होनी चाहिए। आप गौहत्या पर प्रतिबंध की मांग को धार्मिक माध्यम से उठा रहे हैं। आप जानते हैं कि हरियाणा में कुछ दिन पहले झज्जर में एक मरीज गाय की खाल उतारने का काम कुछ दलित कर रहे थे, तो उस पर उनकी हत्या कर दी गई। अगर देश में धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना है, अगर देश में सर्वधर्म समभाव की शिक्षा सभी को देनी है, तो सभी जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए। आप धार्मिक हिन्दुत्व को अपना रहे हैं, लेकिन मूल हिन्दुत्व ऐसा नहीं है। असली हिन्दुत्व किसी जातिवाद को नहीं मानता है। कास्टीज्म में काम पर आधारित थी, न कि धर्म पर। इसलिए आपका यह धार्मिक हिन्दुत्व हमें मंजूर नहीं है। अगर हिन्दू धर्म को आगे बढ़ाना है तो आप लोगों को सभी को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो आदिवासी हैं, वे भी हिन्दू हैं, उनके साथ समानता का बर्ताव नहीं किया जाता, वह किया जाना चाहिए। इसलिए कास्टीज्म पर विचार न करके मानवीयता पर विचार करना चाहिए।

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर): गऊ माता सभी को दूध पिलाती है और सबके साथ समान व्यवहार करती है इसलिए उसका वध क्यों हो-इसी उद्देश्य से यह प्रस्ताव लाया गया है।

श्री रामदास आठवले: गाय दूध देती है तो मुर्गी भी अंडा देती है, उसका भी वध रोकना चाहिए। इसलिए मानवता पर विचार करना चाहिए।

श्री श्याम बिहारी मिश्र: आप क्या मुर्गी को माता कहेंगे?

श्री रामदास आठवले: मैं दूसरी बहस में नहीं पड़ना चाहता। जहां तक माता का सवाल है, आप लोग गाय को माता मानिए, लेकिन दूसरे जानवरों के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। अगर मानवता पर विचार करना है, हिन्दू धर्म को मजबूत करना है तो सभी जानवरों को नहीं मारना चाहिए। इस तरह का प्रस्ताव लाना चाहिए। केवल गाय को मत काटो, बाकी को काटो, यह नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यदि नेशनल इंटीग्रिटी के बारे में, सर्वधर्म समभाव के बारे में आप विचार करते हैं तो दूसरे धर्मों के बारे में भी विचार करें। आप कहते हैं कि मुसलमान ऐसे हैं, ईसाई ऐसे हैं।

श्री श्याम बिहारी मिश्र: आप सर्वधर्म समभाव की परिभाषा को नहीं समझते। उसके मूल में भी गाय का महत्व है।

श्री रामदास आठवले: गाय को नहीं मारना चाहिए, यह विचार बहुत महत्वपूर्ण है, मगर मेरा इतना ही कहना है कि गाय को ही नहीं, सभी जानवरों को नहीं मारना चाहिए। इसलिए ऐसा प्रस्ताव होना चाहिए कि सभी जानवरों का वध नहीं होना चाहिए। चाहे वह भैंस हो या बैल कोई भी हो। जब आप ऐसा प्रस्ताव लाएंगे, तब मैं उसका समर्थन करूंगा। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री रामानन्द सिंह (सतना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से पहले एक मिनट लूंगा। इस पूरी चर्चा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साबरमती और सेवा आश्रम में जो 18 सूत्री कार्यक्रम था, उसमें भी गौवध का निषेध था-उसकी चर्चा नहीं हुई और दासमुंशी जी ने तो इस चर्चा को दूसरा मोड़ ही दे दिया। प्रहलाद सिंह जी के संकल्प का तो सभी को समर्थन करना चाहिए क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी ने सेवाग्राम और साबरमती आश्रम में अपना 18 सूत्रीय रचनात्मक कार्यक्रम रखा था जिसमें अस्पृश्यता निवारण, स्वदेशी स्वावलम्बन और खादी ग्राम उद्योग था। उमसें गौ-सेवा और गौ रक्षा का भी विषय था। उसमें गौवध निषेध का भी विषय था। इस संदर्भ में इस संकल्प को भारत सरकार को भविष्य में कानून के रूप में परिणत करना चाहिए।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): महोदय, बड़े विस्तार से माननीय सदस्य ने अपनी राय इस संबंध में रखी। सृष्टि के आदिकाल से लेकर, वैदिक काल से लेकर आज तक इस संबंध में जितने रामायण और महाभारत के उदाहरण दिये जा सकते थे, वे दिये गये। आधुनिक काल में जब माननीय पटेल जी ने अपने भाषण को प्रारम्भ किया था तो विनोबा भावे, गांधी जी और आज की आजादी की लड़ाई से लेकर और जितने राष्ट्रीय स्तर के नेता हुए, उन सभी के विचारों को उद्धृत किया था। इस संबंध में इससे पहले भी कई बार इस तरह के विधेयक आए, अनेक प्रस्ताव आए, उन पर चर्चा भी हुई थी। फिर इस पर चर्चा हुई है।

माननीय सदस्य जो इनके आर्थिक पक्ष को, कृषि-अर्थ नीति और ग्राम अर्थ-नीति, जमीन की उर्वरा शक्ति, गौ के महत्व, गौ के गोबर, मूत्र, दूध, दही, पंचामृत और पंचगव्य ये सब जिनकी भारतीय संस्कृति में प्रधानता और महत्व है, उससे कहां कोई इंकार कर सकता है? जिनकी अपनी श्रद्धा है, निष्ठा है, वे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूजा, आराधना और उपासना करते हैं। हमें सबकी पूजा, आराधना का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जहां तक गौ, गौ-वंश और कृषि से जुड़े हुए विषय का सवाल है, भारत की कृषि में जो उनका महत्व है, उसका आर्थिक दृष्टिकोण है। बाकी लोग तो गोपालन की बात करते हैं। मेरा तो वंश ही गोपाल है और मैं उन्हीं से जुड़ा हुआ हूं। मेरा गोपाल वंश इसलिए है कि भगवान का भी दूध, दही और मक्खन खाने को जी मचला था तो मेरे घर ही आकर जन्म लिया था। कहीं बर्लिन, लंदन या वाशिंगटन में तो दूध, दही खाने वह नहीं गये थे। वह तो यमुना के तीर पर ही गाय, भैस और बकरी चराने के लिए गये थे और दूध, दही और मक्खन खाने चले गये थे। इसलिए उनके साथ मेरा भावनात्मक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मानसिक और आर्थिक संबंध है। मुझे अगर कहिए तो हम तो आधा जानवर और आधा इंसान हैं। मेरे भगवान भी नरसिंह के अवतार हैं। वह आधा जानवर और आधा इंसान थे। इसी तरह से गणेश जी आधा जानवर और आधा इंसान हैं। रामदास आठवले जी, आप जो बात उठा रहे थे, भारतीय संस्कृति में गणेश जी के माथे पर हाथी का सिर है, अश्विनी कुमार के माथे पर घोड़े का सिर है। उसी तरह से हमारे नरसिंह भगवान के सर पर सिंह का सर है। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह कोई बहस का विषय नहीं है। जिन विचारों को जो अपने धार्मिक, सांस्कृतिक पद्धति से और जिन विचारों में जिनकी धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था और निष्ठा है, जब से यह सूरज है और जब तक यह सूरज रहेगा, रामदास जी, आप बहस करते चले जाएंगे तो भी मैं अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक निष्ठा

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

नहीं बदल सकता हूं और आप की अगर प्रतिबद्धता है तो आप भी नहीं बदलेंगे। इस सृष्टि में कितनी बार प्रलय हो जाए, हम कितनी बार जन्म ले लें लेकिन हमारी जो प्रतिबद्धता है, वह हमारे साथ है और जो एक मुसलमान है, उसकी प्रतिबद्धता उसके साथ है। एक ईसाई की प्रतिबद्धता उनके साथ हैं। इसलिए बहस से यह मामला तय होने वाला नहीं है।

बाकी अन्य माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाए हैं, उनकी सारी चर्चा के साथ, उनके सारे तर्कों के साथ भावनात्मक तौर पर मैं सहमत हूं, लेकिन सरकार का काम केवल भावनात्मक तौर पर नहीं चलता है, क्योंकि सरकार का संवैधानिक दायित्व होता है। हम संविधान से निर्देशित हैं, संसद के विधान से निर्देशित हैं और संविधान के वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं, हम उनसे निर्देशित हैं। उसमें संसद कानून बनाकर बहुमत से परिवर्तित कर दें या संसद का बहुमत से कोई निर्देश हो जाए, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसका पालन करे। यह सही है कि चर्चा की गई। हमने 2 अगस्त, 2001 को जो कमीशन बनाया था, उस कमीशन ने 31 जुलाई, 2002 को अपना प्रतिवेदन दिया है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और मोटे तौर पर कमीशन ने 50 ऐसे बिन्दू निकाले हैं, जो महत्वपूर्ण हैं। उन बिन्दुओं पर कार्रवाई करने के लिए विभाग की ओर से एक एक्सपर्ट कमेटी का हम लोगों ने गठन किया है। वह कमेटी उस कमीशन की रिपोर्ट पर, क्योंकि उस कमीशन का दायरा बहुआयामी और विस्तृत है, केवल गोवंश के वध तक ही नहीं था, बल्कि उनके संवर्धन, विकास, उन्नति, रक्षा और गौशाला इत्यादि, इसके बारे में एक्सपर्ट कमेटी का गठन हुआ है। उस एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से जब रिपोर्ट आ जाएगी, तो कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार अवश्य चर्चा करेगी और तब उस पर हम कुछ निर्णय लेंगे।

अपराह्न 5.07 बजे

[**डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुए*]

माननीय सदस्य, श्री प्रहलाद पटेल और अन्य माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त करते हुए संविधान के अनुच्छेद 48 के बारे में कहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह कहा गया है कि "राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करेगा और गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारु और भारवाही गोपशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा।" इस संबंध में कदम उठाने के लिए आजादी के बाद 23 राज्यों ने अलग-अलग ढंग से इस पर कानून बनाए हैं। उन कानूनों पर राज्य सरकारें अपने-अपने ढंग से अमल करती हैं। उन कानूनों पर सही ढंग से अमल होता है या नहीं होता है, डाक्टरों से प्रमाण-पत्र लिए जाते हैं या नहीं लिये जाते हैं तथा खरीद होती है और तस्करी करके ले जाते हैं, तो तस्करी को रोकने के लिए नियमों का पालन करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी के साथ विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों पर अमल करें और साथ ही मैं कह सकता हूं कि अगर उन कानूनों पर सभी राज्य सरकारें अमल करें, तो गोवध रोकने में लगभग 95 से 98 प्रतिशत तक सफलता मिल सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन कानूनों पर अमल नहीं हो रहा है। जिन छः राज्यों में कानून नहीं बने हैं, वे राज्य हैं- अरुणाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप। इन राज्यों में कानून नहीं बने हैं। इन राज्यों में भी वही तर्क दिए जाते हैं, जो तर्क यहां दिए जाते हैं, जैसे मांस खाने वाले अधिक हैं, उनको पूजनीय नहीं मानते हैं। ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्यः वैस्ट बंगाल में?

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः वैस्ट बंगाल में कानून बने हैं। जब आचार्य विनोबा भावे जी ने उपवास किया था, तो उस समय की तत्कालीन सरकार ने विनोबा जी को आश्वासन दिया था और उसके कारण 18.5.79 में पचासवां संविधान संशोधन भी सदन में लाया गया था। लेकिन संयोग से सदन भंग हो गया और वह कानून पास नहीं हो सका। तब से लगातार बिहार और उत्तर प्रदेश के कई केस आए और वे उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में गए। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): इन बातों की सब को जानकारी है, इसलिए इन बातों को कहने का कोई औचित्य नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री हुक्मदेव नारायण यादवः जिन बातों की यहां चर्चा की गई है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उन बातों के संबंध में सरकार सदन को जानकारी दे। अगर हम सरकार की तरफ से जानकारी नहीं देंगे तो हम अपने कर्तव्य से च्युत माने जाएंगे। मैं अपनी तरफ से यह जानकारी दे रहा हूं कि सरकार के द्वारा यह-यह कदम उठाए गए हैं, लेकिन उनमें सफलता नहीं मिल सकी। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कई ऐसे मुकदमे आए, जिनमें उच्च न्यायालय ने अपना जो फैसला दिया और उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया, उन सभी फैसलों पर हम विस्तार के साथ

चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो माननीय सदस्यों ने इस संबंध में प्रश्न उठाए हैं उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। उन पर राज्य सरकारों के साथ सहमति बना कर, उनकी राय और परामर्श लेकर अगर संसद कोई कानून बनाती है और संसद के द्वारा पारित होगा तो वह इफेक्टिव होगा तथा राज्यों के ऊपर ज्यादा लागू भी होगा। अगर बिना राज्यों की सहमति से और उनके साथ चर्चा किए बगैर कानून बना देते हैं तो संसद के कानून बनाने के बाद उसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की एजेंसी पर जाएगी। अगर उनकी सहमति नहीं ली जाती है तो अच्छा नहीं होता।

संघीय ढांचे के तहत जो केन्द्र सरकार है, केन्द्र में चाहे कोई भी सरकार हो, संघीय ढांचे को बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ हम सहमति बनाने का भी काम करते हैं। वर्तमान में सरकार के सामने यह है, माननीय पटेल जी तथा बहुत से माननीय सदस्यों ने जिसकी चर्चा की, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है कि जिन राज्यों में गो-वध बंदी कानून नहीं लागू है, 1982 से 1992 तक के आंकड़े बताते हैं कि वहां पशुओं की, केटल की संख्या में वृद्धि हुई है और जिन राज्यों ने कानून बनाया है, उन राज्यों में कैटल की संख्या में कमी आई है। जहां अच्छी नस्ल के माने जाते हैं-जैसे आंध्र का अंगोल, गुजरात का गीड़, राहा आदि जितनी अच्छी नस्ल हैं, केरल में बेचूड़ गाय है और वह दुनिया में अच्छी नस्ल की मानी जाती है। मैं जब पिछली बार एग्रीकल्चर मिनिस्टर था तो नानाजी देशमुख ने मुझे कहा, केरल में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक प्रोजैक्ट दिया गया। वहां काफी अच्छे काम उस नस्ल को बचाने के लिए हो रहे हैं।

महोदय, अंत में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि जहां हमारे पशुधन का ह्रास हो रहा है, वहां भारतीय नस्ल में जो अच्छी नस्ल है, उन्हें एक-एक करके आगे बढ़ाया जाए। जिन्हें हम संकरित गाय कहते हैं, लेकिन वह संस्कारित नहीं हैं। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो संकरण का काम हो, उसे संस्कारित भी किया जाए। जो संकरित गाय है, वह हमारे लिए उपयुक्त नहीं हो रही है। इसलिए हमारे पास जो क्रास ब्रिड की विदेशी गाय आई, वह दूध तो देती है लेकिन उसका बछड़ा खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। किसान के खेत में वह हल नहीं खींच सकता है। एक तरफ ऐसी नस्ल की गाय है, जिसके बछड़े को केवल मांस उत्पादन के लिए रखा जाता है, जैसे हिन्दुस्तान में बकरे का, और जो हिन्दुस्तानी नस्ल की गाय है, उनके बछड़े की जो कीमत थी, वह गाय अच्छी नस्ल की मानी जाती थी और उसका बछड़ा भी खेती के लायक उतना ही तगड़ा होता था। इसलिए दोनों में दृष्टि अलग है। यहां दो तरह की खेती है। यहां मुझसे ज्यादा जानकारी रखने वाले विद्वान बैठे हैं। दुनिया में खेती करने की दो पद्धतियां हैं-एक को हार्स पावर कहते हैं और दूसरे को औक्स पावर कहते हैं। हिन्दुस्तान में जो खेती होती है, हमारे जितने कृषि यंत्र हैं, वे औक्स पावर के हैं।

दूसरी जगह मशीन चलती है और वह हॉर्स पावर वाली है। हमारे यहां बैल की कीमत नस्ल पर आधारित है। ग्रामीण परिवहन, यातायात सब बैल पर होते हैं लेकिन जब आंकड़े आते हैं-चाहे वे आंध्र प्रदेश के हों, गुजरात के हों, हरियाणा के हों, हिमाचल प्रदेश के हों, मणिपुर के हों, पंजाब के हों, राजस्थान के हों, तमिलनाडु के हों, उत्तर प्रदेश के हों, उन्हें देखने से सारी स्थिति का पता लगता है। वैस्ट बंगाल में 1982 के बदले 1992 में कैटल्स की संख्या में कमी नहीं आई है लेकिन जिन राज्यों का मैं नाम ले रहा हूं वहां उनकी संख्या में 1982 के बदले 1992 में ह्रास हुआ। *...(व्यवधान)* स्वामी जी, लैंड रिफार्म्स का अलग प्रसंग है।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): जो लोग अच्छी नस्लों के पशुओं का दोहन करने के बाद सड़कों पर आवारा की तरह उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें गम्भीर अपराध के अन्दर घेरने के लिए कानून बनना चाहिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा अपराध है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: जो आयोग बना था, उसमें इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी। जो कोई पशुओं को ऐसे आवारा छोड़ देते हैं उन्हें पशुओं को अपने पास रखने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। अखिलेश जी, आप जानते हैं कि जो असली किसान हैं और जो पशु पालन करने वाले लोग हैं, वे अपने पशुओं को आवारा नहीं छोड़ते हैं और न ही उन्हें कसाई के हाथ बेचते हैं। जो डेयरी चला कर बिजनेस करते हैं, जो दूध का रोजगार करने वाले लोग हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी, आपका उत्तर चलता रहेगा क्योंकि इस विषय पर जो ढाई घंटे निर्धारित थे, वे समाप्त हो गए हैं। जब भी इसका क्रम आएगा तब उत्तर होगा। अब हमें नियमानुसार आधे घंटे की चर्चा लेनी है।

कुंवर अखिलेश सिंह: यह एक संवेदनशील और गम्भीर सवाल है। इसे समाप्त होने दीजिए।

सभापति महोदय: ढाई घंटे हो गए हैं और इससे ज्यादा का समय हम नहीं लेंगे। अब हम आधे घंटे की चर्चा प्रारम्भ करेंगे। मंत्री जी का जवाब अगली बार जारी रहेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, हम मद सं. 23 जो आधे घंटे की चर्चा है पर चर्चा आरंभ करेंगे। मैं श्री नरेश पुगलिया से चर्चा प्रारंभ करने के लिए कहता हूं।

...(व्यवधान)

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: महोदय, कृपया मुझे सिर्फ एक मिनट का समय दीजिए।

सभापति महोदय: मैं श्री नरेश पुगलिया को चर्चा प्रारंभ करने के लिए कह चुका हूं। मैं चर्चा के लिए कोई अन्य मुद्दा नहीं लूंगा।

...(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला: कृपया उन्हें चर्चा प्रारंभ करने दें।
...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: मेरा एक निवेदन है। जब गवर्नमैंट बिजनेस खत्म हो गया था तब 15 मिनट के लिए के लिए हाउस एडजर्न हो रहा था लेकिन हमने निवेदन किया था प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस को ले लिया जाए। आप यह मान लें कि वह रिक्त समय था।

सभापति महोदय: जो ढाई घंटे इसके लिए एलॉट हुए थे, वह समाप्त हो गए हैं। मंत्री जी का बाकी जवाब अगली बार होगा। जब भी इस संकल्प पर चर्चा होगी तब मंत्री जी का उत्तर आएगा।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: साढ़े पांच बजे आधे घंटे की चर्चा सम्भव हो सकती है।

सभापति महोदय: इसके लिए जो समय तय था, वह समाप्त हो गया है। हम नियमानुसार चल रहे हैं। यहां जो समय कैलकुलेट किया है, उसके अनुसार हम चल रहे हैं। इस पर ढाई घंटे की चर्चा होती है और ढाई घंटे समाप्त हो गए हैं।

...(व्यवधान)

श्री रामानन्द सिंह: सभापति महोदय, मेरा भी संकल्प था, उसकी क्या स्थिति है? वह आज होगा या नहीं?

सभापति महोदय: नियमानुसार जो स्थिति होगी वह आपके सामने आ जाएगी।

अपराह्न 5.20 बजे

आधे घंटे की चर्चा

पुरानी अधूरी रेल परियोजनाएं

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, पुरानी अधूरी परियोजनाओं के बारे में तारांकित प्रश्न सं. 41 के संबंध में 21.1.2002 को रेल मंत्री ने उत्तर दिया था लेकिन माननीय सदस्यों को उत्तर से संतोष न होने के कारण माननीय अध्यक्ष जी ने इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी थी। मैं आपके माध्यम से इस आधे घंटे की चर्चा में भाग लेने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं।

माननीय रेल मंत्री एक जागरूक मंत्री हैं। उनके काम के विषय में जो बातें उनके नोटिस में आती हैं, उस पर पूरा ध्यान देकर अपनी पूरी क्षमता से उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं लेकिन देश में 'ऑन गोइंग प्रोजैक्ट्स' के लिए केन्द्र सरकार से पैसा लेने में असफल रहे हैं। वर्ष 2002-03 के रेल बजट के अनुसार देश में 1331 किलोमीटर ब्रॉड गेज के लिए रेल लाइन बिछाई जा रही है। इसमें 214 किलोमीटर नई लाइनें, 867 किलोमीटर गेज कनवर्जन और 250 किलोमीटर डबल लाइन के लिये है। माननीय मंत्री जी ने वायदा किया है कि दसवीं योजना के बचे हुए चार सालों में 5000 किलोमटीर नई रेल लाइनें बिछाई जायेंगी लेकिन साथ में यह भी जोड़ दिया है कि अगर पैसा मिलता है तो ये लाइनें होंगी।

मैं माननीय मंत्री जी से दरखास्त करूंगा कि रेल विभाग देश का महत्वपूर्ण विभाग है जिसके अंदर 16 लाख कर्मचारी कार्य करते हैं। देश में 1300 ट्रेनें चलती हैं और रोजाना एक करोड़ 20 लाख पैसेंजर्स रेल द्वारा यात्रा करते हैं। इसी प्रकार रोजाना मालगाड़ियों द्वारा एक मिलियन टन माल ढोया जाता है। जब देश आजाद हुआ था, उस समय देश में 54000 किलोमीटर रेल मार्ग था और आज यह 63000 किलोमीटर हो गया। इन 55 वर्षों में केवल 9 हजार किलोमीटर ही रेलमार्ग में बढ़ोत्तरी हुई है। जब देश आजाद हुआ, उस समय देश की आबादी 30 करोड़ थी जो आज बढ़कर 100 करोड़ से ऊपर हो गई है। लेकिन हमारे रेलवे का रूट उस तुलना में बहुत कम है। योजना आयोग और केन्द्र सरकार से रेल लाइन बढ़ाने के लिए जितना धन मिलना चाहिये था, वह नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए रोड की तुलना में रेलवे लाइन का विस्तार बहुत कम है। खासकर एन.डी.ए. सरकार के प्रधानमंत्री जी ने रोड के विषय में कश्मीर

से कन्याकुमारी और मैट्रोपौलिटन सिटीज को मिलने के लिए 13 हजार किलोमीटर मार्ग के लिए 65 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह मालूम हो कि एक किलोमीटर रोड बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च आता है जबकि एक किलोमीटर रेल मार्ग बनाये जाने के लिए एक या सवा करोड़ रुपये खर्च आता है। महाराष्ट्र में मेरे संसदीय क्षेत्र गढ़चिरौली में 52 किलोमीटर मार्ग के लिए 67 करोड़ रुपये खर्च किया गया है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट में काफी अंतर है। ट्रेन रूट में किसी प्रकार का पौल्यूशन नहीं होता, एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। हालांकि हम बार-बार पढ़ते हैं कि ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं और रेल विभाग को दोषी ठहराते हैं जब कि रोड के मुकाबले रेल एक्सीडेंट कम होते हैं। यह देखा गया है कि देश के अंदर रोड एक्सीडेंट्स में रोजाना कई हजार लोग मारे जाते हैं। ट्रेन एक्सीडैन्ट की तुलना में आप देखें तो देश के अन्दर आने वाले समय में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए हमें रेलवे लाइनों का जाल बिछाना होगा। एक तरफ हम चार लाइन और छः लाइन की रोड्स बना रहे हैं। लेकिन रेलवे लाइन बढ़ाते समय हमने टू लाइन से फोर लाइन में अगर मुम्बई-ठाणे एरिया को छोड़ दे तो बाकी में हमने दो लाइन से चार लाइन रेलवे लाइन नहीं बिछाई हैं। यह देश का दुर्भाग्य है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रोड बनाने के लिए बाहर की कंपनी आ रही है। मलेशियन कंपनी को रोड का कांट्रैक्ट दिया जा रहा है, पांच करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर खर्च किया जा रहा है और उसके लिए 65 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। चूंकि एन.डी.ए. में रोड के बी.जे.पी. के मंत्री हैं। उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है और समता दल में हमारे माननीय नीतीश कुमार जी है। आप हमेशा कहते हैं कि धन मिलेगा तो मैं रेल लाइन बनाऊंगा। धन की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी है। आप एन.डी.ए. के पार्ट हैं और इतने महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री होने के बावजूद अगर आप अपने विभाग के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो इसके पीछे क्या राज है, यह आपको सदन को बताना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि देश की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए आप इस दिशा में जरूर कोशिश करेंगे। इस काम में आपको रूलिंग पार्टी के साथ-साथ विपक्ष का भी पूरा साथ मिलेगा। यदि आप रेल लाइन बिछाते हैं तो विपक्ष भी आपका पूरा साथ देगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि गुड्स ट्रांसपोर्ट में रेलवे ने काफी चमत्कार किये हैं और यह काफी इकोनोमिकल है। हमारा सारा तरह का गुड्स सीमेंट, लोहा, अनाज, पैट्रोल, डीजल, केरोसीन हर चीज हम रेलवे से ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन रेल लाइन बढ़ाते समय इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं। लास्ट टाइम 1986 में जब मैं राज्य सभा में था, उस समय हम लोगों ने नई रेलवे लाइन की मांग की थी। उस समय चेयर से आदेश दिया गया था। हमारे चंद्रपुर से गोंदिया और गोंदिया से जबलपुर लाइन बनाने से जो ट्रेन वाया नागपुर-इटारसी-जबलपुर होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, और बंगाल जाती थीं, उन ट्रेन्स के लिए 118 किलोमीटर का रूट शॉर्ट हुआ है। यानी 118 किलोमीटर की डिस्टैन्स कम हुई है। चंद्रपुर से गोंदिया का काम पूरा हो चुका है। लेकिन गोंदिया-जबलपुर के बीच में एक-दो ब्रिजेज के लिए आपने इस बजट में प्रावधान जरूर किया है। लेकिन अगर वह लाइन पूरी हो जाए तो उससे देश का समय भी बचेगा और समय के साथ-साथ फ्यूल भी बचेगा। इसलिए नेशनल सेविंग होने की वजह से ऐसे जितने भी रूट्स देश में हैं, जिनसे आप शॉर्ट डिस्टैन्स कवर कर सकते हैं, ऐसी लाइनों को आप जरूर बनायेंगे और उसमें गोंदिया से जबलपुर को आप प्राधान्य जरूर देंगे।

मैं एक दूसरी लाइन का उदाहरण भी देना चाहूंगा। आपने अलग-अलग कमेटीज बनाई हैं। उनमें राकेश मोहन पैनल आपने बैठाया था। उसने आपको रिपोर्ट दी है, जिसमें कुछ सूचनाएं भी आपको दी हैं। इसके बाद रेल मंत्रालय में जो संसदीय कमेटी हैं, उस कमेटी के मैम्बर्स ने भी आपको सुझाव दिया है। उसमें हम आपसे मोस्ट बैकवर्ड एरियाज के लिए नई रेल लाइनों की मांग करते हैं। देश के अंदर बैकवर्ड एरियाज में 25 जिलों का चयन प्लानिंग कमीशन ने किया है। जहां नक्सलवादी तथा आतंकवादी गतिविधियां हैं, उनमें मेरे संसदीय क्षेत्र का गढ़चिरौली जिला आता है तथा महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिले आते हैं। ऐसे 25 जिलों के लिए केन्द्र सरकार ने उसमें एडीशनल 15 करोड़ रुपया रोजगार उपलब्ध कराने के लिए या अन्य स्कीम लेने के लिए प्रावधान किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): पुगलिया जी, क्या उन 25 जिलों में बिहार आता है।

श्री नरेश पुगलिया: उनमें बिहार नहीं आता है।

श्री राजो सिंह: गाली देने में बिहार को आगे रखते हैं और आप प्लानिंग कमीशन की यहां तारीफ कर रहे हैं। वह क्या करता है।

श्री नरेश पुगलिया: वह सही बात कह रहे हैं। बिहार के ज्यादा मंत्री होने की वजह से वहां के जिले एड नहीं किये होंगे। आपको मंत्री दे दिया है, पैसा देने का क्या मतलब है। उसमें प्लानिंग कमीशन ने 25 मोस्ट बैकवर्ड जिलों को रिकगनाइज किया है और उनके लिए मंत्री जी 15 करोड़ रुपये एडीशनल देने वाले हैं। उन 25 जिलों में रूरल डेवलपमैन्ट डिपार्टमैन्ट की ओर से राष्ट्रीय समेकित विकास योजना चालू की गई है। रूरल डैवलपमैन्ट

[श्री नरेश पुगलिया]

मिनिस्ट्री में अगर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स 25 जिलों में आते हैं तो उसके लिए एडीशनल पैसा देने के लिए भी उन्होंने कबूल किया है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि चंद्रपुर के बाजू में गढ़चिरौली जिला है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि चन्द्रपुर के बाजू में जो गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर देसाईगंज से गोंदिया-चन्द्रपुर रेलवे लाइन, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। यहां पर 38 प्रतिशत ट्रायबल हैं और अनडैवलप्ड एरिया है। इसके लिए 67 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। गढ़चिरोली-देसाईगंज रेलवे लाइन को जोड़कर 25 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को प्राधान्य दिया जा सकेगा। जब भी हम रेल मंत्री को इस बारे में पत्र लिखते हैं, हमें एक ही उत्तर प्राप्त होता है कि यह रेलवे लाइन इकनौमिकली वाएबल नहीं है।

महोदय, देश में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ही ऐसा पब्लिक अंडरटेकिंग रेलवे है जो देश की सेवा कर रहा है और यदि वही प्रॉफिट मेकिंग रेलवे लाइन बनाएगा और उन्हीं पर रेलगाड़ी चलाएगा, तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग रूट्स पर, ट्राइबल एरियाज में कौन रेल लाइन डालेगा और रेल चलाएगा?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नरेश पुगलिया, हम पुरानी अधूरी परियोजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह एक पूरी चर्चा है। कृपया आप अपने आप को विषयवस्तु तक सीमित रखिए और संक्षेप में बोलिए। ओल्ड रेलवे लाइनों के बारे में बोलिए और जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री नरेश पुगलिया : महोदय वस्तुत: मैं देसाईगंज को भी शामिल करना चाहता हूं।

महोदय, मैं तुरंत अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

महोदय, मैं ओल्ड लाइनों के बारे में ही बोल रहा हूं, लेकिन साथ ही हम लोगों की जो ट्रायबल आबादी है, जो नए एरियाज हैं जहां रेल लाइन बनाना बहुत आवश्यक है, उनको भी ऐड कर रहा हूं। जिनके बारे में मैं बता रहा हूं वे ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं जिनका रेलवे की दृष्टि से पिछले 50 सालों में बिलकुल विकास नहीं हुआ है और आप यदि उन्हें इकनौमिकली वाएबल नहीं हैं, ऐसा कहकर उपेक्षा करते रहेंगे, तो अगले 50 सालों तक उनका विकास नहीं होगा।

[अनुवाद]

महोदय, पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसके पैनल ने भी कहा है कि रेलवे ने नए फार्मूले में संशोधन का सुझाव दिया है जिसके तहत परियोजनाओं को पूरा करने हेतु रेल निधियों के राज्य वार आबंटन की बात कही गयी है।

पैनल ने कहा है कि फार्मूला के जनसंख्या घटक के स्थान पर राज्य का पिछड़ापन और रेलवे के राजस्व उत्पादन के उसके हिस्से को मानदंड बनाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

महोदय, बैकवर्डनैस जो भी मंत्री जी को मद्देनजर रखना चाहिए। पूरे देश में जो 25 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें भी रेलवे का जाल फैलाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से एन.डी.ए. सरकार ने 65 करोड़ रुपए उसके लिए दिए हैं उसी प्रकार से आपको इसके लिए भी पैसे देने होंगे। कई जगह आपने काम चालू कर दिया है। असम में रंगिया डिवीजन का काम चल रहा है। मंत्री जी स्वयं वहां विजिट कर चुके हैं। पैसे का प्रावधान कम होने के कारण काम धीमा चल रहा है। इसी प्रकार से मैंगलौर-बैंगलोर रेलवे लाइन भी आपके प्रोजैक्ट्स का पुराना हिस्सा है, उसके लिए भी आपको सोचना होगा।

महोदय, रेल मंत्री जी एक तरफ तो नई-नई रेलगाड़ियां चला रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रैक नहीं बढ़ा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से नई-नई रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की जा रही है उसी प्रकार से नए-नए ट्रैक बनाने की भी घोषणा करनी चाहिए। पुराने ट्रैकों के मॉडर्नाईजेशन के ऊपर भी आपको विचार करना होगा। उसी प्रकार से इलैक्ट्रीफिकेशन का काम भी काफी स्लो चल रहा है। रेलवे ने पावर आपूर्ति के बारे में अच्छा काम किया है। पावर के बारे में सैल्फ-सफीशिएंट होने की दृष्टि से नए-नए पावर प्रोजैक्ट लेने के लिए एन.टी.पी.सी. के अधिकारियों से बात की है। नए प्रौजेक्ट लेने का काम भी शुरू हो चुका है। यह अच्छा काम हुआ है। इसके लिए मैं मंत्री जी का स्वागत करता हूं। साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहां सेंट्रल इंडिया में कोल-बैल्ट होने के कारण प्राइवेट सैक्टर में जो पॉवर प्रोजैक्ट आ रहे हैं, अगर रेलवे को पावर की जरूरत हो, तो वहां 4 हजार मैगावाट कैपेसिटी के प्रोजैक्ट लगाए जा सकते हैं।

महोदय, अन्त में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि रेलवे के विषय में जब सांसदों का आपको पूरा सपोर्ट है, तो जब एन.डी.ए. सरकार में डिसकशन करते हैं, तो आप पैसा लेने में क्यों असफल

हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूंगा कि देश के अंदर रेलवे, जो गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, उसे बढ़ाने के लिए 25-50 सालों में यातायात में देश की भविष्य में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए रेलों का जाल बिछाना चाहिए और इसके लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक से ज्यादा से ज्यादा पैसा लेना चाहिए और 10 साल पहले के जो पुराने प्रोजैक्ट चले आ रहे हैं, उन्हें पहले कंपलीट करना चाहिए। मैं विशेषरूप से गढ़चिरौली-देसाईगंज रेलवे लाइन के बारे में कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इस डिसकशन को प्रारंभ करने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला : सभापति महोदय, भारतीय रेल अपनी स्थापना के 150वें वर्ष में पहुंच गई है। यह एशिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है तथा इसकी गणना विश्व में दूसरे सबसे बड़े रेल नेटवर्क के रूप में की जाती है।

सभापति महोदय : श्री चेन्नितला आपको सिर्फ विशिष्ट प्रश्न पूछना है। आपको भाषण नहीं देना है। आपने प्रश्न पूछने के लिए समय पर नोटिस नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको विशेष मामले के रूप में इसकी अनुमति दे रहा हूं।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं प्रश्नों पर आ रहा हूं।

वर्ष 1998 में, भारत सरकार ने रेलवे की वित्तीय जर्जरता पर एक श्वेत पत्र जारी किया था। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय ने चालू परियोजनाओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त संसाधनों का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए हैं। हमें बताया गया है कि लम्बित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

यदि चालू परियोजनाओं को वित्तपोषण की वर्तमान दर पर पूरा किया जाता है तो उनके पूरा होने में 40 वर्ष लग जाएंगे। इस सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य नई रेल लाइनों की मांग कर रहे है। साथ ही, पुरानी लम्बित रेल लाइनें हैं जिन्हें अभी भी पूरा किया जाना है, जो अभी तक वित्तीय कमी की वजह से पूरा नहीं की जा सकी हैं।

जैसा कि श्री नरेश पुगलिया ने ठीक ही कहा है कि बजट आबंटन कम हो रहा है, वित्त मंत्रालय से प्राप्त होने वाली सहायता कम हो रही है और आंतरिक संसाधनों का सृजन भी उम्मीद के अनुरूप नहीं है। इस विचित्र स्थिति में, मैं माननीय मंत्री के लिए क्या योजनाएं बनायी गयी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रेल मंत्रालय इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एशियन डेवलेपमेंट बैंक से ऋण लेने अथवा कोई अन्य विदेशी सहायता लेने अथवा निजी क्षेत्र की कोई अन्य भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विचार कर रहा है। हमें यह पता चला है कि प्रधान मंत्री कार्यालय ने निधियों के अभाव में कुछ पुरानी परियोजनाओं को रद्द कर दिया है। इसलिए, सभा यह जानना चाहेगी कि प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा कितनी परियोजनाओं को रद्द किया गया है और इससे पीछे वास्तविक कारण क्या हैं तथा चालू परियोजनाओं को पूरा करने के संबंध में रेल मंत्रालय का क्या विचार है?

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अखिलेश जी, आपको भी विशेष अनुमति के आधार पर समय दिया गया है। इसलिए आप प्रश्नों तक ही सीमित रहिये।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): सभापति महोदय, भारतीय रेल दुनिया की सभी रेलों की तुलना में सर्वाधिक बोझ का वहन कर रही है। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि रेल मंत्री उस बोझ को बर्दाश्त करते हुए सफलतापूर्वक अपने कर्त्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं।

आप डा. लोहिया के अनुयायी हैं। श्री जयप्रकाश जी के आंदोलन की आप देन हैं। पिछड़े क्षेत्रों की प्राथमिकता आपकी सर्वाधिक प्राथमिकता रही है। इस संदर्भ में हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो अत्यंत पिछड़े क्षेत्र हैं, उन पिछड़े क्षेत्रों में आमान परिवर्तन की जो गति है, वह तेज होनी चाहिए। इसके साथ-साथ जो क्षेत्र अभी रेल लाइन से वंचित रह गये हैं, उन क्षेत्रों को रेल की निश्चित तौर पर सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

हम आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र महाराजगंज जनपद और महाराजगंज मुख्यालय की तरफ दिलाना चाहते हैं। जहां आज भी रेल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं आपसे कहूंगा कि महाराजगंज जनपद मुख्यालय को रेल मार्ग से जोड़ने का कार्य करें। आपने पिछले बजट में गोरखपुर-आनन्दनगर, आनन्दनगर-नौतनवां-आनन्दनगर-गौंडा लूप लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए विशेष प्रयास किया है। उस पर कार्य भी प्रारम्भ हो गया है लेकिन कार्य काफी धीमी गति से हो रहा है। मैं आपसे फिर आग्रह करना चाहूंगा कि उस कार्य में तीव्रता लाने का आप कार्य करें ताकि वह कार्य अपने समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा हो सके।

[कुंवर अखिलेश सिंह]

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आग्रह करूंगा कि रेल जो सर्वाधिक सुगमता से आवागमन का साधन है, उसको प्राथमिकता देने के लिए आप निश्चित तौर पर केन्द्र सरकार में पहल करेंगे। अभी श्री नरेश पुगलिया ने कहा कि भारत सरकार ने 65 हजार करोड़ रुपये सड़क मार्ग के लिए उपलब्ध करा दिये और रेल के लिए धन नहीं दिया। मैं समझता हूं कि उस विभाग के मंत्री जी जो कला जानते हैं, वह आप नहीं जानते क्योंकि आपकी शिक्षा-दीक्षा ही दूसरे वातावरण में हुई है। इसलिए लगता है कि आपके इस विभाग की उपेक्षा की गई है। मैं यह चाहता हूं कि आप रेल की वास्तविकता को समझकर निश्चित तौर पर अधिक धन प्राप्त करने का कार्य करेंगे।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): सभापति महोदय, श्री नरेश पुगलिया ने कुछ प्रश्न पिछड़े इलाकों के उठाए हैं। उन्होंने खास कर अपने इलाके की चर्चा की है। उन्होंने कहा, 25 जिलों को प्लानिंग कमीशन से चिन्हित किया है। हमारे मंत्रालय ने जो आंकड़े प्राप्त किए हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग कमीशन ने कभी ऐसे सौ जिलों की सूची तैयार की थी जिनके बारे में कहा गया था कि ये काफी बैकवर्ड हैं। वैसे हमारे पास इस प्रकार के बैकवर्ड इलाकों की सूची नहीं होती, लेकिन जब प्रश्न पूछा गया कि बैकवर्ड इलाकों, ट्राईबल इलाकों की उपेक्षा हो रही है, तो हमने ये आंकड़े प्राप्त किए। जहां तक रेलवे प्रौजेक्ट्स का सवाल है, इसमें सभी प्रकार के प्रोजैक्ट्स हैं जिन पर काम चल रहा है, जो मंजूरी प्राप्त योजनाएं हैं। इसमें वैसे प्रोजैक्ट्स भी हैं जिनसे लाभ हो सकता है यानी जिनका रेट ऑफ रिटर्न, जिस तरह उनकी गणना की जाती है, उनको कैलकुलेट किया जाता है, उसके हिसाब से वे लाभप्रद रेल योजनाएं होती हैं और ऐसी लाइनें भी हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण, सोशली डिजायरेबल प्रोजैक्ट्स होते हैं। यूं तो पहले रेलवे में रैमुनरेटिव प्रोजैक्ट और अनरैमुनरेटिव प्रोजैक्ट होते थे। हमने उसे थोड़ा बदला। रैमुनरेटिव प्रोजैक्ट अपनी जगह पर हैं लेकिन अनरैमुनरेटिव की जगह हमने सोशली डिजायरेबल प्रोजैक्ट किया। सामाजिक दृष्टिकोण से जो इलाके पिछड़े हैं, जो रल से नहीं जुड़े हैं, वहां रेलवे की सुविधा प्रदान करना ताकि उन इलाकों का भी विकास हो सके, इस दृष्टिकोण से वैसी योजनाएं भी ली गईं। कुछ योजनाएं पोर्ट्स को जोड़ने वाली होती हैं। इस प्रकार कुल मिला कर सभी प्रकार की योजनाएं हैं। अभी अगर हम सिर्फ नई लाइन की परियोजनाओं और गेज कन्वर्जन की परियोजनाओं को ही लें जिनमें काम चल रहा है तो वे 126 हैं और जिन्हें सोशली डिजायरेबल प्रोजैक्ट्स कह सकते हैं, जो पिछड़े इलाकों के विकास के लिए हैं, वैसी योजनाएं 92 हैं।

[अनुवाद]

126 परियोजनाओं में से 92 परियोजनाएं सामाजिक रूप से वांछनीय परियोजनाएं है जो लाभप्रद परियोजनाओं की श्रेणी में नहीं आती हैं।

[हिन्दी]

इसलिए यह कहना कि पिछड़े इलाकों के विकास के लिए नहीं किया जा रहा, सही नहीं है बल्कि बाहर तो आलोचना होती है कि रेलवे ज्यादा से ज्यादा अनरैमुनरेटिव प्रोजैक्ट्स को हाथ में लिए हुए है, जिससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, इस इन्वैस्टमैंट का कोई लाभ नहीं होने वाला, यह सारी बातें कही जाती हैं, यह सलाह दी जाती है कि ऐसे प्रोजैक्ट्स को आप छोड़ दें और बाकी रैमुनरेटिव प्रोजैक्ट्स को पूरा करें। *...(व्यवधान)* कई प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं, उनकी अपनी राय है, उनको हम और आप मानें या न मानें, लेकिन उनकी राय होती है, ज्यादातर जो विशेषज्ञ कहलाते हैं, वे ऐसी ही बातें कहते हैं। अगर उनकी बात मान ली जाए तो 126 में से 92 योजनाओं पर काम बंद करना पड़ेगा। लेकिन हम नहीं मान रहे हैं। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने नहीं माना। ऐसा नहीं है कि एन.डी.ए. की सरकार ऐसा कर रही है, लगातार यह सिलसिला जारी है, शुरू से ही यही परिपाटी है। लोगों की मांग होती है, जरूरत को देखते हुए प्रोजैक्ट्स लिए जाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि 126 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 35,717 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। बैकवर्ड रीजन के डैवलपमैंट के लिए जो 92 परियोजनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए 27,124 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। अगर किलोमीटर के अंदाज में लें, नई लाइन और छोटी लाइन, जो मीटरगेज और नौरोगेज हैं, अगर उनको ब्रॉडगेज में परिणीत करें तो कुल प्रोजैक्ट 126 का मिला कर 16,809 है जिसमें 92 प्रोजैक्ट्स हैं जिनकी हमने चर्चा की। ये परियोजनाएं पिछड़े व अर्द्ध-विकसित क्षेत्रों के विकास के लिए हैं। उनकी अगर कुल लम्बाई देखें तो 11,482 किलोमीटर है, इसलिए यह मानना कि पिछड़े इलाकों के विकास पर रेल मंत्रालय का ध्यान नहीं है और यह सिर्फ लाभ कमाने वाली योजनाएं ले रही है तो वह गलत है। जो कुछ विशेषज्ञ लोग बाहर आलोचना करते हैं तो तथ्यों के आधार पर नहीं करते हैं। केवल आंकड़ों के आधार पर जो भी उनका निष्कर्ष है, हम उससे सहमत नहीं हैं, लेकिन अगर वे ऐसा कहते हैं कि ज्यादा परियोजनाएं अलाभप्रद हैं या रैम्युनरेटिव नहीं हैं तो आंकड़ों के हिसाब से वे गलत नहीं कह रहे होते हैं। लेकिन यह स्थिति है, इसलिए यह बात नहीं है।

रही बात कि इसे पूरा करने के लिए धन की जरूरत है-अभी हमने सिर्फ दो विषयों पर ही चर्चा की है। अगर हम नई लाइन, गेज कन्वर्शन, डबलिंग और एम.टी.पी. प्रोजैक्ट्स को लें, जो शहर के मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजैक्ट्स होते हैं, उन सब को ले लें और इलैक्ट्रीफिकेशन के प्रोजैक्ट्स को भी ले लें तो ओन गोइंग प्रोजैक्ट्स को पूरा करने के लिए करीब 40 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है। उनमें से मेरे हिसाब से 222 प्रोजैक्ट्स सम्भवत: ओन गोइंग हैं, अगर हम डबलिंग, गेज कन्वर्शन, एम.टी.पी. और

इलैक्ट्रीफिकेशन के सारे प्रोजैक्ट्स को मिला दें तो ये 220 से अधिक प्रोजैक्ट्स हैं। इन सब को पूरा करने के लिए 40 हजार करोड़ रुपये चाहिए। लेकिन हम पैसा कहां से लायें। हमारे पास जो आन्तरिक संसाधन हैं, जो हमारी योजना बनती है, उसमें हम आन्तरिक संसाधनों से कुछ बचत करते हैं, जो हमारा कारोबार है, उससे कुछ बचत होती है, भारत सरकार कुछ बजटीय सहायता देती है, जिस पर वह परपीचुअल डिवीडेंड लेती है, एक तो वह स्रोत है। दूसरे हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन के जरिये बाजार से उधार लेते हैं और उसके आधार पर हम रोलिंग स्टाक खरीदते हैं, चाहे इंजन हो, डिब्बे हों या वैगन्स हों। उसे पूरा करने के लिए, रोलिंग स्टाक प्रोग्राम के लिए हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन के माध्यम से उधार लेते हैं और इसी प्रकार से पूरी एक योजना बनती है, उसमें से कई प्रकार के काम होते हैं। अगर हमारे पास सबसे पहले बचत है तो हमें डैप्रीसिएशन रिजर्व फंड में डालना पड़ेगा, ताकि सेफ्टी के बारे में कम्प्रोमाइज न हो सके। जो असैट्स हैं, उनका जो रिन्यूअल होना चाहिए, उसमें कुछ पैसा डालना पड़ता है, लेकिन आपको जानकारी दूं कि जितना पैसा असैट्स रिन्युअल के लिए डाला जाना चाहिए था, पिछले अनेक वर्षों से वह नहीं डाला गया। दसियों साल से यह स्थिति थी, जिसका नतीजा हुआ कि रिन्युअल बहुत ओवरड्यू हो गया और उसके लिए अलग से प्रोवीजन करना पड़ा। उस पर मैं बाद में आऊंगा। उसमें भी पैसा डालना पड़ता है।

और भी कई प्रकार के काम हैं। योजना में भी प्लांट मशीनरी के लिए कई चीजें करनी पड़ती हैं। जिन परियोजनाओं के लिए धन होता है, वह इतना सीमित होता है कि हम चाहें भी कि बड़ी तेजी से प्रगति करें तो नहीं कर पाते। लेकिन आम तौर पर शिकायत होती थी कि जहां का रेल मंत्री है, वहां तो पैसा ज्यादा दे दिया या जिस इलाके का है, उधर तो पैसा मिल गया, लेकिन बाकी जगह नैग्लैक्ट हो गयीं। वैसे तो हमने इस बार एक फार्मूला बनाया कि रीजनल बेलैंस का ख्याल रखा जाये। उसे ध्यान में रखते हुए राज्यों में कितनी परियोजनाएं रेल की चल रही हैं, उन्हें पूरा करने के लिए कितना धन चाहिए, एक आधार उसे बनाया, एक आधार राज्य के क्षेत्रफल को बनाया और एक आधार हमने राज्य की आबादी को बनाया। हमने आबादी को 15 परसेंट वेटेज दिया, क्षेत्रफल को 15 परसेंट वेटेज दिया और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है, उसे 70 परसेंट वेटेज दिया। इस आधार पर जो भी हमारे पास उपलब्ध था, उसे हमने बांटा। इसका उल्लेख हमने बजट में किया है। उसमें से कुछ पैसा हमें एम.टी.पी. के लिए निकालना पड़ा या जैसे कुछ राज्यों ने दो तिहाई धन दिया है तो हमने उनसे वायदा किया कि हम एक तिहाई देंगे तो उसे निकाल लिया। नोर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए योजना का 10 परसेंट देना पड़ता है, उसे निकालकर जो पैसा बचा, बाकी राज्यों में उसे इस तरह से बांटा गया। इसलिए कोई क्षेत्रीय असंतुलन की शिकायत कम से कम इस साल के बजट के एलोकेशन में नहीं कर सकता। उसके आधार पर तो यह किया गया।

आपने कहा कि सड़क के लिए तो इतना पैसा दिया, लेकिन रेल के लिए नहीं दिया। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि रेल के लिए और धन मिले, इसकी बात आप कर रहे हैं। रेल मंत्री के नाते तो इससे ज्यादा प्रसन्नता और किसी बात से नहीं हो सकती कि सारा सदन कहे कि रेल को और पैसा मिलना चाहिए। इसका लाभ भी मिलता है और उसका प्रमाण है कि इस साल के प्लान साइज को, बजट को उठाकर देखें तो ऑल टाइम हाई बजटरी सपोर्ट है।

इतनी बजटीय सहायता पहले नहीं मिल रही थी। पिछले कुछ वर्षों में बजटीय सहायता घट गई थी, धीरे-धीरे बढ़ रही थी। कोई ऐसा कहे कि इस तरह से अब सब काम ठीक चलेगा, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन शिकायत नहीं की जा सकती, क्योंकि पहले की तुलना में ज्यादा है। अगर आप लोग इस तरह की बात कहें तो और प्रभाव पड़ेगा और आगे के वर्षों में और सहायता मिल सकती है। इसलिए पहले की तुलना में बजटीय सहायता भी बढ़ी है, प्लान साइज भी बढ़ा है। उसके चलते हम ज्यादा प्रोजेक्ट लेने की स्थिति में हैं। इसलिए जो मूल प्रश्न था, जिसके आधार पर यहां आधे घंटे की चर्चा हो रही है, उसमें और बजट में भी हमने सारे प्रोजेक्ट्स का नाम नहीं गिनाया था। लेकिन इसमें हमने सारे प्रोजेक्ट्स का नाम गिना दिया है। खासकर नई लाइनों, गेज कंवर्शन और नई लाइनें बिछाई जाएंगी। ऐसा पिछले वर्षों में नहीं हो पा रहा था। इसको हमने अब बढ़ाया है। इसके अलावा मानेटरिंग भी हो रही है। हमारा प्रयास यह है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसको प्राप्त करें। धन और मिले इसमें कोई नहीं है।

मैं दो बातें और कहना चाहूंगा। सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता थी। इसकी चर्चा की गई कि एसेट्स रिनुवल के लिए पैसा नहीं है और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में पूरा पैसा नहीं डाल पाते। जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता में रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी 1998 में बनाई गई। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी और कहा कि एसेट्स के रिनुवल के लिए भारत सरकार को एकमुश्त कुछ न कुछ करना चाहिए, ग्रांट देनी चाहिए। उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए की सिफारिश की। लेकिन पिछले साल हमने प्रधान मंत्री जी के सामने इस बात को रखा और उन्होंने इसको स्वीकार किया और 17,000 करोड़ रुपए का स्पेशल रेल्वे सेफ्टी फंड बना। जिसमें 5000 करोड़ रुपए पैसेंजर्स पर सरचार्ज लगा रहे हैं, उससे आएंगे। 12,000 करोड़ रुपए भारत सरकार बजटीय सहायता दे रही है। भारत सरकार से पैसा मिलेगा, इसके बारे में डेढ़-दो साल पहले कोई सोच भी नहीं

[श्री नीतीश कुमार]

सकता था। लेकिन वह चीज हुई और 17,000 करोड़ रुपए का नान लैप्सेबल स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड बना। उसमें सिर्फ एसेट्स रिनुवल का काम होगा। प्रोजेक्ट्स की पहचान करके वह ग्रीन बुक के तौर पर सदन के पटल पर रखा जा चुका है। उस पर काम शुरू हो रहा है। पिछले साल एक अक्तूबर से उस पर काम शुरू हो गया है। इस साल भी प्रावधान है और इसलिए पैसा दिया जा रहा है। आप देखेंगे हमने पिछले साल जो हालत देखी थी, कुछ प्रोजेक्ट फंड मिलने पर पूरे हो सकते थे। जो लास्ट माईल प्रोजेक्ट हैं, भारत सरकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष भी मदद की गई थी। इसलिए अब स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड बना। प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को कुछ इनीशिएटिव स्टैप की घोषणा की थी। जिसमें रेलवे से संबंधित दो बातें हैं। एक राष्ट्रीय रेल विकास की घोषणा की गई थी। उसका मुख्य कम्पोनेंट है जो सबसे बिजी कारीडोर हैं, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल एंड इट्स डायग्नोस, उसमें अलग-अलग बाटल नेक्स हैं। कहीं तीसरी, कहीं चौथी लाइन डालनी है, कहीं बीच का सेक्शन विद्युतीकृत नहीं है उसको विद्युतीकृत करना है और करने के बाद ट्रैक स्ट्रक्चर को मजबूत करना है। परिचालन की सबसे बड़ी समस्या है। मालगाड़ियों और पैसेजंर गाड़ियों के बीच गति का बहुत अंतर है। उससे लाइन क्षमता में बड़ी कमी आती है। पहले मालगाड़ी को रोको और फिर पैसेंजर गाड़ी को रास्ता देना पड़ता है। इस वजह से नतीजा यह होता है कि फ्रेट ट्रैफिक अपने गंतव्य पर देरी से पहुंचता है और असंतोष पैदा होता है। अब उस स्थिति में सुधार आ रहा है। हम लोगों की कोशिश है कि जितने बिजी कारीडोर हैं, खासकर गोल्डन क्वाड्रिलैटेरल के जो ट्रैक स्ट्रक्चर हैं, उनको इतना बेहतर बना दें कि मालगाड़ियां भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकें। जब माल से लदी हुई मालगाड़ी इस रफ्तार से चलेगी तो स्पीड डेफरेंशियल भी खत्म हो जाएगा। मालगाड़ियां भी जाती रहेंगी और पैसेंजर गाड़ियां भी जाती रहेंगी। इससे स्पीड डेफरेंशियल घटेगा और केपेसिटी बढ़ेगी तथा माल भी समय पर पहुंचेगा। यह सब कुछ करने के लिए उसमें एक कम्पोनेंट 8000 करोड़ रुपए का है, जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल को मजबूत करने के लिए है। दूसरा हमारा पोर्ट है। इसके साथ इंटर लाइन के बीच में कई बॉटलनेक्स होते हैं। उसको विकसित करने के लिए जहां-जहां इस तरह के बाटल-नैक्स हैं, उसके लिए 3000 करोड़ रुपए का कम्पोनेंट रखा गया है। इसी तरह से कुछ मैगा ब्रिज हैं, जैसे एक ब्रह्मपुत्र नदी पर है, दो गंगा नदी पर हैं और एक कोसी नदी पर है, कुल मिलाकर चार मैगा ब्रिज का ऐलान किया है। उसमें भी प्रावधान रखा गया है। इसी तरह से राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना की घोषणा की गई है और कहा गया है कि इसमें नान बजटरी इनीशिएटिव होगा।

मुझे यह बताते हुए खुशी है कि रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और एडीबी के बीच में बातचीत चल रही है। हम उसके लिए एक स्पेशल पर्पज विहीकल बनाने की कोशिश में हैं। हम इस काम को अंजाम देने के लिए अलग से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाएंगे। एडीबी से बातचीत चल रही है और अगर वह फलीभूत हो जाती है तो उसका पैसा आएगा। हम देश में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे एप्रोच करेंगे। उनका पैसा इसमें लगाएंगे। इस प्रकार से जो ये महत्व की कुछ परियोजनाएं हैं, उनको उस ढंग से पूरा करेंगे। माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह भी ऐलान किया है और उनके इनीशिएटिव्स में दूसरी बात लिखी हुई हैं कि अगर रेलवे प्रोजेक्टस को देखें तो जितने प्रोजेक्ट्स साथ में लिये गए हैं, उनको पूरा करने के लिए 40,000 करोड़ रुपये चाहिए। पूरा करने में पच्चीस साल से भी ज्यादा समय लगेगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि उसमें से कुछ परियोजनाओं को आईडेंटिफाई करके, जो जरूरी परियोजनाएं हैं, उनको हम दस साल में पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेरी तो इच्छा है और मेरा प्रस्ताव है कि सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को दस साल में पूरा किया जाए। लेकिन सिर्फ मेरे चाहने से तो नहीं होगा। कहीं से धन आना है, हमें भी कुछ अपने संसाधन जुटाने होंगे। इस प्रकार से वह भी करने की कोशिश हो रही है और हम तो पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि जो हमारे प्लानर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन सबको हम बताएं कि हमें आखिर आगे बढ़ना है। हमारा मुकाबला दुनिया में आखिर किससे है? हमारे पड़ौस में जो चीन है, वह आज किस तरह से तरक्की कर रहा है? हम आज अमेरिका, यूरोप की बराबरी करने की तो नहीं सोच सकते हैं लेकिन बगल में चीन है, उसके बराबर जाने का तो हमें जरूर सोचना चाहिए।

हमने यह बात भी कही है कि चाइना अपनी दसवीं योजना में, जो हमें मालूम हुआ है, वह लगभग दस हजार कि.मी. रेल लाइन बनाने जा रहा है। हमने कहा कि वह 10,000 कि.मी. रेल लाइन बनाने जा रहा है तो हम क्या करें? यह हुआ कि हमें 5,000 कि.मी. से तो ज्यादा बनाना ही है और उसी के अन्तर्गत इस साल 1300 कि.मी. के करीब हम जा रहे हैं और हमारी कोशिश होगी तथा हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने का सिलसिला प्रारम्भ भी किया है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कि यह जो दसवीं योजना बनेगी, उसमें रेलवे को कितना पैसा मिलेगा? इन सब कामों के लिए कितना पैसा मिलता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसलिए हमने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा था कि सब कुछ इस पर निर्भर करेगा, यह सही बात है। लेकिन अपनी तरफ से इतनी कोशिश हो रही है तो बजटरी सपोर्ट भी बढ़ा है। सेफ्टी के लिए भी 17000 करोड़ रुपये का फंड बना है। राष्ट्रीय रेल विकास योजना की भी घोषणा हुई जिसमें हमने इन बातों का उल्लेख किया।

इसके अलावा अब जम्मू और कश्मीर की परियोजना थी। उसके लिए जो हमारे पास से धन दिया जाता था। इस प्लान से बाहर जाकर उसके लिए मदद की जा रही है। उसको नेशनल प्रोजेक्ट मानकर जो हमारा ऊधमपुर से बारामूला तक की रेलवे लाइन की परियोजना है, जिसके बारे में प्रधान मंत्री जी ने कहा

कि 15 अगस्त, 2007 तक कश्मीर वैली में रेलगाड़ी चल पड़ेगी, उसके लिए काम चल रहा है। उसके लिए जो कुछ किया जाना है, सारे इनीशिएटिव्स लिये गये हैं। दो खंडों में उसका काम चल रहा है। जम्मू-कश्मीर के प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा मिल रहा है, उसके अलावा भी यह धन है। फिर कुछ सामरिक दृष्टिकोण से हमारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं और इसके लिए डिफेंस से भी पैसा देने की पेशकश की गई है, वह भी दे रहे हैं।

इसके अलावा कुछ राज्य आगे आए हैं, जैसे झारखंड है, उनके यहां कुल 6 परियोजनाएं हैं। उसको हम लगभग किस टर्म में देखें? एग्जेक्ट टर्म देखने के लिए तो कागज उलटना पड़ेगा। 2000 करोड़ रुपये के आसपास कुल उसकी लागत है। झारखंड सरकार ने कहा कि हम दो तिहाई देंगे। एक तिहाई रेलवे लगा रहा है क्योंकि यह हुआ कि पांच साल में सभी परियोजनाओं को पूरा करेंगे। इस प्रकार से अन्य साधनों से भी कर रहे हैं।

कर्नाटक में केराइड बना। कुछ चार परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है। कर्नाटक सरकार ईक्विटी डालेगी। एक एस.पी.वी. भी बनाया गया है। इस केराइड नाम से अभी पिछले रविवार को मैं बैंगलोर में था। मुख्य मंत्री जी थे, मैं भी मौजूद था। शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने और तीन परियोजनाओं को लिया है। दो तिहाई और एक तिहाई आधार पर इसको पूरा किया जाएगा। मुम्बई में मुम्बई रेल विकास कारपोरेशन के लिए महाराष्ट्र की सरकार की एम.आर.वी.सी. में 49 प्रतिशत की ईक्विटी है, 51 प्रतिशत रेलवे की है। वर्ल्ड बैंक से कुछ पैसा लेकर उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। चेन्नई में, एम.आर.टी.पी. है, उसके लिए दो तिहाई तमिलनाडु की सरकार दे रही है, एक तिहाई हम दे रहे हैं। कोलकाता मैट्रो है, एक तिहाई बंगाल सरकार का वादा है, दो तिहाई हम लगा रहे हैं। इस प्रकार से अलग-अलग जगहों पर राज्य सरकारों की भी हिस्सेदारी हो रही है। कई हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें प्राइवेट सैक्टर के साथ पार्टिसिपेशन हो रहा है। यह जो पिपावा पोर्ट है, उसके लिए एक लाइन बन रही है, उसके लिए भी एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बना है। वह पचास प्रतिशत दे रहे हैं।

सायं 6.00 बजे

मुन्दरा पोर्ट में एक लाइन उन लोगों ने बनाई है, लेकिन आपरेट हम लोग करेंगे। आपरेट करने का भी एग्रीमेंट हो गया है। निजी क्षेत्रों से और सामरिक दृष्टिकोण से तथा अन्य साधनों से कोशिश हो रही है। अब राज्य सरकारें भी आगे आ रही हैं। भारत सरकार भी कश्मीर के प्रोजैक्ट को नेशनल प्रोजैक्ट मानकर अलग से धन दे रही है। इन सबके अलावा बजटीय सहायता इस साल बढ़ी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पहले की तुलना में भारत सरकार का रेलवे पर ध्यान ज्यादा है। लेकिन जितनी बातें आप कह रहे हैं, उन सब को पूरा करने के लिए और धन की आवश्यकता होगी। यह काम आप सब की मदद से ही संभव है। *...(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया : आप वर्ल्ड बैंक से लोन क्यों नहीं ले रहे हैं? रोड के लिए ले रहे हैं, तो रेल के लिए क्यों नहीं ले रहे हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक से क्यों नहीं ले रहे हैं?

श्री नीतीश कुमार : हमने कहा है, राष्ट्रीय रेल विकास योजनाओं के अन्तर्गत जो कम्पोनेंट्स हैं, इनके लिए स्पेशल पैकेज बनाने का प्रस्ताव है।

श्री नरेश पुगलिया : रोड्स के लिए 65-65 हजार करोड़ रुपए ले रहे हैं, तो रेल के लिए क्यों नहीं ले रहे हैं?

श्री नीतीश कुमार : 65 हजार करोड़ रुपए के बारे में तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बता सकते हैं। लेकिन कुछ दिन हमने भी इस विभाग के काम को देखा है, उस समय फीगर 54 हजार करोड़ रुपए थी। सब्जैक्ट टू करैक्शन, वे बता पायेंगे कि उसकी क्या कास्ट है। जहां तक रेल का सवाल है, एडीबी से बातचीत चल रही है। हमारी टीम गई हुई थी, बातचीत करके लौटी है और ऐसा लगता है कि पोजिटिव होगा। वर्ल्ड बैंक से मुम्बई सबरबन रेलवे के विकास में मदद मिल रही है। एम.आर.वी.सी. लाइन के लिए एग्रीमेंट हो गया है। 6 नवम्बर को फाइनल हो गया है, लेकिन पैसा वित्त मंत्रालय द्वारा मिलेगा। पिछले रविवार को मैं के-राइड पर दस्तखत करने के लिए बैंगलोर में था, जिसको लांच करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। इस प्रकार चारों तरफ से कोशिश की जा रही है कि हर तरफ से धन जुटाया जाए और जो बाटलनैक्स दूर हो सकती है, उनको दूर करें और दूसरी तरफ हमारे पास पर्याप्त धन हो सके। साथ ही जो रिमोट और बैकवर्ड एरियाज हैं, उन स्थानों के लिए जो स्वीकृत योजनायें हैं, उन पर हम ज्यादा से ज्यादा धन खर्च कर सकें, ताकि समय सीमा के अन्दर काम हो सके। मेरी इच्छा है, सफल हो पाउंगा या नहीं, लेकिन मेरा प्रस्ताव है कि दस साल के अन्दर सभी स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा किया जा सके। इसके लिए हमारी सरकार की जो स्ट्रैटेजी हैं, उसके लिए आप सबका सहयोग और समर्थन अपेक्षित है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा सोमवार, 2 दिसंबर, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 2 दिसंबर, 2002/11 अग्रहायण, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/28/9/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।